रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18, 1978/फाल्गुन 27, 1899
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 1978/PHALGUNA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1978

का०आ० 745.—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स गैन्जेज प्रिन्टिंग कम्पनी लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 48/70) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[संख्या 2/7/76-एम-2]

एन० एल० पिल्ले, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 7th March, 1978

S.O. 745.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. The Ganges Printing Company Limited, Calcutta under the said Act (Certificate of Registration No. 48/70).

[F. No. 2/7/76-M. II]

N. L. PILLAY, Under Secy.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1978

का० आ० 746.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री एस० बी० जयसिंघानी, अधिवक्ता बम्बई को, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला संख्या 2/77-सी०आई०ए० (1) से उत्पन्न सुपुर्दगी की कार्रवाइयों, अभियोजन, पुनरीक्षण तथा न्यायालय, मामले से संबंधित अन्य मामलों में मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली, सत्र न्यायालय, दिल्ली तथा उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष उपस्थित होने तथा अभियोजन का संचालन करने हेतु विशेष लोक-अभियोजक नियुक्त करती है ।

[सं 225/12/78-ए० वी० डी० (II)]

टी० के० सुब्रमणियन, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 6th March, 1978

S.O. 746.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri S. B. Jaisinghani, Advocate, Bombay, as a Special Public Prosecutor to appear and conduct prosecution case

in committal proceedings, trial, revisions and all other matters relating to the court case and trial arising out of Delhi Special Police Establishment Regular case No. 2/77-CIA(I), before Chief Metropolitan Magistrate, Delhi Court of Session Delhi and the High Court of Judicature at Delhi.

[No. 225/12/78-AVD. II]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1978

आय-कर

का० आ० 747.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री रामनाथ स्वामी मन्दिर, रामेश्वरम्" को निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 2121/फा० सं० 197/60/77-आ० क(ए I)]

जे० पी० शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 12th January, 1978

(INCOME-TAX)

S.O. 747.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Ramanathaswami Temple, Rameswaram" for the purposes of the said section for and from the assessment year(s) 1973-74.

[No. 2121/F. No. 197/60/77-IT(AI)]

J. P. SHARMA, Director

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1978

आय-कर

का० आ० 748.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री आर० पी० खोसला को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री आर० पी० खोसला के कर-वसूली अधिकारी के रूप में कार्य-भार संभालने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 2175/फा०सं० 404/106/77-आ०क०व०क०]

एच० वेंकटरामन, उप सचिव

New Delhi, the 14th February, 1978

(INCOME-TAX)

S.O. 748.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby autohrises Shri R. P. Khosla being a gazetted officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri R. P. Khosla takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 2175/F. No. 404/106/77-ITCC]

H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1978

का० आ० 749.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध ओरियंटल बैंक आफ कामर्स लिमिटेड, नई दिल्ली पर 6 फरवरी, 1980 तक निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों पर लागू नहीं होंगे:—

(i) दुकान नं० 405 और 406 तक।

(ii) दुकान व मकान नं० 420, 421 और 422 (दुकान) और मकान नं० 85 बैंक उपर्युक्त दोनों ही स्थान बाजार बजाजा मेरठ शहर में धारित हैं।

[संख्या 15(2)—बी० ओ० III/77]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 28th February, 1978

S.O. 749.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply till the 6th February, 1980 to the Oriental Bank of Commerce Ltd., New Delhi in respect of the following immovable properties, viz.—

(i) Shops Nos. 405 and 406 and

(ii) Shop-cum-House Nos. 420, 421 and 422 (Shops) and House No. 85.

both held by it at Bazar Bazaza, Meerut City.

[No. 15(2)-B.O. III/77]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1978

का० आ० 750.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की बाबत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का नाम सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) दूसरा संशोधन नियम, 1978 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 में, पांचवीं अनुसूची में पैरा 2 में "महालेखापाल II, मध्य प्रदेश के कार्यालय में

ज्येष्ठ उप महालेखापाल" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय आंकड़ा संगठन (औद्योगिक आंकड़ा खण्ड) कलकत्ता"

[संख्या 13(6)-ई 5(बी)/77]

एस० एस० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 1st March, 1978

S.O. 750.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller & Auditor-General of India in respect of the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Second Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in the Fifth Schedule, in paragraph 2, after the entry "Senior Deputy Accountant General (Works) in the office of the Accountant General, Madhya Pradesh II", the following entry shall be inserted, namely :—

"The Joint Director in the Central Statistical Organisation (Industrial Statistics Wing), Calcutta".

[No. 13(6)-EV(B)/77]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय पश्चिम बंगाल

कलकत्ता, 20 दिसम्बर, 1977

केन्द्रीय उत्पाद

का० आ० 751.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, पश्चिम बंगाल में सहायक समाहर्ताओं को अपने क्षेत्राधिकार में नियम 96-छ तत्रैव के अधीन समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत करता हूं।

[अधिसूचना सं० 9/के० उ०/77/मि० सं० V-3(21)-के० उ०/प० बं०/77]

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS WEST BENGAL

Calcutta, the 20th December, 1977

CENTRAL EXCISE

S.O. 751.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby authorise the Assistant Collectors of Central Excise in the Central Excise Collectorate, West Bengal to exercise the powers of Collector under Rule 96G ibid in their respective jurisdictions.

[Notification No. 9/CE/77/C. No. V-3(21)3-CE/WB/77]

कलकत्ता, 11 जनवरी, 1978

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 752.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय पश्चिम बंगाल के सहायक समाहर्ता को अपने क्षेत्राधिकार में नियम 49-ए तत्रैव के अधीन समाहर्ता की शक्तियों, ऐसे निर्धारितियों को अनुमति देने के सम्बन्ध में, जो उपर्युक्त नियम के अधीन प्राप्त सुविधाओं को चाहते हैं, के प्रयोग के लिए प्राधिकृत करता हूं।

[अधिसूचना सं० 2/के० उ०/78/सी० सं० IV(4) 2-सी इ/डब्ल्यू बी/77]

ए० के० भौमिक, समाहर्ता

Calcutta, the 11th January, 1978

CENTRAL EXCISE

S.O. 752.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby authorise the Assistant Collector of Central Excise in the Collectorate of Central Excise, West Bengal to exercise the powers of Collector under Rule 49A ibid in their respective jurisdiction in regard to grant of permission to the assessees who opt for the facility under the said rule.

[Notification No. 2/CE/78/C. No. IV(4)2-CE/WB/77]

A. K. BHOWMIK, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, मद्रास

मद्रास, 12 जनवरी, 1978

का० आ० 753.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इस अधिसूचना द्वारा इस समाहर्तालय में तैनात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक समाहर्ताओं को, उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त नियमावली के नियम 49-क के अन्तर्गत समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का प्राधिकार प्रदान करता हूं।

[सी० सं० 5/19/30/4/77-के० उ० शु० II]

आई० जे० राव, समाहर्ता

(The Madras Central Excise Collectorate)

Madras, the 12th January, 1978

S.O. 753.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I empower the Assistant Collectors of Central Excise of this Collectorate, to exercise within their respective jurisdiction the powers of a Collector under Rule 49A of the Central Excise Rules, 1944.

[C. No. V/19/30/4/77-CX.-II]

I. J. RAO, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

कलकत्ता, 1 सितम्बर, 1977

का० आ० 754.—सर्वश्री मेटल परफोरेशन प्रा० लि०, 177/1 दमदम रोड, कलकत्ता-74 को हार्डेन्ड एण्ड टेम्पर्ड कोल्ड रोल्ड कार्बन स्ट्रिप्स आदि के लिए 93182 रुपए के लिए लाइसेंस संख्या पी/एस/1905380/सी/एक्सएक्स/61/13-44, दिनांक 17-12-76 प्रदान किया गया था। फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस उनसे उपयोग करने से पहले और उसको किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गया/अस्थानस्थ हो गया है।

उपर्युक्त के समर्थन में फर्म ने महानगरीय मजिस्ट्रेट के सामने विधिवत शपथ ले कर इस बारे में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि लाइसेंस का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है और वह रद्द नहीं किया गया है, रेहन नहीं रखा गया है, किसी अन्य पार्टी को किसी भी प्रयोजन/विचार के लिए जैसा भी मामला हो, हस्तान्तरण नहीं किया गया है, सौंपा नहीं

गया है । आवेदक ने मूल लाइसेंस को रद्द करने के लिए आवेदन किया है जिसके बदले में उनके द्वारा उसकी अनुलिपि प्रति के लिए अनुरोध किया गया है और यदि बाद में मूल लाइसेंस मिल गया तो उसे जारी कर्ता प्राधिकारी को लौटाने का वचन भी दिया है ।

मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या पी/एस/1905380/सी/एक्सएक्स/61/सी/43-44, दिनांक 17-12-1976 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि अनुलिपि लाइसेंस (केवल सीमा-शुल्क प्रति) वास्तविक उपयोक्ता आवेदक को जारी की जाए । मूल प्रति एतद्-द्वारा रद्द की जाती है ।

[संख्या ए यू/61070/24/ए एम-77/बी/186]

आर० बारा, उप-मुख्य नियंत्रक,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Calcutta, the 1st September, 1977

S.O. 754.—M/s. Metal Perforation Pvt. Ltd., 177/1, Dum Dum Road, Cal-74 were granted licence No. P/S/1905380/C/XX/61/43-44 dated 17-12-1976 for import of Hardened and Tempered Cold Rolled Carbon Strips etc. for Rs. 93182. The firm have applied for duplicate Customs copy of the above licence on the ground that the original licence has been lost/misplaced by them before utilisation and without having been registered with any Customs authorities.

In support of the above, the firm have produced an affidavit duly sworn in before a Metropolitan Magistrate to the effect that the licence has not been utilised at all and that the same has not been cancelled, pledged, transferred or handed over by them or on their behalf to any other party for any purpose/consideration whatsoever. The applicant have made a request to cancel the original licence in lieu of which duplicate copy has been applied for by them and undertake to return the original licence to the issuing authority, if traced out later on.

I am satisfied that the original Customs copy of licence No. P/S/1905380/C/XX/61/C/43-44 dated 17-12-1976 has been lost and direct that a duplicate licence (Customs copy only) be issued to the applicant Actual User. The original copy of the licence is hereby cancelled.

[No. AU-61070/24/AM-77/B/186]

R. BARA, Dy. Chief Controller

for Jt. Chief Controller

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1978

का० आ० 755.—राज्य व्यापार निगम लि०, नई दिल्ली को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से संश्लिष्ट रबड़ का आयात करने के लिए 1,20,00,000 रुपये के मूल्य के लिए लाइसेंस संख्या जी/टी/2424929, दिनांक 8-3-77 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति उनसे खो गई है । लाइसेंसधारी ने आगे यह भी बताया है कि लाइसेंस भारत में मद्रास पत्तन के पास पंजीकृत किया गया है और शेष 91,26,260 रुपए को छोड़कर उसका 28,73,740 रुपए तक के लिए उपयोग कर लिया गया है ।

अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या 2424929, दिनांक 8-3-77 की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उन को उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए । लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

लाइसेंस संख्या जी/टी/2424929, की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[मिसिल संख्या एस० टी० सी०/रबड़-370-371/76-77/आर०एम०-8/2000]

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 1978

S.O. 755.—The State Trading Corporation of India Limited, New Delhi were granted licence No. G/T/2424929 dated 8-3-1977 for the Import of Synthetic Rubber from G.C.A. to the value of Rs. 1,20,00,000. They have requested for the issue of duplicate Custom Copy above licence on the ground that the Original C.C. copy of the above licence has been lost by them. It has been further reported by the licensee that the licence has been registered with Madras port in India and utilised to the extent of Rs. 28,73,740 leaving balance of Rs. 91,26,260.

In support of their contention, the applicant have filled an affidavit. The undersigned is satisfied that C.C. copy of licence No. 2424929 dt. 8-3-1977 has been lost and direct that duplicate C. Copy of the said licence should be issued to them. The Customs copy of the licence is hereby cancelled.

Duplicate Customs copy of the licence No. G/T/2424929 is being issued separately.

[F. No. STC/Rubber-370-371/76-77/RM8/2000]

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1978

का० आ० 756.—सर्वश्री अमर डाई केमिकल लि० बम्बई को 40,76,625.00 रुपए (चालीस लाख छियत्तर हजार छः सौ पच्चीस रुपए मात्र) के लिए आयात ला० सं० पी/डी/2421979 दिनांक 30-8-76 प्रदान किया गया था ।

2. फर्म ने उपर्युक्त ला० की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर निवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई/खो गई है । लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह भी सूचित किया गया है कि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति, सीमा शुल्क कार्यालय बम्बई में पंजीकृत कराने के पश्चात् अस्थानस्थ हो गई है और उसका आंशिक उपयोग कर लिया गया था और उसमें 11.40924.00 रुपए का उपयोग करना शेष है ।

3. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक ने अपर मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2421979 दिनांक 30-8-1976 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उपर्युक्त ला० की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए । ला० की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है ।

4. लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[सं० एस पी/डाइयूज 7(4)/ए एम-77/आर एम-3/1176]

जी० एस० ग्रेवाल, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 4th March, 1978

S.O. 756.—M/s. Amar Dye Chemical Ltd., Bombay, were granted Import Licence No. P/D/2421979 dated 30-8-76 under GCA for Rs. 40,76,625 (Rupees Forty lakhs seventy six thousand six hundred and twenty five only).

2. The firm have requested for issue of duplicate Customs Purpose. Copy of the above mentioned licence on the ground that the original Custom Purpose copy has been misplaced/lost by them. It has been further reported by the licencee that the Custom Purpose copy has been misplaced after having been registered with Bombay Customs House and utilised partly leaving an unutilised balance of Rs. 1140924.

3. In support of their contention, the applicant have filed an affidavit duly sworn in before the Additional Chief Metropolitan Magistrate, Bandra, Bombay. The undersigned is satisfied that the original Custom Purpose copy of Import Licence No. P/D/2421979 dated 30-8-1976 has been lost and directs that a Duplicate custom purpose copy of the said licence should be issued to the applicant. The original custom purpose copy of the licence is cancelled.

4. The duplicate custom purpose copy of the licence is being issued separately.

[No. SP/Dyes. 7(4)/AM-77/RM-III/1176]

G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller.

नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1978-02-21

का० आ० 757.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी०एम०/एल-3452 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, फर्म के अपने अनुरोध पर 77-12-01 से रद्द कर दिया गया है:—

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी०एम०/एल-3452 1973-06-28	केमिकल्स इंडिया, इंडस्ट्रियल एरिया सेठी भवन, समीप डीसी कार्यालय, अकोला	एन्ड्रिन पायसनीय सान्द्र	IS: 1310-1974 एन्ड्रिन पायसनीय सान्द्र की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)

[संख्या सी०एम० डी०/55 : 3452]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Indian Standard Institution)

New Delhi, the 1978-02-21

S.O. 757.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-3452 particulars of which are given below has/have been cancelled with effect from 77-12-01 at the request of the firm:—

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process covered by the Licensees cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-3452 1973-06-28	Chemicals India, Industrial Area, Sethi Bhavan, Near D.C. Office, AKOLA.	Endrin EC	IS : 1310—1974 Specification for Endrin Emulsifiable Concentrates (first revision).

[No. CMD/55 : 3452]

का० आ० 758.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी० एम०/एल-6271 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, फर्म के अनुरोध पर 3 सितम्बर, 1977 से रद्द कर दिया गया है :—

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी०एम०/एल-6271 1977-07-25	प्रीमियर पेस्टीसाइड्स प्रा०लि० ई० आर० जी० रोड, एर्णाकुलम कोचीन-682001 (केरल)	मिथाइल पैराथियोन पायसनीय सान्द्र की पुनः भराई	IS: 2865-1964 मिथाइल पैराथियोन पायसनीय सान्द्र की विशिष्टि

[संख्या सी०एम० डी०/55 : 6271]

S.O. 758.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-6271 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 3 September, 1977 on account of party's desire:—

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-6271 1977-07-25	Premier Pesticides Pvt. Ltd., ERG Road, Ernakulam, Cochin-682001 (Kerala).	Repacking of Methyl Parathion Emulsifiable Concentrates.	IS : 2865—1964 Specification for Methyl Parathion Emulsifiable Concentrates.

[No. CMD/55 : 6271]

का० आ० 759.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची के में दिए गए हैं, वे वापस ले लिए गए हैं और अब उन्हें रद्द माना जाए :

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	राजपत्र अधिसूचना की एस० ओ० संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना छपी थी।	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 1980-1967 सिरमिक परावैद्युत धारित्र टाइप I, की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखंण्ड (ii) दिनांक 1967-07-22 में एस०ओ० 2417 दिनांक 1967-07-06 के अन्तर्गत प्रकाशित	IS : 7305 (भाग 2)—1975 इलेक्ट्रानिक उपकरणों में प्रयुक्त जड़ाऊ धारित्रों की विशिष्टि भाग 2 सिरैमिक परावैद्युत धारित्र के प्रकाशन के फलस्वरूप रद्द ।
2.	IS : 2916 (भाग I)—1969 दोलकों में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल इकाइयों की विशिष्टि भाग I सामान्य अपेक्षाएं और परीक्षण	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखंण्ड (ii) में दिनांक 1970-01-10 में एस० ओ० 89 दिनांक 1969-12-24 के अन्तर्गत प्रकाशित	IS : 8271-1976 आवृति नियंत्रण और चुनाव के लिए प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल इकाइयों की सामान्य अपेक्षाएं और परीक्षण की विशिष्टि के प्रकाशन फलस्वरूप रद्द ।

[संख्या सी०एम०डी०/13 : 7]

S.O. 759.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard(s), particulars of which is/are mentioned in the Schedule given hereafter, has/have been cancelled and stands withdrawn:—

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard cancelled	S.O.No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 1980—1967 Specification for ceramic dielectric capacitors Type I (first revision).	S.O. 2417 dated 1967-07-06, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1967-07-22.	Consequent upon the publication of IS : 7305 (Part II)—1975 Specification [for fixed capacitors used in electronic equipment Part II ceramic dielectric capacitors.
2.	Is : 2916 (Pt. I)—1969 Specification for quartz crystal units used in oscillators Part I general requirements and tests.	S.O. 89 dated 1969-12-24, published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1970-01-10.	Consequent upon the publication of IS : 8271—1976 [Specification for general requirements and tests for quartz crystal units used for frequency control and selection.

[No. CMD/13 : 7]

का० आ० 760.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे रद्द हो गए हैं और वापस लिए माने जाएं।

अनुसूची

क्रम संख्या रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक		राजपत्र अधिसूचना को एस० ओ० संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना छपी थी।	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 52-1950 रंग-रोगन के लिए कैडमियम लिप्योपोन की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1955-03-26 में एस० आर० ओ० 658 दिनांक 1955-03-26 के अंतर्गत प्रकाशित	यह पदार्थ अब रंग-रोगन उद्योग में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
2.	IS : 69-1950 रंग-रोगन के लिए जिप्सम (कैल्शियम सल्फेट) की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-03-26 में एस० आर० ओ 658 दिनांक 1955-03-26 के अन्तर्गत प्रकाशित	यह पदार्थ अब रंग-रोगन उद्योग में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
3.	IS : 71-1950 रंग-रोगन के लिए मरक्यूरिक आक्साइड की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1955-03-26, में एस० आर० ओ० 658 दिनांक 1955-03-26 के अन्तर्गत प्रकाशित	यह पदार्थ बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और इस पर रोक लगती जा रही है क्योंकि इसके द्वारा वातावरण दूषित होता है इसलिए इसी डर से अनेक देशों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगती जा रही है।
4.	IS : 103-1962 प्राइमर चढ़ाने और सामान्य कार्यों के लिए बुरुश से लगाने वाले सफेद सीसे के तैयार रंग-रोगन की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1962-10-01 में एस० ओ० 3593 दिनांक 1962-11-20 के अन्तर्गत प्रकाशित	इन विशिष्टियों में दिए गए पदार्थों का आज कल बहुत सीमित रूप में अथवा बिलकुल उपयोग नहीं किया जाता।
5.	IS : 106-1962 लकड़ी पर प्राइमर चढ़ाने में प्रयुक्त बुरुश से लगने वाले इनैमलों के लिए तैयार रंग-रोगन का विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1962-12-01 में एस०ओ० 3593 दिनांक 1962-11-20 के अन्तर्गत प्रकाशित	
6.	IS : 338-1952 खेने में अस्तर देने के लिए प्राकृतिक बरोजे वाला वार्निश की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1955-03-26 में एस० आर० ओ० 658 दिनांक 1955-03-26 के अर्न्तगत प्रकाशित	इन पदार्थो के स्थान पर अब IS : 524-1968 और IS : 525-1968 में दिए गए पदार्थों का उपयोग किया जाता है।
7.	IS : 339-1952 खुले में अस्तर देने के लिए संश्लिष्ट बरोजे वाली वार्निश का विशिष्ट	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1955-03-26 में एस० आर० ओ० 658 दिनांक 1955-03-26 के अन्तर्गत प्रकाशित	
8.	IS : 426-1961 रंग के कोट देने के लिए पोरसफिलर की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1961-11-18 में एस० ओ० 2706 दिनांक 1961-11-02 के अन्तर्गत प्रकाशित	इस मानक की अपेक्षाएं अब IS : 110-1968 में बहुत हद तक शामिल कर ली गई हैं।
9.	IS : 2931-1964 एलुमिनियम जस्ता मिश्र रंग का बुरुश द्वारा प्राइमर देने के लिए तैयार रंग-रोगन की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1966-07-03 में एस० ओ० 2134 दिनांक 1966-08-16 के अन्तर्गत प्रकाशित प्रकाशित	इन विशिष्टियों में दिए गए पदार्थों का उपयोग आजकल बहुत सीमित रूप में अथवा नहीं किया जाता।
10.	IS : 3538-1966 रेड आक्साईड वेरियम क्रोमेट/बेरियम पोटाशियम क्रोमेट का प्राइमर देने के लिए तैयार मिश्रित रंग-रोगन की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1966-08-27 में एस० ओ० 26 दिनांक 1966-08-16 के अन्तर्गत प्रकाशित	

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	IS : 3669-1966 स्टोव किए जाने वाले रेड-ग्राक्साइड बेरियम क्रोमेट/बेरियम पोटाशियम क्रोमेट का प्राइमर देने के लिए तैयार मिश्रित रंग रोगन की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खंण्ड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1968-05-18 में एस० ग्रो० 1719 दिनांक 1968-02-22 के अन्तर्गत प्रकाशित	इन विशिष्टियों में दिए गए पदार्थों का उपयोग आजकल बहुत सीमित रूप में अथवा नहीं किया जाता

[सं० सी० एम० डी०/13 : 7]

S.O. 760.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard(s), particulars of which is/are mentioned in the Schedule given hereafter, has/have been cancelled and stands withdrawn:—

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 52—1950 Specification for cadmium lithopone for paints.	S.R.O. 658 dated 1955-03-26, published in the Gazette of India, Part II, Section-3 dated 1955-03-26.	The materials are not being used now in paint industry.
2.	IS : 69—1950 Specification for gypsum (calcium sulphate) for paints.	S.R.O. 658 dated 1955-03-26 published in the Gazette of India, Part II, Section-3 dated 1955-03-26.	The materials are not being used now in paint industry.
3.	IS : 71—1950 Specification for mercuric oxide for paints.	S.R.O. 658 dated 1955-03-26, published in the Gazette of India, Part II, Section-3 dated 1955-03-26.	This material is used in very small quantities and its use is being progressively prohibited in many countries in view of increasing concern about environmental pollution.
4.	IS : 103—1962 Specification for ready mixed paint, brushing, white lead, for priming and general purposes.	S.O. 3593 dated 1962-11-20, published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1962-12-01.	The materials covered by these specifications have very limited or no application at present.
5.	IS : 106—1962 Specification for ready mixed paint, brushing, priming, for enamels, for use in wood.	S.O. 3593 dated 1962-11-20, published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1962-12-01.	
6.	IS : 338—1952 Specification for varnish, undercoating, exterior, natural resin.	S.R.O. 658 dated 1955-03-26, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, dated 1955-03-26.	The use of these materials have been replaced by that of materials covered by IS : 524—1968 and IS : 525—1968.
7.	IS : 339—1952 Specification for varnish, undercoating, exterior, synthetic resin.	S.R.O. 658 dated 1955-03-26, published in the Gazette of India, Part II, Section-3, dated 1955-03-26.	
8.	IS : 426—1961 Specification of paste filler for colour coats.	S.O. 2706 dated 1961-11-02, published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1961-11-18.	The requirements of this material have been adequately covered in IS : 110—1968.
9.	IS : 2931—1964 Specification for ready mixed paint, brushing, aluminium-zinc composite primer.	S.O. 2134 dated 1965-06-18, published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-07-03.	The materials covered by these specifications have limited or no application at present.
10.	IS : 3538—1966 Specification for ready mixed paint, red oxide barium chromate/-barium potassium chromate primer.	S.O. 2602 dated 1966-08-16, published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1966-08-27.	
11.	Is : 3679—1966 Specification for ready mixed paint, stoving, redoxidebarium chromate/barium potassium chromate primer.	S.O. 1719 dated 1968-02-22, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1968-05-18.	

[No. CMD/13:7]

का० आ० 761.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिस भारतीय मानक के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वह वापस ले लिया गया है और अब उसे रद्द माना जाए:

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	राजपत्र अधिसूचना की एसओ संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना छपी थी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS: 2698-1964 चमड़े के रोलर के लिए खाल की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1964-09-19 में एस ओ 3329 दिनांक 1964-09-08 के अन्तर्गत प्रकाशित	IS: 3446-1977 ड्राफ्टिंग प्रणाली के लिए चमड़े के ऐप्रनों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) के प्रकाशन के फलस्वरूप रद्द।

[संख्या सीएमडी/13 : 7]

S.O. 761.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard, particulars of which is mentioned in the Schedule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn:—

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standard cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 2698-1964 Specification for leather roller skins.	S.O. 3329 dated 1964-09-08 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1964-09-19.	Consequent upto the publication of IS : 3446-1977 Specification for leather aprons for drafting system (first revision).

[No. CMD/13:7]

का० आ० 762.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रामाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे वापस ले लिए गए हैं और अब उन्हें रद्द माना जाए:

अनुसूची

क्रम सं०	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	राजपत्र अधिसूचना की एसओ संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना छपी थी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS: 7574-1975 मिट्टी के तेल की आपाती विशिष्टि (IS: 1459-1974 का विकल्प)	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1976-09-11 में एसओ 3279 दिनांक 1976-08-30 के अन्तर्गत प्रकाशित	ये आपाती मानक पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुरोध पर इस उद्देश्य से प्रकाशित किए गए हैं कि कच्चे तेल की कीमत में हुई बढ़ोती से निपटा जा सके तथा मिट्टी के तेल और डीजल ईंधन की कमी आसवन के दौरान प्राप्त अन्य आसुत ईंधन अधिक मात्रा में उपलब्ध करा कर पूरी की जा सके।
2.	IS: 7575-1975 डीजल ईंधन की आपाती विशिष्टि (IS: 1460-1974 का विकल्प)	—तदैव—	अब चूंकि भारत सरकार द्वारा आपात स्थिति समाप्त कर दी गई है इसलिए समिति ने ये मानक 1 नवम्बर 1977 से वापस लेने का निर्णय किया।

[सं० सी एम डी/13 : 7]

S.O. 762.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standards, particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn:

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standard cancelled	S.O. No. and Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 7574-1975 Emergency specification for kerosene (alternative to IS : 1459-1974).	S.O. 3279 dated 1976-08-30, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1976-09-11.	These emergency standards were published at the request of the Ministry of Petroleum, in order to tackle the emergency situation arising from the price hike in crude oil, and with a view to meet the shortage of kerosene and diesel fuels by increasing the availability of middle distillates. Since the state of emergency has been lifted by the Govt. of India, the committee has decided to withdraw these emergency specifications after 1 November, 1977.
2.	IS : 7575-1975 Emergency specification for diesel fuels (alternative to IS : 1460-1974).	-do-	

[No. CMD/13:7]

का०आ० 763.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे वापस ले लिए गए हैं और अब रद्द माने जाएं :

अनुसूची

क्रम सं०	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	राजपत्र अधिसूचना की एसओ संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना छपी थी।	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 945-1966, 1800-1 लिटर/मिनट मोटर वाले आग बुझाने के इंजिन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1967-03-18 में एसओ 913 दिनांक 1967-03-07 के अन्तर्गत प्रकाशित	IS : 1946-1977 आग बुझाने के मोटर इंजन की कार्यपरक अपेक्षाएं (पहला पुनरीक्षण) में इसके प्रावधान शामिल किये जा रहे हैं इसलिए रद्द किया गया।

[संख्या सी एम डी/13 : 7]

S.O. 763.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard, particulars of which is/are mentioned in the Schedule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn:—

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standard cancelled	S.O. No. and Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 945-1966 Specification for 1800-1/-in motor fire engine (first revision).	S.O. 913 dated 1967-03-67, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1967-03-18.	Since its provisions are now being covered in IS : 946-1977 Functional requirement for motor fire engine (first revision).

[No. CMD/13:7]

का० आ० 764.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम, 1955 के नियम 4 के उपनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किए हैं जिनकी डिजाइन, शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानक के शीर्षक सहित अनुसूची में दी गई हैं।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित ये मानक चिह्न उनके आगे दी गई तिथियों से लागू होंगे :

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS:1404	जलयान की तली और बोरदू के लिए लाल, चाकलेट और काले रंगों वाले बुरुश से लगाने वाले संक्षारण रोधी रंग-रोगन	IS : 1404-1970 जलयान की तली और बोरदू के लिए लाल, चाकलेट और काले रंगों वाले बुरुश से लगने वाले संक्षारण रोधी रंग-रोगन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें (ISI) शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1977-12-01
2.	IS:8249	जस्ता सल्फेट, कृषि ग्रेड	IS : 8249-1976 जस्ता सल्फेट, कृषि ग्रेड की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें (ISI) शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम की ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1977-12-01

[सं० सी० एम० डी०/13 : 9]

S.O. 764.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Marks, designs of which together with the verbal description of the designs and the titles of the relevant Indian Standards are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Marks for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each:—

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS:1404	Anti-corrosive paint brushing, for ships' bottoms and hulls, red, chocolate and black colours.	IS : 1404-1970 Specification for anticorrosive paint, brushing, for ships' bottoms and hulls, red, chocolate or black, as required (first revision).	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2) ; the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1977-12-01
2.	IS:8249	Zinc sulphate, agricultural grade.	IS : 8249-1976 Specification for zinc sulphate, agricultural grade.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1977-12-01

[No. CMD/13 : 9]

का० आ० 765.—भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1963-09-21 के अधीन प्रकाशित तत्कालीन उद्योग मंत्रालय अधिसूचना एस०ओ० 2725 दिनांक 1963-09-12 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बीच में राल पड़े टांके के तार की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस में परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन मुहर लगाने की फीस जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं 1977-10-16 से लागू होगी :

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
1.	बीच में राल पड़े टांके के तार	IS : 1921 1975 बीच में राल पड़े टांके के तार की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक कि०ग्रा०	15 पैसे

[सं० सी० एम० डी०/13:10]

S.O. 765.—In supersession of the then Ministry of Industry (Indian Standards Institution) notification number S. O. 2725 dated 1963-09-12, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1963-09-21, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the Marking fee per unit for rosin cored solder wire, has been revised.

The revised rate of Marking fee, details of which are given in the following Schedule, shall come into force with effect from 1977-10-16

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. of Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
1.	Rosin cored solder wire	IS: 1921-1975 Specification for rosin cored solder wire ((*first revision*)	One Kg.	15 Paise.

[No. CMD/13:10]

का० आ० 766.—भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 1962-03-17 में प्रकाशित तत्कालीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना संख्या एस०ओ० 749 दिनांक 1962-03-05 का आंशिक रूप में संशोधन करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बेकर के खमीर की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस में कुछ परिवर्तन किया गया है।

यह परिवर्तित मुहर लगाने की फीस जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, 1977-12-01 से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी मानक की पदसंख्या और शीर्षक	इकाई	मुहर लगाने की प्रति इकाई फीस
1.	सुखाया हुआ खमीर	IS : 1320-1972 बेकर के खमीर की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक किलोग्राम	3 पैसे
2.	दबाया हुआ खमीर		एक किलोग्राम	(1) पहली 500,000 इकाइयों के लिए एक पैसा प्रति इकाई और (2) 50,0001वीं और इससे ऊपर की इकाई के लिए 1/2 पैसा प्रति प्रति इकाई।

[सं० सी० एम० डी०/13: 10]

S.O. 766.—In partial modification of the then Ministry of Commerce and Industry (Indian Standards Institution) notification number S.O. 749 dated 1962-03-05, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1962-03-17 the Indian Standards Institution, hereby notifies that the Marking fee per unit for baker's yeast, has been revised.

The revised rate of marking fee, details of which are given in the following Schedule, shall come into force with effect from 1977-12-01.

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Products	No. & Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
1.	Dried Yeast	IS:1320-1972 Specification for baker's yeast (*first revision*)	One kg.	3 Paise.
2.	Compressed Yeast		One Kg.	(i) One paisa per unit for the first 500,000 units and (ii) 1/2 paise per unit for the 500,00Ist unit and above.

[No. CMD/13:10]

का० आ० 767.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (2) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है ये फीस प्रत्येक वस्तु के आगे दी गई तिथि(यों) से लागू होगी।

अनुसूची

क्र० संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	जलयान की तली और बोरवू के लिए लाल, चाकलेट और काले रंगों वाले बुरुश से लगने वाले संक्षारण रोधी रंग-रोगन	IS : 1404-1970 जलयान की तली और बोरवू के लिए लाल, चाकलेट और काले रंगों वाले बुरुश से लगने वाले संक्षारण रोधी रंग-रोगन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक लिटर	5 पैसे	1977-1201
2.	जस्ता सल्फेट कृषि ग्रेड	IS : 8249-1976 जस्ता सल्फेट, कृषि ग्रेड की विशिष्टि	एक मीटरी टन	रु० 5.00	1977-12-01

[संख्या सी० एम० डी०/13 : 10]

S.O. 767.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fees shall come into force with effect from the dates shown against each:

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per unit	Date of effect
1	2	3	4	5	6
1.	Anti-Corrosive paint, brushing, for ships bottoms and hulls, red, chocolate and black colours	IS: 1404-1970 Specification for anti-corrosive paint, brushing, for ships bottoms and hulls, red, chocolate or black, as required (*first revision*)	One litre	5 Paise	1977-12-01
2.	Zinc sulphate agricultural grade	IS: 8249-1976 Specification for zinc sulphate agricultural grade.	One tonne	Rs 5.00	1977-12-01

[No. CMD/13:10]

का० आ० 768.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी०एम०/एल० जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, फर्म के अनुरोध के कारण 1977-04-01 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्र० संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंस धारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	सीएम/एल-4291 1975-04-08	उत्कल पेस्टीसाइड्स एण्ड केमिकल्स, किशोर राइस मिल, जगन्नाथपुर जिला गंजाम (उड़ीसा) (कार्यालय: स्टेशन रोड, बरहामपुर जिला, गंजाम उड़ीसा)	एन्ड्रिन पायसनीय सान्द्र	IS : 1310-1974 एन्ड्रिन पायसनीय सान्द्र की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)

[संख्या सी० एम० डी०/55 : 4291]

S.O. 768.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-4291 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 77-04-01 at the request of the firm.

SCHEDULE

Sl. No	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevent Indian Standards
1	2	3	4	5
1.	CM/L-4291 1975-04-08	Utkal Pesticides & Chemicals, Kishore Rice Mill, Jagannathpur, Distt. Ganjam (Orissa) (Office: Station Road, Berham pur Distt. Ganjam, Orissa)	Endrin E C	IS: 1310-1974 Specification for Endrin Emulsifiable Concentrates (*first revision*)

[No. CMD/55 : 4291]

का० आ० 769.—समय समय पर संशोधित मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सीएम/एल-6424 और 6425 जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, फर्म की रुचि न होने के कारण 1977-12-01 से रद्द कर दिए गए हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	सीएम/एल-6424 1977-09-22	सर्वश्री यूनियन जूट क० लि० 12, कान्वेन्ट लेन, कलकत्ता 700015 (प० बंगाल)	(1) भारतीय टाट, नमी आदि के लिए 16% अवप्राप्ति पर 229 और 305 ग्राम प्रति मीटर (2) टाट के बोरे	(1) IS: 2818 (भाग 2) 1971 भारतीय टाट की विशिष्टि भाग 2 नमी आदि के लिए 16% अधिक अवप्राप्ति पर 229 और 305 ग्राम प्रति मीटर (2) IS: 3790-1971 टाट के बोरों की विशिष्टि।
2.	सीएम/एल-6425 1977-09-22	—	कालीन के पीछे लगाने का पटसन का कपड़ा	IS: 4900-1969 कालीन के पीछे लगाने के पटसन कपड़े की विशिष्टि

[संख्या सी० एम० डी०/55 : 6424]

S. O 769:—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licences No. CM/L-6424 & 6425 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1977-12-01 as the firm is not interested:

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date.	Name & Address of the Licensee	Articles/Processes Covered by the Licences Cancelled	Relevant Indian Standards.
1	2	3	4	5
1.	CM/L-6424 dt. 1977-9-22	M/s. Union Jute Co. Ltd. 12, Convent Lane, Calcutta700015 (W. Bengal)	(i) Indian Hessian 229 & 305 g/m2 at 16% moisture regain (ii) Hessain Bags.	(i) IS:2818 (Part II)-1971 Specification for Indian Hessian Part II 305 & 229 g/m2 at 16% Contract Regain. (ii) IS: 3790-1971 Specification for Hessian Bags.
2.	CM/L-6425 dt. 1977-09-22	-do.-	Jute Carpet Backing Fabric	IS: 4900-1969 Specification for Jute Carpet Backing Fabric.

[No. CMD/55:6424]

का० आ० 770 :—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 3ए के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के मानक आईएसओ 1969-1976 (ई) को मान्यता प्रदान की गई है, इसके ब्यौरे भारतीय मानक के रूप में नीचे अनुसूची में दिए हैं। इस मान्यताप्राप्त मानक को IS: 8674-1978 पालीइथाईलीन रस्सों की विशिष्टि नाम दिया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	मान्यता प्राप्त मानक की संख्या और शीर्षक	मानक तैयार करने और निर्धारित करने वाले संगठन का नाम और पता	कैफियत
1	2	3	4
1.	अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) 1969-1976 (ई) तीन लड़ वाले एकहरे पोलीइथाईलीन तंतु वाले रस्से	अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 1, रए दे वारम्बे, 1271 जेनेवा-20 स्विटजरलैण्ड	पोलीइथाईलीन रस्सों के बारे में एक भारतीय मानक [प्रलेख टीडीसी 14 (1841)] तैयार हो रहा है। जैसे ही इसको अंतिम रूप दिया जाएगा और वह स्थापित हो जाएगा यह मान्यताप्राप्त मानक वापस मान लिया जाएगा।

इस मानक की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और इसके शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलोर, बम्बई, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, पटना और त्रिवेन्द्रम से प्राप्त की जा सकती हैं।

[संख्या सी० एम० डी०/13 : 6]

वाई० एस० वेंकटेश्वरन, अपर महानिदेशक

S.O. 770.—In pursuance of sub-regulation (3) of Regulation 3A of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that it recognizes International Organization for Standardization Standard ISO 1969-1976 (E), the particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter as an Indian Standard. The recognized standard has been designated as IS: 8674-1978 Specification for polyethylene ropes.

SCHEDULE

Sl. No.	Number and Title of the Recognized Standard	Name and Address of the Organization which Prepared and Established the Standard	Remarks
1	2	3	4
1.	International Organization for Standardization ISO 1969-1976 (E) Three strand polyethylene monofilament ropes.	International Organization for Standardization, 1, rue de varembe, 1211, Geneva-20 Switzerland.	An Indian Standard on polyethylene ropes [Doc: TDC 14 (1841)] is under preparation. As soon as it is finalised and established, the recognized standard shall be deemed to have been withdrawn.

Copies of this standard are available for sale, with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Bhubneswar, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13:6]

Y. S. VENKATESWARAN, Addl. Director General

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1978

का०आ० 771.—केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा हथकरघा के विकास आयुक्त श्री मणि नारायणस्वामी को अन्य आदेशों तक रेशम का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा०सं० 25012/24/76-रेशम]

एस० वेणुगोपालन, निदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 22nd February, 1978

S.O. 771.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 6 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Mani Narayanswami, Development Commissioner for Handlooms as Vice-chairman of the Central Silk Board until further orders.

[F .No. 25012/24/76-SILK]

S. VENUGOPALAN, Director

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd March, 1978

S.O. 772.—The following amendments shall be made in schedules to Jute Commissioner's Calcutta Notification No. S.O. 795(E) dated the 30th November, 1977 published in Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 30th November, 1977 :

For	Read
(i) Rs. 105.00	Rs. 150.00

(appearing in schedule—White & Tossa/Daiste—in Col. 10 against S. No. 1—Assam, Meghalaya and Tripura).

For	Read
(ii) Rs. 158.60	Rs. 158.50

(appearing in schedule—White & Tossa/Daisee—in Col 10 against S. No. 4(ii)—West Dinajpur and Malda Districts).

For	Read
(iii) Rs. 199.50	Rs. 199.00

(appearing in schedule—Mesta—in Col. 4—against S. No. 6(i)—Cooch Behar, Jalpaiguri and Darjeeling Districts).

[No. 8/2/77-Jute]

T. S. SAHNI, Dy. Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1978

का०आ० 773.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात में कूप सं० एस०एन०के०-1 से जी०जी०एस०-1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदरा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० एस०एन० के०-I से जी०जी० एस०-I तक उपयोगकर्ता के उपयोग के अधिकार का अर्जन करना ।

राज्य--गुजरात जिला--भड़ोच तालुका--हांसोट

गांव	सर्वेक्षण नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
कुडादरा	144	0	07	91

[सं० 12016/1/78-प्रोडक्शन I]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 27th February, 1978

S.O. 773.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNK-1 to GGS-1 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquisition of Right of user for SNK—1

TO GGS—I

State : Gujarat District : Broach Taluka : Hanso

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
KUDADRA	. 144	0	07	91

[No. 12016/1/78-Prod. I]

का०आ० 774.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात में कूप सं० के०जे०-बी०-123 से जी०जी०एस०-VII तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुर रोड बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० के०जे०बी०-123 से जी०जी० एस०-VII

राज्य—गुजरात जिला--गांधीनगर तालुका—गांधीनगर

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टर	एआरई	सेंटीयर
उवारसद	1104	0	11	87
	1103	0	03	90
	1105	0	03	09
	1100	0	07	71
	1098/3	0	05	51
	1093	0	03	12

[सं० 12016/1/78-प्रोडक्शन-II]

बी०आर० भल्ला, अवर सचिव

S.O. 774.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from KJB-123 to GGS-VII in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquisition of right of USER for Laying pipeline from well No. KJB-123 to GGS-VII

State Gujrat District : Gandhinagar Taluka : Gandhinagar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
UVARSAD	. 1104	0	11	87
	1103	0	03	90
	1105	0	03	09
	1100	0	07	71
	1098/3	0	05	51
	1093	0	03	12

[No. 12016/1/78—Prod. II]

(B. R. Bhalla, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1978

का०आ० 775.—उत्प्रवास अधिनियम, 1972 (1972 का सातवां) की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई में सहायक पासपोर्ट अधिकारी, श्री वी० एन० मोकाशी को 19-12-1977 के पूर्वाह्न से, उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक पासपोर्ट अधिकारी, श्री जी० एस० पदगांवकर, जो अवकाश पर चले गये हैं, के स्थान पर उत्प्रवासी संरक्षक के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या सी०पी०ई०ओ०/10/77/संख्या एफ०-3(16)/पांच-चार/60]

जी० जगन्नाथन, अवर सचिव (पी०वी०ए०)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th January, 1978

S.O. 775.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration Act, 1972 (VII of 1922), the Central Government hereby appoints Shri V. N. Mokashi, Assistant Passport Officer, Regional Passport Office, Bombay to be Protector of Emigrants, with effect from the forenoon of 19-12-1977 in addition to his own duties vice Shri G. S. Padgaonkar, Assistant Passport Officer, proceeded on leave.

[No. CPEO/10/77/No. F. 3(16)V. IV/60]

G. JAGANNATHAN, Under Secy.

(कौंसली-अनुभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1978

का०आ० 776.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खंड (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, भारत का राजदूतावास अम्मान (जोर्डन) में सहायक, श्री पी० बी० एल० माथुर को तत्काल से कौंसली एजेंट का कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

[संख्या टी०-4330/1/77]

(Consular Section)

New Delhi, the 2nd March, 1978

S.O. 776.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic nd Consular Officers (Oaths & Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri P. B. L. Mathur, Assistant in the Embassy of India, Amman (Jordan), to perform the duties of a Consular Agent, with immediate effect.

[No. T. 4330/1/77]

का०आ० 777.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खंड (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, भारत का राजदूतावास, उलान बटोर (मंगोलिया) में सहायक, श्री आर० सी० ग्रोवर को तत्काल से कौंसली एजेंट का कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

[संख्या टी०-4330/1/77]

जे०एफ० नाइगामवाला, अवर सचिव

S.O. 777.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths & Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri R. C. Grover, Assistant in the Embassy of India, Ulan Bator (Mongolia), to perform the duties of a Consular Agent, with immediate effect.

[No. T. 4330/1/77]

J. F. NAEGAMVALA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1978

का०आ० 778.—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग), भारत सरकार की 24 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या वी० 16011/1/76-एम०ई०(पी०जी०) में क्रम संख्या 3 के सामने "प्रोफेसर आर०एन०नाथ०" के स्थान पर "प्रोफेसर आर०एन०रथ" पढ़ें।

[संख्या वी०-16011/1/76-एम०ई०(पी०जी०)]

पी०सी० जैन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd March, 1978

S.O. 778.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. V. 16011/1/76-M.E. (PG), dated the 24th December, 1977 against Serial No. 3, for "Prof. R. N. Nath" read "Professor R. N. Rath".

[No. V. 16011/1/76-M.E. (PG)]

P. C. JAIN, Desk Officer

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1978

का०आ० 779.—इस विभाग के तारीख 11-10-72 के आदेश संख्या 52/21/68-आर०ई० 1 में निम्नलिखित शुद्धियां की जायें:—

आदेश में क्रम संख्या	की जाने वाली शुद्धियां
1	2
1471	कालम 2 में "श्री पी०एस० भाग्यात्कर" के स्थान पर "श्री पी०एस० बग्यात्कर" पढ़ें।
1570	कालम 2 में "श्री जी०डी० कादम" के स्थान पर "श्री जी०वी० कादम" पढ़ें।
1598	कालम 2 में "श्री जे०जे० हालरोनकर" के स्थान पर "श्री जे०जे० हलरमेकर" पढ़ें।
1928	कालम 2 में "श्री विजाकुमार विनायक" सेते" के स्थान पर "श्री विजयकुमार विनायक सेते" पढ़ें।
2179	कालम 2 में "श्री वी०आर० तयाली" के स्थान पर "श्री वी०आर० तायब" पढ़ें।
1929	कालम 2 में "श्री जी०डी० दमोसे" के स्थान पर "श्री जी०डी० देमसे" पढ़ें।
2936	कालम 2 में "श्री आर०टी० करकोरा" के स्थान पर "श्री आर०टी० करकेरा" पढ़ें।
3069	कालम 2 में "श्री हरीमा" के स्थान पर "श्री हरि नागसी" पढ़ें।
4829	कालम 2 में "श्री के०डी० भोगमे" के स्थान पर "श्री के०डी० भोजमे" पढ़ें।

1	2
1579	कालम 2 में "श्री रत्ना पारखी" के स्थान पर "श्री आर० पी० उनवाल" पढ़ें।
1259	कालम 2 में "श्री टी०पी० आहुजा" के स्थान पर "श्री जे०पी० आहुजा" पढ़ें।
3882	कालम 2 में "श्री कृष्णा एस०एस० कदम" के स्थान पर "श्री के०एस० कदम" पढ़ें।
379	कालम 2 में "श्री जी०सी० पवार" के स्थान पर "श्रीमती जी०सी० पवार" पढ़ें।
132	कालम 2 में "श्री एस०आर० गोरे" के स्थान पर "कु० एस०आर० गोरे" पढ़ें।
1488	कालम 2 में "श्री एल०सी० दर्याने" के स्थान पर "श्री एल०सी० दर्यानी" पढ़ें।
1439	कालम 2 में "श्री एल०के० जनगियानी" के स्थान पर "श्री एल०के० झनगियानी" पढ़ें।
980	कालम 2 में "श्री पी०एम० पटेल" के स्थान पर "श्रीमती पी०एम० पटेल" पढ़ें।
2444	कालम 2 में "श्री जेम्स अलमुडा" के स्थान पर "श्री जेम्स अलमेडा" पढ़ें।
2602	कालम 2 में "श्री के०टी० कुरुविला" के स्थान पर "श्री ई०टी० कुरुविल्ला" पढ़ें।
4714	(i) कालम 1 में "क्रम सं० 4714" के स्थान पर "4724" पढ़ें।
	(ii) कालम 2 में "श्रीमती सुलोचना जी० काल्टे" के स्थान पर "श्रीमती सुलोचना जी० कोल्टे" पढ़ें।
3730	कालम 2 में "श्री अम्माजी एच० मोहिते" के स्थान पर "श्री अनाजी एच० मोहिते" पढ़ें।
3866	हटा दिया जाये।
3864	हटा दिया जाये।

2. इस विभाग के तारीख 19-12-1975 के आदेश सं० 52/22/74-एफ०सी०-II (खंड 4) में निम्नलिखित शुद्धियां की जायें :—

आदेश में क्रम संख्या	की जाने वाली शुद्धियां
23	कालम 2 में "श्री मुसाक अली" के स्थान पर "श्री मुस्ताक अली" पढ़ें।

3. इस विभाग के तारीख 4-7-75 के आदेश संख्या 52/22/74-एफ०सी०-III (खंड II) में निम्नलिखित शुद्धियां की जायें :—

आदेश में क्रम संख्या	की जाने वाली शुद्धियां
31	कालम 2 में "श्री पी०ए० अहार" के स्थान पर "श्री पी०ए० अहेर" पढ़ें।
32	कालम 2 में "श्री कालचन्दन" के स्थान पर "श्री कालचन्वास" पढ़ें।
71	कालम 2 में "श्री जी०बी० घाटल्ने" के स्थान पर "श्री जी०बी० गाट्टे" पढ़ें।
78	कालम 2 में "श्री टी०आर० बगेरा" के स्थान पर "श्री टी०आर० भंगम्ले" पढ़ें।
83	कालम 2 में "श्री पी०एस० पिंगरे" के स्थान पर "श्री पी०एस० टिंगरे" पढ़ें।

4. इस विभाग के तारीख 28-12-77 के आदेश संख्या 52/7/74-एफ०सी०-III (खंड 10) में निम्नलिखित शुद्धियां की जाएं :—

आदेश में क्रम संख्या	की जाने वाली शुद्धियां
1	कालम 4 में "सहायक निदेशक" के स्थान पर "उप-निदेशक" पढ़ें।

[सं० 52/22/74-एफ०सी०-III (खंड) 9]

बख्शी राम, उप-सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th February, 1978.

S.O. 779.—In this Department Order No. 52/21/68-REI, dated 11-10-72, the following corrections shall be carried out :—

S. No. in the Order	Correction to be carried out
1	2
1471	For the words "Shri P.S. Bhagyatkar" in Col. 2, read "Shri P.S. Bagayatkar."
1570	For the words "Shri G.D. Kadam", in col. 2, read "Shri G.V. Kadam".
1598	For the words "Shri J.J. Halaronkar" in col. 2, read "Shri J.J. Halarnekar".
1928	For the words "Shri Vijakumar Winayak Shette" in col 2, read "Shri Vijaykumar Vinayak Shete".
2179	For words "Shri V. R. Tayali", incol, 2, read "Shri V.R. Tayab".
1929	For the words "Shri G. D. Demose" in col. 2, read "Shri G. D. Demse".
2936	For the words "Shri R.T.Karkora", in col. 2, read "Shri R.T. Karkera".
3069	For the words "Shri Harima", in col. 2, read "Shri Hari Nagsi".
4829	For the words "Shri K.D. Bhogane" in col. 2, read "Shri K. D. Bhojane".
1579	For the words "Shri Ratna Parki" in col. 2, read "Shri R. P. Unwala".
1259	For the words "Shri T. P. Ahuja" in col. 2, read "Shri J.P. Ahuja".
3882	For the words "Shri Krishna S.S. Kadam" in col. 2, read "Shri K.S. Kadam".
379	For the words "Shri G.C. Pawar" in col. 2, read "Smt. G.C. Pawar".
132	For the words "Shri S.R. Gore" in col. 2, read "Miss S.R. Gore".
1488	For the words "Shri L.C. Daryane" in col. 2, read "Shri L.C. Daryanani".
1439	For the words "Shri L.K. Jangiani" in col. 2, read "Shri L.K. Jhangiani".
980	For the words "Shri P.M. Patel" in col. 2, read "Smt. P.M. Patel".
2444	For the words "Shri James Almuda" in col. 2, read "Shri James Almeda".

1	2
2602	For the words "Shri K.T. Kuruvilla" in col. 2, read "Shri E.T. Kuruvilla."
4714	(i) For the "Serial No. 4714" in col. 1, read "4724".
	(ii) For the words "Smt. Sulochana G.Kalte" in col. 2, read "Smt. Sulochana G. Kolte".
3730	For the words "Shri Ammaji H. Mohite" in col. 2, read "Shri Anaji H. Mohite".
3866	Shall be deleted.
3864	Shall be deleted.

2. In this Department Order No. 52/22/74-FC-III (Vol. IV) dated 19-12-75 the following correction shall be carried out :

S. No. in the Order	Correction to be carried out
23	For the words "Shri Mushaq Ali" in col. 2, read "Shri Mustaq Ali".

3. In this Department Order No. 52/22/74-FC-III [(Vol. II) dated 4-7-75, the following corrections shall be carried out :

S. No. in the Order	Correction to be carried out
31	For the words "Shri P.A. Ahar" in col. 2 read "Shri P.A. Aher".
32	For the words "Shri Kalchandan" in col. 2, read "Shri Kalchandas".
71	For the words "Shri G.B. Ghatle" in col. 2, read "Shri G.B. Gatte".
78	For the words "Shri T.R. Bangera" in col. 2, read "Shri T.R. Bhangle".
83	For the words "Shri P.S. Pingre" in col. 2, read "Shri P.S. Tingre".

4. In this Department Order No. 52/7/74-FC-III (Vol. X) dated 28-12-77, the following correction shall be carried out :

S. No. in the Order	Correction to be carried out
1	For the words "Assistant Director" in col. 4, read "Deputy Director".

[No. 52/22/74-FC-III (Vol. IX]

BAKHSHI RAM, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 फरवरी 1978

का० आ० 780—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भूतपूर्व संकर्म, निर्माण और पूर्ति मंत्रालय की तारीख 28 जनवरी, 1969 की अधिसूचना सं० का०आ० 309 में, जो उक्त अधिनियम की धारा 20 के आधार पर प्रवृत्त रखी गई है, आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित सारणी में वर्णित अधिकारियों को जो सरकार के राजपत्रित प्राधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त तालिका के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट परिसरों के संबंध में अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

अधिकारियों का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमायें
(1)	(2)
(क) निदेशक, विदेश संचार सेवा, आर्वी, कलकत्ता, देहरादून, नई दिल्ली और पूना ।	अधिकारियों की अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में स्थित विदेश संचार सेवा के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान ।
(ख) उप निदेशक (प्रशासन) विदेश संचार सेवा, मुख्यालय, बम्बई ।	
(ग) भारसाधक अधिकारी, विदेश संचार सेवा, मद्रास और धोन्द ।	

[सं० डी० 11014/6/77-ओ०सी०]

नूतन देव, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi, the 25th February, 1978

S.O. 780—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Permises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, (40 of 1971) and in partial modification of the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. S.O. 307 dated the 28th January, 1959, continued in force by virtue of section 20 of the said Act, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column 1 of the Table below, being gazetted officers of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in respect of premises specified in the corresponding entries in column 2 of the said Table :

TABLE

Designation of Officers	Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction
1	2
(a) Directors, Overseas Communications Service, Arvi, Calcutta, Dehra Dun, New Delhi and Poona	Premises under the administrative control of the Overseas Communications Service situated within the local limits of their respective jurisdiction.
(b) Deputy Director (Admn.) Overseas Communications Service, Headquarters Office, Bombay.	
(c) Engineers-in-Charge, Overseas Communications Service, Madras and Dhond	

[No. D-11014/6/77-OC]

NUTAN DEVA, Under Secy.

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1977

का० आ० 781.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 34 के साथ पठित नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संचार मंत्रालय (डाक-तार) की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 620 तारीख 28 फरवरी, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में :—

(क) "भाग-2 साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3" में "रेल डाक सेवा" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"निदेशक/उप निदेशक लेखा (डाक) का कार्यालय"

1	2	3	4	5
कनिष्ठ लेखा-अधिकारी	महापोस्ट-मास्टर	महापोस्ट-मास्टर	सभी	सदस्य (प्रशासन) डाक-तार बोर्ड
		निदेशक/उप-निदेशक	(I) से (VI) तक	महापोस्ट-मास्टर
ज्येष्ठ लेखापाल	निदेशक/उप-निदेशक	निदेशक/उप-निदेशक	सभी	महापोस्ट-मास्टर
कनिष्ठ लेखापाल, रखवाल, आशु-लिपिक, फोटो-स्टेट सहायक		लेखा अधि-कारी	(I) से (IV) तक	निदेशक/उप-निदेशक
निम्न श्रेणी लिपिक, सार्टर, चयन श्रेणी सार्टर, ज्येष्ठ गेसटेटनर चालक	लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी	सभी	निदेशक/उपनिदेशक",

(ख) "भाग 3, साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4" में "रेल डाक सेवा" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"निदेशक/उप निदेशक लेखा (डाक) का कार्यालय

1	2	3	4	5
सभी पद	लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी	सभी	निदेशक/उप-निदेशक"

[सं० 154/2/77-अनु० II]

एम० कण्डवाल, सहायक महानिदेशक (अनुशा०)

(P & T Board)

New Delhi, the 20th December, 1977

S. O. 781—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12, and sub-rule (1) of rule 24, read with rule 34, of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs) No. S. R. O. 620 dated the 28th February, 1957, namely:—

In the Schedule to the said notification—

(a) in "Part II—General Central Service, Class III, " after the heading "Railway Mail Service" and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted :—

"Office of the Director/ Deputy Director of Accounts (Postal)

1	2	3	4	5
Junior Accounts Officers	Postmaster-General	Postmaster-General	All	Member (Administration), Posts and Telegraphs Board.
		Director/Deputy Director	(i) to (iv)	Postmaster-General
Senior Accountant	Director/Deputy Director	Director/Deputy Director	All	Postmaster-General
Junior Accountant, Caretaker, Stenographer, Photo Stat Assistant		Accounts Officer	(i) to (iv)	Director/Deputy Director
Lower Division Clerk, Sorter, Selection Grade Sorter, Senior Gestetner Operator	Accounts Officer	Accounts officer	All	Director/Deputy Director.";

(b) in "Part III—General Central Service, Class IV", after the heading "Railway Mail Service" and the entries relating thereto the following heading and entries shall be inserted, namely:—

"Office of the Director/ Deputy Director of Accounts (Postal)

1	2	3	4	5
All Posts	Accounts Officer	Accounts Officer	All	Director/Deputy Director."

[No. 154/2/77-DISC.II]

M. KANDWAL, Asstt. Director General (DISC)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1978

का० आ० 782.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने रोपड़ टेलीफोन केन्द्र में, दिनांक 1-4-78 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-5/78-पीएच बी]

New Delhi, the 3rd March, 1978

S.O. 782.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. 627, dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-4-1978 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Ropar Telephone Exchange, N.W. Circle.

[No. 5-5/78-PHB]

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1978

का० आ० 783.—चूंकि दिनांक 16-6-77 से पलवल एक्सचेंज में प्रमापित दर प्रणाली चालू करने के लिए, दिनांक 20-5-77 को उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई, इसलिए स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पलवल एक्सचेंज, उत्तर पश्चिम सर्कल में, दिनांक 16-6-77 से प्रमापित दर प्रणाली चालू करने का निश्चय किया ।

[सं० 5-10/77-पी० एच० बी०]

पी० एन० कौल, निदेशक फोन (ई)

New Delhi, the 4th March, 1978

S.O. 783.—Whereas notices for the introduction of Measured Rate System in Palwal Exchange w.e.f. 16-6-1977 were issued to the subscribers on 20-5-1977 and whereas no objection from the subscribers was received, in pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraphs Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627, dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, specified 16-6-1977 as the date for the introduction of the Measured Rate Syetem in Palwal Exchange, N.W. Circle.

[No. 5-10/77-PHB]

P. N. KAUL, Director Phones (E)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1978

का० आ० 784.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुपालन में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित रेल कार्यालयों को, जहाँ के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है :—

1. मण्डल अधीक्षक का कार्यालय, जयपुर, पश्चिम रेलवे ।
2. मण्डल अधीक्षक का कार्यालय, अजमेर, पश्चिम रेलवे ।
3. मण्डल अधीक्षक का कार्यालय, रतलाम, पश्चिम रेलवे ।
4. मण्डल अधीक्षक का कार्यालय, कोटा, पश्चिम रेलवे ।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद, पश्चिम रेलवे ।
6. मण्डल अधीक्षक का कार्यालय, झांसी, मध्य रेलवे ।
7. मण्डल अधीक्षक का कार्यालय, जबलपुर, मध्य रेलवे ।

[सं० हिन्दी-78/रा० भा०-15/7]

बी० मोहन्ती, सचिव एवं पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 27th February, 1978

S.O. 784.—In pursuance of Sub-rules (2) and (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board) hereby notify the undermentioned Railway Offices of Central Government, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Office of the Divisional Suptd., Jaipur, Western Rly.
2. Office of the Divisional Supdt., Ajmer, Western Rly.
3. Office of the Divisional Supdt., Ratlam, Western Rly.
4. Office of the Divisional Supdt., Kota, Western Rly.
5. Area Office, Ahmedabad, Western Rly.
6. Office of the Divisional Supdt., Jhansi, Central Rly.
7. Office of the Divisional Supdt., Jabalpur, Central Rly.

[No. Hindi-78/OL-15/7]

B. MOHANTY, Secy.
& Ex-officio Jt. Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1978

का० आ० 785.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 33 के अधीन इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ पुनर्वास विभाग के निदेशक श्री एम० सी० वर्मा द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी ।

2. इससे इस विभाग की अधिसूचना सं० 6(21)/77-एस० एस०-1, दिनांक 1-11-1977 को रद्द किया जाता है ।

[संख्या 6(21)/77-एस एस-I]

एच० के० टेकचन्दानी, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 7th March, 1978

S.O. 785.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that the powers exerciseable by it under Sub-section (4) of Section 24 and Section 33 of the said Act shall be exerciseable also by Shri M. C. Verma, Director in the Department of Rehabilitation.

2. This supersedes this Department Notification No. 6(21)/77-SS. I, dated 1-11-1977.

[No. 6(21)/77-SS. I]

H. K. TECKCHANDANI, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1978

का० आ० 786.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 11 के उपविनियम (1), (2), (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 862, तारीख 15 मार्च, 1974 को अधिक्रान्त करते हुए, खनन परीक्षण बोर्ड गठित करती है जिसका अध्यक्ष मुख्य निरीक्षक, खान होगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उस बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. मुख्य निरीक्षक, खान (पदेन) — अध्यक्ष

2. श्री सी० एस० झा,
   निदेशक (तकनीकी),
   बी० सी० सी० लिमिटेड भगतडीह भवन,
   डाकघर झरिया (धनबाद), बिहार।

3. श्री बी० एस० राव,
   खण्ड प्रबंधक,
   टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड,
   डाकघर जीलगोरा, जिला धनबाद।

4. श्री यु० एस० पी० सिन्हा,
   महाप्रबन्धक, (उत्पादन)
   सेन्ट्रल कोलफील्डस, लिमिटेड,
   दरभंगा हाउस, रांची।

5. प्रोफेसर आर० डी० सिंह,
   खनन इंजीनियरी विभाग के प्रधान,
   भारतीय खान विद्यालय, धनबाद।

6. श्री एस० बाग्ची, निदेशक,
   केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र,
   धनबाद (बिहार)।

(2–6) — सदस्य

[सं० वी० 2301/21/77-एम० आई०]

मनजीत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1st March, 1978

S.O. 786.—In exercise of the powers conferred by sub-regulations (1), (2), (3) and (4) of regulation 11 of the Coal Mines Regulations, 1957, the Central Government hereby constitutes the Board of Mining Examinations, in super session of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 862, dated the 15th March, 1974, with the Chief Inspector of Mines as its Chairman and appoints the following persons as members of that Board for a period of three years, namely :—

1. Chief Inspector of Mines (ex-officio) — Chairman

2. Shri C. S. Jha,
   Director (Tech.),
   B.C.C. Ltd., Bhuggatdih Building,
   P.O. Jharia (Dhanbad), Bihar.

3. Shri B. S. Rao,
   Divisional Manager,
   Tata Iron & Steel Co. Ltd.,
   P.O. Jealgora, District Dhanbad.

4. Shri U.S.P. Sinha,
   General Manager (Prodn.),
   Central Coalfields Ltd.,
   Darbhanga House, Ranchi.

5. Prof. R.D. Singh,
   Lead of Department of Mining Engineering,
   Indian School of Mines, Dhanbad.

6. Shri S. Bagchi,
   Director,
   Central Mining Research Station,
   Dhanbad (Bihar).

(2–6) — Members

[No. V-23012/1/77-M. I]

MANJIT SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 27th February, 1978

S.O. 787.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Budhpura Sand Stone Mine of Shri Gurucharan Singh S/o Shri Girdhara Singh, Mine Owner, Gumanpura, Kota and their workmen which was received by the Central Government on 22-2-1978.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

BETWEEN

The President, Pathar Khan Mazdoor Sangh, E. 3/97, Near New Railway Colony, Kota-2.

AND

Shri Gurucharan Singh S/o Shri Girdhara Singh, Mine Owner, Gumanpura, Kota.

AWARD

The Central Government, as appropriate Government, vide its order No. L. 29011/32/76-E. III(B), dated the 28th February, 1977 made a reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 to this Tribunal in the following terms :

'Whether the demand of the workmen employed in Budhpura Sand Stone Mine of Shri Gurucharan Singh S/o Shri Girdhara Singh, Mine Owner, Gumanpura, Kota for payment of profit sharing bonus @ 20 per cent of wages for the Accounting years 1972-73, 1973-74, 1974-75 is justified ? If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for each of these years ?'

2. On receipt of the said reference usual notices were issued to the respective parties and a statement of claim was filed in pursuance thereof on behalf of the workmen by the Pathar Khan Mazdoor Sangh. The case was adjourned for written statement by the respondent—employer but before any written statement could be filed the parties arrived at a compromise and accordingly a compromise was presented by Shri Mahabir Prashad Sharma, the President of the Sangh whose statement was recorded on 11th August, 1977 which reads:

'Parties have compromised in this reference. Compromise is C/1. It bears my signatures and signatures of Gurcharan Singh, Mine Owner. An award in terms of C/1 be made.'

3. Accordingly an award in terms of compromise Ex. C/1 which shall form part as Annexure 'A' of this award is made in the reference and the reference is disposed of accordingly. Parties are left to bear their own costs. Requisite copies of the award may be sent to the appropriate Government for necessary action.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

26th December, 1977.

[No. L-29011/32/76-D.III.B]

S.O. 788.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Dalmia Dadri Cement Ltd., Charkhi Dadri and their workmen which was received by the Central Government on 22-2-78.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 30 of 1977

BETWEEN

Shri Sunder Singh C/o Dalmia Dadri Cement Factorymen's Union, Charkhi Dadri (Haryana).

AND

The Quarry Manager, Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri.

PRESENT :

The workman in person with Shri Hari Singh, Secretary Shri S. N. Bhandari, Advocate with Shri C. K. Aggarwal, Labour Officer of the respondent.

AWARD

The Central Government, as appropriate Government, made a reference u/s 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 vide its order No. L. 29011/99/75-D.O. III. B., dated the 21st October, 1975 in the following terms to Industrial Tribunal Faridabad :

'Whether the action of the Management of M/s. Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri, in extending the probation of Shri Sunder Singh, Mining-Mate-cum-Chowkidar from time to time and in terminating his services w.e.f. the 11th February, 1975 is bonafide, justified and legal ? If not, to what relief is the said workman entitled ?'

2. In pursuance of the reference statement of claim was filed by the workman and reply was filed by the Management and finally a replication was also filed on behalf of the workman and the following issues were framed for trial by the Industrial Tribunal, Faridabad :

1. Whether the reference in respect of the legality and justification of extension of the probation of the workmen is valid and legal ?
2. If not, whether the reference in respect of the legality or illegality of termination of the services of the workman w.e.f. 11-2-75 is in separable from the reference relating to the illegality of extension of the probation period?
3. Whether the termination of the services of the workman amounts to retrenchment ? If yes, to what effect ?
4. Whether the action of the management of M/s. Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri, in extending the probation of Shri Sunder Singh from time to time and in terminating his services w.e.f. the 11th February, 1975 is bonafide, justified and legal? If not, to what relief is the said workman entitled ?

3. Issues No. 1 and 2 were disposed of as preliminary issues vide order dated the 26th February, 1976 by the Industrial Tribunal, Faridabad and thereafter the case was fixed for evidence but before any further proceedings could take place before the Industrial Tribunal, Faridabad, the case was ordered to be transferred to this Tribunal by the appropriate Government and the case was fixed for evidence. After the statement of workman was recorded by way of his evidence the cross examination was deferred on 3rd November, 1977 to 12th December, 1977 but on 12th December, 1977 parties requested for adjournment so that they could compromise the matter and finally on 23rd December, 1977 the workman and Secretary of his union appeared together with the Council for the respondent and Shri C. K. Aggarwal, Labour Officer of the respondent and they filed a compromise Ex. C/1. I have perused the compromise Ex. C/1 and from the perusal thereof I found that it is for the benefit of the workman and it was ordered to be recorded. The statement of Shri Sunder Singh and Shri C. K. Aggarwal and Shri S. N. Bhandari and Shri Hari Singh Dudi, the workman, the Labour Officer of Respondent, the Counsel for the respondent and the Secretary of the Union respectively were recorded. From the perusal of the statements and compromise Ex. C/1 I hold that the parties have compromised and accordingly a compromise award in terms of compromise Ex. C/1 is hereby made and it is accordingly awarded that : (a) Management having agreed to appoint Shri Sunder Singh as Mining Mate-cum-Chowkidar w.e.f. 1st December, 1977 on permanent basis and the workman having joined the services would be deemed to have appointed w.e.f. 1st December, 1977 on permanent basis as a Mining-Mate-cum-Chowkidar; (b) that for the purposes of computing the benefit of Gratuity February 15, 1975 will be treated and reckoned as the date; (c) that Shri Sunder Singh will be paid and placed in the minimum step of the grade of his category as per recommendations by the Cement Wage Board; (d) Shri Sunder Singh shall be deemed to have given up claim for back wages to the extent of amount of the money payable as arrears in terms of settlement dated May 7, 1975 and the Management shall be liable to make payment accordingly; (e) that except paras 1 to 4 of the letter of appointment dated 25-7-1973, other terms and conditions of service will remain unchanged and age of retirement shall 58 years which would be extendable for 2 years, i.e., upto 60 years if the workman remains physically or mentally fit; (f) that the Management would withdraw its Writ Petition pending in the High Court for States of Punjab and Haryana at Chandigarh (h) that the parties would bear their own costs.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : the 23rd December, 1977.

[No. L-29011/99/75-D.III.B.]

S.O. 789.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and their workman, which was received by the Central Government on 22-2-78.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 28 of 1977

BETWEEN

Shri Lakhi Ram C/o Dalmia Dadri Cement Factorymen's Union, Charkhi Dadri (Haryana).

AND

The Manager, Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri.

PRESENT :

The workman in person with Shri Hari Singh, Secretary, Shri S. N. Bhandari, Advocate with Shri C. K. Aggarwal, Labour Officer of the respondent.

AWARD

The Central Government, as appropriate Government, made a reference u/s 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide its order No. L. 29011/100/75-D.O. III.B, dated the 21st October, 1975 in the following terms of Industrial Tribunal. Faridabad :

'Whether the action of the Management of M/s. Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri in extending the probation of Shri Lakhi Ram, Clerk, from time to time and in terminating his services w.e.f. the 11th February, 1975 is bonafide, justified and legal ? If not, to what relief is the said workman entitled ?'

In pursuance of the reference statement of claim was filed by the workman and reply was filed by the Management and

finally a replication was also filed on behalf of the workman and the following issues were framed for trial by the Industrial Tribunal, Faridabad :

1. Whether the reference in respect of the legality and justification of extension of the probation of the workman is valid and legal ?

2. If not, whether the reference in respect of the legality or illegality of termination of the services of the workman w.e.f. 11-2-75, is in separable from the reference relating to the illegality of extension of the probation period ?

3. Whether the termination of the services of the workman amounts to retrenchment ? If yes, to what effect ?

4. Whether the action of the management of M/s. Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri, in extending the probation of Shri Lakhi Ram from time to time and in terminating his services w.e.f. the 11th February, 1975 is bonafide, justified and legal? If not, to what relief is the said workman entitled ?

3. Issues No. 1 and 2 were disposed of as preliminary issues vide order dated the 26th February, 1976 by the Industrial Tribunal, Faridabad and thereafter the case was fixed for evidence but before any further proceedings could take place before the Industrial Tribunal, Faridabad the case was ordered to be transferred to this Tribunal by the appropriate Government and the case was fixed for evidence. After the evidence of the parties were recorded by this Tribunal, the case was adjourned for arguments but on 12th December, 1977 parties requested for adjournment so that they could compromise the matter and finally on 23rd December, 1977 the workman and Secretary of his Union appeared together with the Counsel for the respondent and Shri C. K. Aggarwal, Labour Officer of the respondent and they filed a compromise Ex. C/1. I have perused the compromise Ex. C/1 and from the perusal thereof I find that it is for the benefit of the workman and it was ordered to be recorded. The statement of Shri Lakhi Ram and Shri C. K. Aggarwal and Shri S. N. Bhandari and Shri Hari Singh Dudi, the workman, the Labour Officer of respondent, the Counsel for the respondent and the Secretary of the Union respectively were recorded. From the perusal of the statements and compromise Ex. C/1 I hold that the parties have compromised and accordingly a compromise award in terms of compromise Ex. C/1 is hereby made and it is accordingly awarded that: (a) Management having agreed to appoint Shri Lakhi Ram as Clerk w.e.f. 1st December, 1977 on permanent basis and the workman having joined the services would be deemed to have appointed w.e.f. 1st December, 1977 on permanent basis as a Clerk; (b) that for the purposes of computing the benefit of Gratuity February 15, 1975 will be treated and reckoned as the date; (c) thtat Shri Lakhi Ram will be paid and placed in the minimum step of the grade of his category as per recommendations by the Cement Wage Board; (d) Shri Lakhi Ram shall be deemed to have given up claim for back wages to the extent of amount of the money payable as arrears in terms of settlement, dated May 7, 1975 and the Management shall be liable to make payment accordingly; (e) that except paras 1 to 4 of the letter of appointment, dated 24-7-1973, other terms and conditions of service will remain unchanged and age of retirement shall 58 years which would be extendable for 2 years i.e. upto 60 years if the workman remains physically or mentally fit; (f) that the Management would withdraw its Writ Petition pending in the High Court for States of Punjab and Haryana at Chandigarh; (h) that the parties would bear their own costs.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[No. L-29011/100/75-D. III. B.]

Dated : The 23rd December, 1977

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

New Delhi, the 28th February, 1978

S.O. 790.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the application under Sector 33A made by Shri Bisambhar, General Mazdoor, Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, which was received by the Central Government on the 24th February, 1978.

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Complaint No. 2 of 1977

PARTIES :

Shri Bisambhar, General Mazdoor, T. No. 26878, Jamadoba Colliery, No. 16 C. R. O. Camp Jamadoba, P.O. Jamadoba, Dist. Dhanbad... Complainant

Vs.

M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., Jamadoba, P. O. Jamadoba, Dist. Dhanbad. ..Opp. Party.

APPEARANCES :—

For Workman—None.

For Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : Bihar.

Dated, the 18th February, 1978

AWARD

This is a complaint U/S 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947, arising out of Reference No. 54 of 1977. The complainant is one Shri Bisambhar, General Mazdoor, Jamadoba Colliery and the opp. Party is M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd.

His grievance is that he was occupying Company's quarter from the beginning for about 24 years when by his letter, dated 11th/13th January '77 the Senior Manager of the Colliery charged him that he was in an unauthorised occupation of the quarter and illegally and arbitrarily directed him to vacate the same within seven days. He submitted an explanation but the Senior Manager acted arbitrarily and by following a mechanical process of chargesheet ultimately suspended him for 10 days with effect from 1-8-77. As this was done during the pendency of a proceeding in Reference No. 54 of 1977, the punishment awarded is in gross violation of Section 33 of the Industrial Disputes Act, 1947.

3. Prayer is for relief U/S 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947.

4. Case of the opp. Party is that the complainant is not concerned in Reference No. 54 of 1977 which is an individual dispute U/S 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 between Sri Jasimudun and the management of the Jamadoba Colliery.

5. It is further said that the complainant was appointed as Garden Mazdoor on 1-7-63 and was subsequently placed as General Mazdoor on 15-8-67. He was never allotted quarter No. NC-1 at No. 16 Colony, Jamadoba Colliery. There is a procedure for allotment of quarter to the employee depending on the points secured by him and the complainant is not entitled to a double roomed quarter which he claims. As he was in an unauthorised occupation of quarter No. NC-1 he was directed to vacate the same which he did not do and then a chargesheet was issued to which he submitted a reply. There was a departmental enquiry in which the misconduct mentioned in the chargesheet was established and he was accordingly suspended for 10 days.

6. It is submitted that both on facts and law, the complaimant has no case and the application is fit to be dismissed.

7. From the record it appears that Shri B. N. Sharma, President of the Mine Mazdoor Union has been authorised to represent the complainant. But no step was taken by him on 1-10-77, 4-11-77, 1-12-77 and also on 17-2-78. It means that the complainant and his representative have no interest in the matter which explains the absence on the above dates.

8. On behalf of the opp. Party it has been contended that Reference No. 54 of 1977 is an individual dispute U/S 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 with which the complainant has no concern and therefore provisions of Section 33 (2) (b) of the Industrial Disputes Act are not attracted. In this

connection he has referred to a case of M/s. A. K. Corporation Pvt. Ltd., Petitioner Vs. State of West Bengal and others, Respondents, reported in 1977 Lab. I. C. 1035.

9. An industrial dispute was raised U/s. 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 and then a complaint was filed by another workman taking the same plea as here. The matter was considered by the High Court and the decision of the Supreme Court in New India Motors (P) Ltd., Vs. K. T. Morris, A. I. R. 1960 S. C. 875 was referred to in connection with the interpretation of the expression "workman concerned" appearing in Section 33(1) (b) of Act. Reference was also made to another case of Dikwadih Colliery Vs. Ramji Singh, 1964 (2) Lab. L. J. 143 (SC) in which the interpretation given in the first case was further amplified and it was said by their Lordships that—

> "Unless the nature of the pending dispute was ascertained and considered, it could not be said that the concerned workman was a workman concerned in the pending dispute simply on the ground that there was some reference pending".

Reference was also made to another case in Upper Ganges Valley Electric Supply Co. Ltd., Vs. G. S. Srivastava, 1963 (1) Lab. L. J. 237 (SC) where it was held that an application U/s 23 of the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950 was not maintainable because the workmen were not concerned in the pending appeal before the Labour Appellate Tribunal which related to an individual dispute.

10. On the consideration of the above authorities the High Court came to the conclusion that—

> "By deeming provision of S. 2A of the Act an individual dispute becomes an industrial dispute. But in that dispute the other workmen are not concerned. There must be a common feature in the nature of dispute in two cases which would serve as a connecting link thereby rendering workman in later case also workman Concerned in dispute in the earlier case. So, where the pending Reference was an individual dispute in respect of one employee, it could not be said that all other workmen were concerned in that dispute. Accordingly, in my view provisions of S. 33 (2) (b) of the Industrial Disputes Act, 1947, are not attracted where a reference under S. 2A of the Act is pending before any Industrial Tribunal."

11. That being the position in law, the present complaint petition is not maintainable and it is accordingly dismissed.

This is my award.

S. R. SINHA, Presiding Officer

[No. Z-20025/3/78-D. III. (A)]

S. H. S. IYER, Desk Officer

New Delhi, the 4th March, 1978

S.O. 791.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employer in relation to the management of Launch "Deben" of Shri D. B. Naik, Orulem, Vasco-da-Gama (Goa) and his workman which was received by the Central Government on the 3rd March, 1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 2, BOMBAY

Camp : Mormugao

Reference No. CGIT-2/12 of 1974

Employers in Relation to the Management of Launch "Deben" Shri D. B. Naik, Orulem, Vasco-da-Gama, (Goa)

AND

Their Workman.

Shri Suresh Vaman Bosle.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. N. N. Karmali, Advocate.

For the Workman—Shri Mohan Nair, General Secretary, Goa Dock Labour Union, Vasco-da-Gama.

INDUSTRY : Ports and Docks STATE : Goa, Daman and Diu

Bombay, the 17th February, 1978

AWARD

1. The Government of India, in the Ministry of Labour acting under the powers conferred on them by Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by its order No. L-36012/3/74-P&D dated 11-4-1974.

> "Whether the action of Shri D. B. Naik, Owner of Launch "Deben" in terminating the services of Shri Suresh Vaman Bosle, Launch Khalasi, is justified ? If not, to what relief is he entitled to ?"

2. The facts disclosed in the statement of claim filed by the Goa Dock Labour Union on behalf of the workman are that the services of the workman who was a Khalasi on the Launch 'Deben' belonging to Shri D.B. Naik were terminated with effect from 22-10-1973 without notice and without assigning any reason. It is submitted that the real reason the abrupt termination of his services was trade union activity. The Goa Dock Labour Union addressed a letter to the Assistant Labour Commissioner (C), Vasco-da-Gama on 19-11-1973 requesting him to take up the matter in conciliation. On receipt of the notice the Assistant Labour Commissioner (C) called upon the owner to appear before him. During the conciliation proceedings the owner contended that as he found the workman to be disloyal and his work unsatisfactory and as he was also involved in a criminal case he was discharged from service. The Assistant Labour Commissioner (C) Vasco-da-Gama adjourned the hearing to 23-1-1974 giving the owner an opportunity to prove his case. As the Owner failed to appear on 23-1-1974 the Assistant Labour Commissioner submitted his failure of conciliation report to the Government on 24-1-1974. On receipt of the failure of conciliation report the Central Government has referred this dispute to this Tribunal. The workman submits that he is entitled to reinstatement with full back wages.

3. The owner filed a written statement denying the allegation of victimisation for trade union activity. According to him the workman was found to be inefficient and disloyal. He was also involved in a criminal proceeding. As the workman was involved in a criminal case the owner felt that it was not safe to continue him in the service. Therefore he issued a notice to the workman terminating his services with effect from 20-9-1973. It is also stated that the workman joined his service with effect from 1-10-1972. Though the workman was called to the office to collect the settlement dues he has failed to do so. The Owner submits that he is ready to pay the settlement dues as and when the workman calls at his office to collect the same. He submits that he does not consider it safe to entertain this workman in service once again. He says that since the workman's services were terminated properly, the reference may be answered against the workman.

4. On the above averments the points that arise for consideration are :—

(1) Whether the order of dismissal of the workman from service is valid ?

(2) Whether the workman is entitled to reinstatement with full back wages ?

(3) To what relief ?

Point 1 :

5. On behalf of the workman there is his oral evidence. The owner has examined himself as EW-1 besides examining another witness. The workman as WW-1 has deposed that by the date his services were terminated he had put in one year's service under the owner. The Owner as EW-1 has stated that the workman had joined his service on 1-10-1972 and therefore by the date his services were terminated viz. 20-9-1973 he could not have put in one full year's service on his launch. There is the assertion of the workman as against that of the owner. In the absence of documentary evidence like the letter of appointment and muster roll I see no reason why the evidence of WW-1 should not be accepted on this point. The workman as WW-1 has further deposed that because he joined the Union to improve

the conditions of service the Owner EW-1 has terminated his services. In his cross-examination he was asked if he was not involved in the case of criminal assault against one Babo a Khalasi on the Launch Nanda. He denied the suggestion but admitted that a criminal case was filed against him. He does not know the allegations made against him in the charge-sheet. He asserts that the said criminal case was thrown out. The Owner as EW-1 stated that the workman herein attacked the crew of the Launch Nanda. For that reason he terminated the services of WW-1. In his cross-examination he deposed that he was not the owner of the Launch, which is against the specific averment made by him in his written statement. He says that he was only managing the Launch on behalf of the owners N. K. Naik and D.R. Naik. He thought that because he was looking after the management of the Launch he could describe himself as the owner in his written statement. He further stated for the Launch 'Deben' he was maintaining the muster roll but the said register has not been produced before the Court. He claims to have conducted oral enquiry before terminating the services of WW-1. EW-2 the Owner of the Launch Nanda deposed that N. Thakar, Y. Pendekar and Babo were the three members of the crew working on his Launch Nanda during the year 1973. In September or October, 1973, WW-1 and his colleagues attacked Babo. He took Babo to the Harbour Police Station where the Police took a complaint from Babo. He further stated that the Police prosecuted WW-1 and his colleagues before J.F.C.M. Vasco-da-Gama for this offence. In his cross-examination he stated that he did not know the result of that criminal case filed against WW-1 and others. He does not know the particulars of address of Babo and other members of the crew of the Launch Nanda.

6. The above evidence of EW-1 does not show that any domestic enquiry was held against the workman herein to prove his misconduct. EW-1 says that an oral enquiry was held, but the notice Ex. E-1 informing WW-1 that he is dismissed from service does not refer to any oral enquiry having been held. The said notice reads as follows :—

"N. D. Naik,

Orulem,

Vasco Da Gama.

20th September, 1973.

Mr. Suresh Corjuker,

Khalasi ML 'DEBEN'

Vasco Da Gama.

I have definite information that you were prominently entangled in assaulting the crew of ML "NANDA" and therefore, I am compelled to dismiss you from the service with immediate effect.

You may call on me any time during the day for the settlement of your dues."

It only shows that on the basis of some information the source of which was not disclosed, the workman was found to have been involved in a case of criminal assault and for that reason he was dismissed from service. On this evidence it must be held that without holding any formal enquiry enabling the workman to rebut the charge the workman as dismissed from service. This order of dismissal cannot be held to be according to law.

7. It is then sought to be argued that the workman being a temporary employee the owner was entitled to terminate his services without assigning any reason. I do not agree. Under Shri Froilana C. R. Machado's arbitration award dated 25-5-1973 the terms of which are applicable to the parties to this case, a workman after satisfactory completion of six months service should be confirmed. In this case the workman has admittedly put in more than six months service. Therefore the plea of EW-1 that he was a temporary servant by the date of his termination viz. 20-9-1973 cannot be upheld. This Award of Shri Machado was directed to be published in the Gazette of India Part II Section 3 sub-section (ii) not later than 30-6-1973 by the Ministry of Labour. Therefore the termination of a confirmed Khalasi without holding an enquiry cannot be said to be proper.

Point 1 held against the Owner.

Point 2 :

8. The workman WW-1 during the course of his evidence has stated that he was not pressing his claim for reinstatement in view of the strained relations obtaining between him and the owner. He prays that a suitable and adequate compensation be paid to him for this illegal termination of service.

Point 2 accordingly found against the workman.

Point 3 :

9. The workman during the course of his evidence stated that on the date of his dismissal from service he was being paid Rs. 150/- per month as salary and a sum of Rs. 50/ per month on an average as night trip allowance (at the rate of Rs. 2/- per trip). The Owner (EW-1) during the course of his evidence stated that he was paying the workman Rs. 150/- to 200 per month towards night trip allowances besides his salary of Rs. 150/- per month. The learned Advocate for the Owner submitted that in view of the statement made by the workman that he was getting only Rs. 50/- per month on an average that figure may be accepted and not the figure given by the Owner. The evidence of the Owner on this aspect cannot be easily brushed aside. He is the Owner of another Launch by name M. L. Suda in his own right and admittedly the Manager of the Launch in question Deben. He does not produce a scrap of paper to show what wages he was paying to the crew of this Launch Deben. In the absence of any documentary evidence, it will not be unreasonable to hold that the workman was getting Rs. 100/- per month on an average by way of night trip allowance. The learned Advocate for the Owner submits that the night trip allowance may not be taken into account in fixing the compensation payable to the workman for his wrongful dismissal from service. I do not agree. When the workman was being paid additional remuneration of Rs. 100/- by way of night trip allowance and he was dismissed from service without following the normal procedure there is no reason why this amount paid on account of night trips also should not be taken into account while fixing quantum of damages. On this basis I consider that payment of three months wages @ Rs. 250 per month will be reasonable compensation for the wrongful termination of service. The workman will accordingly be entitled to claim Rs. 750 as compensation in lieu of reinstatement.

10. Besides this according to the written statement filed by the Owner EW-1 the workman will be entitled to wages due to him for the period 1-9-1973 to 20-9-1973 and also difference in pay between the scales fixed under the Machado award and the scales actually given to him. Since EW-1 in his written statement admitted that he was the Owner of the Launch Deben he is the proper person that should pay damages for wrongful dismissal.

11. In the result this reference is answered as follows :—

The action of Shri D. B. Naik, Owner of Launch 'Deben' in terminating the services of Shri Suresh Vamen Bosle, Launch Khalasi is not justified. It is further held that the workman is entitled to get three month's wages i.e. Rs. 750 (Rupees seven hundred and fifty only) as compensation for wrongful termination of his service besides the settlement dues payable by the Owner.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer,

[No. L-36012/3/74-P&D/D. IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

New Delhi, the 13th March, 1978

S.O. 792.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Oriental Bank of Commerce Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 22-2-1978.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 91 of 1977

BETWEEN

Shri Bal Kishan s/o Shri Krishan Lal, 101, Naya Bazar, Banga (Jullunduf)

AND

The Regional Manager, Oriental Bank of Commerce Limited, Sector 7, Chandigarh.

PRESENT :

Shri Bal Kishan,workman—in person.

Shri Harish Chandra—for the Management .

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide its order No. L. 12012/84/76-D.IIA dated the 30th September, 1976 made a reference under Section 10 of the Industrial Dispute Act in the following terms to Industrial Tribunal. Delhi :

"Whether the action of the management of the Oriental Bank of Commerce Limited, Chandigarh in terminating the services of Shri Bal Kishan, Ex-Clerk-cum-Cashier with effect from 31-5-74 is legal and justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. On receipt of the reference the Industrial Tribunal issued requisite notices to the parties and the parties appeared before him and a statement of claim was filed by the workman and a written statement was filed by the Bank. However before any further proceedings could take place this case was transferred to this Tribunal for final disposal according to law. On receipt hereof notices were issued to the parties and the parties appeared and replication was filed by the workman. Before any further proceedings could take place talks for compromise started between the parties and finally the parties have field a compromise Ex. C/1 before this Tribunal and have requested that an award in terms of Ex. C/1 may be made by this Tribunal.

3. The compromise Ex. C/1 was ordered to be recorded and in consequence the statement of Shri Bal Kishan, workman and Shri Harish Chandra, Advocate for the Bank were recorded and accordingly I have come to the conclusion that parties have compromised in the reference and the compromise is for the benefit of the workman. Accordingly an award in terms of the compromise Ex. C/1 is hereby made and it is awarded that the Management—Bank is directed to appoint Shri Bal Kishan on permanent basis as a clerk in usual grade and according to usual service conditions and appointment letter shall be issued to the workman by the Assistant General Manager's office, Chandigarh. It is further awarded that the workman in consideration of this compromise shall be deemed to have given up his entire claim for back wages. It is similarly awarded that the workman shall be deemed to have entered in service on permanent basis on the date he reports for duty in pursuance of appointment letter which will be issued to the workman not later than 16th January, 1978.

Parties are left to bear their own costs.

Requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Government for necessary action.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : 20th December, 1977.

[F. No. L-12012/84/76-D.II.A.]

New Delhi, the 10th March, 1978

S.O. 793.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 22-2-1978.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 58 of 1977

BETWEEN

The General Secretary, Central Bank of India Employees Union, Central Bank Building, Chandni Chowk, Delhi.

AND

The Zonal Manager, Central Bank of India, Parliament Stieet, New Delhi.

PRESENT :

Shri T. C. Gupta, General Secretary of the Union.

Shri H. C. Khattar, Representative of the Management.

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide its order No. L-12012/35/73-LRIII dated the 2nd April, 1975 made a reference u/s 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 to Industrial Tribunal, Delhi in the following terms :

"Whether the management of Central Bank of India were justified in terminating the services of Rajinder Kumar Jain, Narender Kumar Jain, Sher Singh Jain, Satish Chand Jain, Rajinder Prakash, N. L. Bansal, Jagmohan Jain and Kaushal Kishore Gupta, Assistant Cashiers-cum-Godown Keepers, with effect from the 26th July, 1972 ? If not, to what relief are these workmen entitled ?"

2. On receipt of the said reference requisite notices were sent to the parties. A statement of claim was filed on behalf of the workman and a written statement also was filed by the Management and finally a replication was filed by the workman. Thereafter parties were required to file their documents and following issues were framed for trial vide order dated 6-11-1975 by the Industrial Tribunal, Delhi :

1. Whether there is no termination of service involved in this case and the reference is in-competent.

2. As in the term of reference.

3. Before evidence could be recorded this case was ordered to be transferred to this Tribunal by the Central Government and in the meanwhile talks for compromise had started between the parties and ultimately in consequence of these bilateral talks for compromise a settlement had been arrived at between the parties and in pursuance thereof Shri Vijender Kumar Jain, Shri Satish Chand Jain, Shri Narender Kumar Jain and Shri Sher Singh Jain have been taken in service of the Bank as Assistant Cashiers-cum-Godown Keepers while the claim of other workmen namely S/Shri N. L. Bansal, Jagmohan Jain, Rajinder Prakash, and Kaushal Kishore has not been pressed by the Union. In consequence thereof an application Ex. A/1 was filed by the union and it was requested that a no dispute award be made in the matter and the parties be left to bear their own costs. The Bank representative Shri H. C. Khattar came forward with a statement that he had no objection if a no dispute award be made and parties be left to bear their own costs. In these circumstances I have come to the conclusion that the matter has been amicably settled between the

parties and consequently their subsists no dispute between the parties in respect of this reference. Accordingly a no dispute award is made in the matter under reference.

Parties are left to bear their own costs.

Dated : 29th December, 1977.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BARA KHAMBA ROAD, NEW DELHI

In the matter of an Industrial dispute

(CGIT No. of 1977)

BETWEEN

The management of Central Bank of India and their workman

OVER

Termination of the services of Shri V. K. Jain and seven other Assistant Cashier-cum-Godown Keepers.

The Union representing the workmen in the above matter respectfully submit as follows :—

(1) That subsequent to the reference of the above dispute to the Hon'ble Tribunal, the management and the Union entered into mutual discussions with a view to amicably settle the dispute between them.

(2) That as a result of such discussions, the management agree to consider the cases of the following four out of the eight workmen concerned in the dispute for appointment in the Bank :—

1. Shri Vjender Kumar Jain
2. Shri Satish Chand Jain
3. Shri Narender Kumar Jain.
4. Shri Sher Singh Jain.

(3) That the aforesaid four workmen have since been taken in the service of the Bank as Assistant Cashier-cum-Godown Keepers.

(4) That the Union has agreed not to press the cases of termination of the remaining four workmen, namely Sarvashri N. K. Bansal, K .K. Gupta, R. P. Gupta and Jagmohan Jain for appointment in the Bank and accordingly does not press their cases before the Hon'ble Tribunal.

,(5) That in view of the above, no dispute now subsists between the Union and the Management in the matter under reference and it is prayed that Hon'ble Tribunal may be pleased to make an award accordingly.

Delhi : 28th December, 1977

Sd/-

General Secretary,

Central Bank Employees Union,

Central Bank Blds.,

Chandni Chowk, Delhi.

VERIFICATION

Verified at Delhi this 28th day of December, 1977 that the contents of the above application are true to my knowledge and belief and nothing is concealed therein.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[F. No. L-12012/35/73-LRIII/D. II A.]

R. P. NARULA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च 1978

स्टाम्प

का० आ० 794.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 5 नवम्बर, 1977 को भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) के पृष्ठ 3911 और 3912 पर प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 31 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना सं० 33/स्टाम्प/फा० सं० 33/3/77-वि० क० (का० आ० सं० 3477) को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्टाम्प शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में सम्परिवर्तन के लिए, विनिमय की दर उसके स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विहित करती है।

सारणी

क्रम संख्या	विदेशी मुद्रा	100 रु० के समतुल्य विदेशी मुद्रा के विनिमय की दर
(1)	(2)	(3)
1.	आस्ट्रियन शिलिंग . . .	179
2.	आस्ट्रेलियन डालर . . .	10.24
3.	बेल्जियन फ्रैंक . . .	386
4.	कनाडियन डालर . . .	13.46
5.	डेनिश क्रोनर . . .	68.60
6.	डुत्शे मार्क . . .	25.00
7.	डच गिल्डर . . .	27.00
8.	फ्रेंच फ्रैंक . . .	58.50
9.	हांग कांग डालर . . .	54.00
10.	इटालियन लीरा . . .	10200
11.	जापानी येन . . .	2800
12.	मलयेशियन डालर . . .	27.70
13.	नार्वेजियन क्रोनर . . .	64.80
14.	पौंड स्टलिंग . . .	6.3190
15.	स्वीडिश क्रोनर . . .	55.30
16.	स्विस फ्रैंक . . .	22.20
17.	अमरीकी डालर . . .	11.69

[सं० 6/स्टाम्प- फा० सं० 33/3/78-वि० क०]

एस० डी० रामस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th March, 1978

STAMPS

S. O. 794.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 33/Stamps/F. No. 33/3/77-ST (S.O. No. 3477) dated the 31st October, 1977 published at pages 3911 and 3912 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th November, 1977, the Central Government hereby

prescribe in column (3) of the Table below the rate of exchange for the conversion of the foreign currency specified in the corresponding entry in column (2) thereof into the currency of India for the purpose of calculating stamp duty.

TABLE

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100/-
1.	Austrian Schillings	179
2.	Australian Dollars	10.24
3.	Belgian Francs	386
4.	Canadian Dollars	13.46
5.	Danish Kroners	68.60
6.	Deutsche Marks	25.00
7.	Dutch Guilders	27.00
8.	French Francs	58.50
9.	Hong Kong Dollars	54.00
10.	Italian Lire	10200
11.	Japanese Yen	2800
12.	Malaysian Dollars	27.70
13.	Norwegian Kroners	64.80
14.	Pound Sterling	6.3190
15.	Swedish Kroners	55.30
16.	Swiss Francs	22.20
17.	U.S.A. Dollars	11.69

[No. 6/Stamps—F. No. 33/3/78-ST]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1978

का. आ. 795.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (1) और (2) के उपबंध फैडरल बैंक लिमिटेड, अलवाय पर 1 फरवरी, 1979 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जिस सीमा तक उक्त उपबंध अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत कम्पनी "केरल स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक होने पर रोक लगाते हैं।

[संख्या 15(1)-बी.ओ. III/78]

म. भा. उसगांवकर, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 28th February, 1978

S.O. 795.—In exercise of the powers conferred by section 53 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply till the 1st February, 1979 to the Federal Bank Ltd., Alwaye in so far as the said provisions prohibit its Chairman and Managing Director from being a director of the Kerala State Industrial Development Corporation Ltd. being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[No. 15(1)-B.O. III/78]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

(व्यय विभाग)

का॰ आ॰ 796.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का नाम अभिदायी भविष्य निधि दूसरा संशोधन नियम (भारत), 1978 है।

(ii) ये 1 अप्रैल, 1977 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे

2. अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 में नियम 12-क का लोप किया जाएगा।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के नियम 12-क में निर्धारित विद्यमान योजना के स्थान पर 1 अप्रैल, 1977 से संशोधित बोनस योजना लागू की जा रही है। इसलिए यह संशोधन किया जा रहा है। चूंकि बोनस वित्तीय वर्ष के अंत में देय होता है, इसलिए इस संशोधन को 1 अप्रैल, 1977 से भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[सं॰ फा॰ 20(25)-ई॰ 5(बी)/77-सी॰पी॰एफ॰]

(Department of Expenditure)

S.O. 796.—In exercise of the powers confered by the proviso to article 309 of clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Contributory Provi-Fund Second Amendment Rules (India), 1978.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1977.

2. In the Contributory Provident Fund Rules (India) 1962, rule 12-A shall be omitted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

A revised bonus scheme is being introduced with effect from the 1st April, 1977 in place of the existing scheme laid down in rule 12-A of the Contributory Provident Fund Rules (India) 1962. Hence this amendment. Since bonus becomes payable at the end of the financial year, no officer is likely to be adversely affected by this amendment being given retrospective effect from the 1st April, 1977.

[No. F. 20(25)-E.V(B)/77-CPF]

का॰ आ॰ 797.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) तीसरा संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 1977 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में नियम II-क का लोप किया जाएगा।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के नियम 11-क में निर्धारित विद्यमान योजना के स्थान पर 1 अप्रैल, 1977 से संशोधित बोनस योजना लागू की जा रही है। इसलिए यह संशोधन किया जा रहा है। चूंकि बोनस वित्तीय वर्ष के अंत में देय होता है, इसलिए इस संशोधन को 1 अप्रैल 1977 से भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[सं०फा० 20(25)-ई-5(बी)/77 जी०पी० एफ०]

एस० एस० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

S.O. 797.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, in relation to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Third Amendment Rules, 1978.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1977.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, Rule 11-A shall be omitted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

A revised bonus scheme is being introduced with effect from the 1st April, 1977 in place of the existing scheme laid down in rule 11-A of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960. Hence this amendment. Since bonus becomes payable at the end of the financial year, no officer is likely to be adversely affected by this amendment being given retrospective effect from the 1st April, 1977.

[No. F. 20(25)-EV(B)/77-GPF]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1978

का० आ० 798.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि पटसन मिल के पुर्जे और उप-साधन निर्यात से पूर्व निरीक्षण के अधीन होंगे ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव तैयार किए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है ;

अतः, अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को ऐसे व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित करती है, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है ;

सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने के इच्छुक व्यक्ति उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', आठवीं मंजिल, 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-1 को भेज सकते हैं।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि पटसन मिल के पुर्जे और उप-साधन निर्यात करने से पूर्व निरीक्षण के अधीन होंगे;

(2) इस आदेश के उपाबन्ध-2 में दिए गए, पटसन मिल के पुर्जे और उप-साधन के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1977 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को, निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना, जो निर्यात से पूर्व ऐसे पटसन मिल पुर्जों तथा उप-साधनों पर लागू किया जाएगा :

(3) (क) सुसंगत भारतीय या अन्य किन्हीं राष्ट्रीय मानकों को मान्यता देना,

(ख) निर्यातकर्ता द्वारा घोषित विनिर्देशों को निर्यात संविदा के सहमत विनिर्देशों के रूप में और निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित रूप में ऐसे विनिर्देशों को जांच और अनुमोदन के प्रयोजनार्थ मान्यता देना, तथा

(ग) क्रमशः (क) और (ख) में दिए गए मानकों और विनिर्देशों के न होने पर, उपरोक्त खंड (ख) में उल्लिखित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों को, पटसन मिल के पुर्जों और उप-साधनों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना ;

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान पटसन मिल के पुर्जों तथा उप-साधनों के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करना, जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी, नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित अभिकरणों में से किसी एक के द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि पटसन मिल के पुर्जों और उप-साधनों का परेषण निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात-योग्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को पटसन मिल के पुर्जों तथा उपसाधनों के वास्तविक नमूनों के भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

3. परिभाषा :—इस आदेश में 'पटसन मिल के पुर्जों और उपसाधनों' से इस आदेश के उपाबंध-1 में उल्लिखित तथा पटसन मिल की मशीनरी के लिए पुर्जों और उपसाधनों के रूप में उपयोग के लिए अभिप्रेत वस्तुओं में से कोई वस्तु अभिप्रेत है।

4. यह आदेश इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

उपाबंध 1

(पैरा 3 देखिए)

1. कार्ड पटरे]
2. कार्ड, क्लोम तथा करम पेनें
3. स्लाइवर डिब्बे तथा उनके उप-साधन
4. फालर दण्ड
5. फालर दण्ड स्लाइडें
6. फालर पेंच]
7. आर एच और एल एच के लिए पूर्ण फालर ट्रेक
8. कुटंकक गति पांच तारों वाली गरारी

9. कताई फ्रेम के लिए अचल तकलियां
10. संमोरा लपेटन मशीनों के लिए तकलियां
11. करघे के लिए तकलियां
12. सभी प्रकार के कताई फ्रेमों के लिए फलाएर
13. उच्च गति पटसन फिरकियां
14. पटसन फिरकी वाहित्र
15. पटसन करघे के लिए भरनी (शटल)
16. पटसन करघों के लिए भरनियों के उपयोग के लिए उप-साधन
17. करघा रीड
18. पटसन बुनाई के लिए अन्तर्विष्ट मेल तार हील्ड्स
19. पटसन बुनाई के लिए संपर्क तार हील्ड्स
20. अन्तर्विष्ट मेल ग्राईज
21. करघा कैम्बस
22. पटसन करघों के लिए कच्चे चमड़े के पिकर
23. चटखियां
24. पिकिंग ग्रार्मस
25. करघों के लिए चमड़े के पिकिंग बैण्ड्स
26. सूत कातने के लिए लकड़ी के शंकु
27. दबाव रोलर फलेंज
28. खींचना रोलर
29. डिलिवरी रोलर

उपाबंध 2

(पैरा 1 का उप-पैरा (2) देखिए)

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप ।

1. संक्षिप्त तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पटसन मिल के पुर्जों तथा उप-साधनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी, नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरण, में से कोई एक अभिप्रेत है;

(ग) 'पटसन मिल के पुर्जों तथा उप-साधनों, से इन नियमों की अनुसूची-I में वर्णित और पटसन मिल की मशीनरी के लिए पुर्जों और उप-साधनों के रूप में उपयोग के लिए अभिप्रेत वस्तुओं में से कोई वस्तु अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार :--(1) निर्यात के लिए पटसन मिल के पुर्जों तथा उप-साधनों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि पटसन मिल के पुर्जे तथा उप-साधन अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मान्य विनिर्देश कहा गया है) के अनुरूप है ।

(2) नमूना, इन नियमों की अनुसूची 2 में उल्लिखित सारणी के अनुसार लिया जाएगा ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :--(1)(क) पटसन मिल के पुर्जों तथा उप-साधनों का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात-कर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में देगा तथा ऐसी सूचना के साथ सभी तकनीकी विशेषताओं का विवरण देते हुए, निर्यात संविदा में दिए गए सहमत विनिर्देशों के बारे में एक घोषणा-पत्र किसी भी अभिकरण को देगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके और उसी समय वह ऐसी सूचना की एक प्रति निरीक्षण के लिए परिषद् के निकटतम कार्यालय को देगा,

(ख) परिषद् और उस के क्षेत्रीय कार्यालयों के पते नीचे दिए गए हैं :--

प्रधान कार्यालय : निर्यात निरीक्षण परिषद्,
वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, आठवीं मंजिल,
14/1-बी, एजरा स्ट्रीट,
कलकत्ता-700001.

क्षेत्रीय कार्यालय

1. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
अमन चैम्बर्स, पांचवीं मंजिल,
113, महर्षि कर्वे रोड,
मुम्बई-400004.

2. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
म्युनिसिपल मार्केट बिल्डिंग,
5वीं मंजिल,
3, सरस्वती मार्ग,
करौल बाग, नई दिल्ली-110005.

3. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
मनोहर बिल्डिंग,
महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम,
कोचीन-682011.

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणापत्र अभिकरण के कार्यालय में, पोत-लदान की प्रत्याशित तारीख से कम-से-कम 15 दिन पहले, पहुंच जाना चाहिए ।

(3) निरीक्षण के लिए आवेदन-पत्र देने से पूर्व, निर्यातकर्ता वस्तुओं का स्वयं सावधानी से निरीक्षण करेगा तथा ऐसी वस्तुओं को, जो मान्य विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, निकाल देगा ।

(4) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सूचना तथा घोषणा पत्र के प्राप्त होने पर, अभिकरण नियम 3 के अनुसार पटसन मिल के पुर्जों तथा उप-साधनों के परेषण का और परिषद् द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हों, का निरीक्षण यह देखने के विचार से करेगा कि वे उन्हें लागू होने वाले मानक विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं ।

(5) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् अभिकरण परेषण में के पैकेजों को, यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त ऐसी रीति से मोहरबंद करेगा कि मोहर बंद किए गए माल के साथ छेड़-छाड़ न की जा सके ।

5. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के अधीन पटसन मिल के पुर्जों तथा उप-साधनों का निरीक्षण या तो (क) विनिर्माता के परिसर में; या (ख) उस परिसर में जहां निर्यातकर्ता द्वारा माल, प्रस्तुत किया जाता है, किया जाएगा परन्तु तब जब कि वहां उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों ।

6. निरीक्षण फीस :--निरीक्षण फीस के रूप में प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम एक सौ रुपए के अधीन रहते हुए, ऐसे परेषण के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.50 प्रतिशत की दर से फीस निर्यात-कर्ता द्वारा अभिकरण को दी जाएगी ।

7. निरीक्षण का प्रमाण-पत्र :—अपना यह समाधान कर लेने पर कि पटसन मिल के पुर्जों तथा उप-साधनों का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है, अभिकरण, नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन सूचना तथा घोषणा-पत्र प्राप्त होने के सात दिन के भीतर, निर्यात-कर्ता को यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र दे देगा कि परेषण मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है तथा निर्यात-योग्य है :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हुआ है वहां वह उक्त सात दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यात-कर्ता को देगा ।

8. अपील :—(1) नियम 7 के अधीन प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर, विशेषज्ञों के ऐसे पनल को अपील कर सकेगा जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, और इन अपीलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया जाएगा ।

(2) पैनल में, विशेषज्ञों के पैनल की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे ।

(3) विशेषज्ञों के पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों की होगी ।

(4) अपील, उसके प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर, निपटा दी जाएगी ।

अनुसूची 1

(नियम 2(ग) देखिए)

1. कार्ड पटरे
2. कार्ड, क्लोम तथा करम पिनें
3. स्लाइवर डिब्बे तथा उनके उप-साधन
4. फालर दण्ड
5. फालर दण्ड स्लाइडें
6. फालर पेच
7. आर एच और एल एच के लिए पूर्ण फालर ट्रैक
8. कुटंकक गति पांच तारों वाली गरारी
9. कताई फ्रेम के लिए अचल तकलियां
10. संगोरा लपेटन मशीनों के लिए तकलियां
11. करघे के लिए तकलियां
12. सभी प्रकार के कताई फ्रेमों के लिए फलाए
13. उच्च गति पटसन फिरकियां
14. पटसन फिरकी वाहित्र
15. पटसन करघे के लिए भरनी (शटल)
16. पटसन करघों के लिए भरनियां में प्रयोग के लिए उप-साधन
17. करघा रीड
18. पटसन बुनाई के लिए अन्तर्विष्ट मेल
19. पटसन बुनाई के लिए संपर्क तार होल्ड्स
20. अन्तर्विष्ट मेल आईज
21. करघा केम्बस
22. पटसन करघों के लिए कच्चे चमड़े के पिकर
23. चटखियां
24. पिकिंग आर्मस
25. करघों के लिए चमड़े के पिकिंग बैण्ड्स
26. कातने के लिए लकड़ी के शंकु
27. दबाव रोलर फर्लेज
28. ड्राइंग रोलर
29. डिलिवरी रोलर

अनुसूची 2

(नियम 3 देखिए)

नमूना सारणी

1	2		3	
परेषण का आकार	चाक्षुष तथा आयाम निरीक्षण के लिए		दोषों की अनुमेय संख्या	
	(क)	(ख) अन्य सभी परखें	स्तम्भ (2) के (क) के लिए	स्तम्भ (2) के (ख) के लिए
25 तक	8	3	0	0
26 से 50 तक	13	3	1	0
51 से 100 तक	20	5	1	0
101 से 150 तक	32	5	2	0
151 से 300 तक	50	8	3	0
301 से 500 तक	80	8	5	0
501 से 1000 तक	125	13	7	1
1001 से 3000 तक	200	13	10	1
3001 और उससे अधिक	315	20	14	1

[सं० 6(12)/74-नि०नि० तथा नि०30]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 11th March, 1978

S.O. 798.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, (22 of 1963) it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India that the jute mill spares and accessories shall be subject to inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within fortyfive days of the date of publication of this order in the official Gazette, to the Export Inspection Council, "World Trade Centre", 7th floor, 14/1B Ezra Street, Calcutta-1.

PROPOSALS

(1) To notify that jute mill spares and accessories shall be subject to inspection prior to export;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Jute Mill Spares and Accessories (Inspection) Rules, 1978, set out in Annexure II to this Order as the type of inspection which would be applied to such jute mill spares and accessories prior to export;

(3) To recognise—

(a) the relevant Indian or any other national standards,

(b) The specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract and approved by the Panel of Experts appointed by

the Export Inspection Council for the purpose of examining and approving such specifications, and

(c) In the absence of the standards and specifications referred to in (a) and (b) respectively the specifications approved by the Panel of Experts mentioned in clause (b) above as the standard specifications for jute mill spares and accessories ;

(4) To prohibit the export in the course of international trade of jute mill spares and accessories unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the agency established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignment of jute mill spares and accessories satisfied the conditions relating to its inspection and is exportworthy.

2. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of the jute mill spares and accessories to prospective buyers.

3. Definition :—In this order "Jute Mill Spares and Accessories" means any of the articles mentioned in Annexure I to this order and meant for use as spares and accessories for Jute Mill Machinery.

4 This order shall come into force on the date of its publications in the Official Gazette.

ANNEXURE I

(See paragraph 3)

1. Card staves
2. Card, gill and meta pins
3. Silver cans and its accessories
4. Faller bars
5. Faller bar slides
6. Faller screws
7. Faller track complete for RH & LH
8. Coiler motion five star pinion
9. Dead spindles for spinning frame
10. Spindles for cop-winding machines
11. Spindles for loom
12. Flyers for all types of spinning frames
13. High speed jute bobbings
14. Jute bobbin carriers
15. Shuttle for jute loom
16. Accessories for use in shuttles for jute looms
17. Loom reeds
18. Inset mail wire healds for jute weaving
19. Contact wire healds for jute weaving
20. Inset mail eyes.
21. Loom cambs
22. Raw hide pickers for jute looms
23. Spool Centres
24. Picking arms
25. Leather picking bands for looms
26. Wooden cones for winding yarn
27. Pressing roller flange
28. Drawing roller
29. Delivery roller

ANNEXURE II

(See sub-paragraph (2) of paragraph 1)

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963),

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Export of Jute Mill Spares and Accessories (Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963):

(b) "agency" means any one of the agencies established by the Central Government at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act;

(c) "Jute Mill Spares and Accessories" means any of the articles mentioned in Schedule I to these rules and meant for use as spares and accessories for Jute Mill Machinery.

3. Basis of Inspection :—(1) Inspection of jute mill spares and accessories for export shall be carried out with a view to seeing that jute mill spares and accessories conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act (hereinafter referred to as the recognised specifications).

(2) Sampling shall be done as per the Table mentioned in Schedule II to these rules.

4. Procedure of Inspection :—(1) (a) An exporter intending to export any of the jute mill spares and accessories shall give intimation in wiring of his intention so to do and submit along with such intimation a declaration as to the agreed specification stipulated in the export contract giving details of all the technical characteristics to any of the agencies to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3 and he shall, at the same time, endorse a copy of such intimation for inspection to the nearest office of the Council.

(b) The addresses of the Council and its Regional offices are given below:

Head Office: Export Inspection Council, World Trade Centre, 7th floor, 14/1B Ezra Street, Calcutta-700001.

Regional Offices: 1. Export Inspection Council, Aman Chambers, 4th floor, 113, Maharshi Karve Road, Bombay-400004.

2. Export Inspection Council, Municipal Market Building, 4th floor, 3 Saraswati Marg, Karol Bag, New Delhi-110005.

3. Export Inspection Council, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-682011.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than fifteen days before the expected date of shipment.

(3) Before applying for inspection the exporter shall himself inspect the goods carefully and remove all such goods which do not conform to the recognised specifications.

(4) On receipt of the intimation and declaration referred to in sub-rule (2) the agency shall inspect the consignment of the jute mill spares and accessories in accordance with rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council on this behalf from time to time, with a view to seeing that the same complies with the requirements of the standard specifications applicable thereto.

(5) After completion of inspection, the agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with.

5. Place of Inspection :—Inspection of jute mill spares and accessories under these rules shall be carried out either (a) at the premises of the manufacturer's ; or (b) at the premises which the goods are offered by the exporter, provided that adequate facilities for the purpose exist therein.

6. Inspection Fee :—Subject to a minimum of rupees one hundred per consignment, a fee at the rate of 0.50 per cent of f.o.b. value of such consignments shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

7. Certificate of Inspection :—On satisfying itself that the consignment of jute mill spares and accessories conforms to the recognised specifications, referred to in rule 3, the agency shall within seven days of the receipt of the intimation and the declaration under sub-rule (2) of rule 4, issue a certificate to the exporter declaring that the consignment conforms to *the recognised specifications and is exportworthy :*

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

8. Appeal :—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under rule 7, may, within ten days of the receipt of communication of such refusal, prefer an appeal to such panel of exports consisting of not less than three persons but not more than 7 persons as may be constituted by the Central Government for the purpose of hearing appeals.

(2) At least two-thirds of the total membership of the panel of Experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the Panel of Experts shall be three members.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

SCHEDULE I
[See rule 2 (c)]

1. Card staves
2. Card, gill and meta pins
3. Sliver cans and its accessories
4. Faller bars
5. Faller bar slides
6. Faller screws
7. Faller track complete for RH & LH
8. Coller motion five star pinion
9. Dead spindles for spinning frame
10. Spindles for cop winding machines
11. Spindles for loom
12. Flyers for all types of spinning frames
13. High speed jute bobbins
14. Jute bobbin carriers
15. Shuttle for jute loom
16. Accessories for use in shuttles for jute looms
17. Loom reeds
18. Inset mail wire healds for jute weaving
19. Contact wire healds for jute weaving
20. Inset mail eyes
21. Loome cambs
22. Raw hide pickers for jute looms.
23. Spool centres
24. Picking arms
25. Leather picking bands for looms
26. Wooden cones for winding yarn
27. Pressing roller flange
28. Drawing roller
29. Delivery roller.

SCHEDULE II

(See rule 3)

Sampling Table

(1)	(2)		(3)	
Consignment size	For visual & dimensional inspection		Permissible No. of defectives	
	(A)	(B) All other tests	For (A) of Col. (2)	For (B) of Col. (2)
Up to 25 . .	8	3	0	0
26 to 50 . .	13	3	1	0
51 to 100 . .	20	5	1	0
101 to 150 . .	32	5	2	0
151 to 300 . .	50	8	3	0
301 to 500 . .	80	8	5	0
501 to 1000 .	125	13	7	1
1001 to 3000 .	200	13	10	1
3001 and above .	315	20	14	1

[No. 6(12)/74-EI & EP]

C. B. KUKRETI, Dy. Director

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1978

का०आ० 799.—केन्द्रीय सरकार, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 1978 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2), धारा 13 की उपधारा (2), धारा 28, धारा 68 और धारा 125 से धारा 132 प्रवृत्त होंगी ।

[सं० फा० 18(43)/77-पी पी एंड सी]

पी० आर० चन्द्रन, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 10th March, 1978

S.O. 799.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1978, as the date on which sub-section (2) of section 12, sub-section (2) of section 13, section 28, section 68 and sections 125 to 132 of the said Act shall come into force.

[No. F. 18(43)/77-PP&C]

P. R. CHANDRAN, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1977

का०आ० 800 .—केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 27 के अनुकरण में, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन उसे, उस दुर्घटना के जो बिहार राज्य के धनबाद जिले में चासनाला कोलियरी में 27 दिसम्बर 1975 को घटित हुई थी, कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का आ० 746(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1975 द्वारा, उक्त धारा के अधीन नियुक्त जांच न्यायालय द्वारा दी गई रिपोर्ट को प्रकाशित करती है ।

बिहार राज्य के धनबाद जिले में चासनाला कोलियरी में 27 दिसम्बर, 1975 को घटित दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच न्यायालय की रिपोर्ट :—

प्रस्तावना

जैसा कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अधीन अपेक्षित है, मैं भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की 31 दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना द्वारा मांगी गई रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। यह रिपोर्ट दो भागों में है। भाग-2 में केवल अनुबन्ध ही दिए गए हैं, जिनका उल्लेख भाग-1 में समाविष्ट रिपोर्ट में किया गया है। अनुबन्धों में अन्य बातों के साथ-साथ 27-12-1975 की दुर्घटना में मारे गए 375 व्यक्तियों के नाम तथा संबंधित प्लान दिए गए हैं जिनकी चर्चा रिपोर्ट में की गई है। भाग-1 में मेरी रिपोर्ट के तुरन्त बाद भारतीय खान विद्यालय (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के निदेशक, श्री जी० एस० मरवाह जो कि निर्धारकों (असेसरों) में से एक हैं, द्वारा की गई विस्तृत टिप्पणियां दी गई हैं।

इस प्रस्तावना में मैं उन पैराग्राफों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन में कुछ मुख्य जांच-परिणाम दिए गए हैं। पैरा 121 में मैंने कोयला खान अधिनियम, 1957 के विनियम 127 में कुछ संशोधन करने के संबंध में सुझाव दिए हैं। जांचाधीन दुर्घटना का प्रत्यक्ष कारण तथा सम्बद्ध मामलों का उल्लेख पैरा ग्राफ 145 से 153 में मिलेगा। चासनाला के अधिकारियों की जिम्मेदारी का वर्णन पैराग्राफ 154 से 180 में किया गया है।

मैंने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के प्राधिकारियों का ध्यान कुछ मामलों की ओर दिलाया है ताकि वे उन पर गौर कर सकें। इन मामलों का उल्लेख पैराग्राफ 140, 141, 142, 143 और 175 में मिलेगा।

ह०/-
(यू० एन० सिन्हा)
24 मार्च, 1977

पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री यू० एन० सिन्हा की 27, दिसम्बर 1975 को हुई चासनाला कोयला खान दुर्घटना के बारे में जांच-रिपोर्ट

(1) श्री सी० करुणाकरण,
सेवा निवृत्त महानिदेशक,
भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था।

(2) श्री जी० एस० मरवाह,
निदेशक,
भारतीय खान विद्यालय (इंडियन स्कूल आफ माइन्स)
धनबाद ।

(3) श्री दामोदर पांडे, संसद सदस्य
मंत्री
कोलियरी मजदूर संघ ।

तारीख 24 मार्च, 1977

आरम्भ :

1. 27 दिसम्बर, 1975 को दोपहर के लगभग 1.30 बजे चासनाला कोलियरी के नाम से ज्ञात एक कोयला खान में भारी दुर्घटना हुई। यह कोयला खान बिहार राज्य के धनबाद कस्बे से कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दुर्घटना उसी मालिक के एक निकटवर्ती पुराने कार्यस्थल जो छोड़ दिया गया था से भारी मात्रा में पानी की बाढ़ आ जाने के कारण हुई। प्रबन्धकों की ओर से यह कहा जाता है कि इस भीषण दुर्घटना में 375 व्यक्तियों की जानें गईं। ये लोग सुबह 7 बजे से शाम के 3 बजे तक चलने वाली पहली पारी में काम कर रहे थे। 27 दिसम्बर, 1975 की सुबह को 375 से अधिक व्यक्ति खान के अन्दर गए थे परन्तु किसी न किसी कारण 40 व्यक्ति इस भीषण दुर्घटना के घटने से पहले खान के बाहर आ गए थे तथा पानी में डूब कर मर जाने से बच गये। प्रबन्धकों की ओर से 27 दिसम्बर, 1975 की पहली पारी में गहरी खान के हारिजन नं० 1 और हारिजन नं० 2 में अलग-अलग कार्य कर रहे व्यक्तियों की एक टाइप शुदा सूची दी गई है और यह सूची इस रिपोर्ट के एक अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

2. भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय की तारीख 31 दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना द्वारा यह राय व्यक्त की दुर्घटना के कारणों तथा दुर्घटना के समय विद्यमान परिस्थितियों की विधिवत जांच की जानी चाहिए और मुझे खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया। बाद में, भारत सरकार ने 5 जनवरी, 1976 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के इसी उपबन्ध के अधीन यह जांच करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को निर्धारक (असेसरों) के रूप में नियुक्त किया अर्थात (1) श्री सी० करुणाकरण, सेवा निवृत्त महानिदेशक, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था, (2) श्री जी० एस० मरवाह, निदेशक, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद और (3) श्री दामोदर पांडे, संसद-सदस्य।

3. 16 जनवरी, 1975 की सुबह को मुझे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ओर से निम्नलिखित आशय का एक तार प्राप्त हुआ :—

"आज (15 तारीख) को प्राप्त हुई एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार (16 तारीख) की शाम को या शनिवार की सुबह (17 तारीख) को बचाव कार्य तथा निरीक्षण कार्य के लिए चासनाला कोलियरी के हारिजन नं० 1 के खोले जाने की संभावना है। यदि आप इस हारिजन का निरीक्षण करने का इरादा करें तो उस स्थिति में कृपया खान सुरक्षा महानिदेशालय से तुरन्त सम्पर्क कायम करें।"

4. इस तार के बाद एक और तार मुझे इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रशासक से मिला, जो 17 जनवरी, 1976 को प्राप्त हुआ। यह तार इस आशय का था :—

"आशा है कि कल (शुक्रवार) शाम को चासनाला खान के हारिजन नं० 1 में से पानी निकाला जाएगा। यह तार आप की सूचना के लिए है। यह संदेश सर्वश्री दामोदर पांडे, संसद-सदस्य, सी० करुणाकरण और जी० एस० मरवाह को भी भेजा जा रहा है।'

5. मैंने चासनाला कोलियरी का दौरा करने के लिए तुरन्त प्रबन्ध किया और 18 जनवरी, 1976 की सुबह को सिंद्री गया जो इस कोलियरी से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके तुरन्त बाद मैं कोलियरी गया और वहां श्री दामोदर पांडे, संसद-सदस्य को मिला। खान से पानी निकालने का काम जारी था और निरीक्षण करने के लिए

खान में जो पानी संभव नहीं था। उस दिन इस कोलियरी के संक्षिप्त दौरे के दौरान यह व्यवस्था की गई कि पानी के निकास की प्रक्रिया तथा इस प्रयोजन के लिए रूस और पोलैंड के इंजीनियरों द्वारा दी जा रही सहायता को मैं स्वयं देख सकूं। मेरा परिचय श्री साइडर विच से कराया गया जो पानी के निकास कार्य में लगे रूसी दल के नेता थे। उस दिन यह देखने के लिए कि खान में जमा हुए पानी को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सतह पर के कुछ स्थलों का निरीक्षण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सका और उसी दिन की दोपहर को मैं सिंद्री से पटना के लिए रवाना हो गया।

6. 28-1-1976 को जब मैंने इस कोलियरी का दूसरी बार निरीक्षण किया तो मुझे कोलियरी के प्रशासनिक भवनों में श्री करुणाकरण निर्धारक मिले और मुझे इस क्षेत्र में कोयले की विभिन्न सीमों और इन्क्लाइन नं० 4 में से बनाए गए पुराने कार्यस्थलों के बारे में सामान्य स्थिति स्पष्ट की। ऐसा वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कर सके क्योंकि वह छोड़े जा चुके पुराने कार्यस्थलों को इन्क्लाइन संख्या 4 में ता० 26 को गए थे। तदनन्तर हम नं० 4 इन्क्लाइन के मुख की ओर गए जहां से हम क्वारी के पूर्वी छोर की ओर निचली परत सहित 3/4 इन्क्लाइन के पुराने कार्यस्थलों के ऊपर क्वारी के अन्दर देख सकते थे। हमने इस परत के नीचे एक नदी को दक्षिण की ओर बहते हुए तथा दक्षिणी छोर पर एक सुराख के रास्ते से पुराने कार्यस्थलों में जाते हुए देखा। क्वारी के उत्तरी किनारे से श्री करुणाकरण ने भूमि की वह सतह दिखायी जिसके बारे में बताया जाता है कि वह 29-12-1975 को हुई दुर्घटना के समय क्वारी की निचली परत के दक्षिण की ओर धंस गई थी।

गहरी खान का स्थानीय निरीक्षण

7. मैंने चासनाला खान का मुख्य निरीक्षण 12 फरवरी, 1976 को किया। उस दिन, मैं श्री जी० एस० मरवाह, श्री सी० करुणाकरण तथा अन्य व्यक्तियों के साथ नीचे प्रथम हारिजन में गया। उस बार हम ठीक उस स्थान तक जा पाए जिसे उस समय हमने 'पंक्चर' की संज्ञा दी जिसके रास्ते 27 दिसम्बर, 1975 को 3/4 इन्क्लाइन के पुराने कार्यस्थलों से खान में पानी की बाढ़ आई थी। पंक्चर के इस स्थान से लौटने के बाद हम केज द्वारा नीचे दूसरे हारिजन का निरीक्षण करने गए परन्तु स्वयं केज पर ही इतना अधिक पानी गिर रहा था कि हम केज से दूसरे हारिजन पर उतर नहीं सके। दूसरे हारिजन के सतह तक पहुंच चुकने के बाद हमें शीघ्र वापस लौटना पड़ा और उसके बाद हम सतह पर लौट आए। इस निरीक्षण में हमें लगभग एक घंटा लग गया। मैंने 12 फरवरी, 1976 को किए खान के निरीक्षण का ज्ञापन लिखा था जो जांच न्यायालय के आर्डर शीट वाली फाइल में रखा है। श्री जी० एस० मरवाह ने 19 जनवरी, 23 जनवरी, 30 जनवरी और पहली फरवरी, 1976 को किए गए निरीक्षणों के सम्बन्ध में टिप्पणियां लिखी हैं। श्री सी० करुणाकरण ने 25 और 28 जनवरी 1976 को किए अपने निरीक्षण को नोट लिखा है। श्री करुणाकरण ने 26 जनवरी, 1976 के निरीक्षण की अपनी टिप्पणी के साथ (i) 'के' लेवल के नीचे अनाच्छादित सिल और (ii) 'क' लेवल से पानी गिरने के दृश्य के दो फोटो लगाए हैं। यह दोनों फोटो नं० 4 इन्क्लाइन से लिए गए थे। श्री जी० एस० मरवाह और श्री सी० करुणाकरण के नोट भी आर्डर शीट वाली फाइल में रखे हैं।

8. 12-3-76 को गहरी खान के अगले दौरे में हम नीचे दूसर हारिजन में गये और मुझे ऐसे कई स्थलों पर ले जाया गया जहां बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। उस समय तक उन परिस्थितियों में टूट-फूट की यथासम्भव मरम्मत के लिये खनिकों को लगाया जा रहा था। मैं श्रमिकों के ग्रुपों से मिला जिन्होंने हमें वे स्थान दिखाए जहां वे जान के खतरे के बावजूद कार्य कर रहे थे।

जांच-न्यायालय की पहली बैठक

9. जांच-न्यायालय की पहली बैठक 29 जनवरी, 1976 को सुबह के 10.30 बजे धनसार में केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति के अध्यक्ष के परिसर में हुई। यह स्थान धनबाद के कस्बे और चासनाला कोलियरी के बीच धनबाद से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जांच न्यायालय की बैठकों के स्थान तथा कोलियरी के बीच ही कोई 14 किलोमीटर की दूरी होगी। (यहां मैं इस बात का उल्लेख कर देना चाहता हूं कि जांच न्यायालय की सभी बैठकें उसी परिसर में ही हुई हैं)। इस बैठक की पूर्व सूचना तीनों निर्धारक (असेसरों) को दी गई थी और श्री पी० के० वर्मा ने, जो उस समय जांच न्यायालय के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रमुख और प्रधान बस्तियों में टाइप शुदा नोटिस चिपका कर सभी संबंधित व्यक्तियों को बैठक की सूचना दी थी। 29 जनवरी, 1976 को एक आर्डर शीट रिकार्ड किया गया जिस में न्यायालय की पहली बैठक का जिक्र किया गया था।

पक्षों की पेशी

10. कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये निम्नलिखित 11 पक्षकार पेश हुए :—

1. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड।
2. राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ तथा इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन और इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
3. दि एसोसिएशन आफ इंडियन माइन सर्वेयर्ज।
4. अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, इंडियन माइन वर्कर्स फैडरेशन और यूनाइटिड कोल वर्कर्स यूनियन।
5. हिन्द मजदूर सभा, आल इंडिया खान मजदूर पंचायत, कोयला इस्पात मजदूर पंचायत और हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध खान मजदूर यूनियन।
6. धनबाद के जिला प्राधिकारी।
7. 'सिटु' से सम्बद्ध दि कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया।
8. खान सुरक्षा महानिदेशालय।
9. चासनाला खान मजदूर यूनियन तथा कुछ खनिकों के निकटतम संबंधी।
10. दि इंडियन नेशनल माइन्स, ओवर मैन, सरदार एण्ड शाट-फायरर्स ऐसोसिएशन।
11. इंडियन नेशनल माइन्स ओवरमैन, सरदार एण्ड शाटफायरर्स ऐसोसिएशन की चासनाला शाखा।

11. प्रबन्धकों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता, श्री एस० बी० बनर्जी को इस कोलियरी के पूर्ववृत पर एक नोट तैयार करने के लिये कहा गया। पक्षों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि जांच न्यायालय के गठन की सूचनाएं उस तारीख के आर्डर-शीट में उल्लिखित समाचार-पत्रों में विज्ञापित की जायें। तदनुसार 'दि सर्चलाइट', 'दि इंडियन नेशन', 'दि न्यू स्केच', 'आवाज', 'दि खान मजदूर' और 'आर्यवर्त' में सूचनायें प्रकाशित की गईं। तथापि, बाद में सभी संबंधित पक्षों को पर्याप्त नोटिस के कारण, कलकत्ता के 'स्टेट्समैन' और दिल्ली के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में इन सूचनाओं का प्रकाशन बन्द कर दिया गया।

12. 13 फरवरी को हुई जांच न्यायालय की अगली बैठक में प्रबन्धकों की ओर से चासनाला कोलियरी का पूर्ववृत प्रस्तुत किया गया। ऐसे 375 व्यक्तियों की एक सूची भी पेश की गई, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बाढ़ के परिणाम स्वरूप लापता हैं। श्री एस० सी० बनर्जी से कहा गया कि वे गुम हुए ऐसे व्यक्तियों की दो अलग-अलग सूचियां बनायें जिन्हें 27 दिसम्बर, 1975 की पहली पारी में अलग-अलग

पहले हारिजन और दूसरे हारिजन में काम करने के लिये लगाया गया था। (यह सूची 29 जनवरी, 1976 में हुई बैठक में दी गई):

पक्षकारों की पेशी

13. 13 फरवरी, 1976 को दो और पक्ष पेश हुए :—

(1) माइन्स रेस्क्यू स्टेशन एम्पलाइज ऐसोसिएशन, और

(2) कोल माइनर्स यूनियन।

इन पक्षकारों को पक्षकार नं० 12 और 13 के रूप में संख्यांकित किया गया। जब जांच कार्यवाही प्रारम्भ हुई तो पक्षकारों ने यह आवेदन किया कि उन्हें भूमि के नीचे खानों के निरीक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराई जायें और विभिन्न तारीखों को उन्होंने निरीक्षण किये भी। 13 फरवरी को श्री करुणाकरण ने प्रबन्धकों से कतिपय दस्तावेज मांगे जो 28 फरवरी को हुई न्यायालय की अगली बैठक में पेश कर दिये गये। इन प्रलेखों का ब्यौरा उक्त तारीख के आर्डर शीट में उल्लिखित है।

14. यहां मैं एक विचित्र मामले का उल्लेख करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में लाया गया तथा जिसे 13 फरवरी के आर्डर शीट में रिकार्ड किया गया। उस दिन खान सुरक्षा के निदेशक (उत्तरी अंचल), श्री एस०पी० गांगुली ने, खान विभाग (पक्ष नं० 8) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने लिखा कि चासनाला कोलियरी के प्रबन्धक, श्री आर० भट्टाचार्य और सहायक प्रबन्धक, श्री श्री यू०के० खान के जो बयान श्री गांगुली की सांविधिक जांच के दौरान रिकार्ड किये गये थे, वे उनकी फाइल से गायब हैं। तथापि, श्री खान के बयान की एक प्रति उपलब्ध है जबकि श्री भट्टाचार्य का बयान खो गया है। इस मामले का उल्लेख श्री गांगुली के आवेदन में मिलेगा जो रिकार्ड में मौजूद है और इस संदर्भ में श्री एस० एन० ठाकुर और श्री ए० बी० सिंह ने शहादत दी है।

अतिरिक्त पक्षों की पेशी

15. 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले की कोल माइन्स आफिसर्स ऐसोसिएशन, डाकघर उखरा नामक एक नया पक्षकार पेश हुआ। इस पक्षकार को पक्ष नं० 14 के रूप में संख्यांकित किया गया। उसी दिन चासनाला कोलियरी की बिहार कोलियरी कामगार यूनियन नामक एक और पक्ष पेश हुआ। इस पक्ष को पक्ष नं० 15 के रूप में संख्यांकित किया गया। 26 फरवरी तक ये पक्ष ऐसे प्रलेखों की एक लम्बी सूची दायर कर चुके थे। जिनका निरीक्षण वे अपने निजी प्रयोजनों के लिये करना चाहते थे और यथासमय हमने इन सूचियों की जांच की तथा पक्षों को ऐसे प्रलेखों के निरीक्षण के अवसर प्रदान किये गये जिन्हें हमने उस समय तक की अवस्था से सम्बद्ध समझा। 26 फरवरी को सभी पक्षों से कहा गया कि वे अपने अपने मामलों के संबंध में अपने लिखित बयान दायर करें जिनमें निम्नलिखित बातें दर्ज हों :—

(क) जांच में पक्ष का स्वार्थ। प्रश्नगत दुर्घटना में सामान्य दिलचस्पी के अतिरिक्त विशेष स्वार्थ या स्वार्थों का उल्लेख किया जाय।

(ख) पक्ष जांच न्यायालय के समय जो यथातथ्य सूचना व सामग्री रखना चाहता है और बाद में उसमें जो निष्कर्ष निकल सकते हैं।

(ग) ऐसे गवाहों के नाम और ब्यौरे जिनका पक्ष इस जांच में बयान लेना चाहता है।

(घ) यदि पक्ष किन्हीं प्रलेखों को दाखिल करना चाहता है, तो उनकी सूची व उनका स्वरूप।

खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत श्री एस०पी० गांगुली की रिपोर्ट

16. 11 मार्च को श्री एस०पी० गांगुली ने न्यायालय और निर्धारकों (असेसरों) के लिये खान अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गई अपनी दुर्घटना जांच रिपोर्ट की प्रतियां दायर की। इस रिपोर्ट को इसके बाद सांविधिक रिपोर्ट कहा गया है। उसी दिन, अपेक्षानुसार 13 अन्य पक्षकारों ने अपने अपने मामलों के बयान दायर किये। श्री एस०पी० गांगुली द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट को खान सुरक्षा महानिदेशालय का मामला माना गया। बाद में चासनाला की बिहार कोलियरी कामगार यूनियन (पक्षकार नं० 15) ने भी अपना मामला बयान दाखिल किया। पक्षकारों के सभी बयान मुहरबन्द लिफाफे में रखे गये और सभी बयानों को रिकार्ड कर लेने के बाद विभिन्न पक्षों के लिये रखी गई प्रतियां उन्हें बांट दी गईं।

अपेक्षित स्पष्टीकरण

17. न्यायालय की बैठक से अगली तारीख, अर्थात् 29 मार्च, 1976 को पक्षकारों से उनके द्वारा पहले से दायर किये गये बयानों के सम्बन्ध में कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गये। इस तारीख को यह निर्णय किया गया कि जांच न्यायालय की अगली बैठक में इस बात पर विचार करना पड़ सकता है कि क्या उन सभी पक्षकारों को, जो पेश हो चुके हैं, रिकार्ड पर रखना आवश्यक होगा या उनमें से कुछ पक्षों को अनावश्यक पक्षकार मान कर छोड़ा जा सकता है। यह निर्णय पक्षकारों द्वारा दायर किये गये बयानों को ध्यान में रख कर किया गया। यह निर्णय लेने का कारण यह भी था कि इस अवस्था पर इस सम्बन्ध में भी ठोस संदेह प्रकट किये गये थे कि जांच कार्य में न्यायालय को इनमें से कुछ पक्षकारों से क्या सहायता प्राप्त हो सकती है।

अनुपूरक बयान

18. अधिकांश पक्षों ने यथा समय और बयान दिये जिन्हें अनुपूरक बयान माना गया है।

कुछ ऐसे पक्षकार जिन्हें कारण बताने के लिये कहा गया

19. अगली तारीख, अर्थात् 31 मार्च, 1976 को पक्षकार नं० 11, 12, 13 और 15 (अर्थात्, (1) इंडियन नेशनल माइन्स ओवरमैन, सरदार्ज एण्ड शाटफायरर्स ऐसोसियेशन की चसनाला शाखा, (2) माइन्स रेस्क्यू स्टेशन्स एम्पलाइज एसोसियेशन, (3) कोल माइनर्स यूनियन, और (4) चासनाला की बिहार कोलियरी कामगार यूनियन से कहा गया कि कि वे न्यायालय की बैठक की अगली तारीख को इस बात का कारण बतायें कि उन्हें रिकार्ड से हटा क्यों न दिया जाये। 15 अप्रैल, 1976 को मामले की पहली बार सुनवाई हुई। पक्ष नं० 10 और 11 की ओर से एक याचिका दायर की गई जिसमें उन्होंने यह कहा कि पक्ष नं० 11 (इंडियन नेशनल माइन्स ओवरमैन, सरदार्ज एण्ड शाटफायरर्स ऐसोसियेशन की चासनाला शाखा) द्वारा अलग से अभ्यावेदन आवश्यक नहीं है तथा इस पक्ष, को रिकार्ड से हटा दिया जाये। ऐसा कर दिया गया पक्षकार नं० 13 और 15 के विरुद्ध इस मामले को सुनवाई अगली तारीख तक के लिये स्थगित कर दी गई। पक्ष नं० 13 और 15 विरुद्ध 'कारण बताओ' मामले की 19 अप्रैल, 1976 को पूर्णरुपेण सुनवाई हुई और उस दिन के आर्डर शीट में उल्लिखित कारणों से इन पक्षकारों को रिकार्ड पर बना रहने दिया गया। तथापि, इस रिपोर्ट में तथा रिकार्ड में पक्षकारों के मूल नम्बरों का उल्लेख किया गया है।

20. एक मामला यहां वर्णनीय है जिसका जिक्र 15 अप्रैल के आर्डर में किया गया है। उक्त तारीख को श्री गांगुली ने चासनाला कोलियरी के भूतपूर्व सर्वेक्षक, श्री एस० सरकार का एक बयान दायर किया। श्री सरकार ने यह बयान श्री गांगुली के समक्ष उनकी सतत सांविधिक जांच के दौरान दिया था। श्री गांगुली द्वारा दायर किये गये श्री सरकार के बयान को उनकी मूल रिपोर्ट के भाग 3 में एक अंश के रूप में दर्ज किया गया।

श्री सरकार का कमीशन पर परीक्षण

21. 15 अप्रैल को श्री गांगुली ने एक आवेदन दायर किया कि कोलियरी के भूतपूर्व सर्वेक्षक श्री एस० सरकार का कमीशन पर परीक्षण उनकी अस्वस्थता और वृद्ध आयु के कारण उनके आसनसोल स्थित घर पर किया जाये। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 19 तारीख को

हुई और यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। जांच न्यायालय के नये सचिव, श्री सतपाल सिंह को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया ताकि वह 25 अप्रैल, 1976 को रविवार के दिन आसनसोल में श्री एस० सरकार का कमीशन पर परीक्षण कर सकें। सभी पक्षकार उक्त दिन को श्री एस० सरकार के परीक्षण के लिये सहमत हो गये और यह बात रिकार्ड की गई कि जो पक्ष रिकार्ड पर है, उनके प्रतिनिधियों को आसनसोल जाने की छूट है तथा वे श्री सरकार से यथावश्यक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक उसी दिन श्री गांगुली ने सर्व श्री ए० के० मुखर्जी, एन० सी० मोदक और बी० बी० चौधरी के वे बयान भी दायर किये, जो उन्होंने अपनी सांविधिक जांच में रिकार्ड किये थे।

22. श्री एस० सरकार का कमीशन पर परीक्षण उनके निवास स्थान पर 25-4-1976 को शुरू हुआ और 26-4-1976, 7-5-1976 और 8-5-1976 को जारी रहा और उस कार्यवाही का रिकार्ड अलग से रखा गया है। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वहीं कई पक्षकार पेश हुए और श्री एस० सरकार की सविस्तार पृच्छा तथा प्रतिपृच्छा की गई। श्री एस० सरकार के रिकार्ड किये गये बयान को पक्ष नं० 8 के विद्वान वकील ने विधिवत् साक्ष्य में पेश किया और उसे बिना किसी की आपत्ति के स्वीकार कर लिया गया।

23. 19 अप्रैल को श्री गांगुली ने अपनी मुख्य रिपोर्ट के तीसरे भाग के लिये परिशिष्ट पेश किया। इस परिशिष्ट में सर्वश्री अर्जुन मुहर्रा, सहदेव महतो, शबीर अहमद और निजाम अहमद नामक चार और गवाहों के वे बयान शामिल थे जो उनकी (श्री गांगुली की) सांविधिक रिपोर्ट में रिकार्ड किये गये थे।

24. इस तारीख को यह निर्णय किया गया कि 12 मई से 19 मई तक होने वाली न्यायालय की अगली बैठक में गवाहों की परीक्षण शुरू हो जाना चाहिये और पहले प्रबन्धकों (पक्षकार नं० 1) को अपना केस शुरू करना चाहिये तथा अपने गवाहों का परीक्षण करना चाहिये।

अनुबंध

25. इस रिपोर्ट के एक भाग के रूप में मैंने अनेक अनुबन्ध जोड़े हैं। प्रथम अनुबन्ध में ऐसे व्यक्तियों की सूची है जो दुर्घटना में मारे गये थे। अन्य अनुबन्धों में जिन गवाहों का विभिन्न पक्षों की ओर से परीक्षण किया गया, उनके नाम और रिकार्ड में लाये गये प्रदर्शों का नम्बर और उनका ब्यौरा दिया गया है। न्यायालय द्वारा परीक्षित गवाहों की सूची और उनके द्वारा प्रमाणित किये गये दस्तावेजों को भी रिपोर्ट के साथ जोड़ा गया है। जांच में पक्षों द्वारा दायर किये गये कुछ प्लानों* की प्रतियां भी दी गई हैं ताकि तथ्यों को स्पष्टतया समझा जा सके।

26. यह आवश्यक होगा कि सर्वप्रथम चासनाला कोलियरी की अवस्थिति तथा उसका ब्यौरा दिया जाये और उसके बाद इस सम्पत्ति की मिलकियत के पूर्ववृत्त का उल्लेख किया जाये।

चासनाला कोलियरी—अवस्थिति

27. चासनाला कोलियरी धनबाद जिले के सदर उप-प्रभाग में झरियों कोयला क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी छोर पर दामोदर नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है और सड़क के रास्ते से धनबाद सिंद्री सड़क पर वह धनबाद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका क्षेत्रफल 902 एकड़ अर्थात् 2706 बीघा है और इस सारे के सारे क्षेत्र में कोयला भरा पड़ा है। एक मुख्य भित्ति है जो लगभग 27 मीटर मोटी है। और इस सम्पत्ति के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। इस मुख्य भित्ति से निकली पतली पतली अनेक शाखायें हैं।

कोयले की सीम

28. इस क्षेत्र में परखी गई कार्ययोग्य सीमों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:--

सीम संख्या	मोटाई (मीटर)	अलगाव	टिप्पणियां
1	2	3	4
17 बी .	2.1	8.10	10 इन्कलाइनों द्वारा डिप के साथ-साथ 45 मीटर की गहराई तक विकसित की गई। 1948 में छोड़ दी गई इस समय पानी से भरी पड़ी है।
17 ए	2.1	70–80	पन्द्रह इन्कलाइनों द्वारा डिप के साथ साथ 75 मीटर की गहराई तक विकसित की गई। 1948 में छोड़ दी गई। इस समय पानी से भरी पड़ी है।
17 (विशेष)	2.3	80–100	विकसित की गई तथा भराई करके आंशिक रूप से पिल्लर हटाये गये। इस समय इन्कलाइनों द्वारा विकसित की जा रही है तथा उत्खनन किया जा रहा है।
16	1.82	40–50	अव्यवहृत
15	2	2-3	शाखा (अव्यवहृत)
14 ए	2	40–50	शाखा (अव्यवहृत)
13/14	24	10–40	1, 2, 2ए, 3 (पुरानी) इन्कलाइनों द्वारा भित्ति (डाइक) के पश्चिम में तथा 3, 4 और एच० के इन्कलाइनों द्वारा मुख्य भित्ति के पूर्व में विकसित की गई। 1949 में यह कार्यस्थल छोड़ दिया गया तथा कालान्तर में वहां पानी भर गया। 1, 2 क्वारियों के माध्यम से कार्य किये गया। इस समय भूमि के नीचे के कार्यस्थल 1 और 2 पिट्स में से होकर 1 और 2 हारिजन में हैं।
12	4–5	30–80	उभरी हुई परत वाली साइड एक छोटी सी पुरानी क्वारी को छोड़ कर, यह सीम अधिकांशतः अव्यवहृत है। नं० 1 पिट और नं० 2 पिट से, जहां यह 1 सीम के निकट ही पड़ती है, कुछ नये कार्यस्थल बनाये गये हैं।
11/10	10–12		3 मीटर कोयला (शेष शाखा)। एक छोटे से खण्ड में विकसित की गई और 1948 में छोड़ दी गई।

29. सीम नं० 17 बी इस कोलियरी की सबसे ऊंची सीम है और अन्य सीमें उल्लिखित क्रम में नीचे हैं। हमारा सम्बन्ध संयुक्त सीम नं० 13/14 के कार्यस्थलों से है। इस सीम में इन्कलाइन नं० 3 और 4 द्वारा बनाये गये कार्यस्थलों में भारी मात्रा में पानी जमा हो रखा था और पूर्वी क्षेत्र में लगभग 80 फुट का लम्ब्यात्मक अलगाव छोड़ते हुए नीचे नई डीप माइन का हारिजन नं० 1 खोला गया था। इसके बाद दी गई डायग्रामों से यह बात और अधिक सुस्पष्ट हो जायेगी।

*प्लानों की प्रतियां, जो कि अनुबन्ध च, छ, ज, झ, ञ, ट और ठ में दिखाई गई हैं, प्रकाशित नहीं की गई।

क्वारियां (खदानें)

30. प्रबन्धकों द्वारा दिये गये पूर्ववृत्त के अनुसार इस सम्पत्ति में निम्नलिखित तीन क्वारियों (खदानें) हैं जिन में से उभरी हुई परत के साथ-साथ कोयला निकाला जा रहा है:—

कोमनकास्ट कार्य-स्थल का नाम	जिस सीम में उत्खनन किया किया गया, उस सीम का नं०	किस सीमा तक उत्खनन किया गया
नं० 1 क्वारी	12, 13/14	स्ट्राइक के साथ-साथ 1500 फुट और डिप के साथ-साथ 200 फुट।
नं० 2 क्वारी	13/14	स्ट्राइक के साथ-साथ 1600 फुट और डिप के साथ-साथ 200 फुट
नं० 3 क्वारी	13/14	200 फुट × 200 फुट

क्वारी नं० 1—चसनाला मौजा में भू-सम्पत्ति के पश्चिमी छोर पर स्थित है। 'इसको' के नियंत्रण में आने से पहले परित्यक्त यह क्वारी 1972 में पुनः चालू की गई और आग लगने के कारण अप्रैल, 1974 से इस में फिर काम बंद कर दिया गया।

क्वारी नं० 2—हेत केन्द्र मौजा में स्थित है और यह दोमोहनी जोर से लेकर सुपरफास्फेट रोड तक फैली हुई है। यह क्वारी मार्च 1973 में चालू की गई थी। इसमें अब भी काम हो रहा है। इस समय इसकी सीमा स्ट्राइक के साथ-साथ लगभग 1600 फुट तक और डिप के साथ-साथ 200 फुट तक है।

क्वारी नं० 3—की योजना चसनाला मौजा में नं० 3/4 इन्कलाइनों के बीच 13/14 संयुक्त सीम से कोयला निकालने के लिए बनाई गई है। इस क्वारी का विस्तार दोमोहनी जोर तक करने का विचार है। (यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि 5 अप्रैल को जो दूसरी दुर्घटना हुई थी, वह इसी क्वारी में काम के दौरान हुई थी)

संयुक्त सीम नं० 13/14 में इन्कलाइनों में से होकर पुराने खदान

31. प्रबन्धकों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार नं० 13/14 संयुक्त सीम लगभग 80 फुट मोटी है और उसमें 1.5 में लगभग 1 इनग्रेडियेंट है। इस में डायक को पश्चिमी साइड में चार इन्कलाइनों और डाइक की पूर्वी साइड में तीन इन्कलाइनों द्वारा उत्खनन कार्य किया गया है। डाइक के पश्चिम की ओर वाली साइड की इन्कलाइनों के नाम इन्कलाइन नं० 1, 3 (पुरानी), 2ए और 2 ख रखे गए हैं और डाइक के पूर्व वाली साइड की 3 इन्कलाइनों के नाम इन्कलाइन नं० 3, 4 और एच० के० हैं।

32. डाइक के पश्चिम की ओर वाली खदान नीचे एल लेवल तक जाने वाले लेवलों के पैटर्न में विकसित की गई थी और डाइक के पूर्व की ओर वाली खदानें नीचे के लेवल तक विकसित की गई थीं। तथापि, चूंकि पश्चिम की ओर वाला आंतरिक लेवल पूर्व की ओर वाले लेवल से छोटा है, इस लिए पश्चिम की ओर वाली खदान पूर्व की ओर वाली खदानें से अधिक उथली हैं। विभिन्न लेवल बोर्ड और पिल्लर प्रणाली पर विकसित किए गए थे।

अप्रैल 1949 में और उसके बाद इन खदानों में कार्य बन्द कर दिया गया (इस अवस्था में यह बात ध्यान देने योग्य है कि 27 दिसम्बर 1975 को जो दुर्घटना हुई, वह भूमि के नीचे की गहरी खान में बाढ़ द्वारा हुई थी। यह बाढ़ उस पानी से आई, जो उपर्युक्त डायक के पूर्व की ओर वाली भूमि के नीचे खदानों में जमा हो गया था। उक्त खदानों का उल्लेख भूमि के नीचे के 3/4 इन्कलाइन खदानों के रूप में किया गया है)।

बाढ़ का आना तथा पानी निकालने के प्रयास

33. प्रबन्धकों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार इन इन्कलाइनों (अर्थात् नं० 3, 4 और एच के इन्कलाइनों) के भीतर की पुरानी खदानों में 1949 में काम बंद कर दिया गया और परत से रिसन द्वारा उनमें पानी भरने दिया गया।

34. 3/4 इन्कलाइनों में से 1963 के अन्त में पानी के निकास का काम शुरू हुआ। 27-11-1963 को एच० के० इन्कलाइन के मुख पर ऊपरी सतह ढह गई जिस से इन्कलाइन का मुख पूर्णतः ढक गया। बाद में एच० के० इन्कलाइन के मुख के इर्दगिर्द एक बान्ध बनाया गया ताकि जोर से आने वाली भारी बाढ़ के पानी से उसकी रक्षा की जा सके।

35. 3/4 इन्कलाइनों से जल-निकास का कार्य 2-4-1966 तक जारी रहा। तब तक पानी का स्तर पुरानी खदानों के ई और एफ लेवलों के बीच पहुंच गया था। उक्त तारीख को नं० 3 और 4 इन्कलाइनों के बीच भूमि धंसने की एक भारी घटना हुई जिसके कारण 'ए' लेवल की छत तल तक बैठ गई। तथापि, कहा जाता है कि जल निकास कार्य 17-5-1967 तक जारी रहा, जब भूमि के नीचे 3/4 इन्कलाइनों में तेज आग देखी गई। स्थिति से निबटने के लिए 18-5-1967 को नम्बर 3/4 इन्कलाइनों की (तथा रानी डांगा स्थित स्टोविंग सोफ्टों के) मुख सील कर दिये गये। 26-9-67 को 3 और 4 इन्कलाइनों की सीलें छोड़ दी गई और सीमित जलनिकास कार्य पुनः शुरू किया गया। इसके बाद आग लग सकने की संभावना के कारण पानी के स्तर को 'सी' लेवल की छत से नीचे कभी नहीं आने दिया गया।

36. इससे पहले मैं यह उल्लेख कर चुका हूं कि एक बड़ी डाइक भू-सम्पत्ति के बीचों बीच होकर गुजरती है और यह कि यह डाइक पश्चिम की ओर वाली 3/14 संयुक्त सीम को खदानों को पूर्व की ओर की खदानों से जुदा करती है। एक समय खदानों के इन दो सेटों के बीच ए लेवल पर इस डाइक के बीचों बीच एक कनेक्शन था; लगभग इस समय तक इस कनेक्शन को समाप्त कर दिया गया था।

37. जैसा कि इस से पहले उल्लेख किया गया है, यद्यपि डाइक के पश्चिमी ओर नं० 1 और नं० 2 इन्कलाइनों के बीच भूमि के नीचे 'एल' लेवल तक खदानें बनाई गई थी तथापि, पश्चिम की ओर वाली इन खदानों की गहराई नं० 3 और नं० 4 इन्कलाइनों के बीच, डाइक के पूर्व की ओर 'के' लेवल की गहराई से कम थी। इसके परिणाम स्वरूप भूमि के नीचे नई डीप खान (गहरी खान) में जहां पश्चिम-वर्ती खदानों के ऊपर लगभग 70 मीटर हैड पानी जमा था, वहां पूर्ववर्ती खदानों में 'के' लेवल के ऊपर लगभग 118 मीटर हैड पानी जमा था। यह स्थिति 27-12-1975 की दुर्घटना के समय विद्यमान थी। डाइक के पूर्वी साइड की इन्हीं पुरानी खदानों से लगभग 270 से 300 लाख गैलन पानी नीचे नई डीप माइन में चला गया था जिसके कारण यह भीषण दुर्घटना हुई, जिसकी जांच की जा रही है।

स्वामित्व का इतिहास

38. चसनाला कोलियरी के स्वामित्व का इतिहास इस प्रकार दिया गया है :—

समस्त मौजा चसनाला में भूमि के नीचे कोयले के खनन अधिकार झरिया के राजा जयमंगल सिंह ने, जो उस समय परगना झरिया के भू-स्वामी थे, 5 कार्तिक, 1302 वि० सं० के एक स्थायी पट्टे द्वारा तारा नाथ दत्त नामक एक व्यक्ति को दिया था, जिसने बाद में 19-2-1901 को या इसके आस पास अपना अधिकार एक उप-पट्टे द्वारा 999 वर्षों की अवधि के लिए बंगाल कोल सिंडीकेट लिमिटेड को सौंप दिया। परिसमापन की अवस्था में

बंगाल कोल सिंडीकेट लिमिटेड तथा उसमें परिसमापक ने और ऋहण-पत्र धारियों के रिसीवर और न्यासियों ने तारीख 7 मई, 1906 के एक हस्तान्तरण विलेख द्वारा समाप्त न हुई प्रवधि अर्थात् पट्टे की शेष अवधि के संबंध में अपना अधिकार मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया।

9-10-1906 को मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी ने अपना अधिकार टर्नर मोरीसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड को सौंप दिया जिसने वह अधिकार 15-10-1909 के एक हस्तान्तरण-विलेख द्वारा लोदना कोलियरी कम्पनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया। उसके बाद लोदना कोलियरी कम्पनी लिमिटेड तथा उसके परिसमापकों ने 6 जून, 1921 के एक विलेख द्वारा समस्त चसनाला मौजे में कोयले के खनन के अधिकार लोदना कोलियरी कं० (1920) लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिए। लोदना कोलियरी कं० (1920) लिमिटेड ने 12-3-1926 के एक विलेख द्वारा अपना अधिकार वापस तारा नाथ दत्त तथा उसके सहभागियों को दे दिया। इस अधिकार त्याग के बाद तारा नाथ दत्त और उसके सहभागियों ने समस्त मौजा चसनाला में भूमि के नीचे कोयले के खनन के अधिकार 12-3-1928 से लागू 28-9-1929 के एक उप-पट्टे द्वारा 999 वर्ष की अवधि के लिए हेमन्त कुमार नाग और अन्य व्यक्तियों को दे दिए। बाद में हेमन्त कुमार नाग और उसके भागेदारों ने 23-12-1935 और 1-2-1936 के दो हस्तांतरण-पत्रों द्वारा अपने उच्च भू-स्वामी का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इन हस्तांतरण-पत्रों के फलस्वरूप हेमन्त कुमार नाग और उसके सहभागी 1995 बीघा कोयला-भूमि के संबंध में, जिसमें सारे का सारा मौजा चसनाला आ जाता है, झरिया के राजा के अधीन सीधे पट्टेदार बन गए। 27-4-1938 को हेमन्त कुमार नाग और उसके सहभागियों ने एक उप-पट्टे द्वारा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० को 750 वर्षों के लिए समस्त मौजा चसनाला में भूमि के नीचे कोयले के खनन के अधिकार दे दिए।

जहां तक मौजा हेतु केन्द्र का संबंध है, इस में 603 बीघे और 8 कोटाह का क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र दो प्लाटों से मिल-कर बना है जिस में से एक प्लाट 300 बीघे का है तथा दूसरा 303 बीघे और 8 कोटाह का। 300 बीघे के संबंध में कोयले के खनन के अधिकार 18 आषाढ़ 1302 वि० सं० के स्थायी पट्टे द्वारा पारेश नाथ घोष ने झरिया के राजा जयमंगल सिंह से प्राप्त किए। पारेश नाथ घोष ने अपना अधिकार गोविंद चन्द्र बोस को स्थानान्तरित कर दिया और 1932 में 300 बीघे के पूर्वोक्त प्लाट को न्यायालय द्वारा नीलाम किए जाने पर भोला नाथ दत्त ने खरीद लिया, यह नीलामी झरिया राज सम्पदा के रिसीवर द्वारा प्राप्त की गई किराये संबंधी डिग्री की तामील में की गई थी और श्री भोला नाथ ने 13-8-1932 को बिक्री प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया। उसके बाद भोला नाथ दत्त ने 11-9-1935 के रजिस्ट्रीकृत घोषणा-पत्र विलेख द्वारा यह घोषणा की कि यह सम्पत्ति उन्होंने स्वयं अपनी, हेमन्त कुमार नाग और हाराधन बनर्जी की ओर से खरीदी है और इस में उनका क्रमशः 1 आना, 8 आने और 7 आने हिस्सा है। जहां तक 303 बीघे और 8 कोटाह वाले प्लाट के संबंध है, उसे आरम्भ में झरिया के राजा दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा दिए गए 28 कार्तिक 1313 वि० सं० के स्थायी पट्टे द्वारा अभय कुमार राय चौधरी ने प्राप्त किया था। 1930 में इस सम्पत्ति को न्यायालय द्वारा की गई नीलामी में श्री हेमन्त कुमार नाग ने खरीद लिया और धनबाद के अधीनस्थ जज से बिक्री प्रमाण-पत्र दिनांक 22-7-1932 प्राप्त कर लिया। न्यायालय ने यह नीलामी धनबाद न्यायालय की एक डिग्री की तामील के लिए की थी।

11 सितम्बर, 1935 की एक न्यास-घोषणा द्वारा हेमन्त कुमार नाग ने यह घोषणा की कि सम्पत्ति में यह अधिकार उसने अपनी हाराधन बनर्जी और भोला नाथ दत्त की ओर से खरीदा है और इस में प्रत्येक का हिस्सा क्रमशः 8 आने, 7 आने और 1 आना है। 27-4-1938 को हेमन्त कुमार नाग और उसके दो सहभागियों ने मौजा हेत केन्द्र में उक्त 603 बीघे और 8 कोटाह के क्षेत्र के संबंध में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० को 750 वर्ष के लिए एक उप-पट्टा दे दिया। उसके बाद तारीख 28-9-1955 के दो बिक्री विलेखों द्वारा 1955 बीघा क्षेत्रफल वाले मौजा चसनाला तथा 603 बीघे और 8 कोटाह क्षेत्रफल वाले मौजा हेतकेन्द्र में पूर्णतया समस्त खनन अधिकार खरीद लिए।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० ने भी मौजा अपर केन्द्र का एक भाग अर्जित किया जिसका क्षेत्रफल 36 एकड़ था। कम्पनी को इसका कब्जा (केवल भूमि के नीचे के संबंध में अधिकार) 27-11-1960 को दिया गया। अनेक प्रलेखों द्वारा संबंधित मालिकों से कम्पनी ने विभिन्न तल भूखंड भी प्राप्त किए।

भूमि के नीचे कोयला खनन अधिकारों के उक्त अर्जनों के परिणामस्वरूप यह कम्पनी अब 902 एकड़ क्षेत्र की मालिक है जोकि 2706 बीघे 8 कोटाह के बराबर है। इस क्षेत्र का ब्योरा इस प्रकार है :—

चसनाला मौजा	1995 बीघा
हेत केन्द्र मौजा	603 बीघा 8 कोटाह
अपर केन्द्र मौजा	36 एकड़ (108 बीघे के बराबर)

हेमन्त कुमार नाग तथा अन्य, जिनसे इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० ने यह सम्पत्ति प्राप्त की थी, इस कोलियरी को चसनाला कोल कम्पनी के नाम व स्टाइल से चलाया करते थे। इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा पूर्वोक्त सम्पत्ति के अभिग्रहण के बाद उसका प्रबंध 13-7-1972 तक उक्त कम्पनी के पास रहा।

39. 14-1-1972 को भारत के राष्ट्रपति ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का अध्यादेश 6) जारी किया, जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार ने चासनाला कोलियरी का प्रबन्ध तथा इस कम्पनी की अन्य सम्पत्तियों के अपने नियंत्रण में ले लिया। उक्त अध्यादेश बाद में रद्द कर दिया था तथा उसका स्थान इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 50) ने ले लिया जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 3-9-1972 को प्राप्त हुई थी और जिसे पूर्वपिक्षी प्रभाव से 14-7-1972 से लागू किया गया था। पूर्वोक्त अध्यादेश, जिसका स्थान बाद में 1972 के अधिनियम 50 ने ले लिया, के परिणामस्वरूप 14-7-1972 से इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के सभी उपक्रमों तथा चसनाला कोलियरी का प्रबंध केन्द्रीय सरकार के हाथ में आ गया।

40. बाद में 1972 के अधिनियम 50 में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० (प्रबन्ध-ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 36) के नाम से ज्ञात अध्यादेश द्वारा संशोधन किया गया। बाद में इस अध्यादेश को रद्द कर दिया गया और उसका स्थान इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (प्रबंध-ग्रहण) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 36) ने ले लिया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी 31-8-1974 को प्राप्त हुई परन्तु उसे पूर्वपेक्षी प्रभाव से 23-6-1974 से लागू किया गया। 1974 के पूर्वोक्त अधिनियम संख्या 36 द्वारा कम्पनी के उपक्रम के प्रबंध की अवधि बढ़ा दी गई तथा अधिनियम में कुछ नई धाराएं भी शामिल की

गई। उक्त संशोधन द्वारा एक प्रबंध-बोर्ड गठित किया गया जिसमें एक अध्यक्ष और चार से अन्यून और 14 से अनधिक सदस्य शामिल थे। इस में एक प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया, ताकि वह प्रबंध बोर्ड की सहायता कर सके तथा कम्पनी के उपक्रम के कार्यों की व्यवस्था कर सके। इस में यह व्यवस्था भी की गई कि जिस तारीख से प्रबंध बोर्ड ने कम्पनी के उपक्रम का प्रबंध संभाला है, उस तारीख से अभिरक्षक अपना पद छोड़ देगा, परन्तु वह प्रबंध बोर्ड के सदस्य के रूप में या प्रशासक के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा।

41. उसके बाद इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश, 1976 (1976 का अध्यादेश संख्या 10) जारी हुआ जिसे बाद में रद्द कर दिया गया तथा जिसका स्थान इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंस लि० (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्या 89) ने ले लिया। यद्यपि उक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 2-9-1976 को प्राप्त हुई, तथापि उसे पूर्वापेक्षी प्रभाव से 17-7-76 से लागू किया गया। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, कम्पनी के सभी शेयर केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित हो गए तथा केन्द्रीय सरकार में शामिल हो गए। उक्त अधिनियम में दी गई शेयरों की परिभाषा के अनुसार शेयरों में कम्पनी की पूंजी का ऐसा कोई शेयर शामिल नहीं जिसका धारक निम्नलिखित हो :—

(i) कोई भी राज्य सरकार।
(ii) स्टेट बैंक आफ इंडिया।
(iii) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड।
(iv) भारतीय जीवन बीमा निगम।
(v) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया।
(vi) कोई भी तदनुरूपी नया बैंक।
(vii) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 द्वारा राष्ट्रीयकृत कोई भी साधारण बीमा कम्पनी।

संगठनात्मक चार्ट

42. सुनवाई के दौरान प्रबन्धकों की ओर से रिकार्ड पर कोलियरी का एक संगठनात्मक चार्ट लाया गया जिसमें 27-12-1975 की स्थिति के अनुसार संगठन का ब्यौरा दिया गया था। इस चार्ट को प्रदर्श सी सी के रूप में रखा गया है। उक्त चार्ट में दी गई सभी प्रविष्टियों का इस रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। संगठन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रदर्श सी सी से लिया गया निम्नलिखित उद्धरण पर्याप्त होगा :—

दि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड 27-12-1975 की स्थिति के अनुसार कोयला खानों संबंधी संशोधन

संगठनात्मक चार्ट

अध्यक्ष

प्रबन्ध बोर्ड

(खान अधिनियम के अधीन नामित मालिक)

(एन० भाया)

|

महा प्रबंध (सामग्री)

(ए० सी० लाल भूतपूर्व एयर वाइस मार्शल)

|

मुख्य कार्य पाल (कोयला खान)

जे० एन० प्री०

|

क्षेत्रीय प्रबन्धक (चसनाला तथा रामनागोर कोयला खानें) (खान अधिनियम के अधीन एजेंट के रूप में नियुक्त) (एस० के० बनर्जी) प्रबन्धक (चसनाला कोलियरी) (खान अधिनियम के अधीन प्रबन्धक के रूप में नियुक्त) (आर० भट्टाचार्य) सुरक्षा अधिकारी (ए० प्रसाद)	एजेंट (चसनाला इन्कलाइन्स) (खान अधिनियम के अधीन एजेंट के रूप में नियुक्त) (डी० सरकार)	योजना अधिकारी (खनन) खान अधिनियम के अन्तर्गत सभी खानों के संबंध में जी० एजेंट (योजना) के रूप में नियुक्त (डी० सरकार)	ग्रुप सुरक्षा अधिकारी (सभी खानों के लिए) डी० सरकार

यह उल्लेखनीय है कि महाप्रबन्धक (सामग्रीयां), मुख्य कार्यपालक (कोयला खान), क्षेत्रीय प्रबन्धक, योजना अधिकारी और ग्रुप सुरक्षा अधिकारी के पद खान अधिनियम, 1952 के अधीन सांविधिक पद नहीं हैं। इन पदों को प्रशासनिक आदेशों द्वारा सृजित पद कहा जाता है। महा प्रबन्धक (सामग्री) को कम्पनी के खान विभाग तथा सामग्री विभाग का प्रशासनिक प्रधान कहा जाता है। खान विभाग में कोयला खानें और अयस्क खानें शामिल हैं। प्रत्येक खान एक मुख्य कार्यपालक के अधीन है। बताया जाता है कि चसनाला में तैनात मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) सभी कोयला खानों की व्यवस्था के संबंध में महाप्रबंधक (सामग्री) के माध्यम से उच्चतर प्रबन्धकों के प्रति उत्तरदायी है।

43. प्रबन्ध द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार कोयला खानों के प्रतिष्ठान में (1–2) तुनोडीह जीतपुर स्थित दो कोयला खानें, (3–4) चसनाला स्थित दो कोयला खानें, (5) रामनागौर कोयला खान और (6) चसनाला स्थित कोल वाशरी शामिल है। जीतपुर कोलियरी से चसनाला कोलियरी तक एक बाई-केबल रोपवे भी है जो 5.4 मील (8.6 किलोमीटर) लम्बा है। और इस से भी लम्बा बाई केबल

रोपवे चसनाला कोलियरी से बर्नपुर तक है जो 33 मील (53 किलोमीटर) लम्बा है। बताया जाता है कि कोयला खानों की प्रभावी व्यवस्था के लिए तथा कंपनी की सांविधिक जिम्मेवारियां निभाने के लिए, कम्पनी ने इन दो क्षेत्रों के लिए दो क्षेत्रीय प्रबन्धक नियुक्त कर रखे हैं जो अर्हता प्राप्त खनन इंजीनियरी हैं तथा प्रथम श्रेणी प्रबंधक का योग्यता प्रमाण-पत्र धारी हैं। यह बताया गया है कि पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने और खानों की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी ने अन्य बातों के साथ-साथ एक ग्रुप सुरक्षा अधिकारी और एक योजना अधिकारी (खनन) नियुत कर रखा है।

कार्यसंचालन की वर्तमान प्रणाली :

44. चसनाला कोलियरी के इतिहास में प्रबंध ने एक विस्तृत टिप्पणी दी है जो खान में कार्यसंचालन की वर्तमान प्रणाली के बारे में है। इस टिप्पणी के अनुसार चसनाला कोलियरी वर्ष 1949 से बंद पड़ी रही क्योंकि प्रबन्धकों ने पट्टे के क्षेत्र की किसी भी सीम में कार्य जारी रखना कठिन तथा तकनीकी दृष्टि से अव्यवहार्य पाया। 1958 में प्रबन्धकों ने इस कोलियरी के संबंध में आगामी योजना बनाने का काम भारत के सेवा निवृत्त मुख्य खान निरीक्षक, श्री एन० बार्राक्लफ को सौंप दिया, जिन्होंने विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जांच की और 1960 में व्यवहार्यता संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

श्री एन० बार्राक्लफ की व्यवहार्यता संबंधी रिपोर्ट :

चूंकि श्री बार्राक्लफ द्वारा सुझाई गई खनन प्रणाली के लिए भारी पूंजी लगाने की आवश्यकता थी और चूंकि विदेशों से आयात की जाने वाली मशीनें खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा भी दरकार थी, इस लिए प्रबन्धकों ने ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के पास आवेदन किया ताकि इस कठिन खनन परियोजना को सफलतापूर्वक विकसित किया जा सके। विश्व बैंक की सलाह पर प्रबन्धकों ने अपनी चसनाला और जीतपुर कोयला खानों की कोयला विकास परियोजना की योजना, समन्वय तथा निष्पादन का कार्य मैसर्स इंटरनेशनल कन्स्ट्रक्शन कंपनी (आई० सी० सी०) को सौंपा जिनका पंजीकृत कार्यालय 56, किंग्सवे, लन्दन में स्थित है। बताया जाता है कि यह फर्म ऐसे कार्यों में अपनी दक्षता के लिए विश्व-प्रसिद्ध है तथा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित है।

इंटरनेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की परियोजना रिपोर्ट :

45. आई० सी० सी० की परियोजना रिपोर्ट किसी समय 1966 में प्रस्तुत की गई। इसी बीच 1964 में एक दूसरी ब्रिटिश फर्म, मैसर्स सीमेंटेशन कंपनी लिमिटेड ने सिंकिंग की विशेष सीमेंटेशन विधि द्वारा (नई) डीप माइन के लिए शाफ्टें सिंक करने का काम आरम्भ कर दिया। प्लान के अनुसार 3 फीट उपिट है। पिट नं० 1 और 2 पश्चिम खान के लिए 2 निकास—मार्गों का काम देते हैं और पूर्वी खान में पिट नं० 4 का काम खनन के हारिजन सिस्टम के अनुसार रेत भराई, पत्थर में विकास और फेसिज सुरंगों के लिए सामग्री की आपूर्ति का प्रयोजन सिद्ध करना है। (इस जांच में हमारा संबंध पश्चिम खानों से है)।

46. प्रबंध द्वारा दिए गए विवरण में यह कहा गया है कि चसनाला के लिए प्रस्तावित किए गए हारिजन सिस्टम के खनन तकनीक के बारे में तब भारत के खनन उद्योग को कोई ज्ञान नहीं था। इस लिए विश्व बैंक की सलाह पर कम्पनी ने एक मात्र चसनाला खान के लिए एक जर्मन विशेषज्ञ (श्री सी०एच० स्पोबोन्डा) को खनन सलाहकार नियुक्त किया। उनका इंटरव्यू 'इसको' के प्रबन्धकों और विश्व बैंक ने वाशिंगटन (यू०एस०ए०) में लिया था। इस खनन सलाहकार ने जिन्हें चसनाला में तैनात किया गया, जनवरी 1969 में अपना कार्य-भार संभाला और उन्होंने चसनाला खान में इस हैसियत में दिसम्बर, 1973 तक कार्य किया। बताया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में चसनाला खान का समस्त विस्तृत योजना-कार्य और डिजाइन-कार्य इस खनन विशेषज्ञ की सलाह से तथा उनके मार्गदर्शन और सीधे पर्यवेक्षण में किया गया। कहते हैं कि यह खनन विशेषज्ञ प्रबन्धकीय और तकनीकी पर्यवेक्षी कर्मचारियों को खनन के हारिजन सिस्टम द्वारा कोयले के खड़ी ढाल वाले और गहरे भण्डारों के उत्खनन का प्रशिक्षण भी देता था।

खनन का हारिजन सिस्टम :

47. खनन का हारिजन सिस्टम सामान्यतः प्रचलित इन-सीम सिस्टम से मूलतः भिन्न है। इन-सीम सिस्टम में शाफ्ट कोयले की सीम तक सिंक किए जाते हैं और बाद में सभी ग्रावेज कोयले में किए जाते हैं। यह प्रक्रिया वहां नहीं अपनाई जाती जहां दो सीमों को आपस में मिलाना होता है। उस स्थिति में क्रास-मैयर ड्रिफ्टों को पत्थर में ड्राइव करना होता है। कोयले की सीमें सामान्यतः झुकी हुई होती हैं। परन्तु हारिजन सिस्टम में शाफ्ट खदाना (हारिजन्स) के हारिजेंटल सेटों की ओर सिंक किए जाते हैं जो औसत् समुद्रतल के संदर्भ में पहले से निर्धारित डेटम स्तर पर मुख्यतः पत्थर में बनाए जाते हैं; कोयले की सीमों में भी उसी हारिजन की लेवल क्रास मैयर ड्रिफ्टों द्वारा छेदन/मार्ग किया जाता है। जब ऐसे दो हारिजन (एक के नीचे दूसरा) विकसित हो जाते हैं, उस के बाद ही दो हारिजनों के बीच काटी गई कोयले की सीमों में खनन कार्य किया जाता है। चसनाला में हारिजन नं० 1 का डेटम औसत समुद्रतल के नीचे 100 फुट या सतह से लगभग 565 फुट नीचे निर्धारित की गई थी और हारिजन नं० 2 आर्डिनेंस लेवल से 490 फुट नीचे या सतह से लगभग 955 फुट नीचे निर्धारित किया गया था।

इन दो हारिजनों में विभिन्न पिटों की सतह से गहराई इस प्रकार है :—

पिट नं०	सतह से पहले हारिजन तक गहराई	सतह से दूसरे हारिजन तक गहराई
नं० 1	556 फुट	956 फुट
नं० 2	566 फुट	955 फुट
नं० 3	560 फुट	940 फुट

अब तक पहले हारिजन और दूसरे हारिजन के खदान पिट नं० 1 और 2 में से होकर ही है। इन हारिजनों को भी अभी तक नं० 4 पिट के साथ नहीं मिलाया गया है। नं० 4 पिट से पहले हारिजन में केवल कुछ ही पत्थर के ड्राइवेज किए गए हैं।

इस जांच में हम केवल पिट नं० 1 और पिट नं० 2 से ही संबंधित हैं जो डीप (पश्चिम) माइन के प्रथम और दूसरे हारिजन तक जाते हैं जिनके बीच की खदानें पूर्णतः बाढ़ग्रस्त हो गई थीं। इन दो पिटों के बीच 165 फुट का फासला है। पिट नं० 1 पिट नं० 2 के उत्तर की ओर है।

48. प्रश्नगत खान एक गैसपूर्ण खान है और इसे गैस श्रेणी III (जो गैसयुक्तता की उच्चतम श्रेणी है) में रखा गया है। इस खान का संवातन यंत्र विद्युतपालितचन है जो एक्सियल फ्लो पंखा द्वारा चलता है। यह पंखा जल गेज के लगभग 10 इंच के दबाव पर प्रति मिनट 15000 घन फुट से 20000 घन फुट तक वायु परिचालित करता है। यह पंखा नं० 2 पिट के शीर्ष पर लगा हुआ है जो 'अप कास्ट' शाफ्ट है। (पिट नं० 1 डायन कास्ट सीफ्ट है) यह पंखा खान में से वायु खींचता है और इस तरह डाउन कास्ट शाफ्ट के माध्यम से खान को संवातित करता है। पूर्वोक्त पंखे के अतिरिक्त दो सहायक पंखे हैं जो ब्लाइंड गैलरियों को संचालित करने के लिए दोनों हारिजनों में लगे हुए हैं।

49. खान में 8-8 घंटे की तीन शिफ्टों (पारियों) में काम किया जाता है। पहली पारी सुबह के सात बजे से शाम के 3 बजे तक थी; दूसरी पारी शाम के 3 बजे से रात्रि के 11 बजे तक थी और तीसरी पारी रात्रि के 11 बजे से सुबह के सात बजे तक थी। जिस दुर्घटना की जांच की जा रही है, वह 27-12-1975 की पहली पारी में हुई।

50. चसनाला खान में परत सामान्यतः जलयुक्त है और नं० 1 तथा नं० 2 हारिजनों की भूमि के नीचे की खदानों में पानी जमा होने की स्थिति से निबटने के लिए [तथा रेत-युक्त जल (सैंड स्टोविंग वाटर) को पम्पों द्वारा निकालने के लिए] निम्न प्रकार पम्प लगाए गए थे :—

नं० 1 हारिजन : पांच पम्प जिन की कुल जल-निकास क्षमता 1500 गैलन प्रति मिनट थी।

नं० 2 हारिजन पांच पम्प जिनकी कुल जल निकास क्षमता 2500 गैलन प्रति मिनट थी।

स्थानीय निरीक्षणों के बारे में टिप्पणी:

51. दुर्घटना के स्थान का प्रथम विस्तृत ब्यौरा उस नोट से मिलता है जो 30 जनवरी, 1976 और पहली फरवरी, 1976 को निरीक्षण करने के बाद श्री जी० एस० मरवाह, प्रोसेसर ने रिकार्ड किया था। श्री मरवाह ने प्रथम हारिजन के उस स्थान पर, जहां 27 दिसम्बर 1975 को बाढ़ आई थी, पहुंचने के बाद अपना निम्न लिखित टिप्पणी रिकार्ड की है :

"यह नोट किया गया कि लगभग 15 मीटर 'संवातन क्रास-आउट' के इनबाई एण्ड पर कनेक्शन बनाया गया था जो हैंगवाल ड्राइव से फुटवाल की ओर ड्राइव किया जा रहा था। कनैक्टिंग गैलरी सीम ने ढाल के समानान्तर झुकती हुई दिखाई दी और पंक्चर पॉइंट लगभग 2 मीटर चौड़ा और 3–4 मीटर ऊंचा था। मुझे बताया गया कि 'इसको' के एक सर्वेक्षक ने, जो (उस दिन इस से पूर्व) 'के' लेवल से इस कनेक्शन में गया था, के–लेवल फ्लोर से। हारिजन रूफ तक की दूरी नापी थी और उसे लगभग 49 मीटर पाया। नीचे के चन्द एक फुट के भाग को छोड़ कर, शेष कनेक्शन गैलरी का खंड काफी नियमित रूप का दिखाई देता था। लगभग 80–100 सेंटीमीटर मोटी एक डाइक वेंटिलेशन क्रास-कट में से हैंगवाल के साथ उसके जंक्शन के लगभग 6 मीटर इनबाई जा रही थी, और इस डाइक से कनेक्शन के ऊपर उसकी छत के साथ-साथ 15–20 सेंटीमीटर की मोटाई वाली एक सिल थी।

कनैटिंग गैलरी से लगभग 600–700 गैलन प्रति मिनट पानी बह रहा था। ऊपर के छोर पर हम पूर्वी साइड से हो रहा जल प्रपात देख सके जो (केन्लेवल में खड़े लोगों द्वारा की गई कैप लैम्प की रोशनी में) धुन्धला दिखाई दे रहा था। वेंटिलेशन क्रास-कट के अग्रभाग में अनेक शाट-होल साकेट दिखाई दे रहे थे। पंक्चर-कनेक्शन वेंटिलेशन क्रास-कट के पूर्वी शीर्ष सिरे पर पर बनाया गया था और भारी मात्रा में पानी जो इस पंक्चर से तेजी से नीचे की ओर बह निकला था, उसने ठीक डाइक तक क्रास-कट की पूर्वी साइट को बहा दिया था। द्रुतगति से बहते इस पानी ने न केवल वेंटिलेशन क्रासकट का बल्कि हैंगवाल ड्राइव का तल (फ्लोर) भी काफी दूर तक बहा डाला था। जैसा कि इस से पहले भी वर्णन किया जा चुका है, 25 जनवरी, 1976 के बाद इस तलरदन (स्कूरिंग) को रेत से भर दिया गया था।"

52. पहली फरवरी, 1976 को श्री मरवाह नं० 4 इन्कलाइन के सातत्य में कनैक्टिंग गैलरी पर होते हुए पुरानी खदानों के ठीक जे–लेवल तक गए थे और उन्होंने अपने इस निरीक्षण को इन शब्दों में रिकार्ड किया है :—

"कनैक्टिंग गैलरी और नं० 4 इन्कलाइन से होता हुआ ठीक जे–लेवल तक गया और ऊपर जाते हुए तथा नीचे आते हुए दोनों बार छत और साइडों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थी :—

I. कनैक्टिंग गैलरी की पश्चिम वर्ती साइड में निचले सिरे से केवल लगभग 5–6 मीटर की दूरी पर चिपका हुआ एक इस्पात की ब्रैकेट पायी गयी जिसे भारी जंग लगा हुआ था। यह ब्रैकेट स्पष्टतः तेजी से बहते हुए पानी के कारण नीचे की ओर मुड़ गई थी। इस आशय के चिन्ह मौजूद थे कि $2\frac{1}{2}$—3 मीटर की दूरी पर इसी प्रकार की ब्रैकेट गैलरी के साथ-साथ ऊपर भी लगाई गई थी परन्तु वह ब्रैकेट गायब थी।

II. इस गैलरी की शेष (क्रास सैक्शन) पूर्वोक्त ब्रैकेट की डिप-साइड की ओर लगभग $2\frac{1}{2}$ मीटर की दूरी पर काफी एक-रूप थी। इस से साफ जाहिर था कि मेन नं० 4 इन्कलाइन 'के' लेवल से परे। हारिजन की खदानों की छत से लगभग इस दूरी के भीतर तक फैल गई थी।

III. इससे पहले वर्णित सिल 1 हारिजन की खदानों से लगभग 10–12 मीटर की दूरी तक कनैक्टिंग गैलरी के ठीक नीचे थी। इस के ऊपर गैलरी की छत लगभग एक मीटर की ऊंचाई पर थी। इस स्थान पर उक्त सिल गैलरी साईड के नीचे की ओर थी। इस से कुछ और ऊपर गैलरी का तल अचानक लगभग एक मीटर ऊपर को उठा हुआ था।

IV. इस क्षेत्र के इर्दगिर्द निम्नलिखित चीजें देखी गई :—

(क) दोनों साइडों में साइड 'अन्डर कट', जो (पिक माइनरों द्वारा) नया एल-लेवल चालू करने के लिए बनाए गए होंगे।

(ख) गैलरी की दो साइडों में दो गोल 'डरनी होल', जिसमें स्पष्टतया अपट रहा होगा।

(ग) पश्चिमी साइड में गैलरी से थोड़ा सा ऊपर एक मैन-होल।

(घ) इस क्षेत्र में सिल पर पश्चिमी साइड की ओर समान दूरी पर पंच निशान (जो एक दूसरे से 1.5 मीटर की समान दूरी पर)। शायद वहां लोहे के कुछ ब्रैकेट भी फिट किए गए थे। (तथापि, इसका पक्का पता केवल निकट से वास्तविक जांच के बाद ही लग सकता है जो यह स्थान दुर्गम होने के कारण संभव नहीं था। तथापि, अस्पष्ट रूप से दो ब्रैकेटों को देखा जा सका।

V. के-लेवल से डिप की ओर 3–4 मीटर की दूरी तक गैलरी का तल सामान्य की अपेक्षा अधिक ढालू था तथा उसकी सतह अत्यन्त चिकनी थी। इस लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कनेक्टिंग गैलरी की चोटी से निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को यह स्थान पुरी तरह से ढह चुकी गैलरी के समान दिखाई देता था, विशेषकर ऐसी स्थिति में में जब कि पूर्व से गिरने वाले जल के कारण दृश्य अस्पष्ट था। तथापि वस्तुतः केवल 3–4 मीटर ही नीचे गैलरी की शेष काफी रेगुलर थी।"

श्री मरवाह पर इस दृष्टि मूलक निरीक्षण का जो समग्र प्रभाव पड़ा, वह इस प्रकार है : पुरानी खदान के 'के' लेवल के तल पर नं० 4 इन्कलाइन समाप्त नहीं हुई थी, जैसी कि धारणा बन गई मालूम होती थी, बल्कि वह (बाद की) नई खदानों के प्रथम हारिजन की छत की ओर कोयले की सीम के साथ-साथ नीचे की ओर जा रही थी। जब दुर्घटना के दौरान पुरानी खदानों का इंकलाइन्ड डिप। हारिजन (वेंटीलेशन कनेक्शन नामक गैलरी में, जो तब ड्राइव की जा रही थी) की नई खदानों के साथ जुड़ गया तब उस के बाद के–लेवल के तल से कनेक्शन की लम्बाई लगभग 49 मीटर पाई गई। नं० 4 इन्कलाइन के डाउनवंड कन्टीन्यूशन के क्रास सैक्शन की शेपजंग शुदा ब्रैकेट

नीचे लगभग 2½ मीटर तक काफी रेगुलर थी जिससे यह मालूम होता था कि नं० 4 इन्कलाइन हारिजन। खदान की छत की तरफ छत के ऊपर बहुत कम दूरी तक के-केवल के नीचे आ गई थी।

यहां मैं यह उल्लेख कर देना चाहता हूं कि एक दूसरे, असेसर, श्री सी० करुणाकरण ने डीप माइन साइड से तथा पुरानी खदानों से होकर स्थानीय निरीक्षण किया था और उन्होंने 28 जनवरी, 1976 को जो निरीक्षण पुरानी खदानों के रास्ते किया था, उसके संबंध में उन्होंने अपने नोट में यह लिखा है:--

"पुरानी खदान के प्लान के अनुसार यह खान के-लेवल पर पहुंच कर रुक गई थी, परन्तु के-लेवल पर खड़े होकर दक्षिण की ओर देखने पर यह मालूम हुआ कि इन्कलाइन अपेक्षाकृत अधिक ढोल के साथ नीचे की ओर जा रही थी। इस निचली इन्कलाइन में से कुछ सौ गैलन पानी प्रति मिनट की दर से बह रहा था।"

53. इस जांच में प्रस्तुत साक्ष्य से यथा समय यह मालूम पड़ेगा कि श्री मरवाह और श्री करुणाकरण ने अपने निरीक्षणों के दौरान जो दृष्टि मूलक अवलोकन किए थे, वे घटनास्थल पर विद्यमान वास्तविक तथ्यों का पूर्वदर्शन थे।

दुर्घटना के बारे में प्रथम सूचना

54. किसी ने किसी अवस्था में इस बात का उल्लेख करना आवश्यक हो जाएगा कि 27-12-1975 को दुर्घटना के घटने के तत्काल बाद प्रबन्धकों के कुछ अधिकारियों ने दुर्घटना के बारे में क्या सुना, क्या देखा और क्या अनुमान लगाया। इस समय इस मामले का जिक्र कर देना सुविधाजनक रहेगा। खान के तत्कालीन प्रबन्धक, श्री रामानुज भट्टाचार्य ने अपनी गवाही में कहा है कि वह 27-12-1975 को दोपहर के लगभग डेढ़ बजे दूसरे हारिजन से बाहर आये थे और फिर खान से बाहर निकल कर अपने निवासस्थान चले गए। जैसे ही वह अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सुना कि उनके टेलीफोन की घंटी बज रही है और टेलीफोन पर उन्हें सूचित किया गया कि खान में कोई असाधारण घटना हुई है जिसके परिणामस्वरूप मुख्य पंखा बंद हो गया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने इस मामले की सूचना श्री एस० के० बनर्जी, एजेंट/क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री दीपक सरकार, ग्रुप सुरक्षा अधिकारी और श्री जे० एन० ओहरी, मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) को भेज दी और फिर वह पिट की चोटी की ओर तेजी से चल दिए। श्री भट्टाचार्य अपकास्ट वाइंडर चलवाने में सफल रहे और वह अपकास्ट शाफ्ट से नीचे गए। उन्होंने शाफ्ट के तल से लगभग 200 फुट की गहराई पर पानी की सतह देखी और वह तुरन्त बाहर आ गए और उन्होंने इस तथ्य की सूचना श्री जे० एन० ओहरी तथा अन्य अधिकारियों को दी जो उस समय पिट की चोटी पर आए हुए थे। (दूसरा हारिजन तल से लगभग 955 फुट नीचे था। और इस प्रकार पानी दूसरे हारिजन से लगभग 755 फुट की ऊंचाई पर आ गया था इस प्रकार दूसरा हारिजन पहला हरिजन और उनके बीच के सभी कनेक्शन पानी से पूर्णतः भर गए थे।

55. श्री जे० एन० ओहरी के अनुसार 1975 को दोपहर के लगभग 1.50 बजे श्री एस० के० बनर्जी तेजी से उनके यहां आए और उन्हें सूचित किया कि बताया गया है कि पश्चिमी खान में भारी धमाका हुआ है तथा कुछ धूल और वायु बाहर आ गई है और यह कि यह सूचना मिली है कि संभाव्यतः कोई भूमिगत विस्फोट हुआ है। इस लिए श्री बनर्जी और श्री ओहरी तेजी से पिट की चोटी पर गए और सब से पहली बात जो उन्हें बताई गई, वह यह थी कि मुख्य पंखा बंद हो गया है और उसे पुनः चालू करना संभव नहीं है। लगभग इसी समय श्रीरामानुज भट्टाचार्य शाफ्ट से बाहर आए थे और यह सूचना दी थी कि उन्होंने शाफ्ट में तल से 200 से 250 फुट की गहराई पर पानी की सतह देखी है। डाउन कास्ट शाफ्ट को चालू करने का प्रयास किया गया परन्तु उसे चालू न किया जा सका। श्री जे० एन० ओहरी के कथनानुसार परिस्थितियां अत्यन्त चकरा देने वाली दिखाई दे रही थी और दुर्घटना के संबंध में कोई स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अभी अभी सूचना आई है कि जब शाफ्ट से आवाज सुनी गई थी तब सी-लेवल तक 3/4 इन्कलाइन खदानों में लगाए गए 3 निर्मज्जनीय बोर होल पम्पों ने, जल के अचानक लुप्त हो जाने के कारण, काम करना बंद कर दिया। इन पम्पों को पुनः चालू करने के सभी प्रयास विफल रहे। इस सूचना के साथ-साथ ही यह सूचना भी मिली कि जब पिट से आवाज सुनाई दी थी तब लगभग उसी समय एक भारी भूखंड के धसने की घटना हुई थी। भूमि धसने की यह घटना 3/4 इन्कलाइन खदानों के निकटवर्ती क्षेत्र में हुई थी। इससे यह संदेह पैदा हुआ कि नं० 3/4 इन्कलाइन की पुरानी खदानों और नई खान के दरमियान कोई दरार पैदा हो गई होगी। श्री ओहरी के अनुसार, एच० के० इन्कलाइन के क्षेत्र से होकर भूमि के नीचे की पुरानी खदानों के निरीक्षण के बाद इस बात की पुष्टि हो गई। क्योंकि यह पाया गया कि एच० के० इन्कलाइन क्षेत्र में पानी का स्तर, जो बी-लेवल से कुछ ऊपर था, अचानक कम होकर डी-लेवल तक जा पहुंचा जिससे 3 करोड़ से 3.5 करोड़ गैलन पानी कम हो गया। (एच० के० इन्कलाइन क्षेत्र नई डीप माइन से और पूर्व की ओर है जहां बाढ़ आई थी और यह स्थान पुरानी 3/4 इन्कलाइन खदान से मिला हुआ है)। श्री ओहरी के अनुसार, एच० के० इन्कलाइन क्षेत्र में पानी कम पाये जाने से यह संदेह पैदा हो गया कि उसके ऊपर नई खान और पुरानी खदानों के बीच के 80 मीटर के बैरियर पर कोई गम्भीर घटना घट गई है।

56. यहां यह बात उल्लेखनीय है कि यह शक कि हारिजन नं० 1 और 3/4 इन्कलाइन की पुरानी खदानों के बीच के बैरियर का एक भाग किसी तरह टूट गया है, ठीक नहीं था, जैसा कि बाद में पता लगा। बाद में, जिस बात का पता लगा, वह यह थी कि नं० 4 इन्कलाइन लगभग 49 मीटर की इन्कलाइन्ड दूरी तक के लेवल की खदानों के नीचे चली गई थी, जैसा कि श्री जी० एस० मरवाह ने अपनी निरीक्षण टिप्पणी में रिकार्ड किया था और हारिजन नं० 1 में वेंटीलेशन कनेक्शन नामक गैलरी और नं० 4 इन्कलाइन की इस एक्सटेंशन के बीच एक कनेक्शन बन गया था, जिसके परिणामस्वरूप जमा पानी डीप खान में चला गया और वहां बाढ़ आ गई। श्री जे० एन० ओहरी ने न्यायालय में इस बात को इस तरह पेश किया है:--

"इस बात का पता हमें 27-12-1975 को हुई दुर्घटना के घटने और खान में से पानी निकाले जाने के बाद ही लगा कि नं० 4 इन्कलाइन पुराने प्लान (प्रदर्श डी/4) में दिखाई दूरी से 125 फुट की अतिरिक्त दूरी तक बढ़ गई थी......."

(प्रदर्श डी 4 द्वारा यह प्रदर्शित किया गया था कि यह एक्सटेंशन सीम के साथ-साथ केवल (लगभग) 40 फुट की इन्कलाइण्ड दूरी तक के लेवल के नीचे गई थी।)

खदानों का विवरण

57. ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों का, जो कि रिकार्ड पर आ चुकी है, विवेचन करने से पूर्व मैं यहां कुछ डायग्राम देना चाहता हूं ताकि इस बात को आसानी से समझा जा सके कि 27-12-1975 को क्या हुआ था। ये डायग्राम किसी पैमाने के अनुसार नहीं बनाई गई हैं, तथापि इनसे आगे वर्णित तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे।

डायग्राम नं० 1

खदानों का पार्श्विक प्रक्षेप

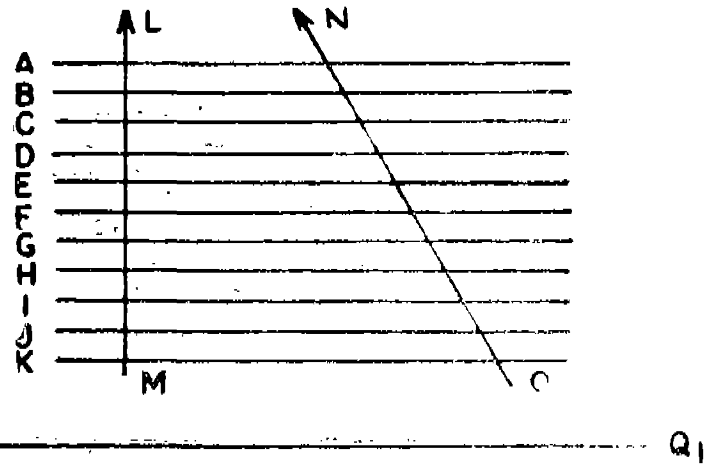

ए से के रेखाएं उन लेवलों की सूचक हैं जिनके साथ-साथ संयुक्त 13/114 सीम में पुरानी 3/4 इन्कलाइन खदान में खनन कार्य किया गया था। जैसा कि इस से पहले वर्णन किया गया है, इस सीम का ग्रेडियेंट लगभग 1.5 में 1 है। एल एम और एन ओ रेखाएं क्रमशः इन्कलाइन 3 और 4 की सूचक हैं। इन्कलाइन नं० 3 कुछ हद तक सीम के वास्तिक डिप के साथ-साथ नीचे गई है, जबकि इन्कलाइन नं० 4 सीम के आभासी डिप के साथ-साथ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन्कलाइन नं० 3 के लेवल से कुछ ही नीचे गई है। यह इन्कलाइन्ड दूरी लगभग 20 फुट बताई जाती है। इन्कलाइन नं० 4 संबन्धी रेखा यह दर्शाती है कि यह इन्कलाइन के लेवल के नीचे इन्कलाइन नं० 3 की अपेक्षा अधिक नीचे चली गई थी और के लेवल के नीचे इन्कलाइण्ड दूरी 40 फुट के लगभग बताई जाती है। रेखा क्यू क्यू 1, हारिजन नं० 1 की सूचक है। पुरानी खदान लगभग के–लेवल से सी–लेवल तक पानी से भरी हुई थी और बताया जाता है कि प्रश्नगत दुर्घटना से पहले इस पुरानी खदान में 1.1 करोड़ गैलन पानी अवश्य रहा होगा और पक्षकार नं० 1 के लिखित बयान के अनुसार के–लेवल के ऊपर 118 मीटर हैड पानी था। बताया जाता है कि इस जमा पानी में से लगभग 3 से 3.5 करोड़ गैलन पानी नं० 4 इन्कलाइन के किसी अज्ञात प्रसरकोण के जरिए डीप माइन में चला गया था (डायग्राम नं० 2 देखिए) हारिजन 1 और हारिजन 2 में पूर्णतः बाढ़ आ गई और पानी चढ़ कर इन दो पिटों में चला गया ताकि यह अपने स्तर पर आ सके और स्थिर हो सके। बताया जाता है कि 27-12-1975 को दुर्घटना के बाद इस प्रक्रिया में पुरानी खदान में पानी का स्तर कम होकर ई–लेवल तक गिर गया। यह उल्लेखनीय है कि पुरानी खदान में जमा सारे का सारा पानी बाद में इसी तरह नीचे चला गया, क्योंकि डीपमाइन में से पानी को पम्प करके पिट-शाफ्टों के रास्ते से बाहर निकाला जा रहा था। इस प्रकार सारे का सारा पानी निकाल दिया गया ताकि डीप माइन उस पानी से मुक्त हो जाए जिसने उसमें बाढ़ ला दी थी।

डायग्राम नं० 2

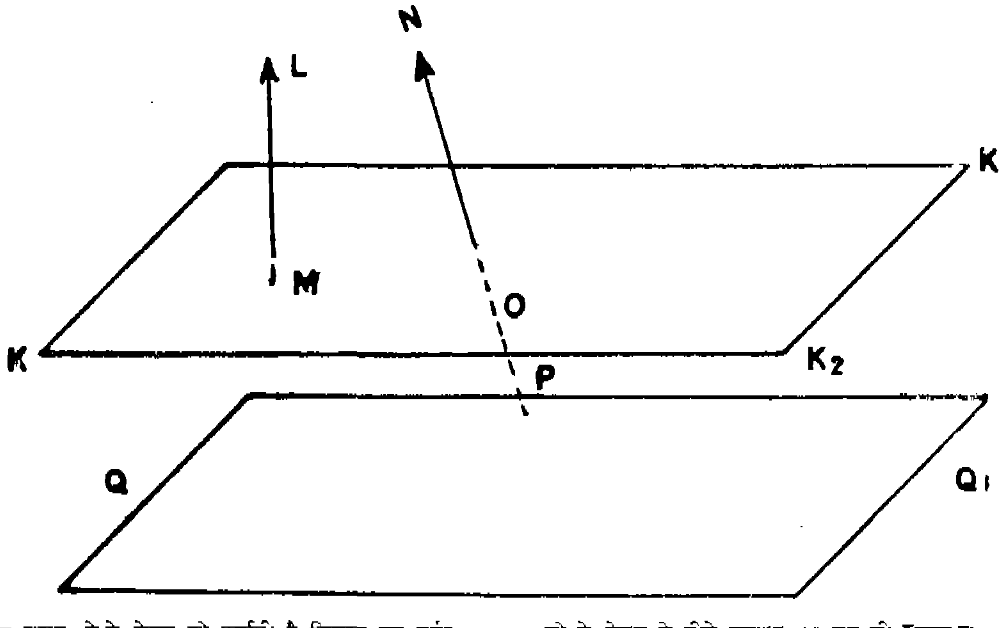

के–के रेखा उस स्थान के के–लेवल को दर्शाती है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं। के–1 के–2 कोयले की सीम की चौड़ाई दर्शाती है। एल एम इन्कलाइन नं० 3 को और इस अवस्था में एन पी इन्कलाइन नं 4 को दर्शाती है। यह उल्लेखनीय है कि इन्कलाइन नं. 4 का भाग एन ओ के–लेवल के नीचे लगभग 40 फुट की इन्कलाइण्ड दूरी तक चला गया था। अब ओ पी रेखा वह जगह दर्शाती है जिसके बारे में बताया जाता है कि वह के–लेवल के नीचे नं० 4 इन्कलाइन की अज्ञात एक्सटेंशन थी। इस अतिरिक्त लम्बाई को श्री जे०एन० ओहरी ने न्यायालय में लगभग

125 फुट बताया है । क्यू क्यू 1 लेवल खदानों के नीचे हारिजन नं० 1 दर्शाती है ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अब तो यह अंदाजे से ही निर्धारित किया जा सकता है कि हारिजन नं० 1 की छत से एक्सटेंशन सहित नं० 4 इन्कलाइन के सिरे की वास्तविक ऊंचाई कितनी थी, क्योंकि पानी के हैड ने इस इन्कलाइन के निचले सिरे के निचले भाग से कोयले का कुछ खण्ड उखाड़ दिया था और उसे बहा कर वैंटीलेशन कनैक्शन नामक गैलरी के रास्ते नई खदानों में ले गया था (डायग्राम–6 देखिए)। एक मोटे अनुमान के अनुसार दुर्घटना से पूर्व नं० 1 की छत और इन्कलाइन नं० 4 के सिरे के बीच इन्कलाइण्ड दूरी 4 मीटर से अधिक नहीं हो सकती थी। पार्टिंग की लम्बात्मक मोटाई लगभग 2 मीटर बताई जाती है ।

डायग्राम नं० 3

[यह डायग्राम प्रदर्श डो/5-अनुबन्ध ङ (प्रकाशित नहीं किया) के अनुरूप है]

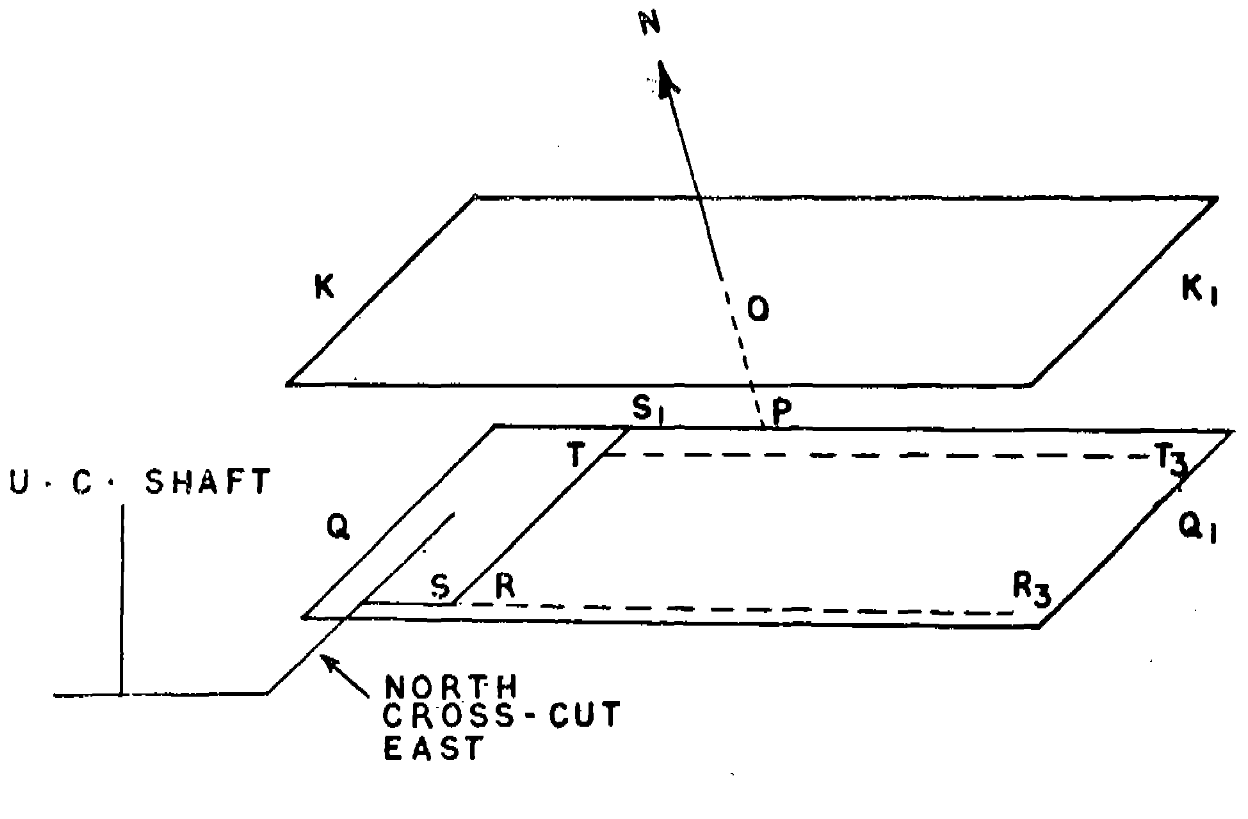

अब मैं इस डायग्राम में इन्कलाइन नं० 3 को छोड़ रहा हूं। प्रबन्धकों द्वारा वर्ष 1971 में हारिजन नं० 1 में (ब्यौरा बाद में दिया जाएगा) कोयले में ड्राइव करने तथा इस डायग्राम में आर आर 3 के रूप में दिखाई गैलरी तैयार करने की अनुमति प्राप्त की गई थी। इसके बाद इसे हैंगवाल ड्राइवेज या हैंगवाल गैलरी के नाम से वर्णित किया गया है । यह हैंगवाल ड्राइवेज कोयले में ईस्ट चिमनी ऐप्रोच (जिसे एस एस 1 रेखा द्वारा दर्शाया गया है) के पूर्व से शुरू हुई थी। स्वयं ईस्ट चिमनी ऐप्रोच हैंगवाल ड्राइव के रास्ते पत्थर में नार्थ क्रासकट ईस्ट ड्राइवेज के साथ जो अपकास्ट शाफ्ट के साथ मिला हुआ है, जुड़ी हुई है। यद्यपि एक लम्बी हैंगवाल ड्राइवेज के लिए अनुमति दी गई थी, तथापि 1973 तक इसे ईस्ट चिमनी ऐप्रोच कास्ट की ओर लगभग 200 फुट की दूरी तक ड्राइव किया गया था। 1971 में प्रबन्धकों ने संयुक्त सीम की फुटवाल के साथ-साथ एक फुटवाल ड्राइवेज करने का प्रस्ताव किया था, जिसे डायग्राम में टी टी 3 रेखा द्वारा दिखाया गया है, परन्तु उसी वर्ष यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया था ।

डायग्राम नं० 4

[यह डायग्राम प्रदर्श डी/1—अनुबन्ध ज (प्रकाशित नहीं किया) के अनुरूप है]

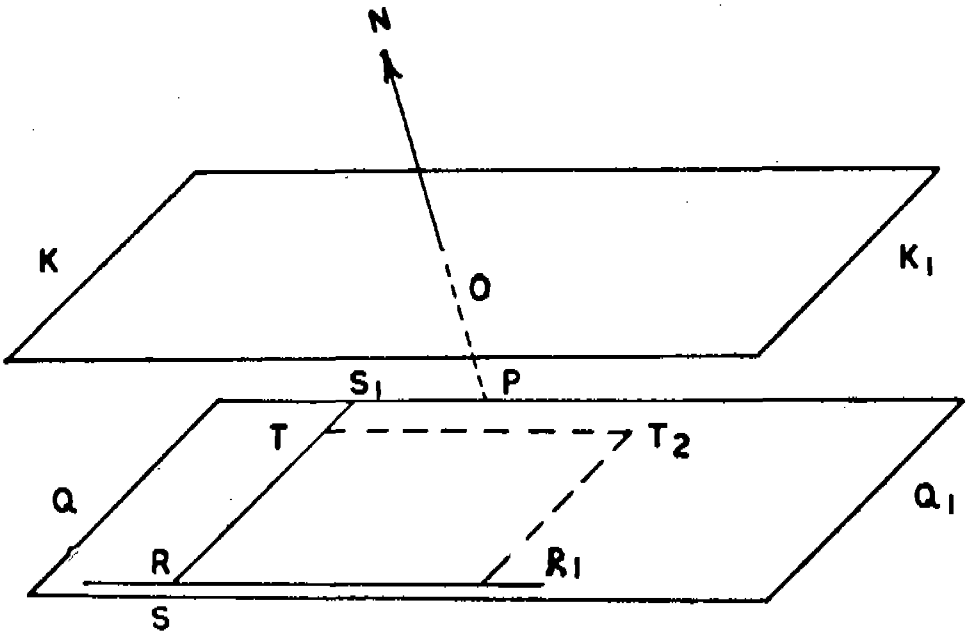

रेखा आर आर 1, 1973 तक की गई हैंगवाल ड्राइवेज की 200 फुट की दूरी दर्शाती है। 1975 में, हैंगवाल ड्राइवेज के साथ एक फुटवाल ड्राइवेज या गैलरी द्वारा, जिसे ईस्ट चिमनी ऐप्रोच से ड्राइव किया गया था तथा जिसे रेखा टी टी 2 द्वारा दर्शाया गया है, एक कनैक्शन बनाने के लिए अनुमति मांगी गई तथा प्राप्त की गई। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सीम की फुटवाल के साथ-साथ इस फुटवाल की लम्बाई भी लगभग 200 फुट होगी और इस दूर पर इस फुटवाल ड्राइवेज को संयुक्त सीम की चौड़ाई में से होकर गुजरने के बाद हैंगवाल ड्राइवेज के साथ मिलने के लिए दक्षिण की ओर 90 डिग्री कोण का मोड़ लेना था। पक्षकार नं० 1 के कथनानुसार यह फुटवाल ड्राइवेज अक्तूबर, 1975 में शुरू हुई थी। जब यह ड्राइवेज ईस्ट चिमनी एप्रोच से पूर्व की ओर 90 फुट की दूरी तक की जा चुकी थी, तब आगे काम बंद कर दिया गया और हैंगवाल गैलरी साइड से एक नया वैंटीलेशन कनैक्शन बनाया गया और जैसा कि अगली डायग्राम में स्पष्ट किया गया है, यह लगभग 67–70 फुट (यानी लगभग 20–21 मीटर) लम्बा बनाया गया था। इसी बीच हैंगवाल गेलरी आर आर 1 भी पूर्व की ओर और आगे ड्राइव की जाती रही।

डायग्राम नं० 5

[यह डायग्राम प्रदर्श डी/10–अनुबन्ध 1 (प्रकाशित नहीं किया) के अनुरूप है]।

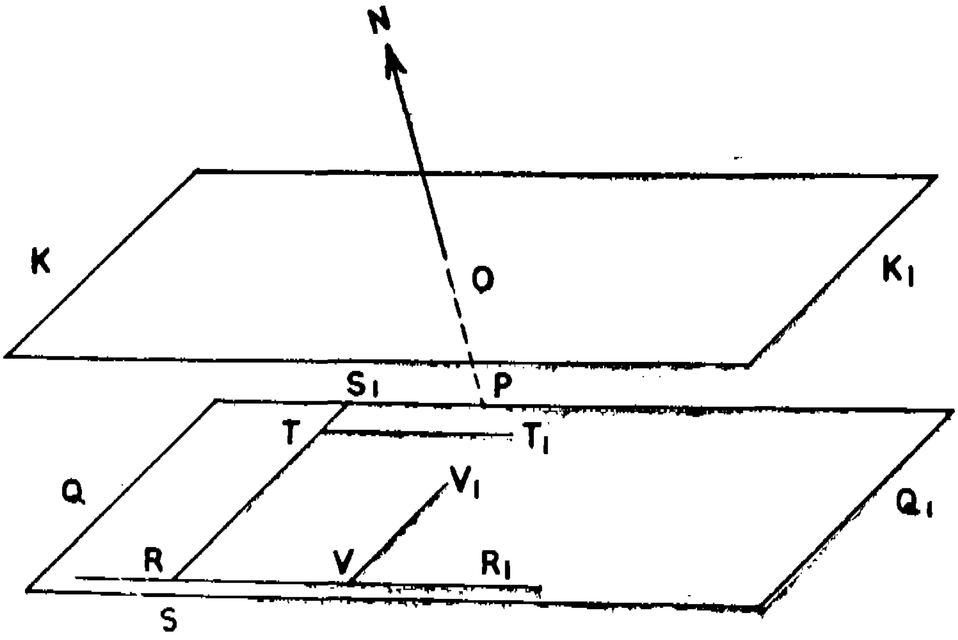

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है जब फुटवाल ड्राइवेज पोजीशन टी टी 1 को श्रोर केवल (लगभग) 90 फुट तक ही पहुंच पाई थी, तो नवम्बर, 1975 के प्रथम सप्ताह के आस-पास आगे काम बंद कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि काम बंद किए जाने से पूर्व यह फुटवाल ड्राइवेज तब तक नं० 4 इन्कलाइन की एक्सटेंशन के अन्तिम छोर के नीचे जा पहुंची थी, यद्यपि दुर्घटना से पूर्व यह बात मालूम नहीं थी। अब यह बताया जाता है कि उस स्थान पर फुटवाल ड्राइवेज की छत और नं. 4 इन्कलाइन के तल के बीच का अन्तर केवल 1.5 से 1.8 मीटर था। उसके बाद, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हैंगवाल ड्राइवेज से उत्तर की ओर एक गैलरी शुरू की गई थी जिसे डायग्राम में बी बी 1 द्वारा दर्शाया गया है। जब वैंटिलेशन कनेक्शन नामक इस गैलरी में लगभग 20 मीटर की दूरी तक काम हो चुका था, तब प्रश्नगत दुर्घटना घटित हुई। उस स्थिति में, वैंटिलेशन कनेक्शन का फ़ेस उस समय विद्यमान नं० 4 इन्कलाइन के छोर के सामने नीचे की ओर पहुंच गया था और वैंटिलेशन कनेक्शन की छत और नं० 4 इन्कलाइन के तल के बीच के कोयले को उखाड़ दिया गया था, जिससे नं० 4 इन्कलाइन और वैंटिलेशन के बीच एक कनेक्शन बन गया, जिसके रास्ते से 3/4 इन्कलाइन की पुरानी खदानों का पानी तेजी से डोप माइन में घुस गया और उसमें बाढ़ ला दी। यह वैंटिलेशन कनेक्शन ईस्ट चिमनी ऐप्रोच से लगभग 90 फुट की दूरी पर हैंगवाल साइड से बनाया गया था।

अंतिम डायग्राम (डायग्राम नं० 6) में इस मामले की ओर अधिक स्पष्ट किया गया है।

डायग्राम नं० 6

[यह डायग्राम प्रदर्श डी/10 के सैक्शन अनुबन्ध-ख (प्राकाशित नहीं किया) के अनुरूप है]

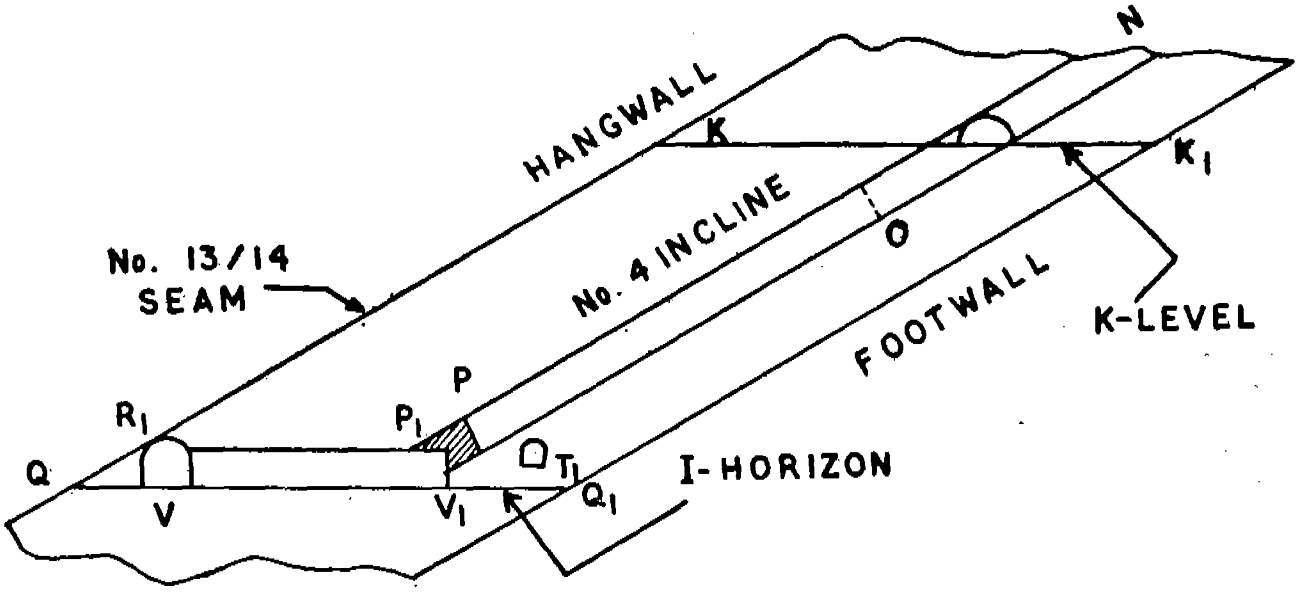

यह डायग्राम में (पूर्व से दिखाई देने वाले एक क्रास सैक्शन में) नं० 4 इन्कलाइन का सैक्शन दिखाया गया है जो के–लेवल के नीचे 'पी' पाइंट तक जाता है, जैसा दुर्घटना से पूर्व था और जिसके कारण दुर्घटना हुई। एन०पी० इन्कलाइन नं० 4, के के 1 पुरानी खदानों का के-लेवल और क्यू क्यू 1 नई खदानों (गहरी खान) का हारिजन नं० 1 दर्शाते हैं। आर 1 हैंगवाल गैलरी का सैक्शन दर्शाता है और वी वी 1 वेंटिलेशन कनैक्शन दर्शाता है, जो हैंगवाल के साथ समकोण बनाते हुये ड्राइव किया गया है। पी पी 1 कोयले के उस खण्ड को दर्शाता है जो पुरानी नं० 4 इन्कलाइन के तल से निकाला गया था और इस प्रकार पुरानी नं० 4 इन्कलाइन के तल और वेंटिलेशन कनैक्शन के बीच एक कनैक्शन बन गया। यह बात ध्यान न देने योग्य है कि इस पोजीशन में फुटवाल ड्राइवेज का छोर टी 1 (डायग्राम V) नं० 4 इन्कलाइन की पुरानी एक्सटेंशन के नीचे चला गया था। उस स्थान का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए खान सुरक्षा विभाग (पक्षकार नं० 8) द्वारा तैयार किया गया एक आफ-सेट प्लान रिकार्ड पर लाया गया है और उसे प्रदर्श डी/10 के रूप में मार्क किया गया है। इस प्लान (तथा सैक्शन) में समस्त ब्यौरा स्केल के अनुसार दिया गया है और स्वतः स्पष्ट है। प्लान (प्रदर्श डी/10) में यह बात भी स्पष्ट रूप से दिखाई गयी है जिसे मैंने नं० 4 इन्कलाइन की एक्सटेंशन के नीचे जाने वाली फुटवाल गैलरी के बारे में डायग्राम V और VI द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की है।

(प्रदर्श डी/10 के आधार पर दो भिन्न पैमानों के अनुसार दो अनुबन्ध दिए गए हैं—ये अनुबन्ध क और ख हैं)

हारिजन नं० 1 के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के विकास का संक्षिप्त विवरण

58. हारिजन नं० 1 के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के विकास संबन्धी विवरण से जिसका वर्णन हम यहां करने लगे हैं, हमें अन्य सभी पाइंटों का पता लग जाएगा जो इस जांच के दौरान उठे हैं। इस विवरण को समझने के लिए विस्तृत ब्यौरा देने से पूर्व इस समय इस विवरण का सार दिया जाता है।

(क) 1971 में प्रबन्धकों ने 13/14 संयुक्त सीमों में, जल से भरी ऊपर की पुरानी खदानों से 60 मीटर के भीतर हारिजन नं० 1 में कतिपय गैलरियां बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए विनियम 127 के अन्तर्गत आवेदन किया था।

(ख) इस प्रस्ताव में अन्य गैलरियों के साथ साथ उत्तर की ओर नार्थ क्रासकट (ईस्ट) की एक एक्सटेंशन और इस विस्तारित नार्थ क्रासकट (ईस्ट) से पूर्व की ओर कोयले में दो सामान्तर गैलरियां भी शामिल थीं। उनमें से एक संयुक्त सीम की फुटवाल के साथ साथ और दूसरी सीम की हैंगवाल के साथ साथ थी। इन दोनों को पूर्व की ओर जाना था। इस प्रस्ताव में इन दो ड्राइवेजों (गैलरियों) के बीच अनेक कनैक्शन भी शामिल किए गए थे।

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा इस मामले पर पूर्णतः विचार किए जाने के बाद तीन चिमनी एप्रोचों के साथ हैंगवाल ड्राइवेज की अनुमति दे दी गई और फुटवाल ड्राइवेज तथा कनैक्शनों संबन्धी प्रस्ताव प्रबन्धकों द्वारा वापस ले लिया गया। (प्लान प्रदर्श डी/3 सम्बद्ध प्लान है)

(घ) बाद में हैंगवाल ड्राइवेज ड्राइव की गई थी और जब वह चिमनी एप्रोच से लगभग 200 फुट की दूरी तक पहुंची थी तब 1973-74 में आगे काम बन्द कर दिया गया।

(ङ) 1975 में प्रबन्धकों ने एक नया प्रस्ताव किया जो संयुक्त 13/14 सीमों की फुटवाल के साथ ड्राइवेज के लिए था ताकि उसे हैंगवाल ड्राइवेज के साथ मिलाया जा सके।

(च) इस फुटवाल ड्राइवेज की लम्बाई फुटवाल के साथ-साथ पूर्व की ओर लगभग 200 फुट होनी और तब इसे वर्तमान हैंगवाल गैलरी से मिलने के लिए दक्षिण की ओर मुड़ना था। (प्लान प्रदर्श डी/1 संगत प्लान है)

(छ) खान सुरक्षा महानिदेशालय ने इस प्रस्ताव और इस प्लान के संबन्ध में उसी वर्ष स्वीकृति दे दी।

(ज) जब फुटवाल ड्राइवेज ईस्ट चिमनी ऐप्रोच के पूर्व की ओर लगभग 90 फुट तक जा पहुंची थी तब बताया जाता है कि प्रबन्ध को पेश आई कतिपय कठिनाइयों के कारण आगे काम बन्द कर दिया गया।

(झ) फुटवाल ड्राइवेज में पेश आई उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए ईस्ट चिमनी ऐप्रोच से केवल 90 से 100 फुट की दूरी पर हैंगवाल गैलरी से एक कनैक्शन शुरू किया गया ताकि हैंगवाल और फुटवाल गैलरियों को मिलाया जा सके।

(ञ) जब यह नई और पहले की बिना योजना के की गई वेंटिलेशन कनैक्शन नामक ड्राइवेज उत्तर की ओर लगभग 70 फुट की दूरी तक जा पहुंची, तब पुरानी खदानों से विस्तारित इन्कलाइन नं० 4 के माध्यम से वेंटिलेशन कनैक्शन में तेजी से पानी घुस आने के कारण 27-12-1975 को दुर्घटना हो गई, क्योंकि इन दोनों के बीच की पार्टिंग टूट गई थी।

हारिजन नं० 1 के पूर्वी क्षेत्र के विकास सम्बन्धी विवरण

59. अब इस विकास का विवरण (जहां तक उससे हमारा संबन्ध है) विस्तार से दिया जा सकता है और ऐसा करने के लिए हमें उस पत्र व्यवहार का जिक्र करना होगा जो चसनाला कोयला खान के अधिकारियों और खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों के बीच हुआ। इस रिपोर्ट में हर स्थान पर मैंने इन दो पक्षकारों को क्रमशः प्रबन्धक और खान सुरक्षा विभाग कहूंगा।

7 जनवरी, 1971 को प्रबन्धकों ने खान सुरक्षा विभाग को कोयला खान विनियम 1957 के विनियम 127(3) के अधीन एक आवेदन पत्र दिया जिसमें उन्होंने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट (पूर्वी क्षेत्र) में कुछ ड्राइवेज सहित हारिजन नं० 1 में कतिपय ड्राइवेज करने के लिए अनुमति मांगी थी :

विनियम 127(3) की अपेक्षाएं क्या क्या हैं, यह समझने के लिए सारे का सारा विनियम 127 नीचे उद्धृत किया गया है:—

"127 **भूमि के नीचे बाढ़ से खतरा** :—

1. प्रत्येक खान में उसी खान की खदानों से या निकटवर्ती खान की खदानों से पानी या अन्य तरल पदार्थ के गिराव को रोकने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी।

2. ऐसे मामलों में जिनमें:—

(1) किसी अन्य सीम या किसी अन्य सैक्शन के नीचे की किसी सीम या सैक्शन में ; या

(2) किसी सीम या सैक्शन में किसी स्थान पर जो किसी निचली सीम या सैक्शन की अपेक्षा निचले लेवल (स्तर) पर हो ; या

(3) किसी सीम में ऐसे स्थान पर, जो किसी ऊपर वाली सीम या सैक्शन से होकर गुजरने वाली ऐसी दरार के निकट पहुंच रहा हो, जिसमें पानी या अन्य तरल पदार्थ जमा हो रहा हो,

काम किया जा रहा हो, इस बात के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी कि खदानों में पानी या अन्य तरल पदार्थ का प्रवेश न हो।

3. ऐसी किसी भी खदान का, जो किसी ऐसी अप्रयुक्त या परित्यक्त खदान (ऐसी खदानों से भिन्न जिनका निरीक्षण किया जा चुका हो और जिन्हें पानी या अन्य तरल पदार्थों से रहित पाया गया हो भले ही वह उसी खान में हो या किसी निकटवर्ती खान में), से 60 मीटर की दूरी के अन्दर पहुंच चुका था, मुख्य निरीक्षक की लिखित पूर्वानुमति बगैर आगे विस्तार नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में मुख्य निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट की गई शर्तों का पालन किया जाएगा।

परन्तु यदि किसी ऐसी खदान में जो ऐसी किसी अप्रयुक्त या परित्यक्त खदान से 60 मीटर की दूरी के अन्दर न हो पानी का भारी रिसन देखा जाए, तो उस सीम के संबन्ध में एक असाधारण घटना हो तो इस प्रकार की खादान में तुरन्त काम बंद कर दिया जाएगा और इस घटना की सूचना मुख्य निरीक्षक तथा क्षेत्रीय निरीक्षक को फौरन दी जाएगी। मुख्य निरीक्षक की लिखित पूर्वानुमति तथा उनके द्वारा उस अनुमति के साथ जोड़ी गई शर्तों का पालन किए बगैर खदान का और विस्तार नहीं किया जाएगा।

व्याख्या—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए उक्त खदानों के बीच की दूरी से अभिप्रेत वह न्यूनतम दूरी होगी जो यथास्थिति उसी सीम की खदानों के बीच या किन्हीं दो सीमों या सैक्शनों के बीच हो। यह दूरी क्षैतिज, लम्बात्मक या आनत, किसी भी दिशा में नापी जा सकती है।

4. उपविनियम (3) के अधीन अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्लान तथा सैक्शन की दो प्रतियां संलग्न की जाएंगी जिनमें ऐसी अप्रयुक्त तथा परित्यक्त खदानों की रूपरेखा दी गई हो, जो उन खदानों की स्थिति बताती हो जो उक्त खदानों के निकट पहुंच रही हों। आवेदन पत्र में उक्त खदानों के संबन्ध में अन्य उपलब्ध सूचना भी दी जाएगी।

5. इस प्रकार की किसी खदान की चौड़ाई या ऊंचाई 2.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और वकिंग फेस के कन्द्र के निकट कम से कम और एक होल रखा जाएगा और उसकी प्रत्येक साइड में पर्याप्त फ्लैंकहोल रखे जाएंगे और आवश्यकतानुसार खदानों के ऊपर तथा उनके नीचे ज्यादा से ज्यादा पांच पांच मीटर की दूरी पर बोरहोल रखे जाएंगे। इस प्रकार के सभी बोर होल अग्रिम रूप में खदान से पर्याप्त दूरी पर बनाए जाएंगे तथा उनका लगातार अनुरक्षण किया जाएगा और इस प्रकार की दूरी किसी भी सूरत में तीन मीटर से कम नहीं होगी। ये पूर्वोपाय इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत योग्य व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किए जाएंगे।

6. उप-नियम (5) में निर्धारित किए गए पूर्वोपाय ऐसी किसी अन्य खदान में भी किए जाएंगे जहां भारी मात्रा में पानी का रिसना देखा गया हो, चाहे वह अप्रयुक्त या परित्यक्त खदान के पास पहुंच रही हो या न पहुंच रही हो।"

1971 में दायर किया गया आवेदन पत्र

60. यहां प्रबन्धकों द्वारा दायर किया गया आवेदन पत्र (प्रदर्श 15/4) भी पूरे का पूरा उद्धृत किया जाता है।

"खान सुरक्षा महानिदेशक,
धनबाद।

7 जनवरी, 1971

प्रिय महोदय,

कोयला खान विनियम, 1957 का विनियम 127(3) चसनाला कोयला खान के हारिजन नं० 1 में पत्थर तथा कोयले में ड्राइवेज।

* * *

मैं इस आवेदन पत्र के साथ चसनाला कोलियरी, पश्चिमी खान के हारिजन नं० 1 के आंशिक प्लान की दो प्रतियां संलग्न कर रहा हूं। जो गैलरियां बनायी जानी हैं तथा जो 13/14 सीम की जल से भरी खदानों से 60 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हैं, वे पत्थर में गैलरियों की सूरत में लाल रंग से तथा कोयले में गैलरियों की सूरत में हरे रंग से दर्शाई गई हैं। प्रथम हारिजन और जल से भरी खदानों के बीच 80 फुट का एक लम्बात्मक बैरियर छोड़ा गया है। आवश्यक सूचना प्लान में दी गई हैं।

यदि आप इन गैलरियों की अनुमति प्रदान करें तो मैं आपका आभारी हूंगा। ड्राइवेज के दौरान विनियम 127(5) के अधीन यथा निर्धारित आवश्यक पूर्वोपाय किए जाएंगे।

भवदीय,

के० आर० डडवाल

7-1-71

उप मुख्य खनन इंजीनियर (श्री) तथा एजेन्ट

जीतपुर—चसनाला कोयला खानें।"

इस आवेदन पत्र में उल्लिखित प्लान की दो प्रतियां प्रदर्श डी/7 और प्रदर्श डी/7(1) के रूप में रिकार्ड में रखी गई हैं। जैसा कि उनसे पता चलेगा, सभी प्रस्तावित ऐक्सटेंशनें विस्तार से दी गई थीं। इस प्लान में दर्शाई गई फुटवाल ड्राईवेज और हैंगवाल ड्राइवेज के साथ कनेक्शन बाद में वापस ले लिए गए थे।

इस आवेदन के संबंध में कुछ पत्र-व्यवहार भी हुआ जो प्रदर्शों के रूप में रिकार्ड पर रखा गया है। बर्नपुर में स्थित कम्पनी के मुख्य खनन इंजीनियर के नाम इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के उपमुख्य खनन इंजीनियर (डी), श्री डडवाल के दिनांक 25 जून, 1971 के पत्र से लगता है कि खान सुरक्षा विभाग के कार्यालय में मंजूरी प्रदान करने के संबंध में कोई आपत्ति उठाई गई थी क्योंकि पुरानी खदानों और प्रस्तावित ड्राइवेजों के बीच 80 फुट के लम्बात्मक बैरियर (रोध) को पर्याप्त नहीं समझा गया था। प्रदर्श ए में उल्लिखित था कि यद्यपि खान सुरक्षा विभाग उत्तर क्रासकट ईस्ट की ड्राइवेज के लिए अनुमति दे रहा है, कोयले में अन्य ड्राइवेजों के लिए और विचार-विमर्श आवश्यक होगा। उसी दिन, अर्थात् 25 जून, 1971 को प्रबन्धकों ने अपने मूल आवेदन के क्रम में खान सुरक्षा विभाग को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उस विचार विमर्श का उल्लेख था जो खान सुरक्षा विभाग के कार्यालय में 24 जून, 1971 को हुआ था। इस पत्र में उल्लिखित प्लान को प्रदर्श डी/5 के रूप में रिकार्ड पर लाया गया है। इस प्लान में भी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट (पूर्वी क्षेत्र) की दो ड्राइवेजों को हैंगवाल और फुटवाल ड्राइवेजों के रूप में दर्शाया गया है। लगता है कि यह पत्र और संलग्न प्लान (प्रदर्श डी/5) हारिजन नं० 1 में प्रस्तावित नई ड्राइवेजों के संबंध में के-लेवल की पुरानी खदानों की स्थिति दर्शाने के प्रयोजन से भेजे गए थे। उसके बाद, प्रबन्धकों ने 21/28 जुलाई, 1971 को खान सुरक्षा विभाग को एक और पत्र लिखा। (प्रदर्श 15/6) इस पत्र के साथ एक संशोधित प्लान भेजा गया था, जिसे प्रदर्श डी/3 के रूप में अंकित किया गया है। इन्कलाइन हालेज मार्गों के सेक्शन 3 और 4 दर्शाने वाले एक अलग प्लान में उक्त पत्र के साथ भेजा गया जिसे प्रदर्श डी/4 अंकित किया गया है। जनवरी, 1971 के मूल प्रस्ताव में क्या-क्या परिवर्तन किए गए, यह दर्शाने के लिए अब उक्त पत्र का संबंधित भाग उद्धृत किया जा सकता है:—

"(क) कोयले में पूर्व की ओर की फुटवाल ड्राइवेज को छोड़ दिया गया है।

(ख) पूर्व और पश्चिम उत्तर के क्रास-कटों के बीच के कनेक्शन को कोयले के एक (लेटरल) ड्राइवे करके थोड़ा सा हटा दिया गया है ताकि इस ड्राइवेज और राइज साइड की जल से भरी पुरानी खदानों के बीच एक अच्छे खासे अवरोध (बैरियर) की व्यवस्था हो सके। यह उल्लेखनीय है कि यह कनेक्शन शिफ्ट पिल्लर के भीतर है।

(ग) पश्चिम की ओर वाली दो ड्राइवेजों को कायम रखा गया है। यह ड्राइवेजें केवल थोड़ी सी ही दूरी तक पानी से भरी खदानों से 60 मीटर के भीतर पड़ती हैं।"

जिस मुख्य पाइंट से हम इस अवस्था पर संबंधित हैं, वह यह है कि उत्तर क्रास-कट (पूर्व) की ओर वाली फुटवाल ड्राइवेज को छोड़ दिया गया।

1971 में प्रदान की गई अनुमति

61. खान सुरक्षा विभाग की अनुमति 17 अगस्त, 1971 को तत्कालीन खान सुरक्षा महानिदेशक (तथा मुख्य खान निरीक्षक), श्री एच०बी० घोष द्वारा दी गई (प्रदर्श 15/8 द्वारा)। इस पत्र को पूर्णतः उद्धृत करना आवश्यक है:—

"विषय: नं० 3/4 इन्कलाइनों द्वारा 13/14 सीमों की जल से भरी खदानों से 60 मीटर के भीतर पश्चिम खान के हरिजन नं० 1 में कोयले तथा पत्थर में ड्राइवेजें बनाने के लिए कोयला-खान विनियम, 1957 के विनियम 127(3) के अधीन अनुमति (जैसा कि आपके संख्या के०आर०डी०/बी०पी०/3/10/752 दिनांक 28-7-71 के साथ संलग्न चासनाला कोयला खान के प्लान में दिखाया गया है)।

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या के आर डी/बी पी/3/10/752, तारीख 28-7-71 और के आर डी/आर आर/3/10/808 तारीख 5-8-71 का अवलोकन करने की कृपा करें।

कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127(3) के अधीन मैं आपको निम्नलिखित शर्तों पर उपर्युक्त अनुमति प्रदान करता हूं:—

1. कोयले में ड्राइवेजों का विस्तार करते हुए हराइजेंटल से 10, 20 और 30 डिग्री पर झुके तथा क्रमशः 27 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर लम्बे 3 राइजिंग बोरहोलों का एक सेट ड्राइव किया जाएगा और जल से भरी खदानों से रक्षा की खातिर कम से कम 15 मीटर मोटे बैरियर प्रूव करने के लिए वैसे ही राइजिंग फ्लैंक बोरहोल ड्राइव किए जाएंगे। जब पिछले सेट के होलज से 6 मीटर की दूरी रह जाए तो अगले सेट के होल खोदने का काम शुरू किया जाएगा। पानी से भरी खदानों के साथ कहीं आकस्मिक कनेक्शन न० जुड़ जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की जाएगी।

2. नं० 13/14 सीमों के 15 मीटर के अन्दर अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र में पत्थर में ड्राइवेज करते समय विनियम 127(5) में यथा निर्दिष्ट बोरहोल किए जाएंगे।

3. इन ड्राइवेजों में जब कभी भी भारी जल रिसन देखने को मिले जो काम के लिए सामान्य नहीं होता तो सारा काम तुरन्त बन्द कर दिया जाएगा और ऐसे सभी व्यक्तियों को खान से वापस बुला लिया जाएगा जिनको खतरा होने की संभावना हो। घटना के बारे में खान सुरक्षा महानिदेशक और खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक को तुरन्त सूचित किया जाएगा। ड्राइवेजों का आगे विस्तार नहीं किया जाएगा और खान सुरक्षा महानिदेशक की लिखित पूर्व अनुमति और जो शर्तों को विनिर्दिष्ट करें, उनका पालन किए बगैर व्यक्तियों को पुनर्नियोजित नहीं किया जाएगा।

यदि आवश्यक समझा गया तो उपर्युक्त अनुमति में संशोधन किया जा सकता है या इसे वापस लिया जा सकता है और यह अनुमति विनियमों के अन्य प्रावधानों के लागू होने के रास्ते में नहीं आएगी जो किसी भी समय लागू हों या लागू हो जाएं।

भवदीय,

ह०/-एच० बी० घोष,

खान सुरक्षा महानिदेशक"

फुटवाल ड्राइवेज को 1971 में छोड़ देने के कारण

62. फुटवाल ड्राइवेज संबंधी प्रस्ताव को 1971 में छोड़ देने के कारणों के बारे में अब कोई सन्देह नहीं है और इस पाइण्ट पर विशिष्ट साक्ष्य दिया जा चुका है। श्री एस० एन० ठाकर के जो प्रश्नगत दुर्घटना के समय उपखान सुरक्षा निदेशक थे, के साक्ष्य के अनुसार 3/4 इन्कलाइन की जल से भरी समस्त खदान फुटवाल ड्राइवेज की पश्चिम वर्ती साइड में तथा उसके ऊपर थी। न्यायालय ने श्री ठाकर से पूछा कि प्रथम हारिजन के फुटवाल पार्श्व की तुलना में के-लेवल में हैंगवाल पार्श्व की स्थिति क्या होगी। उनका उत्तर यह था कि के-लेवल का हैंगवाल पार्श्व 1971 में प्रस्तावित प्रथम हारिजन की फुटवाल ड्राइवेज की छत पर लम्बात्मक रूप से पड़ता था। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि के-लेवल के सभी मार्गों को एक लेवल समझा जाए तो 13 और 14 संयुक्त सीमों के झुकाव को ध्यान में रखते हुए 3/4 इन्कलाइनों की पुरानी खान में जमा भारी मात्रा में पानी 1971/प्रस्तावित फुटवाल ड्राइवेज की चोटी पर प्रथम हारिजन के लेवल पर लगभग 80 फुट की ऊंचाई पर लगभग लम्बात्मक रूप में विद्यमान था। हारिजन नं० 1 में जिस हैंगवाल ड्राइवेज का प्रस्ताव 1971 में किया गया था, वह इस प्रस्तावित फुटवाल के दक्षिण की ओर थी जिसके मध्यवर्ती प्रथम हारिजन लेवल में 13 और 14 संयुक्त सीमों की समस्त क्षैतिज मोटाई पड़ती थी। श्री ठाकर के अनुसार हैंगवाल के उत्तरी किनारे और फुटवाल के उत्तरी किनारे, जो दोनों हारिजन नं० 1 में हैं, लगभग 85 फुट की दूरी था। श्री रामानुज भट्टाचार्य (तत्कालीन प्रबन्धक) ने इन दो ड्राइवेजों के बीच की दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक, पश्चिमी छोर की ओर 85 और पूर्वी छोर की ओर एक कोने से दूसरे कोने तक 75 फुट बताई है।

63. श्री दीपक सरकार के अनुसार के-लेवल की पुरानी खदानों से प्रथम हारिजन तक सीम के साथ-साथ की मोटाई लगभग 170 फुट थी। इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि 1971 में जब दोनों फुटवाल तथा हैंगवाल गैलरियों के बारे में प्रस्ताव किया गया था, तो हारिजन नं० 1 की हैंगवाल ड्राइवेज ऊपर की जलमग्न खानों से कितनी दूरी पर थी। यह स्पष्ट है कि हारिजन नं० 1 और जमा पानी के बीच की न्यूनतम दूरी प्रस्तावित फुटवाल ड्राइवेज और उसी जल-भण्डार के बीच की न्यूनतम दूरी से लगभग दुगनी थी और यह बात 1971 में उस समय अवश्य ही ध्यान में आ गई होगी जब प्रबन्धकों ने दोनों फुटवाल ड्राइवेज तथा हैंगवाल ड्राइवेज के लिए प्रस्ताव किया था।

64. जिन कारणों से 1971 में प्रस्तावित फुटवाल ड्राइवेज को अन्ततः छोड़ दिया गया, उनके संबंध में निम्नलिखित शहादत रिकार्ड पर आई है। श्री एस० के० बनर्जी ने, जो 27-12-1975 को चसनाला कोयला खान के प्रबन्धक एवं एजेण्ट थे, अपने साक्ष्य में इस मामले का जिक्र किया है। (जनवरी, 1971 में वह चसनाला परियोजना के वरिष्ठ प्रबन्धक थे और चसनाला में तैनात थे) श्री बनर्जी के अनुसार, 1971 में, पुरानी खदानों में "नथिंग क्रास-कट" के साथ सैयरान की अवस्थिति संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं थी और इसलिए के-लेवल के नीचे "नथिंग क्रास-कट" की एक्सटेंशन के बारे में कुछ सन्देह था और इस कारण फुटवाल ड्राइवेज को छोड़ दिया गया। उनके कथनानुसार, इस बात का पता नहीं था कि "नथिंग क्रास-कट" संयुक्त सीमों के तल में था या मध्यपार्श्व में या फिर छत में। दूसरा प्लान (प्रदर्श डी/एस), जिसमें फुटवाल ड्राइवेज अभी भी शामिल थी, भेज दिए जाने के बाद, प्रबन्ध के अधिकारियों के बीच अनेक बार विचार-विमर्श हुआ। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप जुलाई, 1971 में एक तीसरा प्लान (जिसे प्रदर्श डी/3 मार्क किया गया है) खान सुरक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया जिसमें से फुटवाल ड्राइवेज का लोप कर दिया गया था। श्री बनर्जी ने इस संबंध में पूरी जानकारी दी है कि इस विचार-विमर्श में किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया था। उनमें श्री बी०एल० वर्मा तत्कालीन मुख्य खनन इंजीनियर और श्री जे० एन० ओहरी, तत्कालीन उप मुख्य खनन इंजीनियर (प्लानिंग) शामिल थे। यह तथ्य की बात है कि प्रदर्श डी/3, डी/4 के साथ तैयार किया गया था। बताया जाता है कि प्रदर्श डी/3 के रूप में मार्क किए गए प्लान के भेज दिए जाने के बाद भी तत्कालीन उप मुख्य खनन इंजीनियर (संक्रिया)/एजेंट ने श्री एच० बी० घोष के साथ और विचार विमर्श किया था।

65. श्री बी० एल० वर्मा से अदालती गवाह के रूप में जिरह की गई है और न्यायालय द्वारा उनसे एक विशिष्ट प्रश्न यह पूछा गया कि क्या उनको याद पड़ सकता है कि 1971 में किए गए फुटवाल ड्राइवेज संबंधी मूल प्रस्ताव को छोड़ देने के कारण के पीछे कम्पनी का तर्क क्या था। उनके उत्तर का स्वरूप लगभग वही था जिसमें उन्होंने "नथिंग क्रास-कट" का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सीम के साथ-साथ "नथिंग क्रास-कट" के बारे में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया गया था और फुटवाल ड्राइवेज को छोड़ दिया गया। श्री वर्मा के कथनानुसार एक अन्य प्रश्न जो इस अवस्था में विचारार्थ पेश हुआ वह यह था कि क्या फुटवाल ड्राइवेज को छोड़ देने से वायु संचार का वेग अनुज्ञेय सीमा के भीतर होगा। संगणना करने पर यह पाया गया कि फुटवाल ड्राइवेज को बेखटके छोड़ा जा सकता है। श्री वर्मा के वास्तविक शब्द इस प्रकार हैं:—

"एक अन्य पाइण्ट जो विचारार्थ सामने आया, वह यह था कि क्या फुटवाल गैलरी को छोड़ देने से वायु संचार के वेग अनुमेय सीमाओं में होंगे। संगणना करने पर यह पाया गया कि इस सोच-विचार को गंभीर रूप से प्रभावित किए बगैर फुटवाल गैलरी छोड़ी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यह भी सोचा गया कि इस गैलरी को छोड़ देने से खान की सामान्य बनावट पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह हारिजन केवल संवातन के लिए तथा खदानों को सामग्री की आपूर्ति करने के लिए ही है।"

66. श्री जे० एन० ओहरी (जिनसे कोल खान माइन्स आफिसर्ज ऐसोसिएशन—पक्षकार नं० 14 के गवाह के रूप में जिरह की गई) ने भी उस विचार-विमर्श के बारे में सविस्तार बयान दिया है जो 1971 में प्रस्तावित गैलरियों (ड्राइवेजों) के संबंध में किया गया था। उनके कथनानुसार जनवरी और जुलाई, 1971 में काफी विचार-विमर्श किया गया था जिसमें श्री एस० के० बनर्जी (जो उस समय चसनाला कोयला खान के प्रबन्धक थे) सहित प्रबन्ध के अधिकारियों ने भाग लिया था। इस विचार-विमर्श के बाद प्रबन्धकों ने उक्त प्लान (प्रदर्श डी/3) को अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया और उसे खान सुरक्षा विभाग को भेज दिया। न्यायालय ने उनसे एक प्रश्न किया कि प्रबन्धकों ने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फुटवाल ड्राइवेज संबंधी प्रस्ताव को 1971 में वापस क्यों ले लिया था। श्री ओहरी ने इस पाइण्ट के संबंध में अनेक कारण दिए, जो इस प्रकार हैं:—

"पूर्व की ओर तीन ड्राइवेजों की कोई आवश्यकता नहीं थी और आवश्यकता केवल दो ड्राइवेजों की ही थी और फुटवाल ड्राइवेज को मुख्यतः इन दो कारणों से छोड़ दिया गया:—

1. "नथिंग क्रास-कट" की अवस्थिति और नथिंग क्रास-कट और नं० 1 हारिजन के बीच की वास्तविक दूरी के बारे में अनिश्चितता; और

2. क्योंकि संवातन संकर्षण और अन्य प्रयोजन के लिए तीन ड्राइवेजें आवश्यक नहीं थीं;

"नथिंग क्रास-कट" के बारे में अनिश्चितता प्रदर्श डी/5 से स्पष्ट है जिसमें सेक्शन सीडी में यह दर्शाया गया था कि यह क्रास-कट तल के साथ-साथ है और नं० 1 हारिजन तक जाता है। इन परिस्थितियों में, आवश्यक विचार-विमर्श के बाद इस बात पर सहमति हुई कि संकर्षण, संवातन और अन्य सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए सीम की स्ट्राइक की पूरी लम्बाई के लिए, जो पूर्व की ओर 7000 से 7500 फुट के लगभग होगी, दो ड्राइवेजें रखी जाएं।"

67. जब श्री एच० बी० घोष का अदालती गवाह के रूप में बयान लिया गया तो उनसे पूछा गया कि 1971 में फुटवाल ड्राइवेज का अनुदान न करने के क्या कारण थे, तो उन्होंने इस आशय का उत्तर दिया कि 1971 में इस बात का पता लगा कि 'नथिंग क्रासकट' या कुछ इस प्रकार के नाम का एक क्रास-कट था जिसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और इसके बारे में न तो प्रबन्धक और न श्री घोष ही आश्वस्त पाए थे और इस प्रकार ड्राइवेज के लिए फुटवाल की ओर बढ़ने का अर्थ संकट मोल लेना था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1971 में अनेक खनन विशेषज्ञों ने संयुक्त सीम 13 और 14 की फुटवाल के साथ साथ फुटवाल ड्राइवेज द्वारा हारिजन नं० 1 को हो सकने वाले खतरे के बारे में सोचा था।

1975 में फुटवाल ड्राइवेज संबंधी प्रस्ताव का पुनरारंभ

68. हारिजन नं० 1 के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फुटवाल ड्राइवेज संबंधी प्रस्ताव पर 1975 में फिर जोर दिया गया और यह विवरण भी सविस्तार देना होगा। परन्तु ऐसा करने से पूर्व मुझे उस साक्ष्य में से कुछ नुक्तों पर प्रकाश डालना होगा जो इस जांच न्यायालय के समक्ष पेश किए गए कि हैंगवाल ड्राइवेज का काम कहां तक चला था, यह कब और क्यों बन्द कर दिया गया और कैसे 1975 में फुटवाल ड्राइवेज की आवश्यकता महसूस हुई बताई जाती है। ये बातें श्री दीपक सरकार और श्री रामानुज भट्टाचार्य के साक्ष्य से, जिनसे प्रबन्धकों की ओर से जिरह की गई तथा श्री जे० एन० ओहरी, मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) के साक्ष्य से, जिनका बयान आफिसर्ज ऐसोसिएशन की ओर से लिया गया, प्रकट हुई हैं। इस मामले का सार नीचे दिया जाता है।

(क) 17 अगस्त, 1971 को हैंगवाल ड्राइवेज के लिए अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद, हैंगवाल गैलरी ईस्ट चिमनी के जंक्शन से पूर्व की ओर लगभग 200 फुट की दूरी तक ड्राईव की गई यह 1973 से लगभग सितम्बर, 1975 तक बन्द पड़ी रही, और फिर इसे पुनः चालू कर दिया गया। अगस्त, 1975 में हारिजन 2 में एलसी-3 पेनल के लिए अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद हैंगवाल को पुनः चालू किया गया। (फुटवाल ड्राइवेज के लिए 1975 की अनुमति 29-9-1975 को दी गई)।

(ख) इस ड्राइवेज को पुनः चालू करने से लेकर 26-12-1975 (दुर्घटना से एक दिन पूर्व) तक, हैंगवाल ड्राइवेज का काम उसी चिमनी एप्रोच से 350 से 400 फुट की कुल दूरी तक हो चुका था।

(ग) फुटवाल ड्राइवेज की योजना जिस प्रयोजन को लेकर बनाई गई थी, वह यह था कि उस हैंगवाल के ब्लाइण्ड एण्ड को हटा दिया जाए, जिसका उस स्थान से, जहां 1973 में काम बन्द किया गया था, और पूर्व की ओर विस्तार किया जाने वाला था। प्रबन्धक, श्री रामानुज भट्टाचार्य के कथनानुसार, 9 जून, 1975 को दिए गए आवेदनपत्र का उद्देश्य खान सुरक्षा विभाग के 1959 के परिपत्र संख्या 48 के अनुपालन में चिमनी ऐप्रोच के पूर्व में लगभग 200 फुट की दूरी पर हैंगवाल ड्राइवेज के साथ कनेक्शन स्थापित करना था ताकि हैंगवाल ड्राइवेज में ज्वलनशील गैस के संचयन को रोका जा सके।

(घ) बताया जाता है कि मई, 1975 में (प्रबन्धकों की) एक पुनरीक्षण बैठक में, जिसमें सर्वश्री जे० एन० ओहरी, दीपक सरकार, एस० के० बनर्जी और रामानुज भट्टाचार्य उपस्थित थे, यह निर्णय किया गया था कि हारिजन नं० 1 के सभी ब्लाइण्ड एण्डज को हटा दिया जाना चाहिए। तदनुसार श्री जे० एन० ओहरी ने, जो मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) थे, श्री एस० के० बनर्जी को सलाह दी कि इस प्रयोजन के लिए ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फुटवाल ड्राइवेज के लिए प्लान सहित एक आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए। श्री एस० के० बनर्जी के कथनानुसार प्रबन्धक को कहा गया कि वह पिछले सारे पत्रव्यवहार का अध्ययन करें तथा एक प्लान बनाएं।

69. 1975 में फुटवाल गैलरी ड्राइव करने का आभासित उद्देश्य (अर्थात हैंगवाल के ब्लाइंड छोर को हटाना, जिसकी लम्बाई उस समय 200 फुट थी) बहुत ही अस्पष्ट था। 1971 में मंजूर की गई हैंगवाल ड्राइवेज की लम्बाई 1000 फुट से अधिक होनी चाहिए थी। वास्तव में इस ड्राइवेज को 1975 में फुटवाल ड्राइवेज के लिए अनुमति प्राप्त होने से पूर्व, पुनः शुरू कर दिया गया था। परिणामस्वरूप हैंगवाल गैलरी के ब्लाइण्ड एण्ड का पूर्व की ओर आगे विस्तार किया जा रहा था, और 1975 की प्रस्तावित ड्राइवेज, यदि पूर्ण हो भी जाती तो भी वह हैंगवाल में आगे के ब्लाइण्ड एण्डज को हटा न पाती। इसलिए यह स्पष्ट है कि हैंगवाल गैलरी में आगे आने वाले ब्लाइण्ड एण्डज को हटाने के लिए फुटवाल ड्राइवेज का आगे विस्तार करना आवश्यक रहा होगा ताकि पूर्व की ओर उसकी प्रगति जारी रहे; ईस्ट गैलरी को पूर्व की ओर लगातार ड्राइव करते रहने से नथिंग क्रासकट से वही खतरा पैदा हो जाता जिसकी आशंका 1971 में की गई थी।

70. इस सन्दर्भ में श्री बी० एल० वर्मा का साक्ष्य भी संगत है जिसका उल्लेख इससे पहले किया जा चुका है। यदि 1971 में यह पाया गया होता कि उक्त वर्ष में प्रस्तावित की गई फुटवाल ड्राइवेज को संवातन पर प्रभाव डाले बिना छोड़ा जा सकता है, तो 1975 में हैंगवाल ड्राइवेज के ब्लाइण्ड छोर को हटाने के लिए संवातन का प्रश्न दोबारा कैसे उठा। श्री जे० एन० ओहरी ने प्रदर्श डी डी के रूप में मार्क किए गए एक दस्तावेज का उल्लेख किया था और यह कहा था कि 'इसको' के प्रबन्धक बोर्ड के सदस्य, श्री सी० बलराम के साथ परामर्श करके मई, 1975 में यह निर्णय किया गया था कि हारिजन नं० 1 के ईस्ट/में हैंगवाल/डिस्ट्रिक्ट गैलरी को संवातित करने वाले औक्सिलियरी पंखे सहित ऐसे सभी पंखों को वापस ले लिया जाना चाहिए और 1975 में उस समय एक फुटवाल ड्राइवेज गैलरी की आवश्यकता महसूस की गई थी। मेरा विचार है कि श्री ओहरी द्वारा दिया गया यह साक्ष्य बाद की सोची हुई बात है और स्वयं दस्तावेज भी उनके बयान की पुष्टि नहीं करता। प्रदर्श डी० डी० में मैंने श्री बालराम की इस आशय की सिफारिश नहीं पाई है कि औक्सिलियरी पंखों को हटा दिया जाना चाहिए। यद्यपि फुटवाल ड्राइवेज के लिए दिए गए आवेदन-पत्र में उसका उद्देश्य हैंगवाल गैलरी के साथ एक कनेक्शन स्थापित करना लिखा गया था, तथापि यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित फुटवाल ड्राइवेज उन ब्लाइंड एण्डज जो नहीं हटा सकती थी जो हैंगवाल ड्राइवेज की ओर आगे बढ़ाने के दौरान बन गए थे। 1975 में फुटवाल गैलरी के लिए अनुमति मांगने का वास्तविक उद्देश्य उस प्रयास में सफलता प्राप्त करना था जो 1971 में विफल रहा था, जब खान सुरक्षा के महानिदेशक श्री एच० बी० घोष थे। श्री घोष उक्त निदेशालय को 1974 के मध्य में छोड़ गए थे और उस समय तक श्री जे० एन० ओहरी को चसनाला में मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) नियुक्त किया जा चुका था।

1975 में दायर किया गया आवेदन-पत्र

71. जब मैं/फुटवाल ड्राइवेज तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में 1975 को दायर किए गए आवेदन पत्र के इतिहास का वर्णन करता हूं जिस के परिणामस्वरूप खान सुरक्षा विभाग ने 29-9-1975 को मंजूरी प्रदान की थी।

प्रबन्धकों ने 9 जून, 1975 को खान सुरक्षा महानिदेशक के पास एक आवेदन पत्र भेजा जिसमें उन्होंने हारिजन नं० 1 के पूर्व की 12/13/

14 सीमों की फुटवाल के साथ-साथ एक रोडवे ड्राइव करने की अनुमति मांगी। उक्त आवेदन पत्र नीचे उद्धृत किया जाता है:—

"हारिजन नं० 1 की ईस्ट फुटवाल के साथ-साथ 10'×10' की चापाकार (मेहराबदार) रोडवे की ड्राइवेज संबंधी प्रस्ताव— कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127 के अधीन अनुमति।

चसनाला (कोयला खान)

प्रथम हारिजन ईस्ट चिमनी ऐप्रोच रोडवे से ईस्ट हैंगवाल के साथ साथ ब्लाइंड गैलरी के साथ कनेक्शन स्थापित करने के लिए 12/13/14 सीम की फुटवाल के साथ-साथ 10'—10' का एक मेहराबदार (चापाकार) ड्राइव करने का प्रस्ताव है। इस गैलरी के एक-एक मीटर की दूरी पर इस्पात की मेहरावों का सहारा दिया जाएगा। प्रस्तावित आर्कवे को दर्शाने वाला एक प्लान इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

कृपया इस संबंध में अपनी अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

एस० के० बनर्जी

एजेण्ट

चसनाला कोयला खान"

72. यह दस्तावेज प्रदर्श डी/2 है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस आवेदन पत्र में संवातन कनेक्शन का कोई उल्लेख नहीं था। संलग्न प्लान में संयुक्त सीम की फुटवाल के साथ-साथ एक गैलरी और उसके क्रम में दक्षिण की ओर जाती हुई हैंगवाल गैलरी के साथ मिलाने वाली एक गैलरी दर्शाई गई थी। यदि हम उत्तर से दक्षिण जाने वाली गैलरी को लें, जो फुटवाल के साथ-साथ की जाने वाली प्रस्तावित ड्राइवेज और वर्तमान हैंगवाल ड्राइवेज को मिलाती है तथा उसे संवातन कनेक्शन का नाम दें, तो प्लान में उत्तरोक्त चिमनी कनेक्शन के पूर्व की ओर लगभग 200 फुट की दूरी पर दिखाई गई थी। इस नाम का उल्लेख इस अवस्था पर करने का एक प्रयोजन है जो बाद में स्पष्ट होगा। प्लान (प्रदर्श डी/1) में दाईं ओर एक सेक्शन दिखाया गया था जो के-लेवल खदान के वर्तमान हैंगवाल पार्श्व के प्रसंग में 1975 में प्रस्तावित फुटवाल ड्राइव की स्थिति को दर्शाता है। जैसा कि दर्शाया गया है, इन दोनों के बीच 27 मीटर की दूरी थी और संकेत यह था कि हारिजन नं० 1 में प्रस्तावित फुटवाल ड्राइवेज लगभग लम्बात्मक रूप में के-लेवल की जल से भरी पुरानी खदान के नीचे थी। इस संबंध में भविष्य में हवाले के लिए एक अन्य पाइण्ट, जिसका उल्लेख किया जा सकता है, यह है कि प्रस्ताव 10'×10' के साइज की ड्राइवेज के लिए था जबकि विनियम 127(5) के अनुसार, इस खदान की चौड़ाई 2.4 मीटर के अधिक नहीं होने चाहिए थी।

अनुमति 1975 में प्रदान की गई

73. खान सुरक्षा विभाग ने फुटवाल ड्राइवेज (मूल संवातन कनेक्शन के साथ-साथ) की अनुमति एक पत्र द्वारा तारीख 29-9-1975 को दी, जिसे प्रदर्श 13 मार्क किया गया है। इस अवस्था पर इस अनुमति पत्र को उद्धृत करना ठीक रहेगा:—

"विषय: जलमग्न खानों के 60 मीटर के अन्दर-अन्दर

प्रथम हरिजन में 12, 13, 14 सीमों की ईस्ट फुटवाल के साथ-साथ एक मेहराबदार रोडवे ड्राइव करना—

कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127 के अधीन अनुमति।

हवाला: आपका पत्र संख्या 1/580

तारीख 9-6-1975

प्रिय महोदय,

कृपया अपने उपर्युक्त आवेदन-पत्र का अवलोकन करें जिसके साथ आपने राइज साइड की जलमग्न खदानों के 60 मीटर के भीतर प्रस्तावित ड्राइवेज के लिए प्रक्षेप दर्शाने वाला प्लान संख्या 75/4 भेजा था। इस विभाग में इस मामले पर गौर किया गया है। मैं कोयला खान विनियम 1957 के विनियम 127 के अन्तर्गत आपको निम्नलिखित शर्तों पर प्रश्नगत गैलरी ड्राइव करने की अनुमति प्रदान करता हूं:—

1. जैसा कि आपने सुझाव भी दिया है, उक्त गैलरी 3 मीटर से अधिक ऊंची और चौड़ी नहीं होगी और उसे एक-एक मीटर की दूरी पर इस्पात की मेहराबों द्वारा सहारा दिया जाएगा जिस पर कंक्रीट के सलैब चढ़ाए जाएंगे।

2. ड्राइवेज में आगे की भूमि को परख लेने के लिए एक केन्द्रीय बोरहाल पहले से (एडवांस में) बनाया जाएगा और उसे हर समय तीन मीटर गहरा रखा जाएगा।

3. यदि भारी मात्रा में रिस कर आने वाला पानी देखने को मिले, जो संबंधित सीम के लिए असाधारण स्वरूप का है तो कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127 के उप-विनियम (3) के परन्तुक का दृढ़ता से अनुपालन किया जाएगा।

यदि किसी भी समय उन शर्तों में से जिनके अध्यधीन यह अनुमति दी गई है, किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया या उसका अनुपालन न किया गया, तो इस अनुमति को तुरन्त रद्द हुआ माना जाएगा।

उपर्युक्त अनुमति में किसी भी समय आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है या उसे वापस लिया जा सकता है। इस अनुमति से कानून के ऐसे किन्हीं अन्य उपबन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो लागू हों या जो किसी भी समय लागू हो सकते हों।

भवदीय,

ह० एच० एस० आहूजा

कृते खान सुरक्षा महानिदेशक

1975 की यह अनुमति खान सुरक्षा निदेशक (यह पद खान अधिनियम के अधीन निरीक्षक के पद के बराबर होने के कारण), श्री एच० एस० आहूजा ने दी थी न कि मुख्य खान निरीक्षक ने। यह बात कि इस मामले को तत्कालीन मुख्य खान निरीक्षक के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया था, एक अलग प्रश्न है और उसका विवेचन आगे किया गया है।

नवम्बर, 1975 में फुटवाल की ड्राइवेज बन्द करना।

74. प्रबन्धकों की ओर से बताया जाता है कि 29-9-1975 को अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद फुटवाल ड्राइवेज का काम अक्तूबर, 1975 के पहले सप्ताह में शुरू कर दिया गया था और यह कि नवम्बर, 1975 के पहले सप्ताह में यह काम बन्द कर देना पड़ा। उस समय तक ड्राइव की गई फुटवाल, ड्राइवेज की लम्बाई ईस्ट चिमनी ऐप्रोच के पूर्व की ओर लगभग 90 फुट थी।

75. इस स्थान पर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नुक्ते का जिक्र करना होगा जो उन कारणों से संबंधित है जो प्रबन्धकों ने पूर्व की ओर की जाने वाली ड्राइवेज की पूर्वनिर्धारित लम्बाई के लगभग आधे तक ड्राइवेज कर लेने के बाद फुटवाल की ड्राइवेज बन्द कर देने के बारे में दिए हैं जिसके परिणाम स्वरूप वेंटिलेशन किनेक्शन, जिससे हम संबंधित है, ईस्ट चिमनी ऐप्रोच से केवल (लगभग) 90/100 फुट की दूरी पर हैंगवाल गैलरी से खुल गया और उत्तर की ओर बढ़ने लगा। फुटवाल ड्राइवेज को बन्द करने के संबंध में प्रबन्धकों द्वारा दिए गए कारण स्वीकार्य हैं या नहीं, इस पर पूर्णतः विचार करना होगा। लगभग 90 फुट तक ड्राइव करने के बाद फुटवाल ड्राइवेज बन्द कर देने के सम्बन्ध में प्रबंधकों ने जो तर्क दिए हैं, उनका सार यह है कि फुटवाल ड्राइवेज में कोयले के लदान की ऐसी कठिनाई थी और संवातन की ऐसी कठिनाइयां थी कि दक्षिण से संवातन कनेक्शन के बगैर इस ड्राइवेज में आगे काम नहीं बढ़ सकता था। बताया जाता है कि फुटवाल ड्राइवेज की छत से लटकी संवातननलिका से बाधा के कारण लोडरों द्वारा बास्कटें उठाने और ईस्ट

चिमनी ऐप्रोच और हैंगवाल गैलरी के जंक्शन पर खान-कारों में लदान करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था । यह भी बताया जाता है कि संवातन की अपर्याप्तता के कारण फुटवाल गैलरी गर्म तथा नम थी और संवातन अत्यन्त मन्द था । बताया जाता है कि इनका रणों से प्रबन्धक श्री रामानुज भट्टाचार्य ने श्री दीपक सरकार (प्लानिंग खनन अधिकारी) और श्री एस० के० बनर्जी (एजेण्ट) से तकनीकी सलाह मांगी थी । प्रबन्धक के साक्ष्य के अनुसार, एक ने भी विचार विमर्श के दौरान, जिसमें मुख्य कार्यपालक (कोयला खान), श्री जे० एन० ओहरी, प्लानिंग-अधिकारी श्री दीपक सरकार तथा प्रबंधक ने भाग लिया था, इन समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि ईस्ट हैंगवाल गैलरी के पूर्व से एक क्रास कनेक्शन द्वारा फुटवाल ड्राइवेज को मिला दिया जाए । श्री ओहरी के अनुसार, इस कठिनाई की सूचना उन्हें दी गई थी और उन्होंने इस कनेक्शन को बनाने संबंधी सुझाव के बारे में अपनी सहमति दी थी । इस प्रकार यह संवातन कनेक्शन ईस्ट चिमनी ऐप्रोच से लगभग केवल 90 से 100 फुट की दूरी पर ईस्ट हैंगवाल गैलरी साइड से शुरू किया गया, जबकि प्लान प्रदर्श डी/1 के अनुसार यह कनेक्शन उसी चिमनी से लगभग 200 फुट की दूरी पर बनाना चाहिए था ।

76. मेरे विचार में फुटवाल ड्राइवेज के संबंध में आगे काम बन्द करने और कम दूरी पर कनेक्टिंग गैलरी बनाने के जो कारण प्रबन्धकों ने दिए हैं, वे वास्तविक कारण नहीं रहे होंगे । मैं संवातन व लदान संबंधी अभिकथित कठिनाइयों पर अलग अलग विचार करूंगा । यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो पंखा हैंगवाल और फुटवाल गैलरियों को संवातित कर रहा था, यह फोर्सिंग फैन था, जो उत्तर क्रासकट में जंक्शन के कुछ उत्तर की ओर उत्तर क्रासकट पूर्व और हैंगवाल के जंक्शन के निकट लगा हुआ था । नलिका की मुख्य लाइन हैंगवाल ड्राइवेज में जाती थी और वहां से उस नलिका की एक शाखा को चिमनी ऐप्रोच के रास्ते से संवातन हेतु फुटवाल गैलरी में ले जाया गया था । यह बात कुछ आश्चर्य जनक है कि जब आरम्भ में फुटवाल ड्राइवेज की बात उठाई गई तो इस प्रकार की संवातन सम्बन्धी कठिनाई का कोई पूर्वानुमान नहीं किया गया था । यह मामला श्री दीपक सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दुर्घटना के समय प्लानिंग अधिकारी (खनन) थे और उन्होंने जो कुछ कहा वह यह था कि इस प्रकार की ड्राइवेजिज के लिए उनके विस्तृत प्लान बनाना उनका काम नहीं था और यह कि यह काम सामान्यतः क्षेत्रीय प्रबंधक और प्रबन्धक के कार्यालय द्वारा किया जाता था । न्यायालय ने श्री दीपक सरकार से खास तौर पर यह प्रश्न पूछा कि क्या केवल फुटवाल गैलरी को ही संवातित करने के लिए अलग पंखा लगाना सम्भव होता । इस प्रश्न का उत्तर 'हां' में दिया गया । यदि फुटवाल ड्राइवेज में अलग पंखे द्वारा संवातन व्यवस्था करना सम्भव होता, तो यह विश्वास करना असम्भव है कि एक मात्र अन्य विकल्प के रूप में अनायोजित संवातन कनेक्शन बनाया जाता । फुटवाल ड्राइवेज को संवातित करने के लिए प्लानिंग के बारे में प्रबन्धक, श्री रामानुज भट्टाचार्य से भी पूछा गया और उनका उत्तर यह था कि फुटवाल गैलरी में कोयले के लदान के लिए ईम्को के बेलचे इस्तेमाल किए जाने वाले थे और ईस्ट हैंगवाल से संवातन नलिका की एक शाखा वहां ले जाई जानी थी । इस संबंध में प्रबन्धक ने कहा कि फुटवाल गैलरी में ईम्को बेलचे का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि ईम्को के एकमात्र उपलब्ध बेलचे का इस्तेमाल हैंगवाल ड्राइवेज में किया जा रहा था और यह कि अनुरक्षण की समस्या के कारण तथा फालतू पुर्जों के अभाव में सितम्बर, 1975 के अन्त में या अक्टूबर, 1975 के शुरू शुरू में ईम्कों का बेलचा पूर्व फुटवाल गैलरी के लिए उपलब्ध नहीं था । परन्तु इससे एक अनायोजित स्थान से किसी नई संवातन गैलरी के बनाए जाने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता ।

77. प्रबन्धक के साक्ष्य से एक और बात उठी है । न्यायालय ने उनसे पूछा था कि संवातन नलिका फुटवाल गैलरी के 'फेस' से किसी दूरी पर समाप्त हुई थी । उत्तर यह था कि इस्पात की यह नलिका 'फेस' से 30 फुट की दूरी पर समाप्त हुई थी । यदि यह बात है तो फुटवाल गैलरी के निकट की संवातन कठिनाइयों (यदि कोई थी तो) को दूर करने के लिए उक्त नलिका को 'फेस' की तरफ और आगे तक बढ़ाया जाना चाहिए था । चसनाला कोयला खान के एक पिक या इनर एवं लोडर, निजाम अहमद का अदालती गवाह के रूप में बयान लिया गया है । उसका साक्ष्य कुछ विचित्र प्रकार का है क्योंकि उसने कहा है कि फुटवाल गैलरी में कोई संवातन नलिका थी ही नहीं । उसने यह भी कहा है कि यह संवातन नलिका चिमनी कनेक्शन गैलरी में फुटवाल गैलरी के मुख के आरपार थी । यह बात सही नहीं हो सकती । खैर कुछ भी सही, यदि यह भी मान लिया जाए कि फुटवाल ड्राइवेज में वेंटीलेशन ट्यूबिंग या संवा नलिका मौजूद थी तो भी मैं यह तर्क स्वीकार नहीं कर सकता कि नए संवातन कनेक्शन द्वारा उक्त गलरी में किसी कठिनाई को दूर करने का विचार था । सच तो यह है कि गणनाओं द्वारा यह पता चलता है कि आग्जिलियरी फैन और नलिका का साइज हैंगवाल ड्राइव और फुटवाल ड्राइव दोनों को एक साथ भली भांति संवातित करने के लिए प्रर्याप्त था । जहां तक लदान की अभिकथित कठिनाई का संबंध है। प्रबन्धकों की ओर से यह बताया जाता है कि उक्त संवातन नलिका अपने सिरों पर बास्केट उठा कर ले जाने वाले लोडरों को बाधा पहुंचाया करती थी और इसलिए फुटवाल ड्राइवेज के संबंध में आगे काम बंद करना पड़ा । मैं नहीं समझता कि यह चीज भी उक्त गैलरी का काम बंद करने और इस नए संवातन कनेक्शन को शुरू करने का कारण रही होगी। श्री जे० एन० ओहरी ने तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें सूचित किया गया था कि जब फुटवाल का काम 98 से 100 फुट तक हो चुका था तो लोडर फुटवाल रोडवे के साथ साथ रास्ता तंग होने के कारण फुटवाल फेस से कोयले का लदान करने से इन्कार कर रहे थे क्योंकि यह तंग रास्ता उन्हें असुविधा पहुंचा रहा था । मुझे इसमें बहुत सन्देह है कि क्या खान में कठिन स्थितियों में कार्य करने के अभ्यासी लोडर मिलकर कार्य करने से इन्कार कर देंगे, यद्यपि इसमें कुछ लोडिंग कठिनाइयां थीं । तथापि ऐसी किसी कठिनाई के बारे में किसी लोडर की कोई गवाही रिकार्ड पर नहीं है । यह ध्यान देने योग्य है कि प्रबन्धकों ने 10′×10′ आयाम के फुटवाल ड्राइवेज की मांग की थी, जो कि मंजूर हो गई थी । अतः यह मान लेना उचित होगा कि किसी भी प्रकार की लोडिंग कठिनाई की संभावना नहीं थी । प्रबन्धक के अनुसार, फुटवाल ड्राइवेज को 10′×8′ के आयाम के डायें (आर्कस) द्वारा सदमा दिया जा रहा था । यदि नलिका को बीच में बन्द कर देने से कोई लोडिंग कठिनाई हुई हो, तो इसे साइडों से बन्द कर देना चाहिए था । यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री भट्टाचार्य की डायरी (प्रदर्श सी/2) में फुटवाल ड्राइवेज में किसी वेन्टिलेशन और लोडिंग कठिनाई का जिक्र नहीं है, जिसके कारण कार्य रुका । तत्कालीन खान सुरक्षा उप निदेशक, श्री एस० सी० बत्रा ने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण 15-12-1975 को किया था और उनकी तारीख 23-12-1975 की रिपोर्ट को रिकार्ड में प्रदर्श जी0/2 के रूप में लाया गया है । इस रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि फुटवाल ड्राइवेज को वेन्टिलेशन और लोडिंग कठिनाइयों के कारण बन्द किया गया था । इस निरीक्षण पर श्री बत्रा के साथ श्री रामानुज भट्टाचार्य भी गए थे और रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि फुटवाल और हैंगवाल के साथ ड्राइवेज को इस लिए बन्द रखा गया था, क्योंकि सपोर्ट को आधुनिकतम बनाना था । इसलिए, यदि फुटवाल गैलरी में कोई वेन्टिलेटिंग और लोडिंग कठिनाइयां थी, तो वे केवल सामान्य प्रकार की होंगी । मैं यह नहीं मानता कि वास्तव में ऐसी कठिनाइयों के कारण ही फुटवाल ड्राइवेज को बन्द किया गया और नये वेन्टिलेशन कनेक्शन को अननुसूचित स्थान पर खोला गया । इसके अवश्य ही कुछ और कारण होंगे । न्यायालय ने इस सुराग का पता लगाने के लिए भरसक प्रयास किया और उसका विवरण यथा समय फुटवाल ड्राइवेज को नवम्बर, 1975 में बन्द करने के वास्तविक कारण क्या हो सकते हैं" नामक प्रसंग के अन्तर्गत किया जाएगा ।

78. मैं अब एक नए मामले पर विचार करूंगा । वह मामला यह है कि फुटवाल ड्राइवेज के लिए तारीख 9-6-1975 के आवेदन पत्र पर खान सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की गई । इस संबंध में की गई

कार्रवाई का सारांश पहले दिया गया है और ब्यौरे तत्पश्चात् दिए गए हैं।

तारीख 9-6-1975 के आवेदन-पत्र पर खान सुरक्षा विभाग द्वारा कैसे कार्रवाई की गई—सारांश

79. तारीख 9 जून, 1975 के आवेदन-पत्र पर प्रथमतः श्री एस० एन० ठाकुर, क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेत्र संख्या 2) के तत्कालीन खान सुरक्षा उप-निदेशक, ने कार्रवाई की थी और उन्होंने अपनी सिफारिशें दीं, जो कि प्रदर्श एस/2 के रूप में अंकित नोट-शीट में प्रकाशित की गई हैं। श्री ठाकुर ने इस मामले पर कैसे कार्रवाई की, इसका वर्णन बाद में किया जाएगा। उनकी टिप्पणियों के पश्चात्, फाईल को श्री ए० बी० सिंह के पास भेजा गया था, जो कि उस समय क्षेत्रीय कार्यालय में खान सुरक्षा संयुक्त निदेशक और क्षेत्रीय संख्या II के प्रभारी थे। श्री ए० बी० सिंह ने इस मामले पर जो कार्रवाई की, उसका वर्णन भी बाद में किया जाएगा। तत्पश्चात् इस मामले पर खान सुरक्षा निदेशक और क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी, श्री एस० पी० गांगुली द्वारा भी विचार किया गया और उसके बाद इस मामले को श्री ए० बी० सिंह की दिनांक 29-8-1975 की टिप्पणी के साथ मुख्यालय को भेजा गया। तत्पश्चात् इस मामले पर मुख्यालय में प्रथमतः श्री एन० मिश्र द्वारा, जो कि उस समय खान सुरक्षा संयुक्त निदेशक थे, विचार किया गया। श्री एन० मिश्र ने तारीख 15-9-1975 की टिप्पणी द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं और इस टिप्पणी को मुख्यालय के खान सुरक्षा निदेशक, श्री एच० एस० अहूजा जो खान सुरक्षा महानिदेशक की ओर से कार्य कर रहे थे, 29-9-1975 को अनुमोदित किया। मुख्यालय के नोट-शीट को प्रदर्श एस/1 के रूप में अंकित किया गया है।

80. श्री एस० एन० ठाकुर की नोटशीट (प्रदर्श एस/2) में निर्दिष्ट पहली सिफारिश इस प्रकार है:—

"प्रस्तावित गैलरी पुरानी जलाक्रांत खदानों के 60 मीटर के भीतर पड़ती है (सही अन्तर 27 मीटर है)। इस प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसी होरिजन पर विकास कार्य पहले ही किया जा चुका है।"

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री ए० बी० सिंह के अनुरोध पर इस सिफारिश में एक शर्त जोड़ी गई। उस शर्त में सेन्ट्रल बोर-होल का सुझाव दिया गया था। अन्ततः श्री ठाकुर की टिप्पणी इस प्रकार थी—

"प्रस्तावित गैलरी पुरानी जलाक्रान्त खदानों के 60 मीटर के भीतर पड़ती हैं (सही अन्तर 27 मी० है)। इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसी होरिजन पर विकास कार्य पहले से ही किया जा चुका है। तथापि, प्रत्येक फेस में 3 मीटर लंबे सेन्ट्रल बोर-होल की व्यवस्था करना अपेक्षित होगा।"

अन्त में, क्षेत्रीय निदेशक के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालय की सिफारिशें श्री ए० बी० सिंह की तारीख 29-8-1975 की अन्तिम सिफारिशों के साथ मुख्यालय में भेज दी गई, जो इस प्रकार थी:

"प्रस्तावित गलरी पुरानी जलाक्रान्त खदानों के 60 मीटर के भीतर पड़ती है। (सही अन्तर 27 मीटर है)। इस प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसी होरिजन पर विकास कार्य पहले से ही किया जा चुका है। यद्यपि एडवांस बोर-होल्स आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसी होरिजन पर विकास कार्य पहले ही किया जा चुका है, जैसा कि प्लान और सैक्शन में दिखाया गया है। तो भी अतिरिक्त सावधानी के लिए प्रत्येक प्रेस में पहले से ही 3 मी० लम्बे सेण्ट्रल बोर-होल की व्यवस्था करना अपेक्षित होगा।"

क्षेत्रीय कार्यालय में किए गए विचार का ब्यौरा :

81. इस सारांश को प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं 1975 के आवेदन-पत्र पर किए गए विचार के ब्यौरे का उल्लेख करता हूं। श्री एस० एन० ठाकुर ने बताया है कि उनकी सिफारिशें मूल रूप से वही थीं जो बाद में स्वीकृति-पत्र (प्रदर्श 13) में सम्मिलित की गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने फुटवाल ड्राइवेज के आवेदन-पत्र के संबंध में प्रबन्धक और एजेन्ट के साथ विचार-विमर्श किया था और उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने हैंगवाल ड्राइवेज के लिए 1971 में दी गई स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया था। उस समय न्यायालय द्वारा श्री सरकार से एक प्रश्न पूछा गया और उनका उत्तर नीचे उद्धृत किया गया है।

"न्यायालय प्रश्न : जैसा कि प्रदर्श 15/8 में दिखाया गया है, 1971 में दी गई स्वीकृति में निर्दिष्ट शर्त संख्या 1 में यह निर्धारित किया गया था कि क्षतिज से कतिपय निर्दिष्ट इंक्लीनेशन के बोर होलों की व्यवस्था कुछ निर्दिष्ट लम्बाईयों अर्थात् 30 मीटर तक की जानी चाहिए थी, जैसा कि प्रदर्श 13 में दिखाया गया है, आपकी टिप्पणी पर आधारित 1975 में दी गई स्वीकृति, में निर्दिष्ट शर्त संख्या 2 में यह कहा गया था कि ड्राइवेज के आगे की भूमि हर समय 3 मीटर गहरे एक सेन्ट्रल एडवांस बोर हाल द्वारा परीक्षित की जाएगी। आपने 1971 की स्वीकृति में परिवर्तन की सिफारिश क्यों की।

उत्तर— मैं 1971 और 1975 के इन दो विचित्र आवेदन-पत्रों और स्वीकृतियों से जो कुछ समझता हूं, वह इस प्रकार है :-

1971 में एक पूर्णतया अप्रयुक्त क्षेत्र का अन्वेषण किया जा रहा था, जिसमें 'के०' लेवल के नीचे नं० 4 इन्कालाइन प्लेन के जुलाई, 1971 में आवेदन-पत्र के साथ दिए गए प्लानों में दिखाए गए विस्तार से अधिक विस्तार के बारे में कोई सन्देह नहीं था। जिस बात का सन्देह था, वह संभवतः 'के०' लेवल के बारे में था, जो कि पुराने प्लान (माइनस 6 फुट या माइनस 8 फुट) में दर्शाए गए स्तर से नीचे के स्थान पर हो सकता था और आशंका थी कि यदि लेवलिंग में कोई गलती हो, कुल मिलाकर 'के०' लेवल एक फुट नीचे हो सकता है। 1971 में बोरहोल का विस्तृत पैटर्न यह मालूम करने के लिए बनाया गया था कि क्या 'के०' लेवल प्लान में दिखाए गए पहले होरिजन के समीप हो सकता है। जब 1975 का आवेदन-पत्र सामने आया तब यह विचार था कि अनेक बोर होलों की व्यवस्था की जा चुकी होगी और 1971 की स्वीकृति के उद्देश्य प्राप्त हो चुके होंगे। 1975 में फुटवाल में प्रस्तावित ड्राइवेज 1971 के बोर होलों की व्यवस्था के अनुसार जारी की जानी चाहिए थी और यह समझा गया कि यदि हर समय फेस के आगे तीन मीटर लम्बे एक एडवांस बोर होल की व्यवस्था की जाए तो उससे प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। यह पायलेट होल के रूप में काम करेगा और इस संबंध में आगे सावधानियों की व्यवस्था, यदि आवश्यक हो, इस पायलेट होल द्वारा दी गई चेतावनी के बाद की जाएगी।"

82. विनियमन 127(5) के उपबन्ध के बारे में, जिसके अनुसार खदानों के सेंटर के नजदीक बोर-होल और प्रत्येक साइड पर फ्लैंक होल तथा खदानों के ऊपर और नीचे बोर होल की व्यवस्था की जानी चाहिए, श्री ठाकुर से विशेष रूप से जिरह की गई और उनका मत यह रहा है कि 29-9-75 को दी गई स्वीकृति का निस्संदेह अर्थ विनियमन की अपेक्षाओं से छूट देना था। यद्यपि स्वीकृति-पत्र में अपेक्षाओं में किसी भी प्रकार की छूट का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया।

83. मुझे ऐसा लगता है कि फुटवाल ड्राइवेज के लिए प्रबन्धकों के आवेदन-पत्र पर प्रारम्भिक विचार गलत दृष्टिकोण से किया गया। प्रबन्धकों द्वारा 1975 के आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया प्लान (प्रदर्श डी/1) अपर्याप्त तथा वास्तविक रूप से गलत था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्लान खान सुरक्षा विभाग द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर ली गई है। 1971 की स्वीकृति को देखने के बाद भी (क्षेत्रीय कार्यालय में) प्लान प्रदर्श डी/1 को स्पष्ट और अधिक सही प्लान से नहीं बदला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथ्य से कि 1971 में होरिजन नं० 1 का ईष्ट डिस्ट्रिक हैंगवाल ड्राइवेज द्वारा कुछ हद तक विकसित हो चुका था। खान सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को सन्तोष हो गया। वस्तुतः प्रस्तावित (1975) फुटवाल गैलरी उस क्षेत्र के बाहर खोदी जानी थी जो कि हैंगवाल गैलरी की पहले की गई ड्राइवेज के दौरान वास्तव में परीक्षित किया जा चुका था। यह बताया गया है और शायद ठीक ही बताया गया है कि 1971 की स्वीकृति में निर्धारित बोर होल का पैटर्न पुरानी खदानों से नीचे की ओर के विस्तार को रोकने या चैक करने के लिये नहीं बनाया गया था, परन्तु इसे मुख्यतः पुरानी और नई खदानों के बीच के अन्तर को चैक करने के लिए बनाया गया था। यह सिद्ध हो चुका था कि (पुरानी) 'के' लेवल की खदानें (नई) डीप माइन में होरिजन नं० 1 की खदानों से 15 मीटर से अधिक ऊपर थीं। यह भी भली भांति कहा जा सकता है कि फुटवाल ड्राइवेज के लिए स्वीकृति प्राप्त करते समय प्रबन्धकों द्वारा प्रस्तुत किए गए गलत प्लान, प्रदर्श डी/1 द्वारा खान सुरक्षा विभाग को श्री एस० एन० ठकर तथा अन्य अधिकारियों को, इस मामले को निपटाने में 1975 में गुमराह किया गया था। श्री ठाकर ने बताया है कि फुटबाल ड्राइवेज के लिए आवेदन-पत्र पर विचार करते समय उन्होंने 1971 का आवेदन-पत्र तथा उस पर दी गई स्वीकृति और 1971 की नोटिंग एवं अनेक प्लान आदि देखे थे। परन्तु उनके द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण बयान ध्यान देने योग्य है। उन्होंने बताया है कि जब 1971 की स्वीकृति दी गई थी तो सं० 4 इन्कलाइन का आखरी भाग बन्द पड़ा दिखाया गया था। स्पष्टतः श्री एस० एन० ठकर सं० 4 इन्कलाइन के आखरी भाग को बन्द दिखाने वाले नक्शे, प्रदर्श डी/3, का उल्लेख कर रहे थे। इसलिये उन्होंने सं० 4 इन्क्लाइन के सेक्शन का प्लान (प्रदर्श डी/4), नहीं देखा है, जो प्रदर्श डी/3 का भाग था और जिस में संख्या 4 इन्क्लाइन के आखरी भाग को खुला दिखाया गया था।

84. श्री एस० एन० ठकर द्वारा आवेदन-पत्र पर कार्रवाई किए जाने के बाद, इस फाइल पर क्षेत्र सं० 11 के तत्कालीन संयुक्त निदेशक, खान सुरक्षा श्री० ए० बी० सिंह द्वारा कार्रवाई की गई थी। श्री सिंह के अनुसार, श्री ठकर की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री ठकर के साथ इस मामले पर विचार विमर्श किया और पूछा कि उन्होंने फ्लैंक 'बोर होल्स' के बारे में सिफारिश क्यों नहीं की थी। इस समय श्री ठकर ने श्री सिंह को 1971 की अनुमति और प्लान दिखाया था जो 'भगवाल ड्राइवेज' के लिए इस समय प्रस्तुत किए गए थे और उसके बाद श्री सिंह ने श्री ठकर के साथ इस नाम पर सहमति प्रकट की थी कि चूंकि लम्बे "बोर होल्स" बना कर उस क्षेत्र में विकास पहले ही कर दिया गया था इसलिये फुटबाल ड्राइवेज के लिए फ्लेंक बोर होल्स की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री सिंह ने प्रदर्श डी/3 देखा था और स्पष्टतः वह इस बात पर भी ध्यान न दे सके प्रदर्श डी/4 के बिना प्रदर्श डी/3 अपूर्ण था।

85. इसके बाद श्री ए० बी० सिंह ने श्री ठकर की टिप्पणियों के साथ फाइल श्री एस० पी० गांगुली, जोनल निदेशक खान सुरक्षा को भेजी। श्री सिंह को यह फाइल श्री गांगुली की इन टिप्पणियों के साथ प्राप्त हुई थी। फुटवाल ड्राइवेज के लिए फ्लेंक बोर होल्स की सिफारिश क्यों नहीं की गई। श्री ए० बी० सिंह ने ध्यान दिया है कि इसके बाद उन्होंने श्री एस० पी० गांगुली के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया था और उन्हें 1971 का अनुमति पत्र और प्लान (प्रदर्श डी/3) दिखाया था और श्री गांगुली ने यह बात स्पष्ट की थी कि चूंकि उस क्षेत्र में एडवांस्ड बोर होल्स द्वारा विकास कार्य पहले ही किया जा चुका था, फुटवाल ड्राइवेज के लिए फ्लेंक बोर होल्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और श्री एस० पी० गांगुली ने इस बात में अपनी सहमति दी थी। जो ब्यान श्री ए० बी० सिंह ने दिया है, श्री गांगुली ने अपने साक्ष्य में केवल उसी को दोहरा दिया है। मुझे यह बात कहनी ही होगी कि जब श्री गांगुली ने फ्लेंक बोर होल्स का सवाल उठाया था तब मुख्यालय को मामला भेजने से पहले प्रदर्श डी/3 और डी/4 सहित पिछले रिकार्ड का और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए था। यदि प्रदर्श डी/4 देखा गया होता तो इन्क्लाइन सं० 4 के आखरी भाग के सम्बन्ध में प्रदर्श डी/3 और डी/4 के बीच के अन्तर (चाहे वह खुला दिखाया गया था या बन्द) का पता चल गया होता और स्पष्टतः खान सुरक्षा विभाग के अधिकारी 1971 के आवेदन-पत्र के सभी अन्य संबंधित कागजों और प्लानों की जांच किए बिना संतुष्ट होते। अतः मेरे विचार में फुटवाल ड्राइवेज के प्रयोग के संबंध में विचार करने पर आरम्भ से ही नरमी दिखाई गई है, जो गलत प्लान (प्रदर्श डी/1) की स्वीकृति पर आधारित है और सर्वथा जारी रही। (प्रदर्श डी/1 का स्वरूप और इसकी त्रुटियां बाद में बताई गई हैं) इसके अतिरिक्त, प्रबन्धकों के आवेदन-पत्र में बोर होल्स के किसी उपबन्ध से किसी छूट का जैसा कि विनियम 127(5) के अधीन अपेक्षित है, न तो कोई सुझाव दिया गया है और न ही इसके लिए प्रार्थना की है। अतः यह समझ में नहीं आता है कि खान सुरक्षा विभाग में छूट देने का प्रश्न कैसे उठ सकता था।

86. खान मुख में पहले ही केन्द्रीय बोर होल्स के सिफारिश करने का कारण श्री ए० बी० सिंह ने बताया है। उनके अनुसार, यह पूर्वोपाय किसी भी भौमिकीय बाधा, जिसका सामना करना पड़ सकता है, से बचने के लिए किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में श्री एस० पी० गांगुली ने मामले को निम्न प्रकार बताया :

> "विकसित किए जाने वाले हराइजन (क्षितिज) में या मध्यवर्ती परत में जब कभी हल्की बाधा उत्पन्न हो जाती है तो प्रबन्धकों को असामान्य टपकाव के बारे में जागरूक रहने के सम्बन्ध में मानक चेतावनी देने के लिए अतिरिक्त, (उन्हें प्रबन्धकों को) सामान्यतः पहले-ही एक बोर होल की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है ताकि असामान्य टपकाव के लिए भूतल पहले ही तैयार रखा जा सके।"

87. संक्षेप में, सर्वश्री एस० एन० ठकर, ए० बी० सिंह और एस० पी० गांगुली का यह सामान्य मत था कि चूंकि हराइजन सं० 1 के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में विकास कार्य के 1971 में किया गया था, इसलिये 1975 में फुटवाल ड्राइवेज के लिए फ्लेंक बोर होल्स अपेक्षित नहीं थे। खान मुख में केन्द्रीय बोर होल की आवश्यकता के सम्बन्ध में इन तीन आधिकारियों का सामान्य मत यह था कि यदि प्रस्तावित फुटवाल ड्राइवेज के सामने कुछ भौमिकी बाधा विद्यमान तो इस की खानमुख में एक केन्द्रीय बोर होल द्वारा सुरक्षा की जा सकती है।

मुख्यालय में विचार-विमर्श के ब्यौरे

88. अब मैं इस मामले पर खान सुरक्षा विभाग के मुख्यालय में किए गए विमर्श को लेता हूं, जो श्री एन० मिश्र, संयुक्त सचिव खान सुरक्षा की सिफारिश से आरम्भ होता है। दिनांक 15-9-1975 की उनकी टिप्पणियां निम्न प्रकार थीं :--

> "क्षेत्रीय कार्यालय ने सिफारिश की है कि चूंकि यह क्षेत्र पहले ही परीक्षित है, नियम 127(5) के अधीन सभी पूर्वोपाय आवश्यक नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि केवल 3 मी० डीप एडवांस बोर होल्स से काम चलेगा। यह उचित प्रतीत होता है।"

श्री एन० मिश्र, जिन्हें न्यायालय के गवाह के रूप में बुलाया गया था, से यह पूछा गया कि क्षेत्रीय कार्यालय के मत का पूर्णतः समर्थन करने वाली अपनी टिप्पणी देने से पहले उन्होंने कौन से दस्तावेज या रिकार्ड देखे। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने 1971 का अनुमति पत्र और उससे संलग्न पत्र देखा था। श्री मिश्र की इस बात के संबंध में पूर्णतया स्पष्ट थे कि उन्होंने 1971 का केवल एक प्लान देखा था और उनके अनुसार प्लान यह प्रकट करता था कि उसमें दिखाई गई दो इन्क्लाइनें बन्द थीं। इसलिए अवश्य यह प्लान प्रदर्श डी/3 होगा। अतः श्री मिश्र के साक्ष्य का सार यह है कि प्रबन्धकों द्वारा जनवरी, 1971 में दिये गए आवेदन-पत्र और प्रबन्धकों द्वारा बाद में जुलाई, 1971 में दायर किए गए प्लान तथा श्री ए० बी० सिंह की दिनांक 29-8-75 की टिप्पणी को देखने के बाद उन्होंने फुटवाल गैलरी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय की सिफारिश का समर्थन किया था।

89. अन्ततः मुझे श्री एच० एस० अहूजा द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करना है कि उन्होंने किस प्रकार 1975 के आवेदन-पत्र पर कार्रवाई की, जिससे वे फुटवाल ड्राइवेज के लिए स्वीकृति प्रदान करने के निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय की फाइल नहीं देखी थी। जैसा कि पहले बताया गया है कि मुख्यालय की टिप्पणियां (प्रदर्श एस/1) क्षेत्रीय कार्यालय के श्री ए० बी० सिंह की दिनांक 29-5-1975 की अंतिम टिप्पणी से आरम्भ होती है। श्री अहूजा से यह पूछा गया था कि उनको यह ज्ञात था कि ड्राइवेज की अनुमति के लिए वर्ष 1971 में एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था तथा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी उनका जवाब था कि उन्हें 27-12-1975 की दुर्घटना के बाद 1971 की स्वीकृति के बारे में पता चला था। 1975 में श्री अहूजा ने जिन पहलुओं को ध्यान में रखा था, उन्हें उन्होंने निम्न प्रकार उल्लिखित किया है।

"जब यह मामला मेरे पास आया तो मैंने प्रबन्धकों के आवेदन-पत्र का अध्ययन किया, इसके साथ संलग्न प्लान को देखा, क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट/टिप्पणियां तथा मुख्यालय में इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी की टिप्पणियां पढ़ीं। क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट से मैंने देखा कि प्रस्तावित ड्राइवेज और पानी से आच्छादित कार्यस्थल के बीच विभाजन की मोटाई के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रेक्षण किए गए थे, जिसके साथ यह सिफारिश की गई थी कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसी हराइजन में पहले ही विकास किया जा चुका था तथा यद्यपि एडवांस बोर होल्स पहले ही किए जा चुके हैं, जैसा कि प्लान और सेक्शन में दिखाया गया है, लेकिन तीन मीटर लम्बाई के एक केन्द्रीय बोर होल की व्यवस्था करने का अतिरिक्त पूर्वोपाय किया जाना चाहिए। प्रबन्धकों का आवेदन-पत्र भी बड़े साधारण स्वरूप का था जिस में ईस्ट हैंगवाल के साथ-साथ खोदी गई ब्लाइंड गैलरी के साथ सम्बन्ध जोड़ने के प्रयोजन के लिए ईस्ट फुटवाल नामक एक ड्राइव स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। आवेदन-पत्र के साथ भेजे गए प्लान और इस पर बनाया गया सेक्शन प्रस्तावित फुटवाल और के० स्तर कार्य स्थल के बीच 27 मीटर का स्पष्ट विभाजन दर्शाता था और इसके नीचे कोई मुख्य सुरंग नहीं दिखाई गई थी जैसा कि सेक्शन से देखा जा सकता है। मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई ऊपर उल्लिखित सूचना और टिप्पणियों के देखते हुए, मेरे लिए यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि जो सिफारिश की जा रही है उसके लिए किसी भी तरह से और पूर्वोपाय करने आवश्यक हैं।"

इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि खान सुरक्षा विभाग के अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय के और मुख्यालय के प्रबन्धकों द्वारा फुटवाल ड्राइवेज के प्रस्तुत किए गए 1975 के आवेदन-पत्र के साथ भेजे गए प्लान (प्रदर्श डी/1) में दिखाए गए गलत सेक्शन से गलत फहमी में पड़ गए और असावधान हो गए। शायद यह पुनरावृत्ति होगी कि प्रदर्श डी/1 में दर्शाए गये सेक्शन इस मामले की गई व्यापक जांचों तथा 1971 में किए गए विचार विमर्श के परिणामों की उपेक्षा की है।

90. श्री अहूजा ने सेन्ट्रल बोर होल की आवश्यकता के सम्बन्ध में निम्नलिखित शब्दों में ध्यान दिया :—

"एडवांस बोर होल सम्बन्धी अनुबन्ध, जिससे हर समय कम से कम तीन मीटर भूमि का परीक्षण किया जा सके, इसलिए शामिल किया गया था ताकि पानी के किसी संभरक से होने वाले खतरे यदि इसमें कोई छोटी सी दरार या भौगोलिक नितोदन विद्यमान हो, से रक्षा की जा सके। बोर होल की ऐसी लम्बाई से उक्त खतरे का पर्याप्त संकेत और चेतावनी होती। इसी लिए शर्त (2) जैसा कि प्रदर्श 13 में दर्शायी गई है, अनुमति पत्र में शामिल की गई थी।"

इस मामले पर खान सुरक्षा विभाग द्वारा कैसे कार्यवाही की गई—इस संबंध में और टिप्पणियां

91. अब इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि क्या खान सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने 1975 में फ्लेंक बोर होल्स की अपेक्षाओं को सही मानों में अनावश्यक समझा या नहीं। इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि अब उल्लिखित किए गए कारणों से क्या सेंट्रल बोर होल्स वास्तव में अपेक्षित था। खान में केवल एक सेन्ट्रल बोर होल की व्यवस्था करने पर्याप्तता पर भी अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए। मामले के इन पहलुओं पर पूर्ण विचार करने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि यद्यपि फ्लेंक बोर होल्स से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, खान सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विनियम 127 की अपेक्षाओं की उपेक्षा करना ठीक नहीं था, विशेष कर कार्यस्थल के ऊपर बोर होल्स से सम्बन्धित और 1975 में प्रस्तावित की गई सुरंग के मुख में केवल एक सीधे बोर होल के सम्बन्ध में यह हो सकता है कि हैंगवाल सुरंग के लिए 1971 के अनुमति पत्र में दिए गए निर्देशों पर हैंगवाल सुरंग के आसपास 15 मीटर का क्षेत्र परीक्षित किया गया था, परन्तु 1975 में प्रस्तावित की गई पश्चिम से पूर्व की हैंगवाल सुरंग, 15 मीटर से काफी परे हैंगवाल सुरंग के उत्तर की ओर थी, उसी क्षितिज में, पानी की मात्रा के साथ, लगभग सीधी (वास्तव में सीधी लाइन के कुछ उत्तर में)। ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि हैंगवाल सुरंग खोदने के लिए 1971 में निर्धारित किए गए बोर होल पैटर्न को अपनाकर यह पता लगाया गया है कि के० स्तर इस प्रकार पहले हेराइजन के 15 मीटर के भीतर नीचे नहीं आया था। परन्तु फुटवाल सुरंग को अन्य कारणों से भी खतरा रहा होगा। मेरे विचार में, फुटवाल सुरंग के मुख में केवल एक बोर होल रखने के कारणों के सम्बन्ध में खान सुरक्षा विभाग की ओर से हमारे समक्ष दिया गया साक्ष्य अनुमति पत्र, में केवल उनके द्वारा दिए गए अपर्याप्त निर्देश के समर्थन में दिया गया है। खान सुरक्षा विभाग की 1975 की नोट-शीटों (प्रदर्श एस/2 और एस/1) में कोई ऐसा संकेत नहीं है जो यह दर्शाये कि फुटवाल सुरंग के मुख में एक ही बोर होल का निर्देश किसी विशेष प्रयोजन के लिए, फुटवाल गैलरी के समक्ष किसी खराबी की विशिष्ट आशंका या भौमिकी बाधा की आशंका से या किसी वाटर फीडर जो वहां विद्यमान हो सकता है, के खतरे के कारण दिया गया था, यदि 1971 की नोट शीट (प्रदर्श एस) का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाए तो यह पता चला कि एक बार श्री एच० बी० घोष ने यह नोट लिखा था कि केन्द्रीय छिद्र आवश्यक नहीं थे क्योंकि पुरानी खदानें हराइजन सं० शीर्ष पर थीं। स्पष्टतः 1971 में सुझाव किए गए बोर होल के पैटर्न के लिए यह भी एक कारण था, यहां तक कि हैंगवाल सुरंग के लिए भी इसका सुझाव दिया गया था अर्थात् 3 राइजिंग बोर होल्स जो क्षितिज से 10 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री पर झुके थे और लम्बाई में क्रमशः 27 मीटर, 38 मीटर और 30 मीटर थे। तथापि, श्री एच० बी० घोष ने भी यह स्वीकार किया है कि यह पैटर्न इन्क्लाइन सं० 4 के विस्तार के किसी छिटपुट शीर्ष को रोकने के लिए निर्मित नहीं किया गया था। यह पैटर्न शायद 1971 में इस मामले की पूर्ण जांच के बाद हुई समिति के पश्चात् निर्मित किया गया था जब श्री एच० बी० घोष को यह सूचित किया गया था कि प्रबन्धकों ने कोयला खान के रिकार्ड और पुराने कर्मचारियों

से यह पता लगाया है कि इन्क्लाइन सं० 4 भी "बन्द" थी, जिस का मतलब यह हुआ कि कार्यस्थल प्रदर्श डी/4 में दर्शाई गई जगह से परे नहीं था। वास्तव में श्री घोष से यह पूछा गया था कि उन्होंने जो बोर होल्स के पैटर्न निर्धारित किए थे उस के उद्देश्य क्या थे और उसका जवाब था कि यह के० स्तर और हारिजन, जहां खुदाई करने का प्रस्ताव था, के बीच के विभाजन की मोटाई निर्धारित करने के लिए किया गया था। प्रश्नगत दुर्घटना के बाद प्राप्त हिंडरसाइड के संबंध में यह न माना जाये कि मैं अपनी टिप्पणी दे रहा हूं परन्तु सामान्य सिद्धांत के रूप में मेरा यह विचार है कि 1975 के अनुमति पत्र में सिफारिश की गई बोर होल्स पैटर्न, एक अपर्याप्त निदेश था, भले ही विनियम 127 (5) की अपेक्षाओं को संशोधित किया गया हो या उनमें ढील दी गई हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि फुटवाल गैलरी के मुख्य में 1971 की अनुमति के ढंग से बोर होल्स बनाने की प्रणाली का पालन किया जाता तो यह बहुत संभव था कि विस्तारित इन्क्लाइन सं० 4 में पानी को फुटवाल गैलरी के इस एक्सटेंशन से नीचे जाने से बहुत पहले निकाल दिया जाता।

92. 1975 में 3 मी० गुणा 3 मी० माप की एक सुरंग (अर्थात् फुटवाल गैलरी) की इजाजत देने के लिए दिए गए कारणों की जांच भी अपेक्षित है। श्री ए० बी० सिंह ने बताया है कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरह बृहत्तर माप की एक गैलरी द्वारा निकास पहले ही कर दिया गया था, क्षेत्रीय कार्यालय ने 3 मी० गुणा 3 मी० माप की एक फुटवाल गैलरी की सिफारिश की थी। ऐसा लगता है कि श्री सिंह का विचार यह था कि जब किसी क्षेत्र में 2.4 मी० गुणा 2.4 मी० से बड़े माप की गैलरी की अनुमति दी जाती है तो उस क्षेत्र में बिना और विचार किए विनियम 127(5) में निर्धारित गैलरियों से बड़े माप की गैलरियों की इजाजत दी जानी चाहिए। इस विचार को मानना कठिन है। यदि विनियम 127 (5) की अपेक्षाओं से भिन्न कार्रवाई की अनुमति दी जानी है तो विभिन्न माप की गैलरी के प्रत्येक अनुरोध पर उस के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए न कि इस तथ्य पर अपेक्षाएं उस विशिष्ट क्षेत्र में भी पहले की अपेक्षाओं से भिन्न हैं। चसनाला कोयला खानों के एजेन्ट द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशक को लिखे गए एक महत्वपूर्ण पत्र दिनांक 5-8-71 (प्रदर्श 15/7) में कहा गया था कि प्रस्तावित गैलरियों के माप के सम्बन्ध में (हैंगवाल सुरंग सहित) ————यह अनुरोध है कि कोयले की सुरंग के लिए लांग एडवांस होल्स किए जाने के बाद 8 फीट गुणा 8 फी० के माप की सीमित गैलरियों की जगह हमें पूर्ण माप की गैलरियां खोदने की इजाजत दी जाए, जैसी कि प्लान में दर्शायी गयी है। इसलिये 1971 में, प्रबन्धकों ने विनियम 127 की अपेक्षा के अतिक्रम के लिए अनुरोध करने के सम्बन्ध में कुछ कारण तो दिया था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का या कोई अन्य कारण 1975 में नहीं दिया था, ना ही अनुमति देने से पूर्व बड़े माप की सुरंग से संबंधित उनके अनुरोध के समर्थन में इस मामले की खान सुरक्षा विभाग में जांच की गई प्रतीत होती है। परन्तु, निसन्देह ही, खोदी गई "फूटवाल" गैलरी के माप का किसी प्रकार दुर्घटना से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था।

93. चसनाला डीप माईन झरिया कोयला क्षेत्र में अपने किस्म की खान थी, उसमें हराइजन प्रणाली के खनन का प्रशस्त कार्य विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से किया जा रहा था। उस खान में कठिन कार्य-दशाओं का खान सुरक्षा विभाग को अच्छी तरह से ज्ञान था। इन्टरनेशनल कंस्ट्रक्शन कं० द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि पुरानी खान को पानी से मुक्त रखा जाए ताकि नई खान में पानी की रिसन को न्यूनतम किया जा सके, और खान सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की जानकारी के अनुसार न तो पश्चिम के पुराने कार्य-स्थल और न ही मैन-डाइक के पूर्व के कार्य-स्थल को पानी से मुक्त नहीं किया गया था। 3/4 इन्क्लाइन की पुरानी खदान में 10 करोड़ गैलन से अधिक पानी जमा हो गया था, जिसके नीचे 1975 में फूटवाल सुरंग बनाने का प्रस्ताव किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि खान सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने, जिन्होंने कि 1975 की फूटवाल आवेदन-पत्र पर कार्यवाई की थी, प्रदर्श 13 के अनुसार उसके लिए अनुमति देने से पूर्व स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा था।

94. अन्तर्विभागीय निर्देश द्वारा, श्री एच० एस० अहूजा को, कुछ अन्य विनियमों में से विनियम 127 के अधीन दिए गए सभी अभिवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकार प्रदान किये गये थे। मुझे यह सवाल करना पड़ रहा है कि क्या उसे ऐसा अधिकार ठीक ही प्रदान किया गया था या नहीं।

क्या श्री एच० एस० अहूजा दिनांक 9-6-75 के आवेदन-पत्र को अन्ततः निपटा सके

95. विनियम 127 (3) के अनुसार, फूटवाल सुरंग तैयार करने के लिए मुख्य खान निरीक्षक की लिखित पूर्व अनुमति आवश्यक थी, क्योंकि यह पुराने जलमग्न कार्यस्थल के 60 मी० के अन्दर पड़ता था। उस समय श्री एस० एस० प्रसाद, मुख्य निरीक्षक थे, जैसा कि प्रदर्श टी/7 में दर्शाया गया है। यह दस्तावेज भारत सरकार की दिनांक 5-9-1974 की अधिसूचना है, जिसमें श्री एस० एस० प्रसाद को 26-8-1974 से मुख्य खान निरीक्षक नियुक्त किया गया है। 9-6-1975 को, जब फूटवाल सुरंग के लिए आवेदन-पत्र दिया गया था, और 29-9-1975 को, जब कि इसके लिए श्री एच० एस० अहूजा द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी, श्री अहूजा, खान सुरक्षा निदेशक के पद पर नियुक्त थे, जिससे उन्हें खान अधिनियम के अधीन निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। पक्षकार सं० 8 की ओर से श्री अहूजा को मुख्य परीक्षण के समय, उन से पूछा गया कि विनियम 127 (प्रदर्श 13) के अन्तर्गत उन्होंने किस अधिकार से अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने यह अधिकार खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी किए गए 26-8-1976 के एक कार्यालय आदेश से प्राप्त किया था। इस आदेश की एक प्रति प्रदर्श टी के रूप में रिकार्ड में रखी गई है, जिसका संबंधित भाग निम्न प्रकार है:—

कार्यालय आदेश

अगले आदेशों तक खान सुरक्षा के उप महानिदेशक का कार्य निम्न प्रकार से निपटाया जाएगा:—

* * * *

खान सुरक्षा निदेशक (सुरक्षा संबंधी मानक)	कोयला खानों और उनकी दुर्घटनाओं से संबंधित सारी फाइलें।

खान सुरक्षा के उप महानिदेशक के अनुमोदन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण निर्णय श्री एस० एस० प्रसाद को प्रस्तुत किए जायेंगे।

ह०/- एस० एस० प्रसाद
खान सुरक्षा महानिदेशक

96. 1975 में उस समय श्री एच० एस० अहूजा, खान सुरक्षा निदेशक (सुरक्षा मानक) थे। यह कार्यालय आदेश "खान सुरक्षा के उप महानिदेशक" के कार्य का उल्लेख करता है और इसलिए इस संदर्भ में श्री अहूजा के साक्ष्य से कुछ बताना पड़ेगा। भारत सरकार की दिनांक 5-1-1972 की अधिसूचना (प्रदर्श टी/2) द्वारा, जो कि खान सुरक्षा महानिदेशक को भेजी गई थी, खान सुरक्षा महानिदेशक को खान अधिनियम, 1952 के अधीन (अपीलों से संबंधित को छोड़कर) खान सुरक्षा निदेशकों को मुख्य खान निरीक्षक के ऐसे अधिकार सौंपने की सत्ता दी गई थी, जिन्हें वह निर्दिष्ट करे। केन्द्रीय सरकार द्वारा यह अधिकार खान अधिनियम, 1952 की धारा 6 (1) के अधीन था। इस समय श्री एच० बी० घोष, खान सुरक्षा महानिदेशक थे, जो मुख्य निरीक्षक की सारी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। दिनांक 22-8-72 के एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा, जिस पर श्री एच० बी० घोष ने हस्ताक्षर किया था, श्री एस० एस० प्रसाद को मुख्य खान निरीक्षक की कुछ शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय

ज्ञापन के अधीन, श्री एस० एस० प्रसाद को विनियम 127 के अधीन किसी आवेदन-पत्र का निपटान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया।

97. उसके बाद, श्री एच० बी० घोष द्वारा पारित किए गए दिनांक 3-5-1973 के एक कार्यालय आदेश (प्रदर्श टी/4) द्वारा, अन्य मामलों में से, उन्होंने यह निदेश दिया "कि कोयला खान विनियम, 1957 के नियम 127 के अधीन सारे आवेदन-पत्र अगले आदेशों तक खान सुरक्षा के उप महानिदेशक के पास अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जाते थे। तथापि इस कार्यालय आदेश में यह बताया गया था कि यथा-पद्धति उप महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशक को जब कभी आवश्यक समझें, कोई भी फाइल प्रस्तुत कर सकते हैं।" संभवतः इस समय से विनियम 127 के अधीन प्राप्त आवेदन-पत्रों के निपटान का उत्तरदायित्व खान सुरक्षा के उप महानिदेशक को हस्तांतरित किया गया था और दिनांक 26-8-1974 को प्रदर्श टी० द्वारा यह उत्तरदायित्व श्री एस० एस० प्रसाद द्वारा खान सुरक्षा निदेशक (सुरक्षा मानक) को सौंपा गया था।

क्या श्री एस० एस० प्रसाद खान सुरक्षा महानिदेशक थे

98. इस अवस्था में, एक विशेष प्रकार के विवाद का उल्लेख कर दें। यह विवाद इस नुक्ते पर था कि क्या 26-8-1974 को श्री एस० एस० प्रसाद, खान सुरक्षा महानिदेशक थे या नहीं। श्री एच० एस० अहूजा के अनुसार, उस समय श्री एस० एस० प्रसाद, खान सुरक्षा महानिदेशक थे और अपनी बात को साबित करने के लिए प्रदर्श टी/1, दिनांक 24-8-74 के रूप में अंकित हुआ एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। श्री एस० एस० प्रसाद की अदालती गवाह के रूप में जांच की गई है और उनके अनुसार, 26-8-1974 को वे खान सुरक्षा महानिदेशक नहीं थे, बल्कि, वह खान सुरक्षा के उप महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे तथापि हमें इस नुक्ते से कोई संबंध नहीं है कि 26-8-1974 को श्री एस० एस० प्रसाद, खान सुरक्षा महानिदेशक थे या खान सुरक्षा के उप महानिदेशक थे। हमें इस नुक्ते से संबंध है कि क्या 26-8-1974 को वे मुख्य खान निरीक्षक थे या नहीं, जब उन्होंने प्रदर्श टी में समाविष्ट किया गया आदेश पास किया था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उस तारीख को श्री एस० एस० प्रसाद मुख्य खान निरीक्षक थे। केन्द्रीय सरकार की दिनांक 5-9-1974 की अधिसूचना (प्रदर्श टी/7) के आधार पर श्री एस० एस० प्रसाद को 26-8-1974 से मुख्य खान निरीक्षक नियुक्त किया गया था।

क्या मुख्य खान निरीक्षक किसी निरीक्षक को विनियम 127(3) के अधीन आदेश पास करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है

99 यदि 28-8-1974 को श्री एस० एस० प्रसाद विनियम 127(3) के अधीन प्राप्त शक्तियों को खान निरीक्षक को सौंपने के लिए प्राधिकृत किया गया था तो प्रदर्श टी के अधीन, इस प्रकार सौंपा गया, अधिकार वैध होगा। परन्तु, मैं यह नहीं समझता कि 28-4-1974 को तत्कालीन मुख्य खान निरीक्षक को किसी खान निरीक्षक को विनियम 127 (3) में परिकल्पित आदेशों को पारित करने के लिए प्राधिकृत करने की कोई शक्ति थी। यह साबित करने के प्रयोजन के लिए कि तत्कालीन मुख्य खान निरीक्षक किसी खान निरीक्षक को विनियम 127 (3) के अधीन प्राप्त किसी आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने और उस पर अन्तिम आदेश देने के लिए प्राधिकृत कर सकता था, पक्षकार सं० 8 की ओर से रिकार्ड में कुछ दस्तावेज रखे गए हैं और खान अधिनियम के कुछ उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। इस विशिष्ट नुक्ते के संबंध में प्रदर्श टी/2 दिनांक 5-1-1972 का हवाला दिया गया है। यह नोट किया जाए कि प्रदर्श टी/2 के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशक को "खान अधिनियम, 1952 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति दी गई है कि वह खान सुरक्षा निदेशक को खान अधिनियम, 1952 (अपवादों से भिन्न) को मुख्य खान निरीक्षकों की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं जो वह निर्दिष्ट करना चाहें।" मैं यह नहीं समझता कि इस अनुमोदन के अधीन, खान सुरक्षा महानिदेशक या मुख्य खान निरीक्षक, निदेशकों को (जो निरीक्षक) थे कोयला खान विनियम, 1957 के अधीन मुख्य निरीक्षकों की किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। मुख्य निरीक्षकों को खान अधिनियम के अधीन कुछ शक्तियां थी, जो उसमें निर्दिष्ट हैं, और उन्हें विनियमों के अधीन अन्य शक्तियां भी प्राप्त थीं। खान अधिनियम की धारा 7 में यह व्यवस्था है कि मुख्य निरीक्षक या कोई निरीक्षक "ऐसी अन्य शक्तियों" का प्रयोग कर सकते हैं जो कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएं यह व्याख्या स्पष्ट रूप से मुख्य निरीक्षक की खान अधिनियम के अधीन शक्तियों और विनियमों के अधीन उनकी "अन्य शक्तियों" के बीच अन्तर दर्शाती है। जब यह प्रतीत हो कि मुख्य खान निरीक्षक विनियम 127 (3) के अधीन कोई आदेश पारित करने का दावा करता है तब वह खान अधिनियम की धारा 7 द्वारा परिकल्पित अपनी "अन्य शक्तियों" का प्रयोग करता है, न कि खान अधिनियम के अधीन दी अपनी शक्तियों का।

100. खान अधिनियम की धारा 6 (1) में उल्लिखित "अधिनियम" शब्द खान अधिनियम के अधीन पारित विनियमों के बराबर मानने के लिए पक्षकार सं० 8 के विद्वान काउन्सेल ने खान अधिनियम की धारा 59 (5) का आश्रय लिया है जिस में यह कहा गया है कि विनियम तथा नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे और इस प्रकार प्रकाशित किए जाने पर ये उसी प्रकार वहीं प्रभावी होंगे मानों ये अधिनियम में बनाए गए हों। मैं यह नहीं समझता कि यह व्याख्या स्वीकार्य है। "इन का कहीं प्रभाव होगा मानो" या "माने जाएंगे" की तरह के शब्द हमेशा कल्पित स्थिति की व्याख्या करने वाले माने जाते हैं, ताकि जिन उपबन्धों को वे निर्दिष्ट करते है उनको सार्वधिक वैधता दी जा सके, परन्तु ऐसी अभिव्यक्तियों से, विनियमों और नियमों को सब प्रकार से स्वयं अधिनियम के उपबन्धों के बराबर नहीं माना जा सकता।

101. इसी संदर्भ में पक्षकार सं० 8 के विद्वान काउन्सेल ने 1959 के अधिनियम 62 द्वारा संशोधित किए जाने से पहले खान अधिनियम 1952 की धारा 83 का हवाला देकर यही तर्क दी है कि खान अधिनियम, 1952 में "अधिनियम" शब्द में खान अधिनियम के अधीन निर्मित विनियम भी शामिल हैं। पुरानी धारा 83 के अधीन केन्द्रीय सरकार को किसी भी स्थानीय क्षेत्र किसी खान या खानों के समूह या वर्ग या किसी खान के किसी भाग को या व्यक्तियों के किसी वर्ग को खान अधिनियम के सभी या किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन से छूट देने का अधिकार था। इस संबंध में हमारा ध्यान भारत सरकार द्वारा पुरानी धारा 83 के अधीन प्रकाशित की गई कुछ अधिसूचनाओं की ओर दिलाया गया है, जिनके द्वारा खान अधिनियम के अधीन कुछ विनियमों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है। मैं नहीं समझता कि खान अधिनियम की धारा 6 (1) में प्रयुक्त शब्द "अधिनियम" की व्याख्या के लिए इस तर्क को स्वीकार किया जा सकता है। यह हो सकता है कि इस असंगति को दूर करने के लिए खान अधिनियम की धारा 83 संशोधित की गई थी, जिस में केन्द्रीय सरकार को खान अधिनियम के सभी उपबन्धों या किसी भी उपबन्ध में प्रवर्तन से छूट देने की शक्तियां प्रदान की गई और केन्द्रीय सरकार को यह शक्तियां भी प्रदान की गई कि वह मुख्य खान निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन निर्मित विनियमों या नियमों के प्रवर्तन से छूट देने का प्राधिकार दे सकती है। यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 6 और धारा 83 को 1959 के अधिनियम 62 द्वारा संशोधित किया गया था और इस प्रकार अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों के उपबन्धों को समान नहीं माना जा सकता, जैसा कि विद्वान काउन्सेल ने कहा है।

102. पक्षकार सं० 8 के विद्वान काउन्सेल का एक अन्य तर्क केन्द्रीय सरकार द्वारा खान अधिनियम के अधीन पारित दिनांक 31-3-1960 की (प्रदर्श 15/2) अधिसूचना के साथ पठित खान अधिनियम की धारा 83(2) पर आधारित है। इस संबंध में मैं विद्वान काउन्सेल के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। यदि केन्द्रीय सरकार धारा 83(2)

के अधीन कार्य करते हुए, कानून के उस उपबन्ध में परिकल्पित, मुख्य निरीक्षक को कोई अधिकार देती है तब मुख्य निरीक्षक ही एकमात्र ऐसा प्राधिकारी है वे उस अधिकृतीकरण के अधीन कार्रवाई कर सकता है। श्री एस० एस० प्रसाद ने अदालती गवाह के रूप में बयान देते हुए बताया है कि उन्होंने प्रदर्श 15/2 के अनुसार कोई आदेश जारी नहीं किया है। इस पाइंट पर और बल देते हुए विद्वान काउन्सेल ने तर्क दिया है कि दिनांक 31-3-1960 के प्रदर्श 15/2 द्वारा, जो खान अधिनियम की धारा 83(2) के अधीन पारित किया गया था, मुख्य निरीक्षक को विनियम 127 के उपबन्धों से छूट देने के लिए प्राधिकृत किया गया था और दिनांक 5-1-1972 के प्रदर्श सं० टी/2 द्वारा (जो खान अधिनियम की धारा 6 के अधीन पारित किया गया था) मुख्य निरीक्षक को किसी निरीक्षण को विनियम 127 को किसी अपेक्षा से छूट देने के लिए शक्तियां प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, यदि वह इसे उचित समझे इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है। मेरे विचार में खान अधिनियम की धारा 6 और धारा 83 को ऐसी व्याख्या के लिए समान नहीं समझा जा सकता है। धारा 83(2) के अधीन, केन्द्रीय सरकार मुख्य खान निरीक्षक को छूट देने के लिए प्राधिकृत करने की जगह "किसी अन्य प्राधिकारी" को प्राधिकृत कर सकती है और इस मामले में, दिनांक 31-5-1960 की अधिसूचना (प्रदर्श 15/2) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने खान अधिनियम के अधीन विनियमों के उपबन्धों से छूट देने के लिए मुख्य खान निरीक्षक को प्राधिकृत किया था और किसी प्राधिकारी को नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा खान अधिनियम की धारा 83 (2) के अधीन जारी किए गए इस आदेश को उसी केन्द्रीय सरकार द्वारा खान अधिनियम की धारा 6 (1) के अधीन मुख्य निरीक्षक को दी गई किसी स्वीकृति से संबद्ध नहीं किया जा सकता जिसके अनुसार अधिनियम के अधीन मुख्य निरीक्षक को प्रदत्त कुछ शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी निरीक्षक को प्राधिकृत किया जाता है। मेरे विचार में, विचाराधीन विषय के संबंध में निष्कर्ष अवश्य ही यह होगा कि मुख्य निरीक्षक विनियम 127 के अधीन आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिए और उनकी अपेक्षाओं से छूट देने के लिए किसी निरीक्षक को प्राधिकृत नहीं कर सकता था।

103. एक समय यह सवाल उठा कि क्या श्री एस० एस० प्रसाद, मुख्य निरीक्षक के रूप में प्रदर्श टी/2 के अधीन कार्य कर सकते थे या उन्हें खान अधिनियम को धारा 6(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार से नयी स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी। मेरे विचार में श्री एस० एस० प्रसाद के लिए नई स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक नहीं थी। परन्तु यह बात इस संदर्भ में अनावश्यक है, क्योंकि यहां तक कि श्री एन० बी० घोष भी विनियम 127 के अधीन आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिए किसी निरीक्षक को प्राधिकृत नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि श्री एस० एस० प्रसाद खान सुरक्षा विभाग में विद्यमान पूर्वोदाहरण का अनुसरण कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने हमारे समक्ष बताया है।

104. इस विषय पर मेरा निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार है :—

(क) रिकार्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं लायी गई है जिस से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 83(2) के अधीन जारी की गई दिनांक 31-3-1960 की अधिसूचना (प्रदर्श 15/2) के अधीन छूट देने के लिए किसी मुख्य निरीक्षक ने कोई कार्यवाही की हो, जिससे विनियम 127 या उसका कोई भाग चसनाला कोलियरी या उसके किसी भाग पर लागू न रहा हो। बल्कि सभी पक्षों ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि विनियम 127 इस कोलियरी पर लागू था।

(ख) रिकार्ड पर लायी गयी सामग्री इस कथन की पुष्टि नहीं करती कि मुख्य निरीक्षक को विनियम 127 (3) के अधीन कोई ऐसी शक्ति प्रदत्त की गई हो जिस से वह खान अधिनियम के अधीन किसी निरीक्षक को अपनी शक्तियां सौंप सके।

(ग) यदि मुख्य निरीक्षक को किसी निरीक्षक को अपनी शक्तियां सौंपने का अधिकार प्राप्त नहीं था तो श्री एच० एस० अहूजा फूटवाल सुरंग के मामले में कार्रवाई करने और अन्ततः 1975 में स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में, श्री अहूजा द्वारा विनियम 127(5) के उपबन्धों की अपेक्षाओं में से किसी भी अपेक्षा से छूट प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

[मैंने विनियम 127 (3) के अधीन मुख्य निरीक्षक के प्राधिकार की व्याख्या के प्रश्न पर कहीं और जगह कार्रवाई की है और मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि विनियम 127 किसी खान पर लागू होता है तो मुख्य निरीक्षक को विनियम 127(5) को किसी अपेक्षा को संशोधित करने या उसमें परिवर्तन करने या उन से कोई छूट देने का कोई अधिकार नहीं है।]

परन्तु मुझे यह भी अवश्य कहना चाहिए कि खान सुरक्षा निदेशक (सुरक्षा मानक), अर्थात् खान अधिनियम के अधीन निरीक्षक का पद धारण करने वाले व्यक्ति, को वास्तव में विनियम 127 के अधीन अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई थी और इस लिए मैं प्रबंधकों द्वारा 1975 में दिए गए आवेदन पत्र को अन्ततः निपटाने के लिए मैं एच० एस० अहूजा पर दोष नहीं लगा सकता। उनके लिए यह संभव नहीं था कि वह कानून की जटिलताओं में जाएं और मुख्य निरीक्षक द्वारा विनियम 127 के अधीन अपनी शक्तियां उन्हें सौंपने के अधिकार को चुनौती दें यदि श्री अहूजा और खान सुरक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों ने, विनियम 127 की अपेक्षाओं तथा सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, इस आवेदन-पत्र पर कार्रवाई की होती, तो मैं इस मामले पर केवल कानूनी जटिलताओं को बताने के सिवा कोई टिप्पणी नहीं देता, दूसरी ओर, यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा (ताकि पूरा ब्यौरा दिया जा सके) कि यदि प्रबंधकों ने 1975 में श्री अहूजा द्वारा दी गई अनुमति का प्लान से विचलित हुए बिना पालन किया होता तो यह विशिष्ट दुर्घटना 27-12-1975 को न घटती। क्या प्रबंधकों ने इस प्लान का पालन किया था या वह इससे विचलित हुए थे यह एक पृथक मामला है, जिस को कहीं और जगह विचार किया गया है। (इस संबंध में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रबंधकों ने 1975 में मंजूर किए गए प्लान का पालन नहीं किया था और प्रश्नगत दुर्घटना 1975 में प्रदान की गई स्वीकृति से विचलित होने के कारण हुई है)।

105. इस के तुरंत बाद, विनियम 127(3) के अधीन मुख्य निरीक्षक को शक्ति पर अवश्य विचार किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह विनियम 127 (5) की अपेक्षाओं से छूट दे सकते हैं या जहां कहीं विनियम 127 लागू होता हो वहां उन अपेक्षाओं का अवश्य ही अनुपालन किया जाना चाहिए। विनियम 127 की व्याख्या के प्रश्न और यदि आवश्यक हो तो विनियम 127 में संशोधन सुझाने के लिए इस मामले पर हमारे समक्ष बहस हुई है।

विनियम 127 की व्याख्या

106. विनियम, 127 के संबंध में विचार करने की मुख्य बात यह है कि विनियम 127 के उप-नियम (3) में आने वाली अभिव्यक्ति, जो इस प्रकार है, "मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्वानुमति को छोड़ कर तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उस में निर्दिष्ट करें", मुख्य निरीक्षक को, स्वीकृति देने के लिए विनियम 127 के अन्य उप-नियमों विशेष कर उप-नियम (5), की अपेक्षाओं को परिवर्तित करने, संशोधित करने या उनसे छूट देने की शक्तियां देता है। इस प्रश्न के उठने का कारण यह है कि श्री एच० एस० अहूजा ने 29-9-1975 को खान सुरक्षा महानिदेशक की ओर से ईस्ट फूटवाल सुरंग की स्वीकृति (प्रदर्श 13) देते समय विनियम 127 (5) की अपेक्षाओं को संशोधित किया था और वास्तव में उन्होंने उस उप-नियम की कुछ अपेक्षाओं का पालन नहीं किया था। (यह भी बता दिया जाए कि श्री एच० एस० अहूजा ने यह खण्ड भी शामिल किया था कि "यदि भारी मात्रा में पानी के रिसने का पता

चले, जो सीम के लिए सामान्य न हो, तो कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127 के उपनियम (3) से संलग्न परन्तुक का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जोकि विनियम 127 द्वारा अपेक्षित शर्त नहीं थी)।

107. इस जांच न्यायालय के समक्ष अपनाया गया रवैया यह था कि मुख्य निरीक्षक, जिनके द्वारा विनियम 127 (3) के अधीन कार्यवाही करते समय विनियम, 127 की अपेक्षाओं को परिवर्तित करने, संशोधित करने और उन से छूट देने के लिए सक्षम है। यह प्रश्न विशेष रूप से श्री एस० एन० ठाकर से पूछा गया था, जो खान सुरक्षा महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस आवेदन-पत्र पर कार्रवाई की थी। उन्होंने ध्यान दिया कि स्वीकृति पत्र (प्रदर्श 13) में विनियम 127 (5) के किसी उपबन्ध से छूट देने के संबंध में विशेष रूप से नहीं कहा गया था, परन्तु वास्तव में यह अपेक्षाओं से छूट देने के समान था। उन से पूछा गया कि प्रदर्श 13 में ऐसी चीज क्या है जो यह दर्शाये कि छूट प्रदान की गई थी। उन्होंने जवाब दिया कि छूट इस लिए दी गई क्योंकि 3 मीटर × 3 मीटर माप की गेलरी खोदने की स्वीकृति दी गई थी और जमीन के परीक्षण का तरीका (प्रदर्श 13 के अन्तर्गत निर्देशित) विनियम 127 की अपेक्षाओं से भिन्न था। श्री ठाकर से पूछा गया अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके संबंध में उनका उत्तर नीचे उद्धृत किया गया है:—

प्रश्न: प्रबंधकों द्वारा 1975 में अंतिम स्वीकृति के लिए दिए गए आवेदन पत्र के संबंध में क्या आपने यह सिफारिश की थी कि विनियम 127 (5) के उपबन्धों का अनुपालन अनावश्यक या अव्यवहार्य था। आप ने यह सिफारिश किस आधार पर की थी?

उत्तर: विनियम 127(5) की अपेक्षा आवश्यक नहीं समझी गई।

108. विनियम 127 (3) के अधीन मुख्य निरीक्षक की शक्तियों के संबंध में श्री एस० एन० ठाकर की व्याख्या पूर्णतः प्रतीत नहीं होती। उन से पक्षकार सं० 14 की ओर से पूछा गया कि क्या उनके द्वारा सिफारिश देने के समय यह आवश्यक नहीं था कि वह विनियम 127 (5) के अधीन निर्धारित कानून के सांविधिक उपबन्धों से अवगत होते। उन्होंने उत्तर दिया कि उस समय उन्हें मालूम था कि मुख्य खान निरीक्षक की शक्तियां राजपत्रित अधिसूचना द्वारा बढ़ा दी गई थीं और वह विनियम 127 (5) के उपबन्धों से छूट दे सकते थे। ऐसा लगता है कि श्री ठाकर के दिमाग में खान अधिनियम, 1952 की धारा 83 (2) थी, जो निम्न प्रकार थी:—

"83(2)—केन्द्रीय सरकार सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी पाबंदियों के साथ जिन्हें वह लगाने के लिए उपयुक्त समझे मुख्य निरीक्षक या किसी भी अन्य प्राधिकारी को, किन्हीं विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन किसी खान या उसके भाग को इस अधिनियम के अधीन बने विनियमों और नियमों के किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन से छूट देने के लिए प्राधिकृत कर सकती है, यदि मुख्य निरीक्षक या ऐसे प्राधिकारी का यह मत हो कि किसी खान या उस के भाग में परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें ऐसे उपबन्धों का अनुपालन अनावश्यक और अव्यवहार्य है।"

धारा 83 (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार की दिनांक 31-3-1960 की एक अधिसूचना रिकार्ड में लायी गई है जिसे प्रदर्श 15/2 के रूप में अंकित किया गया और जो निम्न प्रकार है:—

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1960

का० आ० खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 83 की उप-धारा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मुख्य खान निरीक्षक को, किन्हीं विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन, किसी खान या उसके भाग को निम्नलिखित विनियमों अर्थात् कोयला खान विनियम 1957 के विनियम 69, 74, 89, 99, 127, 130, 151 और 172 के प्रवर्तन से छूट देने के लिए प्राधिकृत करती है, यदि मुख्य खान निरीक्षक का यह विचार हो कि उस खान या उसके किसी भाग में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें ऐसे उपबन्धों का अनुपालन अनावश्यक या अव्यवहार्य है।

[1/15/60/एम I]

ए० पी० वीरा राघवन, अवर सचिव

109. स्पष्टतः, श्री ठाकर को इस संबंध में खान अधिनियम की धारा 83 (2) के उपबन्ध और विनियम 127 (3) के उपबन्ध के बीच भ्रांति थी। रिकार्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं लायी गई है जो यह दर्शाये कि विनियम 127 के प्रवर्तन से चसनाला कोलियरी को छूट देने के लिए किसी मुख्य निरीक्षक ने सीधे अधिसूचना (प्रदर्श 15/2) के अन्तर्गत कार्रवाई की थी और वास्तव में यह जांच इसी आधार पर की गई है कि विनियम 127 चसनाला कोलियरी पर लागू था। जैसा कि पहले बताया गया है, श्री एस० एस० प्रसाद ने ब्यान दिया है कि उन्होंने विनियम 127 के प्रवर्तन से किसी खान या उस के भाग को छूट देने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया था। अतः, मुख्य निरीक्षक की शक्तियों पर विचार केवल विनियम 127 (3) के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

110 प्रबन्धकों की ओर से विनियम 127 की अपेक्षाओं और उस से परिवर्तनों के सम्बन्ध साक्ष्य रिकार्ड में है श्री रामानुज भट्टाचार्य से, जो उस समय प्रबन्धक थे, यह पूछा गया कि क्या विनियम 127 (5) के अनुसार दोनों किनारों पर फ्लैंक बोर होल तथा जहां कहीं आवश्यक हो, खदानों के ऊपर और नीचे बोर होल अपेक्षित थे या नहीं, और उन्होंने हां में उत्तर दिया। पूछे गए प्रश्न और दिए गए उत्तर इस प्रकार थे:

प्रश्न। जैसा कि विनियम के इस उपबन्ध के अधीन अपेक्षित है, ऐसे बोर होल क्यों नहीं किए गए?

उत्तर। मैं ने प्रदर्श 13 में दिए गए निर्देश का पालन किया और मैंने उसे पर्याप्त समझा।

श्री रामानुज भट्टाचार्य से स्वीकृति पत्र में आने वाले शब्दों "कानून के किसी अन्य उपबन्ध पर, जो प्रयोज्य हो या किसी भी समय प्रयोज्य हो जाए, बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले" के संबंध में अपनी व्याख्या देने के लिए भी कहा गया और उनका उत्तर निम्न प्रकार था:—

"चूंकि स्वीकृति पत्र में कोई स्पष्ट संकेत नहीं था, इस लिए मैंने प्रदर्श 13 की शर्त (2) को पर्याप्त समझा"।

अतः, प्रबंधक का मत था कि विनियम 127 (5) के उपबन्ध विनियम 127 (3) के अधीन जारी किए स्वीकृति पत्र में दिए गए निर्देशों द्वारा नियंत्रित किए जाते थे।

111. विनियम 127(3) के अधीन मुख्य निरीक्षक की शक्तियों के सही महत्व का पता लगाने के लिए इस प्रकार के मामले को नियंत्रित करने वाले पहले के विनियमों के तत्संबंधी उपबन्धों की ओर ध्यान देना आवश्यक होगा। भारतीय कोयला खान विनियम, 1926 के उपबन्ध विनियम 72ख, 73, 74 और 75 में मिलेंगे, जो नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"72 ख(1). ऐसे किसी भी स्थान से कोयला नहीं निकाला जाएगा जो निम्नलिखित के नीचे लम्बरूप में स्थित हो:—

(क) किसी नदी, तालाब या जलाशय के तल का कोई भाग, या

(ख) कोई भी ऐसा स्थान जो किसी नदी के किसी भी किनारे या किसी टैंक या जलाशय की सीमा से 50 फुट की क्षैतिज दूरी के अन्दर हो यहां खनन केवल मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुमति से उनके द्वारा निर्दिष्ट की गई शर्तों के अनुसार किया जा सकता है।

(2) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, जहां नदी के मार्ग में या टैंक में या जलाशय में बालू या अलूवियम पड़े हों, उस प्वाइंट में नदी, टैंक या जलाशय का तल ऐसे बालू या अलूवियम के नीचे हार्ड स्ट्राटा की सतह के अनुरूप समझा जाएगा।

73. जहां किसी खान का कोई भाग इस प्रकार स्थित हो कि खान में सतह के पानी के फूट पड़ने का खतरा हो, वहां पानी के फूटने के ऐसे खतरे से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाएगी।

74. जहां कोई खदान किसी ऐसे स्थान से 100 फुट की सीमा में पहुंच गया हो जिस में पानी के जमाव या अन्य तरल पदार्थ के होने की संभावना हो या किसी ऐसे अप्रयुक्त खदान (वे ऐसे खदान नहीं, जिन की जांच की गई है और पानी या अन्य तरल पदार्थ के जमाव से मुक्त पाए गए हैं), के 100 फुट की सीमा में पहुंच गया हो, वहां खदान की चौड़ाई या ऊंचाई 8 फीट से अधिक नहीं होगी और खदान के मुख के केन्द्र के समीप कम से कम एक बोर होल और प्रत्येक किनारे में पर्याप्त बोर होल्स बनाए जाएंगे और जहां आवश्यक हो 15 फुट से अनधिक दूरी पर खदान के ऊपर व नीचे बोर होल बनाए जाएंगे। इस प्रकार के सारे बोर होल्स की खनन की कार्य करने से पूर्व पर्याप्त दूरी पर लगातार व्यवस्था की जाएगी और यह दूरी किसी भी हालत में 10 फीट से कम नहीं होगी।

75. जहां किसी ऐसी सीम या सीम के भाग के नीचे, जिसमें पानी के जमाव की संभावना हो, किसी सीम या सीम के भाग में कार्य हो रहा हो, या जहां कार्य किसी ऊपर सीम में या किसी ऊपर सीम के भाग में किया जा रहा हो, जो निचली सीम के किसी भाग के निचले स्तर से नीचे हो, जिस में पानी हो या पानी के जमाव की संभावना हो, वहां जिस सीम में कार्य किया जा रहा हो उसमें पानी के आने से बचने के लिए, जिस से खान में काम कर रहे श्रमिकों की जान को खतरा हो सकता है, पर्याप्त पूर्वोपाय किए जाएंगे।"

112. ये सभी उपबन्ध अब कुछ संशोधनों और परिवर्धनों के साथ कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 126 और 127 में शामिल किए गए हैं। सामान्यतः पुराने विनियम 72ख और 73 के उपबन्ध अब 1957 के विनियमों के विनियम 126 में पाये जाएंगे और पुराने विनियम 74 और 75 के उपबन्ध अब 1957 के विनियमों के विनियम 127 में पाये जाएंगे।

113. यह बात ध्यान देने योग्य है कि 1926 के विनियमों के विनियम 74 में मुख्य निरीक्षक को उन खदानों के संबंध में कोई शर्त निर्धारित करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई थी जो किसी ऐसे स्थान से 100 फुट की सीमा में पहुंच गई हों जिस में पानी या किसी अन्य तरल पदार्थ का जमाव हो और इस लिए इस प्रकार के खनन् कार्य के लिए मुख्य निरीक्षक की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये अपेक्षायें आदेशात्मक थी। (तथापि, पानी के तल के नीचे की खदानों के संबंध में 1926 के विनियमों के विनियम 72 ख के अधीन उन्हें कुछ शक्तियां और विवेकाधिकार प्रदान किए गए थे)। 1926 के विनियमों के विनियम 74 में निर्धारित की गई 100 फुट की दूरी को 1957 के विनियमों के विनियम 127 (3) में बढ़ा कर 60 मीटर (200 फुट) कर दिया गया है और इस संबंध में विनियम 127(3) में यह शामिल किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर खनन–कार्य केवल मुख्य निरीक्षक की लिखित पूर्वानुमति से और उनके द्वारा स्वीकृति-पत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन किया जा सकता है।

114. यह उल्लेखनीय है कि भारतीय कोयला खान विनियम, 1926 और कोयला खान विनियम, 1957 के बीच 1955 में अस्थायी कोयला खान विनियम जारी किए गए थे, संबंधित उपबन्ध 1955 के विनियमों के विनियम 5 में हैं, जो नीचे उद्धृत किया गया है।

"खान के कार्यस्थल या उसके किसी भाग में जल या अन्य तरल पदार्थ के धावें और घुसने के खतरे से बचने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त पूर्वोपाय किए जाएंगे, अर्थात्:—

(1) मुख्य विनियमों के विनियम 72ख के अधीन स्वीकृति देने के लिए सभी आवेदन-पत्रों के साथ खान की खदानों की वर्तमान स्थितियों को दर्शाने वाले प्लानों और सेक्शनों की दो-दो प्रतियां, खदानों का प्रस्तावित नक्शा, सतह से खदान की गहराई, सभी दरारों, डाइकों तथा अन्य भौमिकीय बाधाओं और ऐसे अन्य तथ्य का ब्यौरा भेजा जाएगा जो कि खान या उसमें नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

(2) मुख्य विनियमों के विनियम 74 में शामिल किसी भी उपबन्ध के बावजूद, किसी भी ऐसी खदान में जो किसी अप्रयुक्त या परित्यक्त खदान (ऐसी खदानों को छोड़ कर जिन की जांच की गई है और पानी या अन्य तरल पदार्थ के जमाव से मुक्त पायी गयी हैं) से 150 फुट की सीमा में पहुंच गई हो (चाहे वह उसी खान में हो या समीप की खान में), बिना मुख्य निरीक्षक की लिखित पूर्वानुमति लिए आगे खनन कार्य नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया जाएगा।

(3) मुख्य वियनमों के विनियम 74 में शामिल किसी भी उपबन्ध के बावजूद, यदि किसी खदान में पानी का रिसना नजर आए जो किसी अप्रयुक्त या 8 परित्यक्त खदान (ऐसी खदानों को छोड़कर जिनकी जांच की गई है और पानी या अन्य तरल पदार्थ के जमाव से मुक्त पायी गयी है) से 150 फुट से दूर हो (चाहे वह उसी खान में हो या साथ की खान में) तब ऐसी खदान को तत्काल बन्द कर दिया जाएगा और मुख्य निरीक्षक और सर्कल के निरीक्षक को तत्काल इस घटना की सूचना दी जाएगी। ऐसी खदानों में मुख्य निरीक्षक की लिखित पूर्वानुमति के बिना आगे खनन कार्य नहीं किया जाएगा इस संबंध में मुख्य निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया जाएगा।

व्याख्या—धाराओं (2) और (3) के प्रयोजनों के लिए, उक्त खदानों के बीच की दूरी का अर्थ होगा न्यूनतम दूरी, चाहे वह किसी भी दिशा में हो, अर्थात् क्षैतिज, लम्बात्मक या ढलान से।

(4) धारा (2) के अधीन अनुमति के लिए सभी आवेदन-पत्रों के साथ ऐसी अप्रयुक्त या परित्यक्त खदानों के नक्शों को दर्शाने वाले प्लानों और सेक्शनों की दो प्रतियां भेजी जाएंगी जिनमें ऐसी अप्रयुक्त और परियुक्त खानों के मानचित्र होंगे जो उन खदानों की स्थिति बताते हों जो उनके समीप हों। उनसे संबंधित उपलब्ध सूचना भी उन में होगी।

(5) मुख्य विनियमों के विनियम 74 में निर्धारित किए गए पूर्वोपाय इस प्रयोजन के लिए प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत किए गए सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन लागू किए जायेंगे।"

115. यह स्पष्ट है कि कोयला खान विनियम, 1957 का विनियम 127, 1955 के अस्थायी विनियमों के विनियम 5 के आधार पर, कुछ परिवर्धन और परिवर्तन करके, तैयार किया गया था। 1957 के विनियमों के विनियम 127(3) में शामिल किया गया एक विशिष्ट परिवर्तन 60 मीटर (अर्थात्, 200 फुट) की दूरी है, जब कि यह दूरी 1955 के विनियमों में 150 फुट थी। इस प्रकार 1957 के विनियमों की यह मात्रा 1955 के अस्थायी विनियमों के अनुसार उपबन्धों से कड़ा है। अस्थायी विनियम 5(2) में उल्लिखित मुख्य निरीक्षक की शक्ति वर्तमान विनियम 127(3) में शामिल की गई है। यह पता चलेगा कि 1955 के अस्थायी विनियमों ने भारतीय कोयला खान विनियम, 1926 को प्रतिस्थापित

नहीं किया था, 1955 के अस्थायी विनियमों के विनियम 5 द्वारा अतिरिक्त पूर्वोपाय निर्धारित किए गए थे । अब जबकि 1957 के विनियमों ने 1926 और 1955 के विनियमों को प्रतिस्थापित कर लिया है तब यह सवाल उठता है कि क्या मुख्य निरीक्षक को वर्तमान विनियम 127(3) द्वारा अपनी स्वीकृति देते समय विनियम 127(5) की अपेक्षाओं को संशोधित करने, शिथिल करने या समाप्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ? मेरे विचार में उन को इस प्रकार की शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं और कोयला खान विनियम, 1957 का विनियम, 127 बनाते समय केन्द्रीय सरकार का मुख्य निरीक्षक को ऐसी शक्तियां प्रदान करने का इरादा नहीं था।

116. कोयला खान विनियम, 1957 में कुछ ऐसे विनियम है जो मुख्य निरीक्षक को विशिष्ट रूप से उसकी अपेक्षाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करते हैं । इस संबंध में अध्याय IV के नियम 31 ए और 32, अध्याय I/II के विनियम 66 का अवलोकन किया जाए। अध्याय X के विनियम 104 में, इस विनियम की कुछ अपेक्षाओं को परिवर्तित करने की मुख्य निरीक्षक की शक्तियां उप-विनियम 2(घ) में दी गई हैं जो निम्न प्रकार हैं।

"बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो वह उस आदेश में निर्दिष्ट करें यथास्थिति विभाजन की कम या अधिक मोटाई की स्वीकृति दे सकता है या मांग कर सकता है ।"

क्या मुख्य निरीक्षक विनियम 127(5) की अपेक्षाओं में से किसी अपेक्षा को परिवर्तित, संशोधित या समाप्त कर सकता है ।

117. मेरी सुविचारित राय में, वर्तमान विनियमों के विनियम 127(3) के अधीन मुख्य निरीक्षक को दी गई शक्ति का प्रयोग समग्र रूप से विनियम 127 में परिकल्पित सुरक्षा की अपेक्षाओं की सहायता में किया जाना है, और उन को दी गई शक्ति को ऐसा न समझा जाए कि वह विनियम 127(5) की किसी भी अपेक्षा को परिवर्तित, संशोधित या समाप्त कर सकता है । मुख्य निरीक्षक विनियम 127(3) के अधीन जिस प्रकार का आदेश पारित कर सकता है, वह उसी स्वीकृति में अभिव्यक्त किया गया है, जो श्री एच० एस० आहूजा द्वारा 1975 में खान सुरक्षा महानिदेशक की ओर से फुटवाल सुरंग के लिए दी गई थी । 1975 की स्वीकृति की शर्त सं० 3 में लिखा था कि—

"यदि सीम में पानी सामान्य से अधिक मात्रा में रिसने लगे, तो 1957 के विनियमों के विनियम 127 के उप-विनियम 3 के साथ संलग्न उपबन्धों का दृढ़ता से अनुपालन किया जाएगा।"

विनियम 127 में स्पष्ट शब्दों में किसी अप्रयुक्त या परित्यक्त खदान के 60 मीटर की सीमा के भीतर की किसी खदान के संबंध में सीम में सामान्य से अधिक मात्रा में पानी के रिसने के लिए कोई पूर्वोपाय संबंधी कार्यवाही शामिल की गई प्रतीत नहीं होती । वास्तव में यह निदेश 1971 में तत्कालीन खान सुरक्षा महानिदेशक श्री एच० बी० घोष द्वारा हैंगवाल सुरंग के लिए प्रदान की गई स्वीकृति में भी निर्दिष्ट किया गया था।

विनियम 127(4) के अधीन दिए गए आवेदन-पत्र के साथ भेजे जाने वाले प्लानों में क्या दिखाया जाना चाहिये।

118. श्री जे० एन० ओहरी द्वारा दिए गए साक्ष्य से एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है जो उन के द्वारा विनियम 127 को समझने के बारे में है । उस विनियम के उप-नियम (3) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि—

"ऐसी किसी खदान में किसी अप्रयुक्त या परित्यक्त खदानों 60 मीटर की दूरी में पहुंच गई है ——उसे मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्वानुमति के बिना खनन कार्य नहीं किया जाएगा । इस संबंध में मुख्य निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया जाएगा ——" और न्यायालय ने श्री ओहरी से पूछा कि क्या उस विशेष स्थान पर वेंटिलेशन कनैक्शन को ड्राइव करने के संबंध में निर्णय लिए जाने या इस वेन्टीलेशन कनैक्शन के प्रारम्भ होने के बाद, इस संबंध में कोई सूचना खान सुरक्षा महानिदेशक को दी गई थी या नहीं ।

इस सम्बन्ध में उन का उत्तर नीचे उद्धृत किया गया है :—

"जैसा कि ऊपर बताया गया है, विनियम 127 के संबंध में पुरानी खदानों की सीमा दिखानी होती है । जिन खदानों का विस्तार किया जाना है, है, उन्हें दिखाना पड़ता है और इस प्लान में सामान्यतः नई खदानों में की जाने वाली खुदाई की सीमा दिखायी जाती है, चाहे वह विकास के लिए हो या पिल्लरों को पूरी तरह उखाड़ने के लिए हो। पिछले 20 वर्ष के मेरे अनुभव में, मैंने विनियम 127(3) का उपयोग किया है और उन में हमेशा यह दिखाया जाता है कि किसी सीमा तक नई खुदाई की जाएगी और उसी सीमा के अन्तर्गत, उपयुक्त विनियम के उपबन्धों के अनुपालन में, जैसा कि प्रदर्श 13 के अन्तिम पैराग्राफ में उल्लिखित किया गया है, अन्य विनियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए खदान का विस्तार करना होता है । इस मामले में विनियम 99 लागू होता है। प्रस्तावित वेंटीलेशन कनैक्शन उसी स्तर पर बनाया जा रहा था जिस पर अन्य सुरंगें, अर्थात् फुटवाल और हैंगवाल, सुरंगें बनाई गई थी, और यह किसी भी तरह पुरानी जलमग्न खदान के नजदीक नहीं पहुंच रहा था । इस क्षेत्र को हैंगवाल की सुरंग द्वारा तथा उस जगह से आगे फुटवाल द्वारा पहले ही परीक्षित किया गया था । इस लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार में इन परिस्थितियों में विनियम 127(3) के अधीन कोई नया आवेदन-पत्र आवश्यक नहीं था ।"

119. श्री ओहरी द्वारा इस्तेमाल किए गए इन शब्दों "प्रस्तावित वेंटीलेशन कनैक्शन उसी स्तर पर बनाया जा रहा था जिस पर अन्य सुरंगें, अर्थात् हैंगवाल और फुटवाल सुरंगें, बनाई गई थीं तथा यह किसी भी तरह पुराने जलमग्न खदान के पास नहीं पहुंच रही थी" का तात्पर्य यह धारणा देना था, मैं यह मानता हूं कि हैंगवाल सुरंग और फुटवाल सुरंग पहले ही पुरानी जलमग्न खदान के 60 मीटर की सीमा के अन्दर थीं और हैंगवाल सुरंग तथा फुटवाल सुरंग को जोड़ने के लिए न्यू वेंटीलेशन कनैक्शन, पुराने जलमग्न खदान के 60 मीटर के अन्दर एक गैलरी थी, और इस लिए, यह ऐसी गैलरी नहीं थी जो जलमग्न खदान की ओर पहुंचती । मैं नहीं समझता कि यह व्याख्या स्वीकार्य है । श्री ओहरी ने अपने ब्यान में (जो ऊपर उद्धृत किया गया है) यह भी बताया है कि विनियम 127 में यह अपेक्षा की गई है कि पुरानी खदान की हद दिखानी होगी जिन खदानों का विस्तार किया जाना वे भी दिखाई जानी है और सामान्यतः नई-नई खोदी जाने वाली खदानों की हद, उस प्लान् में दर्शानी होगी जो विनियम 127(4) के अधीन प्रस्तुत किया जाना है। विनियम 127(4) में विशिष्ट शब्दों में यह अपेक्षा की गई है कि उप-विनियम 3 के अधीन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र के साथ प्लान और सैक्शन की दो प्रतियां अवश्य ही प्रस्तुत की जानी चाहियें, जिसमें यह दर्शाया जाए (क) 1 अप्रयुक्त तथा परित्यक्त खदान का खाका जिनके नजदीक नई खदानें पहुंच रही हैं और –(ख) कोई अन्य ऐसी सूचना भी अवश्य दी जानी चाहिए जो उक्त खदान के संबंध में उपलब्ध हो । स्पष्टतः श्री जे० एन० ओहरी का मत है कि ऐसी नई खदानों का खनन जो अप्रयुक्त या परित्यक्त खदान के 60 मीटर की दूरी के अन्दर बनाई जानी है, प्रस्तुत किए जाने वाले प्लान में दिया जाना आवश्यक नहीं है और इस लिए श्री ओहरी ने बताया कि जिन खदानों का विस्तार किया जाना है, वे प्लान में अवश्य दिखाई जानी चाहिएं और नई खदानों की हद सामान्यतः प्लान में दर्शायी जाती है ।

120. विनियम 127(4) की व्याख्या के इस मामले के संबंध में 'इस्को' के भूतपूर्व मुख्य खनन इंजीनियर, श्री बी० एल० वर्मा से पूछा गया कि क्या उप-विनियम 3 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन-

पत्र और प्लान में ऐसी प्रस्तावित नई खदानें दिखायी जानी चाहिए या नहीं जो परित्यक्त खदानों (जिन में पानी या कोई अन्य तरल पदार्थ है) से 60 मीटर के अन्दर खोदी जाती हैं और उन्होंने जवाब दिया है कि विनियम 127 की उप विनियम स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि प्रस्तावित खदानों का खाका आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्लान में दिखाया जाना चाहिए यह मामला श्री एल० बी० घोष के सामने भी रखा गया, जिन्होंने तत्कालीन मुख्य निरीक्षक के रूप में 1971 की स्वीकृति दी थी। श्री घोष से पूछा गया कि क्या विनियम 127(4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले प्लान में प्रस्तावित खदानों का दर्शाना आवश्यक था या नहीं और उनका जवाब था कि ऐसा अपेक्षित नहीं था, परन्तु एक परम्परा के रूप में "कुछ" था और हमेशा जब कभी इस प्रकार का आवेदन-पत्र प्राप्त होता था, तब योजना का ब्यौरा हमेशा मांगा जाता था और दिया जाता था तथा उस की जांच की जाती थी"। तथापि, मेरा यह विचार है कि विनियम 127(4) की यह व्याख्या स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि विनियम 127(4) में यह निहित है कि विनियम 127(3) के अधीन स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए वाले प्लान में प्रस्तावित नई खदानें भी दिखाई जानी चाहिएं। मैं और आगे कहने तथा यह विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं कि विनियम 127(4) इस संबंध में स्पष्ट है, हालांकि यह अपेक्षा उन्हीं शब्दों में उल्लिखित नहीं की गई है जैसे कि यह विनियम 126(3) में उल्लिखित है। मेरे विचार में "इस प्रकार की अप्रयुक्त और परित्यक्त खदानों का खाता जिनके नजदीक नई खदानें पहुंच रही हैं" शब्दों का आशय प्रस्तावित खदानों के सम्बन्ध में अप्रयुक्त या परित्यक्त खदानों से होना चाहिए अन्यथा विनियम (5) की अपेक्षायें समझी नहीं जाएंगी।

121. विनियम 127 की विभिन्न अन्य जटिलताओं पर हमारे समक्ष तर्क दिए गए हैं और मैं कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127 में निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव देता हूं :

(क) यदि केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि मुख्य निरीक्षक को विनियम 127 में निर्धारित की गई अपेक्षाओं में से किसी अपेक्षा को परिवर्तित, संशोधित और समाप्त करने का अधिकार है या उसको इस प्रकार के अधिकार दिए जाएं, तो उसे ऐसे अधिकार देने के लिए विशिष्ट शब्दों में एक नया उप विनियम समाविष्ट किया जाए।

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि विनियम 127(3) के पहले पैराग्राफ में लिखे गए शब्द, अर्थात् "ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो वह उस में विनिर्दिष्ट करें" कि मुख्य निरीक्षक को विनियम 127 के किसी भी उपबन्ध की अपेक्षाओं को परिवर्तित, संशोधित या समाप्त करने का अधिकार नहीं देते या अधिकार देने के अभिप्राय के लिए नहीं हैं तो उस उप-विनियम में ही उपयुक्त शब्द जोड़कर मामले को स्पष्ट कर दिया जाए। (चाहे किसी भी तरह इस मामले में निर्णय किया जाए, मुख्य निरीक्षक की शक्तियों के सम्बन्ध में विनियम 126 या कहीं और पाए जाने वाले इसी प्रकार के शब्दों के बारे में भी विचार करना पड़ेगा)। मेरा अपना, विचार है कि यह स्पष्ट किया जाए कि विनियम 127 की अपेक्षायें अनिवार्य है।

(ग) विनियम 127(3) के परन्तुक में संशोधन किया जाए ताकि इस में यह बात शामिल की जाए कि इसी प्रकार की कार्रवाई किसी अप्रयुक्त या परित्यक्त खदान के 60 मीटर की सीमा में की जाएगी।

(घ) विनियम 127(4) में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट रूप से अपेक्षित हो कि उसमें निर्दिष्ट प्लान में प्रस्तावित नई खदानों का, जिनके लिए अनुमति मांगी जा रही है, खाका और आवश्यक ब्यौरा भी आवश्यक शामिल किया जाना चाहिए। (इससे यह सुनिश्चित होगा कि मुख्य निरीक्षक के पास मामले को पुनः भेजे बिना स्वीकृत प्लान में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी)।

(ङ) विनियम 127(5) के अन्तिम वाक्य में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को देखते हुए, विनियम 127 के उपबन्धों में ऐसे आशय का उपबंध होना चाहिए कि जिस मामले में उप-विनियम (5) लागू होता हो उसमें बनाई गई गैलरियों और बोर होलार्स के माप का लिखित में रिकार्ड सक्षम व्यक्तियों द्वारा, रखा जाना चाहिए, जिसके पर्यवेक्षाधीन उप-विनियम (5) द्वारा परिकल्पित पूर्वोपाय किए जाते हैं ;

(च) विनियम 127(6) संशोधित किया जाना चाहिए ताकि उस में यह व्यवस्था कि जाए कि विनियम 127(3) के परन्तुक के अनुसार ऐसी खदानों (इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे अप्रयुक्त या परित्यक्त खदानों के समीप पहुंच रही है या नहीं) में, जहां भारी मात्रा में पानी के रिसने का पता चले, काम बन्द कर दिया जाना चाहिए और मुख्य निरीक्षक की अनुमति प्राप्त करने के बाद उनमें कार्य पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिये।

122. अगला प्रश्न जिस पर विचार किया जाना है वह यह होगा कि क्या फुटवाल सुरंग को प्रबन्धकों द्वारा आरोपित किए गए कारणों से बन्द किया गया था या उसके बन्द किये जाने के अवश्य ही कोई और कारण होंगे।

नवम्बर, 1975 में फुटवाल सुरंग को बन्द करने के असली कारण क्या हो सकते थे—साक्ष्य

123. फुटवाल सुरंग के कार्य को निर्दिष्ट दूरी के केवल आधे तक करने के बाद बन्द करने के लिए प्रबन्धकों द्वारा दिए गए कारणों पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं और यह भी स्पष्ट कर चुका हूं कि मैंने उसे वास्तविक कारण क्यों नहीं माना है। नवम्बर 1975, में फुटवाल सुरंग को बन्द करने का वास्तविक कारण क्या हो सकता था, इस प्रश्न को सुलझाने के लिए इस जांच में अनेक अदालती गवाहों से पूछताछ की गई, परन्तु इन गवाहों के संकल्पित व्यवहार के कारण ये प्रयास असफल रहे। इस लिए केवल शक ही रह गया है। मुझे इन में से कुछ व्यक्तियों के साक्ष्य के संबंध में गहराई से विचार करना पड़ेगा और उन पर अपनी टिप्पणियां देनी पड़ेगी।

124. फुटवाल सुरंग को बन्द करने के संभावी कारणों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच पक्षकार सं० 8 की ओर से श्री एस० पी० गंगुली द्वारा श्री दीपक सरकार के जिरह से शुरू हुई। उन से पूछा गया कि क्या उन्होंने सांविधिक जांच के दौरान 5-1-1976 को श्री ए० बी० सिंह को दिए गए बयान में श्री सिंह को बताया था कि पुरानी जलमग्न खदानों से सं० 1 हारिजन की पूर्वी भाग वाली खदानों को खतरे की आशंका थी, विशेष कर सं० 4 इन्कलाइन की सुरंग से, और श्री सरकार का उत्तर यह था कि उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य ब्यान दिए थे, परन्तु उन्हें यह याद नहीं कि क्या उन्होंने यह विशिष्ट ब्यान दिया था, जिस के बारे में उन से पूछा जा रहा था। जिस तारीख को श्री सरकार की श्री ए० बी० सिंह द्वारा जांच की गई वह तारीख अर्थात् 5-1-1976, बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हारिजन सं० 1 से 19-1-1976 तक पानी नहीं निकाला गया था, जिस के बाद ही इस वास्तविक स्थिति के बारे में पता चला कि पुरानी और नई खदानें किस ढंग से जुड़ी थी इस लिए 5-1-1976 को, जब कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, श्री ए० बी० सिंह श्री दीपक सरकार के इस विशेष ब्यान को रिकार्ड नहीं कर सकते थे, जो कि उन्होंने एक *सामान्य ब्यान* को बाद के ऐसे विशिष्ट महत्वपूर्ण शब्दों में परिवर्तित कर दिया। श्री दीपक सरकार ने बाद में इस जांच में बताया है कि 4 इन्कलाइन प्लेन से किसी खतरे की कोई आशंका नहीं थी। वास्तव में, ऐसा लगता है कि जांच के दौरान प्रबन्धकों ने भी यही रवैया

अपनाया, हालांकि यह दुर्घटना के तत्काल बाद कोयला खान के अनेक कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए चित्र से बिलकुल भिन्न है।

गवाहों द्वारा अपने पहले बयानों से मुकर जाना

125. वास्तव में ऐसा लगता है कि उनका रवैया सांविधिक जांच में दिए गए अपने बयान से मुकर जाने का रहा है। यह घटना 27-12-1975 को गहरी खान में आई बाढ़ के विषय में किसी विशिष्ट कारण के पता चलने से बहुत पहले घटी। यह रवैया इस जांच में प्रबन्धकों की ओर से सब से पहले गवाह, अर्थात् श्री दीपक सरकार, की जांच से आरंभ हुआ और यह तब तक जारी रहा जब कि न्यायालय अन्त में अदालती गवाह की जांच कर रहा था।

126. मैं सात व्यक्तियों की गवाही का उल्लेख कर रहा हूं जिन्होंने अदालती गवाहों के रूप में बयान दिए ये व्यक्ति हैं:—

(1) फिरंगी प्रसाद (सी डब्ल्यू 13),
(2) जे० खान (सी डब्ल्यू 15),
(3) काशी लाल थापा (सी डब्ल्यू 11),
(4) प्रेम मंडल, (सी डब्ल्यू 5),
(5) सुधीर मंडल (सी डब्ल्यू 8),
(6) लखन मांझी (सी डब्ल्यू 6) और
(7) लगन मांझी (सी डब्ल्यू 07)।

127. सांविधिक जांच में, श्री फिरंगी प्रसाद की पूछताछ 30-12-1975 को श्री एस० एन० ठाकर द्वारा की गई और श्री जे० खान की पूछताछ 29-12-1975 और 30-12-1975 को श्री ठाकर द्वारा पूछताछ की गई (हम यहां मुख्यतया केवल इस बात से सम्बंधित हैं जोकि श्री जे० खान को 30 तारीख को श्री ठाकर को बतानी चाहिए थी)। श्री के० एल० थापा से 31-12-1975 को श्री ए० बी० सिंह द्वारा पूछताछ की गई और श्री प्रेम मण्डल से श्री एस० सी० बता द्वारा 1-1-1976 को पूछताछ की गई। उसी दिन, अर्थात् 1-1-1976 को श्री सुधीर मण्डल से श्री ए० बी० सिंह द्वारा पूछताछ की गई। 2-1-1976 को श्री लखन मांझी से श्री बता द्वारा पूछताछ की गई कि और श्री लगन मांझी से 3-1-1976 को श्री बता द्वारा पूछताछ की गई थी। हमने इन व्यक्तियों को, इनके द्वारा सांविधिक जांच में दिए गए बयानों के अध्ययन के बाद इन्हें अदालती गवाही के रूप में बुलाया था, और हमें यह उमीद थी कि उन से तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने में कुछ सहायता मिलेगी जिस से दुर्घटना के कारण का सुराग मिल सकेगा। ये सभी बयान रिकार्ड में हैं, जो खान सुरक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं।

128. श्री फिरंगी प्रसाद, कोयला खान में ड्रिलर थे और जांचाधीन दुर्घटना के तत्काल पहले, वे बाक्सिंग वर्क के लिए हारिजन सं० 1 के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एल० सी० ई० पेनल में काम कर रहे थे। ऐसा बताया गया है कि 30-12-1975 को श्री फिरंगी प्रसाद ने निम्नलिखित बयान दिए हैं:—

> "फुटवाल ड्राइव में भी एक एडवांस होल था जिस से कुछ प्रेशर से पानी निकल रहा था और इस से कुछ लाल-लाल पानी निकल रहा था। प्रेशर काफी ज्यादा नहीं था। उपर्युक्त बोरिंग (एडवांस बोर होल) बरसात/अर्थात् अगस्त/सितम्बर के दौरान किया गया था और उस समय से इस से पानी निकल रहा था और यह दुर्घटना से तुरन्त पहले भी था। इस का मतलब यह हुआ कि अगस्त/सितम्बर से फुटवाल ड्राइव बिलकुल आगे नहीं बढ़ी। उपर्युक्त 'होल' सीधा 'फेस' में था और 'फेस' के एडवांस की दिशा में किया गया था। 'फ्लैक्स' में भी अन्य होल थे, पर इन से अधिक पानी नहीं आ रहा था। मैं उपर्युक्त किसी भी होल की लम्बाई के बारे में नहीं जानता।"

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री फिरंगी प्रसाद ने इस बयान पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए हैं। जांच न्यायालय के समक्ष श्री फिरंगी प्रसाद अपने पिछले बयान से मुकर गए और उन्होंने कहा कि बयान उन को हिन्दी में पढ़ कर नहीं सुनाए गए और स्पष्ट नहीं किए गए थे (हालांकि रिकार्ड में इस प्रकार का एक अनुलेख है जिस पर श्री ठाकर ने हस्ताक्षर किए हैं) और यह कि यद्यपि उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, परन्तु यह याद नहीं कि उन्होंने हिन्दी में हस्ताक्षर किए थे या अंग्रेजी में। जब गवाह को रिकार्ड किए गए बयान पर उसके हस्ताक्षर दिखाए गए, तब उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए थे और स्वयं अंग्रेजी में तारीख भी दी थी, परन्तु उन्होंने कहा कि उस समय दूसरा पृष्ठ खाली था। श्री एस० एम० ठाकर द्वारा सर्वाधिक जांच में गवाहों के बयानों को रिकार्ड करने की परिस्थितियों के बारे में दिए गए साक्ष्य को देखते हुए, मुझे यह समझना हो पड़ेगा कि श्री फिरंगी ने हमारे सामने सच्चाई नहीं बताई। जांच न्यायालय में श्री फिरंगी प्रसाद से यह पूछा गया कि क्या उन्होंने फुटवाल गैलरी में एडवांस होल से पानी निकालते देखा था और उन का जवाब न में था। उन से पूछा गया कि क्या उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान खान सुरक्षा विभाग के किसी अधिकारी के समक्ष दिया था और उन का उत्तर न में था। इन सभी मामलों में स्पष्टतः श्री फिरंगी प्रसाद सही तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि श्री ठाकर 30-12-1975 को ऐसे बयान नहीं गढ़ सकते थे जो बाद में महत्वपूर्ण हो गए। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्री फिरंगी प्रसाद शपथ खाकर इस न्यायालय के समक्ष झूठ बोल रहा था।

129. श्री जे० खान कोलियरी में माइनिंग सरदार थे और दुर्घटना से पहले वाले सप्ताह में एल० सी० ई० पेनल में, वेस्ट साइड में पहले हारिजन में काम कर रहे थे। सांविधिक जांच में उन के रिकार्ड किए गए बयान में, ऐसा लगता है उन्होंने इस प्रकार कहा था:—

> "लगभग एक सप्ताह पहले, कुछ खनिक ईस्ट साइड से मेरे एल० सी० ई० पेनल में आए थे। वे बता रहे थे कि ईस्ट साइड में पानी का खतरा था। कुछ नाम मुझे याद हैं, वे थे, खलील अबीर और दो या 3 अन्य व्यक्ति। ठाकुरी बोरी दोबेई बोरी किंकर बोरी जापान बोरी और कुछ अन्य व्यक्ति भी थे जिन के नाम अब मुझे याद नहीं हैं।

कुर्मी मेहती, विवेका सिंह, सनातन मांझी, ड्रिफटर थे जो सामान्यतः ईस्ट साईड में नियोजित किए जाते थे और वे पूरे विवरण बताने की अधिक अच्छी स्थिति में होंगे। जो कुछ मुझे ज्ञात है, वह यह है कि पहले वेंटिलेशन कनैक्शन में पानी की कठिनाई थी, परन्तु इस सम्बन्ध में ब्यौरा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में नियोजित अन्य व्यक्तियों से मालूम होगा। रिकार्ड के अनुसार, यह बयान श्री जे० खान को पढ़कर सुनाया गया था और हिन्दी में स्पष्ट कर दिया गया था और रिकार्ड से यह प्रतीत होता है कि श्री जे० खान ने अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए थे। परन्तु श्री खान ने इस न्यायालय के सामने यह बताया है कि श्री ठाकर द्वारा रिकार्ड किया गया उनका बयान हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें पढ़कर नहीं सुनाया गया था। श्री खान अपने पिछले बयान से भी मुकर गए और उन्होंने कहा कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेशन कनैक्शन में पानी की किसी कठिनाई का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। यह खेद की बात है कि माइनिंग सरदार की तरह का एक महत्वपूर्ण सांविधिक अधिकारी अपने पिछले बयान पर टिके रहने को तैयार नहीं था, जो कि दुर्घटना के तुरन्त बाद दिया गया था। मुझे विश्वास हो गया है कि श्री जे० खान ने शपथ खाकर इस न्यायालय के समक्ष झूठ बोला है, क्योंकि श्री ठाकर ऐसे बयान नहीं गढ़ सकता था जो कि श्री खान ने 30-12-1975 को दिए थे।

130. श्री काशी लाल थापा (सी डब्ल्यू 11) कोलियरी में एक ड्रिफटर था और श्री ए० बी० सिंह द्वारा लिया गया उनका बयान रिकार्ड में

है, जिस में उन के हिन्दी में हस्ताक्षर हैं और बताया जाता है कि उन्होंने 31-12-1975 को निम्नलिखित बयान दिया था :—

"फुटवाल कनैक्शन गैलरी में पिछले लगभग 6 माह से काम नहीं हो रहा था। लगभग 6 माह पहले फुटवाल कनैक्शन गैलरी में भी तीन होल बनाए गए थे जो पचास पचास फुट लम्बे थे। फुटवाल कनैक्शन गैलरी के होलों से पानी का कोई असाधारण प्रवाह नहीं देखा गया। कम ऊंचाई के कारण लोडर हैंगवाल ड्राइव में काम करने को तैयार नहीं थे और उसे बन्द कर दिया गया और उसे कनैक्शन गैलरी के साथ जोड़ने का निर्णय किया गया। फुटवाल सुरंग से गर्म पानी निकला करता था। हम वहां अपने हाथ और पांव धोने जाते थे। जिस मशीन का हम ड्रिलिंग के लिए उपयोग करते हैं, उसका उपयोग पहले चट्टानों में 60' से 70' तक के छेद बनाने के लिए किया जाता था और यह 100' तक लम्बे छेद बना सकती है। हमने तीन सप्ताह पहले वेंटिलेशन कनैक्शन गैलरी में पचास-पचास फुट लम्बे तीन छेद बनाए थे।"

वह भी अपने पिछले बयान से मुकर गया है और न्यायालय में उसने कहा कि उसने खान सुरक्षा विभाग के किसी अधिकारी को यह नहीं बताया था कि फुटवाल गैलरी में गर्म पानी नीचे आता था। मुझे विश्वास है कि श्री काशी लाल थापा ने भी शपथ खा कर न्यायालय को असत्य बयान दिए क्योंकि श्री ए० बी० सिंह 30-12-1975 को इस प्रकार के बयान की कल्पना नहीं कर सकते थे।

131. श्री प्रेम मंडल (सी डब्ल्यू 6) एक जनरल मजदूर था, और उसने 26-12-1975 की दूसरी पारी में हैंगवाल गैलरी में भार्चों को टेक देने के लिए टिम्बर मिस्त्री के सहायक के रूप में काम किया था। बताया जाता है कि उन्होंने 1-1-1976 को श्री एस० सी० बत्रा को निम्नलिखित बयान दिए हैं :—

वेंटिलेशन कनेक्शन में अधिक पानी टपक रहा था लोडर हैंगवाल सुरंग तथा वेंटिलेशन कनेक्शन में काम कर रहे थे। फुटवाल सुरंग में कोई काम नहीं किया जा रहा था। फुटवाल सुरंग में कार्य लगभग दो माह पहले श्री चटर्जी, सहायक प्रबन्धक द्वारा बंद करा दिया गया था। फेस में एक छेद किया गया था जिससे पानी बहता था और लगभग 2½ फुट की दूरी पर गिरता था। पानी स्वच्छ और गर्म था। मैं जानता हूं कि वह पानी गर्म था, क्योंकि हम उस पानी से अपने हाथ धोया करते थे। फुटवाल सुरंग में हैंगवाल सुरंग की अपेक्षा अधिक पानी टपकता था। टपकता हुआ पानी स्वच्छ और शीतल होता था। मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि फुटवाल सुरंग क्यों बन्द की गई थी, परन्तु शायद एक बोर होल से पानी आया करता था इस लिए इसे बन्द किया गया था। मैं समझता हूं कि यह छेद 5 फुट लम्बा था। मैं इस की लम्बाई नहीं जानता क्योंकि इस छेद को मैंने ड्रिल नहीं किया था।"

श्री प्रेम मंडल ने रिकार्ड किए गए बयान पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया, परन्तु इस बात से इनकार किया कि श्री बत्रा द्वारा रिकार्ड किया गया यह विशेष बयान उन्होंने दिया है। मुझे यह स्पष्ट लग रहा है कि श्री प्रेम मंडल ने न्यायालय के सामने शपथ लेकर भी झूठ बोला।

132. श्री सुधीर मंडल (सी डब्ल्यू 8) वर्ष 1975 के अन्त में कोलियरी में ड्रिलर के रूप में कार्य कर रहे थे। श्री ए० बी० सिंह ने 1-1-1976 को उनके बयान रिकार्ड किए। यह बताया जाता है कि उस समय उन्होंने निम्नलिखित बयान दिए हैं :—

"मैं चसनाला कोलियरी में पिछले 6 वर्षों से ड्रिलर के रूप में कार्य कर रहा हूं। पूर्वी ओर के पहले हारिजन में, मैं पिछले तीन महीनों से काम कर रहा हूं। मेरे ईस्ट साइड में जाने से पहले फुटवाल सुरंग में कार्य बन्द कर दिया गया था। हैंगवाल सुरंग और कनेक्शन में कार्य किया जा रहा था। पिछले तीन महीनों के दौरान हैंगवाल सुरंग और कनेक्शन गैलरी एक-एक सौ फीट आगे बढ़ी। हैंगवाल सुरंग और कनेक्शन गैलरी दोनों में काफी मात्रा में गर्म पानी टपकता रहता था......"

जांच न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने बयान में श्री मंडल ने बताया कि दिसम्बर, 1975 के अन्त में उन्होंने पहले हारिजन की पूर्वी ओर काम नहीं किया था। उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया कि खान सुरक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने 27-12-1975 के तुरन्त बाद उन का कोई बयान रिकार्ड किया है। उन्होंने तो यहां तक बताया कि उन्हें किसी ने एक किसी कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगाने को कहा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था और पिटाई की धमकी पर उन्होंने उस दस्तावेज पर अपने अंगूठे का निशान लगा दिया था। श्री मंडल के बयान के यह भाग अवश्य ही अविश्वसनीय हैं। इस में कोई शक नहीं है कि सांविधिक जांच के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था जो श्री ए० बी० सिंह द्वारा रिकार्ड किया गया था और यह स्पष्ट है कि श्री सुधीर मंडल ने शपथ खा कर भी असत्य बोला था।

133. श्री लखन मांझी (सी० डब्ल्यू 6) ने 26-12-1975 की रात्रि की पारी में हारिजन सं० 1 के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हैंगवाल गैलरी में गहरी खान में लोडर के रूप में काम किया था। बताया जाता है कि 2-1-1976 को उन्होंने श्री एस० सी० बत्रा के सामने निम्नलिखित बयान दिया है :

"पूर्वी ओर दो मुखों पर काम किया जा रहा था, एक हैंगवाल में और दूसरा इस गैलरी के दायें कोण में। मैंने दोनों खान मुखों में काम किया............" मैंने फुटवाल सुरंग में लगभग एक महीने पहले ड्रेसर के रूप में कार्य किया था। इस गैलरी में, हैंगवाल और वेंटिलेशन "कनेक्शन की अपेक्षा अधिक पानी टपक रहा था फेस पर एक बोर होल था जिससे पानी खूब बहता था। यह लगभग 1 फुट या 1½ फुट की दूरी पर गिरा करता था। यह पानी स्वच्छ था और न तो गर्म था और न ठंडा।"

इस जांच न्यायालय में, श्री मांझी ने स्वीकार किया कि उन्होंने खान सुरक्षा महानिदेशालय के एक अधिकारी के समक्ष बयान दिया था, जो इन की उपस्थिति में रिकार्ड किया गया था परन्तु उन्होंने आगे यह कहा कि अधिकारी ने बयान उन को पढ़कर नहीं सुनाया था और न ही उसे हिन्दी में स्पष्ट किया था। श्री लखन मांझी के अनुसार, उन्होंने रिकार्ड किए गए बयान पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए थे और उन्होंने उस दस्तावेज पर किए गए अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया। श्री मांझी ने न्यायालय के सामने आगे यह कहा कि उन्होंने अधिकारी को यह नहीं बताया था कि दुर्घटना की तारीख से लगभग एक माह पहले उन्होंने फुटवाल सुरंग में काम किया था। न्यायालय के समक्ष दिए गए श्री मांझी के इस बयान के अनुसार उन्होंने वैस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक फुटवाल में काम किया था न कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तथा यह कि वैस्ट डिस्ट्रिक्ट में फुटवाल फेस से कुछ पानी टपकता रहता था। हमारे समक्ष दिए गए श्री लखन मांझी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह भी जानबूझ कर 2-1-1976 को श्री बत्रा द्वारा रिकार्ड किए गए अपने बयान से मुकर गए हैं और उन्होंने हलफ खा कर इस न्यायालय के समक्ष झूठ बोला है।

134. श्री लगन मांझी (सी डब्ल्यू 7) ने 26-12-1975 को दूसरी पारी में गहरी खान में ड्रेसर के रूप में काम किया था। यह बताया गया है कि 3-1-1976 को उन्होंने श्री एस० सी० बत्रा के समक्ष निम्नलिखित बयान दिए :—

"........मैं क्रास कनेक्शन के पास गया था। वहां हैंगवाल से अधिक पानी टपक रहा था। फेस के समीप अधिक पानी टपक रहा था। फुटवाल सुरंग चार माह से अधिक समय से बन्द थी और मैं वहां नहीं गया। हैंगवाल गैलरी और क्रास कनेक्शन को फेस से लगभग 10 फीट की दूरी तक भार्चों से अवलम्ब दिया गया था।"

तथापि जांच न्यायालय में श्री लग्न मांझी ने इस बात से बिल्कुल इनकार किया कि वह 26-12-1975 की रात को क्रास कनेक्शन में गए थे। उन्होंने बताया है कि उन्होंने खान सुरक्षा महानिदेशालय के एक अधिकारी के समक्ष बयान दिया था जो कि उनकी उपस्थिति में रिकार्ड किया गया था, परन्तु यह बयान उन्हें पढ़ कर तथा हिन्दी में स्पष्ट कर के नहीं बताया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने किसी क्रास कनेक्शन के सम्बन्ध में कोई बयान दिया था। इस न्यायालय के समक्ष उन्होंने यहां तक कहा है कि 26-12-1975 से पहले उन्हें यह भी पता नहीं था कि प्रथम हारिजन के पूर्वी भाग की ओर कोई फुटवाल सुरंग थी। उन्होंने बताया कि उन्हें केवल हैंगवाल गैलरी का ही पता था। मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है कि श्री लगन मांझी ने भी हलफ के बावजूद सच नहीं बोला।

135. यह खेद की बात है कि जब कि इन अदालती गवाहों के 375 सहकर्मियों, सहयोगियों और अधिकारियों का जांचाधीन दुर्घटना में दुःखद अन्त हुआ, चसनाला कोलियरी के इन कर्मचारियों ने इस न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को जाहिर करना ठीक नहीं समझा। परन्तु खान अधिनियम के अधीन सांविधिक जांच के दौरान इन व्यक्तियों के पिछले बयान हलफ लेकर नहीं दिए गए थे और चूंकि ये बयान उन व्यक्तियों के समक्ष नहीं दिए गए जो कि उन से प्रभावित होते हैं और इसलिए मैं इन अदालती गवाहों के पिछले बयानों में दिए गए तथ्यों को वास्तविक नहीं मान सकता। इस विषय पर मेरी जो धारणा हो सकती है वह यह है कि उपर्युक्त निर्दिष्ट सातों व्यक्ति, सच्चाई की कोई कदर नहीं करते और वे इस न्यायालय की सहायता करने सम्बन्धी अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहे हैं।

136. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल माईन वर्कर्स फेडरेशन और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (पक्षकार सं० 2) की ओर से श्री फरचन्द पासवान नामक एक गवाह से न्यायालय द्वारा पूछताछ की गई थी, जिससे वह यह दिखाना चाहते थे कि दिसम्बर, 1975 अन्त में वेंटिलेशन कनेक्शन में असामान्य और भारी मात्रा में पानी का सामना करना पड़ा था। श्री पासवान चसनाला कोलियरी में ड्रिलर थे और उस समय हारिजन सं० 1 के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे। उन्होंने हमारे सामने बताया है कि 26 दिसम्बर, 1975 से दो दिन पहले, जब कि ड्रिलर, जिनमें वह स्वयं भी शामिल थे, वेंटिलेशन कनेक्शन फेस में सुराख कर रहे थे, तो उन्हें एक सुराख के, जो लगभग 4 फी० लम्बा था पिछले भाग से एक धक्का महसूस किया और इस धक्के की शक्ति इतनी अधिक थी कि ड्रिलर वास्तव में उसकी शक्ति से पीछे धकेल दिए गए। जब बर्मा इस छेद से बाहर निकाला गया तो इस वेग से पानी बाहर आया था और फेस से लगभग 18 इंच की दूरी पर गिरा था। सांविधिक जांच के दौरान श्री पासवान की भी पहले 30-12-1975 को श्री ठाकर द्वारा जांच की गई थी और उनको रिकार्ड किया गया बयान भी हमारे पास है। पक्षकार सं० 1 (प्रबन्धक) के विद्वान वकील ने श्री पासवान से जिरह की थी और इस मामले के कई पहलुओं के सम्बन्ध में उसके पिछले बयान उस के सामने रखे गए। ऐसा लगता है कि श्री पासवान का पिछला बयान वेंटीलेशन कनेक्शन में पानी आने के सम्बन्ध में हमारे समक्ष दिए गए उनके अत्यन्त दृढ़ बयान की पुष्टि नहीं करता। श्री ठाकर के समक्ष श्री पासवान ने निम्नलिखित बयान दिया था :—

> "हैंगवाल और वेंटीलेशन कनक्शन ड्राइवेस में जो छेद हमने किए उनसे कुछ पानी निकला जो असामान्य बात नहीं थी। सम्पूर्ण ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मैंने पानी का असामान्य प्रवाह नहीं देखा जो भी पानी दीखा, यह डिस्ट्रिक्ट के लिए सामान्य बात थी।"

आगे ऐसा लगता है कि श्री ठाकुर के समक्ष बयान देते समय, श्री पासवान ने वेंटीलेशन कनेक्शन फेस में छेद करते समय पानी के किसी धक्के को महसूस करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया था। मेरे विचार में, इन कारणों से, हमारे समक्ष दिए गए श्री पासवान के बयान को स्वीकार करना ठीक नहीं होगा।

137. अब अदालती गवाहों के रूप में परीक्षित किए गए दो और व्यक्तियों के साक्ष्य का हवाला देना आवश्यक होगा, ताकि यह दिखाया जा सके कि किस प्रकार उन्होंने भी जानबूझ कर न्यायालय की जांच में सहायता करने से इन्कार किया है। वे हैं, श्री एच० के० मुखोपाध्याय, जिन्होंने 27-12-1975 से पहले सप्ताह में गहरी खान में फर्स्ट हारिजन में शिफ्ट ओवरमैन के रूप में काम किया था, और श्री यू० के० खान जो गहरी खान के फर्स्ट हारिजन में सहायक प्रबन्धक थे और दिसम्बर 1975 के अन्त में पहली शिफ्ट में काम कर रहे थे। श्री मुखोपाध्याय ऐसे अदालती गवाहों में से एक थे जिनकी यह जानने के प्रयास में जांच की गई थी कि 1975 में अनुसरण किए जाने वाले बोर होल पैटर्न का स्वरूप क्या था। सांविधिक जांच के दौरान उन की 29-12-1975 और 30-12-1975 को श्री एस० एन० ठाकर द्वारा जांच की गई थी और उस समय रिकार्ड किया गया बयान इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इस में श्री एस० एन० ठाकर का पृष्ठांकन मौजूद है कि जो 29-12-1975 को रिकार्ड किया गया था बयान श्री मुखोपाध्याय को पढ़कर सुनाया गया तथा हिन्दी में स्पष्ट किया गया लेकिन श्री मुखोपाध्याय ने इस न्यायालय में बताया है कि 29-12-1975 को रिकार्ड किया गया बयान, श्री ठाकर ने उन को पढ़कर नहीं सुनाया तथा हिन्दी में स्पष्ट कर के नहीं बताया। उन्होंने बताया है कि उन के बयान रिकार्ड किए जाने के बाद, उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने को कहा गया और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। 30-12-1975 को रिकार्ड किए गए बयान के सम्बन्ध में श्री मुखोपाध्याय ने बताया है कि उन्होंने उस बयान पर हस्ताक्षर किए थे परन्तु उसे पढ़ा नहीं था। श्री मुखोपाध्याय ने 26-12-1975 को फर्स्ट हारिजन के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तीसरी पारी में काम किया था। उस समय ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग सहित, वेंटिलेशन कनेक्शन में कुछ काम किया गया था। श्री मुखोपाध्याय की इस न्यायालय में लम्बे बोर होल्स किए जाने के प्रश्न के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से जांच की गई थी और उस सम्बन्ध में बताया जाता है कि उन्होंने श्री ठाकर के समक्ष 30-12-1975 को निम्नलिखित बयान दिया :—

> "इसी प्रकार का एक 10'—12' का बोर होल फर्स्ट वेंटीलेशन कनेक्शन में बताया गया था और कायम रखा गया था और इसी प्रकार का एक और होल बनाया गया था जो ऊपर की ओर मुड़ा था। चूंकि मुझे ये होल पहले ही अपनी 26-12-1975 की पारी में मौजूद मिले, मैंने इन को नहीं बनवाया था।"

138. तथापि, न्यायालय में श्री मुखोपाध्याय ने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने यह बयान श्री ठाकर को दिया, श्री मुखोपाध्याय ने इस बात से भी इन्कार किया कि हैंगवाल और फुटवाल गैलरीज में किए गए बोर जोफस के स्वरूप के सम्बन्ध में दिनांक 30-12-1975 के रिकार्ड किए गए बयानों में से कई सम्बंधित बयान उन्होंने दिए थे। मुझे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि श्री एच० के० मुखोपाध्याय, खनन सिरदार, ने हलफ खा कर काफी असत्य बोला था और उस से कोई सहायता उपलब्ध नहीं थी। वरिष्ठ खनन अधिकारी के इस आचरण की अवश्य ही कड़े शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए।

139. एक और अदालती गवाह, श्री उमाकान्त खां (सी० डब्ल्यू० 16) द्वारा दिए गए साक्ष्य पर भी विशेष विचार करना अपेक्षित है। 27-12-1975 को, वे फर्स्ट हारिजन (पहली पारी) के प्रभारी सहायक प्रबन्धक थे परन्तु उस तारीख को वह कोलियरी से दूर धनसार स्थित खान बचाव केन्द्र (माइन्स रेस्कुयु संटर) में पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करने गए हुए थे। जांचाधीन दुर्घटना के तुरन्त बाद तीन अवसरों पर उन की जांच की गई थी, 31-12-1975 को श्री एस० एन० ठाकुर द्वारा, 4-1-1976 को श्री एस० सी० बक्षा द्वारा और अन्त में 9-1-1976 को श्री ए० बी० सिंह द्वारा उन के सारे ब्यान रिकार्ड किए गए थे। वास्तव में श्री खान ने 4-1-1976 को दो अलग बयान दिए थे, जो श्री बक्षा ने अलग-अलग रिकार्ड किए थे। श्री ठाकुर ने इस न्यायालय में बताया है कि उनके द्वारा रिकार्ड किया गया श्री यू० के० खान का मूल बयान खो गया था और यह कि वह श्री खान के बयान की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुझे श्री

ठाकर के साक्ष्य पर कोई शक नहीं है न ही उसके लिए कोई कारण हैं। श्री खान के बयान की इस प्रति में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने रिकार्ड किए गए विवरण को पढ़ा था और इसे सही पाया और यह दर्शाती है कि उन्होंने इस पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए थे। परन्तु हमारे सामने श्री खान ने बयान दिया है कि यद्यपि उन्होंने 31-12-1975 को श्री ठाकुर के समक्ष बयान दिया था, जो कि उन की अनुपस्थिति में रिकार्ड किया गया था, उन्होंने बयान को पढ़े बिना उस पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद श्री खान ने हमारे समक्ष पेश किए गए दस्तावेज में दर्शाए गए उन के कुछ बयानों के सम्बन्ध में कहा कि वे उन्होंने नहीं दिए थे ;

ये वे बयान थे जो उन्होंने श्री ठाकर के समक्ष दिए थे। उन्होंने बिना पढ़े बयान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 4-1-1976 को दूसरी बार श्री बत्रा द्वारा रिकार्ड किए गए बयान के सम्बन्ध में, श्री खान का ध्यान उस बात की ओर आकर्षित किया गया जो कि उन्होंने हैंगवाल सुरंग में तीन बोर होल्स की इन्किजनेशन के बारे में श्री बत्रा को बताया था तथा श्री खान ने बयान दिया कि श्री बत्रा द्वारा रिकार्ड किया गया बयान या तो गलत रिकार्ड किया गया था या वे इस मामले को उन्हें स्पष्ट रूप से बता नहीं सके। दिनांक 4-1-1976 के इस रिकार्ड किए गए बयान पर भी श्री यू० के० खान के अंग्रेजी में हस्ताक्षर हैं और श्री खान ने इस मामले को स्वीकार किया है। तथापि, उन्होंने कहा है कि हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने बयान को पढ़ा नहीं था। मुझे यह विचार प्रकट करने में कोई झिझक नहीं है कि 31-12-1975 और 4-1-1976 को श्री खान द्वारा दिए गए बयान क्रमश श्री एस० ठाकर और श्री एस० सी० बत्रा द्वारा उचित ढंग से रिकार्ड किए गए थे तथा श्री खान ने रिकार्ड किए गए अपने बयान पर, उसमें लिखे विषय वस्तु को जानने के बाद, हस्ताक्षर किए थे। इसलिए उनके द्वारा हमारे समक्ष दिए गए बयान जहां कहीं उनके पिछले बयानों से भिन्न हैं असत्य हैं इस प्रकार के अत्यन्त जिम्मेदार अधिकारी के ऐसे आचारण की जिसने फर्स्ट हारीजन के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 26-12-75 तक काम किया था, भी अवश्य ही स्पष्ट शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए।

श्री यू० के० खान की पदोन्नति

140. इसके बाद दिए गए कारणों से हमें यह यह जान कर आश्चर्य हुआ कि श्री यू० के० खान ने नवम्बर, 1974 में सहायक प्रबन्धक के रूप में चसनाला कोलियरी में सेवा आरम्भ की थी। उन्होंने बताया है कि चसनाला कोलियरी में कार्यारम्भ करने से पहले वे जीतपुर कोलियरी में ओवरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे तथा यह कि वह उस कोलियरी में 18-3-1973 को ओवरमैन थे, जबकि वहां एक विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट के संबंध में खान अधिनियम के अधीन एक जांच न्यायालय गठित किया गया था और जांच श्री आर० सी० दत्त द्वारा की गई थी। श्री आर० सी० दत्त ने अपनी दिनांक 4-5-1973 की जांच की रिपोर्ट में श्री यू० के० खान के सम्बन्ध में निम्न प्रकार बताया है:--

"दूसरी पारी में जब विस्फोट हुआ उस समय भूमि के नीचे जो पार्यवेक्षी कार्मिक थे उनमें से केवल तीन व्यक्ति बचे उनमें से, श्री भट्टाचार्य वैस्टर्न साइड में एम/टी पेनल में काम कर रहे थे, जो कि विस्फोट के घटनास्थल से दूर था। अन्य दो व्यक्ति श्री यू० के० खान, ओवरमैन और सुदर्शन सिंह माइनिंग सरदार थे। दुर्भाग्यवश शेष व्यक्ति दुर्घटना में मर गए। इस्को के प्रबन्धकों ने इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान दिलाया कि इन अनुभवी पर्यवेक्षकों ने दूसरी पारी में गैस के बारे में रिपोर्ट नहीं दी थी। इसलिए, उन्होने यह तर्क दिया कि गैस नहीं थी और इस तर्क का इस्तेमाल प्रबन्धकों के इस मत के समर्थन में किया कि रूफ के गिरने के फलस्वरुप अचानक बड़ी मात्रा में गैस आ गयी जो कारण मैंने दिए हैं, उन कारणों से मैंने पहले ही यह निर्णय दिया है कि यह मत अस्वीकार्य है, और गैस के जमा होने के वैकल्पिक सिद्धान्त का समर्थन करता हूं। इसलिए मैं श्री यू० के० खान के इस बयान को स्वीकार नहीं कर सकता कि उसे कोई गैस नहीं मिली। मैं यह मानता हूं कि न उन्होंने और न ही श्री सुदर्शन सिंह ने समीक्षाधीन जगहों की गैस के लिए जांच की थी। वे इन्टेक गेट पर बैठ कर ही संतुष्ट थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास ही नहीं किया, जो कि उनका कर्तव्य था, कि धीरे धीरे गैस जमा होने से श्रमिकों की जान खतरे में न पड़े। इसलिए वे अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहे और इस कारण से उन्हें अवश्य ही दोष के योग्य माना जाना चाहिए।"

* * *

"अधीनस्थ पर्यवेक्षी अधिकारियों में से, श्री यू० के० खान और श्री सुदर्शन सिंह अपनी घोर असफलता के कारण सीधे उत्तरदायी हैं, श्री खान ओवरमैन हैं और रैंक में श्री सुदर्शन सिंह से अधिक वरिष्ठ हैं, इसलिए उन्हें इस दोष के लिए श्री सुदर्शन सिंह से अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। सहायक प्रबन्धक के रुप में श्री पांडे का सामान्य और विशिष्ट उत्तरदायित्व हैं जिससे वे बच नहीं सकते। इसलिए मैं उनका नाम श्री खान और श्री सिंह के तुरन्त बाद रखता हूं, श्री के० सी० मिस्त्री और श्री कुन्डु का भी इस उत्तरदायित्व में अपना हिस्सा है, परन्तु सदोषता के क्रम में मैं उनको इकठे पर सबसे नीचे रखता हूं।

141. 4-5-1973 को की गई इन आलोचनाओं को देखते हुए, हमने श्री यू० के० खान से पूछा कि नवम्बर, 1974 में जीतपुर कोलियरी से चसनाला कोलियरी में किस ने उनका तबादला किया था। उनका उत्तर पूर्णतः नीचे उद्धृत किया गया है:--

"जब मैंने द्वितीय श्रेणी खान प्रबन्धक दक्षता परीक्षा पास कर ली तो उसके बाद, चसनाला कोलियरी में मेरे तबादले से तुरन्त पहले मैं सहायक प्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद मुझे चसनाला कोलियरी में सहायक प्रबन्धक के रूप में सेवा आरंभ करने के लिये स्थानान्तरण आदेश प्राप्त हुए थे और यह आदेश मुझे श्री जे० एन० ओहरी द्वारा भेजा गया था जो उस समय मुख्य कार्यपालक (कोयला खानें) थे। उस समय मैं ओवरमैन से पदोन्नति की सामान्य प्रक्रिया में द्वितीय श्रेणी सहायक प्रबन्धक के रूप में पदोन्नति किया गया था। मेरे द्वारा द्वितीय श्रेणी खान प्रबन्धक दक्षता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद प्रबन्धकों ने द्वितीय श्रेणी सहायक प्रबन्धक के रूप में पदोन्नति के लिए मेरी पात्रता पर विचार किया और सभी औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद श्री जे०एन० ओहरी ने मुझे सूचित किया कि मुझे पदोन्नति के योग्य समझा गया है तथा मैंने चसनाला कोलियरी में द्वितीय श्रेणी सहायक प्रबन्धक के रूप में सेवा आरम्भ करनी है। पदोन्नति बोर्ड जिससे अन्यों के साथ मेरी इण्टरव्यू ली, के सदस्य श्री आर० के० प्रसाद, श्री एस० के० बनर्जी श्री दीपक सरकार और श्री एन० सेन थे।

142. यह आश्चर्य की बात है कि मई, 1973 में श्री खान को उनके विरुद्ध टिपणियां दिए जाने के बाद चसनाला कोलियरी में कैसे सहायक प्रबन्धक के रूप में प्रभारी बनाया गया था। यह हो सकता है कि पदोन्नति बोर्ड ने उनकी पदोन्नति की सिफारिश की हो, परन्तु सहायक प्रबन्धक के रूप में उनकी चसनाला कोलियरी में नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री ओहरी को अपनी स्वीकृति नहीं देनी चाहिए थी। वास्तव में श्री खान को चसनाला कोलियरी में और जिम्मेवारी के पद पर नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति उन्हें पहले जीतपुर कोलियरी जो कि उसी मालिक की थी, में अपने उत्तरदायित्व को निभाने में असफल होने के दोष के बावजूद दी गई थी।

श्री अजीत कुमार मुखर्जी का उपलब्ध न होना :

143. इससे पहले कि हम फुटवाल गैलरी को बन्द करने के कारण के बारे में अपने साक्ष्य का उल्लेख करें एक और बात यहां संक्षिप्त में बता दी जाए। यह श्री अजीत कुमार मुखर्जी की जांच करने के लिए न्यायालय के प्रयास से सम्बन्धित है। श्री मुकर्जी जांचाधीन दुर्घटना की

तारीख को चासनाला कोलियरी में जनरल मजदूर के रूप में नियोजित थे। उनकी कानूनी जांच के दौरान जांच की गई थी और हमने यह सोचा कि दुर्घटना का कारण जानने में वे न्यायालय के लिए सहायक सिद्ध होंगे परन्तु हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद श्री अजीत कुमार मुकर्जी जांच किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं हुए। इस जांच के समय श्री अजीत कुमार मुकर्जी जीतपुर कोलियरी में नियोजित थे, जो कि उसी प्रबंधतंत्र की थी, और श्री अजीत कुमार मुकर्जी का पता लगाने के लिए, जिनके बारे में बताया गया था कि बीमारी के कारण कहीं गए हुए थे, हमने इस कोलियरी के प्रबन्धक, श्री स्वदेश पाल मेहरा से पूछताछ की। हमारे समक्ष पेश होने के लिए श्री मुकर्जी को सम्मन जारी किए गए थे परन्तु सम्मन तामिल नहीं हो सके क्योंकि उनके ठीक ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सका था हालांकि वह कम्पनी की नौकरी में थे। धनबाद के पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री जे० बी० लाला ने पुलिस के माध्यम से यह पता लगाने के लिए भरसक प्रयास किए कि श्री मुकर्जी कहां मिल सकते हैं परन्तु सारे प्रयास असफल रहे। स्पष्टतः जब श्री मुकर्जी को हमारे समक्ष बयान देने पड़े तो वह गायब ही हो गए। हम जांच में और असाधारण विलम्ब किए बिना, इस मामले में और आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। तथापि, हमें आशा है कि इस्को के उच्चाधिकारी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कैसे श्री अजीत कुमार मुकर्जी अदालती गवाह के रूप में जांचे जाने के लिए उपलब्ध नहीं हुये।

फुटवाल सुरंग को बन्द करने के आशंकित कारण

144. हमारे कहने पर जांचे गए अदालती गवाहों से इस बात का कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि क्यों फुटवाल सुरंग मंजूर की गई लम्बाई से आधे पर ही बन्द कर दी गई थी। परन्तु एक दृढ़ आशंका पैदा होती है कि ऐसा फुटवाल गैलरी में लम्बे बोर होल्स से पानी के रिसने या सवेग अत्यधिक आने के कारण था। यह मानना संभव नहीं है कि इस गैलरी के पुरानी खदान के इन्क्लाइन सं० 4 के पानी से भरे विस्तरण में जाने के बावजूद जिससे दोनों गैलरियों के बीच केवल 5 से 6 फीट का विभाजन रह गया, फुटवाल गैलरी के आने वाले पानी की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई।

दुर्घटना के तात्कालिक कारण

145. यद्यपि, नवम्बर, 1975 में फुटवाल सुरंग को बन्द करने के सम्बन्ध में हमें सुलझे हुए और निश्चित कारण उपलब्ध कराए गए हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके बाद वेंटीलेशन कनेक्शन बनाया गया था, जो ऐसी जगह स्थित था जो विनियम 127 के अधीन दी गई स्वीकृति के अनुसार नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रश्नाधीन दुर्घटना केवल इसी कारण से हुई है कि ईस्ट चिमनी अपरोस से वेंटिलेशन कनेक्शन केवल लगभग 90 से 100 फुट की दूरी पर खोला गया था, न कि 200 फुट पर, जिस दूरी पर यह स्वीकृत किया गया था और यदि यह गैलरी एक अनुचित गैलरी थी, तो दुर्घटना का उत्तरदायित्व अवश्य ही उस व्यक्ति पर होना चाहिए, जिसने इस मामले पर निर्णय लिया था। इस वेंटिलेशन कनेक्शन को खोलने के लिए यदि कानून के अधीन कोई आपत्ति नहीं होती, जैसा कि मामला प्रबन्धकों की ओर से प्रस्तुत किया गया है, तो गैलरी खोलने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते बशर्ते, कि उन्हें 'के' लेवल की 40 फुट की इन्क्लाइन लम्बाई के नीचे सं० 4 इन्क्लाइन की लम्बाई का ज्ञान न हो तथापि यदि विनियमों के विपरीत वेंटिलेशन कनैक्शन खोला गया था तो ये व्यक्ति उत्तरदायी होंगे, भले ही उन्हें 'के' स्तर के नीचे इन्क्लाइन सं० 4 की सीमा का पता नहीं था।

सुराख का तात्कालिक कारण

146. पक्षकार सं० 1 (प्रबन्धक तंत्र) द्वारा दायर किए गए पूरक लिखित बयान में यह दर्शाने का प्रयत्न किया गया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वेंटीलेशन कनैक्शन (नए खदान की) और विस्तार की गई इन्क्लाइन सं० 4 (पुरानी जलमग्न खदान की) के बीच किस प्रकार मेल हुआ होगा। पैराग्राफ 3 में इस प्रकार बताया गया है :

> "वेंटीलेशन कनैक्शन गैलरी की छत के ठीक ऊपर एक लुप्त हुए सिल के मौजूद होने का पता चला है और इससे पंचर पाइंट के आस पास की भूमि कमजोर हो गई। जिस पाइंट से कोयला खिसका था दरार के तल का झुकाव परिवर्तित हो गया है जो परतों के बीच किसी कमजोर सामग्री की विद्यमानता प्रदर्शित करता है और खिसकने के समय झटके को दर्शाता है इस स्थान पर दोनों किनारे जिग जैग ढंग से टूट गए हैं जिससे शीयरिंग से टूट फूट का संकेत मिलता है। खान मुख जो विस्फोटन के बाद अनाच्छादित हुआ, तथा दुर्घटना से प्रभावित गैलरी के बीच लगभग 5.5 मीटर का विभाजन पाया गया। भौमिकीय बाधा की विद्यमानता सिलकन साइडस्, रूप के ऊपर बाहरी सामग्री, तल के साथ ढीले ज्वान्टस ने संयुक्त रूप से, तीव्रता से तथा साथ साथ काम किया जिससे बिल्कुल अन्त (ब्लाइन्ड एण्ड) में 118 मीटर पानी के शीर्ष दबाव के कारण 5.5 मीटर कोयला की मोटाई टूट गई। यह भाग शिला खण्डों के रूप में नीचे खिसक गया और उनमें से कुछ खण्ड बालू गैलरी के निचले भाग में अभी भी दिखाई देते हैं इस स्थल के निरीक्षण से इसकी विशिष्टता, विभिन्न ढांचे तथा किस प्रकार कोयला टूटा और नीचे गिरा, ये सब बातें पता लगेंगी। उस विशेष स्थान में सीमा की संरचना जो कमजोर ज्वाइन्टस के कारण एक कमजोर तल है, कोयले की सीमा की तल में समविन्यास में अनाच्छादित हो गया।"

इसमें कोई शक नहीं कि वेंटीलेशन कनेक्शन उत्तर की ओर एक डाइक के माध्यम से आगे बढ़ा और इसमें भी कोई शक नहीं है कि विस्तारित की गई इन्क्लाइन सं० 4 के तल के पास एक सिल मिली थी, परन्तु यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि 27-12-1975 को बढ़ाई गई इन्क्लाइन सं० 4 की तह और वेंटीलेशन कनैक्शन की छत के बीच का विभाजन किसी मानवीय शक्ति की कार्रवाई के बिना नीचे गिर गया था डाइक की विद्यमानता और मोटाई जिसमें वैन्टिलेशन कनैक्शन बन चुका था और विस्तारित इन्क्लाइन सं० 4 के स्थान के साथ साथ चल रही सिल, जोकि भारतीय खान स्कूल द्वारा तैयार किया गया एक माडल है, साफ और स्पष्ट चित्रण करती है। जैसा कि उसके फोटोग्राफ से पता चल सकेगा स्कूल द्वारा तैयार किया गया यह माडल और अन्य माडल जांच के दौरान न्यायालय और पक्षकारों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुए, क्योंकि ये खाचानों और ग्राइवेजों के कुछ जटिल सेटों के तीन विमितीय पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। श्री जी० एस० मरवा प्रोफेसर के तारीख 30-1-1976 की निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार डाइक लगभग 80-100 से० मी० मोटा था और सिल 10-20 से० मी० मोटा था। इस टिप्पणी में श्री मरवाह ने उल्लेख किया था कि वेन्टिलेशन क्रास आउट के सामने अनेक शाट होल साकेट दिखाई दे सकते थे। वास्तव में, उन्होंने ये बात मुझे अपने निरीक्षण के दौरान भी बताई थी। अतः यह अनुमान लगाना उचित होगा कि दुर्घटना होने से थोडी देर पहले वेन्टिलेशन कनैक्शन के सामने कुछ विस्फोट किया गया था और इसी विस्फोट के कारण बीच में आने वाले कोयले का ब्लाक 400 फुट की ऊंचाई वाले पानी के दबाव से टूट पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप पुरानी खदानों की विस्तारित इन्क्लाइन नं० 4 और वेन्टिलेशन कनैक्शन गैलरी के बीच एक कनेक्शन बन गया।

वेन्टिलेशन कनेक्शन ड्राइवेज--क्या नया स्थान उचित था

147 मैं अब इस मामले पर विचार करना चाहता हूं कि मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना, जहां इस वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था की गई, क्या उसके लिए विनियमन 127 बाधक था। मैं यह मामला उसी क्रम में उठाता हूं जिसमें प्रबन्धकों की ओर से गवाहों ने, जिनसे पूछ ताछ की गई, बयान दिए है और फिर मैं श्री ओहरी

द्वारा दी गई गवाही पर विचार करूंगा, जिनसे भारतीय कोयला खान अधिकारी संघ की ओर से पूछ ताछ की गई थी (पार्टी संख्या 14)।

148. प्रबन्धकों की ओर से प्रथम गवाह श्री दीपक सरकार से, पूछ ताछ के दौरान यह पूछा गया कि यह वेन्टिलेशन कनेक्शन मूल योजनानुसार प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया और उसका उत्तर यह था :

हम इसे मूल अनुमत ड्राइवेज के अनुसार कर सकते थे परन्तु फुटवाल की ड्राइविंग में अनुभव की गई कठिनाईयों के कारण इस वेन्टिलेशन कनेक्शन की व्यवस्था की गई और यह भी योजना के अनुमत क्षेत्र के अन्दर है और खम्भों का आकार विनियम के अनुरूप है"

श्री दीपक सरकार के इस कथन को स्पष्ट किया जाना चाहिए था और इस तरह एक न्यायालय प्रश्न उठ खड़ा हुआ ?

"आपने अपनी जिरह में 'अनुमत क्षेत्र' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है"

आपका इस अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है ? उत्तर यह था कि चूंकि प्रबन्धकों ने वेन्टिलेशन कनैक्शन के लिए फुटवाल गैलरी को 200 फुट तक ड्राइव करने के लिए, जैसा कि योजना (प्रदर्श डी० 1), में दिखाया गया है, अनुमति प्राप्त कर ली थी, इस लिए नये वेन्टिलेशन कनैक्शन को 200 फुट की दूरी के अन्दर कहीं भी ड्राइव किया जा सकता था।

149. श्री रामानुज भट्टाचार्य, प्रबन्धक जिससे तदनन्तर पूछ ताछ की गई, ने भी नये वेन्टिलेशन की व्यवस्था कनैक्शन करने के लिये समान तर्क दिया है। श्री भट्टाचार्य से यह पूछा गया कि वेन्टिलेशन कनेक्शन को 1975 में दी गई अनुमति के अनुसार नहीं बनाया गया। श्री भट्टाचार्य का उत्तर था कि चूंकि ड्राइवेज के लिए अनुमति पहले से ही प्राप्त की जा चुकी थी, इस लिए प्रबन्धक अनुमत क्षेत्र में ही कार्य कर रहे थे।

150. प्रबन्धक के बाद श्री एस० के० बनर्जी, एजेन्ट, से पूछताछ की गई। 1975 में प्रस्तुत की गई योजना के संबंध में उन्होंने "60 मीटर के अन्दर जलाक्रान्त क्षेत्र के अन्तर्गत संख्या I हारिजन ईस्ट साइड वर्किंगस का स्वीकृत क्षेत्र" अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था और उनसे इस अभिव्यक्ति की व्याख्या करने को कहा गया। उनका उत्तर था कि उनका अभिप्राय 200 फुट × 90 फुट के ड्राइवेज से था।

151. श्री एस० के० बनर्जी के तत्काल बाद श्री आनन्द प्रसाद, सुरक्षा अधिकारी से पूछताछ की गई और उन्होंने यह बयान दिया कि वेन्टिलेशन कनैक्शन, जिसके संबंध में हम जिक्र कर रहे हैं, 1975 में दी गई अनुमति के अन्तर्गत आता है। वास्तव में, प्रबन्धकों की ओर से इन चार गवाहों के अनुसार, जिनसे पूछताछ की गई, वेन्टिलेशन कनैक्शन, जिसकी व्यवस्था पूर्वी चिमनी एप्रोच से 90 से 100 फुट की दूरी पर की गई थी, 1975 में प्रदान की गई अनुमति के अन्तर्गत आता है। मेरा विचार यह है कि यह निष्कर्ष अस्वीकार्य है। 29-9-1975 को दी गई स्वीकृति में प्लान नं० 75/4 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और कोई अन्य गैलरी, जिसको प्लान में नहीं दिखाया गया है, प्रदान की गई स्वीकृति के अन्तर्गत आती कहा जा सकता है।

152. इस संबंध में श्री जे० एन० ओहरी द्वारा दिया गया औचित्य कुछ हद तक भिन्न है और इसमें पुनरावृत्ति होगी। उनके अनुसार नया वेन्टिलेशन कनैक्शन विनियम 127 (3) के उपबन्धों के बावजूद बनाया जा सकता था, क्योंकि इसको उसी लेवल पर ड्राइव किया जा रहा था जिस लेवल पर फुटवाल और हैंगवाल गैलरियों को किया गया था और यह पुराने जलाक्रान्त खदानों के किसी तरह निकट नहीं था। मैंने विनियम 127 की व्याख्या के संबंध में श्री ओहरी के बयान पर विचार किया है और यहां और कुछ कहना आवश्यक नहीं है, सिवाय यह कहना कि मुख्य निरीक्षक की राय लिए बिना वेन्टीलेशन कनैक्शन चालू करने के संबंध में श्री ओहरी द्वारा दिया गया औचित्य मुझे वैध मालूम नहीं पड़ता। मेरा निष्कर्ष यह है कि वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था करने के संबंध में हमारे सामने दी गई सभी गवाहियां अनुचित कार्यवाही के समर्थन में दी गई हैं।

153. प्रबन्धकों का यह भी विचार है कि श्री एस० सी० बत्रा, खान सुरक्षा उप निदेशक को 15-12-1975 को अपने निरीक्षण के दौरान यह पता चला था कि वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था पूर्णतः प्लान (प्रदर्श डी०/1) के अनुसार नहीं की गई थी और उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। श्री बत्रा ने इस बात का खण्डन किया है। उनके अनुसार, उनको इस दिन प्लान (प्रदर्श डी०/1) नहीं दिखाया गया था। मुझे यह प्रतीत होता है कि किसी वजह से जिस पर पहले ही काफी विस्तार से विचार विमर्श किया जा चुका है फुटवाल ड्राइवेज को पूर्वी चिमनी एप्रोच से लगभग 90 फुट की लम्बाई तक ड्राइव करने के बाद चालू नहीं किया जा सका और हैंगवाल ड्राइवेज तथा फुटवाल गैलरी को जोड़ने के लिए वेन्टिलेशन कनक्शन को अनाधिकृत स्थान पर चालू किया गया।

वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था करने के लिए चासनाला के अधिकारियों का दायित्व

154. चूंकि इसमें जरा भी शक नहीं है कि वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था मुख्य निरीक्षक की आवश्यक लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, अनुचित ढंग से की गई थी, इसलिए कम्पनी के अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करना पड़ेगा। संगठनात्मक चार्ट का संगत भाग प्रदर्श सी० सी० में से पहले दिया गया है। रिकार्ड पर ऐसा कोई मैटिरियल नहीं है जिससे यह पता लगे कि फुटवाल ड्राइवेज और वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था करने के लिए, बर्नपुर में तैनात महाप्रबन्धक (मैटिरियल) को कुछ लिखा गया था और/या उनसे अनुमति प्राप्त की गई थी। हमारे सामने श्री ओहरी की गवाही के अनुसार, बर्नपुर में तैनात मुख्य खनन इंजीनियर, श्री बी० एल० वर्मा के 1-1-1974 से अपना कार्यालय छोड़ देने के पश्चात्, ए० बी० एम०, श्री एस० सी० लाल को महाप्रबन्धक (मैटिरियल) के रूप में नियुक्त किया गया था और वह कोयलाखान प्रतिष्ठान के प्रशासी प्रधान बन गए थे। तथापि, जहां तक खनन सलाहकार की तकनीकी ड्यूटियों का संबंध है, कार्य को चासनाला के अधिकारियों के बीच वितरित किया गया। इसलिए, वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केवल इन्हीं अधिकारियों की होनी चाहिए।

155. फुटवाल ड्राइवेज की सम्पूर्ण योजना चासनाला में बनाई गई थी और मूल स्वीकृत योजना में फेर-बदल का निर्णय वहीं किया गया तथा इससे लागू किया गया, जब कि 27-12-1975 को दुर्घटना हुई। इसलिए इसकी जिम्मेवारी चासनाला के सभी या ऐसे अधिकारियों पर पड़नी चाहिए जिन्होंने परिवर्तित योजना बनाई और उसको लागू किया, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन मामलों से संबंधित व्यक्ति ये थे :—

(1) श्री जे० एन० ओहरी, मुख्य कार्यपालक (कोयला-खानें);

(2) श्री एस० के० बनर्जी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, चासनाला कोयला खानें (खान अधिनियम के अधीन नियुक्त एजेंट);

(3) श्री दीपक सरकार, जो उस समय खान अधिनियम के अधीन ग्रुप सुरक्षा अधिकारी और योजना अधिकारी (खनन) तथा एजेंट (योजना) थे; और

(4) श्री रामानुज भट्टाचार्य, प्रबन्धक चासनाला कोयला खानें और अब उनकी अपनी-अपनी जिम्मेवारियों पर विचार किया जाना चाहिए।

156. मुख्य कार्यपालक (कोयला खानें), ग्रुप सुरक्षा अधिकारी और योजना अधिकारी (खनन) के पद खान अधिनियम के अधीन सांविधिक पद नहीं हैं, इसलिए इन पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों की ड्यूटियों और जिम्मेवारी का पता हमारे सामने प्रस्तुत की गई सामग्रियों से लगाया जाएगा।

मुख्य कार्यपालक (कोयला खानें)

संगठनात्मक चार्ट (प्रदर्श ग ग) के अनुसार, मुख्य कार्यपालक (कोयला खानें), श्री ओहरी के अधीन 17 विभागीय प्रमुख थे। श्री ओहरी ने हमारे सामने बताया है कि उनकी ड्यूटियां और जिम्मेवारियां मुख्यतः निम्नलिखित के बारे में हैं :—(1) नीति निर्णय देना, (2) तकनीकी सलाह देना, (3) प्रशासकीय कार्मिकों तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में मार्गदर्शन देना और (4) संघों से संबंधित कार्य जहां तक केन्द्रीय संगठनों का संबंध है या जब उनके केन्द्रीय कार्यालयों द्वारा मामले उठाए गए।

प्रबन्धकों (पार्टी संख्या 1) की ओर से दी गई "सामान्य सूचना और कोयला खान का इतिहास" में, मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) के संबंध में निम्नलिखित कहा गया है :

"खान विभाग में लोहा अयस्क और कोयला खानें शामिल हैं। ये दोनों खानें मुख्य कार्यपालक के अधीन हैं। चासनाला में तैनात मुख्य कार्यपालक (कोयला खानें) बिहार और पश्चिम बंगाल में कम्पनी की कोयला खान के कार्यों की सफलता और कल्याण के लिए महाप्रबन्धक (मैटिरियल) के माध्यम से उच्च प्रबन्ध वर्ग के प्रति उत्तरदायी है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेवार है कि कोयला पर्याप्त मात्रा में निकाला और धोया जाए। वह बर्नपुर में स्थित इस्पात संयंत्र को अनुकूलतम लागत पर कोयला उपलब्ध कराने के लिये भी जिम्मेवार है।"

यह मामला कम्पनी के अनुदेश तारीख 21 मई, 1973 में भी पाया गया है, जिसको प्रदर्श बी बी के रूप में रिकार्ड में लाया गया है।

157. श्री जे॰ एन॰ ओहरी ने हमारे सामने कहा है कि मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) का पद 21-5-1973 को सृजित किया गया था और वह इस पद पर, कुछ अन्य सांविधिक जिम्मेवारियों सहित, 20-8-1974 तक कार्य कर रहे थे। 21-8-1974 से, श्री ओहरी केवल मुख्य कार्यकारी (कोयला खान) के पद पर कार्य कर रहे थे जिसका खान अधिनियम या इससे संबंधित विधान, जैसे रोपवेज अधिनियम और कारखाना अधिनियम के अधीन कोई विशेष स्टेटस नहीं था।

158. संगठनात्मक ढांचे के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक (के सामग्री) के अधीक्षण तथा नियंत्रण का अधिकार प्रदर्श 15 सीरीज के रूप में हमारे सामने लाए गए कागजात के एक सेट में दिया गया है। इस संबंध में नोट करने योग्य प्रथम दस्तावेज, अधिकारियों को दिए गए अनुदेशों का एक सेट है। ये अनुदेश श्री ओहरी द्वारा मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) के रूप में 24-4-1974 को दिए गए थे (प्रदर्श 15/9)। चासनाला में यह अनुदेश श्री आर॰ बी॰ चालोराज, योजना अधिकारी (इंजीनियरी), श्री के॰ एल॰ लूथरा, चासनाला कोयला खान के तत्कालीन एजेंट और दीपक सरकार, चासनाला के योजना अधिकारी (खनन) और ग्रुप सुरक्षा अधिकारी को भेजा गया था। उस समय श्री एस॰ के॰ बनर्जी चासनाला कोयला खान से संबंधित नहीं थे। वह जीतपुर कोयला खान के एजेन्ट थे। उन्होंने जुलाई, 1974 में चासनाला कोयला खान में वरिष्ठ प्रबन्धक के रूप में स्थानान्तरित किया गया था और बाद में एजेंट के रूप में नामांकित किया गया था। इन पदों पर मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) का जो नियंत्रण था वह प्रदर्श 15/9 से मालूम किया जा सकता है, जोकि इस प्रकार है :—

जहां तक, चासनाला कोयला खान के एजेंट का सम्बन्ध है, ये अनुदेश दिए गये :—

"यदि इन अनुदेशों में परिभाषित आपके दायित्वों की परिधि में आने वाले किसी मामले में आप अपने दायित्वों को समुचित ढंग से निभाने के लिए अनिवार्य कार्यवाही नहीं करवा सकते तब आपका यह कर्तव्य है कि आप इस मामले को मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) के ध्यान में लाएं और तत्पश्चात् इस मामले में उनके अनुदेशानुसार कार्यवाही करें।"

ग्रुप सुरक्षा अधिकारी के संबंध में अनुदेश इस प्रकार हैं :—

"जहां तक खान अधिनियम और कोयला खान विनियमन के अधीन सुरक्षा अधिकारी के दायित्व का संबंध है, आप भी इस संबंध में हुये उल्लंघन के लिये समान रूप से जिम्मेवार होंगे। अतः आप नेमी निरीक्षण करेंगे और किसी कोयला खान में अपनाई जाने वाली खतरनाक और असुरक्षित प्रथा की रिपोर्ट उस कोयला खान के प्रबन्धक और एजेंट तथा मुख्य कार्यपालक कोयला खान को देंगे"।

अनुदेश में यह भी कहा गया था कि :—

"आप भूमिगत खदानों और सर्फेस इंस्टालेशन में जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि खान अधिनियम और कोयला खान विनियमों तथा अन्य खनन कानूनों के अधीन निर्धारित विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं और खान विभाग द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इस संबंध में उल्लंघन की सूचना आपके द्वारा तत्काल कोयला खान प्रबन्धक या एजेंट के ध्यान में लाई जानी चाहिए और उस उल्लंघन के निवारण के लिए उनके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आप को उनकी सहायता करनी चाहिए। आपका सभी प्रमुख उल्लंघनों को मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) के ध्यान में भी लाना चाहिए।"

योजना अधिकारी (खनन) के संबंध में अनुदेश निम्नानुसार हैं :—

"यदि इन अनुदेशों में परिभाषित आपके दायित्वों की परिधि में आने वाले किसी मामले में आप अपने दायित्वों को समुचित ढंग से निभाने के लिए अनिवार्य कार्यवाही नहीं करवा सकते तब आपका यह कर्तव्य है कि आप इस मामले को मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) के ध्यान में लाएं और तत्पश्चात् इस मामले में उनके अनुदेशानुसार कार्यवाही करें।"

159. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन अनुदेशों के अनुसार जोकि 1-12-1975 को लागू हो गए थे, मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) के एजेंट, चासनाला कोयला खान, ग्रुप सुरक्षा अधिकारी और योजना अधिकारी (खनन) की तुलना में व्यापक प्राधिकार थे। स्पष्टतः इन अनुदेशों के आधार पर, और जैसा कि श्री ओहरी ने बताया है, 17 विभागीय प्रमुख मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) को रिपोर्ट दिया करते थे। जहां तक चासनाला गहरी खान के प्रबन्धक की हैसियत का संबंध है, न्यायालय द्वारा श्री ओहरी से एक विशेष प्रश्न पूछा गया कि "क्या आप गहरी खान के प्रबन्धक से वरिष्ठ हैं या नहीं ?" और उनका उत्तर यह था कि चासनाला कोयला खान के प्रबन्धक का आसन्न वरिष्ठ अधिकारी खान अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय प्रबन्धक/एजेंट है और यह कि वह उक्त दोनों अधिकारियों से वरिष्ठ हैं। एजेंट, चासनाला कोयला खान को जारी किए गए अनुदेशों में भी यह कहा गया था कि प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) द्वारा की जाएगी। तारीख 1-10-1975 के अनुदेशों के एक अन्य सेट को, जिसपर श्री जे॰ एन॰ ओहरी के मुख्य कार्यपालक के रूप में हस्ताक्षर हैं, प्रदर्श 15/10 के रूप में रिकार्ड में रखा गया है। खान सुरक्षा महानिदेशक को भेजे गए तारीख 1-10-1975 के पत्र और अनुदेशों के सेट में यह उल्लेख किया गया था कि ग्रुप इलैक्ट्रिकल और मेन्टिनेन्स इंजीनियर के दो पद सृजित किए गए हैं और योजना अधिकारी के पद को समाप्त किया जा रहा है। यह अनुदेश उसी तारीख से प्रभावी होने थे। पक्ष संख्या 1 (प्रबन्धक) की ओर से जिरह में, श्री ओहरी से प्रदर्श 15/9 और 15/10 निगमित अनुदेशों के बारे में पूछा गया और उनसे पूछताछ की गई कि

तथा ये अनुदेश केवल प्रबन्धकों के रहने पर या उनके निदेश पर और खान सुरक्षा महानिदेशालय के निदेश पर और उनकी पूर्व अनुमति से जारी किए गए। श्री ओहरी के अनुसार 1973 में तत्कालीन खान सुरक्षा महानिदेशक से मांग की थी कि सभी वरिष्ठ कर्मचारियों के कर्तव्य तथा दायित्व निर्धारित किए जाने चाहिए और इस पर श्री ओहरी ने खान सुरक्षा महानिदेशक के अनुमोदन के लिये अनुदेशों का एक चार्ट भी तैयार किया था और तत्पश्चात् इन अनुदेशों को अप्रैल, 1974 में उस निदेशालय का अनुमोदन प्राप्त हो गया था। श्री ओहरी के अनुसार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के कस्टोडियन ने भी श्री ओहरी के अनुदेशों का कुछ मामूली परिवर्तनों के साथ अनुमोदन कर दिया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुदेशों का के ये सेट श्री ओहरी ने मुख्य कार्यकारी (कोयला खान) के रूप में निकाले हैं।

160. श्री ओहरी के उपर्युक्त व्यापक प्राधिकार के कारण, इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि फुटवाल ड्राइवेज और वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में श्री ओहरी ने 1975 में निभाई गई अपनी भूमिका को कम से कम करने की कोशिश की है। जैसा कि सर्वश्री एस० के० बनर्जी और रामानुज भट्टाचार्य द्वारा बताया गया है श्री ओहरी द्वारा निभाई गई भूमिका नीचे दी गई है।

161. श्री रामानुज भट्टाचार्य ने बताया है कि फुटवाल ड्राइवेज बनाने का निर्णय मई, 1975 में मुख्य कार्यालय (कोयला-खान) श्री ओहरी के कार्यालय में लिया गया था, जहां पर श्री डी० सरकार (योजना अधिकारी) और एस० के० बनर्जी, एजेन्ट तथा श्री भट्टाचार्य और एक या दो सहायक प्रबन्धक भी मौजूद थे। श्री रामानुज भट्टाचार्य के अनुसार जब फुटवाल ड्राइवेज में और प्रगति करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तब उन्होंने श्री दीपक सरकार और श्री एस० के० बनर्जी से तकनीकी सलाह मांगी थी। इस पर बाद में श्री ओहरी और श्री दीपक सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय किया गया कि वेन्टिलेशन के लिए क्रास-कनैक्शन द्वारा फुटवाल गैलरी को हैंगवाल गैलरी के साथ जोड़ दिया जाए। श्री भट्टाचार्य ने आगे बताया कि उन्होंने उपर्युक्त विचार-विमर्श में लिए गए निर्णय के बारे में श्री एस० के० बनर्जी को सूचित कर दिया था और वेन्टिलेशन कनैक्शन के लिए उनका अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् सहायक प्रबन्धक और सुरक्षा अधिकारी के ड्राइवेज का कार्य आरम्भ करने के अनुदेश दिए गए थे।

162. श्री भट्टाचार्य के बाद श्री एस० के० बनर्जी से पूछताछ की गई और उन्होंने वेन्टिलेशन कनैक्शन के सम्बन्ध में थोड़ा सा भिन्न बयान दिया है, परन्तु उन्होंने फुटवाल ड्राइवेज के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह ब्यान लगभग वैसा ही है। उनके कथनानुसार श्री ओहरी, श्री सरकार और श्री भट्टाचार्य तथा श्री बनर्जी की मई, 1975 की पुनरीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि होरिजन संख्या 1 के बन्द किनारों को हटाने के लिए एक फुटवाल ड्राइवेज की व्यवस्था की जानी चाहिए और मुख्य कार्यपालक (कोयला खान) ने सलाह दी थी कि इस प्रयोजन के लिए एक आवेदन किया जाना चाहिए। वेन्टिलेशन कनैक्शन के बारे में, श्री एस०के० बनर्जी से जिरह में यह पूछा गया कि यह मामला उसके ध्यान में कब आया कि चिमनी कनैक्शन से लगभग 90 फुट की दूरी पर वेन्टिलेशन कनैक्शन आरम्भ किया गया था और उनका उत्तर यह था कि उन्हें चिमनी कनैक्शन से 90 या 100 फुट की दूरी पर आरम्भ किए गए वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था करने का पता श्री भट्टाचार्य से 9 और 12 नवम्बर, 1975 के बीच चला था। तथापि, इस बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि श्री एस०के० बनर्जी ने भी वेन्टिलेशन कनैक्शन, जिसके सम्बन्ध में हम चर्चा कर रहे हैं, बनाने के बारे में अपनी सहमति दे दी थी।

163. फुटवाल ड्राइवेज की योजना के सम्बन्ध में, श्री ओहरी ने भी अपनी गवाही में लगभग वही ब्यान दिया है कि इस मामले पर उन्होंने, श्री दीपक सरकार, श्री एस० के० बनर्जी और श्री रामानुज भट्टाचार्य ने मई, 1975 में विस्तार से विचार-विमर्श किया था। तथापि, वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था करने के बारे में श्री ओहरी ने अपना भिन्न बयान देकर अपनी जिम्मेदारी को कम करने की कोशिश की है। वह केवल इस हद तक सहमत हुए हैं कि उन्हें बताया गया था कि फुटवाल ड्राइवेज को प्रगति में कुछ कठिनाइयां थीं और उन कठिनाइयों को हल करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि हैंगवाल गैलरी के साथ एक कनैक्शन बनाया जाए। यह भी प्रतीत होता है कि पक्ष संख्या 2 द्वारा जिरह के समय, श्री ओहरी ने संशोधित बयान दिया जब उनसे वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था करने के लिए किए गए निर्णय के बारे में पूछा गया था। उनके वास्तविक शब्द नीचे दिए गए हैं:—

"यह मामला मुझे प्रथमतः एजेन्ट (योजना), श्री दीपक सरकार और प्रबन्धक, श्री रामानुज भट्टाचार्य द्वारा बताया गया और बाद में हैंगवाल से 100 फुट की दूरी पर वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था करने के लिए प्रबन्धक, श्री एस० के० बनर्जी, और श्री दीपक सरकार, योजना अधिकारी के बीच एक निर्णय हुआ, और यह मामला जब मेरे पास भेजा गया तब मैंने इस सुझाव के सम्बन्ध में इस शर्त के साथ सहमति प्रकट की कि उस क्षेत्र में खम्बे लगाते समय विनियम 99 का पालन किया जाए, जिसको विकास के लिए पहले से अनुमोदित किया जा चुका था"।

164. जब कि पक्षकार संख्या 8 की ओर से श्री ओहरी से जिरह की जा रही थी तो उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियां कम करनी चाहिए यहां तक कि फुटवाल ड्राइवेज के बारे में भी वे ऐसा चाहते थे और उन्होंने कहा कि मई, 1975 में लिए गए संयुक्त निर्णय के पश्चात् यह निर्णय किया गया था कि हैंगवाल गैलरी के बन्द रास्ते को हटाने के लिए फुटवाल ड्राइवेज और मूल वेन्टिलेशन कनैक्शन के लिए एजेन्ट खान सुरक्षा महानिदेशक को स्वीकृत के लिए प्रार्थना पत्र देगा और यह कि एजेन्ट ने ऐसा ही कर दिया था। श्री ओहरी के अनुसार, उन्हें फुटवाल ड्राइवेज या इससे संलग्न नक्शे के लिए आवेदन देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि यह मामला साधारण प्रकार का था। उन्होंने यह भी कहा है कि 29-9-1975 को प्रदान की गई अनुमति देने के पश्चात्, उन्हें अनुमति पत्र देखने का अवसर नहीं मिला और यह कि उन्हें इन दस्तावेजों को देखने का मौका केवल 29-9-1975 को चला था, जब कि उन्हें सभी सम्बन्धित कागजातों के साथ इस्पात और खान मंत्रालय ने दिल्ली में बुलाया था। यह बिल्कुल संभव नहीं है कि श्री ओहरी द्वारा दिए गए बाद के इन बयानों को स्वीकार किया जाए। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए श्री एस० के० बनर्जी के एक बयान का उल्लेख किया जाना चाहिए। उनसे पूछा गया था कि क्या 1975 की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने कोई विचार विमर्श किया था। उनका उत्तर इस प्रकार है:—

"चासनाला जैसी कोयला खान में, विकास का प्रत्येक कार्य संयुक्त विचार-विमर्श से किया जाता है, जिसमें प्रबन्धक से लेकर सी० एम०ई० तक और उनसे आगे के सभी अधिकारी भाग लेते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय को कोई भी आवेदन भेजने से पहले हम बैठक में प्रत्येक मामले पर विस्तृत विचार विमर्श करते हैं और अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् हम अनुमति पत्र के बारे में पुनरीक्षा बैठक में विचार विमर्श करते हैं।"

165. यह विश्वास करना असंभव है कि यद्यपि फुटवाल ड्राइवेज के लिए अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात् विचार विमर्श किया गया था, श्री ओहरी 1975 के आवेदन, नक्शे और अनुमति से वाकिफ नहीं थे। श्री ओहरी का यह तर्क कि सर्वश्री दीपक सरकार, एस० के० बनर्जी और रामानुज भट्टाचार्य ने इस वेन्टिलेशन कनैक्शन बनाने का निर्णय लिया था और यह कि उन्होंने केवल इस प्रस्ताव में केवल अपनी सहमति दी थी, जबकि यह मामला उसके पास भेजा गया था, भी अमान्य है। मेरा विचार कि श्री ओहरी को पूर्व सहमति और अनुमोदन के बिना, यह वेन्टिलेशन कनैक्शन नहीं खोला जा सकता था और इसकी मुख्य जिम्मेदारी श्री ओहरी पर पड़नी चाहिए।

166. हम यहां यह भी उल्लेख कर दें कि वर्ष, 1977 में चसनाला में श्री ग्रोहरी द्वारा को गई भूमिका के आधार पर, वे खान अधिनियम की धारा 2(1)(ग) के अधीन "एजेन्ट" को परिभाषा के अन्दर आते हैं। श्री ग्रोहरी ने अपनी गवाही में उनके द्वारा की गई कुछ विशेष कार्रवाईयों का उल्लेख किया है, हालांकि वे 1-4-1971 से "मनोनीत" मालिक नहीं रहे थे। उदाहरणतया, श्री ग्रोहरी ने कहा है कि उन्होंने श्री दीपक सरकार को अप्रैल, 1975 में एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया था, क्योंकि यह अधिकार उनको उच्च प्राधिकारियों द्वारा दिया गया था। श्री ग्रोहरी ने यह भी कहा कि श्री दीनेन माया के मालिक के रूप में मनोनीत होने के बाद भी, वह (श्री ग्रोहरी) मालिक के कुछ कार्यों को करते रहे थे। इसलिये इस निष्कर्ष से नहीं बचा जा सकता कि श्री ग्रोहरी खान अधिनियम द्वारा परिभाषित "एजेण्ट" की परिभाषा के उपबन्ध के अन्दर आते हैं।

क्या विनियमन 99 का कोई उलंघन किया गया था

167. कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियमन 99 के पीछे शरण लेने के संबंध में यहां कुछ कहा जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जब वेन्टिलेशन कनेक्शन को बनाने का निर्णय किया गया था, जिससे हम सम्बन्धित हैं, तो विनियमन 99 ध्यान में नहीं था। यह संदेह से परे स्पष्ट है कि हैंगवाल गैलरो साइड से वेन्टिलेशन कनेक्शन के आरम्भ पाइंट को मुख्यतः उत्तर की ओर जाने की सुविधा हेतु चुना गया था ताकि फुटवाल ड्राइवेज के बन्द रास्ते को जोड़ा जा सके। यदि फुटवाल ड्राइवेज पूर्व से पश्चिम को ओर कुछ मीटर तक रुक गया होता तो वेन्टिलेशन कनेक्शन ने हैंगवाल गैलरो के तदनुरूपी स्थान पर वर्तमान वेन्टिलेशन कनेक्शन के पश्चिम या पूर्व की ओर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया होता। गैलरियों कि औसत चौड़ाई पर आधारित श्री रामानुज भट्टाचार्य द्वारा की गई गणना, ताकि विनियमन 99(4)—में आंकड़ों के चौथे सेट से लाभ उठाया जा सके, स्वीकार नहीं की जा सकती। यह स्पष्ट नहीं है कि श्री भट्टाचार्य ने गैलरी की "औसत चौड़ाई" को संकल्पना कैसे की थी। विनियमन 99(4) में निर्दिष्ट आंकड़े गैलरियों को अधिकतम चौड़ाई पर आधारित है और यह विनियमन औसत चौड़ाई का उल्लेख नहीं करता है। इसलिए, यदि कोयला खान विनियमन का विनियमन 99 वर्तमान मामले में लागू भी होता हो तो भी पूर्वी चिमनी स्प्रोच और वेन्टिलेशन कनेक्शन के बीच छोड़े हुए खम्बों का आकार विनियम 99 के अधीन अपेक्षित आकार से छोटा था। श्री ग्रोहरी का बयान कि वेन्टिलेशन कनेक्शन की व्यवस्था करने का निर्णय लेते समय, विनियमन 99 को ध्यान में रखा गया था, इस बात का समर्थन हमारे सामने प्रस्तुत किए गए किसी रिकार्ड से नहीं मिलता है और मेरा विचार है कि इस जांच में जो विनियम 99 का हवाला दिया गया है वह केवल बाद का विचार था, जो कि स्वीकृत प्लान के विपरीत चालू किये गए वेंटिलेशन कनेक्शन को स्थिति के बारे में कुछ औचित्य ढूंढने के लिए दिया गया था।

एजेन्ट और योजना अधिकारी (खनन)

168. जहां तक एजेन्ट और योजना अधिकारी (खनन) का सम्बन्ध है, उनको जारी किए गए अनुदेश में यह आदेश थे कि उन्हें देखना था कि खान अधिनियम और उसके अधीन पास किए गए विनियमों के उपबन्धों का पालन किया जाय और इसलिये वेन्टिलेशन कनेक्शन को खोलने की जिम्मेदारी श्री जे०एन० ग्रोहरी के बाद, श्री एस०के० बनर्जी, उस समय के चसनाला कोयला खान के क्षेत्रीय प्रबन्धक और एजेन्ट पर पड़नी चाहिए। श्री रामानुज भट्टाचार्य के बयान पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं है कि फुटवाल ड्राइवेज की प्रगति के रुक जाने के पश्चात् (चाहे इसका कोई भी कारण हो), उन्होंने श्री एस० के० बनर्जी और दीपक सरकार से तकनीकी सलाह मांगी थी और श्री भट्टाचार्य, श्री ग्रोहरी तथा श्री दीपक सरकार के बीच समस्या पर विचार-विमर्श के पश्चात्, वेन्टिलेशन कनेक्शन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था। वेन्टिलेशन कनेक्शन की व्यवस्था करने का निर्णय में श्री एस०के० बनर्जी और श्री दीपक सरकार ने भी भूमिका निभाई थी, यह तथ्य श्री जे०एन० ग्रोहरी की गवाही में भी उपलब्ध है। मैंने श्री एस०के० बनर्जी के विचार नहीं माना है कि वेन्टिलेशन कनेक्शन को इस विशेष स्थान में युक्तिसंगत रूप से बनाया जा सकता था, जो कि खान सुरक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत फूटवाल ड्राइवेज को 200 फुट की लम्बाई के भीतर था। अतः इस अनाधिकृत गैलरी को खोलने के लिए श्री बनर्जी भी जिम्मेवार थे।

169. इसी कारण से, दूसरा व्यक्ति जिनको वेन्टिलेशन कनैक्शन को व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, वह श्री दीपक सरकार है। मैंने उनके इस विचार को भी नहीं माना है कि वेन्टिलेशन कनैक्शन को स्वीकृत योजना के अनुमत क्षेत्र के अन्दर ही चालू किया गया था। इसलिए, योजना अधिकारी (खनन) इन अनधिकृत कनैक्शन की जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं।

प्रबन्धक की जिम्मेवारी

170. अन्य व्यक्ति जिसकी जिम्मेवारी पर विचार किया जाना चाहिए, वह चसनाला गहरी खान के उस समय के प्रबन्धक श्री रामानुज भट्टाचार्य हैं। मेरे विचार से, अनधिकृत वेन्टिलेशन कनैक्शन की व्यवस्था करने की उनकी जिम्मेवारी भी प्रमाणित हो गई है। 1975 में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका, जब फूटवाल गैलरी बनाने का निर्णय लिया गया था, का विस्तृत रूप में पहले से ही उल्लेख किया जा चुका है। मैं यह भी बता चुका हूं कि वेन्टिलेशन कनैक्शन, जिससे हमारा संबन्ध है, कैसे और किसके द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह सिद्ध करने के लिए रिकार्ड पर एक शब्द भी नहीं है कि श्री भट्टाचार्य ने किसी समय शिकायत की थी। या यह समझा था कि वेन्टिलेशन कनैक्शन, योजना, प्रदर्श डी/1, के अनुसार नहीं था। यह योजना, प्रदर्श-डी/1 उनके अपने हस्ताक्षर के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी। इसके विपरीत, श्री भट्टाचार्य ने हमारे सामने यह कहा कि यह वेन्टिलेशन कनैक्शन "अनुमत क्षेत्र में" बनाया गया था। इस तर्क को मैंने नहीं माना है।

171. वास्तव में, श्री भट्टाचार्य के विरुद्ध बहुत से नुक्ते हैं। इनमें से एक मुख्य नुक्ता यह है कि फूटवाल ड्राइवेज के लिए अनुमति लेने हेतु दायर की गई योजना प्रदर्शन-डी/1 बिल्कुल सही या पर्याप्त योजना नहीं थी। श्री एस०के० बनर्जी के अनुसार, उसने प्रबन्धक को कहा था कि वह सभी पिछले पत्र-व्यवहारों का अध्ययन करें और फुटवाल ड्राइवेज के लिए योजना तैयार करें और यह स्पष्ट है कि श्री भट्टाचार्य ने हैंगवाल ड्राइवेज सम्बन्धी पत्रों और योजनाओं की या तो छानबीन नहीं की थी और या उन्होंने 1975 में जानबूझकर एक अपर्याप्त योजना प्रस्तुत की थी। योजना प्रदर्शन-डी/1 लगभग 1971 में दायर की गई, अर्थात् प्रदर्श-डी/7, प्रथम योजना की तरह की थी, और पहली योजना को 1971 में प्रस्तावित हैंगवाल ड्राइवेज के लिये अपर्याप्त योजना नहीं समझा गया था। फूटवाल ड्राइवेज को दिखाने के लिये योजना, प्रदर्श-डी/1 में ए०ए पर सेक्शन को गलत स्थान पर लिया गया था। यदि यह प्रस्तावित फूटवाल ड्राइवेज और उत्तर में जाने वाली स्ट्रोन में चिमनी स्प्रोच के विस्तार को दिखा सकती थी तो इस सेक्शन को इन्क्लाइन संख्या 4 को भी दिखाना चाहिए था। 1971 में लिखे और पेश किए गए पत्रों और योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए, यह समझ में नहीं आता कि प्रदर्श-डी/1 पर बनाए गए सेक्शन में इन्क्लाइन संख्या 4 के चित्र को कैसे बिल्कुल छोड़ दिया गया था। वास्तव में प्रदर्श-डी/1 से काफी आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो कि उस प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं थे, जिसके लिये कि इन्हें दायर किया गया था और ऐसे आंकड़े नहीं दिखाए गए थे; जो कि दिखाने अनिवार्य थे। उदाहरण के लिये, हैंगवाल ड्राइवेज के भाग, जिसे 1973 तक बनाया गया था, और प्रस्तावित फूटवाल ड्राइवेज के संबन्ध में संयुक्त सीम संख्या 13 और 14 की छत और फर्श को नहीं दिखाया गया था।

172. दूसरा नुक्ता जो कि श्री भट्टाचार्य के विरुद्ध जाता है, वह यह है। रिकार्ड से यह मालूम पड़ता है कि वास्तव में फूटवाल ड्राइवेज को

अनुमति मिलने से बहुत पहले प्रारम्भ किया जा चुका था । यह अनुमति 29-9-1975 को दी गई थी। श्री रामानुज भट्टाचार्य से मामले के इस पहलु पर विस्तार से पूछा गया जब उन्हें रेंजिग रिपोर्ट (प्रदर्श एच और एच/1) दिखायी गई। उनसे पूछा गया था कि क्या 8 जुलाई, 1975 को प्रथम होरिजन में फुटवाल ड्राइवेज बनाई जा रही थी या नहीं और उनका उत्तर था कि उस समय की रेंजिग रिपोर्ट सम्भवतः उस होरिजन की वेस्ट साइड वर्किंग के संबन्ध में थी। परन्तु जब उनका ध्यान प्रदर्श एच में, तारीख 8-7-1975 के सामने लिखे विशेष शब्दों की ओर दिलाया गया, जहां पर अभिव्यक्ति 'ई०ई० डब्लू' रिकार्ड की गई थी, तब उनका उत्तर यह था कि उस प्रविष्टि में पूर्वी जिले में फुटवाल के निकटवर्ती क्षेत्र का जिक्र किया गया होगा। यह स्पष्टीकरण अधिक संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जुलाई, 1975 में, फूटवाल ड्राइवेज पर केवल विचार ही किया जाना चाहिए था और भविष्य के फूटवाल ड्राइवेज के किसी भी निकटवर्ती क्षेत्र का उस समय की रेंजिग रिपोर्ट एन्टरी में उल्लेख नहीं किया जा सकता था। 8-7-1975 की तीसरी पारी के सामने वास्तविक इन्दराज यह है "मेटिरियल केरिंग एण्ड लिफ्टिंग ईस्ट फूटवाल डी/8 मेकिंग एण्ड सपोटिंग" और यह इन्दराज ईस्ट फूटवाल ड्राइवेज के अलावा किसी अन्य स्थान के बारे में नहीं हो सकता था। 8-6-1975 के इन्दराज के संबन्ध में बाद प्रश्न विस्तार से पूछे गए और श्री रामानुज भट्टाचार्य आगे जो स्पष्टीकरण दे सके वह यह था कि यह इन्दराज कुछ आपरेशन, जैसे फुटवाल के प्रवेश के नजदीक सपोर्ट कार्य के बारे में होगा । जुलाई, 1975 के इन्दराज के संबन्ध में यह स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि फूटवाल ड्राइवेज की स्वीकृति सितम्बर, 1975 के अन्त में दी गई थी और यह उससे पहले आरम्भ नहीं की जानी चाहिए थी। श्री रामानुज भट्टाचार्य को प्रदर्श एच के बहुत से इन्दराज दिखाए गए, ताकि उनसे यह पता लग सके कि रेंजिग रिपोर्ट जुलाई और अगस्त, 1975 में पूर्वी फुटवाल में कार्य के बारे में कैसे हो सकती हैं। श्री रामानुज भट्टाचार्य के अनुसार, इन इन्दराजों में गलती से पूर्वी फुटवाल का उल्लख किया गया होगा और उस समय कार्य पश्चिमी साइड पर हो रहा था। तत्कालीन प्रबन्धक का यह ब्यान संतोषजनक नहीं है। उदाहरणतः उनसे प्रदर्श एच में तारीख 15 जुलाई, 1975 के इन्दराज के बारे में विशेष रूप से पूछा गया था, जहां पूर्वी फुटवाल की दूसरी पारी के सामने निम्नलिखित शब्द रिकार्ड किये गए थे "सपोर्टिंग ड्रिलिंग एण्ड ब्लास्टिंग मेकिंग 7 एम०सी० फाम लोअर्स" ।

इस इन्दराज में पूर्वी फुटवाल में जुलाई, 1975 में हो रहा कुछ कार्य अवश्य दिखाया गया था। 16-7-1975 को पूर्वी फुटवाल के सामने इन्दराजों में भी उस तारीख को हुआ कुछ कार्य दिखाया गया था, जिसमें ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग शामिल थी। पूर्वी फूटवाल के संबन्ध में प्रदर्श एच में तारीख 11-8-1975 के इन्दराज के बारे में पूर्वी फुटवाल में 34 फुट लम्बे बोर होल के स्पष्टीकरण के लिए एक विशेष प्रश्न पूछा गया था और श्री भट्टाचार्य का उत्तर था कि यह संकल्पित फुटवाल ड्राइवेज के निकट ईस्ट चिमनी अप्रोच में हो सकता है । यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है । पूर्वी फुटवाल के संबन्ध में प्रदर्श एच में तारीख 7-7-1975 के इन्दराज में पहली पारी में किए गए कार्य का कुछ उल्लेख है और श्री बी०एम० भटनागर, सहायक प्रबन्धक (जिनकी दुर्घटना में मृत्य हो गई) की डायरी में, तारीख 7-7-1975 के सामने निम्नलिखित इन्दराज है:—

> "प्रथम होरिजन—एल०सी० ई० पैनल के सभी फेसिज, पश्चिमी और पूर्वी फुटवाल का निरीक्षण किया गया और उन्हें सुरक्षित पाया गया। वेन्टिलेशन संतोषजनक था। तीसरी पारी एल० सी०ई० में स्टोविंग की जा रही थी।"

डायरी को प्रदर्श सी/6 के रूप में प्रदर्शित किया गया और श्री भट्टाचार्य से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि श्री भटनागर इस ड्राइवेज की स्वीकृति जारी होने से 2½ महीने पहले जुलाई 1975 में पूर्वी फुटवाल का जिक्र कैसे कर सकते थे। इस संबन्ध में श्री रामानुज भट्टाचार्य की गवाही का सारांश यह है कि 7-7-1975 के सभी इन्दराज पूर्वी फुटवाल के नजदीक ईस्ट चिमनी एप्रोच में किए गए कुछ कार्य के बारे में हो सकते हैं। यह स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं है, यदि हम इस तथ्य को ध्यान में रखें कि 29-9-1975 से पहले पूर्वी फुटवाल ड्राइवेज का अस्तित्व नहीं होना चाहिए था और ईस्ट चिमनी एप्रोच में किए गए कोई कार्य का संकेत फुटवाल ड्राइवेज की ओर नहीं हो सकता था।

173. मुझे यह प्रतीत होता है कि श्री भट्टाचार्य ने यह दिखाने के लिये व्यर्थ प्रयत्न किया कि स्वीकृति मिलने से पूर्वी फुटवाल ड्राइवेज के संबन्ध में कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया था, क्योंकि यह स्वीकृति 29-9-1975 को प्रदान की गई थी।

174. मैं यहां एक अन्य पाइंट का उल्लेख करना चाहता हूं, जो कि श्री भट्टाचार्य के जिरह के समय सामने आया। उनसे यह पूछा गया था कि उन्होंने दुर्घटना की रात को और उसके शीघ्र बाद पुलिस को कुछ बयान दिए थे। इस बात का भी श्री भट्टाचार्य ने खंडन किया, उनका कहना था कि उनको इस प्रकार का कोई मामला याद नहीं। श्री भट्टाचार्य के इस बयान को मिथ्या सिद्ध करने के लिए खान सुरक्षा विभाग को श्री सी०पी० सिंह से पूछताछ करनी पड़ी थी, जो कि दुर्घटना के समय, जोरापोखर स्टेशन के कनिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक थे। जांचाधीन दुर्घटना के बारे में 27-12-1975 को 3 बजे सायंकाल के लगभग पुलिस में रिपोर्ट की गई थी और श्री सिंह चसनाला चले गए थे। उनके पास श्री जोगेन्द्र सिंह द्वारा 4 बजे सायंकाल एक मामला दर्ज करवाया गया और श्री सिंह द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के अधीन मामले की जांच आरम्भ की गई। श्री सिंह के अनुसार उन्होंने श्री रामानुज भट्टाचार्य का बयान 28-12-1975 को प्रातः लगभग 1.30 पूर्वाह्न रिकार्ड किया था। इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि श्री भट्टाचार्य ने हमारे सामने बयान दिया है कि वह 27-12-1975 को होरिजन नं० 1 में नहीं गए थे और उस दिन वह केवल होरिजन नं० 2 में गये थे, जब कि पुलिस के बयान (प्रदर्श क्यू०) में यह उल्लेख है कि श्री भट्टाचार्य ने पुलिस को बताया है कि वह दुर्घटना के दिन होरिजन नं० 1 और होरिजन नं० 2 में गए थे। मेरा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि श्री भट्टाचार्य 27-12-1975 को प्रथम होरिजन में गए होंगे और हमारे सामने दिए गए उनके विपरीत बयान का अनुमोदन नहीं करना चाहिए। तथापि, इस मामले का सीधा सम्बन्ध श्री भट्टाचार्य के विचाराधीन उत्तरदायित्व से नहीं है, परन्तु इसका सम्बन्ध पहले दिए गए कारणों से है। मेरा यह निष्कर्ष है कि श्री रामानुज भट्टाचार्य, गहरी खान के तत्कालीन प्रबन्धक, भी अनुसूचित वेंटिलेशन कनैक्शन बनाने के लिए जिम्मेवार हैं, जिसमें प्रस्तुत घटना घटी थी।

प्लान जो कि स्वामित्व दस्तावेज (डाकुमेंट आफटाइटल) के भाग थे, प्रस्तुत नहीं किए गए।

175. एक अन्य मामला, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि खान सुरक्षा विभाग के विद्वान काउन्सेल द्वारा प्रबन्धकों से मांगें गए कुछ प्लान भरसक प्रयासों के बावजूद उपलब्ध नहीं कराये गए। हमारे सामने यह कहा गया कि जब चसनाला खान (अन्य परिसंपत्तियों सहित) को 1938 में "इस्को" को स्थानान्तरित किया गया था, तब छः प्लानों के सेट को स्थानान्तरण के दस्तावेज का भाग बना दिया गया था। स्थानान्तरण के समय भूमि के नीचे काम-काज की परिस्थिति मालूम करने के लिये इस न्यायालय जांच को इन प्लानों की आवश्यकता थी। इस मामले पर विद्वान काउन्सेल द्वारा बहस की गई और हमने प्रबन्धकों से कहा कि वे ये प्लान प्रस्तुत करें जो कि 'इस्को' के स्वामित्व के दस्तावेज के भाग थे, परन्तु ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। यह बताया गया कि तलाशी के बावजूद, ये दस्तावेज ढूंढे नहीं जा सके। हम से एक अजीब परिस्थिति मानते हैं यदि स्वामित्व के दस्तावेज का एक भाग गुम हो और उसे जांच के समय उपलब्ध न कराया जा सके। हम आशा करते हैं कि उच्च अधिकारी इस मामले की छान-बीन करेंगे।

क्या नं० 4 इन्कलाइन की लाग डिपार्ड एक्सटेंशन के बारे में पूर्व जानकारी थी ?

176. चूंकि यह अनाधिकृत वेन्टिलेशन कनेक्शन इन्कलाइन नं. 4 की एक्सटेंशन के साथ जुड़ गया, इसलिए खान सुरक्षा विभाग की ओर से हमारे सामने एक पाईंट उठाया गया कि 'इस्को' के अधिकारी, विशेष रूप से श्री जे० एन० ओहरी और दीपक सरकार को इस तथ्य का पता था कि इन्कलाइन नं० 4 सीम से 40 फुट से भी अधिक (इन्कलाइनड़ी दूरी से) नीचे आ गई थी, जैसा कि प्रदर्श डी/4 प्लान में दिखाया गया है। इस पाइंट को समझने के लिए, चसनाला कोयला खान के एक भूतपूर्व सर्वेक्षक, श्री एस० सरकार से खान सुरक्षा विभाग की ओर से पूछताछ की गई। जांच-न्यायालय को उस समय यह बतलाया गया था कि श्री एस० सरकार, भूतपूर्व सर्वेक्षक, इतने अधिक बूढ़े और बीमार हैं कि वह अपने घर (आसनसोल में) से गवाह के रूप में परीक्षित होने के लिये न्यायालय में नहीं आ सकते। यह जांच उन सबके लिए खुली थी, जो इसमें भाग लेना चाहते थे और वास्तव में बहुत से पक्षकारों ने इस जांच और अनुवर्ती जिरह में भाग लिया। श्री सरकार ने जो कुछ कहा था उसका सारांश यह था कि उनकी जानकारी के अनुसार इन्कलाइन नं० 4 लगभग 85 फुट तक 'के' लेवल के नीचे चली गई थी और यह कि 1976 से चार या पांच वर्ष पहले उन्हें तत्कालीन अधीक्षक, श्री बी० एल० वर्मा (बाद में श्री बी० एल० वर्मा मुख्य खनन इंजीनियर बन गए) ने बर्नपुर में बुलाया गया था और उस समय श्री वर्मा के साथ श्री सरकार की बातचीत के दौरान, श्री सरकार ने श्री वर्मा को बताया कि इन्कलाइन नं० 4 'के' लेवल से 80 फुट से अधिक नीचे चली गई है। श्री एस० सरकार भूतपूर्व सर्वेक्षक के अनुसार श्री जे० एन० ओहरी तथा श्री दीपक सरकार भी इस वार्तालाप के समय मौजूद थे। श्री ओहरी ने न्यायालय में इस कथन का स्पष्ट रूप से खंडन किया, जब उन्होंने यह कहा कि श्री एस० सरकार की सेवा-निवृत्ति के बाद कि वह (श्री ओहरी) भूतपूर्व सर्वेक्षक को बर्नपुर में श्री बी० एल० वर्मा के कार्यालय में नहीं मिले। न्यायालय गवाह के रूप में पूछ-ताछ किए जाने पर श्री बी० एल० वर्मा को भी इस बारे में पूछा गया और उन्होंने बर्नपुर में हुई अभिकथित बात-चीत के बारे में श्री सरकार के बयान का भी खंडन किया। ऐसी परि-स्थितियों में, श्री एस० सरकार, भूतपूर्व सर्वेक्षक द्वारा दी गई गवाही पर विश्वास करना संभव नहीं होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्को के अधिकारियों को यह सूचना दी थी कि इन्कलाइन नं० 4 की खुदाई के 'क' लेवल से लगभग 80 से 85 फुट की दूरी तक पहुंच गई है।

177. इसी कारण से श्री एस० सरकार की प्लान (प्रदर्श 2), जहां 'के' लेवल के नीचे पेंसिल में कुछ डोटिड लाइनें हैं, पर आधारित गवाही पर विश्वास करना भी संभव नहीं होगा। अतः मैं श्री जे० एन० ओहरी और श्री दीपक सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता कि वे वास्तव में जानते थे कि इन्कलाइन 4 'के' लेवल के नीचे 40 फुट (इन्कलाइंड दूरी) से भी अधिक दूरी तक चली गई थी, जैसा कि प्रदर्श डी/4 में दर्शाया गया है।

178. इस प्रसंग में, मैं उस मामले को दुहराना चाहता हूं, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। यह वह सुझाव है जो कि होरिजन नं० 1 के ऊपर की पुरानी खदानों को जल-मुक्त रखने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिया गया है, ताकि नई खानों में पानी की रिसन न्यूनतम हो। प्रबन्धकों (4 पक्षकार नं० 1) द्वारा प्रस्तुत किए गए कोयला खान के इतिहास में यह वर्णन किया गया है कि जब 1967 में 3/4 इन्क्लाइनों को पुरानी खदानों से पानी निकालने का प्रयास किया गया, तब पुरानी खदानों में बचे कोयले में आग लगने का खतरा था और इसलिए पानी के लेवल को 'सी' लेवल छत के नीचे कभी नहीं आने दिया गया। यह भी कहा गया कि मुख्य खान निरीक्षक के कार्यालय ने भी इस बात पर जोर दिया था कि इस क्षेत्र को जलमग्न रखा जाए। श्री बी० एल० वर्मा ने इस संबन्ध में हमारे सामने कहा कि पानी निकालने के कार्य को रोक दिए जाने के लगभग 1 वर्ष की अवधि के बाद खान सुरक्षा महानिदेशक से पानी निकालने के कार्य को आरम्भ करने की स्वीकृति देने हेतु पुनः अनुरोध किया गया था, परन्तु उसकी स्वीकृति नहीं दी गई थी। इस मामले का पक्षकार नं० 8 की ओर से खंडन किया गया है और मैं समझता हूं कि इस संबन्ध में पक्षकार नं० 1 द्वारा दिए गए बयान के समर्थन में रिकार्ड में कोई सामग्री नहीं है। बहस के समय पक्षकार नं० 8 के विद्वान काउन्सेल ने हमें तारीख 4-10-1967 की एक रिपोर्ट दिखायी, जो कि तत्कालीन खान सुरक्षा संयुक्त निदेशक, श्री ए० एन० सिन्हा द्वारा तैयार की गई कही गई थी। इस रिपोर्ट में इस मामले के संबन्ध में कुछ उल्लेख था। हमारा ध्यान तारीख 23 दिसम्बर, 1967 के पत्र की ओर भी दिलाया गया, जो कि खान सुरक्षा निदेशक, उत्तरीय क्षेत्र को श्री टी० सी० आनन्द, इस्को के तत्कालीन उप मुख्य खदान इंजीनियर द्वारा लिखा गया था। इस पत्र में भी 3/4 इन्कलाइन खदानों से पानी निकालने के मामले का उल्लेख किया गया था। श्री टी० सी० आनन्द के पत्र को औपचारिक रूप से रिकार्ड पर नहीं लाया गया था, परन्तु श्री ए० एन० सिन्हा की रिपोर्ट श्री एस० पी० गांगुली की सांविधिक रिपोर्ट के अनुबन्ध 11 का भाग है। इस रिपोर्ट (पैराग्राफ 6.2, खंड 1) से यह स्पष्ट है कि 1967 में पानी निकालने का कार्य बन्द किए जाने के बाद, 3/4 इन्कलाइन खदानों को जलाक्रान्त रखा गया और पानी का उपयोग टाउन जल पूर्ति के लिए किया गया। इसलिये यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि खान सुरक्षा विभाग के कहने पर 3/4 इन्कलाइन की खदानों को जलाक्रान्त रखा गया। यह मान लिया जाना चाहिए कि 3/4 इन्कलाइन की पुरानी खदानों के नीचे प्रथम होरिजन में स्थानीय प्रबन्धकों की जिम्मे-दारी पर कार्य किया जा रहा था (यह दूसरे होरिजन के विकास के प्रयोजनार्थ हो सकता है) और ऊपर निर्दिष्ट कोयला खान के चार स्था-नीय अधिकारियों पर इस दुर्घटना की जिम्मेदारी अवश्य डाली जानी चाहिए, क्योंकि जब कि उन्होंने 1975 में स्वीकृत प्लान का उल्लंघन किया।

179. इस समय यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि इस न्यायालय ने श्री बी० एल० वर्मा से पूछा था कि क्या चसनाला कोयला खान के प्रबन्धकों ने 3/4 इन्कलाइन की जलाक्रान्त खदानों के नीचे प्रथम होरिजन की गैलरियों में पानी के टपकने और रिसने के संबन्ध में प्रतिदिन का रिकार्ड रखा था और उनका उत्तर था कि जहां तक उन्हें याद है, जल के टपकने का कोई भी रिकार्ड नहीं रखा गया था। अतः यह पता लगाना मुश्किल है कि यद्यपि नं० 3/4 इन्कलाइन की खदानों से पानी नहीं निकाला गया था, जैसा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था, जलाक्रान्त क्षेत्र से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के होरिजन नं० 1 में जल टपकने का कोई रिकार्ड कैसे नहीं रखा गया था।

180. मेरा अन्तिम निष्कर्ष यह है कि ऊपर की पुरानी 3/4 की इन्क्लाइन की खदानों में जल के अधिक इकट्ठा होने की दृष्टि में रखकर होरिजन संख्या 1 के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्थिति पर विचार करते हुए, वेन्टिलेशन कनेक्शन बनाते समय, जहां दुर्घटना हुई थी, स्वीकृत प्लान (प्रदर्श डी/1) के विपरीत कार्य करना खान सुरक्षा की निरी अवहेलना थी और यह दुर्घटना अवश्य ही सर्वश्री जे० एन० ओहरी, एस० के० बनर्जी, दीपक सरकार और रामानुज भट्टाचार्य की लापरवाही के कारण घटी है, जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है।

दुर्घटना के बाद गहरी खान से पानी का निकालना और इसके बाद के बचाव कार्य।

181. दुर्घटना के बाद, बचाव कार्य में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने तथा मार्गदर्शन और सहायता देने के लिये एक सलाहकार दल की स्थापना की गई थी। इस दल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे।

(1) श्री पी० एन० शर्मा, संसद सदस्य।

(2) खान सुरक्षा महानिदेशालय।

(3) निदेशक, भारतीय खान स्कूल।

(4) निदेशक, केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र।

(5) उप-अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड।

(6) महाप्रबन्धक, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर।

(7) सी०एम०पी०डी०आई० का एक प्रतिनिधि।

(8) ए० बी० एम० श्री ए०सी० लाल, महाप्रबन्धक (सामग्री)।

श्री यू० एन० झा, तत्कालीन मुख्य खनन इंजीनियर को भारत कोक कम्पनी लिमिटेड, पम्पिंग संक्रियाओं का समस्त कार्यभार सौंपा गया था। श्री एस०पी० गंगुली ने 28-12-1975 से गहरी खान से पानी निकालने के बारे में अपनी सांविधिक रिपोर्ट के अध्याय VI, खंड I और उसी रिपोर्ट के खंड II के अनुबन्ध 6ए में वर्णित किया है। पानी निकालने की संक्रियाओं के संबन्ध में 28-12-1975 से 6-2-1976 तक हुई प्रगति एक तालिका में दर्शाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि 19-1-1976 की सुबह को पानी निकालने के बाद होरिजन नं० 1 सुगम्य बन गया था और होरिजन नं० 2, 6-2-1976 की सुबह दिखाई दिया। श्री गंगुली की रिपोर्ट से पता चलता है कि पानी को निकालने के लिए पोलैंड और रूस से पम्प प्राप्त किए गए थे और वस्तुतः रूसी विशेषज्ञों का एक दल भी इन पम्पों को लगाने में सहायता देने के लिए आया था। चार रूसी सबमर्सिबल पम्पों ने 13-1-1976 तक नं० 1 पिट में कार्य करना आरम्भ कर दिया था और पांचवें रूसी सबमर्सिबल पम्प को आवश्यकता होने पर इस्तेमाल करने के लिए रखा गया था। उसी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जब होरिजन नं० 1 पर्यवेक्षण और बचाव कार्य के लिए उपलब्ध हो गया था तब होरिजन नं० 2 से रूसी पम्पों और एक भारतीय पम्पों की सहायता से पानी निकालने का कार्य 28-1-1976 को आरम्भ किया गया था। श्री गंगुली की सांविधिक रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार और जो कुछ मैंने 18-1-1976 को अपने स्थानीय निरीक्षण के दौरान स्वयं देखा उसके मुताबिक गहरी खान से पानी निकालने के लिए रूस और पोलैंड के इंजीनियरों द्वारा दी गई सहायता के लिए जो कि उन्होंने अत्याधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में दी गई थी, हमें उनका आभारी होना चाहिए।

लाशों का निकालना

182. जहां तक दुर्घटना में शिकार हुए बदकिस्मत व्यक्तियों की लाशों को निकालने का संबंध था, उपर्युक्त परिस्थितियों में अधिक कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि गहरी खान के अन्दर किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने की आशा नहीं थी। पानी निकालने के बाद के बचाव कार्य में केवल अस्थिपंजर और हड्डियाँ ही निकाली जा सकीं। प्रथम दल को 19-1-76 की सुबह को पिट नं० 2 के रास्ते से नीचे भेजा गया और उस दिन पिट बाटम के आस पास पांच लाशों (या उनका जो कुछ बाकी रह गया था) का पता लगाया जा सका। इन लाशों में से एक लाश की पहचान नहीं की जा सकी और श्री करतार सिंह टिंडल की लाश को उसकी पत्नी द्वारा पहचाना गया। यह प्रतीत होता है कि लाशों की पहचान अधिकांशतः कैप लेम्प नम्बरों से की गई। चूंकि कई लाशों के बचे खुचे हिस्सों पर कोई भी कैप लेम्प नहीं थे, इसलिए उनको पहचाना नहीं जा सका। कुछ लाशों को उनकी वेश-भूषा से पहचाना गया और कुछ को लाश के बचे खुचे हिस्सों के पास पाई गयी चीजों जैसे चाबी, चाकू आदि से पहचाना गया। श्री गंगुली की सांविधिक रिपोर्ट के अनुबन्ध चौदह (खंड 1, अध्याय नौ के परिशिष्ट) में सारा ब्यौरा दिया गया है। अनुबन्ध चौदह में 400 आइटमों (अस्थि पंजरों और हड्डियों के बंडल) का जिक्र किया गया है और इस विषय पर अनुबन्ध पन्द्रह में चर्चा की गई है। यह अनुबन्ध उप-आयुक्त जिला धनबाद, सिविल सर्जन धनबाद, खान सुरक्षा निदेशक, उत्तरी जोन, चसनाला कोलियरी के चिकित्सा अधिकारी और इस खान के सहायक कार्मिक प्रबन्धक द्वारा गठित संशोधन समिति की 19-5-1976 को हुई बैठक के कार्यवृत्त से लिया गया एक उद्धरण है। इस अनुबन्ध में समाविष्ट संशोधन समिति के मतानुसार उस दिन तक निकाली गई लाशों की संख्या 374 से 380 के बीच थी। जैसे कि इस रिपोर्ट के पहले भाग में उल्लेख किया गया है, अब यह मान लिया जाता है कि 27 दिसम्बर, 1975 की दुर्घटना में 375 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हुए और मेरे पास इस संख्या को न मानने का कोई कारण नहीं है।

आभार प्रदर्शन

183. मैं केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री ए० एन० सिन्हा और कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश का आभारी हूं जिन्होंने, इस लम्बी जांच के लिए धनसर में केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति के परिसर और संस्थान में उपलब्ध सभी सुविधाओं का प्रयोग करने दिया। मैं धनसर में स्थित खान बचाव केन्द्र के अधीक्षक, श्री आर० के० घोष का भी आभारी हूं, जिन्होंने मेरे ठहरने के लिये कैम्पस में अतिथि गृह का प्रयोग करने दिया, जब कभी मैं जांच करने के लिए वहां आया।

मैं जांच में पेश होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों और उनकी ओर से पेश होने वाले वकीलों द्वारा दी गई सहायता के लिए आभार प्रकट करता हूं। जब कभी श्री जे० बी० लाल, सरकारी अभियोजक की सहायता की आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने सहर्ष सहायता प्रदान की। और मैं उनके द्वारा दी गई सहायता का भी आभारी हूं। मैं श्री सतीन्द्र कुमार उप निदेशक द्वारा दी गई सहायता के लिए भी आभारी हूं। उन्होंने जांच न्यायालय की व्यवस्था करने के लिये और हमारे द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय से मांगी गई सभी सुविधाओं की व्यवस्था की। मैं श्री तपन कुमार मजुमदार, खान सुरक्षा उप निदेशक का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने प्लान तैयार किये, जो कि इस रिपोर्ट के अनुबन्ध हैं। मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत तीन असेसरों द्वारा दी गई लगातार सहायता का आभारी हूं। वे भी मेरी तरह इस दुर्घटना से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिये उत्सुक थे। न्यायालय की कार्रवाईयों के दौरान और इस रिपोर्ट को तैयार करने में मुझे उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

मैं श्री प्रोमोद कुमार वर्मा, खान सुरक्षा उपनिदेशक का, जिन्होंने कुछ समय तक इस जांच न्यायालय के सचिव के रूप में कार्य किया था और श्री सतपाल सिंह का भी, बाद में जिन्होंने सचिव के पद का कार्यभार संभाला था, हमें दिए गए सहयोग के लिए मैं आभारी हूं। श्री सतपाल सिंह की कुशल सहायता सराहनीय थी। अन्त में मैं श्री महादेवश्वर प्रसाद सिन्हा, निजी सचिव और श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, वैयक्तिक सहायक का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने जांच के दौरान सराहनीय सहयोग दिया तथा यह रिपोर्ट तैयार की। मैं खान सुरक्षा महानिदेशालय के आशुलिपिकों नामतः सर्वश्री अमला कुमार मुखर्जी, कल्याण कुमार मलिक, महाप्रसाद और अनंगा भूषण बनर्जी द्वारा गवाहों के बयान रिकार्ड करने में दी गई उदार सहयोग के लिए भी उनका आभारी हूं।

व्यय की वसूली

184. मेरे इस निष्कर्ष को देखते हुए कि 27 दिसम्बर, 1975 की दुर्घटना चसनाला कोयला खान के सर्वश्री जितेन्द्र नाथ ओहरी, समीर कुमार बनर्जी, दीपक सरकार तथा रामानुज भट्टाचार्य की गलती और लापरवाही के कारण घटी थी, इसलिए इस जांच पर हुए खर्च की वसूली के लिये आदेश जारी किए जाने चाहिए।

जांच न्यायालय आदेश देता है कि जांच न्यायालय पर हुये खर्च को खान के मालिक नामतः *इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड* से वसूल किया जाए। इस खर्च में चसनाला जांच न्यायालय के सदस्य के लिये और सदस्य की ओर से किया गया खर्च सरकार द्वारा मनोनीत तीन असेसरों पर हुआ खर्च, गवाहों के बयान रिकार्ड करने के लिए खान सुरक्षा

महानिदेशालय द्वारा किया गया खर्च तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में किया गया खर्च शामिल होगा। जांच न्यायालय के विचारार्थ इन मदों पर किए गए खर्च का हिसाब मुख्य खान निरीक्षक द्वारा यथ शीघ्र किया जाएगा। न्यायालय द्वारा खर्च निर्धारित किए जाने के बाद निर्धारित राशि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्धारण के छः महीने के अन्दर-अन्दर उपयुक्त शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के नाम सरकारी खजाना धनबाद में जमा की जानी चाहिए।

ह०

(यू० एन० सिंह)
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश
पटना उच्च न्यायालय
चसनाला जांच न्यायालय

तारीख 24 मार्च, 1977

मैंने यह रिपोर्ट पढ़ ली है और मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

ह०

(सी० करुणाकरन)
असेसर

चसनाला कोयला खान में 27-12-1976 को हुई दुर्घटना के संबंध में असेसर श्री सी० एच० मरवाह की टिप्पणी।

1. यद्यपि मैं जांच न्यायालय के निष्कर्षों और उसकी सिफारिशों से सामान्य रूप से सहमत हूं, फिर भी मैं उस अवांछनीय प्रवृति का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि जांच न्यायालयों के बहुत से मामलों में दिखाई देती है और उसका इस रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह है तथ्यों को छिपाने और सच को झूठ बनाने की यह सुनिश्चित प्रवृत्ति। जांच करने का मूल प्रयोजन तथ्यों का पता लगाना है। इसमें किसी के भी अभियोजक या अभियुक्त होने की प्रत्याशा नहीं की जाती। कुछ पक्षकारों द्वारा दूसरे पक्षकारों पर दोष लगाने की प्रवृत्ति के कारण यह उद्देश्य काफी हद तक सिद्ध नहीं हो पाता। इसका यह परिणाम होता है कि जिन पर दोष लगाए जाते हैं वे पक्षकार तथ्यों में हेर-फेर या उनमें तोड़-मरोड़ करते हैं और अन्य पक्षकारों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि खान अधिनियम के अधीन स्थापित जांच न्यायालय एक तथ्य निर्धारण निकाय है और उससे यह आशा नहीं की जाती है कि वह किसी पक्षकार के विरुद्ध सजा सुनाये। यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए, तो सच्चाई को मालूम करने की कठिनाईयां पहले से बहुत कम हो जाएंगी।

आपसी आरोपों और प्रति आरोपों, अभियोगों और प्रति अभियोगों के वातावरण में, यह कोई ताजुब की बात नहीं थी कि प्रबन्धकों ने किसी तरह खान सुरक्षा महानिदेशक के अत्याधिक गोपनीय दस्तावेज प्राप्त कर लिए और उन को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। परन्तु स्थिति कुछ अजीब सी थी और इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

2. जांच के दौरान लिखित रिकार्डों की शोचनीय कमी का भी पता चला। वर्तमान मामले में विचार विमर्श/पुनरीक्षा बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का भी लिखित रिकार्ड नहीं रखा गया। इनमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में लिए गए निर्णय भी शामिल हैं। यद्यपि किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अलंघनीय नहीं माना जा सकता तो भी यह अधिक वांछनीय होगा यदि बड़े परिवर्तनों के कारणों और उन व्यक्तियों के नामों का रिकार्ड रखा जाए जिन्होंने निर्णय लेने की कार्यवाही में भाग लिया हो।

3. वैसा ही गड़बड़ वाला पहलू था महत्वपूर्ण सांविधिक उपबन्धों की कुछ हद तक सामान्य अवहेलना, जोकि जांच के दौरान प्रकट हुआ था। इन तथ्यों का वर्णन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से किया गया है कि ड्राइवेज स्वीकृति प्राप्त होने से बहुत पहले आरम्भ कर दी गई थी। और सांविधिक स्वीकृति की शर्तों में गम्भीर परिवर्तन किए गए थे। उस समय वर्तमान मामले में जरा भी सन्देह नहीं हो सकता कि उस समय पानी काफी मात्रा में इकट्ठा हो चुका था, जबकि नं० 4 इन्कलाइन के विस्तार के बिल्कुल नीचे फुटवाल गैलरी बनाई जा रही थी, जहां केवल लगभग 5 फुट की पार्टिंग थी और जबकि वैन्टिलेशन कनैक्शन डाइके को पार कर चुका था। इसमें भी जरा सन्देह नहीं हो सकता है कि इन बातों का पता सबसे पहले प्रथम लाइन पर्यवेक्षकों को लगा होगा और बाद में इनका पता वरिष्ठ अधिकारियों को लगा होगा। इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। इससे सुरक्षा के प्रति सामान्य रवैये का पता चलता है। यह सही है कि खनन-समुदाय लगातार ऐसी गम्भीर जोखिमों के वातावरण में रहते हैं कि उनके अन्दर आत्म संतोष या भाग्यवाद की भावना पनप जाती है। परन्तु इसी कारण से सुरक्षा मनोवृत्ति को अच्छी तरह और हमेशा के लिये इन श्रमिकों के मन में बिठा देना चाहिये और जोखिमों के प्रति सुरक्षात्मक उपायों को मजबूत बनाना चाहिये। निरन्तर सतर्कता ही वास्तव में सुरक्षा के लिये अनिवार्य है।

4. सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे शक्तिशाली हथियार आन्तरिक जांच है। ऐसी जांच के महत्व का श्री आर० सी० दत्त ने 1973 में जीतपुर में हुई भयंकर दुर्घटना की अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से और प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। बाहरी निरीक्षण की अपेक्षा आन्तरिक जांच के महत्व की बात यह है कि कार्य के नजदीक होने के कारण वहां की कार्य स्थिति का सही पता चलता रहता है चाहे वे प्राकृतिक (फिजिकल) या इंजीनियरी दशाएं हों या वे रीतियां (प्रैक्टिसिज) और मनोवृत्तियां हों। तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि अन्तःकरण की आवाज पर ध्यान दिया जाए और न कि उसके बारे में चुप्पी साधी जाए। संबंधित संगठन द्वारा आन्तरिक जांच की उपेक्षा केवल अपने रिस्क पर की जा सकती है और यह वास्तव में प्रभावी तभी हो सकती है यदि यह उच्च स्तर की हो तथा इसमें "बल" हो। सुरक्षा की अवहेलना के दण्ड में काफी वृद्धि की जानी चाहिए यदि ऐसे व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा करनी है जो खनन के अत्यधिक जोखिम वाले व्यवसाय को अपनाकर देश की सेवा करते हैं। वास्तव में उनके जीवन की सुरक्षा की जानी चाहिए।

यहां आंतरिक जांच के साथ ऐसे पक्ष को सहयोजित करने की आवश्यकता है जिसका हित सर्वाधिक निहित है। यह पक्ष श्रमिक ही है। खनन उद्योग में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का कोई औचित्य नहीं हो सकता, यदि इसमें सुरक्षा को शामिल नहीं किया जाता।

5. चसनाला की भयंकर दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों की संख्या के बारे में समाचार पत्रों में और अन्य प्रकार से बेतहाशा अटकलबाजी लगाई जाती रही। पानी निकालने का कार्य पूर्ण होने के बाद (शाफ्टों सहित) खान से एकत्र किए गए अस्थि पंजरों और हड्डियों से व्यक्तियों की सही संख्या निर्धारित करने का मामला महत्वपूर्ण था। यह मामला उसी समय उप आयुक्त की अधीन गठित "संराधन समिति" को भेजा गया था। इस समिति का एक सदस्य सिविल सर्जन भी था। इस समिति के आंकड़े हाजिरी रजिस्टर और कैप लैम्प जारी करने वाले रिकार्ड के आंकड़ों से बहुत हद तक मेल खाते हैं। वास्तव में, मुआवजे का दावा करने वाले परिवारों की संख्या कुछ कम थी। अतः मैं विशेषकर न्यायालय के इस कथन के साथ सहमत हूं कि उनके पास संराधन समिति द्वारा दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के प्राप्त आंकड़ों से असहमति प्रकट करने का कोई कारण नहीं है।

6 अन्त में, मैं न्यायालय द्वारा न केवल असेसरों को बल्कि जांच में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को दिए गए अविरल सम्मान और शिष्टता का उल्लेख करना चाहूंगा । इस मामले में न्यायालय द्वारा समस्त जांच कार्य के दौरान जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है, वह उदाहरण योग्य है ।

प्रो० जी० एस० मरवाह,
चसनाला जांच न्यायालय के असेसर और निदेशक, भारतीय खान स्कूल, धनबाद ।

श्री दामोदर पांडे, असेसर की टिप्पणियां

यद्यपि मैं रिपोर्ट से सामान्य रूप से सहमत हूं, फिर भी मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि खान विभाग के प्रशासन में एक आम प्रवृत्ति देखी गई है जो कि देश की आम जनता और विशेषकर खान श्रमिकों की आशा के अनुकूल नहीं रही है । देश में कोकिंग कोल की आवश्यकता होने के कारण, इसे गहरी खानों से निकालना पड़ता है जिसमें बहुत अधिक खतरा और जोखिम सनिहित है । सतह के और नीचे गए बिना ही चसनाला और सुदामाडीह जैसी वर्तमान जोखिम पूर्ण और खतरनाक खानें जिन पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के करोड़ों रुपये की लागत लगी हुई है, की और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी । इन खानों पर अच्छी तरह से ध्यान देना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि इन खानों में खनन तरीकों के लिए पूर्णतया विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया गया था । परन्तु जैसा कि गवाही के दौरान पता चला, इस विभाग के पास इन कठिनाइयों पर भविष्य में काबू पाने के लिए कोई न तो जनशक्ति है और न ही स्पष्ट दृष्टिकोण है । इस खान के कम निरीक्षण किए गए, क्योंकि विभाग के पास पर्याप्त निरीक्षण अधिकारी उपलब्ध नहीं थे । पिछले पांच वर्ष के दौरान देश में कोयला तथा अन्य खनिज पदार्थों के उत्पादन में 1½ गुणा वृद्धि हुई है, परन्तु इस विभाग में निरीक्षण अधिकारियों की कुल संख्या में कमी हुई है । तत्कालीन मुख्य खान निरीक्षक, श्री एस० एस० प्रसाद, की कुछ टिप्पणियों की जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी, जो कि उन्होंने अपनी गवाही के दौरान की थी ।

2. उन्होंने अपने बयान में बताया कि जहां तक उनको याद है, निरीक्षणालय अर्थात् खान सुरक्षा महानिदेशालय में निरीक्षक अधिकारियों के पदों की कुल संख्या लगभग 100 थी । श्री प्रसाद के अनुसार, 26-8-74 को जब उन्होंने मुख्य खान निरीक्षक के पद का कार्यभार संभाला, तब से हमेशा औसतन 25 अधिकारियों के पद खाली रहे थे । श्री प्रसाद ने आगे बताया कि वर्तमान स्थिति भी लगभग पहले की तरह है, सिवाय इसके कि कुछ अधिकारियों ने अपने त्यागपत्र दे दिये और कुछ अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु कहा और ये सभी मामले मंत्रालय में अनिर्णीत पड़े हैं । एक प्रश्न के उत्तर में कि रिक्त स्थानों को भरने के लिये क्या प्रयास किए जा रहे थे, श्री प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में प्रयास बड़े अधिक पैमाने पर किए जा रहे थे । ये प्रयास सुरक्षा सम्मेलनों की सिफारिशों और भूत के विभिन्न जांच न्यायालयों की सिफारिशों के अनुसरण में किये गये थे, ताकि खान सुरक्षा महानिदेशालय को मजबूत बनाया जा सके । जब कभी खान सुरक्षा महानिदेशालय को अवसर मिला तब सरकार को प्रस्ताव भेजे गए, जो कि वे सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं ।

3. श्री एस० एस० प्रसाद की इस गवाही के बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय (पक्षकार नं० 8) की ओर से एक चार्ट तैयार किया गया और श्री प्रसाद से पूछा गया कि क्या यह चार्ट सही स्थिति दर्शाता है या नहीं और उनका उत्तर यह था कि जहां तक वह कह सकते हैं, यह चार्ट सही है । इस चार्ट को रिकार्ड पर लाया गया है और इसे प्रदर्श सी० डब्ल्यू 6 के रूप में अंकित किया गया । इस चार्ट के अनुसार 14-11-1976 को रिक्त स्थानों की संख्या 29 थी । सबसे अधिक रिक्तियां उप निदेशक के वर्ग की थी । चार्ट से यह पता चलेगा कि 26-8-1974 को उप निदेशकों के स्वीकृत पद 54 थे और उस समय विद्यमान उप निदेशकों की संख्या 51 थी । 14-11-1976 को उप निदेशक के स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाकर 61 कर दी गई, परन्तु विद्यमान उप निदेशकों की संख्या घट कर 48 रह गई । खानों के नियमित निरीक्षण उप निदेशक के वर्ग के अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं और इस प्रकार उस वर्ग में विद्यमान रिक्तियों का प्रभाव नियमित निरीक्षणों पर अवश्य ही पड़ेगा । अन्त में संबंधित मंत्रालय से यह सिफारिश करूंगा कि इस मामले की जांच की जाए, ताकि सभी प्रकार के रिक्त स्थानों के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय की शिकायत दूर की जा सके । खानों का नियमित निरीक्षण खान श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है और मैं असेसर के रूप में इस महत्वपूर्ण जांच की कार्यवाही के पश्चात् यह सिफारिश करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं । मैं न्यायालय प्रदर्श नं० सी० डब्ल्यू० 6 की एक प्रति संलग्न कर रहा हूं, जो कि मेरी टिप्पणियों का अनुबन्ध है ।

ह०

(दामोदर पांडे)

तारीख 22 अप्रैल, 1977

अनुबन्ध सी० डब्ल्यू०-6

रिक्त पदों का सारांश

(14-11-1976 को)

महानिदेशक . .	1	26-8-1974 से
उप निदेशक . .	13	28-10-1975 से एक 24-11-1975 से एक 15-1-1976 से एक 10-5-1976 से छः 24-7-1976 (अपराह्न) से चार
सहायक निदेशक . .	6	26-8-74 से तीन 17-1-76 से एक 7-2-76 से एक 9-2-76 से एक
उप निदेशक (विद्युत) .	6	28-10-75 से एक 1-12-75 से एक 1-2-76 से एक 10-5-76 से दो 24-7-76 से एक (अपराह्न)
उप निदेशक (यांत्रिक) .	3	15-9-75 से एक 1-3-76 से एक 10-5-76 से एक
कुल .	29	

खानों के निरीक्षण से संबंधित वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' अधिकारियों की स्वीकृत और वर्तमान संख्या दर्शाने वाला विवरण

	महानिदेशक		उप महानिदेशक		निदेशक		संयुक्त निदेशक		उप निदेशक		सहायक निदेशक		संयुक्त निदेशक (विद्युत)	
	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०
26-8-74 की स्थिति	1	—	1	1	8	7	23	23	54	51	14	4	—	—

उप निदेशक (विद्युत)		संयुक्त निदेशक (यांत्रिक)		उप निदेशक (यांत्रिक)		कुल रिक्तियां
स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	
12	11	—	—	4	2	16=1=17

प्रयोग में आये संकेत-चिन्ह
स्वी० सं०=स्वीकृत पदों की संख्या
वर्त० सं०=वर्तमान पदों की संख्या

	महानिदेशक		उप महानिदेशक		निदेशक		संयुक्त निदेशक		उप निदेशक		सहायक निदेशक		संयुक्त निदेशक (विद्युत)	
	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०
14-11-76 की स्थिति	—	—	—	—	9	9	28	28	61	48	14	8	2	2

उप निदेशक (विद्युत)		संयुक्त निदेशक (यांत्रिक)		उप निदेशक (यांत्रिक)		कुल रिक्तियां
स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	स्वी० सं०	वर्त० सं०	
14	8	1	1	5	2	28+1=29

प्रयोग में आए संकेत चिन्ह :
स्वी० सं०=स्वीकृत पदों की संख्या
वर्त० सं०=वर्तमान पदों की संख्या

प्रोन्नति/भर्ती द्वारा भरी गई रिक्त पदों की स्थिति संबंधी विवरण

पद का नाम	रिक्ति के तारीख	उपलब्ध पदों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या	साक्षात्कार की तारीख	चुने गये उम्मीदवारों की संख्या	तारीख सहित पद भार ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
महानिदेशक, खान सुरक्षा . .	26-8-74	..	..	..	..	..	..
उप महानिदेशक, खान सुरक्षा . .	13-10-76	1	..	..	..	..	..
निदेशक, खान सुरक्षा . .	28-10-75	1	..	..	..	..	1-5-76
	10-5-76	1	..	..	..	..	24-7-76 (अपराह्न)
संयुक्त निदेशक, खान सुरक्षा . .	28-10-75	1	..	..	...	..	24 7 76 (अपराह्न)
	10-5-76	2	..	..	..	..	24-7-76 (अपराह्न)

1	2	3	4	5	6	7	8
उप निदेशक, खान सुरक्षा . .	26-3-74	3	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	1	17-1-75 को एक—और 17-3-75 को एक
	23-9-74	1	..	..	..	..	..
	28-2-75	1	..	..	..	..	..
	28-4-75	1	..	..	..	..	..
	31-5-75	1	..	..	..	..	..
	28-10-75	1	..	..	..	..	..
	24-11-75	1	..	..	..	..	..
	15-1-76	1	..	..	..	..	..
	10-5-76	6	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	5	19-1-76 को एक+ 7-2-76 को एक+ 9-2-76 को एक (अपराह्न)+ 21-4-76 को एक 23-4-76 को एक
	24-7-76	..	..	..	..	..	..

छोड़ कर गए उम्मीदवारों की संख्या तारीख सहित	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों की संख्या	बाहर के पदों के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों की संख्या	बाहर के पदों में नियुक्ति के लिए चुने गए अधिकारियों की संख्या	टिप्पणी
9	10	11	12	13
				रिक्त
26-8-74	..	..	..	मंत्रालय में स्थानान्तरित और तकनीकी सलाहकार के रूप में पुनः पद नामित
..	..	..	..	संयुक्त निदेशक से प्रोन्नति द्वारा
..	..	..	..	संयुक्त निदेशक से प्रोन्नति द्वारा
..	..	..	..	उप निदेशक से प्रोन्नति द्वारा
..	..	..	..	उप निदेशक से प्रोन्नति द्वारा
..	..	9	9	+सहायक निदेशक से प्रोन्नति द्वारा
23-9-74	..	..	..	त्यागपत्र द्वारा
28-2-75	..	..	..	त्यागपत्र द्वारा
28-4-75	..	..	..	त्यागपत्र द्वारा
31-5-75	..	..	..	त्यागपत्र द्वारा।
..	..	..	..	नया पद सृजित किया गया।
24-11-75	..	..	..	त्यागपत्र द्वारा
..	..	..	..	प्रोन्नति के कारण हुई रिक्ति
..	..	..	..	+सहायक निदेशक से प्रोन्नति द्वारा
..	..	..	..	प्रोन्नति के कारण हुई रिक्ति।

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक निदेशक, खान सुरक्षा . .	26-8-74	10 }	21	12	14-8-73	2	13-3-75 को एक
	17-1-75	1+ }	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	1	19-5-75
	7-2-76	1+ }	67	46	अगस्त 75	5	18-3-76 7-6-76 16-6-76 18-6-76 5-8-76
	9-2-76	1+ }					
			उपलब्ध नहीं है।	14	जुलाई 76	1	..

1	2	3	4	5	6	7	8	
उप निदेशक, खान सुरक्षा (विद्युत)	.	26-8-74	1	..	..	..	..	..
		15-9-75	1	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	1	2-8-76
		28-10-75	1	..	..	..	..	..
		1-12-75	1	..	..	..	.	..
		1-2-76	1	..	..	..	..	..
		10-5-76	2	..	..	..	..	..
		24-7-76	1	..	..	..	..	..
उप निदेशक, खान सुरक्षा (यांत्रिक)	.	26-8-74	2	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	2	20-8-75 को एक और 1-12-75 को दूसरे
		15-9-75	1+	..	..	..	1	डाक्टरी जांच द्वारा फिट घोषित नहीं किए गए।
		1-3-76	1+	..	..	..	..	..
		10-5-76	1@	..	..	..	..	..

9	10	11	12	13
..	..	..	..	दूसरे उम्मीदवार ने पद भार ग्रहण नहीं किया।
..	..	..	.	+उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति के कारण।
.	.	.	..	नियुक्ति प्रस्ताव के संबंध में अभी औपचारिकताएं पूरी होनी हैं। मंत्रालय के पत्र तारीख 8-1-75 द्वारा पद समाप्त किया गया।
..	..	1	1+	+अभी नहीं निकाली गई।
..	..	.	..	नया पद सृजित किया गया।
..	.		..	उप निदेशक (विद्युत) से संयुक्त निदेशक (विद्युत) के पद पर प्रोन्नति द्वारा
.	..	.	..	—यथोक्त—
..	..		.	नया पद सृजित किया गया।
.		.	..	उप निदेशक (वि०) से संयुक्त निदेशक (वि०) के पद पर प्रोन्नति द्वारा।
15-9-75	..	..	..	त्यागपत्र द्वारा
..	..	..	..	+उप निदेशक (यांत्रिक) के त्यागपत्र के कारण।
..	..	..	..	×उप निदेशक (एम) से प्रोन्नति के कारण।
..	..	..	..	@नया पद सृजित किया गया।

अनुबन्ध —ए

27-12-75 को चासनाला खान दुर्घटना में मृतकों की सूची

(फर्स्ट होरिजन)

क्रम० संख्या	नाम	पद	वैयक्तिक नम्बर
1	2	3	4
1.	बी० उपाध्याय	ओवरमैन	9591
2.	एस० के० निगम	खनन सरदार/शोर्टफायरर	9586
3.	के० पी० सरकार	यथोक्त	9672
4.	नन्दजी सिंह	अन्डरग्राउंड ट्रैफिक मुंशी	9638
5.	त्रिपुरारी सिंह	ओनसेट्टर	5428
6.	अब्दुल कयूम अंसारी	लोको ड्राइवर	6571
7.	पुना बौरी	ड्रिफिटर	6486
8.	सुरबहादुर थत्री	यथोक्त	5775
9.	राम चन्द्र आचार्य	यथोक्त	5492
10.	राम बहादुर	यथोक्त	5859
11.	टोप नाथ शर्मा	यथोक्त	5784
12.	मातबर राय	एच० टी० पम्प/हौलेज खलासी	5896
13.	भीम महतो	टिंडल	5505
14.	रतन सिंह	ड्रिफटर	5372
15.	भुजंगी चौधरी	टिंडल	6348
16.	राम सिंह	यथोक्त	5981
17.	त्रियोबालकराम	टिंडल पर्यवेक्षक	5008
18.	जितेन सिंह	ड्रिफटर	5374
19.	जादव महतो	अन्डरग्राउंड ट्रेमर	5147
20.	जावेद अहमद	मैके० फिटर	6070
21.	विजय बहादुर सिंह	यथोक्त	6612
22.	एन० के० बनर्जी	इलेक्ट्रिशियन	5017
23.	पी० सी० दास	यथोक्त	5954
24.	मोहम्मद सिराजुल	मैके० हैल्पर	5971
25.	मोह० मिकैल अन्सारी	यथोक्त	7182
26.	लक्षमन रविदास	प्रोप मिस्त्री	5160
27.	अशोकर कुमार दत्ता	बैटरी चार्जर	7021
28.	राम प्रसाद मिस्त्री	बरीकेडिंग टिम्बर/प्रोप मिस्त्री	7076
29.	सेवा महतो	यथोक्त	7114
30.	बालकरन राम	स्टोविंग बैरीकेडिंग/सप्ली०	6398
31.	विष्णु गोराई	यथोक्त	6944
32.	धीरन मंडल	यथोक्त	7062
33.	घुरन प्रसाद	यथोक्त	6904
34.	हलीम खां नं० 2	यथोक्त	6374
35.	लोक बहादुर सरखी	यथोक्त (सेमी-स्किल्ड)	6368
36.	मोह० रफी	यथोक्त	6927
37.	नारायन चौ० मुखी	यथोक्त (सेमी-स्किल्ड)	7094
38.	मथन मंडल	यथोक्त यथोक्त	5895
39.	राम सूरत सिंह	यथोक्त यथोक्त	6384
40.	नंद लाल महतो	डे० फेस वर्कर	7048
41.	काली बौरी	ड्रिफटर	6694
42.	सतीश महतो	टिम्बर/स्टील/प्रोप/स्टोविंग मैज०	6482
43.	रामेश्वर महतो	मकजीलरी फेन अटेंडेंट	7123
44.	बाली ओराव	डे० फेस वर्कर	6690
45.	सुरेन्द्र गोप	ड्रिफटर	6258
46.	शिवनाथ यादव	टिम्बर/स्टील/प्रोप स्टोविंग मैज०	6866
47.	एस० के कमरुद्दीन	डे० फेस वर्कर	6369
48.	तापेश्वर वरही	डे० फेस वर्कर	6650
49.	सुरेन्द्र मांझी	ड्रिफटर	5840
50.	अली मियां	डे० फेस वर्कर	6846
51.	मोह० इस्लाम	कंवेयर अटेंडेंट	6893
52.	पवन महतो	अकुशल मजदूर	7319
53.	प्रहलाद ओझा	ट्रमर/कंवेयर अटेंडेंट	5572
54.	मदन राय	स्टोविंग फिटर	6417
55.	अभि मुनिया विसाई	लोडर	90832
56.	अभिमुनिया खलाई	यथोक्त	90827
57.	सम्मु नाथ सेठी	यथोक्त	90815
58.	बुधाई मुन्डा	यथोक्त	90829
59.	गेन्दा मुन्डा	यथोक्त	90819
60.	फरीद अन्सारी	यथोक्त	90835
61.	रजक अन्सारी	यथोक्त	90841
62.	ईश्वर यादव	यथोक्त	90817
63.	तरपदा मंडल	यथोक्त	90906
64.	अंधन गोप	पिक माईनर/लोडर	6959
65.	मोह० मुनीर	कंट्रेक्ट लेबर	
66.	हसन खां	यथोक्त	
67.	आर० राव	यथोक्त	
68.	राम लाल राम	यथोक्त	

प्रबन्धक की ओर से

हस्ताक्षर:—अपठित (एडवोकेट)
28-1-1977
प्रबन्धकों की ओर से।

खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से :

हस्ताक्षर : एच० एस० अहुजा,
खान सुरक्षा निदेशक
29-1-77

27-12-1975 को चासनाला खान दुर्घटना में मृतकों की सूची (द्वितीय होरिजन)

क्रम संख्या	नाम	पद	वैयक्तिक नम्बर
1	2	3	4
1.	एस० के० चटर्जी	प्रथम श्रेणी सहायक प्रबन्धक	
2.	वी० एम० भटनागर	यथोक्त	
3.	बी० एम० मुखर्जी	शिफ्ट सहायक	9720

1	2	3	4
4.	एस० सी० दुबे	ड्राइवेज फोरमेन	9132
5.	एन० डी० मंडल	मैके० फोरमैन	9475
6.	मोह० अब्दुल रहमान	यथोक्त	9419
7.	वाय० के० गुप्ता	सीनियर ओवरमैन	9300
8.	यू० सी० पी० सिन्हा	हैड ओवरमैन	9136
9.	जे० नारायन	ओवरमैन/शोर्टफायरर	9607
10.	उचित नारायण सिंह	माइनिंग सरदार/ शर्टफायरर	9691
11.	एम० एम० चक्रवर्ती	माइनिंग सरदार	9143
12.	एस० के चटर्जी	यथोक्त	9476
13	एफ० के० चक्रवर्ती	ओवरमैन/शोर्टफायरर	9521
14.	आर० के० पांडे	माइनिंग सरदार/शार्टफायरर	9440
15.	जे० आर० दास	यथोक्त	9553
16.	आर० एन० मुखर्जी	यथोक्त	9590
17.	पी० आर० पाठक	ओपरेटर	5357
18.	सरजू प्रसाद	यथोक्त	5363
19.	द्विजोपादा ओझा	यथोक्त	5415
20.	उचित चौधरी	ड्रिफटर	6248
21.	भुनेश्वर मिस्त्री	ड्रिफटर/टिम्बर मिस्त्री	5669
22.	अब्दुल अन्सारी	ड्रिफटर	5914
23.	चरकु सिंह नं० 2	ड्रिफटर	5875
24.	दीनदयाल पंडित	यथोक्त	5382
25.	गुहा बहादुर तमंग	यथोक्त	5878
26.	कुयार कुमार	कंवेयर अटेंडेंट	6861
27.	अर्जुन सिंह	ड्रिफटर	5894
28.	अमोदो माली	यथोक्त	5822
29.	ज्योति बौरी	यथोक्त	5811
30.	किस्तो बौरी	यथोक्त	5555
31.	श्याम बहादुर थापा	यथोक्त	5476
32.	राम चन्द्र गोराई	यथोक्त	5388
33.	गंगा बहादुर चत्री	यथोक्त	5662
34.	रामभजन सो	यथोक्त	5663
35.	सानम सिंह लामा	यथोक्त	6405
36.	जितेन सिंह नं० 2	यथोक्त	5712
37.	बी० मुनीरत्नम	यथोक्त	5442
38.	दिलवर अली	यथोक्त	5674
39.	कैलाश दास	प्रोप मिस्त्री	5768
40.	नाथु दास	ड्रिफटर	5847
41.	मोह० अकबर	यथोक्त	5404
42.	चित्र बहादुर चत्री	यथोक्त	5458
43.	मोतीलाल महतो	यथोक्त	5912
44.	सम्भू मिस्त्री	यथोक्त	6262
45.	राजगीर महतो	यथोक्त	5747
46.	मुजाहीर अन्सारी	यथोक्त	5397
47.	तुल बहादुर सोनार	यथोक्त	5464
48.	सीता राम	यथोक्त	5381

1	2	3	4
49.	अब्दुल कुर्बान	ड्रिफटर	5403
50.	दिल बहादुर नेवार	यथोक्त	5871
51.	किशुन चमार	यथोक्त	5813
52.	एस० के० सुलोमन	यथोक्त	5486
53.	नासिरूद्दीन	यथोक्त	5401
54.	जमालुद्दीन	यथोक्त	5400
55.	इन्द्रवीर सरखी	यथोक्त	5478
56.	मोह० सफी	यथोक्त	6118
57.	इदीश अन्सारी	यथोक्त	6694
58.	कास्मीर सिंह नं० 2	टिंडल	6286
59.	कश्मीर सिंह नं० 3	ड्रिफटर	6579
60.	चंचई सिंह	टिंडल	5781
61.	बावा सिंह	ड्रिफटर	5741
62.	अवतार सिंह	टिंडल	5511
63.	लाखा सिंह	यथोक्त	6598
64.	अमर सिंह	यथोक्त	6563
65.	जागीर सिंह	यथोक्त	6597
66.	अमरिक सिंह	यथोक्त	6596
67.	हरमेश सिंह	यथोक्त	6599
68.	के० डी० चौधरी	यथोक्त	6004
69.	परेश नाथ पासी	यथोक्त	5010
70.	मंगल यादव	यथोक्त	7256
71.	कैलाश सिंह	यथोक्त	7254
72.	रामदयाल सिंह	टिंडल	7262
73.	बिशेश्वर महतो	यथोक्त	6345
74.	रामदेव सिंह	यथोक्त	5561
75.	विश्वनाथ साहू	यथोक्त	5001
76.	करतार सिंह नं० 2	यथोक्त	5992
77.	बुध सिंह	यथोक्त	6358
78.	पुरन सिंह	यथोक्त	7255
79.	धुम्बकारी सा	टिंडल सुपरवाइजर/मैके० फिटर	5052
80.	गोपी हरीजन	टिंडल	5437
81.	अजीत सिंह	टिंडल सुपरवाइजर	6174
82.	आर० ए० पांडे०	एच० टी० पम्प खलासी	5060
83.	धनंजय महतो	ट्रामर	5425
84.	भारत महतो	यथोक्त	5568
85.	गोधु गोराई	यथोक्त	5569
86.	पल्तु महतो	यथोक्त	5411
87.	पावन बौरी	ट्रैमर (अन्डर ग्राउंड)	6485
88.	सुबाल महतो	प्रोप मिस्त्री	5165
89.	चिन्तामन दास	ट्रैमर	5685
90.	खेयालीदास	जन० मज०	5684
91.	गोलोक मंडल	यथोक्त	5699
92.	निर्मल सिंह	ट्रैमर	5702
93.	टी० कानन	कनवेयर अटेंडेंट	6572

1	2	3	4
94.	बहादुर दास	जन० मज०	6890
95.	गीडू महतो	एक्सप्लोसिव केरियर	5158
96.	जगो महतो	जनरल मजदूर	7046
97.	हलधर महतो	लाईन मिस्त्री	5631
98.	सीताराम पासवान	ड्रिफटर	6666
99.	सिव ताहल राम	जनरल मजदूर	6407
100.	याकूब अन्सारी	जनरल मजदूर	6450
101.	भातु सिंह	यथोक्त	6470
102.	किसुन सा	यथोक्त	6865
103.	बालकिशुन प्रसाद	यथोक्त	7108
104.	वैजु मांझी	ड्रिफटर	5785
105.	जमुना यादव	यथोक्त	6156
106.	जान राय	डेव० फेस वर्कर	5412
107.	किस्तोपादा गोराई	यथोक्त	7050
108.	सुब्रामनियम	यथोक्त	6562
109.	मनी सिंह	जन० मज०	7047
110.	सरतो मंडल	कंवेयर अटेंडेंट	6686
111.	उमर खां	ड्रिफटर	6160
112.	पी० एस० मदान	डेव० फेस वर्कर	6154
113.	पूरन सिंह	जन० मज०	5701
114.	परभंस सिंह	ट्रेमर	6256
115.	राम चरन महतो	डेव० फेस वर्कर	6887
116.	राम चन्दर प्रसाद	यथोक्त	7094
117.	राम चरित्र यादव	यथोक्त	6565
118.	राम प्रवेश प्रसाद नं० 1	ड्रिफटर	6269
119.	तेक बहादुर	डेव० फेस वर्कर	6566
120.	राम प्रवेश राम	यथोक्त	7105
121.	अभिमुन्या प्रसाद	ड्रिफटर	5974
122.	दशरथ महतो	यथोक्त	6033
123.	दुबई मांझी	यथोक्त	6698
124.	घनश्याम मंडल	डेव फेस वर्कर	5942
125.	कैलाश सिंह	डेव० फेरा वर्कर	6645
126.	जग मोहन यादव	यथोक्त	6648
127.	मोहू० इद्रीश	ड्रिफटर	6558
128.	लालन सिंह	डेव० फेस वर्कर	6406
129.	नेपाल मलिक	ड्रिफटर	6368
130.	निबारन गोप	डेव० फेस वर्कर	7100
131.	जानकोदास चमार	ड्रिफटर	5808
132.	सत्यदेव यादव	डेव० फेस वर्कर	7075
133.	रामेश्वर सा	स्टोइंग वेरीकेडिंग सपोर्टिंग गेंग	6908
134.	रोहन यादव	डेव० फेस वर्कर	7068
135.	मुनी स्वामी	ड्रिफटर	6097
136.	नरेश प्रमाणिक	यथोक्त	6383
137.	सुभाष महतो	यथोक्त	6252
138.	देव नारायण रे	जन० मज०	6124
139.	राम चन्द्र प्रसाद	यथोक्त	6926
140.	मानिक डे	ड्रिफटर	6289
141.	वैद्यानाथ गोराई	जन० मज० (अन्डरग्राउंड)	6483
142.	नवारन मंडल	जन० मजदूर	6386
143.	परसुराम यादव	स्टोइंग वेरीकेडिंग सेमी-स्कीलड)	6844
144.	नरबेश्वर सिंह	स्टोइंग मजदूर	7029
145.	मोहू० सिद्दीकी	एस० टी० फेस वर्कर	5673
146.	मोहू० सफी	ड्रिफटर	6661
147.	शियो लखन रांत	डेवल्प फेस वर्कर	6681
148.	रामास्वामी	ड्रिफटर	6675
149.	अनरुध लाल	जन० मजदूर	6663
150.	राम बचन यादव	जन० मजदूर	6921
151.	कामेश्वर खत्री	यथोक्त	6923
152.	राम लखन पांडे	ड्रिफटर	6281
153.	अमर सिंह नं० 2	यथोक्त	6577
154.	भक्तेश्वर बौरी	यथोक्त	5935
155.	साधु मिस्त्री	बरीकेडिंग टिम्बर प्रोप मिस्त्री	6919
156.	मागाराम बौरी	स्टोइंग बरीकेडिंग स्पोटिंग गेंग	6653
157.	नित्यानन्द सिंह	डेव० फेरा वर्कर	6466
158.	बुधन सिंह	ड्रिफटर	6267
159.	जगदीश सिंह	बरीकेडिंग टिम्बर/प्रोप मिस्त्री	7121
160.	आनन्द दास	डेव० फेस वर्कर	6836
161.	मोहू० इशाक	यथोक्त	7102
162.	सुरेश ठाकुर	यथोक्त	7106
163.	कृष्ण बिहारी सिंह	ड्रिफटर	6487
164.	रामबिसुन महतो	यथोक्त	5772
165.	डोगरु यादव	डेव० फेस वर्कर	6943
166.	के० एस० मनी	स्टोइंग बरीकेडिंग स्पोर्ट गेंग	6066
167.	बासु गोराई	यथोक्त	7040
168.	कालीपादा मांझी	डेव० फेस वर्कर	6886
169.	जोगेन्दर राम	टिम्बर/स्टील प्रोप/स्टोइंग मजदूर	7101
170.	बालेश्वर सिंह	स्टोइंग बरीकेडिंग स्पोर्ट गेंग	6448
171.	फकीरा सा	ड्रिफटर	6644
172.	विजय संतुबाई	यथोक्त	5937
173.	कनाई गोराई	जनरल मजदूर	7060
174.	एम० एस० खां	जनरल मजदूर	6393
175.	चक्रधर गोराई	ड्रिफटर	5919
176.	जय गौराई	स्टोइंग बरीकेडिंग स्पोटिंग गेंग	7045
177.	अम्बाई मांझी	ड्रिफटर	6696
178.	अमर घोष	जनरल मजदूर	91284
179.	रामजी सिंह	फेस वर्कर	90656
180.	महावू महतो	यथोक्त	90470
181.	श्याम बिहारी राम	यथोक्त	90478
182.	कालेश्वर राम	यथोक्त	90510
183.	बुधु बेलदार	यथोक्त	90552
184.	अकबावर महतो	यथोक्त	90613
185.	बिजदान अहमद	यथोक्त	90641
186.	रामबिलाश दुसाध	यथोक्त	90689
187.	नन्दलाल मांझी	यथोक्त	90696
188.	मेघन पासवान	यथोक्त	90702
189.	दयाल यादव	यथोक्त	90715
190.	धीरू यादव	यथोक्त	90716
191.	सैयाब खां	यथोक्त	90714
192.	राधीब आसकारी	यथोक्त	90705
193.	रामेश्वर पाव	यथोक्त	90701
194.	अब्दुल अजिया	यथोक्त	90659
195.	सेथो सिंह	यथोक्त	90547
196.	श्री सुब्रामनी	यथोक्त	90469

1	2	3	4
197.	राखा यादव	फेस वर्कर	90745
198.	बिजु राम	यथोक्त	90484
199.	रामाधर पाल	यथोक्त	90482
200.	कैलाश प्रसाद सिंह	यथोक्त	90446
201.	प्राणानंद सिंह	यथोक्त	90609
202.	अली मोहम्मद	यथोक्त	90649
203.	अशर्फी सिंह	यथोक्त	90611
204.	भरत महतो	यथोक्त	90731
205.	भगीरथ सहीस	यथोक्त	90624
206.	चक बहादुर थापा	यथोक्त	90712
207.	कृष्णदेव सरिता	यथोक्त	90590
208.	कामता सिंह	यथोक्त	90485
209.	एम० एन० विस्वास	यथोक्त	90615
210.	रामअवतार मिस्त्री	यथोक्त	90717
211.	शियो पूजन उपाध्याय	यथोक्त	90436
212.	सम्मू मांझी	यथोक्त	90480
213.	शिया राम मांझी	यथोक्त	90635
214.	सुमन अन्सारी	यथोक्त	90611
215.	शिया नारायण यादव	यथोक्त	90498
216.	सुरेश सिंह	यथोक्त	90694
217.	श्रिगार्शन प्रसाद	यथोक्त	90747
218.	भीम बहादुर लामा	यथोक्त	90473
219.	चमक लाल यादव	यथोक्त	90639
220.	पुनारंगम	यथोक्त	90533
221.	कुपुस्वामी	यथोक्त	90442
222.	मुनीस्वामी	यथोक्त	90540
223.	रामबहादुर थापा	यथोक्त	90481
224.	काली बहादुर गुरंग	यथोक्त	90483
225.	गुबासधन लामा	यथोक्त	90492
226.	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	यथोक्त	90661
227.	जे०पी० पांडे	यथोक्त	90674
228.	पी० नटराजन	यथोक्त	90673
229.	शंकर राम	यथोक्त	90511
230.	विश्वनाथ सिंह	यथोक्त	90719
231.	बुधन अन्सारी	यथोक्त	90594
232.	मोह० युनुस	यथोक्त	90596
233.	जी० कृष्णनन	यथोक्त	90668
234.	शियोदास घोषाल	यथोक्त	90769
235.	अजीत सिंह	यथोक्त	90654
236.	चांदराम सिंह	यथोक्त	90610
237.	निमाई डे	टिम्बर मिस्त्री	7432
238.	मंगलू खां	स्टोइंग बरीकेडिंग सपो० गेंग	7482
239.	राम बहादुर सिरित्स	यथोक्त	7477
240.	सूरज बहादुर सिरित्स	यथोक्त	7476
241.	शिबलाल मांझी	यथोक्त	7481
242.	आजाद हुसैन	यथोक्त	7415
243.	भतु महतो	यथोक्त	7479
244.	मोह० मकबुल	यथोक्त	7417
245.	राम बहादुर तमंग	यथोक्त	7474
246.	महेन्द्र सिंह	यथोक्त	7422
247.	नानकु राजभर	पिक माइनर/लोडर	6996
248.	दुखी राजभर	यथोक्त	6995
249.	मुनेश्वर राजभर	यथोक्त	6993
250.	गोबर्धन राजभर	यथोक्त	6994
251.	गुलाब महतो	यथोक्त	6983
252.	गुल्लन यादव	यथोक्त	6951
253.	सोभा पंडित	पिक माइनर/लोडर	6999
254.	बहुलाल यादव	यथोक्त	6991
255.	बनसंत यादव	यथोक्त	7007
256.	बालकिशुन महतो	यथोक्त	6982
257.	रामरूप यादव	यथोक्त	6984
258.	शियोदेव लाल यादव	यथोक्त	6992
259.	शियोनाथ यादव	यथोक्त	7009
260.	कन्दा महराना	लोडर	90843
261.	राम प्रधान	यथोक्त	90838
262.	फिरतु राम	यथोक्त	91270
263.	कलेश राम सतनामी	यथोक्त	91189
264.	छेदीलाल सतनामी	यथोक्त	91197
265.	बुध सतनामी	यथोक्त	91272
266.	कुसुम लाल सतनामी	यथोक्त	91271
267.	मोह० मबहीर	यथोक्त	7673
268.	हुसैन खां	यथोक्त	6976
269.	मोह० निसार नं० 1	यथोक्त	6963
270.	राम प्रसाद	यथोक्त	7173
271.	इस्माइल मियां	यथोक्त	6952
272.	गुप्तेश्वर धोबी	यथोक्त	6966
273.	किस्ता मांझी	स्टोइंग बरीकेडिंग सपो० गेंग	7413
274.	शियो चरन प्रसाद	यथोक्त	7408
275.	परमेश्वर मांझी	यथोक्त	7414
276.	हनीफ खां	यथोक्त	7418
277.	देवो नारायण राम	यथोक्त	7419
278.	साहेबान मियां	यथोक्त	6850
279.	गौड़ गोराई	एक्सप्लोसिव कैरियर	5156
280.	परसुराम सिंह	मेके० फिटर	5991
281.	रनबीर प्रसाद सिंह	यथोक्त	6327
282.	प्रभुनाथ सिंह	यथोक्त	6129
283.	जसीमुद्दीन	यथोक्त	6105
284.	कमलदेव राय	यथोक्त	7244
285.	हीरालाल महतो	फिटर	7304
286.	दिलीप सिंह	स्टोइंग पाईप फिटर	6344
287.	हरिहर मिस्त्री	यथोक्त	7375
288.	नसीर हैदर	स्टोइंग फिटर	5454
289.	रवीन्द्र नाथ गोन	इलैक्ट्रिसियन	7369
290.	मोह० सफीक	यथोक्त	5033
291.	हेमन बरही	टिम्बर मिस्त्री	7426
292.	एन०के० सिंह नं० 4	फिटर हैल्पर	7180
293.	आर०बी० सिंह	यथोक्त	6103
294.	ललन सिंह	यथोक्त	7242
295.	सुबल कुमार साही	पम्प खलासी	7117
296.	बिसुनदेव प्रसाद सिंह	कंट्रेक्ट लेबर	
297.	कमलुद्दीन	यथोक्त	
298.	ठाकुर पासन	कंट्रेक्ट लेबर	
299.	मृत्युंजय सिंह	यथोक्त	
300.	मिस्त्री पंडित	यथोक्त	
301.	मोह० अल्लाद्दीन	यथोक्त	

1	2	3	4
302.	विशेस्वर सिंह	कंट्रेक्ट लेबर	
303.	दामोदर सिंह	यथोक्त	
304.	नरसिंह भगत	यथोक्त	
305.	रामेश्वर यादव	यथोक्त	
306.	कृपाडे मिस्त्री	यथोक्त	
307.	राजेन्द्र यादव	फेस वर्कर	90637

प्रबन्धक की ओर से
(एडवोकेट)
28-1-1977

खान सुरक्षा महा निदेशक की ओर से
ह०/-एच०एस० आहूजा,
29-1-77
खान निदेशक

अनुबन्ध-ख

पक्षकार संख्या 1 (प्रबन्ध) की ओर से परीक्षित गवाहों की सूची

पक्षकार सं० 1 (प्रबन्ध)

1. श्री दीपक सरकार
2. श्री बी० के० डेडगावों
3. श्री ए० के० सहाय
4. श्री आर० भट्टाचार्य
5. श्री एस० के० बनर्जी
6. श्री आनन्द प्रसाद

पक्षकार संख्या 8 (महा निदेशक, खान सुरक्षा)

1. श्री एस० एन० ठाकुर
2. श्री एस० के० दत्ता
3. श्री सी० पी० सिंह
4. श्री टी० के० मजूमदार
5. श्री ए० के० रुद्रा
6. श्री बी० एन० गुप्त
7. श्री एम० सी० बत्रा
8. श्री एच० एस० आहूजा
9. श्री ए० बी० सिंह
10. श्री एस० पी० गांगुली

पक्षकार संख्या 2 (भारतीय मजदूर कांग्रेस)

1. श्री प्यार चन्द पासवान

पक्षकार संख्या 14 (अधिकारी संघ)

1. श्री जे० एन० ओहरी

न्यायालय गवाह

1. श्री एन० मिश्र
2. श्री एस० एस० प्रसाद
3. श्री सहदेव महतो
4. श्री सबीर अहमद
5. श्री प्रेम मण्डल
6. श्री लाखन मांझी
7. श्री लगन मांझी
8. श्री सुनील मण्डल
9. श्री निजाम अहमद
10. श्री अर्गुन भुइया
11. श्री काशी लाल थापा
12. श्री हरे राम पाण्डेय
13. श्री फिरंगी प्रसाद
14. श्री सत्य नारायण बनर्जी
15. श्री जे० खान
16. श्री यू० के० खार
17. श्री एस० के० मुखोपाध्याय
18. श्री बी० एल० वर्मा
19. श्री एच० बी० घोष
20. श्री स्वदेश पाल मेहरा

अनुबन्ध-ग

पक्षकार संख्या 1 (प्रबन्ध) की ओर से प्रदर्श की सूची

क्रमांक	प्रदर्श पहचान	दस्तावेज का विवरण
1	2	3
1.	बी 1	पांच शीटों में ए० एम० पी० (प्रदर्श 8) के साथ रिपोर्ट
2.	10 पक्षकार 8 का प्रदर्श बी/2	पक्षकार संख्या 1 के मूल बयान का अनुबन्ध ए (प्रथम होरिजन के पूर्वी फूटवाल के ड्राइवेज के लिए आवेदन)
3.	11	पक्षकार संख्या 1 के मूल बयान का अनुबन्ध बी (उपर्युक्त विषय पर संयुक्त निदेशक, खान सुरक्षा द्वारा उत्तर)
4.	12	पक्षकार संख्या 1 के मूल कथन का अनुबन्ध सी (एजेन्ट द्वारा उपर्युक्त विषय पर स्पष्टीकरण)
5.	13	पूर्वी फूटवाल के साथ ड्राइवेज के लिए अनुमति प्रदान करने का महानिदेशक, खान सुरक्षा का पत्र (पक्षकार संख्या 1 के मूल बयान का अनुबन्ध डी)
6.	14 पक्षकार बी का प्रदर्श जी०/2	प्रथम होरिजन की पार्ट प्राफ-मैट नक्शा (दुर्घटना नक्शा)
7.	215	पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान का अनुबन्ध 1 (श्री एस० सी० बत्रा की तारीख 15-12-1975 की निरीक्षण रिपोर्ट)
8.	15/1	अनुलग्नकों सहित पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान का अनुबन्ध तीन (उल्लंघन)
9.	15/2	पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान का अनुबन्ध सात (केन्द्रीय सरकार अधिसूचना तारीख 31-3-1960)
10.	15/3	पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान का अनुबन्ध-9 (केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र को श्री एच० बी० घोष का अर्ध-शासकीय पत्र)
11.	15/4	पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान का अनुबन्ध दस (महानिदेशक, खान सुरक्षा को उप प्रमुख खनन इंजीनियर (दो) आवेदन तारीख 7-1-1971)
12.	15/5	पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान का अनुबन्ध बारह (श्री बी० एन० गुप्त को उप प्रमुख खनन इंजीनियर का पत्र तारीख 25-6-1971)
13.	15/6	पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान का अनुबन्ध तेरह (महानिदेशक, खान सुरक्षा को उप प्रमुख खनन इंजीनियर का पत्र तारीख 21/28-7-71)

1	2	3
14.	15/7	पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान का अनुबन्ध चौदह (महानिदेशक, खान सुरक्षा को उप प्रमुख खनन इंजीनियर का पत्र तारीख 5-8-1971)
15.	15/8	पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान का अनुबन्ध पन्द्रह (महानिदेशक, खान सुरक्षा अनुमति पत्र तारीख 17-8-1971)
16.	15/9	पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान के अनुबन्ध उन्नीस और बीस से तेईस [एजेन्ट को मुख्य इंजीनियर का पत्र तारीख 24-4-74 और एजेन्टों की सांविधिक ड्यूटियां (संक्षिप्त:)]
17.	15/10	पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान के अनुबन्ध चौबीस और पच्चीस [महानिदेशक, खान सुरक्षा को मुख्य इंजीनियर का पत्र तारीख 1-10-1975 और एजेन्टों की सांविधिक ड्यूटियां (संक्षिप्त)]
18.	16	26-12-1975 को भूमिगत खान में जाने की अनुमति संबंधी आवेदन
19.	17	श्री एन० बैरकलाफ द्वारा तैयार की गई औचित्य रिपोर्ट
20.	17/1	आई० सी० सी० की परियोजना रिपोर्ट
21.	18	एजेन्ट चासनाला, कोयला खान को महानिदेशक, खान सुरक्षा के पत्र संख्या एम०-1/741, (बी-2)/75/19114, तारीख 29-9-1975 की एक प्रति और क्षेत्रीय प्रबन्धक से प्रेषित ज्ञापन संख्या बी-VI/2553 तारीख 4-10-75
22.	18/1	ओवर मैन/वरिष्ठ ओवर मैन, प्रथम होरिजन की प्रबन्धक के अनुदेश तारीख 29-10-1975
23.	19	एयर नमूनों वाली स्लिप
24.	20	श्री बी० एन० गुप्त की तारीख 27 और 29 दिसम्बर, 1971 की निरीक्षण रिपोर्ट (प्रतिलिपि रखी गई—मूल प्रति वापिस कर दी गई)
25.	21	1971 का अनुमति मसौदा पत्र

पक्षकार संख्या 8, खान सुरक्षा महानिदेशक की ओर से प्रदर्श की सूची

1	2	3
1.	ए	5-1-1976 को श्री ए० बी० सिंह द्वारा रिकार्ड किया गया श्री दीपक सरकार (योजना अधिकारी) का बयान
2.	बी	27-12-1975 को श्री डी० सरकार से महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा जब्त किए गए नक्शों की सूची
3.	बी/1	जब्ती ज्ञापन तारीख 27-1-1976
4.	बी/2	जब्ती ज्ञापन तारीख 1-4-1976
5.	बी/3	ए० बी० ए० श्री ए० सी० लाल (सी० एम० मेटिरियल) द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशक को उपलब्ध कराए गए रिकार्डों की सूची
6.	बी/4	स्वर्गीय श्री एस० राय चौधरी द्वारा श्री एस० एन० ठकुर को सौंपे गए सांविधिक प्लानों की सूची
7.	बी/5	7 जब्ती ज्ञापन तारीख 28-12-75 30-12-75 (जब्त किए गए 2 ज्ञापन), 1-1-76, 2-1-76, 5-1-76 और 7-1-76
8.	बी/6	महानिदेशक, खान सुरक्षा (उत्तरीय अंचल) को श्री एस० सी० दत्ता की तारीख 6-4-76 की रिपोर्ट
9.	बी/7	जब्ती ज्ञापन तारीख 8-1-76
10.	बी/8	जब्ती ज्ञापन तारीख 9-1-76
11.	सी	श्री डी० सरकार की डायरी में तारीख 28-11-75 की प्रविष्टि
12.	सी/1	श्री डी० सरकार की डायरी में तारीख 2-12-75 की प्रविष्टि
13.	सी/2	श्री आर० भट्टाचार्य, प्रबन्धक की डायरी
14.	सी/3	श्री आनन्द प्रसाद, सुरक्षा अधिकारी की डायरी
15.	सी/4	श्री यू० के० खान, सहायक प्रबन्धक की डायरी
16.	सी/5	स्वर्गीय श्री बी० एम० भटनागर, सहायक प्रबन्धक की डायरी
17.	सी/5(1)	12-11-75 से 25-12-75 तक स्वर्गीय श्री बी० एम० भटनागर की डायरी
18.	सी/15(2)	17-8-75 से 27-10-75 तक श्री बी० एम० भटनागर की डायरी
19.	सी/6	सर्वेक्षक की डायरी
20.	डी	प्रथम होरिजन की वर्किंग प्लान (प्लान संख्या 1 ए)
21.	डी/1 अनुलग्नक से डी/2	प्रस्तावित कनैक्शन (प्लान संख्या 75/4 तारीख 3-6-75) दर्शाने वाला प्रथम और द्वितीय होरिजन कार्यस्थल का आंशिक प्लान।
22.	डी/2	प्रथम होरिजन में पूर्वी फुटवाल के साथ 10″×10″ आर्कड रोडवे की ड्राइवेज के लिए महानिदेशक, सुरक्षा खान को एजेन्ट, चसनाला कोयला खान का पत्र संख्या 1/580, तारीख 9-6-75 (अनुमति के लिए आवेदन)
23.	डी/3	प्रथम होरिजन का आंशिक वर्किंग प्लान
24.	डी/4	सेक्शन 3 और 4 इन्कलाइन का फ़ैरो-प्रिन्ट
25.	डी/5	प्लान संख्या 238/70 एम ओ डी-1
26.	डी/6	श्री एस० के० दत्ता द्वारा प्लान संख्या 237/70 (आरेखन कागज पर)
27.	डी/7	प्लान संख्या 238/60 (नक्शा)
28.	डी/7(1)	प्रदर्श घ/7 का नया नक्शा
29.	डी/8	प्रथम होरिजन का जल खतरा नक्शा
30.	डी/9	इन्कलाइन संख्या 4 के आंशिक कार्य-स्थल और प्रथम होरिजन पूर्वी विकास जिला (प्लान संख्या 1 का नक्शा नं० 1)
31.	डी/10	प्रथम होरिजन पूर्वी विकास जिले के भाग और दुर्घटना क्षेत्र का विस्तृत प्लान, जिसमें संख्या 12, 13 और 14 सीमा

1	2	3
		(संयुक्त) (प्लान 2 का नक्शा) में 'के' स्तर से ड्राइवेज शामिल है
32.	डी/11	संख्या 4 इन्कलाइन के कार्यस्थल भाग और प्रथम होरिजन पूर्वी विकास जिले को दर्शाने वाला प्लान (विभिन्न सर्किलों को दिखाने वाले प्लान संख्या का नक्शा)
33.	डी/12	समतलन दर्शाने वाला प्लान
34.	डी/13	समतलन दर्शाने वाला प्लान
35.	डी/14	स्वर्गीय एस० राय चौधरी, सर्वेक्षक, चसनाला की 3 क्षेत्रीय पुस्तकों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर श्री बी० बनर्जी, सर्वेक्षक (महानिदेशालय) द्वारा बनाया गया प्लान
36.	डी/15	संख्या 1 होरिजन पूर्वी साइड के कार्यस्थल का आंशिक प्लान जिसमें 13-2-76 तक देखे गये बोर-होल्स का विवरण और अवस्थिति दिखाई गई है (प्लान सं० 4 ए)
37.	डी/16	पहली होरिजन ईस्ट साइड का आंशिक प्लान जिसमें (प्लान सं० 4 ए) 10-3-76 तक देखे गये बोर-होल्स दिखाये गये हैं
38.	(ई)	महानिदेशक, खान सुरक्षा को भेजे गए पत्र संख्या के० आर० डी०/आर आर०/10/178, तारीख 2-6-1970 पर उप मुख्य खनन इंजीनियर (श्रो०) और एजेन्ट जीतपुर-चसनाला कोयला खान के हस्ताक्षर (प्रदर्श ई/3)
39.	ई/1	नक्शे पर सर्वेक्षक के हस्ताक्षर (प्रदर्श ई/2)
40.	ई/2	प्रथम होरिजन, नार्थ क्रास-आऊट में बोर-होल्स के प्रस्तावित नमूनों से संबंधित प्लान
41.	ई/3	संख्या 1 होरिजन पर नार्थ क्रास-कट (पश्चिम ड्राइव करने के लिये अनुमति हेतु महानिदेशक, खान सुरक्षा को उप मुख्य खनन इंजीनियर (श्रो०) और एजेन्ट, जीतपुर-चसनाला कोयला खान का पत्र संख्या के० आर० डी०/आर० आर०/101/178, तारीख 2-6-1970।
42.	एफ़	21-6-76 को महानिदेशक, खान सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा परीक्षित व्यक्तियों की सूची
43.	एफ़/1	श्री एस० एन० ठाकर, द्वारा रिकार्ड किया गया। श्री यू० के० खान और अन्य 29 व्यक्तियों का बयान (संक्षेप में अंकित)
44.	एफ़/2	1-1-76, 4-1-76 और 9-1-76 को श्री ए० बी० सिंह द्वारा रिकार्ड किया गया श्री एस० के० बनर्जी, क्षेत्रीय प्रबन्धक का बयान। (संक्षेप में अंकित)
45.	एफ़/3	श्री ए० बी० सिंह द्वारा रिकार्ड किया गया श्री ए० प्रसाद, सुरक्षा अधिकारी का बयान जो उन्होंने 31-12-75 (स्कैच प्लान के साथ), दिनांक 5-1-46 और 10-1-76 को दिया। (संक्षेप में अंकित)
46.	एफ़/4	2-4-76 को श्री टी० के० मजूमदार द्वारा रिकार्ड किया गया सहायक सर्वेक्षक, श्री एन० सी० मोडक का बयान।
47.	एफ़/5	1-1-76 से 7-1-76 को अवधि के बीच श्री एस० सी० बत्रा द्वारा रिकार्ड किया गया श्री एस० एन० चौधरी के बयान के साथ 59 व्यक्तियों की सूची और उनके बयान (संक्षेप में अंकित)
48.	एफ़/6 –प्रदर्श (आयुक्त के सामने)	3-4-75 को श्री एच० एस० आहूजा द्वारा रिकार्ड किया गया आयुक्त के समक्ष श्री एस० सरकार, भूतपूर्व सर्वेक्षक, चसनाला कोयला खान का बयान
49.	एफ़/7	श्री ए० बी० सिंह द्वारा रिकार्ड किया गया यू० के० खान और 26 अन्य व्यक्तियों का बयान। (संक्षेप में अंकित)
50.	जी	श्री एस० एन० ठाकर की निरीक्षण रिपोर्ट (संख्या आर–2/4133, तारीख 5-9-74)
51.	जी/1	नक्शे सहित श्री एस० सी० बत्रा की तारीख 28-2-76 और 1-3-76 की निरीक्षण रिपोर्ट
52.	जी/2 पक्षकार संख्या 1 का प्रदर्श 15	श्री ए० बी० सिंह की टाप शीट नोटिंग सहित श्री एस० सी० बत्रा की मूल निरीक्षण रिपोर्ट (निरीक्षण डी/15-12-75)
53.	जी/3	के० स्तर के लिए टाप शीट तथा हैड प्लान सहित श्री एस० एस० आहूजा की तारीख 25-2-76 की निरीक्षण रिपोर्ट
54.	एच	रेजिंग रिपोर्ट-जून-अगस्त, 1975
55.	एच/1	रेजिंग रिपोर्ट—नवम्बर
56.	आई	रोक ड्रिल जारी करने वाला रजिस्टर
57.	जे	मेथन प्रतिशत के निर्धारण का रिकार्ड
58.	के	गैस के विरुद्ध सतर्कताओं के ब्यौरों का रिकार्ड
59.	एल	अनुमति पत्र संख्या 16148 तारीख 25-5-70 (सत्यापित प्रतिलिपि)
60.	एम	पक्षकार संख्या 1 द्वारा दायर किए गए पूरक बयान के अनुबन्ध ग्यारहवें की प्रतिलिपि
61.	एन	चसनाला मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता रिपोर्ट
62.	ओ०ओ०/2	तीन क्षेत्रीय पुस्तकें
63.	पी	पहचान के लिए चिन्हित 'बी' पर श्री एस० एन० चौधरी को बयान के पृष्ठ 3 पर उनके हस्ताक्षर और तदनुसार प्रदर्श एफ़/5 (संक्षेप में अंकित)
64.	पी/1	पृष्ठ 4 पर यथोपरि
65.	क्यू	केस डायरी में सब-इन्सपेक्टर, श्री सी०पी० सिंह द्वारा रिकार्ड किए गए श्री आर० भट्टाचार्य, प्रबंधक, चसनाला पश्चिम खान के बयान के सम्बद्ध भागों की प्रतिलिपि
66.	आर	श्री ए०के० रुदरा की तारीख 31-1-76 की मूल निरीक्षण रिपोर्ट
67.	आर/1	फुटवाल ईस्ट ड्राइव में बोर-होल संबंधी श्री आर० के० रुदरा की तारीख 24-2-76 की मूल निरीक्षण रिपोर्ट

1	2	3
68.	भार/2	प्रथम होरिजन को ईस्ट साइड संबंधी श्री भार० के० रवरा को तारीख 24-2-76 की मूल निरीक्षण रिपोर्ट ।
69.	भार/3	चसनाला पश्चिम खान की ईस्ट साइड फर्स्ट होरिजन के संबंध में एडवांस बोर-होल्स की मौजूदगी संबंधी श्री भार० के० रवरा की तारीख 4-2-76 की मूल रिपोर्ट।
70.	भार/4	ईस्ट साइड प्रथम होरिजन पर द्वितीय क्रास कनेक्शन संबंधी श्री भार० के० रवरा की तारीख 24-2-76 की मूल रिपोर्ट।
71.	एस	1971 अनुमति के संबंध में महानिदेशक, खान सुरक्षा की टिप्पणियां और आदेश।
72.	एस/1	4 शीटों में 1975 की अनुमति के संबंध में महानिदेशक, खान सुरक्षा के मुख्यालय की टिप्पणियां और आदेश (संक्षेप में अंकित)।
73.	एस/2	1975 की अनुमति के संबंध में महानिदेशक, खान सुरक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय की टिप्पणियां (चार-शीट-संक्षेप में)।
74.	टी	कार्यालय आदेश संख्या सामान्य 16186-335 तारीख 26-8-74 (प्रतिलिपि)।
75.	टी/1	महानिदेशक, खान सुरक्षा के परिपत्र संख्या 16174 तारीख 26-8-74 की प्रतिलिपि।
76.	टी/2	खान अधिनियम, 1952 की धारा 6(1) के अधीन मंजूरी की प्रतिलिपि ।
77.	टी/3	खान अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन अधिकार समर्पण संबंधी आदेशों की प्रतिलिपि।
78.	टी/4	डी० डी० सी० को प्रस्तुत किए जाने के लिए विनियम 105 के अलावा विनियमन 98, 99, 104, 105, 126 और 127 के अधीन स्वीकृति के लिये आवेदन की प्रतिलिपि ।
79.	टी/5	महानिदेशक, खान सुरक्षा की गैर-हाजिरी में कार्य वितरण संबंधी आदेश की प्रति ।
80.	टी/6	—यथोक्त——
81.	टी/7	श्री एम० एस० प्रसाद को मुख्य खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करने वाली अधिसूचना की प्रति ।
82.	टी/8	1976 के कार्यालय आदेश संख्या प्रशा०/1/2, तारीख 17-1-1976 की प्रतिलिपि।
83.	टी/9	महानिदेशक, खान सुरक्षा की गैर-हाजिरी में कार्य वितरण संबंधी ज्ञापन संख्या—1975 का जनरल/7 तारीख 21-4-76 की प्रतिलिपि ।
84.	टी/10	महानिदेशक, खान सुरक्षा की गैर हाजिरी में कार्य वितरण संबंधी 1976 के ज्ञापन संख्या सामान्य /12, तारीख 18-8-76 की प्रतिलिपि।
85.	टी/11	उप महानिदेशक, खान सुरक्षा की गैर हाजिरी में कार्य वितरण संबंधी ज्ञापन संख्या 57-64/डी०डी०जी० तारीख 16-2-74 की प्रतिलिपि।
86.	टी/12	उप महानिदेशक, खान सुरक्षा, की गैर-हाजिरी में कार्य वितरण संबंधी ज्ञापन संख्या 47-54-डी०डी०जी०, तारीख 16-2-74.
87.	टी/13	उप महानिदेशक, खान सुरक्षा की गैर-हाजिरी में कार्य वितरण संबंधी ज्ञापन संख्या 110-117/डी०डी०जी० तारीख 25-4-74.

पक्षकार संख्या 4 की ओर से प्रदेशों की सूची

(आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस)

1	2	3
1.	एए	14/15 सीम के कार्यस्थलों की स्थिति संबंधी प्लान।

पक्षकार संख्या 14 की ओर से प्रदर्शों की सूची

(अधिकारी एसोसिएशन)

1	2	3
1.	बी बी	कोयला खानों के संगठन संबंधी कम्पनी अनुदेश संख्या 1973/14, तारीख 21-5-73.
2.	सी सी	27-12-1975 को कोयला खान का संशोधित संगठनात्मक चार्ट ।
3.	डी डी	मुख्य प्रबन्धक (सामग्री), मुख्य कार्मिक प्रबन्धक और प्रबन्धक इंजीनियरी एवं विकास को श्री बालाराम की रिपार्ट के साथ मुख्य कार्यपाल (कोयला खान) का पत्र संख्या सी०ई० (सी)/99/1305, तारीख 14-5-75.
4.	ई ई	प्रथम होरिजन का आंशिक वर्किंग प्लान।

न्यायालय गवाह संख्या 2 (श्री एस० एस० प्रसाद) की ओर से प्रदर्शों की सूची

1	2	3
1.	सी०डब्ल्यू/1	पदनाम और कार्यालय में परिवर्तन को अधिसूचित करने वाली सरकारी अधिसूचना संख्या 8/24/66-एम०-1 तारीख 3-4-67 की प्रतिलिपि।
2.	सी०डब्ल्यू/2	महानिदेशक, खान सुरक्षा के अधिकारों के प्रयोग संबंधी सरकारी पत्र संख्या ए-44014/4/73-एम-1, तारीख 13-1-1975 की प्रतिलिपि।
3.	सी०डब्ल्यू०/3	महानिदेशक, खान सुरक्षा के पद पर श्री एस० एस० प्रसाद की प्रोन्नति संबंधी सरकारी पत्र संख्या ए-44014/73-एम-1, दिनांक 2-8-74 की प्रतिलिपि।
4.	सी०डब्ल्यू०/4	महानिदेशक, खान सुरक्षा के अधिकारियों की ड्यूटियों के निर्धारण संबंधी कार्यालय ज्ञापन संख्या सामान्य 16399-42-जी०, तारीख 4-9-71
5.	सी०डब्ल्यू०/5	चसनाला कोयला खान के संबंध में श्री एस० एस० प्रसाद की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि।

1	2	3
6.	सी०डब्ल्यू०/6	महानिदेशक खान सुरक्षा में पदों की स्थिति संबंधी विवरण (रिक्त, स्वीकृत और वर्तमान पद और प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद)।
7.	सी०डब्ल्यू०/7	कोयला खानों के अधिकारियों, मालिकों, एजेन्टों/प्रबन्धकों को महानिदेशक के अनुदेश (4 शीटों वाले बैच में)।
8.	सी०डब्ल्यू०/8	1976 की तकनीकी अनुदेश संख्या 6, दिनांक 26-3-1976 ।
9.	सी०डब्ल्यू०/9	श्री एस०एस० प्रसाद द्वारा जारी किए गए विनियमन 127 के अधीन तीन अनुमति पत्र तारीख 29-8-73, 31-7-74 और 6-5-75।
10.	सी०डब्ल्यू/10	18-10-1973 को कम्पटी कोयला खानों को श्री एस०एस० प्रसाद द्वारा जारी किए गए विनियमन 127 के अधीन अनुमति पत्र।
11.	सी०डब्ल्यू०/11	परिपत्र संख्या 16356-435, तारीख 27-8-74 और कार्यालय आदेश तारीख 9-9-74 तथा इसका मसौदा।
12.	सी०डब्ल्यू०/12	प्रशासनिक अधिकारी से श्री एच०एस० आहूजा का प्रश्न और परिपत्र संख्या 16174, तारीख 26-2-74 के बारे में पत्र द्वारा दिया उत्तर।

आयुक्त के सामने प्रदर्शित कागजातों की सूची

पक्षकार संख्या 8 के लिए (महानिदेशक, खान सुरक्षा)

1.	1	ट्राली पर चढ़ाये गए पम्प का रेखा चित्र।
2.	2	फ्रेम में 'के' स्तर प्लान।
3.	3	3/4 इन्कलाइन होलेज रोड सेक्शन का (प्रतिलिपि)।
4.	4	श्री एच०एस० आहूजा द्वारा रिकार्ड किया गया श्री एस० सरकार का बयान (बाद में प्रदर्श एफ/7 के रूप में परिवर्तन हो गया)।
		(पक्षकार नं० 1 प्रबन्धक के लिए)
5.	5	फेरो-प्रिन्ट कागज पर सरफेस कानतुर प्लान।
6.	6	प्रदर्श 7 पर श्री एस० सरकार के हस्ताक्षर तारीख 10-5-41।
7.	6/1 से 6/5	श्री एस० सरकार के आदर, तारीख 10-4-47, 10-9-47, 3-9-48, 11-12-48 और 19-3-49।
8.	6/6	प्रदर्श 7 पर श्री जान वेब्रर के हस्ताक्षर।
9.	6/7	प्रदर्श 7 पर श्री बी०के० घोष के हस्ताक्षर।
10.	6/8	प्रदर्श 7 पर श्री बी०के० कपूर के हस्ताक्षर।
11.	6/9	प्रदर्श 7 पर श्री बी०के० घोष के हस्ताक्षर
12.	7	चसनाला कोयला खान, 14 सीम की सामान्य प्लान (पक्षकार संख्या 1 के पूरक बयान के अनुबन्ध सोलह) (रंगनागौर प्रतिलिपि)।
13.	8	खान विभाग को 1949 में प्रस्तुत किए गए मूल ए०एम०पी०।
14.	9	पुरानी प्लान 13/14 सीम 3 और 4 इन्कलाइन (ए० से के० लेवल की सामान्य प्लान) की सत्य प्रति।

[सं० एन० 11015/7/77-एम० I]

आर०पी० नरूला, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 14th November, 1977

S. O. 800.—In pursuance of section 27 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby publishes the report submitted to it under sub-section (4) of section 24 of the said Act by the Court of Inquiry appointed under that section by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 746 (E) dated the 31st December, 1975, to hold an inquiry into the causes of, and circumstances attending, the accident which occurred on 27th December, 1975 in the Chasnalla Colliery in District Dhanbad, State of Bihar.

Report of the Court of inquiry into the causes of and circumstances attending, the accident which occurred at Chasnalla Colliery in District Dhanbad, State of Bihar on the 27th December, 1975 :—

REPORT OF INQUIRY
INTO
CHASNALLA COLLIERY ACCIDENT
OF THE
27TH DECEMBER 1975
By
SHRI U.N. SINHA
FORMER CHIEF JUSTICE
PATNA HIGH COURT.

Assessors :

(1) Shri C. Karunakaran,
Retired Director-General of
Geological Survey of India.

(2) Shri G. S. Marwaha
Director,
Indian School of Mines,
Dhanbad.

(3) Shri Damodar Pandey, M.P.,
Secretary,
Colliery Mazdoor Sangh.

Dated :
The 24th March, 1977.

Preliminary

1. At about 1.30 P.M. on the 27th December, 1975, a serious accident took place in a Colliery known as the Chasnalla Colliery, situated at a distance of about 20 Kilometres from the town of Dhanbad in the State of Bihar. The accident was caused by inundation of a large volume of water from an adjoining old abandoned working of the same owner. It is said, on behalf of the Management, that in this disaster 375 persons lost their lives. They were working inside the underground mine, in the first shift, which was from 7 A.M. to 3 P.M. in the morning of the 27th December, 1975, more than 375 persons had gone inside the mine, but for some reason or the other, persons numbering 40 had come out of the mine before the disaster and were saved from a watery grave. On behalf of the Management a typed list of persons working (separately) in Horizon No. I and Horizon No. II of the Deep Mine in the first shift of the 27th December, 1975 has been given and this list is made an Annexure to this Report.

2. By a Notification dated the 31st December, 1975, the Government of India in the Ministry of Labour, were of the opinion that a formal inquiry into the causes and circumstances attending the accident ought to be held and I was appointed to hold such inquiry, under Section 24, subsection (1) of the Mines Act, 1952 (35 of 1952). Subsequently, by Notification dated the 5th January, 1976, the

following persons were appointed under the same provision of law by the Government of India to act as assessors in holding the inquiry, namely (1) Shri C. Karunakaran, Retired Director-General of the Geological Survey of India, (2) Shri G. S. Marwaha, Director, Indian School of Mines, Dhanbad and (3) Shri Damodar Pandey, Member of the Parliament.

3. In the morning of the 16th January, 1976, I received a telegram from the Ministry of Labour, Government of India to the following effect :

> "According to the report received today, (15th), Horizon Number I of Chasnalla Colliery is likely to be opened for rescue and inspection by Friday (16th) evening or Saturday (17th) morning. In case it is decided to inspect the Horizon, DGMS may kindly be contacted immediately."

4. This telegram was followed by another from the Administrator of the Indian Iron and Steel Co. Ltd., received by me on the 17th of January, 1976 to the following effect :

> "Chasnalla Number One Horizon expected to be dewatered by tomorrow (Friday) evening. This is for your kind information. This message is being repeated to Sarvashri Damodar Pandey, M.P., C. Karunakaran and G. S. Marwaha."

5. I could, immediately, arrange for visiting the Chasnalla Colliery and I went to Sindri, at a distance of about 9 Kilometres from the Colliery in the morning of the 18th of January, 1976. Immediately thereafter I went to visit the Colliery and met Shri Damodar Pandey, M.P., there. The dewatering of the mine was continuing and it was not possible to go down for inspection. In my short visit to the Colliery on that day, I was taken around to see for myself the process of dewatering and the assistance that was being given for that purpose by the Russian and Polish engineers. I was introduced to Mr. Siderovitch, who was heading the Russian team engaged in the dewatering process. Nothing more could be done on that day, except to visit certain places on the surface to see what steps were being taken for clearing the mine of the accumulated water, and I left Sindri for Patna in the same afternoon.

6. I visited the Colliery for the second time on 28-1-1976, when I met Shri Karunakaran, one of the Assessors, in the Administrative Buildings of the Colliery and he explained to me the general situation of the different seams of coal in the locality and about the old workings made through incline No. 4. This he could do on personal knowledge because he had gone down through No. 4 Incline of abandoned old workings on the 26th. Thereafter we went towards the mouth of No. 4 Incline from where we could look down into the quarry above 3/4 Incline old workings, including a lower bed towards the eastern end of the quarry. We noticed a stream of water flowing down this bed towards the south and going down into the old working through an opening at the southern end. From the northern edge of the quarry Shri Karunakaran indicated the surface subsidence which was said to have taken place at the time of the accident on 29-12-1975, to the south of the lower quarry bed.

Local Inspection of Deep Mine

7. My main inspection of Chasnalla Mine was done on the 12th February, 1976. On that day I went down to the first Horizon with Shri G. S. Marwaha, Shri C. Karunakaran and others. On that occasion we could go right up to, what was called at that time the 'Puncture' through which water from 3/4 Incline old workings had inundated the mine on the 27th December, 1975. After return from the puncture point, we went down by the cage to inspect the 2nd Horis Horizon, but, so much water was walling on the cage itself that we could not step down on the second Horizon from the cage. We had to hurry back after descending to the level of the second Horizon and thereafter we returned to the surface. This visit had taken us about one hour. I had recorded a memorandum of Inspection of the mine made by me on the 12th of February, 1976, which is kept in the file containing the Order Sheet of the Court of Inquiry. Shri G. S. Marwaha has recorded notes on his inspections made on 19th January, 23rd January, 30th January and 1st February, 1976. Shri C. Karunakaran has recorded a note of his inspections held on 25th and 26th January, 1976. With Shri Karunakaran's note of Inspection of 26th January, 1976 he has appended two photographs of (i) the exposed sill below 'K' level and (ii) the view of water falling from 'K' level, both the photographs having been taken from inside No. 4 Incline. The notes of inspection of Shri G. S. Marwaha and Shri C. Karunakaran are also kept in the file containing the Order Sheet.

8. In the next visit to the Deep Mine on 12-3-1976 we went down to the 2nd Horizon, and I was taken to several spots where extensive damage had been caused by the inundation. By that time, miners were being employed to repair the damage, as far as was possible under the circumstances. I met groups of workers who showed us the places where they were working inspite of danger to life.

First Sitting of Court of Inquiry :

9. The first sitting of the Court of Inquiry was held on the 29th January 1976, at 10.30 a.m., in the premises of the President, Central Coal Mines Rescue Stations Committee, at Dhansar, about 6 Kilometres away from Dhanbad. The place is situated between the town of Dhanbad and the Chasnalla Colliery. The distance between the place of the sittings of the Court of Inquiry and the Colliery itself will be about 14 Kilometres. (I may mention at this stage that all the sittings of the Court of Inquiry have been held in the same premises). This sitting was held with prior information to the three Assessors and with notice to all persons concerned by pasting typed notices in prominent and principal localities, by Shri P. K. Verma, who was then acting as Secretary of the Court of Inquiry. An Order Sheet was recorded on the 29th January, 1976 mentioning about the first sitting of the Court.

Appearance of Parties

10. The following 11 Parties appeared for participation in the proceedings :

1. The Indian Iron & Steel Co. Ltd.,
2. The Rashtriya Collier yMazdoor Sangh as well as Indian National Mine Workers' Federation and Indian National Trade Union Congress.
3. The Association of Indian Mine Surveyors.
4. All India Trade Union Congress, Indian Mine Workers' Federation and United Coal Workers' Union.
5. Hind Majdoor Sabha, All India Khan Majdoor Panchayat, Koyla Ispat Majdoor Panchayat and Mine Majdoor Union, an affiliate of Hind Majdoor Sabha.
6. The District Authorities of Dhanbad.
7. The Colliery Majdoor Sabha of India, affiliated to C.I.T.U.
8. The Directorate-General of Mines Safety.
9. The Chasnalla Mine Majdoor Union and also the next to kin of some miners.
10. The Indian National Mines, Overmen, Sirdars and Shotfirers Association.
11. The Chasnalla Branch of Indian National Mines Overmen, Sirdars and Shotfirers Association.

11. Shri S. C. Banerji, Advocate, appearing for the Management was asked to prepare a note on the history of the Colliery. The representatives of the parties suggested that notices of the Constitution of the Court of Inquiry may be advertised in the newspapers mentioned in the Order Sheet of that date. Accordingly, notices were published in the Searchlight, the Indian Nation, the New Sketch, Awaz, the Khan Mazdoor and Aryavarta. Subsequently, however, because of sufficient notice to all concerned, publications in the Statesman of Calcutta and The Times of India of Delhi were dispensed with.

12. In the next sitting of the Court of Inquiry, held on the 13th of February, a history of Chasnalla Colliery was supplied on behalf of the management. A list of 375 persons, said to be missing as a result of the inundation, was also supplied. Shri S. C. Benerji was asked to make two different lists of missing persons who had been deputed to work separately in the first Horizon and in the second Horizon, in the first shift of the 27th December, 1975.

(This list was supplied at the sitting held on the 29th January, 1976).

Appearance of Parties

13. On the 13th February, 1976 two more parties appeared :

(1) Mines Rescue Stations Employees Association and

(2) Coal Miners' Union.

These parties were numbered as Parties No. 12 and 13. As the enquiry proceeded, the parties made application for facilities for inspection of the underground mines and they did inspect the mine on different dates. On the 13th February, Shri Karunakaran required from the management certain documents and these were supplied to the Court at the next sitting on the 28th February, as per details mentioned in the Order Sheet of that date.

14. I should mention about a rather strange matter brought to my notice and need recorded in the Order Sheet of the 13th February. On that day Shri S. P. Ganguli, Director of Mines Safety (Northern Zone), who is representing the Mines Department (Party No. 8), filed a petition stating that the original statement of Shri R. Bhattacharyya, Manager of Chasnalla Colliery, and of Shri U. K. Khan, Assistant Manager, which had been recorded during Shri Ganguli's statutory enquiry, were missing from his file. A copy of Shri Khan's statement was, however, available by Shri Bhattacharyya's statement is lost. This matter is to be found in Shri Ganguli's application which is on the record and evidence has been given in this context by Shri S. N. Thakur and Shri A. B. Singh.

Appearance of additional Parties

15. On the 26th February, a new party appeared named Coal Mines Officers' Association, P.O. Ukhra, District Burdwan in West Bengal. This party was numbered as Party No. 14. Another party appeared on this day, namely, Bihar Colliery Kamgar Union at Chasnalla Colliery. This party was numbered as Party No. 15. By 26th February, the parties had filed long list of documents that they wanted to inspect for their own purposes and in due course these lists were checked by us and opportunities provided to the parties for inspection of documents that we had considered relavent up to that stage. On 26th February, all the parties were asked to file statements of their respective cases, if any, in writing indicating the following :

(a) The interest of the party in the inquiry. Apart from any general interest, particular interest or interests in the accident in question to be indicated.

(b) The exact information and data which the party wishes to place before the Court of Inquiry and the conclusions which may follow from the same.

(c) Names and particulars of witnesses which the party desires to examine in this inquiry.

(d) List of documents which the party desires to file, if any, and their nature.

Report by Shri S. P. Ganguli under the Mines Act, 1952

16. On 11th March Shri S. P. Ganguli filed copies of his report of investigation into the accident prepared under the Mines Act for the Court and the Assessors. This report has hereafter been referred to as the Statutory Report. On the same day, 13 other parties filed their statements of cases as required. The inquiry report submitted by Shri S. P. Ganguli was considered as the case of the Directorate-General of Mines Safety. Later, Bihar Colliery Kamgar Union at Chasnalla (Party No. 15) also filed statement of their case. All the statements of the parties were kept in sealed covers and copies meant for the different parties were distributed after all the statements were on the record.

Classifications required

17. On the next date of the sitting of the Court, namely the 29th March, 1976, certain clarifications were required from the parties in connection with their statements filed earlier. It was decided on this date that, at the next sitting of the Court of Inquiry, it may have to be considered whether it will be necessary to retain on the record all the parties who had appeared or whether some of them could be discharged an unnecessary parties. This decision was arrived at in view of the statements filed by the parties and as substantial doubts had arisen at this stage as to what assistance could be forthcoming from some of the parties, in the inquiry by the Court.

Supplementary Statements

18. Further statements were filed in due course by most of the parties and these have been considered as Supplementary Statements.

Some Parties to Show Cause

19. On the next date, namely the 31st March, 1976, parties no. 11, 12, 12 and 15 [namely, (1) The Chasnalla Branch of Indian National Mines Overmen, Sirdars and Shot-firers Association, (2) Mines Rescue Stations Employees Association, (3) Coal Miners' Union and (4) Bihar Colliery Kamgar Union at Chasnalla] were asked to show cause on the next date of the sitting of the Court as to why they should not be discharged from the record. This matter was heard for the first time on the 15th April, 1976. A petition was filed on behalf of parties No. 10 and 11 stating that the separate representation by party no. 11 (The Chasnalla Branch of the Indian National Mines Overmen, Sirdars and Shotfirers Association) was not necessary and the party may be deleted from the record. This was done. We heard learned counsel appearing for party no. 12 in the Show Cause matter and, for reasons recorded in the Order Sheet of that date, we came to the conclusion that as no help would be available from this party, it should be deleted from the record. This was done. The hearing of this matter against parties no. 13 and 15 was postponed till the next date. The Show Cause matter against parties no. 13 and 15 was heard fully on the 19th April, 1976 and, for reasons recorded in the Order Sheet of that day, these parties were retained on the record. . In this Report and the record, however, the eoriginal numbers of the parties have been mentioned.

20. One matter referred to in the order dated the 15th April may be mentioned here. On that date Shri S. P. Ganguli filed a statement of Shri S. Sarkar, ex-Surveyor of Chasnalla Colliery made to Shri Ganguli in the course of his continued statutory inquiry, and this statement was incorporated as part of Vol. III of his original report.

Examination of Shri Sarkar on Commission

21. On the 15th April, Shri Ganguli filed an application for examination on Commission of Shri S. Sarkar, a former Surveyor of the Colliery, in his house at Asansol, on ground of ill health and old age. This matter was heard in Court on the 19th and the request was granted. Shri Satpal Singh, the new Secretary of the Court of Inquiry, was appointed as Commissioner for the examination of Commission of Shri S. Sarkar, at Asansol, on Sunday, the 25th April, 1976. All the parties consented to the examination of Shri S. Sarkar on that day and it was recorded that the representatives of the parties who were on the record were at liberty to go to Asansol and put such questions to Shri Sarkar as would be deemed necessary. On this very day, Shri Ganguli also filed the statements of Sarvashri A. K. Mukherjee, N. C. Modak and B. B. Choudhury recorded in his Statutory Inquiry.

22. The examination on Commission of Shri S. Sarkar at his residence commenced on 25-4-1976 and continued on 26-4-1976, 7-5-1976 and 8-5-1976, and a record of that proceeding has been kept separately. Many of the parties had appeared there, through their representatives and Shri S. Sarkar was examined and cross-examined in great detail. The recorded deposition of Shri S. Sarkar was formally tendered in evidence by the learned Counsel for Party No. 8 and accepted as such, without objection by anyone.

23. On the 19th April Shri Ganguli submitted an addendum to Vol. III of his main report, adding the statements of four more witnesses, namely, Sarvashri Arjun Bhulan, Sahadeo Mahato, Shabir Ahmed and Nizam Ahmed, recorded in his Statutory Report.

24. It was decided on this date that at the next sitting of the Court, to be held from the 12th of May to the 19th of May, examination of witnesses should commence and the Management (Party No. 1) should open its case and examine its witnesses first.

ANNEXURES

25. As part of this Report, I have appended a number of Annexures. The first annexure contains a list of persons who had died in the accident. The other annexures consist of the names of witnesses examined on behalf of different parties and the number and description of exhibits which have been brought on the record by them. List of witnesses examined by the Court and the documents proved by them have also been annexed. Copies of some of the plans* filed by the parties in the Inquiry have also been given, for a clear understanding of the necessary facts.

26. It will be necessary, in the first instance, to give the situation and description of Chasnalla Colliery and then follow it with the history of ownership of the property.

Chasnalla Colliery—Situation

27. Chasnalla Colliery is situated on the north bank of river Damodar, at the south-eastern fringe of the Jharia Coalfield, in the Sadar sub-division of District Dhanbad, and is about 20 km by road from Dhanbad on the Dhanbad-Sindri road. It has an area of 902 acres or about 2706 Bighas, whole of which is said to be coal bearing. One major dyke, about 27 m thick runs North-South within the property and several thin off-shoots from the main dyke are met with.

Coal seam :

28. Details of workable seams proved in the area are given below :

No. of Seams	Thickness (Metres)	Parting (Metres)	Remarks
1	2	3	4
17B	2.1	8–10	Developed through ten Inclines up to a depth of 45 metres along dip-Abandoned in 1948. Waterlogged at present.
17A	2.1	70–80	Developed through fifteen inclines up to 75 metres depth along dip. Abandoned in 1948. Waterlogged at present.
17(Spl.)	2.3	80—100	Developed and partially depillared by stowing. Being developed and extracted at present through inclines.
16	1.8–2	40—50	Virgin.
15	2	2–3	Jhama (virgin)
14A	2	40–50	Jhama (virgin)
13/14	24	10–40	Developed through 1, 2, 2A, 3 (old) Inclines on west of the dyke, and from 3, 4 and HK Inclines on the east of the main dyke. Working abaondoned in 1949 which got waterlogged in due course. Also worked through 1, 2, 3 quarries. Present underground workings through 1 and 2 Pits in I and II Horizons.
12	4–5	30—80	Mostly virgin, except a small old quarry on the outcrop side. Some new workings have been made from No. 1 and 2 Pits where it lies close to 13/14 seam.
11/10	10--12		3 metres coal (rest Jhama). Developed in small patch and abaondoned in 1948

29. Seam No. 17B is the top-most seam in the Colliery and the other seams are below, in the order mentioned. We are concerned with the workings in combined seams No. 13/14. Old workings made in this seam, by Incline's No. 3 and 4, had contained a large volume of accumulated water and Horizon No. 1 of the (new Deep Mine had been opened below, leaving a vertical parting of about 80 feet, in the East District. The Diagrams given hereafter will elucidate the matter more fully.

Quarries

30. According to the history given by the Management there are three quarries within the property, as follows, working coal along the outcrop :—

Name of the Opencast working	No. of the seam worked	Extent of working
No. 1 Quarry	12, 13/14	1500 feet along strike and 200 feet along dip
No. 2 Quarry	13/14	1600 feet along strike and 200 fect along deep
No. 3 Quarry	13/14	200 feet by 200 feet

*Plans given in Annexures D, E, F, G, H, I & J has not been printed.

Quarry No. 1 is situated on the western edge of the property in Chasnalla Mouza. Abandoned before IISCO took over, it was restarted in the year 1972 and discontinued again due to outbreak of fire from April 1974.

Quarry No. 2 is situated in Het Kendra Mouza and extends from the Domohani Jore to the Superphosphate Road. The quarry was started in March 1973. It is still in progress, the present extent being about 1600 feet along the strike and 200 feet along the dip.

Quarry No. 3 has been planned in Chasnalla Mouza for extracting coal from 13/14 combined seam, between Nos. 3/4 Inclines. It is proposed to extend this quarry upto the Domohani Jore. [It may be of interest to note that the second incident which took place on 5th of April 1976, was in the course of working in this Quarry].

Old Workings through Inclines in No. 13/14 Combined Seam

31. According to the history given by the Management, No. 13/14 Combined seam is about 80 feet thick and has a gradient of about 1 in 1.5. It has been worked through four Inclines on the western side of the dyke and three Inclines on the eastern side of the dyke. The four Inclines on the western side of dyke are numbered as 1, 3 (old), 2A and 2 and the three Inclines on the eastern side of the dyke are numbered, 3, 4 and H.K. Incline.

32. The working on the western side of the dyke had been developed in the pattern of levels going down to L Level. and those on the eastern side of the dyke have gone down to K level. However, the level internal on the west being smaller than that on the east, the westside workings are much shallower than those on the ease side. The various levels had been developed on Bond and Pillar system.

These workings were discontinued in and from April 1949. [It is of importance to note at this stage that the accident which took place on 27th December, 1975 had occurred by inundation of the underground deep mine, from the water which had been allowed to accumulate in the underground workings on the Eastern side of the dyke mentioned above, which workings are described as the 3/4 Incline workings underground.]

Flooding and attempts at dewatering

33. According to the history given by the Management, the old workings through these Inclines (i.e. Nos. 3, 4 and H. K. Inclines) were discontinued in 1949 and were allowed to be filled with water accumulating by percolation from the strata.

34. Dewatering started through 3/4 Inclines sometimes late in 1963. A surface collapse took place at H. K. Incline mouth on 27-11-1963, and completely blocked the mouth. A 'Bund' was subsequently built around the opening of H. K. Incline to protect it against high flood water from the jore.

35. The dewatering continued from 3/4 Inclines till 2-4-1966 by when the water level had reached between E and F levels of the old workings. On that date, a major subsidence took place between No. 3 and 4 Inclines, which caused the roof of 'A' level to collapse right up to the surface. However, it is stated that the dewatering operation was continued till 17-5-1967 when active fire was detected underground between 3/4 Inclines. To deal with the situations, the mouths of Nos. 3 and 4 Inclines (as also the stowing shafts at Ranidanga) were sealed off on 18-5-1967. The seals in 3 and 4 Inclines were broken on 26-9-1967 and restricted dewatering restarted. The level of water afterwards was never allowed to fall below 'C' level roof because of susceptibility to fire.

36. I have mentioned earlier about a major dyke running through the property and that the workings in the 13/14 combined seem on the west side are separated from the east side workings by this dyke. At one time, there was a connection between these two sets of workings through the dyke at A level; this connection was dammed off round this time.

37. As mentioned earlier, although on the western side of the dyke, the underground workings had been made upto L level, between No. 1 and No. 2 Inclines, the depth of these west-side workings was less than the depth of K level on the eastern side of the dyke, between No. 3 and No. 4 Inclines. As a result, in the new Deep underground Mine, while the west side workings has about 70 metres head of accumulated water over it—over a thicker parting, the east side workings had about 118 metres head of accumulated water over K level. This was the position at the time of the accident on 27-12-1975. It was from the old workings on the eastern side of the dyke that about 27 to 30 million gallons of water had gone down into the (new) Deep Mine causing the disaster under inquiry.

History of Ownership

38. The following history of the ownership of Chasnalla Colliery has been given :

The underground coal mining right of the entire Mouza Chasnalla originally belonged to one Tara Nath Dutt by virtue of a permanent lease granted by Raja Joymongal Singh of Jharia, the then landlord of Pargana Jharia, bearing date 5th Kartick 1302 B. S., who in turn granted a sub-lease of his interest to the Bengal Coal Syndicate Ltd., on or about 19-2-1901, for a period of 999 years. By a deed of assignment dated 7th May, 1906, the Bengal Coal Syndicate Ltd., in liquidation, and the liquidation hereof, along with the Trustees and the Receive rfor the Debenture-holders, assigned their interest to M/s Burn & Co. for the residue of the unexpired term.

On 9-10-1906, M/s Burn & Co. assigned their interest to the Turner Morrison & Co. Ltd., who in turn assigned the same to the Lodna Colliery Co. Ltd., by a deed of assignment dated 15-10-1909. Thereafter, the Lodna Colliery Co. Ltd., and its liquidators, transferred the coal mining rights in the entire Mouza of Chasnalla to the Lodna Colliery Co. (1920) Ltd., by a deed dated 6th June, 1921. The Lodna Colliery Co. (1920) Ltd. Surrendered their interest back to Tara Nath Dutt and his co-sharers, by a deed dated 12-3-1926. After this surrender, Tara Nath Dutt and his co-shares granted the underground coal mining rights in the entire Mouza Chasnalla to Hemanta Kumar Nag and others by a sub-lease dated 26-9-1929, effective from 12-3-1928, for a period of 999 years. Subsequently Hemant Kumar Nag and his co-sharers acquired the right of their superior landlord by virtue of two conveyances dated 23-12-1935 and 1-2-1936. Thus, by virtue of these devolutions, Hemanta Kumar Nag and his co-sharers became direct lessees under the Raja of Jharia, in respect of 1995 bighas of coal land, covering the entirety of Mouza Chasnalla. On 27-4-1938, Hemanta Kumar Nag and his co-sharers granted to the Indian Iron and Steel Co. Ltd. a sub-lease of the underground coal mining rights of the entire of Mouza Chasnalla for 750 years.

So far as Mouza Het Kendra is concerned, it consists of an area of 603 bighas 8 cottahs, made up of two plots, one of 300 bighas and the other of 303 bighas 8 cottahs. The coal mining rights in respect of the 300 bighas was acquired by one Paresh Nath Ghose by a permanent lease dated 18th Ashar 1302 B. S. from Raja Joymongal Singh of Jharia, Paresh Nath Ghose transferred his interest to Gobinda Chandra Bose and, in 1932, the aforesaid 300 bighas plot was purchased in Court auction by Bhola Nath Dutt, in execution of a decree for rent obtained by the Receiver of the Jharia Raj Estate and obtained Sale Certificate on 13-8-1932. Bhola Nath Dutt, subsequently, by a registered deed of declaration dated 11-9-1935, declared that the property was purchased by him on behalf of himself, Hemanta Kumar Nag and Haradhan Banerjee, having a share of 1 anna, 8 annas and 7 annas respectively. So far as 303 bighas and 8 cottahs plot is concerned, it was originally acquired by one Abhoy Kumar Roy Choudhury, by virtue of a permanent lease, dated 28th Kartick 1313 B. S., granted by Raja Durga Prasad Singh of Jharia. In 1930, this interest was purchased by Hemanta Kumar Nag at a Court sale in execution of decree of the Dhanbad Court and Sale Certificate dated 22-7-1932 was obtained from the Subordinate Judge, Dhanbad.

By a declaration of Trust dated 11th September, 1935, Hemanta Kumar Nag declared that this interest in the property was purchased by him on behalf of himself, Haradhan Banerjee and Bhola Nath Dutt, each having 8 annas, 7 annas and 1 anna share respectively. On 27-4-1938, Hemanta Kumar Nag and his two co-shares granted to the Indian Iron & Steel Co. Ltd. a sub-lease of the underground coal mining rights in the said 603 bighas 8 cottahs, in Mouza Hat Kendra, for 750 years. Subsequently, by two deeds of sale dated 28-9-1955, the Indian Iron & Steel Co. Ltd. purchased outright the entire mining rights in Mouza Chasnalla measuring an area of 1995 bighas, and in 603 bighas 8 cottahs in Mouza Hat-Kendra.

The Indian Iron & Steel Co. Ltd., also acquired part of Mouza Upper-Kendra, measuring an area of 36 acres, and possession was delivered to the Company on 27-11-1960 (underground right only). The Company also acquired various surface lands by several documents from the respective owners of the same.

By virtue of the aforesaid acquisitions of the underground coal mining rights, the Company now owns a total area of 902 acres, equivalent to 2706 bighas 8 cottahs as follows :

Chasnalla Mouza	1995 bighas
Het Kendra Mouza	603 bighas 8 cottahs
Upper Kendra Mouza	36 acres, equivalent to 108 bighas.

Hemanta Kumar Nag and others, from whom the property was acquired by the Indian Iron & Steel Co. Ltd. used to work the colliery under the name and style of Chasnalla Coal Company. After the Indian Iron & Steel Co. Ltd., acquired the aforesaid property, the management of the same remained with the said Company till 13-7-1972.

39. On 14-7-1972, the President of India promulgated an Ordinance known as the Indian Iron & Steel Company Ltd. (Taking over of Management) Ordinance, 1972 (Ordinance 6 of 1972), under which the management of Chasnalla Colliery, along with other properties held by the Company, was taken over by the Central Government. The said Ordinance was subsequently repealed and replaced by an Act known as the Indian Iron & Steel Co. Ltd. (Taking over of Management) Act, 1972 (No. 50 of 1972) which received the assent of the President on 3-9-1972, but was given retrospective effect from 14-7-1972. As a result of the promulgation of the aforesaid Ordinance followed by Act 50 of 1972, the management of all the undertakings of the Indian Iron & Steel Co. Ltd., along with Chasnalla Colliery, vested in the Central Government with effect from 14-7-1972.

40. Subsequently, Act 50 of 1972 was amended by an Ordinance known as the Indian Iron & Steel Co. Ltd. (Taking over of management) Amendment Ordinance, 1972 (Ordinance No. 36 of 1974). The said Ordinance was subsequently repealed and replaced by the Indian Iron & Steel Co. Ltd. (Taking over of Management) Amendment Act, 1974 (Act No. 36 of 1974), which received the assent of the President on 31-8-1974, but was given retrospective effect from 23-6-1974. The aforesaid Act No. 36 of 1974 extended the period of the management of the undertaking of the Company and also added some new sections. By the said amendment, a Board of Management was constituted, consisting of a Chairman and not less than four and not more than 14 other members. It also made provision for appointment of an Administrator to assist the Board of Management and manage the affairs of the undertaking of the Company. It also provided that, on and from the date on which the management of the undertaking of the Company was taken over by the Board of Management, the Custodian would vacate his office as such, but shall be eligible for appointment as a member of the Board of Management or as the Administrator.

41. Thereafter the Indian Iron & Steel Co. Ltd. (Acquisition of Shares) Act, 1976 (Ordinance No. 10 of 1976) was promulgated which was subsequently repealed and replaced by the Indian Iron & Steel Co. Ltd. Acquisition of Shares Act, 1976 (Act No. 89 of 1976). The said Act received the assent of the President on 2-9-1976, but was given retrospective effect from 17-7-1976. Under the provisions of the said Act, all the shares of the Company stood transferred to and vested in the Central Government. "Shares" have been defined in the said Act as not including any share in the capital of the Company held by :

(i) Any State Government.
(ii) State Bank of India
(iii) Steel Authority of India Ltd.
(iv) Life Insurance Corporation of India
(v) Unit Trust of India
(vi) Any corresponding new bank
(vii) Any General Insurance Company, nationalised by the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972.

Organisational Chart :

42. During the course of the hearing, an organisational Chart for the Colliery was brought on record on behalf of the Management, showing the organisation as it stood on 27-12-975. This chart has been exhibited as Ext. CC. All the entries given in the Chart need not be mentioned in this Report; for the purpose of understanding the organisation, the following extract taken from Ext. CC will be sufficient :

THE INDIAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED
RESERVED ORGANISATIONAL CHART FOR COLLIERIES AS ON 27-12-1975

CHAIRMAN
BOARD OF MANAGEMENT
(Nominated owner under the Mines Act)
(H. BHAYA)

GENERAL MANAGER (MATERIALS)
(A. C. LAL, FORMER AIR VICE MARSHAL)

CHIEF EXECUTIVE (COLLIERIES)
(J. N. CHRI)

AREA MANAGER (CHASNALLA AND RAMNAGORE COLLIERIES
(Appointed as Agent under the Mines Act)
(S. K. PANERJEE)
MANAGER (CHASNALLA COLLIERY)
(Appointed as Manager under the Mines Act)
(R. BHATTACHARYA)
SAFETY OFFICER
(A. PRASAD)

AGENT
(CHASNALLA INCLINES)
(Appointed as Agent under the Mines Act)
(D. SARKAR)

PLANNING OFFICER
(MINING)
Appointed as Agent (Planning) for all mines under the Mines Act
(D. SARKAR)

GROUP SAFETY OFFICER
for all mines.
(D. SARKAR)

It may be mentioned that the posts of General Manager (Materials), Chief Executive (Collieries), Area Manager, Planning Officer and Group Safety Officer are not statutory posts under the Mines Act, 1952. These are said to be posts created by administrative orders. The General Manager (Materials) is said to be the administrative head of the Mines Department and the Materials Department of the Company. The Mines Department consists of the Collieries and the Ore Mines, each of which is under a Chief Executive. It is said that the Chief Executive (Collieries) posted at Chasnalla, is responsible for the management of all the Collieries, to the higher management, through the General Manager (Materials).

43. According to the history given by the Management, the Collieries establishment consists of (1-2) two coal mines at Noonodih-Jitpur, (3-4) two coal mines at Chasnalla, (5) the Ramnagore Coal Mine and (6) the Coal Washery situated at Chasnalla. There is also a bi-cable ropeway from Jitpur Colliery to Chasnalla Colliery, which is 5.4 miles (8.6 km.) long, as also a longer bi-cable ropeway from Chasnalla Colliery to Burnpur which is 33 miles (53 km.) long. It is said that, for effective management of the coal mines and for carrying out the statutory responsibilities of the Company, it has appointed two Area Managers who are qualified mining Engineers holding First Class Colliery Manager's Certificate of Competency, for the two areas. It is said that, to strengthen supervision and ensure effective management, of mines, the Company has appointed, amongst others, a Group Safety Officer and a Planning Officer (Mining).

Present Working System

44. The Management has supplied, in the history of the Chasnalla Colliery, a detailed note as to the present system of working at the mine. According to this note, the Colliery remained closed from the year 1949 as the Management found it difficult and technically not feasible to continue workings in any of the seams within the lease-hold area. In 1958, the Management entrusted the future planning of the colliery to Mr. N. Barraclough, a retired Chief Inspector of Mines in India, who examined various technical aspects and submitted a Feasibility Report in 1960. Feasibility Report of Mr. N. Barraclough.—As the system of mining suggested by Mr. Barraclough involved huge investment of capital, including foreign exchange, for purchasing machineries to be imported from foreign countries, the Management applied to the World Bank for grant of loan for successfully developing this difficult mining project. As per advice of the World Bank, the Management entrusted to M/s. International Construction Company (ICC), having its registered office at 56, Kingsway, London, the planning, coordination and execution of the coal development project of its Chasnalla and Jitpur Collieries. This firm is said to be internationally known for its competency in such works and was approved by the World Bank for the above purpose.

Project Report of International Construction Company

45. The Project Report of I.C.C. was submitted sometime in 1966. In the meantime, the sinking of shafts for the (now) Deep Mine was started in 1964/by M/S Cementation Co. Ltd. another British firm, by the special cementation method of sinking. As per plan there are three pits. Pits No. 1 and 2 serve as two outlets for the West Mine, and Pit No. 4 in the East Mine is to serve the purpose of Sand stowing, development in stone and supply of materials to the faces, in accordance with the Horizon System of mining. (We are concerned with the West Mine in this Inquiry).

46. It is said in the history supplied by the Management that the Mining technique of Horizon System of Mining proposed for Chasnalla was then unknown to the mining in industry in India. Therefore, under the advice of World Bank, a German Mining Expert (Mr. C. H. Swoboda), who was interviewed jointly by the I.I.S.Co., Management and the World Bank at Washington (U.S.A.), was appointed by the Company as "Mining Adviser" exclusively for Chasnalla, Mine. The Mining Adviser, who was stationed at Chasnalla, took up his assignment in January 1969 and worked at Chasnalla, Mine in such capacity till December 1973. It is said that all detailed planning and design of Chasnalla Mine in various areas were conducted under the advice, guidance and direct supervision of this Mining Expert. It is said that this Mining Expert also imparted training to the managerial and technical supervisory staff in mining of steep and thick coal deposits by Horizon System of Mining.

The Horizon System of Mining

47. The Horizon system of Mining differs basically from the more general In-Seem System. In the latter, shafts are sunk down to the coal seam itself and all drivages thereafter are made in coal—except where two seams are to be interconnected, when cross-measure drifts in stone have to be driven. The coal seams are generally inclined. In the Horizon System, however, shafts are sunk down to horizontal sets of workings (Horizons), made mainly in stone, at predetermined detum-levels, with reference to the mean sea level (MSL); the coal seams are also intersected/approached through level cross-measure drifts in the same horizon. It is after two such horizons have been developed, one below the other, that the coal seams intersected in and between the two horizons, is worked out. At Chasnalla, the datum of Horizon No. 1 had been fixed at 100 ft. below mean sea level (ordinance datum), or approximately 565 ft. from the surface and Horizon No. 2 had been located 490 ft. below ordinance level, or approximately 955 ft. from the surface.

The depth of different pits at the two Horizons from surface is as follows :

Pit No.	Depth from surface upto 1st Horizon	Depth from surface upto 2nd Horizon
No. 1	566 ft.	956 ft.
No. 2	566 ft.	955 ft.
No. 4	560 ft.	940 ft.

So far 1st and 2nd Horizons have got workings only through Pits No. 1 and 2. The horizons have not yet been connected to No. 4 Pit, from which only a few stone drivages have been made at the 1st Horizon.

We are concerned in this Inquiry with Pits No. 1 and 2 only, going down to 1st and 2nd horizons of the Deep (West) Mine, workings through which had been completely inundated. The two pits are situated 165 ft. apart, No. 1 pit being to the north of No. 2 pit.

48. The mine in question is a gassy mine and is placed in Gas Category III—the highest category of gassiness. The mine was mechanically ventilated by an electrically—driven axial-flow fan designed to circulate 15,000 to 20,000 ft. of air per minute at a pressure of about 10 inches of water gauge. The fan is installed at the top of No. 2 Pit which is the 'Up Cast' Shaft. Pit No. 1 is 'Down Cast' shaft. The fan sucks out air from the mine, thus ventilating the mine through the Down Cast shaft. Besides the aforesaid fan, there are auxiliary fans installed in both the Horizons for ventilating 'blind' galleries.

49. Work in the mine is carried on in three shifts each of 8 hours duration. The 1st shift was from 7 A.M. to 3 P.M., the 2nd shift was from 3 P.M. to 11 P.M. and the 3rd shift was from 11 P.M. to 7 A.M. The accident under inquiry had occurred in the 1st shift of 27-12-1975.

50. In Chasnalla Mine, the strata is generally watery and, for dealing with the make of water in the underground working of No. 1 and No. 2 horizons (and also for pumping sand-stowing water), pumps had been installed as follows :

No. 1 Horizon : Five pumps with total pumping capacity of 1500 gallons per minute.

No. 2 Horizon : Five pumps with total pumping capacity of 2500 gallons per minute.

Notes on Local Inspections

51. The first description of the place of accident, in detail, is available from the note recorded by Shri G. S. Marwaha, Assessor, after making his inspections on the 30th January 1976 and the 1st February 1976. Shri Marwaha has noted his observations after reaching near the spot in the first Horizon which was the site of the inundation of the 27th December 1975, as below :—

"It was observed that the connection had been made at the inbye end of the (approx) 15m long 'Ventilation Cross-out being driven towards the Footwall from the Hangwall Drive. The connecting gallery appeared to be sloping parallel to the seam inclination and the puncture point was about 2m wide and about 3-4 m high. I was told that an IISCO Surveyor who had (earlier in the day) walked down the connection from K-Level, had measured the length from K-Level floor to I Horizon roof to be about 49 m. Except for a few feet at the lower end, the connection gallery appeared to have a fairly regular-shaped section . A dyke about 80—100 cm thick, was traversing the Ventilation Cross-cut about 6m inbye its junction with the Hangwall Drive, and from this dyke, a 15—20 cm thick sill was running up the connection, right along the latters roof.

About 600—700 gpm of water appeared to be coming down the connecting gallery. At the upper end, we could dimly see (in the caplamp light being directed by persons standing in K-Level) water cascading down from the eastern side. At the face of the Ventilation Cross-cut several shot-hole sockets could be seen. The puncture-connection had been made towards the eastern top corner of the Ventilation Cross-cut and the huge quantity of water that had rushed down the puncture, had secured out the eastern side of the cross-cut right up to the dyke. These onrushing waters had also scoured out the floor, of not only the Ventilation Cross-cut but also of the Hangwall Drive for quite some distance outbye. As mentioned earlier, the scouring had been stowed with sand after 25th January, 1976."

52. On the 1st February 1976, Shri Marwaha had gone up the connecting gallery, which was in continuation of No. 4 Incline, right upto J-Level of the old workings and he has noted about that inspection in the following words :

"Went up the connecting gallery and No. 4 Incline Cross-cut right upto J-Level and made a fairly detailed inspection of the roof and sides, etc., both on the way up and down. The following observations were made :

I. A highly rusted steel bracket was found cemented on the western side of the connecting gallery at a distance of only about 5-6m from the lower end. The bracket had been downwards, apparently by the onrushing waters. There were signs that a similar bracket had been cemented about 2½ — 3m higher up along the gallery, but the bracket itself was missing.

II. The shape (cross section) of the gallery was fairly regular for a distance of about 2½ m further on the dip-side of the aforesaid bracket, from which it appeared evident that the main No. 4 Incline had extended beyond K level to within about this distance of the roof of I Horizon workings.

III. The sill mentioned earlier ran just below the roof of the connecting gallery for a distance of about 10—12 m from I Horizon workings, above which the gallery roof was about a metre higher, the sill there running lower down the gallery side. A little further up, the gallery-floor also had a rather abrupt rise by about a metre or so.

IV. Around this area, the following were noticed :

(a) Side under-cuts on both sides, which could have been made (by pick miners) to open up a new L-Level.

(b) Two round 'duggi' holes on the two sides of the gallery, which had apparently accommodated a buffer.

(c) A manhole on the western side, slightly higher up the gallery.

(d) Above the sill in this area, five evenly-spaced marks (about 1.5 M apart) on the western side, where also perhaps some iron brackets had been fitted. (This can however be ascertained positively only after a closer physical verification which was not possible due to the place being out of reach. The presence of two brackets could however be vaguely seen).

V. Starting from K-Level, for a distance of about 3-4 m dipwards, the gallery-floor was steeper than usual, with a highly-slicken surface. It is no wonder therefore, that to any person inspecting the connecting gallery from the top, the place looked like a complete collapse of the gallery, perticularly as the cascading water from the east obsecured the vision. Actually, however, the gallery resumed a fairly regular shape only 3-4 metres below."

The overall impression of Shri Marwaha, made through visual observation, amounted to this : No. 4 Incline had not stopped at the floor of K level of the old working, as appeared to be the impression, but had continued down wards along the coal seam towards the roof of the 1st Horizon of the (later) new workings. After the inclined dip of the old workings had connected, during the accident, with the new workings in I Horizon (in a gallery then being driven, called the Ventilation Connection) the length of the connection, from the floor of K level was found to be about 49 metres. The cross section of the downward continuation of No. 4 Incline was at a fairly regular shape till about 2-1/2 metres further down the rusted bracket from which it appeared that No. 4 Incline had come down below K level towards the roof of the Horizon I working, up to very little distance above the roof.

I may mention at this stage that Shri C. Karunakaran, another Assessor, had made his local inspection from the Deep Mine side as well as through the old workings, and his note of Inspection of the 28th January, 1976 made through the old workings records thus :

"According to the plan of the old working, this mine had stopped at K Level. But standing at K Level and looking southwards it was seen that the Incline continued rather more steeply downwards. A few hundred gallons of water per minute was flowing through the downward Incline."

53. It will appear in due course, from the evidence led in this inquiry, that the visual observations of Shri Marwaha and Shri Karunakaran made during their inspections, were the preview of real facts existing at the place of occurrence.

First Information about the Accident

54. At some stage or the other it will be necessary to state what some of the officers of the Management heard, saw and guessed about the accident, immediately after it had happened on 27-12-1975 and it would be convenient to mention this matter at this stage. Shri *Ramanuj Bhattacharyya*, the then Manager of the Mine, has mentioned in his evidence that, on 27-12-1975, he had come out from the 2nd Horizon at about 1.30 P.M. and then went out of the mine to his residence. As soon as he had reached his residence he heard his telephone ringing and he was informed on that telephone about some unusual happening in the mine resulting in the stoppage of the main fan. Shri Bhattacharyya said that he sent the information of this matter to Shri S. K. Banerjee, Agent/Area Manager, Shri Dipak Sarkar, Group Safety Officer and Shri J. N. Ohri Chief Executive (Collieries) and rushed to the pit top. Shri Bhattacharyya was successful in getting the up-cast winder started and he went down the up-cast shaft. He found water level at about 200 feet from the surface in the shaft and he immediately came out and reported this fact to Shri J. N. Ohri and other officers who had come to the pit *top by that time. (The second Horizon was* about 955 feet below the surface, and, therefore, water had risen from the 2nd Horizon up to a height of about 755 feet, completely filling the 2nd Horizon, the 1st Horizon and all connections between them).

55. According to Shri J. N. Ohri at about 1.50 P.M. on 1975, Shri S. K. Banerjee had rushed to his place and reported to him that a loud sound was said to have been caused at the West Mine, with some dust and air being thrown out and that it was reported that this had probably been caused by some explosion underground. So Shri Banerjee and Shri Ohri rushed to the pit top and the first thing they were told was that the main fan had been stopped and it was not possible to restart it. At About this time Shri Ramanuj Bhattacharyya had come out of the shaft with the report that he had seen water level in the shaft at a depth of 200 to 250 feet from the surface. An attempt was made to commission the down-cast shaft but this could not be done. According to Shri J. N. Ohri, the circumstances appeared to be very confusing and no clear picture could be made out about the occurrence. He said that very soon information come to the effect that when a sound had been heard from the shaft, three submersible bore-hole pumps provided in 3/4 Incline workings, up to C level, had suddenly lost water and had stopped working. All attempts to restart the pumps had failed. Simultaneously with this information, it was reported that a large surface subsidence had taken place, more or less at the same time when the sound had been heard from the pit. This subsidence was adjacent to the 3/4 Incline workings. This had led to a suspicion that a breach might have taken place between the old workings of No. 3/4 Incline and the new mine. According to Shri Ohri, this was confirmed after an inspection of the old underground working was made through H. K. Incline area, because it was noticed that the water level in H.K. Incline area which had been slightly above B level had suddenly receded to D level, causing a less of 30 to 35 million gallons of water (H.K. Incline area is to the further East of the new deep mine where the inundation had taken place, and is connected with the old 3/4 Incline working). According to Shri Ohri, the observation of the diminution of water in the H.K. Incline area had raised a suspicion that a something serious had happened to the 80 metre barrier between the new mine and the old workings above it.

56. It may be stated here, that the suspicion that a part of the barrier between Horizon No. 1 and the old workings of 3/4 Incline had somehow given way was not the correct state of affairs, as found out later. What was found later, was, that No. 4 Incline had gone below the K-level workings, to an inclined distance of about 49 metres, as was recorded by Shri G. S. Marwaha in his note of inspection, and a connection between a gallery called a "Ventilation Connection" in Horizon No. 1 and this extension of No. 4 Incline had been made, resulting in the accumulated water going down into the deep mine and inundating it. Shri J. N. Ohri has put the matter thus in Court :

> "It is only after the accident on 27-12-1975 and dewatering of the mine, we found that No. 4 Incline had been extended for a distance of 125 feet additional than shown in the old plan (Ext. D/4).........."

(Ext. D/4 had indicated that this extension had gone down below K Level to an inclined distance of about 40 feet only along the seam.)

Description of the Workings

57. Before going into the facts and circumstances which have come on record, I would like to give here a few diagrams in order to explain in simple terms what had happened on 27-12-1975. The diagrams are not on scale, but will explain the facts that follow.

Diagram No. I
a lateral projection of the workings

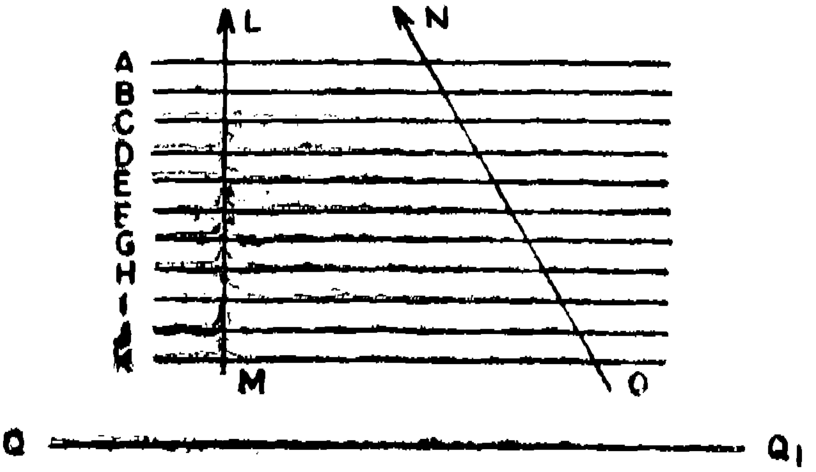

Lines A to K represent the levels along which the old 3/4 Incline working had been worked in the combined 13/14 seam. The gradient of the seam, as stated, earlier, is 1 in about 1.5. Lines LM and NO represent Inclines 3 and 4 respectively. Incline No. 3 has gone down, more or less, along the true dip of the seam and Incline No. 4 along the apparent dip. It may be noted that Incline No. 3 had gone down below K level to a little extent, which is said to be about 20 feet inclined distance. Incline No. 4 has been drawn to show, that it had gone down below K level, more than Incline No. 3 and the distance below K level is said to be about 40 feet inclined distance. Line QQ1 represents Horizon No. 1. The old working was full of water, roughly from K level to C level and it is said that this old working must have contained about 110 million gallons of water, before the accident in question and, according to the written statement of Party No. 1, K level had 118 metre head of water above it. It is said that about 30 to 35 million gallons of water had gone down from this accumulated water, through an unknown elogation of No. 4 Incline downwards, into the deep mine, (see Diagram No. II) until Horizons 1 and 2 were completely flooded and water had risen into the two pits to find its own level and stabilise. It is said that, in the process, the water level in the old working and fallen to E level on 27-12-1975, after the accident. It may be noted that the whole of accumulated water in the old working went down the same way later on, as water was being pumped out from the deep mine through the pit-shafts, until all of it had been pumped out, to free the deep mine of the water inundating it.

Diagram No. II

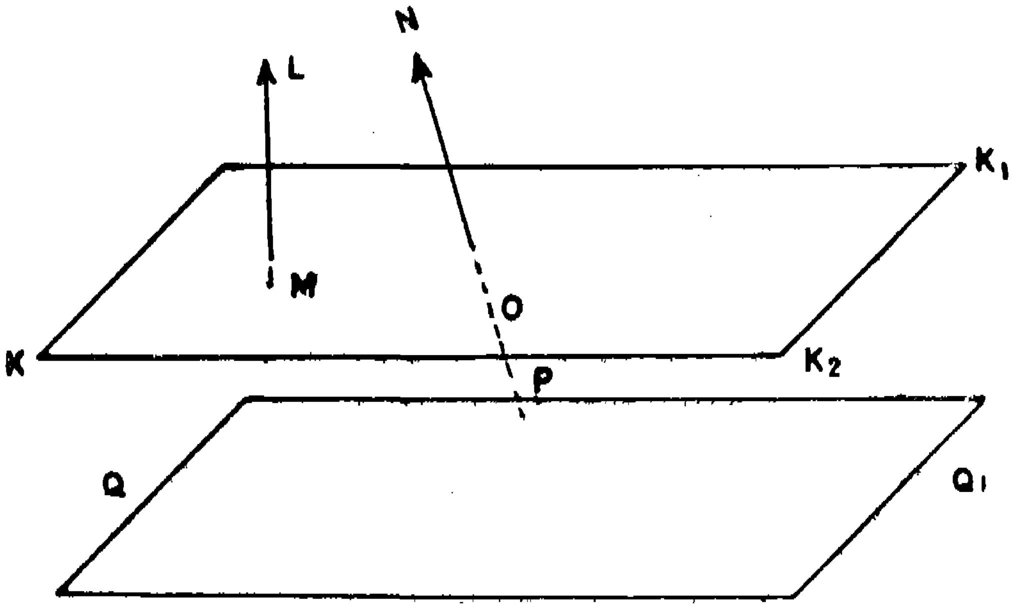

K-K1 represents K level at the place we are dealing with, the width K1 K2 representing the width of the Coal seam. L M represents Incline No. 3 and, at this stage, N P represents Incline No. 4. It may be noted that portion N O of Incline No. 4 had gone down below K level to an inclined distance of about 40 feet. O P now represents, what is said to have been, the unknown extension of No. 4 Incline, below K level and this additional length has been said by Shri J. N. Ohri, in Court, to be about 125 feet. Q Q1 represents Horizons No. 1, below the level workings.

I may mention at this stage that, what was the actual height of the end of No. 4 Incline, including the extension, from the roof of Horizon No. 1, can now be fixed only by guess work, as some block of coal at the bottom of the lower end of the Incline had been dislodged by the head of water and taken into the new workings through the gallery, called the Ventilation Connection. (See Diagram VI). By rough estimate the (inclined) distance between the roof of Horizon No. 1 and the end of Incline No. 4, before the accident could not have exceeded 4 metres. The ventical thickness of this parting is apaid to be in the region of 2 metres.

Diagram No. III
(Corresponds to Exhibit D/5—Annexure E)
(not printed)

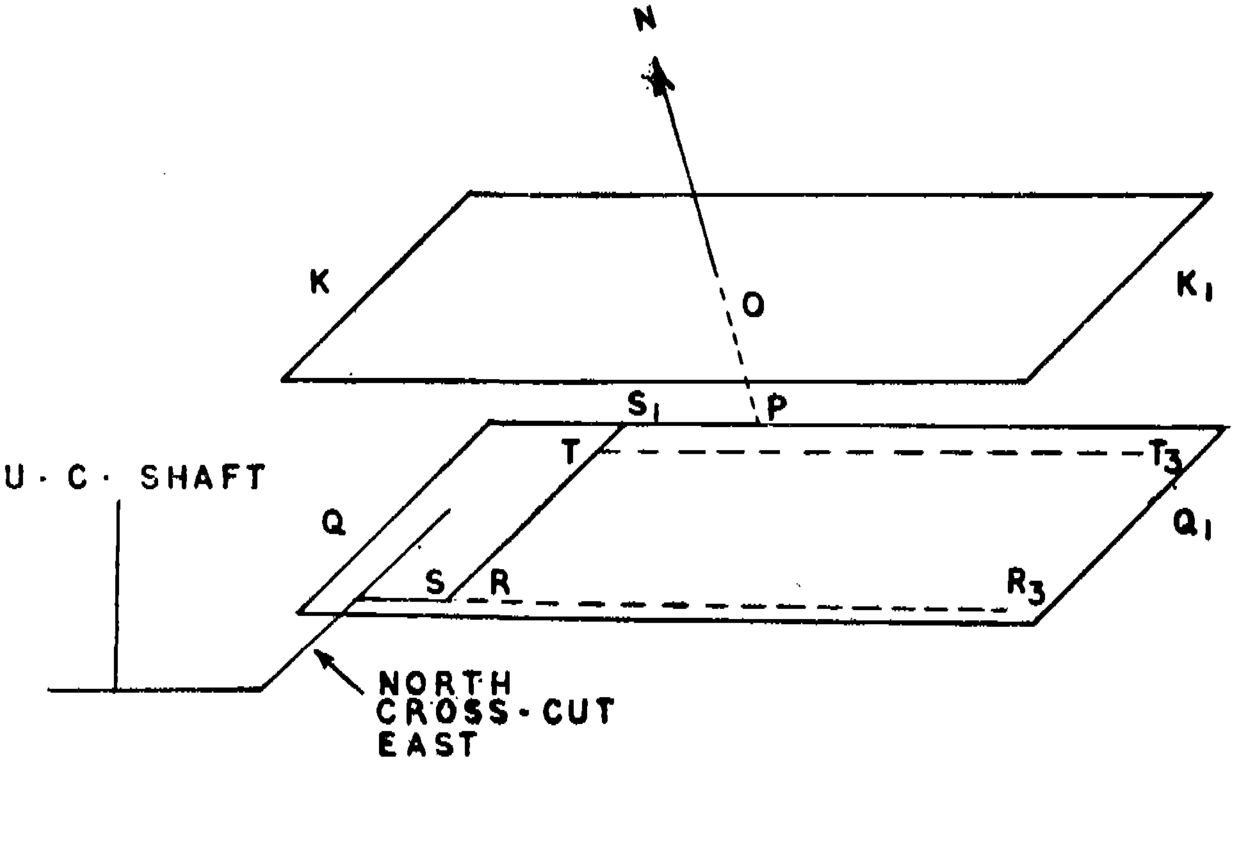

I am now eliminating Incline No. 3 in this diagram. In the year 1971 permission had been obtained by the Management to drive into the coal in Horizon No. 1 (details to be given hereafter) and make a gallery drawn in this diagram as R R3. This has been described hereafter as the Hangwall drivage or Hangwall gallery. This Hangwall drivage had started from the east of what is called East Chimney Approach (represented by S S1) in coal. The East Chimney Approach is itself connected through the Hangwall drive with a drivage in stone called North Cross-cut East, connected with the upcast shaft. Although permission had been granted for a long Hangwall drivage, it had been driven, by 1973, for a distance of only about 200 feet towards the east of the East Chimney Approach. In 1971, a Footwall drivage along the Footwall of the combined seam, represented by T T3 had been proposed by the Management but the proposal had been withdrawn in the same year.

Diagram No. IV
(Corresponds to Exhibit D/1—Annexure H)
(not printed)

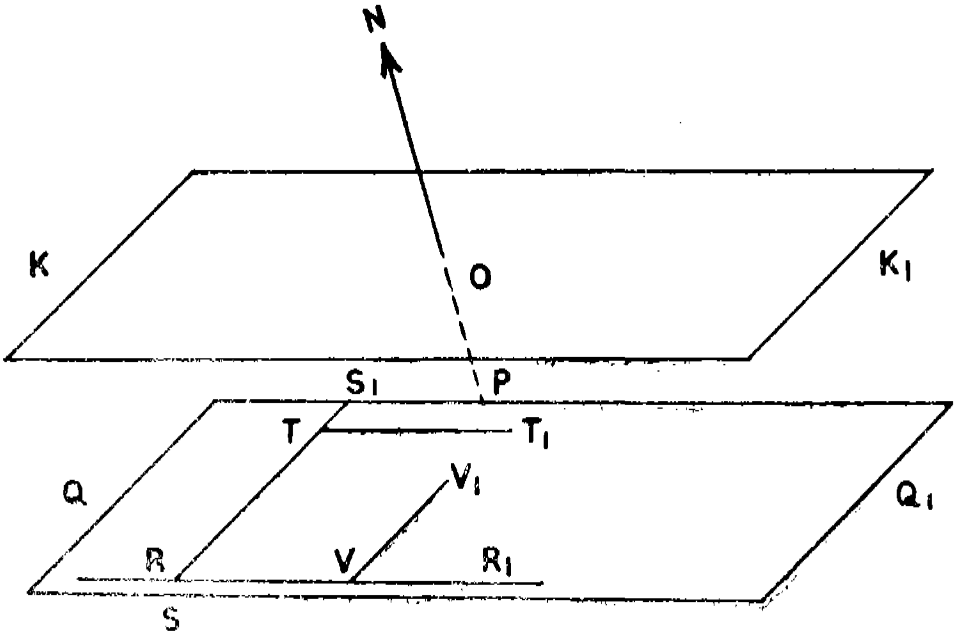

R. R1 represents the 200 feet of Hangwall drivage made up to 1973. In 1975, sanction was sought, and obtained, for making a connexion with the Hangwall drivage, by what is called, a Footwall drivage or gallery represented by T T2, drive from the East Chimney Approach. It may be noted that the length of this Footwall drivage along the Footwall of the seam would also be about 200 feet, and this Footwall drivage was to take a sharp right-angled bend towards the south at this distance to meet the Hangwall drivage, after going through the width of the combined seam, more or less. This Footwall drivage is said, by Party No. 1, to have commenced in October 1975. After this drivage had proceeded to a length of about 90 feet towards the east, from the East Chimney Approach, further progress was stopped and a new Ventilation connection was started from the Hangwall gallery side and was made for a length of about 67-70 feet (or about 20-21 metres), as is explained in the next diagram. In the meantime, the Hangwall gallery R R1 also continued to be driven further eastwards.

Diagram No. V

(Corresponds to Exhibit D/10—Annexure I)

(not printed)

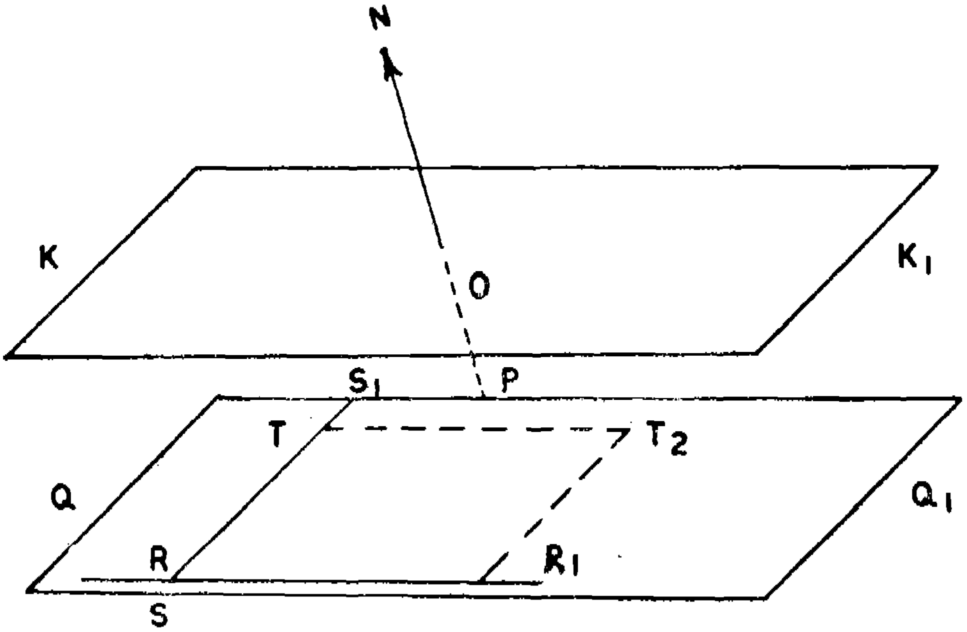

As mentioned above, after the Footwall drivage had proceeded for about only 90 feet to position T T1 further progress was stopped in or about the first week of November, 1975. It may be pointed out that this Footwall drivage had by then gone below the tail end of the extension of No. 4 Incline, before it was stopped—though this was not known before the accident. It is now said that the parting between the roof of the Footwall drivage and floor of No. 4 Incline, at that place, was in the region of only 1.5 to 1.8 metres. Thereafter, as mentioned above, a gallery represented by V, V1 had been started from the Hangwall drivage towards the north. It was when this gallery, called the Ventilation Connection, had progressed for a distance of about 20 metres, that the accident in question had occurred. At that position, the face of the ventilation Connection had gone more or less, below and opposite the then existing end of No. 4 Incline, and the coal between the roof of the Ventilation Connection and the bottom of No. 4 Incline had been dislodged, making a connection between No. 4 Incline and the Ventilation Connection, through which water from the old workings of 3/4 Incline had rushed down into the deep mine inundating it. This Ventilation Connection had been opened from the Hangwall side at a distance of about 90 feet from the East Chimney Approach.

The last Diagram (Diagram No. VI) explains the matter further.

Diagram No. VI

(Correspondings to Section of Exhibit D/10—Annexure J)

(not printed)

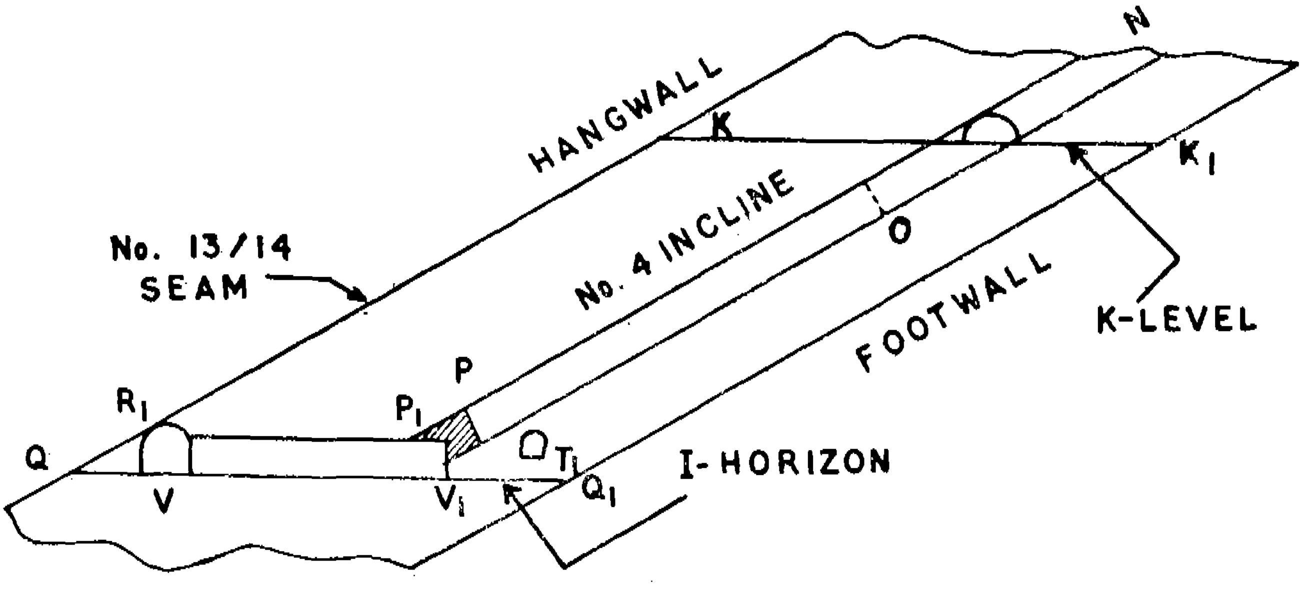

This diagram represents (in a cross-section, looking from the East) the section of No. 4 Incline going down below K level to point P, as before the accident and leading to the accident. N. P. represents Incline No. 4, K K1 the K level of old workings and Q Q1, Horizon No. 1 in the new workings (Deep Mine). R1 represents the section of the Hangwall gallery and V V1 the Ventilation Connection driven at right angles to the Hangwall gallery. P P1 represents the block of coal which had been dislodged from the base of the old No. 4 Incline making a connection between the latter and the Ventilation Connection. It is to be noted that at this position the end T1 of the Footwall drivage, (Diagram V) had already gone below old extension of No. 4 Incline. In order to give a true picture of that site, an offset plan prepared by the Mines Safety Department (Party No. 8) has been brought on record and marked as Ext. D/10. This plan (and section) gives all the details in scale and is self-explanatory. The plan (Ext. D/10) also shows very clearly what I have tried to explain by Diagram No. V and No. VI about the Footwall gallery going below the extension of No. 4 Incline.

(Two Annexures have been given from Exhibit D/10, on two different scales—they are Annexures I & J).

Summary of the History of development of the East District of Horizon No. 1.

58. The history regarding the development of the East District of Horizon No. 1 taken up now will lead to all the other points which have arisen in this Inquiry. For understanding this history, a summary is given at this stage, before going into details.

(a) In 1971, the Management had applied under Regulation 127 for permission to make certain drivages in Horizon No. 1, within 60 metres of the waterlogged old workings above, in 13/14 combined seams.

(b) The proposal had included, amongst other galleries, an extension of North Cross-Cut (East), towards North and two parallel drivages in coal, to the east of this extended North Cross-out (East). One of them was along the Footwall of the combined seam, and the other along the Hangwall of the seam, both going towards the east. The proposal had also included several connections between these two drivages.

(c) After full consideration had been given to the matter by the Directorate-General of Mines Safety (DGMS), the Hangwall drivage with three Chimney approaches was permitted, and the proposal for the Footwall drivage and the connections was withdrawn by the Management. (Plan Ext. D/3 is the relevant plan).

(d) The Hangwall drivage had subsequently been driven and had reached a distance of about 200 feet from the Chimney approach when further work was stopped in 1973-74.

(e) In 1975, a new proposal for drivage along the footwall of combined 13/14 seams to connect with the Hangwall drivage, was made by the Management.

(f) This Footwall drivage would have been of the length of about 200 feet towards the east along the Footwall and was then to turn south to join the existing Hangwall gallery. (Plan Ext. D/1 is the relevant plan).

(g) This proposal and the plan were sanctioned by the DGMS in the same year.

(h) When the Footwall drivage had gone up to a distance of about 90 feet towards the east of the East Chimney Approach, further progress therein was stopped for certain difficulties said to have been encountered by the Management.

(i) To solve the said difficulties encountered in the Footwall drivage, a connection was started from the Hangwall gallery, at a distance of only about 90 to 100 feet, from the East Chimney approach in order to connect the Hangwall and Footwall galleries.

(j) After this new and previously unplanned drivage called the Ventilation Connection, had proceeded northwards for about 70 ft., the accident had occurred on 27-12-1975, by water rushing down into the Ventilation Connection from the old workings through the extended Incline No. 4, as the parting between these two galleries had given way.

Details of the history of development of East District of Horizon No. 1.

59. Now, the history of this development, so far as we are concerned, may be stated in detail and in doing so, certain correspondence which had passed between the officers of the Chasnalla Colliery and the officers of the Directorate-General of Mines Safety will have to be referred to. Throughout this Report I will mention these two sides as the Management and the Mines Safety Department, respectively.

On the 7th January 1971, an application had been made by the Management to the Mines Safety Department, under Regulation 127(3) of the Coal Mines Regulations 1957, for permission to make certain drivages in Horizon No. 1, including some in the East District.

In order to appreciate the requirements of Regulation 127(3), the whole of Regulation 127 is quoted below :

"127. Danger from underground inundation—

(1) Proper provision shall be made in every mine to prevent eruption of water or other liquid matter from the workings of the same mine or of an adjoining mine.

(2) Where work is being done in—

(i) any seam or section below another seam or section ; or

(ii) any place in a seam or section, which is at a lower level than any other place in a lower seam or section ; or

(iii) any place in a seam approaching a fault passing through an upper seam or section, which contains or may contain an accumulation of water or other liquid matter ;

adequate precautions shall be taken against an irruption of water or other liquid matter into the workings.

(3) No working which had approached within a distance of 60 metres of any such disused or abandoned working (not being workings which have been examined and found to be free from accumulation of water or other liquid matters), whether in the same mine or in an adjoining mine, shall be extended further except with the prior permission in writing of the Chief Inspector and subject to such conditions as he may specify therein ;

Provided that if any heavy seepage of water which is not normal to the seam is noticed in any working approaching, but not within 60 metres of any such disused or abandoned working, such working shall be immediately stopped, and the Chief Inspector and the Regional Inspector shall forthwith be informed about the occurrence. The working shall not be extended further except with the prior permission in writing of he Chief Inspector and subject to such conditions as he may specify therein.

Explanation.—for the purpose of this sub-regulation the distance between the said workings shall mean the shortest distance between the workings of the same seam or between any two seams or sections, as the case may be, measured in any direction whether horizontal, vertical or inclined.

(4) Every application for permission under sub-regulation (3) shall be accompanied by two copies of a plan and section showing the outline of such disused or abandoned workings in relation to the workings which are approaching the said workings, and such other information as may be available in respect of the said workings.

(5) No such working shall exceed 2.4 metres in width or height and there shall be maintained at least one borehole near the centre of the working face, and sufficient flank holes on each side and, where necessary, bore-holes above and below the workings, at intervals of not more than five metres. All such bore-holes shall be, and shall be contanly maintained, at sufficient distace in advance of the working, and such distance shall in no case be less than three metres. These precautions shall be carried out under the direct supervision of a competent person specially authorised for the purpose.

(6) The precautions laid down in sub-regulation (5) shall also be observed in any other working where any heavy seepage of water is noticed whether approaching disused or abandoned workings or not."

Application filed in 1971.

60. The application filed by the Management (Ext. 15/4) may also be quoted in full at this stage :

"The Director-General of Mines Safety,

Dhanbad.

Dear Sir, 7th January, 1971

Regulation 127 (3) of the Coal Mines Regulations, 1957-Drivages in stone and coal in No. 1

Horizon-Chasnalla Colliery.

I am enclosing herewith two copies of the part plan of No. 1 Horizon, West Mine, Chasnalla Colliery. The drivages to be made and which lie within a distance of 60 metres of the waterlogged workings of 13/14 seam are shown in red shade in respect of stone drivages and in green shade in respect of coal drivages. A barrier of 80 ft. vertical has been left between the first horizon and the water-logged workings. Necessary information is shown on the plan.

I shall be obliged if you please permit these drivages. Necessary precautions as laid down under Reg. 127(5) will be taken during the course of drivage.

Yours faithfully,
Sd/- K. R. DHADWAL
7-1-1971.

Deputy Chief Mining Engineer (O) and Agent, Jitpur—Chasnalla Collieries".

Two copies of the plan mentioned in this application have been brought on record, as Ext. D/7 and Ext. D/7(1). As may be noticed therefrom, all the proposed extentions were given in detail. The Footwall drivage shown on this Plan and the connections with the Hangwall drivage were withdrawn subsequently.

On this application, some correspondence followed which have also been brought on record as Exhibits. In a letter dated 25th June, 1971 from Shri Dhadwal, the Deputy Chief Mining Engineer (D) of I.I.S. & Co., to the Chief Mining Engineer of the Company at Burnpur (Ext. M.), it appears that same objection had been raised in the office of the Mines Safety Department in granting permission, as the vertical barrier of 80 feet between the old workings and the proposed drivages was not considered adequate. Ext. M mentioned that while permission for drivage of North Cross-cut East was being given by the Mines Safety Department, permission for the other drivages in coal will require further discussion. On the same day, namely, 25th June, 1971, a letter was sent by the Management to he Mines Safety Department (Ext. 15/5), in continuation of the original application. It referred to certain discussions which had been held in the office of the Mines Safety Department on the 24th June, 1971. The plan mentioned in this letter (Ext. 15/5) has been brought on record as Ext. D/5. In this plan also, two drivages in the East District were shown as Hangwall and Footwall drivages. This particular letter and the enclosed plan (Ext. D/5) had been sent for the purpose of, it appears, showing the position of the 'K' level old workings in relation to the proposed new drivages in Horizon No. 1. Thereafter, a letter from the Management to the Mines Safety Department dated 21/28th July, 1971 followed (Ext. 15/6). A revised plan was enclosed with this letter, which has been marked as Ext. D/3. A separate plan showing sections of 3 and 4 Incline haulage roads was also enclosed, which has been marked as Ext. D/4. The relevant portion of the letter may now be quoted to show the changes made from the original proposal of January, 1971 :

"(a) The footwall drivage towards East in coal has been omitted.

(b) The connection between East and West North Cross-cuts by driving a lateral in coal has been shifted slightly to provide a good barrier between this drivage and the rise side old water-logged workings. It may be noted that this connection is within the shift pillar.

(c) Hwo drivages towards West have been maintained. These drivages fall within 60 metres of water-logged workings for a short distance only."

The main point with which we are concerned at this stage is that the Footwall drivage towards the East of North Cross-cut (East) was Omitted altogether.

Permission granted in 1971.

61. The permission from the Mines Safety Department was granted on 17th August, 1971 by the then Director-General of Mines Safety (and Chief Inspector of Mines) Shri H. B. Ghose, vide Ext. 15/8. This letter must be quoted in full :

"Subject : Permission under Regulation 127(3) of the Coal Mines Regulations, 1957 to make drivages in coal and stone in No. 1 Horizon at West Mine within 60 metres of water-logged workings of 13/14 seams through Nos. 3/4 inclines as indicated on the plan dated 28-7-1971 enclosed with your letter No. KRD/BP/3|10|752 dated 28-7-1971 at Chasnalla Colliery.

Dear Sir,

Please refer to your letter nos. KRD/BP/3/10/752 dated 28-7-1971 and KRD/RR/3/10/808 dated 5-8-1971 on the above subject.

I, under Regulation 127(3) of the Coal Mines Regulations, 1957, hereby grant you the above permission, subject to the following conditions :—

1. While extending the drivages in coal a set of 3 rising boreholes inclined at 10, 20 and 30 degrees from the horizontal and 27 metres, 28 metres and 30 metres respectively in length and similar rising flank bore-holes shall be driven so as to prove at least 15 metres thick barrier against the waterlogged workings. The drilling of the next set of holes shall be undertaken when a distance of 6 metres is left from the previous set of holes. Adequate steps shall be taken against accidental connection with the water-logged workings.

2. Bore-holes as stipulated in Regulation 127(5) shall be put while making any drivage in stone falling within 15 metres of No. 13/14 seams.

3. Whenever any heavy seepage of water which is not normal to the seam is noticed in these drivages all work shall be immediately stopped and all persons likely to be endangered shall be withdrawn from the mine. The Director General of Mines Safety and the Joint Director of Mines Safety shall forthwith be informed about the occurrence. The drivages shall not be extended further and the persons shall not be re-employed except with the prior permission in writing of the Director-General of Mines Safety and subject to such conditions as he may specify.

The above permission may be amended or withdrawn at any time, if considered necessary and is being issued without prejudice to any other provisions of the Regulations which may be or become applicable at any time.

Yours faithfully,
Sd/-
H. B. GHOSH
Director General of Mines Safety."

Reasons for giving up Footwall Drivage in 1971

62. The reasons for giving up the proposal for the Footwall drivage in 1971 are no longer in doubt and specific evidence has been given on the point. According to the evidence of Shri S. N. Thakar, who was a Deputy Director of Mines Safety at the time of the accident in question, the whole water-logged working of 3/4 Incline was on the northern side of, and above, the Footwall drivage. Shri Thakar was asked by the Court as to what would be the disposition of the Hangwall lateral in 'K' level vis-a-vis the Footwall lateral of the first Horizon. His answer was that the Hangwall lateral of 'K' level came almost vertically on top of the Footwall drivage of first Horizon, proposed in 1971. That is to say, considering the inclination of 13 and 14 combined seams, the large volume of water accumulated in the old working of 3/4 Inclines, was more or less, vertically at the top of the Footwall drivage proposed in 1971, at a (vertical) height of about 80 feet from the level of the first Horizon, if all parts of 'K' level be taken to be

at one level. The Hangwall drivage in Horizon No. 1 proposed in 1971, was to the south of this proposed Footwall drivage, intervened by, more or less, the entire horizontal thickness of 13 and 14 combined seams, at the 1st Horizon level. According to Shri Thakar, the distance between the northern edge of the Hangwall drivage and the northern edge of the Footwall drivage, both in Horizon No. 1, was about 85 feet. Shri Ramanuj Bhattacharya (the then Manager) has described the distance between the two drivages as 85 feet, corner to corner, towards the western end and 75 feet, corner to corner, at the eastern end.

63. According to Shri Dipak Sarkar, the average thickness along the seam, from the old workings at 'K' level to the 1st Horizon was about 170 feet. So we can visualise how far the Hangwall drivage in Horizon No. 1 was from the over head water-logged workings, when both footwall and Hangwall drivages were proposed in 1971. It is clear that the shortest distance between the Hangwall drivage in Horizon No. 1 and the accumulated water, was about twice as much as the shortest distance between the proposed Footwall drivage and the same volume of water, and this must have been noticed in 1971, when both the Footwall drivage and Hangwall drivage were proposed by the Management.

64. The following evidence has come on the record with respect to the reasons for which the Footwall drivage proposed in 1971 was ultimately given up in that year. Shri S. K. Banerjee, who was the Area Manager-cum Agent of Chasnalla Colliery on 27-12-1975, has made some reference to this matter in his evidence (In January, 1971, he was Senior Manager, Chasnalla Project posted at Chasnalla) According to Shri Banerjee, in 1971, the location in the seam section of the "Nothing Cross-cut" in old workings, was not available and so there was some doubt about the extension of "Nothing cross-cut" below 'K' level and so the Footwall drivage was given up. According to him, was not known whether "Nothing Cross-cut" was in the floor or in midlateral or in the roof of the combined seams and, after the 2nd Plan (Ext. D/S), still including the Footwall drivage, had been submitted, a series of discussions were held between the senior of officers of the Management and, as a result of these discussions, a 3rd Plan was submitted to the Mines Safety Department in July, 1971 (which is marked Ext. D/3) omitting the Footwall drivage. Shri Banerjee has given a complete picture as to who were the officers who had taken part in the discussions. They included Shri B. L. Verma, the then C.M.E. and Shri J. N. Ohri, the then D.C.M.E. (Planning) This was before Ext. D/3, along with D/4, had been prepared. It is said that even after the Plan Ext. D/3 had been sent, Shri K. R. Dhadwal, the then D.C.M.E. (Operations)/Agent, had further discussions with Shri H. B. Ghose.

65. Shri B L. Verma has been examined as a Court witness and a specific question was put to him by the Court, as to whether he could remember the substance of the reason for the Company to give up the original proposal for the Footwall drivage made in 1971. His answer was more or less of the same nature referring to the "Nothing Cross-cut". He stated that in view of the uncertainty regarding "Nothing Cross-cut" along the seam, discussions had taken place and the Footwall drivage was given up. According to Shri Verma, another point which came into consideration at that stage was whether, by omitting the Footwall drivage, the velocity of air circulation will be within the permissible limit and it was found on calculataion that the Footwall drivage could safely be omitted. The exact words of Shri Verma are as below :

> "Another point which came into consideration was whether by omitting the Footwall gallery, the velocities of air circulating will be within the permissible limits. On calculation it was found that the Footwall gallery can be omitted without seriously affecting this thinking. Further, it was also thought that by omitting this gallery no serious effect will take place in the general construction of the mine as this Horizon was meant only for ventilation and material supply to the workings."

66. Shri J. N. Ohri (examined as a witness for the Coal Mines' Officers' Association—Party No. 14) has also deposed in detail about the discussions which had taken place in 1971 in connection with the proposed drivages. According to him, lot of discussions had taken place in January and July, 1971, in which the officers of the Management, including Shri S. K. Banerjee (who was then the Manager of the Chasnalla Colliery), took part, following which the Plan (Ext. D/3) was finally approved by the Management and submitted to the Mines Safety Department. A Court Question had been put to him as to why the proposal for a Footwall drivage in the East District was withdrawn by the Management in 1971. Shri Ohri gave a number of reasons on that point ending as below :

> "There was no need of having three drivages towards east and the requirement was only for two drivages and the Footwall drivage was omitted mainly for two reasons :
>
> 1. Uncertainly about the location of Nothing Cross-cut and the exact parting between the Nothing Cross-cut and No. 1 Horizon ; and
> 2. Because for ventilation, traction and any other purpose, three drivages were not necessary ;
>
> Uncertainty about the Nothing Cross-cut was evident from Ext. D/5, where, in the section CD, it had been shown that this Cross-cut was along the floor and was going right up to No. 1 Horizon. In the circumstances, after necessary discussion it was agreed to maintain for the full length of strike of the seam which would be about seven to seven thousand five hundred feet towards east, two drivages for purposes of traction, ventilation and other connected purposes."

67. When Shri H. B. Ghose was examined as a Court Witness, he was asked the reasons for not approving the Footwall drivage in 1971, and his answer was to the effect that in 1971 it was ascertained that there was a cross-cut called "something like Nothing Cross-cut", about which nothing was known and neither the Management nor Shri Ghose could be very sure about it and so going towards the Footwall for a drivage was to invite danger. So it is clear that, in 1971, a number of Mining Experts had thought of danger to Horizon No. 1 by a Footwall drivage along the Footwall of combined seams 13 and 14.

Renewal of proposal of Footwall drivage in 1975.

68. The proposal for a Footwall drivage in the East District of Horizon No. 1 was reiterated in 1975 and this history will also have to be given in detail. But before I do that, a few points have to be given from the evidence adduced before this Court of Inquiry as to how far the Hangwall drivage had progressed, when and why it was stopped and how the necessity for a Footwall drivage is said to have been felt in 1975. These matters have come out in the evidence of Shri Dipak Sarkar and Shri Ramanuj Bhattacharya, examined on behalf of the Management, and in the evidence of Shri J. N. Ohri, Chief Executive (Collieries), examined on behalf of the Officers' Association. A substance of the matter is given below.

(a) After obtaining permission for the Hangwall drivage on 17th August, 1971, the Hangwall gallery had been driven towards the east for about 200 feet from the junction of the East Chimney Approach and then it remained as a dead-end from 1973 to about September, 1975, when it was restarted. The Hangwall drivage was restarted after permission for the LC-3 panel in Horizon No. 2 had been obtained in August 1975. (The 1975 permission for the Footwall drivage was given on 29-9-1975).

(b) From the time of restarting of this drivage up to 26-12-1975 (a day before the accident), the Hangwall drivage had progressed up to a total length of about 350 to 400 feet from the same Chimney Approach.

(c) The purpose for which the Footwall drivage had been planned was to eliminate the blind end of the Hangwall drivage which was going to be extended further east from where it had stopped in 1973. According to Shri Ramanuj Bhattacharya, Manager, the purpose of the application made on 9th June, 1975 for the Footwall drivage, was to establish a connection with the Hangwall drivage, at a distance of about 200 feet towards the east of the Chimney Approach, in compliance with Mines Safety Department Circular No. 48 of 1959, to prevent accumulation of inflammable gas in the Hangwall drivage.

(d) Sometime in the month of May 1975, it had been reportedly decided in a (Management) review meeting, where S/Shri J. N. Ohri, Dipak Sarkar, S. K. Banerjee and Ramanuj Bhattacharya were present, that all blind ends of Horizon No. 1 should be removed. Accordingly, Shri J. N. Ohri, who was the Chief Executive (Collieries), had advised Shri S. K. Banerjee that an application for the Footwall drivage in the East District should be made with a plan, for that purpose. According to Shri S. K. Banerjee, the Manager was advised to go through all past correspondence and prepare a plan.

69. The purported objective of driving the Footwall gallery in 1975, i.e. removal of the blind end of the Hangwall drivage, which was at that time about 200 feet in length, was something very nebulous. The Hangwall drivage, sanctioned in 1971, was to be more than 1000 feet in length. The drivage had, in fact, been restarted in 1975 before permission had been received for the Footwall drivage, with the result that the blind end of the Hangwall gallery was being extended further towards the east; and the proposed drivage of 1975, even if completed, could not have removed further blind ends in the Hangwall gallery. So, it is clear that further extensions of the Footwall drivage would have been necessary for removing further blind ends in the Hangwall gallery, in its progress towards the east; and continued progress of the Footwall gallery towards the east would have brought in the same danger from the "Nothing Cross-cut", that had been apprehended in 1971.

70. In this context the evidence of Shri B. L. Verma quoted earlier is also relevant. If in 1971, it had been found that the Footwall drivage proposed in that year could be omitted without affecting ventilation, how could the question of ventilation for the removal of the blind end of the Hangwall drivage arise again in 1975 ? Shri J. N. Ohri had referred to a document marked as Ext. D D and had said that it had been decided in May 1975, in consultation with Shri C. Balram—a member of I.I.S. Co. Board of Management, that all auxiliary fans should be withdrawn, including the one ventilating the Hangwall gallery in the East District of Horizon No. 1, and the necessity of a Footwall drivage had been felt at that time in 1975. I think that this evidence given by Shri Ohri is an after-thought and the document itself does not support his statement. I do not find any recommendation by Shri Balram in Ext. DD, that auxiliary fans should be removed Although in the application filed for the Footwall drivage, the purpose was mentioned as establishment of a connection with the blind Hangwall gallery, it is clear that the proposed Footwall drivage could not have removed blind ends made during further progress of the Hangwall drivage. The real purpose of seeking permission for a Footwall drivage, in 1975, appeared to be to succeed in the attempt which had failed in 1971, when Shri H. B. Ghose was the Director-General of Mines Safety. Shri Ghose had left the Directorate in the middle of 1974 and by that time Shri J. N. Ohri was established as Chief Executive (Collieries) at Chasnalla.

Application filed in 1975

71. Now, I give the history of the application field in 1975 for a Footwall drivage and the connected matters, ending with the permission granted by the Mines Safety Department on 29-9-1975.

On the 9th June 1975, an application was filed by the Management to the Director-General of Mines Safety, for permission under Regulation 127 to drive a roadway along the Footwall of 12/13/14 seams on the East side of Horizon No. 1. The application is quoted below :

"Proposal for drivage of 10′ x 10′ arched roadway along East Footwall in 1st Horizon—Permission under Regulation 127 of C.M.R., 1957.

Chasnall Colliery

In order to establish a connection with the blind gallery along East Hangwall from east Chimney Approach roadway 1st Horizon, it is proposed to drive a 10′—10′ arched roadway along Footwall of 12/13/14 seam. The gallery will be supported by steel arches at 1 metre apart. A plan showing the proposed archway is enclosed herewith.

Kindly accord your approval.

Yours faithfully,
S. K. BANERJEE. Agent.
Chasnall Colliery."

72. This document is Ext. D/2,. It may be noted that in this application, there was no mention of a Ventilation Connection as such. The accompanying plan showed a gallery along the Footwall of the combined seam, & a gallery going towards the south, in continuation thereof, connecting with the Hangwall Gallery. If we take the north-to-south gallery, joining the proposed drivage along the Footwall and the existing Hangwall drivage and call it the Ventilation connection, the latter was shown on the plan to be at a distance of about 200 feet towards the east of the Chimney Connection. This measurement has been mentioned at this stage, for a purpose, which will appear subsequently. In the plan (Ext. D/1) a section was shown, towards the right, indicating the position of the Footwall drivage proposed in 1975 relative to the existing Hangwall lateral of the 'K' level working. The distance between these, as shown, was 27 metres and the indication was that the proposed Footwall drivage in Horizon No. 1 was, more or less, vertically below the Hangwall lateral in the waterlogged old 'K' level working. Another point to be mentioned in this connection for future reference is that the proposal of the drivage was for size 10′ x 10′, whereas according to Regulation 127 (5), the working should not have exceeded 2.4 metres in width or height.

Permission granted in 1975

73. The permission for the Footwall drivage (along the original Ventilation Connection was granted by the Mines Safety Department on 29-9-1975, by a letter marked as Ext. 13. The permission letter should be quoted at this stage :

"Sub : Driving an arched roadway along east Footwall of 12, 13, 14 seams in 1st Horizon within 60 metres of water-logged workings—permission under Regulation 127 of Coal Mines Regulations, 1957.

Ref : Your letter No. 1/580 dated 9.6.1975.

Dear Sir,

Please refer to your above application enclosing therewith plan No. 75/4 dated 3-6-75 showing the projections for the proposed drivage within 60 metres of waterlogged workings on the rise side. The matter has since been examined in this Directorate. I, hereby grant you permission under Regulation 127 of Coal Mines Regulations 1957, to drive the gallery in question subject to the following conditions :—

1. As proposed by you, the size of the gallery shall not exceed 3 metres in height and width and the same shall be supported by steel arches placed 1 metre apart and logged with concrete slabs.
2. Ground ahead in the drivage shall be kept proved by a central advanced bore-hole kept and maintained 3 metres deep all the time.
3. If any heavy see page of water not normal to the seam is met with, the proviso attached in sub-regulation (3) of Regulation 127 of Coal Mines Regulations 1957 shall be strictly complied with.

If at any time, any one of the conditions subject to which this permission has been granted is violated or not complied with, this permission shall be deemed to have been revoked with immediate effect.

The above permission may be amended or withdrawn at any time, if considered necessary and is being issued without prejudice to any other provisions of law which may be or may become applicable at any time.

Yours faithfully,
Sd/-
H. S. AHUJA,
for Director-General of Mines Safety".

This permission of 1975 was given by Shri H. S. Ahuja, a Director of Mines Safety (the post being equivalent to that of an Inspector under the Mines Act) and not by the Chief Inspector of Mines. Why this matter had not been put up before the then Chief Inspector of Mines, is a separate point and has been dealt with later.

Stoppage of Footwall drivage in November, 1975

74. It is said on behalf of the Management that, after permission had been obtained on 29-9-1975, work for the Footwall drivage had started in the first week of October,

1975 and that the work had to be stopped in the first week of November, 1975. The length of the Footwall drivage made at that time was about 90 feet east of the East Chimney Approach.

75. A very important point will have to be dealt with at this stage, namely, the reasons given by the Management for stopping the Footwall drivage after proceeding for only about half of its intended length towards the East, with the result that, the Ventilation Connection with which we are concerned, was opened from the Hangwall gallery, at a distance of only about 90/100 feet from the East Chimney Approach, and going towards the North. Whether the reasons given for the stopping of the Footwall drivage are acceptable or not will require full consideration. The substance of the reasons given by the Management for stopping the Footwall drivage after proceeding for about 90 feet, is that there was such coal loading difficulty and such Ventilation difficulties in the Footwall drivage, that work on it could not proceed, without a Ventilation Connection from the south. It is said that because of obstruction from the ventilating duct suspended from the roof in the Footwall drivage, there was inadequate space for loaders to carry baskets and load mine cars at the junction of the East Chimney Approach and the Hangwall gallery. It is also said that, due to lack of ventilation, the Footwall drivage was hot and humid and ventilation was extremely sluggish. It is said that, for these reasons, Shri Ramanuj Bhattacharya, the Manager, has sought technical advice from Shri Dipak Sarkar (Planning Officer Mining) and Shri S. K. Banerjee (Agent). According to the Manager's evidence, these problems were discussed in one of the routine discussions attended by the Chief Executive (Collieries), Shri J. N. Ohri, the Planning Officer, Shri Dipak Sarkar and the Manager; and it was decided to connect the East Footwall drivage by a cross connection from the east Hangwall gallery. According to Shri Ohri, this difficulty had been reported to him and he had concurred in the suggestion of opening the connection. Thus, the ventilation connection was started from the East Hangwall gallery side at a distance of only about 90 to 100 feet from the East Chimney Approach, whereas according to the plan, Ext D/1, this connection should have been made at a distance of about 200 feet from the same Chimney Approach.

76. I am of the view, that the reasons given by the Management could not have been the real reasons for stopping further progress of the Footwall drivage and for opening the connecting gallery at a shorter distance. I shall consider the alleged ventilation difficulty and the loading difficulty separately. It may be noted that the fan which was ventilating the Hangwall and Footwall drivages was a forcing fan, installed near the junction of North Cross-cut east and the Hangwall gallery, a little towards the north of the junction, in the North Cross-cut. The main line of ducting went in the Hangwall drivage and a branch was taken from this through the Chimney Approach to the Footwall gallery to ventilate it. It is somewhat surprising that no such ventilation difficulty had been anticipated when the Footwall drivage was originally mooted. This matter had been put to Shri Dipak Sarkar, who was the planning Officer (Mining) at the time of the accident and all that he could say was that, for such drivages, it was not a practice for him to make any detailed plan and that this was done generally by the Area Manager and the Manager's office. Shri Dipak Sarkar was pointedly asked by the Court as to whether it would have been possible to have a separate fan to ventilate only the Footwall gallery and his answer was in the affirmative. If the Footwall drivage could have been ventilated by a separate fan, it is impossible to believe that opening of an unplanned ventilation connection would have been resorted to as the only other alternative. Shri Ramanuj Bhattacharya, the Manager, was also asked about planning for ventilating for Footwall drivage and his answer was that EIMCO shovels were going to be used for loading coal in the Footwall gallery and ventilation ducting branched off from the east Hangwall. The Manager has stated in this connection that EIMCO shovel was not used in the Footwall drivage because the only available EIMCO shovel was being used in the Hangwall drivage and that because of maintenance problem and for want of spare parts, the shovel was no available for east Footwall gallery in late September or early October of 1975. This is hardly a justification for opening a new Ventilation gallery from an unplanned location.

77. Another matter has arisen from the evidence of the Manager. He was asked by the Court as to how far from the face of the Footwall gallery, the ventilation tubing had stopped. The answer was that the steel ducting had ended at a distance of about 30 feet from the face. If that is the case, the ducting should have been extended further towards the face, to remove ventilation difficulties, if any, near the Footwall gallery face. Nizam Ahmed, a pick miner-cum-loader of Chasnalla Colliery at the revelant time, has been examined as a Court witness. His evidence is of a somewhat curious nature as he has said that there was no ventilation tubing at all in the Footwall gallery. He has also said that the Ventilation tubing was across the mouth of the Footwall gallery in the Chimney connection gallery. This can not be correct. Be that as it may, even on the assumption that there was ventilation tubing or ventilation ducting in the Footwall drivage, I can not accept the reason that any ventilation difficulty in that gallery was proposed to be solved by the new Ventilation connection. In fact calculations indicate that the size of the auxiliary fan and of the tubing was sufficient to adequately ventilate both the Hangwall drive and the Footwall drive simultaneously. So far as the alleged loading difficulty is concerned, it is said on behalf of the Management that the ventilation ducting used to obstruct the loaders in their carrying baskets over their heads and so the progress of the Footwall drivage had to be stopped. I do not think this also could have been the reason for stopping that gallery and starting this ventilation connection. Shri J. N. Ohri has gone so far as to say that it was reported to him that the loaders were refusing to load coal from the Footwall face, when the same had advanced to a distance of about 98 to 100 feet, due to contricted passage along the footwall roadway causing them inconvenience. I doubt very much if loaders, used to difficult conditions in a mine, would altogether refuse to work, even if there was some loading difficulty and, in any case, no evidence from any loader as to any such difficulty has come on record. It may be remembered that the Management had asked for a Footwall drivage of the dimension of 10′x10′ and that was sanctioned. So it is reasonable to presume that no loading difficulty was expected. According to the Manager, the Footwall drivage was being supported by arches of 10′×8′ in dimension. If there were any loading difficulty due to the ducting being suspended in the middle, it could have been suspended from the sides. It may be mentioned here that in Mr. Bhattacharyas' dairy (Ext. C/2), no reference is to be found to any ventilation and loading difficulty in the Footwall drivage, resulting in its stoppage. Shri S. C. Batra, a Deputy Director of Mines Safety at that time, had made an inspection of the East District on 15-12-1975 and his report dated 23-12-1975 has been brought on record as Ext G/2. This report also does not mention that the Footwall drivage had been stopped for ventilation and loading difficulties. On this inspection, Shri Batra had been accompanied by Shri Ramanuj Bhattacharya and in the report it is mentioned that the drivage along the Footwall and Hangwall were kept stopped 'for bringing the supports up-to-date'. So even if there were any ventilating and loading difficulties in the Footwall gallery, these may have been of normal nature only. I do not think that such difficulties could have been the real reasons for stopping the Footwall drivage and for opening the new Ventilation Connection at the unscheduled location. There must have been some other reasons. The Court made a sustained attempt to obtain a clue and that history will be narrated in due course under the topic "what could have been real reason for stopping the Footwall drivage, in November, 1975".

78. I shall take up a new matter now, that is to say, how the application for the Footwall drivage dated 9-6-1975 was dealt with by the Mines Safety Department. A summary of the action taken is given first and the details follow thereafter.

How application dated 9-6-1975 was dealt with by the Mines Safety Department—Summary

79. The application, dated the 9th June, 1975, was first dealt with by Shri S. N. Thakar, who was then a Deputy Director of Mines Safety in the zonal office (Region No. II) and he made his recommendations, which appear in the Note-sheet marked as Ext. S/2. How Shri Thakar has dealt with this matter will appear later on. After his notings, the file had gone to Shri A. B. Singh who was the

Joint Director of Mines Safety in the Zonal office in-charge of Regional No. II. What Shri A. B. Singh did, in his turn, will also appear subsequently. The matter had also been considered thereafter, by Shri S. P. Ganguli, the Director of Mines Safety in charge of the Zonal Office and thereafter the matter was referred to the Head Office, with a note dated 29-8-1975 made by Shri A. B. Singh. The matter was thereafter considered in the Head Office by Shri N. Mishra first, who was then a Joint Director of Mines Safety. Shri N. Mishra made his own recommendations by noting dated 15-9-1975 and this nothing was approved on 28-9-1975 and this noting was approved on 29-9-1975 by Shri H. S. Ahuja, a Director of Mines Safety in the Head Office, purporting to act on behalf of the Director General of Mines Safety. The Note Sheet of the Head Office has been marked as Ext S/1.

80. The first recommendation of Shri S. N. Thakar in the Note-Sheet (Ext S/2) read as follows :—

> "The proposed gallery lies within 60m of the old water-logged workings (27m in the exact parting). There may be no objection to the proposal as the development at the same Horizon has already been done".

It seems that, at the instance of Shri A. B. Singh, a condition was incorporated in the recommendation, suggesting a Central Bore-hole and ultimately Shri Thakar's noting read thus :

> "The proposed gallery lies within 60m of the old water-logged workings (27m is the exact parting). There may be no objection to the proposal as the development at the same horizon has already been done. However, a Central Bore-hole of 3m length may be required to be maintained in each face."

Ultimately, after discussion with the zonal Director, the recommendation of the Zonal Office was forwarded to the Head Office with final recommendations of Shri A. B. Singh dated 29-8-1975 in the following words :—

> "The proposed gallery lies within 60m of old water-logged workings (27m is the exact parting). There may be "objection to the proposal as the development at the same Horizon has already been done. Although advance bore-holes are not necessary as development in the same horizon has already been done as shown in the plan and section, as an additional precaution, a Central Bore-hole of 3m length may be required to be maintained in advance in each face."

Details of consideration in the Zonal Office

81. After giving this summary, I come to the details of the consideration of the 1975 application. Shri S. N. Thakar has stated that his recommendations were basically the same as were later on incorporated in the permission letter (Ext 13). According to him, he had discussions with the Manager and the Agent over the application for the Footwall drivage and they had confirmed that they had complied with the conditions laid down in the permission granted in 1971 for the Hangwall drivage. At this stage, a question was put by the Court to Shri Thakar and his answer thereto may be quoted.

> "Court Question : In the permission granted in 1971 as indicated in Ext 15/8, condition no. 1 laid down that bore-holes of certain given inclination from the horizontal were to be maintained of certain specified lengths, up to 30 metres; in the permission granted in 1975 as indicated by Ext 13, based on your note, condition No. 2 stated that the ground ahead in the drivage shall be kept proved by a central advance bore-hole maintained 3 metres deep all the times. Why did you recommend a variation from the 1971 permission ?
>
> Answer: What I understand from these two different applications and permission of 1971 and 1975 is as follows :—In 1971, an entirely virgin area was being explored in which there was no doubt about extension of No. 4 Incline plane below the 'K' level, more than shown in the plans submitted along with the application in July, 1971. What was in doubt was possibility about 'K' level which might have been at a lower level than shown in the old plan (minus 6 ft or minus 8 ft.) and the apprehension was that K level as a whole may be at a lower level if there was an error of levelling. An elaborate pattern of bore-holes was laid in 1971 to find whether K level would be any closer to 1st Horizon than shown. By the time 1975 application came into the picture, a large number of bore-holes were supposed to have been provided and the objectives of 1971 permission achieved. The proposed drivage in Footwall in 1975 should have been under the umbrella of 1971 boreholes and it was considered that if an advance bore-hole of 3 metres length is maintained ahead of the face at all times it would serve the purpose. It will act as pilot hole and further precautions, if necessary, will be laid down on the warning given by this pilot hole."

82. With regard to the provision of Regulation 127(5), requiring bore-holes near the centre of the workings and flank holes on each side and bore holes above the below the workings, Shri Thakar was considerably cross-examined and his view has been that the permission given on 29-9-75 did amount to relaxation of the requirements of Regulation 127(5), although the permission letter did not refer to any relaxation of the requirements, specifically.

83. It appears to me that the initial consideration of the Management's application for the Footwall drivage was made from a wrong perspective. The Plan (Ext D/1) submitted by the Management with the 1975 application was inadequate and even factually incorrect, and this plan appears to have been accepted by the Mines Safety Department without question. Even after the 1971 permission had been seen (in the Zonal office) the Plan Ext D/1 was not replaced by a clearer and more accurate plan. The fact that the East District of Horizon No. 1 had been developed, to some extent, by the Hangwall drivage in 1971, appears to have lulled the officers of the Mines Safety Department into a state of complacency. In matter of fact, the proposed (1975) Footwall gallery was to be driven outside the area that had been really 'proved' during the earlier drivage of the Hangwall gallery. It has been said, and perhaps rightly, that the bore hole pattern laid down in the 1971 permission was not designed to intercept, or check, for, any stray downwards extension, from old workings, but was designed mainly to check the parting between the old and the new workings and all that had been established was that the (old) K-level workings were more than 15 metres above those in Horizon. No. 1 in the (new) Deep Mine. It may also very well be that Shri S. N. Thakar and other officers in the Mines Safety Department had been misled in 1975 in their approach to the matter by the wrong plan, Ext D/1, submitted by the Management while seeking permission for the Footwall drivage. Shri Thakar has stated that while considering the Footwall drivage application, he had seen the 1971 application and the permission granted thereon, as well as the notings of 1971 and a large number of plans etc. But one significant statement made by him may be noticed. He has stated that when the 1971 permission had been granted, end of No. 4 Incline was shown closed. Obviously, Shri S. N Thakar was referring to Plan. Ext D/3, showing the end of No. 4 Incline as closed. So he had not seen the plan of the Section of No. 4 Incline (Ext D/4), which was part of Ext D|3 and which had shown the end of No. 4 Incline as open.

84. After the application was dealt with by Shri S. N. Thakar, the file was dealt with by Shri A. B. Singh. the then Joint Director of Mines Safety, Region No. II. According to Shri Singh, after he had received Shri Thakar's comments, he had discussed the matter with the latter as to why the latter had not recommended any flank bore-holes. At this stage Shri Thakar had shown Shri Singh the 1971 permission and the plan which had been submitted at this time for Hangwall drivage and thereafter Shri A. B. Singh had agreed with Shri Thakar that, as developments in the

same area had already been done by providing long bore-holes, there was no necessity to require any flank bore-holes for the footwall drivage. Shri Singh had seen plan, Ext. D/3 and obviously he also failed to notice that Ext. D/3 was incomplete without Ext. D/4.

85. Shri A. B. Singh had then sent the file to Shri S. P. Ganguli, the Zonal Director of Mines Safety with Shri Shri Thakar's comments. The file was received back by Shri Singh, with Shri Ganguli's comments as to why flank bore-holes had not been suggested for the Footwall drivage. Shri A. B. Singh has deposed that thereafter he had discussed the matter with Shri S. P. Ganguli, showing him the 1971 permission letter and the plan (Ext. D/3) and he had explained to Shri Ganguli that as, in that area, development had already been done by advanced bore-holes, there was no necessity to require flank bore-holes for the Footwall drivage, and Shri S. P. Ganguli had concurred. Shri Ganguli has only repeated, in his evidence, what Shri A. B. Singh has deposed. I must say, that when Shri Ganguli had raised the matter of flank bore hole the previous records should have been gone into more carefully, including Ext. D/3 and D/4 before the case was sent to the Head Office. If Ext. D/4 had been seen, the difference between Ext. D/3 and Ext. D/4 regarding the end of Incline No. 4 (whether it was shown as open or closed) would have been noticed, and in all probability the officers of the Mines Safety Department would not have been satisfied without going into all the other relevant papers and plans of 1971 application. In my view, therefore, the laxity in the consideration of the application of the Footwall drivage had started from the very beginning based on the acceptance of a wrong plan (Ext. D/1) and had continued throughout. [The nature of Ext. D/1 and its defects have been enumerated subsequently]. Moreover, in the Management's application, no relation, of any provision of bore-holes, required under Regulation 127(5), was suggested or asked for. How any question of relaxation could arise in the Mines Safety Department is, therefore, difficult to understand.

86. The reason for recommending a Central bore-hole in advance in the face has been given by Shri A. B. Singh. According to him, this precaution was taken to safeguard against any geological disturbance that might be encountered. In his evidence before this Court, Shri S. P. Ganguli put the matter in the following words :

"When there is mild disturbance in the Horizon to be developed or in the intervening strata, in addition to the standard warning to the Management to be watchful about abnormal percolation, the Management is normally advised to provide one advance bore-hole to keep the ground proved ahead for undue percolation".

87. In substance, the common view point of Sarvashri S. N. Thakar, A. B. Singh and S. P. Ganguli was that, as development work had been done in 1971 in the east district of Horizon No. 1, flank bore hole for the footwall drivage were not required in 1975. The common view-point of these three officers for requiring the Central bore-hole, in the face, was that if some geological disturbance existed in front of the proposed footwall drivage, it could be guarded against by a Central bore-hole in the face.

Details of consideration in the Head Office

88. Now, I go to the consideration of the matter in the Head Office of the Mines Safety Department, beginning with the recommendation of Shri N. Mishra, a Joint Director of Mines Safety. His notings dated 15-9-1975 was in the following words :—

"The Z. O. has recommended that since the area is already proved, all precautions u/r 127(5) are not necessary. They suggest that only 3 m deep advance bore-holes will do. This appears justified"

Shri N. Mishra, who was called as a Court Witness, was asked as to what document or record he had seen before he had made his noting, endorsing the view of the Zonal Office in its entirety. His answer was that he had seen the permission letter of 1971 and a Plan attached to the same. Shri Mishra was quite clear that he had seen only one plan of 1971 and, according to him, the plan had indicated that the two Inclines shown therein were closed. So, this plan must have been Ext. D/3. Therefore, the substance of Shri Mishra's evidence is that, having looked into the application made by the Management in January 1971, and a subsequent plan filed by the Management in July 1971 and the noting of Shri A. B. Singh dated 29-8-1975, he had endorsed the recommendations of the Zonal Office for the Footwall gallery.

89. Finally, I have to consider the evidence given by Shri H. S. Ahuja, as to how he had dealt with the 1975 application culminating in the grant of permission by him for the footwall drivage. He has stated that he had not seen the file of the Zonal Office in this connection. As indicated earlier, the notings of the Head Office (Ext. S/1) starts with the final comment of Shri A. B. Singh of the Zonal Office dated 29-8-1975. Shri Ahuja was asked as to whether he knew that an application had been received in the year 1971 for permission for a drivage and that permission had been granted. His answer was that he had come to know about the 1971 permission after the accident of 27-12-1975. The factors which Shri Ahuja is said to have taken into consideration in 1975 have been mentioned by him in these words :—

"When the case came to me, I went through the application of the Management, saw the plan accompanying it, read the report/comments of the field office and the remarks of the officer processing it in the headquarters. From the report of the field office, I can see that a definite observation regarding the thickness of parting between the proposed drivage and the overlying water-logged workings had been made with the recommendation that there was no objection to the proposal as the development at the same horizon had already been done and that although advance bore-holes had already been done as shown in the plan and section, an additional precaution of requiring a central bore-hole of three metres length may be specified. The application of the management also was of a very simple nature proposing establishment of a drive called East Footwall for the purpose of establishing a connection with the blind gallery driven along East Hangwall. The plan accompanying the application and the section drawn on it, showed a clear parting of 27 metres between the proposed footwall and the K level working with no headings driven below it as could be seen from the section. In view of the information and notings as described being placed before me, I had no reason to think that the recommendation being made was in any way requiring any further precautions."

It would thus appear that the Mines Safety Department Officers, both in the field office and the Head Office got misled and thrown off guard by the wrong section shown in the Plan (Ext D/1) submitted by the Management with the 1975 application for the footwall drivage. It will perhaps bear repetition that the section shown in Ext. D/1 had ignored the results of the considerable inquiries made in the matter and the discussions held in 1971.

90. Shri Ahuja has deposed about the necessity for the Central bore-hole in the following words :—

"The stipulation regarding advance borehole so as to prove at least three metres ground all the time was included, therefore, to guard against any danger due to encountering with any feeder of water that could be met if there existed any small fault or a geological intrusion. Such a length of bore-hole would have given adequate indication and warning against the said danger. That is why, condition (2) as it appears in Ext. 13, was included in the permission letter."

Further comments on how the case was dealt with in the Mines Safety Deptt.

91. Serious consideration will now have to be given to the question whether the officers of the Mines Safety Department had rightly dispensed with the requirement of flank bore-holes in 1975 or not. Whether a Central bore-hole was really required, on the grounds now mentioned, will also have to be considered. The sufficiency of requiring only one Central bore-hole, in the face must also be considered. After giving the fullest consideration on these aspects of

the matter, it appears to me that while flank bore-holes would not have served any purpose, the officers of the Mines Safety Department were not right in dispensing with the requirements of Regulation 127, particularly those relating to bore-holes above the workings and stipulating only one straight bore-hole in the face of the drivage proposed in 1975. It may be, that, on the directions given in 1971 permission letter, for the Hangwall drivage, an area of 15 metres around the Hangwall drivage had been proved, but the west-to-east Footwall drivage proposed in 1975 was much beyond 15 metres to the north the Hangwall drivage, in the same horizon, with a large volume of water, more or less vertically above it (in reality a little to the north of the vertical line). At the most it can be said that, by adopting the bore-hole pattern laid down in 1971 for driving the Hangwall drivage, it had been ascertained that 'K' level, as such, had not come down within 15 metres of the first Horizon. But the danger to the Footwall drivage could have been from other factors as well. In my opinion, the evidence given on behalf of the Mines Safety Department before us, regarding the reasons for requiring one bore-hole in the face of the Footwall drivage, is given only to support their insufficient direction given in the permission letter. There is no indication in the note-sheets of the Mines Safety Department of 1975 (Ext. S/2 and S/1) which would indicate that the direction for a single borehole in he face of the Footwall drivage was given for any particular purpose, on any specific apprehension of any fault or geological disturbance in front of the Footwall gallery or for any apprehended danger due to any feeder of water that could have existed, if the note-sheet of 1971 (Ext. S) is studied carefully, it will be noticed that Shri H. B. Ghose had noted at one stage, that Central holes were not necessary because the old workings were on the top of Horizon No. 1. Apparently, this was one of the reasons for the pattern of bore-holes suggested in 1971, even for the face of the Hangwall drivage, namely, 3 rising bore-holes inclined at 10 degrees, 20 degrees and 30 degrees from the horizontal and 27 metres, 28 metres and 30 metres respectively in length. It is accepted, however, even by Shri H. B. Ghose that this pattern was not designed to intercept any stray heading of the nature of the extention of Incline No. 4. The pattern was perhaps designed in the understanding reached after a fuller examination of the issue in 1971, when Shri H. B. Ghose had been informed that the Management had enquired from the colliery records and old employees that Incline No. 4 was also "closed", meaning thereby that the workings had not gone beyond what was shown in Ext. D/4. Shri Ghose was, in fact, asked as to what were the objectives for the pattern of the boreholes that he had prescribed and his answer was that "this was to determine the thickness of parting between K level and the Horizon in which workings were proposed". I may not be understood to make my comments on hindersight obtained after the accident in question, but, as a matter of general principle, I am of the view that the boreholes pattern recommended in the permission letter of 1975 was an inadequate direction, even if the requirements of Regulation 127(5) could be modified or relaxed. It appears to me that, if the 1971 permission of rising boreholes was followed in the face of the Footwall gallery, It was very likely that the water in the extended Incline No. 4 would have been tapped much before the Footwall gallery had gone below this extension.

92. The reasons given for permitting a drivage (namely the Footwall gallery) of the dimension of 3 m × 3 m, in 1975, also requires scrutiny. Shri A. B. Singh has stated that as in the East District, development had already been done earlier by a gallery of bigger dimension, the Zonal Office had recommended the Footwall drivage of dimension of 3m × 3m. The view of Shri Singh appears to be that one a gallery of a dimension larger than 2.4 m×2.4 m is permitted in any area, further galleries in that area may be permitted with dimensions larger than what is laid down in Regulation 127(5), without further consideration. This view is difficult to appreciate. If any departure from the requirement of Regulation 127(5) is to be permitted, every request for a gallery of a different dimension should be considered on its own merit and not on the fact that the requirement had been departed from earlier, even in that particular area. A significant letter, dated 5-8-1971, from the Agent of Chasnalla Collieries to the Director General of Mines Safety (Ext. 15/7) had said, in connection with the size of the galleries proposed (including the Hangwall drivage) "......it is requested that after the long advance holes have been driven for coal drivages we may be permitted to drive full size galleries as marked on the plan instead of the restricted size of 8 ft. × 8 ft". So in 1971, some reason atleast was given by the Management for requesting for a departure from the requirement of Regulation 127. No such, or other reason was given in 1975 by the Management, nor does the issue in support of their request for a drivage of larger dimension appear to have been examined in the Mines Safety Department before allowing it. But, of course, the size of the Footwall gallery driven does not have any direct connection with the accident as such.

93. Chasnalla Deep Mine was a unique mine in the Jharia coal field, in that, pioneer work in Horizon system of mining was being undertaken with financial assistance of the World Bank. The difficult working conditions in the mine were well-known to the Mines Safety Department. The project Report prepared by the International Construction Company had recommended that the old workings were to be kept dewatered to minimise water percolation into the new mine, and, to the knowledge of the officials of the Mines Safety to the east of the Main Dyke had been dewatered. More than 100 million gallons of water had accumulated in the old workings of 3/4 Incline, below which the Footwall drivage was proposed in 1975. In such a state of affairs, it appears clearly that the officials of the Mines Safety Department, who had dealt with the 1975 Footwall drivage application, had not realised the gravity of the situation, before granting permission for the same in terms of Ext. 13.

94. By inter-departmental direction, Shri H. S. Ahuja had been empowered to deal with all applications made under Regulation 127, amongst some others and this leads me to the question whether he had been rightly delegated such an authority or not.

Whether Shri H. S. Ahuja could dispose off finally the application dated 9-6-1975

95. According to Regulation 127(3), prior permission in writing from the Chief Inspector of Mines was necessary for making the Footwall drivage, as it fell within 60 metres of the old-water-logged workings. At the relevant time Shri S. S. Prasad was the Chief Inspector, as is indicated by Ext. T/7. This document is a notification of the Government of India, dated 5-9-1974, appointing Shri S. S. Prasad to be the Chief Inspector of Mines, with effect from 26-8-1974. On 9-6-1975, when the application for the Footwall drivage was made and on 29-9-1975 when permission for it was granted by Shri H. S. Ahuja, the latter held the rank of Director of Mines Safety, which entitled him to exercise the powers of an Inspector under the Mines Act. In the examination-in-chief of Shri Ahuja, on behalf of the Party No. 8 he was asked to what authority he had to sign the Permission letter, under Regulation 127 (Ext. 13) and his answer was that he had derived his authority under an office order issued by the Director General of Mines Safety on 26-8-1974. A copy of the order has been brought on record as Ext. T, the relevant portion of which reads as follows :—

OFFICE ORDER

Until further orders the work of Deputy Director General of Mines Safety shall be dealt with as follows :—

DIRECTOR OF MINES SAFETY
(Safety Standard)
All files relating to Coal Mines and accident cases thereof.

* * * *

All important decisions regarding approval from Deputy Director General of Mines Safety will be put up to Shri S. S. Prasad.

S. S. PRASAD, Director-General of Mines Safety

96. At the relevant time in 1975 Shri H. S. Ahuja was the Director of Mines Safety (Safety Standard). This Office Order refers to "the work of Deputy Director-General of Mines Safety" and, therefore, some history will have to be narrated in this context, from the evidence of Shri Ahuja. By Notification of the Government of India dated 5-1-1972 (Ext. T/2), sent to the Directorate-General of Mines Safety, the latter was authorised to delegate to the Directors of Mines Safety, such of the powers of the Chief Inspector under the Mines Act, 1952 (other than those relating to appeals), as he may specify. This authorisation by the Central Government was under section 6(1) of the Mines Act, 1952. At this time Shri H. B. Ghose was the Director General of Mines Safety exercising all powers of the Chief Inspector. By an Office Memorandum dated 22-8-72, signed by Shri H. B. Ghose, Shri S. S. Prasad was authorised to exercise some of the powers of the Chief Inspector of Mines. It may be mentioned that under this Office Memorandum, Shri S. S. Prasad was not authorised to deal with any application under Regulation 127.

97. Thereafter, by an Office Order dated 3-5-1973, passed by Shri H. B. Ghose (Ext. T/4), he gave a direction that, amongst other matters, all applications under Regulation 127 of the Coal Mines Regulations 1957, were to be put up to the Deputy Director General of Mines Safety for final disposal, until further orders. This Office Order had however stated "As usual the Deputy Director General may put up any file to Director General for order, whenever he feels necessary". Presumably, from this point of time the responsibility of disposing off applications under Regulation 127 was transferred to the Deputy Director General of Mines Safety and by Ext. T dated 26-8-1974, this responsibility was assigned by Shri S. S. Prasad to the Director of Mines Safety (Safety Standard).

Whether Shri S. S. Prasad was Director General of Mines Safety

98. At this stage, a particular matter of controversy may be referred to. This controversy was centred round the point to whether on 26-8-1974 Shri S. S. Prasad was the Director General of Mines Safety or not. According to Shri H. S. Ahuja, Shri S. S. Prasad was the then Director General of Mines Safety and, to establish his view-point, a document marked as Ext. T/1, dated 24-8-1974 has been produced. Shri S. S. Prasad has been examined as a Court Witness and, according to him, on 26-8-1974 he was not the Director General of Mines Safety, but he was continuing as the Deputy Director General of Mines Safety. We are, however, not concerned with the point whether Shri S. S. Prasad was the Director General of Mines Safety or the Deputy Director General of Mines Safety on 26-8-1974. We are concerned with the point whether he was the Chief Inspector of Mines or not on 26-8-1974, when he had passed the order incorporated in Ext. T. There is no doubt that on that date Shri S. S. Prasad was the Chief Inspector of Mines. By virtue of a Central Government Notification dated 5-9-1974 (Ext. T/7), Shri S. S. Prasad had been appointed Chief Inspector of Mines, with effect from 26-8-1974.

Whether Chief Inspector of Mines could authorise an Inspector to pass orders under Regulation 127(3)

99. If on 26-8-1974, Shri S. S. Prasad was authorised to delegate the power given to him under Regulation 127(3) to an Inspector of Mines, the delegation under Ext. T will be a valid one. But, I do not think that on 26-8-1974, the then Chief Inspector of Mines had any power to authorise an Inspector of Mines to pass orders envisaged by Regulation 127(3). On behalf of Party No. 8, some documents have been brought on record and some provisions of the Mines Act have been referred to for the purpose of concluding that the then Chief Inspector of Mines could authorise an Inspector of Mines to deal with an application under Regulation 127(3) and to pass final orders thereon. Reference has been made to Ext. T/2 dated 5-1-1972 on this specific point. It may be noted that under Ext. T/2, the Director General of Mines Safety had been given "approval of the Central Government under sub-section (1) of Section 6 of the Mines Act, 1952 to the Director of Mines Safety being authorised to exercise such of the powers of the Chief Inspector under Mines Act, 1952 (other than those relating to appeals) as he may specify." I do not think that under this approval, the Director General of Mines Safety or the Chief Inspector of Mines could authorise the Directors (who were Inspectors) to exercise any of the powers of the Chief Inspector under the Coal Mines Regulations, 1957. The Chief Inspector had certain powers under the Mines Act, specified therein and he had other powers under the Regulations. Section 7 of the Mines Act states that Chief Inspector and any Inspector may exercise "such other powers" as may be prescribed by Regulations made by the Central Government in this behalf. This clearly makes a distinction between the powers of the Chief Inspector under the Mines Act and his "other powers" under the Regulations. When the Chief Inspector of Mines purports to pass an order under Regulation 127(1), he exercises one of his "other powers", envisaged by Section 7 of the Mines Act and not his powers given under the Mines Act itself.

100. In order to equate the word "ACT" mentioned in Section 6(1) of the Mines Act, with the Regulations passed under the Mines Act, reliance has been placed by the learned counsel for Party No. 8 on Section 59(5) of the Mines Act which says that Regulations and Rules shall be published in the Official Gazette and on such publication shall have effect as if enacted in this Act. I do not think that this interpretation is acceptable. Words like "shall have effect as if" or "shall be deemed to be" have always been interpreted to mean a fictional state of affairs, to give a statutory validity to provisions to which they referred, but, by such expressions, Regulations and Rules can not be equated, in all respects, to provisions of the Act itself.

101. In the same contex the learned Counsel for Party No. 8 has referred to Section 83 of the Mines Act, 1952, before it was amended by Act 62 of 1959, for the same argument that the word "Act" in the Mines Act, 1952, includes also the Regulations made under the Mines Act. Under old Section 83, the Central Government was empowered to exempt any local area or any mine or a group or class of mines or any part of a mine or any class of persons from the operations of all or any of the provisions of the Mines Act. In this context, our attention has been drawn to certain notifications published by the Central Government under old Section 83, granting exemptions from the application of some of the Regulations under the Mines Act. I do not think that this contention can be accepted for the interpretation of the word "Act" used in Section 6(1) of the Mines Act. It may very well be that to remedy this inconsistency, Section 83 of the Mines Act was amended, giving the Central Government powers to exempt from the operation of all or any of the provisions of the Mines Act and empowering the Central Government to authorise the Chief Inspector of Mines or any other authority, to give exemption from the application of the Regulations or Rules made under the Act. It may be noticed that Section 6 and Section 83 of the Act were amended by the same Act 62 of 1959 and so provisions of the Act and provisions of the Regulations cannot be equated, as the learned Counsel has urged.

102. Another line of argument of the learned Counsel for Party No. 8 is based on Section 83(2) of the Mines Act read with the Notification passed by the Central Government, thereunder, dated 31-3-1960 (Ext. 15/2). I fail to appreciate the contention of the learned Counsel in this context. If the Central Government acting under Section 83(2), gives an authority to the Chief Inspector, envisaged by that provision of law, the Chief Inspector is the only authority who can take action under that authorisation. Shri S. S. Prasad, examined as a Court Witness, has stated he had not passed any order pursuant to Ext. 15/2. Pressing further on this point, the learned Counsel has argued that by Ext. 15/2, dated 31-3-1960, passed under Section 83(2) of the Mines Act, the Chief Inspector was authorised to make exemptions from the provisions of Regulation 127 and by Ext. T/2 dated 5-1-1972, [passed under Section 6 of the Mines Act], the Chief Inspector was authorised to empower an Inspector to give exemptions from any requirement of Regulation 127, if he thought it proper. It is difficult to accept this contention. I do not think that Section 6 and Section 83 of the Mines Act can be lumped together for such an interpretation. Under Section 83(2), the Central Government may empower "any other authority" to make exemptions, in place of authorising the Chief Inspector of Mines, and in this case, by the Notification dated 31-3-1960 (Ext 15/2), the Central Government had authorised the Chief Inspector of Mines and no other authority to give exemptions from provisions of the Regulations under the Mines Act. This order issued by the Central Government under Section 83(2) of the Act cannot be related to any approval given to the Chief Inspector under Section 6(1) of the Mines Act, by the same Central Government to authorise any Inspector to exercise some of the Chief Inspector's

powers under the Act. In my opinion, the conclusion on this point under consideration must be, that the Chief Inspector could not have authorised an Inspector to deal with applications under Regulation 127 and give exemptions from their requirements.

103. A question arose, at one stage, as to whether Shri S. S. Prasad, as Chief Inspector, could act under Ext T/2 or whether he should have sought for fresh approval from the Central Government under Section 6(1) of the Mines Act. I do not think that it was necessary for Shri S. S. Prasad to have asked for fresh approval. but that point is academic in this context, for even Shri H. B. Ghose could not have authorised an Inspector to deal with applications under Regulation 127. It seems to me that Shri S. S. Prasad was following a precedent prevailing in the Mines Safety Department, as he stated before us.

104. On this matter my conclusions are summarised as follows :—

(a) No materials have been brought on the record for a conclusion that any Chief Inspector had taken any action of exemption under the Notification dated 31-3-1960 (Ext. 15/2), issued under Section 83(2) of he Mines Act, 1952, by which Regulation 127 or any part thereof had become inapplicable to Chasnalla Colliery or to any part thereof. On the contrary, all parties had proceeded on the footing that Regulation 127 was applicable to this Colliery.

(b) The materials brought on the record do not support the proposition that the Chief Inspector had any power to delegate his authority under Regulation 127(3), to an Inspector under the Mines Act.

(c) If the Chief Inspector was not empowered to delegate his authority to an Inspector, Shri H. S. Ahuja was not entitled to deal with and finally grant the permission for the Footwall drivage in 1975. In such circumstances, granting of relaxation from any of the requirements of the provisions of Regulation 127(5) by Shri Ahuja cannot arise at all.

[I have dealt elsewhere with the question of interpretation of the Chief Inspector's authority under Regulation 127(3) and I have concluded that the Chief Inspector is not empowered to modify or vary any of the requirements of Regulation 127(5) or grant any exemption therefrom, if Regulation 127 applied to any mine].

But I must also state that the Director of Mines Safety (Safety Standard), that is to say, a person holding the post of an Inspector under the Mines Act, was in fact, given the authority to deal with applications under Regulation 127, and I cannot therefore blame Shri H. S. Ahuja for finally disposing of the Management's application made in 1975. It was not possible for him to go into the intricacies of law and question the authority of the Chief Inspector, in delegating his powers under Regulation 127 to him. If Shri Ahuja and the other officers of the Mines Safety Department had dealt with the application, taking into consideration the requirements of Regulation 127, and all relevant facts and circumstances, I may not have made any comments on this matter, except to point out the legal implications. On the other hand, I would also like to point out at this stage, to give a complete picture, that if the Management had followed the permission granted by Shri Ahuja, in 1975, without departing from the plan, this particular accident would not have occured on 27-12-1975. Whether the Management had followed this plan or they had departed from it, is a separate matter which has been dealt with elsewhere. [I have come to the conclusion in that respect that the Management had not followed the plan sanctioned in 1975 and the accident in question had occured because of the departure made from the permission granted in 1975].

105. Immediately hereafter, the power of the Chief Inspector, under Regulation 127(3) must be dealt with, to find out whether exemptions from the requirements of Regulation 127(5) can be given by him or whether those requirements must be followed where regulation 127 applies. This matter has been argued before us on the question of interpretation of Regulation 127 and with a view to suggest amendments in Regulation 127, if necessary.

Interpretation of Regulation 127

106. The main point for consideration, in respect of Regulation 127, is whether the expression occurring in sub-Regulation (3) of Regulation 127, to the effect—"except with the prior permission in writing of the Chief Inspector and subject to such conditions as he may specify therein", gives the Chief Inspector power to vary, modify or dispense with the requirements of the other sub-regulations of Regulation 127, especially sub-Regulation (4), when he gives his permission. The reason why this question has arisen is that, in granting the permission for the East Footwall drivage, on 29-9-75 (Ext 13), Shri H. S. Ahuja, acting for the Director General of Mines Safety, had modified the requirements of Regulation 127(5) and, as a matter of fact, had dispensed with some of the requirements of that sub-Regulation. [It may be added that Shri H. S. Ahuja had also added the clause "if any heavy seepage of water not normal to the seam is met with, the proviso attached in sub-Regulation (3) of Regulation 127 of Coal Mines Regulations, 1957, shall be strictly complied with", which was not a condition required by Regulation 127].

107. The stand taken before this Court of Inquiry, is that the Chief Inspector, purporting to act under Regulation 127(3), is competent to vary, modify or dispense with the requirements of Regulation 127. This matter had been specifically put to Shri S. N. Thakar, who was the first person to deal with the 1975 application in the Zonal Office of the D.G.M.S. and he deposed that the permission letter (Ext 13) did not refer to relaxation of any provision of Regulation 127(5) specifically, but that in fact it had amounted to relaxation of the requirements. He was asked as to what was there in Ext. 13 to show that relaxation had been granted and his answer was that relaxation was granted because the size of the gallery permitted to be driven was 3 metre × 3 metre and the manner of proving the ground, directed under Ext. 13, was different from the requirements of Regulation 127. Another significant question put to Shri Thakar and his reply thereto may be quoted here :—

Q : Regarding the last permission applied for by the Management in 1975, did you recommend that the compliance of the provisions of Regulation 127(5) was unnecessary or impracticable. On what score was your recommendation ?

A : The requirement of Regulation 127(5) was not considered necessary.

108. Shri S. N. Thakar's interpretation of the powers of the Chief Inspector under Regulation 127(3) does not appear to be very clear. He was asked on behalf of Party No. 14, as to whether it was not necessary, at the time of his recommendation, that he should have been aware of the statutory provisions of law laid down under Regulation 127(5), and his answer was that he was aware at that time that the power of the Chief Inspector of Mines had been extended by Gazette Notification, to relax the provisions of Regulation 127(5). It seems that Shri Thakar had in mind Section 83(2) of the Mines Act, 1952 which reads as follows :—

"83(2)—The Central Government may, by general or special order, subject to such restrictions as it may think fit to impose, authorise the Chief Inspector or any other authority to exempt, subject to any specified conditions, any mine or part thereof from the operation of any of the provisions of the Regulations or Rules under this Act, if the Chief Inspector or such authority is of opinion that the conditions in any mine or part thereof are such as to render compliance with such provision unnecessary or impracticable."

A Notification of the Central Government under Section 83(2), dated 31-3-1960, has been brought on record and marked as Ext. 15/2 reading thus :

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1960

S. O. .—In pursuance of sub-section (2) of Section 83 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) the Central Government hereby authorises the Chief Inspector of Mines, to exempt, subject to any specified conditions, any mine or

part thereof from the operation of any of the following regulations, namely, Regulations 69, 74, 89, 99, 127, 130, 151 and 172 of the Coal Mines Regulations, 1957, if the Chief Inspector of Mines is of the opinion that the conditions in that mine or part thereof are such as to render compliance with such provisions unnecessary or impracticable.

[I/15/60/MII]

A. P. VEERA RAGHAVAN, Under Secy.

109. Apparently, Shri Thakar was making a confusion between the provision of Section 83 (2) of the Mines Act and the provision of Regulation 127 (3), in this context. Nothing has been brought on the record to show that any Chief Inspector had taken action directly under the Notification (Ext 15/2) to exempt Chasnalla Colliery from the operations of Regulation 127 and, as a matter of fact, this Inquiry has proceeded on the footing that Regulation 127 was applicable to Chasnalla Colliery. As stated earlier, Shri S. S. Prasad has deposed that he had not passed any order exempting any mine or part thereof from the operation of Regulation 127. So the powers of the Chief Inspector must be considered upon and interpretation of Regulation 127 (3) only.

110. On the side of the Management, evidence is on record, relating to the requirements of Regulation 127 and variations therefrom. It was put to Shri Ramanuj Bhattacharaya, who was the Manager at the relevant time, as to whether Regulation 127 (5) required flank bore-holes on each side and where necessary bore-holes above and below the workings, or not, and his answer was in the affirmative. The following question and answer had followed :

Q : Why were such bore-holes not put as required under this provision of the Regulation ?

A : I was guided by the direction given in Ext. 13 and I considered it was sufficient.

Shri Ramanuj Bhattacharya was also asked about his interpretation of the words occurring in the permission letter (Ext 13) "without prejudice to any other provision of law which may be or may become applicable at any time" and his answer was as follows :—

"Since no express stipulation was there in the permission letter, I considered condition (2) of Ext. 13 as sufficient."

So the impression of the Manager was that the provisions of Regulation 127 (5) were governed by the directions given in the permission letter, under Regulation 127 (3).

111. In order to ascertain the true significance of the powers of the Chief Inspector under Regulation 127 (3), it will be necessary to refer to the corresponding provisions in the earlier Regulations governing the same matter. The provisions in the Indian Coal Mines Regulations, 1926 are to be found in Regulation 72 B, 73, 74 and 75. which are quoted below :

"72B(1). No Coal shall be extracted from any spot which lies vertically below :—

(a) any part of the bed of any river, tank or reservoir, or

(b) any spot lying within a horizental distance of 50 feet from either bank of a river or the boundary of a tank or reservoir except with the written permission of the Chief Inspector and subject to such conditions as he may specify.

(2) For the purposes of this Regulation, where sand or aluvium are lying in the course of a river, or in a tank or reservoir the bed of the river, tank or reservoir at that point shall be deemed to coincide with the surface of the hard strata underlying such sand or alluvium.

73. Where any part of a mine is so situated that there is danger of irruption of surface water into the mine adequate protection against such an irruption shall be provided and maintained.

74. Where any working has approached within 100 feet of any place containing or likely to contain an accumulation of water or other liquid matter, or within 100 feet of disused working (not being workings which have been examined and found to be free from accumulation of water or other liquid matter) the working shall not exceed 8 feet in width or height, and there shall be maintained at least one bore-hole near the centre, of the working face, and sufficient flank bore-holes on each side, and where necessary bore-holes above and below the workings, at intervals of not more than 15 feet. All such bore-holes shall be and shall be constantly maintained at sufficient distance in advance of the working and such distance shall in no case be less than 10 feet.

75. Whereas work is being done in any seam or part of a seam below another seam or part of a seam which contains or may contain an accumulation of water, or where work is being done in an upper seam or part of an upper seam which is at a lower level than any part of a lower seam which contains or may contain an accumulation of water, adequate precautions shall be taken against such an irruption of water into the seam where work is being done as would be likely to endanger the lives of the workmen in the mine."

112. All these provisions are now incorporated in Regulations 126 and 127 of the Coal Mines Regulations, 1957, with certain modifications and additions. Generally speaking, the provisions of old Regulations No. 72 B and 73 are now to be found in Regulation 126 of the 1957 Regulations and the provisions of old Regulations 74 and 75 are to be found in Regulation 127 of the 1957 Regulations.

113. It may be noticed that, in Regulation 74 of the 1926 Regulations, no power was given to the Chief Inspector to lay down any condition for workings which had approached within 100 feet of any place which may contain accumulation of water or any other liquid matter and no permission from the Chief Inspector was necessary for such workings. The requirements were mandatory. [Some power and discretion had, however, been given to him under Regulation 72 B of the 1926 Regulations ralating to working below surface water]. The distance of 100 feet laid down in Regulation 74 of 1926 Regulations has been increased to a distance of 60 metres (200 feet) in Regulation 127 (3) of the 1957 Regulations and, in this context, Regulation 127 (3) has added that the workings can be extended within the restricted area, only with the prior permission in writing of the Chief Inspector and subject to such conditions as he may specify therein.

114. It may be pointed out that between the Indian Coal Mines Regulations, 1926 and the Coal Mines Regulations, 1957, a set of temporary Coal Mines Regulations had been promulgated in 1955 and the relevant provisions are to be found in Regulation 5 of the 1955 Regulations, which is quoted below :

"For the purpose of ensuring against danger due to irruption or in rush of water of other liquid matter into the workings of a mine or part thereof, the following additional precautions shall be observed namely :

(1) Every application for permission under Regulation 72 B of the Principal Regulations shall be accompanied by two copies of plans, and sections showing the existing positions of the workings of the mine, the proposed lay out of the workings, the depth of the workings from the surface, all faults, dykes and other geological disturbances and such other particulars as may affect the safety of the mine or of the persons employed therein.

(2) Notwithstanding anything contained in Regulation 74 of the Principal Regulations, no working which has approached within a distance of 150 feet of any disused or abandoned workings (not being workings which have been examined and found to be free accumulation of water or other liquid matter), whether in the same mine or in an adjoining mine, shall be extended further except with the prior permission in writing of the Chief Inspector and subject to such conditions as he may specify.

(3) Notwithstanding anything contained in Regulation 74 of the Principal Regulations, if any seepage of water is noticed in any working approaching but not within a distance of 150 feet of any disused or abandoned workings (not being workings which have been examined and found to be free from accumulation of water or other liquid matter), whether in the same mine or in an adjoining mine, such working shall immediately be stopped and the Chief Inspector and the Inspector of the Circle shall forthwith be informed about the occurrence, such workings shall not be extended further except with the prior permission in writing of the Chief Inspector and, subject to such conditions as he may specify.

Explanation—for the purpose of clauses (2) and (3), the distance between the said workings shall mean minimum distance measured in any direction whether horizontal, vertical or inclined.

(4) Every application for permission under clause (2) shall be accompanied by two copies of plans and sections showing the outline of such disused or abandoned workings in relation to the workings which are approaching the said workings and such other information as may be available in respect of the said workings.

(5) The precautions laid down in Regulation 74 of the Principal Regulations shall be carried out under the direct supervision of a competent person authorised in writing by the manager for the purpose."

115. It is clear that Regulation 127 of the Coal Mines Regulations, 1957 was modelled on the basis of Regulation 5 of the Temporary Regulations of 1955, with certain additions and alterations. One specific alteration is the distance of 60 metres (that is to say, 200 feet) incorporated in Regulation 127 (3) of the 1957 Regulations, where as this distance was 150 feet in the 1955 Regulations. This part of 1957 Regulations is thus stricter than the corresponding provisions of the Temporary Regulations of 1955. The same power of the Chief Inspector, mentioned in Temporary Regulation 5 (2), has been incorporated in present Regulation 127 (3). It may be noticed that the Temporary Regulations of 1955 had not replaced the Indian Coal Mines Regulations, 1926, by Regulation 5 of 1955 Temporary Regulations additional precautions were laid down. Now that the 1957 Regulations have replaced the 1926 and 1955 Regulations, a question arises, has the Chief Inspector been empowered by present Regulation 127 (3) to modify, relax or dispense with any of the requirements of Regulation 127 (5) while granting his permission ? My view is that he has not been so empowered and the Central Government, in making Regulation 127 of the Coal Mines Regulations, 1957, did not intend to invest the Chief Inspector with such powers.

116. In the Coal Mines Regulations, 1957, there are some Regulations which specifically give the Chief Inspector power to very the requirements thereof. Reference may be made in this context, to Regulations 31 A and 32 in Chapter IV, Regulation 66 in Chapter VII. In Regulation 104 in Chapter X, the power of the Chief Inspector to vary some of the requirements of this Regulation is mentioned in sub-Regulation 2 (d) in these words :

"Provided that the Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require a smaller or greater thickness of parting as the case may be."

Whether Chief Inspector can vary, modify or dispense with any of the requirements of Regulation 127 (5).

117. In my considered opinion, the power given to the Chief Inspector under Regulation 127 (3) of the present Regulations is to be exercised in aid of the requirements of safety envisaged by Regulation 127, as a whole, and the power given to him ought not to be understood as a power to vary, modify or dispense with any of the requirements of Regulation 127 (5). The kind of order that the Chief Inspector may pass under Regulation 127(3) is manifest in the very permission that was granted by Shri H. S. Ahuja, acting for

the Dircetor General of Mines Safety, in 1975, for the Footwall drivage. Condition No. 3 of the 1975 permission stated that—

"if any heavy seepage of water not normal to the seam was met with, the provisions attached in sub-Regulation 3 of Regulation 127 of the 1957 Regulations, shall be strictly complied with."

Regulation 127 does not seem to contain, in explicit words, any precautionary action to be taken against heavy seepage of water not normal to the seam, in very working within 60 metres of any disused or abandoned working. As a matter of fact, this direction had also been incorporated in the permission granted in 1971, for the Hangwall drivage by Shri H. B. Ghose, the then Director General of Mines Safety.

What should be shown on plans accompanying an application made under Regulation 127 (4).

118. Another important point has arisen from the evidence given by Shri J. N. Ohri, regarding his understanding of Regulation 127. Sub-Regulation (3) of that Regulation mentions, amongst other matters, that "No working which had approached within a distance of 60 metres of any such disused or abandoned workings . . shall be extended further except with the prior permission in writing of the Chief Inspector and subject to such conditions as he may specify therein . . " and Shri Ohri was asked by the Court as to whether, on a decision having been taken to drive the Ventilation Connection at that particular spot or after this Ventilation Connection had been started, any informationin this regard was given to the Dircetorate General of Mines Safety or not. His answer in this context may be quoted :

"In case of Regulation 127 as stated above, the extent of old working have to be shown. The workings which have to be extended are to be shown and normally the extent of the new workings which are to be made is indicated in this plan, may be for development or may be for the total extraction of the pillars. In my experience of last 20 years I have made some applications under Regulation 127 (3) and it is always the extent to which the new workings have to be extended is indicated and within that in compliance of the above provisions of the Statute as also is mentioned in the ultimate paragraph of Ext. 13, the extension has to be made keeping in view the provisions of the other Statutes. In this particular case Regulation 99 is applicable. The proposed Ventilation Connection was being driven at the same level as other drivages, namely Footwall and Hangwall and was not in anyway approaching the old waterlogged workings. The area was already proved by drivage of the Hangwall and that of the Footwall beyond that point. So personnaly in my opinion under the circumstances any fresh application under regn. 127 (3) was not necessary".

119. The words used by Shri Ohri to the effect that the proposed Ventilation Connection was being driven at the same level as other drivages, namely, Hangwall and Footwall drivages and was not, in any way, approaching the old waterlogged workings, were meant to convey the impression, I take it that the Hangwall drivage and the Footwall drivage were already within 60 metres of the old water-logged workings and the new Ventilation Connection to join the Hangwall drivage with the Footwall drivage was going to be a gallery within 60 metres of the old waterlogged workings, and was not, therefore, a gallery which would be "approaching" the waterlogged workings. I do not think that this interpretation is acceptable. Shri Ohri has also mentioned in his statement, quoted above that Regulation 127 requires that the extent of the old workings have to be shown and the workings which have to be extended are to be shown and "normally" the extent of the new workings which are to be made is indicated in the Plan which is to be submitted under Regulation 127 (4). In specific words, Regulation 127 (4) requires that two copies of a plan and section must be filed with the application for permission under sub-Regulation 3 showing (a) the outline of the disused and abandoned workings in relation to the workings which are approaching the said workings and (b) such other information as may be available in respect of said working must also be given. Apparently Shri J. N. Ohri is of the view that the outline of the new workings, which are to be made

within a distance of 60 metres of the disused or abandoned workings, need not be given in the plan to be submitted, and so Shri Ohri states that the workings which have to be extended, must be shown on the plan and the extent of the new workings are "normally" indicated on the plan.

120. On this matter of interpretation of Regulation 127 (4), Shri B. L. Verma, ex-Chief Mining Engineer of I. I. S. Co., was asked as to whether an application and the plan to be submitted under sub-Regulation 3 should show the proposed new workings to be made within 60 metres of abandoned workings containing water or any other liquid matter or not, and his answer was that sub-Regulation 4 of Regulation 127 did not clearly say that the outline of the proposed workings are to be shown on the plan enclosed with the application. This matter was also put to Shri H. B. Ghose who had granted the 1971 permission, as the then Chief Inspector. Shri Ghose was asked as to whether it was necessary to show the proposed workings in the plan to be submitted under Regulation 127(4) or not, and his answer was that it was not so required, but that there was "something" as a tradition and every time as and when an application of this nature comes, the details of the projections were always asked, given and examined." I am of the view. however, that this interpretation of Regulation 127(4) should not be accepted as it is implicit in Regulation 127(4) that the proposed new workings should also be shown in the plan to be submitted for permission under Regulation 127(3). I am prepared to go further and opine that Regulation 127(4) is even explicit in this context, although the requirement is not mentioned in exactly the same terms as it is mentioned in Regulation 126(3). In my opinion the words "the outline of such disused or abandoned workings in relation to the workings which are approaching the said workings" must refer to the disused or abandoned workings in relation to the proposed workings otherwise the requirements of sub-Regulation (5) will not be understood.

121. Various other implications of Regulation 127 have been argued before us and I would like to suggest the following amendments of Regulation 127 of the Coal Mines Regulations, 1957 :

(a) If the Central Government is of the view that the Chief Inspector has the power to vary, modify or dispense with any of the requirements laid down in Regulation 127, or that he should be invested with such power, a new sub-Regulation may be introduced, in specific words, giving him such power.

(b) If the Central Government is of the view that the words used in the first paragraph of Regulation 127(3) viz : "subject to such conditions as he may specify therein", do not or are not meant to invest the Chief Inspector with any power to vary, modify or dispense with the requirement of any provision of Regulation 127, appropriate words may be inserted in that sub-Regulation itself, clarifying the matter. [In either view of the matter the same words, with respect to Chief Inspector's power, to be found in Regulation 126 or anywhere else, will have to be considered also]. My own opinion is that it may be clarified that the requirements of Regulation 127 are mandatory.

(c) The proviso to Regulation 127(3) may be amended to include similar action to be taken within 60 metres of any disused or abandoned working.

(d) Regulation 127(4) should be amended, to require explicitly, that, the plan referred to therein must also contain the outline and the necessary details of the proposed new workings, for which permission is being sought. [This will ensure that no variation of the plan sanctioned would be permissible, without referring the matter again to the Chief Inspector].

(e) In view of the requirements in the last sentence of Regulation 127(5), there ought to be some provision in Regulation 127 to the effect that in a case where sub-Regulation (5) applies, a written record of the measurements of the galleries made and of bore-holes made, must be maintained by the competent persons under whose supervision the precautions envisaged by sub-Regulation (5) are carried out.

(f) Regulation 127(6) should be amended to provide also that, on line with the proviso to Regulation 127(3), workings (irrespective of whether they are approaching disused or abandoned workings or not), where any heavy seepage of water is noticed, should be stopped and should be resumed only after the Chief Inspector's permission has been obtained.

122. The next point to be taken up will be whether the Footwall drivage was stopped for the reasons alleged by the Management or whether there must have been some other reasons for the stoppage.

What could have been the real reason for stopping the Footwall drivage in November, 1973—Evidence

123. I have earlier discussed the reasons given by the Management for stopping the Footwall drivage after proceeding for only half the intended distance and also explained why I have not accepted the same as being the real reasons. The question as to what could have been the real reason for stopping the Footwall drivage in November 1975, has been probed in this inquiry by the examination of a number of Court Witnesses, but the effort has failed because of the deliberate conduct of these witnesses. Only suspicion, therefore, remains. I will have to deal with the evidence of some of these persons in detail and make my comments thereon.

124. The initial probe into the probable reason for stopping the Footwall drivage began with the cross-examination of Shri Dipak Sarkar, by Shri S. P. Ganguli, on behalf of Party No. 8. He was asked whether, in his statement made to Shri A. B. Singh on 5-1-1976 in the course of the Statutory inquiry, he had told Shri Singh that danger had been apprehended to east side workings of No. 1 Horizon from old waterlogged workings, particularly from drivage of No. 4 Incline and Nothing Cross-cut, and Shri Sarkar's reply was that he had made some general statements in this respect, but that he did not remember if he had made this particular statement with which he was being confronted. The date on which Shri Sarkar was examined by Shri A. B. Singh i.e. 5-1-1975 is significant in as much Horizon No. 1 had not been dewatered until 19-1-1976 after which date only the actual position regarding the manner in which the new and the old workings had got connected, became clearly known. So, on 5-1-1976 when the situation was not at all clear, Shri A. B. Singh could not have recorded this particular statement as coming from Shri Dipak Sarkar, by converting a general statement into such specific words of later significance. Shri Dipak Sarkar has later on stated in this inquiry that there was no apprehension of any danger from 4 Incline Plane. This, in fact, appears to be the stand taken by the Management during the inquiry, though it is quite contrary to the picture that had been presented by many of the employees of the Colliery immediately after the accident.

Witnesses going back on their earlier statements

125. The attitude appears, in fact, to be one of going back on statements made by them in the statutory inquiry, long before anything in particular had been found as to how the deep mine was inundated on 27-12-1975. This started with the very first witness examined in this inquiry for the Management, namely Shri Dipak Sarkar, and continued even when the Court was examining Court Witnesses at the end.

126. I propose to refer to the evidence of seven persons examined as Court Witnesses, who are (1) Firangi Prasad (CW 13), (2) J. Khan (CW 15), (3) Kashi Lal Thapa (CW 11), (4) Prem Mondal (CW 5), (5) Sudhir Mondal (CW 8). (6) Lakhan Manjhi (CW 6) and (7) Lagan Manjhi (CW 7).

127. In the Statutory Inquiry, Shri Firangi Prasad was examined by Shri S. N. Thakar on 30-12-1975 and Shri J. Khan was examined by Shri Thakar on 29-12-1975 and 30-12-1975. (We are concerend here mainly with what Shri J. Khan was supposed to have told Shri Thakar on the 30th). Shri K. L. Thapa had been examined by Shri A. B. Singh on 31-12-1975 and Shri Prem Mondal was examined by Shri S. C. Batra on 1-1-1976. On the same day, namely, 1-1-1976, Shri Sudhir Mandal was examined by Shri A. B. Singh. Shri Lakhan Manjhi had been examined by Shri Batra on 2-1-1976 and Shri Lagan Manjhi had been examined by Shri Batra on 3-1-1976. We had called these persons as Court Witnesses after persuing their statements made in the statutory enquiry, expecting some assistance from them in our inquiry to find out the facts and circumstances which may give a clue to the cause of the accident. All these statements are on record, having been proved by the respective officers of the Mines Safety Department.

128. Shri Firangi Prasad was a driller in the Colliery and, immediately before the accident under inquiry, he was working in the L.C.E. panel in the west district of Horizon No. 1 for boxing work. On 30-12-1975, Shri Firangi Prasad is said to have made the following statement:

"There was an advance hole in the footwall drive also which was giving out water under some pressure and reddish water was coming out of it. Pressure was not much enough. The above said boring (advance bore hole) was made during the rains-August/September and from that time it was giving water and it was still there just before the accident. That means the footwall drive did not advance at all since August/September. The above said hole was straight in the face and was laid in the direction of the advance of the face. There were other holes in the flanks also but these were not giving off much water. I do not know the length of any of the above described holes."

The statement appears to have been signed by Shri Firangi Prasad in English. Before the Court of Inquiry Shri Firangi Prasad has gone back on his previous statement and has said that the statement had not been read over and explained to him in Hindi (although there is such an endorsement on the record, signed by Shri Thakar) and that although he had signed the document, he does not remember whether he had signed in Hindi or English. When the witness was shown his signature on the recorded statement, he admitted that he had signed in English, giving also the date himself in English, but he said that at that time the second page had been blank. In view of the evidence given by Shri S. N. Thakar about the circumstances of his recording the statements of witnesses in the statutory inquiry, I must hold that Shri Firangi Prasad did not tell the truth before us. Shri Firangi Prasad was asked in the Court of Inquiry whether he had noticed water coming out of the advance hole in the Footwall gallery and his answer was in the negative. He was asked whether he had made any such statement to an officer of the Mines safety Department and his answer was in the negative. In all these matters, Shri Firangi Prasad was obviously trying to conceal true facts, as Shri Thakar could not have inventel on 30-12-75 statements which became significant only later on. It is quite clear that Shri Firangi Prasad was lying under oath before this Court.

129. Shri J. Khan was a Mining Sardar in the Colliery, working in the first Horizon, west side, in the L.C.E. panel, in the week previous to the accident. From his recorded statement in the statutory inquiry, it appears that on 30-12-1975 he had said as follows:—

"About one week ago, some miners had come from East side to my L.C.E. panel. They were mentioning that there was trouble of water in the east side. Some names I can recall, they were Khalil, Shabir and other 2|3 persons. Also Thakuri Bauri, Dobai Bauri Kinkor Bauri, Japan Bauri and other whose names I do not remember now. Kurmi Mahto. Viveka Singh, Sanatan Manjhi were the drifters, who were generally employed in the East side, shall be in a better position to give full details From all I know there was difficulty of water in the first ventilation connection but details shall be known from others employed in the East district."

According to the record, this statement had been read over and explained to Shri J. Khan in Hindi and on the face of the record it appears that Shri J. Khan had signed in English. But before this Court, Shri Khan has stated that the statement recorded by Shri Thakar had not been read over to him before he had signed. Shri Khan has also gone back on his previous statement and said that he had no knowledge of any difficulty of water in the ventilation connection in the east district. It is regretable that an important statutory official like a Mining Sardar was not prepared to stand by his earlier statement, made soon after the accident. I am convinced that Shri J. Khan has told a lie, on oath, before this Court, as Shri Thakar could not have invented such statements as having come from Shri Khan on 30-12-1975.

130. Shri Kashi Lal Thapa (CW 11) was a drifter in the Colliery and his statement recorded by Shri A. B. Singh is on record, bearing his signature in Hindi and he is said to have made the following statement on 31-12-1975:—

"The footwall connection gallery was not being worked for the last about 6 months. About 6 months back three holes were made in the footwall connection gallery also each 50' in length. No unusual flow of water was noticed from the holes in the Footwall connection gallery. Because of low height loaders were not willing to work in the Hangwall drive and it was stopped and it was decided to connect by the connection gallery. Warm water used to come out of the Footwall drive and we used to go to wash our hands and feet there. The machine that we use for drilling was earlier used to make holes upto 60' to 70' in stone and can drill upto 100' long holes, we had made three holes in Ventilation Connection gallery each 50' long three weeks back."

He too has gone back on his previous statement and, in Court he said that he had not told any officer of the Mines Safety Department that warm water used to come down in the Footwall gallery. I am convinced that Shri Kashi Lal Thapa also made untrue statements before the Court, on oath, as Shri A. B. Singh could not have invented such a statement on 31-12-1975.

131. Shri Prem Mondal (CW 5) was a general mazdoor, and had worked in the 2nd shift on 26-12-1975, as a helper of the timber mistry, for supporting arches in the Hangwall gallery. On 1-1-1976, he is said to have made the following statement to Shri S. C. Batra:

"In ventilation connection there was more percolation. Loaders were working in Hangwall drive and also in ventilation connection. In Footwall drive no work was being done. Work in Footwall drive was stopped about two months back by Shri Chatterji, Assistant Manager. A hole had been driven in the face from which water used to flow and fall through a distance of about 2-1/2 feet. The water was clear and warm. I know it was warm because we used to wash our hands in this water. Percolation of water in Footwall drive was more than that in Hangwall. The dripping water used to be clear and cool. I do not exactly know why Footwall drive was stopped but perhaps it was stopped because water used to come from bore hole. I think this hole was 5 ft. long. I do not know the length because I had not drilled this hole".

Shri Prem Mondal admitted his signature on the recorded statement, but denied to have made this particluar statement recorded by Shri Batra. It is clear to me that Shri Prem Mondal told an untruth before the Court, on oath.

132. Shri Sudhir Mondal (CW 8) was working as a drifter in the Colliery towards the end of the year 1975. In his statement recorded by Shri A. B. Singh on 1-1-1976, he is said to have made the following statement:—

"I am working in Chasnalla Colliery for the last 5 years as drifter. In 1st Horizon east side I am working for the last three months. Work in Footwall drivage was stopped before I went to east side. Work was being done in the Hangwall drive and connection. The advance of Hangwall drive and connection gallery during the last three months was 100' each. Lot of warm water used to percolate in both Hangwall drive and connection gallery . . . ."

In his examination before the Court of Inquiry, Shri Mondal stated that he had not worked in the east side of the 1st Horizon, towards the end of December 1975. He denied altogether that any officer of the Mines Safety Department had recorded any statement from him soon after 27-12-1975. He went so far as to say that he was asked by some one to put his thumb impression on a paper on which something was written and, on threats of being beaten up, he had given his thumb impression on such a document. This part of Mondal's statement must be wholly disbelieved. There cannot be any doubt that he had made a statement during the course of the statutory enquiry, which had been recorded by Shri A. B. Singh, and it is clear that Sudhir Mondal had also told an untruth on oath.

133. Shri Lakhan Manjhi (CW 6) had worked as a loader in the deep mine in the night shift of 26-12-1975, in the Hangwall gallery in the east district of Horizon No. 1. On 2-1-1976, he is said to have made the following statement to Shri S. C. Batra:

"On east side two faces were being worked one in the Hangwall and other at right angles to this gallery.

I worked in both the faces" . . . I had worked in Footwall drive about a month back as a dresser. In this gallery, the percolation was more than that in Hangwall and Ventilation Connection. There was a borehole at the face through which water used to flow full bore. It used to fall over a distance of about 1 ft. or 1-1/2 feet. The water was clear and neither hot nor cool."

In this Court of Inquiry, Shri Manjhi agreed that he had made a statement to an officer of the D.G.M.S. which was recorded in his presence, but added that the officer had not read over the statement to him and had not explained it to him in Hindi. According to Shri Lakhan Manjhi, he had signed the recorded statement in English and he admitted his signature on the document. Shri Manjhi further stated before the Court that he had not told the officer that he had worked in the Footwall drive about a mouth before the date of accident. According to this statement of Shri Manjhi made before the Court, he had worked in a Footwall in the West District and not in the East District, and that it was in the Footwall face in the West district some water used to trickle down. It is clear from Shri Lakhan Manjhi's evidence given before us that he also has deliberately gone back on his statement recorded on 2-1-1976 by Shri Batra and as lied on oath before this Court.

134. Shri Lagan Manjhi (CW 7) had worked as a dresser in the deep mine on 26-12-1975, in the second shift. On 3-1-1976 he is said to have made the following statement to Shri S. C. Batra :

". . . . .I had gone to cross connection also. There percolation was more than the Hangwall. Water percolation was more near the face. Footwall drive was stopped for over four months and I did not go there. Hangwall gallery and cross connection were supported by arches upto a distance of about 10 ft. from the face."

In the Court of Inquiry, however, Shri Lagan Manjhi denied to have gone to the cross connection in the night of 26-12-1975, at all. He has said that he had made a statement to an officer ofthe D.G.M.S. which was recorded in his presence, but the statement had not been read over to him and explained in Hindi. He has denied to have made any statement regarding any cross-connection. He even went so far as to say in this Court that he did not even know that there was a Footwall drivage in the east side of first Horizon before 26-12-1975. He said that he knew only of a Hangwall gallery. It is clear to me, beyond doubt, that Lagan Manjhi has also told the untruth on oath.

135. It is a matter of regret that even when 375 of the co-workers colleagues and officials of these cowitnesses had suffered a painful death in the accident under inquiry these employees of Chasnalla Colliery have not thought fit to divulge the true facts before this Court. But, the previous statement by these persons in the course of the Statutory enquiry under the Mines Act were not made on oath and they were not made in the presence of persons who may be affected by them and, therefore, I can not consider the previous statements of these courts. Witnesses as substantive of the facts stated therein. All that I can hold on this point is that the seven persons named above have no respect for truth and have failed in their duties to assist this Court.

136. On behalf of the Indian National Trade Union Congress, the Indian National Mine Workers Federation and Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (Party No. 2), one witness was examined in Court, named Shri Phar Chand Paswan, to show that unusual and heavy make of water had been met with in the Ventilation Connection, towards the end of December, 1975. Shri Paswan was a driller at Chasnalla Colliery and had worked in the East district of Horizon No. 1 at that time. He has stated before us that two days before the 26th December 1975, while the drillers, including himself were putting holes in the Ventilation Connection face, they had felt a trust from the end of a hole about 4 feet long and the force of the thrust was so much that the drillers were actually thrown back by the force. When the drill was taken out from this hole, water had spouted out and had fallen to a distance of about 18 inches from the face. Shri Paswan too had been examined earlier by Shri Thaker on 30-12-1975 during the course of Statutory enquiry, and his recorded statement is also before us. Learned Counsel for Party No. 1 (Management) had cross-examined Shri Paswan and his previous statement was put to him on many aspects of the matter. It appears that the previous statement of Shri Paswan does not support his highly emphatic deposition before us with respect to the make of water in the Ventilation Connection. Before Shri Thaker, Shri Paswan had stated as follows :—

"The holes we made in the Hangwall and ventilation drives gave out some water which was not abnormal. During the whole of East District I did not see any abnormal flow of water : Whatever water make off could be seen it was normal to the district."

It appears further that, while deposing before Shri Thaker, Shri Paswan did not mention anything about feeling any thrust of water while boring a hole in the Ventilation Connection face. In my opinion, for these reasons, it will not be right to accept Shri Paswan's statement given before us.

137. It will be necessary now to refer to the evidence of two more persons examined as Court Witnesses, to show how they have also deliberately refused to assist the Court in the Inquiry. They are Shri H. K. Mukhopadhyaya who had worked in the deep mine, as a Shift Overman in the 1st Horizon, in the week before 27-12-1975, and Shri U.K. Khan, who was an Assistant Manager in the 1st Horizon of the deep mine, working in the first shift, at the end of December, 1975. Shri Mukhopadhyaya was one of the Court Witnesses examined in an effort to find out the nature of the bore-hole pattern followed in 1975. He had been examined by Shri S. N. Thaker on 29-12-1975 and 30-12-1975 in the course of the Statutory inquiry, and the statement then recorded has been produced in this Court. Although there is an endorsement of Shri S. N. Thaker that the statement recorded on 29-12-1975 had been read over and explained to Shri Mukhopadhyaya in Hindi, Shri Mukhopadhyaya has stated in this Court that the statement recorded on 29-12-1975 had not been read over and explained to him in Hindi by Shri Thaker. He has said that after his statement was recorded, he was asked to sign it and he signed it. With respect to the statement recorded on 30-12-1975, Shri Mukhopadhyaya has said that he had signed that statement but had not read it. Shri Mukhopadhyaya had worked in the east district of 1st Horizon on 26-12-1975, in the third shift. Some work had been done in the Ventilation Connection at that time, including drilling and blasting. Shri Mukhopadhyay was examined in this Court specifically on the question of long bore-holes having been made and in that connection he is said to have stated before Shri Thaker on 30-12-1975 as follows :

"One similar bore-hole of 10′—12′ was made and maintained in the first ventilation connection and one such hole was also made inclined upwards. As I got these holes already in my shift of 26-12-1975 I did not get these made."

138. In Court, however, Shri Mukhopadhyaya denied to have made this statement to Shri Thaker. Shri Mukhopadhyaya also denied having made many of the relevant statements which appear in the recorded statement, dated 30-12-1975, in respect of the nature of bore-holes made in the Hangwalls and Footwall galleries. It is clear to me that Shri H. K. Mukhopadhyaya, a Mining Overman, told a lot of untruth, on oath, and no assistance was available from him. This conduct of a senior Mining Official must be strongly deprecated.

139. The evidence given by another Court Witness, Shri Uma Kant Khan (C.W. 16) also requires a special consideration. On 27-12-1975, he was Assistant Manager incharge of 1st Horizon (1st shift), but on that date he was away from the Colliery for taking a refresher training at the Mines Rescue Station at Dhansar. He had been examined, soon after the accident under inquiry. On three occasions, by three officers—by Shri S. N. Thaker on 31-12-1975, by Shri S. C. Batra on 4-1-1976 and lastly by Shri A. B. Singh on 9-1-1976. All his statements were recorded. As a matter of fact, on 4-1-1976 Shri Khan had made two separate statements, recorded separately by Shri S. C. Batra. Shri Thaker has stated before this Court that the original statement of Shri U.K. Khan, recorded by him, was lost and that he was producing a true copy of Shri Khan's statement. I have no reason to doubt Shri Thaker's evidence in this context. This copy of Shri Khans statement mentions that he had read the recorded

statement and had found it to be correct, and indicates that he had signed it in English. But before us Shri Khan has deposed that, although he had made a statement before Shri Thaker on 31-12-1975, which had been recorded in his presence, he had signed the statement without reading it. Thereafter, Shri Khan has denied that he had made some of the statements which appear in the document before us, representing his statement to Shri Thaker. With respect to the statement recorded by Shri Batra on 4-1-1976, on the second occasion, Shri Khan's attention was drawn to what he is supposed to have told Shri Batra about the inclination of the three bore-holes made in the Hangwall drivage and Shri Khan deposed that the statement recorded by Shri Batra was either wrongly recorded or that he may not have been able to explain the matter to him. This recorded statement, dated 4-1-1976 also bears Shri U. K. Khan's signature in English and Shri Khan has admitted this matter. He has, however, said that he had not read the statement before signing it. I have no hesitation in holding that Shri Khans statements made on 31-12-75 and 4-1-76 had been properly recorded by Shri S. N. Thaker and Shri S. C. Batra respectively and that Shri Khan had signed his recorded statements, after knowing the contents thereof. His statements made before us, wherever they are contrary to his previous statements, are therefore untrue. Such a conduct from such a highly responsible official, who worked in the east district of the first Horizon upto 26-12-1975, must also be deprecated in no uncertain terms.

Promotion of Shri U. K. Khan

140. It was, for reasons given hereafter, a matter of surprise to us to find that Shri U. K. Khan had joined the Chasnalla Colliery, as Assistant Manager, in November, 1974. He has stated that, before joining Chasnalla Colliery, he had been working in Jeetpur Colliery as Overman and that he was an Overman in that Colliery on 18-3-1973 when an explosion had occurred there. A Court of Inquiry had been constituted under the Mines Act in connection with that explosion and the inquiry had been held by Shri R. C. Dutt. In his Report of Inquiry, dated 4-5-1973, Shri R. C. Dutt stated as follows with respect to Shri U. K. Khan :

> "Only three of the Supervisory personnel who were underground with the second shift when the explosion occurred survived. Of them, one Shri Bhattacharyya was working in the M/T. Panel on the western side, away from the scene of the explosion. The other two were Shri U.K. Khan, Overman & Shri Sudarshan Singh, Mining Sirdar. The rest unfortunately persished in the disaster. IISCO management highlighted the fact that these experienced supervisors did not report gas during the second shift. They argued, therefore, that there was no gas, and used this argument in support of the management theory that there was a sudden on-rush of gas as a result of the roof fall. I have held already, for reasons I have indicated, that the theory is unacceptable, and have upheld the alternative theory of accumulation of gas. I cannot, therefore, accept the statement of Shri U. K. Khan that he had found no gas. I hold that neither he nor Shri Sudarshan Singh tested for gas at the critical places. They were content to sit in the in-take gate without trying to ensure, as was their duty, that the men were not endangered by gradual accumulation of gas. They, therefore, failed in discharging their responsibility and must be held blame-worthy on this account"

> "Among the subordinate supervisory Officers, Shri U.K. Khan and Shri Sudarshan Singh are directly responsible for their gross failure. Shri Khan, being an Overman and, therefore, senior in rank to Shri Sudarshan Singh, must accept higher responsibility for the lapse than the latter. Sri Pandey, as Assistant Manager, has a general and specific responsibility which he cannot escape. I would, therefore, place him immediately after Shri Khan and Shri Singh. Shri K. C. Mistry and Shri Kundu have also their share of responsibility, but I place them together last in order of culpability".

141. In view of these observations made on 4-5-1973, we asked Shri U. K. Khan as to who had transferred him to Chasnalla Colliery in November 1974 from Jeetpur Colliery and his answer may be quoted in full :

> "Just before my transfer to Chasnally Colliery I was appointed as Assistant Manager, after I had passed the Second Class Mine Manager's Competency Examination, and thereafter I had received a transfer order to join Chasnalla Colliery as Assistant Manager and this order was communicated to me by Shri J. N. Ohri, who was then the Chief Executive (Collieries). I had then promoted as a Second Class Assistant Manager from an Overman, in the regular process of promotion. After I had obtained the Second Class Mine Manager's Competency Certificate, the Management had considered my fitness for promotion as a Second Class Assistant Manager and after all the formalities had been gone through, Shri J. N. Ohri had communicated to me that I have been considered for promotion and that I was to join Chasnalla Colliery as a Second Class Assistant Manager. The constitution of the Promotion Board, which interviewed me alongwith others, was of Shri R. K. Prasad, Shri S.K. Banerjee, Shri Dipak Sarkar and Shri N. Sen."

142. It is a matter of surprise as to how Shri Khan was put in-charge as Assistant Manager in Chasnalla Colliery, after the adverse remarks made against him in May 1973. It may be that the promotion board had recommended his promotion, but Shri Ohri ought not to have concurred in his apointment in Chasnalla Colliery as Assistant Manager in effect, Shri U. K. Khan had been put on a more responsible job in Chasnally Colliery, despite having been blamed earlier for gross failure in his duties in Jeetpur Colliery, belonging to the same owner.

Non-availability of Shri Ajit Kumar Mukherjee

143. One more point may be briefly dealt with here, before I mention our suspicion about the reason for the stoppage of the foot-wall gallery. It relates to the Courts attempt to examine Shri Ajit Kumar Mukherjee, who was employed in Chasnalla Colliery on the date of the occurrence under inquiry, as a general mazdoor. He had been examined in the statutory inquiry, and we had considered that he could have been of assistance to the Court in ascertaining the cause of the accident, but, inspite of our best efforts, Shri Ajit Kumar Mukherjee was not available to be examined. At the time of this Inquiry, Shri Ajit Kumar Mukherjee was employed at Jeetpur Colliery, belonging to the same Management, and we examined the Manager of this Colliery, Shri Swadesh Paul Mehra, to ascertain the whereabouts of Shri Ajit Kumar Mukherjee, who was, at that time, said to be away on account of illness. Summons were issued to Shri Mukherjee to appear before us, but the summons could not be served as his whereabouts could not be ascertained—even though he remained in employment of the Company. The Public Prosecutor of Dhanbad, Shri J. B. Lala made his best efforts through the Police to ascertain where Shri Ajit Kumar Mukherjee could be found but all efforts failed. Apparently Shri Ajit Kumar Mukherjee had vanished from the face of the earth when he was required to depose before us. We could not take any further action in the matter, without causing inordinate delay to the course of our inquiry. We do, however, expect that the higher authorisation of IISCO would try to find out why and how Shri Ajit Kumar Mukherjee was not available for examination as a Court Witness.

Suspected reasons for stoppage of Footwall Drivage

144. From the Court witnesses examined at our instance, no definite conclusion can be arrived at as to why the Footwall drivage had been stopped half-way in its sanctioned length. But, a strong suspicion must arise that it was due to excessive make a water in the Footwall gallery, either by seepage or by water spurting through the long bore-holes. It is not possible to believe, that, even when this gallery had gone under the water-filled extension of Incline No. 4 of the old workings, leaving a parting between the two galleries of only 5 to 6 feet, there had been no increase in the make of water in the Foodwall gallery.

Immediate Cause of the Accident

145. Although clearcut and definite reasons have been made available to us for stopping the Footwall drivage in November 1975, one matter is quite clear, that the Ventilation Connection was opened, thereafter at a location which was not in accordance with the permission granted under Regulation 127. There is no doubt that the accident in question had occurred only because the Ventilation Connection had been opened at a distance

of only about 90 to 100 feet from the East Chimney Approach, instead of 200 feet, at which it was sanctioned and if this gallery was an unjustified one, the liability for the accident must be on the persons who had decided this matter. If there could not have been any objection, under the law, for opening this Ventilation Connection, as is the case put forward on behalf of the Management, the persons responsible for opening the gallery may not be liable for the accident, provided, of course, that the extension of No. 4 Incline below 40 feet inclined length of 'K' level was not known to them. If, however, the Ventilation Connection had been opened contrary to the Regulations, these persons will be liable, even if the extent of Incline No. 4 below 'K' level was no known to them.

Immediate Cause of Puncture

146. In the Supplementary Written Statement filed by Party No. 1 (Management), an attempt has been made to indicate how a connection between the Ventilation Connection (of new workings) and the extended Incline No. 4 (of old waterlogged workings) must have taken place on the fateful day. In paragraph 3 it has been stated thus.

> "A hidden sill, well above the roof of the Ventilation Connection gallery, has been found to exist and this created a weak plane along the puncture point. The point from where the coal had slided, the inclination of the floor of the opening has changed indicating thereby existence of certain weak material in between the layers and showing the draw at the time of the sliding. At this point both the sides have been broken in a jig-jag manner indicating breakage by shearing. Parting between the face that was exposed after the blasting and the offending gallery is found to be about 5.5 metres. Existence of geological disturbance, the slicken sides, the foreign material above the roof and weak joint along the floor jointly, severally and concurrently acted together to cause a breakage of 5.5 metres thickness of coal at a pressure of 118 metres head of water against the blind end. This portion has slided down in the form of blocks some of which are still visible at the foot of the sloped gallery. An examination at the spot would indicate the peculiarity, the various structures and the manner in which coal has broken and slided. The structure of the seam at that particular place exposed in conformity in the bedding of the coal seam, which is a plane of weakness due to weak joints."

No doubt the Ventilation connection had gone through a dyke, in its progress northwards; and there is also no doubt that a sill was found along the plane of extended Incline No. 4, but it is difficult to conclude that on 27-12-1975, the parting between the base of extended Incline No. 4 and the roof of the Ventilation Connection had slided down without the action of any human agency.

On the existence and the thickness of the dyke which had been crossed by the Ventilation Connection, and the sill running along the place of extended Incline No. 4, one of the models prepared by the Indian School of Mines, Dhanbad, provides a good and clear representation, as will be noted from a photograph of the same. This model and a second one, both prepared by the School, were of valuable assistance to the Court and the parties throughout the inquiry, as they clarified the three-dimensional aspects of somewhat complicated sets of workings and drivages. According to the note of Inspection of Assessor, Shri G. S. Marwaha, dated 30-1-1976, the dyke was about 80-100 cm thick and the sill was about 15-20 cm thick. In this note, Shri Marwaha had mentioned that at the face of the Ventilation cross-cut, several shot-hole sockets could be seen. He had in fact pointed them out to me during my inspection as well. Therefore, it would be legitimate to infer that some blasting had been done at the face of the Ventilation Connection just before the accident had occurred and that it was this blasting that had caused the intervening block of coal to burst out under the pressure of about 400 feet head of water, making a connection between the extended Incline No. 4 of old workings and the Ventilation Collection gallery.

Ventilation Connection Drivage—Whether New Location justified

147. I now propose to deal with the issue as to whether Regulation 127 stood in the way of opening the Ventilation Connection where it was opened, without taking the Chief Inspector's permission in writing. I take up the matter in the sequence in which the witnesses examined on behalf of the Management have deposed about it, and then I will consider the evidence given by Shri Ohri, who was examined on behalf of the Coal Mines Officers Association of India (Party No. 14).

148. The first witness examined on behalf of the Management, Shri Dipak Sarkar, was asked why this Ventilation Connection was not started in accordance with the original plan and his answer was that:

> "We would have done it according to its original permitted drivage but because of the difficulties experienced in driving the Footwall, this Ventilation Connection was done and it is also within the permitted area of the Plan and the size of pillars conforms with the Regulation..............".

This statement of Shri Dipak Sarkar had to be clarified and so a Court question had followed thus:

> "In your cross-examination, you have used the expression "permitted area". What do you mean by this expression?"

The answer was that as the Management had obtained permission for driving the Footwall gallery for ventilation Connection to the extent of 200 feet, as shown in Plan (Ext. D/1), the new Ventilation Connection could have been driven anywhere within this distance of 200 feet.

149. Shri Ramanuj Bhattacharya, the Manager who was examined subsequently, has also given a similar justification for opening the new Ventilation Connection, when it was put to him that the Ventilation Connection was made in deviation of the permission granted in 1975. Shri Bhattacharya's answer was that since permission had already been taken for a drivage, the Management was working in the permitted area.

150. Shri S. K. Banerjee, the Agent, was examined after the Manager. In connection with the Plan submitted in 1975, he had used the expression "Sanctioned area of No. 1 Horizon East side workings under waterlogged area within 60 metres", and he was asked to explain this expression. His answer was that he meant the drivage of 200 feet × 90 feet.

151. Shri Anand Prasad, the Safety Officer, was examined immediately following Shri S. K. Banerjee and he deposed that the Ventilation Connection, with which we are dealing, came within the purview of the permission granted in 1975. In substance, according to these four witnesses examined on behalf of the Management, the Ventilation Connection which was opened at a distance of 90 to 100 feet from the East Chimney approach, fell within the scope of the permission granted in 1975. I am of the view that this conclusion is unacceptable. The permission given on 29-9-1975 had specifically referred to Plan No. 75/4, dated 3-6-1975 and no other gallery, not shown in the Plan can be said to be falling within the scope of the permission granted.

152. The justification given by Shri J. N. Ohri is somewhat different and will bear repetition. According to him the new Ventilation Connection could have been made in spite of the provisions of the Regulation 127(3), because it was being driven at the same level as the Footwall and Hangwall galleries, and was not in anyway approaching the old water-logged workings. I have dealt with this part of Shri Ohri's statement in connection with the interpretation of Regulation 127 and it is not necessary to add anything more here, except to say that the justification given by Shri Ohri, for making the Ventilation Connection, without referring the matter to the Chief Inspector, does not appear to me to be valid. My conclusion is that the entire evidence given before us, in connection with the opening of the Ventilation Connection is to support an unjustified action.

153. The Management's stand also is that Shri S. C. Batra, Deputy Director of Mines Safety, had come to know during his inspection on 15-12-1975, that the Ventilation Connection had not been opened strictly according to the Plan (Ext. D/1) and that he had not objected. This has been denied by Shri Batra. According to him, the Plan (Ext. D/1) had not been shown to him on that day, and I have no reason to disbelieve him. It appears to me that, for some reason, which matter has been discussed in considerable detail earlier, the Footwall drivage could not be proceeded with after it had been driven for a length of about 90 feet from the east Chimney Approach and the Ventilation Connection was opened at an unauthorised place to join the Hangwall drivage and the Footwall gallery.

Liability of the officials at Chasnalla for opening the Ventilation Connection

154. As there is not the slightest doubt that the Ventilation Connection had been unjustifiedly opened, without obtaining necessary permission in writing of the Chief inspector, the liability of the officials of the Company will have to be determined. The relevant portion of the organisational chart has been given earlier from Ext CC. There is no material on record to indicate that, for opening the Footwall drivage and the Ventilation Connection, any reference had been made to and/or permission taken from the General Manager (Materials), posted at Burnpur. According to Shri Ohri's evidence before us, after Shri B. L. Verma, the Chief Mining Engineer posted at Burnpur, had vacated his office with effect from 1-1-1974, AVM Shri A. C. Lal had been appointed General Manager (Materials) and had become the Administrative head of the Collieries establishment. However, so far as the technical duties of Mining Adviser were concerned, the work was distributed amongst the officials at Chasnalla. Therefore, the liability for opening the Ventilation Connection must fall only on these officials.

155. The whole scheme for the Footwall drivage had been formulated at Chasnalla and the change from the original sanctioned scheme was decided there and executed until the accident occurred on 27-12-1975. The liability must, therefore, fall on the shoulders of all or such of the officials at Chasnall,a, who were concerned with the formulation and execution of the altered scheme which led to the accident. As indicated above, the persons concerned with these matters were:

(1) Shri J. N. Ohri, Chief Executive (Collieries).

(2) Shri S. K. Banerjee, Area Manager Chasnalla Collieries (appointed Agent under Mines Act).

(3) Shri Dipak Sarkar, at that time Group Safety Officer and Planning Officer (Mining), as well as Agent (Planning) under the Mines Act, and

(4) Shri Ramanuj Bhattacharya, Manager Chasnalla Collieries.

and their respective labilities must be dealt with now.

156. The posts of Chief Executive (Collieries), Group Safety Officer and Planning Officer (Mining) are not statutory posts under the Mines Act; the duties and responsibilities of the officials holding these posts have therefore to be ascertained from the materials produced before us.

Chief Executive (Collieries): According to the organisational chart (Ext CC), there were 17 departmental heads reporting to Shri Ohri, the Chief Executive (Collieries). Shri Ohri has stated before us that his duties and responsibilities had mainly related to (1) giving policy decisions, (2) giving technical advise, (3) giving guidance on administrative personnel and other connected matters, and (4) dealing with the Unions so far as their Central organisations were concerned or when disputes were raised by their Central Office.

In the "General information and history of the Colliery" supplied to us on behalf of the Management (Party No. 1), the following has been stated in respect of the Chief Executive (Collieries):

"The Mines Department consists of the Ore Mines and the Collieries. Each of these is under a Chief Executive. The Chief Executive (Collieries) located at Chasnalla is responsible to higher management through the General Manager (Materials) for the success and well being of the Company's colliery operations in Bihar and West Bengal and ensuring that coal is raised and washed in adequate quantities and at optimum cost for being made available to the Steel Plant at Burnpur".

The matter is also to be found in the Company Instruction, dated 21st May, 1973, which has been brought on the record as Ext BB.

157. Shri J. N. Ohri has stated before us that the post of Chief Executive (Collieries) was created on 21-5-1973 by the Company, and he was holding this post, alongwith some other statutory responsibilities, till 20-8-1974. With effect from 21-8-1974, Shri Ohri was holding the post of Chief Executive (Collieries) only, which did not have any specific status under the Mines Act or under any connected legislation, such as Ropeways Act and Factories Act.

158. The power of superintendence and control of the Chief Executive (Collieries) under the organisational set-up is to be found in a set of documents brought before us as Ext. 15 series. The first document to be noted in this context is a set of instructions to the officials, given by Shri Ohri as Chief Executive (Collieries), dated 24-4-1974 (Ext. 15/9). In Chasnalla this instruction was sent to Shri R. B. Chattoraj Planning Officer (Engineering), Shri K. L. Luthra the then Agent Chasnalla Colliery and Shri Dipak Sarkar Planning Officer (Mining) and Group Safety Officer at Chasnalla. [At that time Shri S. K. Banerjee was not concerned with Chasnalla Colliery. He was Agent, Teetpur Colliery. He was transferred to Chasnalla Colliery as Senior Manager in July, 1974 and was later on nominated Agent]. The control that the Chief Executive (Collieries) exercised over these posts is to be found in Ext 15/9 as follows:

In the case of the Agent, Chasnalla Collieries the instruction stated as below:—

"if in any matter within the scope of your responsibilities as defined in these instructions, you are unable to secure, that steps are taken which you consider essential to the proper discharge of your responsibilities, it is your duty to bring the matter to the notice of the Chief Executive (Collieries) and thereafter to act in the matter in accordance with his instructions."

In respect of the Group Safety Officer the instructions stated as below:—

"that as far as the responsibility of the Safety Officer is concerned under the Mines Act and Coal Mines Regulations, you will be equally responsible for any violations in this respect. You will, therefore, make routine inspections and report of any dangerous unsafe practice followed in any of the collieries, to the Manager of that colliery and also to the Agent and the Chief Executive (Collieries)".

It also stated that:—

"You will, by your visit to underground workings and also to surface installations shall ensure that various safety provisions laid down under the Mines Act and Coal Mines Regulations and other mining statutes and permissions granted by the Mines Department are strictly complied with. For any contravention in this respect you should bring the same to the notice of the Colliery Manager and the Agent immediately and shall assist them as directed to you in getting the contraventions removed. You should bring all major contraventions to the notice of the Chief Executive (Collieries) also".

In respect of the Planning Officer (Mining), the instructions said as below:—

"If in any matter within the scope of your responsibilities as defined in these instructions you are unable to secure that steps are taken which you consider essential to the proper discharge of your responsibilities, it is your duty to bring the matter to the notice of the Chief Executive (Collieries) and thereafter to act in the matter in accordance with his instructions".

159. It is thus clear that, according to these instructions which had come in force on 1-12-1973, the Chief Executive (Collieries) had extensive authority over the Agent Chasnalla Colliery, the Group Safety Officer and the Planning Officer (Mining). Obviously, based on these instructions, the 17 departmental heads used to report to the Chief Executive (Collieries) as stated by Shri Ohri. So far as the position of the Manager, Chasnalla Deep Mine was concerned, a specific question was put to Shri Ohri by the Court asking him whether he was superior to the Manager of the Deep Mine or not, and his answer was that the immediate superior officer of the Manager of Chasnalla Colliery was the Area Manager/Agent under the Mines Act, and that he was superior to the latter. Also, in the instructions issued to the Agent Chasnalla Colliery, it was said that the appointment to the post of the Manager was to be done by the Chief Executive (Collieries). Another set of instructions dated 1-10-1975 bearing the signature of Shri J. N. Ohri as the Chief Executive (Collieries) has been brought on record as Ext 15/10. By this set of instructions, sent to the D.G.M.S. with a letter dated 1-10-1975 it was stated that two new posts of

Group Erection and Maintenance Engineers had been created and the post of Planning Officer (Engineering) was being abolished. The instructions were to be effective from the same date. In the cross-examination on behalf of Party No. 1 (Management), Shri Ohri was asked about the instructions incorporated in Ext 15/9 and 15/10, and an enquiry was made from him as to whether these instructions were issued on the initiative of the Management only or on the direction and with prior approval of D.G.M.S. According to Shri Ohri, in 1973, the then Director General of Mines Safety had wanted that the duties and responsibilities of all senior staff may be defined and on that Shri Ohri had prepared a chart of the instructions for approval of the D.G.M.S. and, thereafter, these instructions had been approved in the directorate in April, 1974. According to Shri Ohri, the Custodian of the Indian Iron and Steel Company Limited had also approved of Shri Ohri's instructions with certain minor changes. Thus, it is clear that these sets of instructions had emanated from Shri Ohri as Chief Executive (Collieries).

160. In view of overall authority of Shri Ohri, indicated above, there cannot be any doubt that Shri Ohri has tried to minimise the part played by him in 1975, in connection with the opening of the Footwall drivage and the Ventilation Connection. The part played by Shri Ohri is given below, as stated by Sarvashri S. K. Banerjee and Ramanuj Bhattacharya.

161. Shri Ramanuj Bhattacharya has stated that the decision for making the Footwall drivage was arrived at sometime in May 1975, in the office of the Chief Executive (Collieries) Mr. Ohri, where Shri D. Sarkar (Planning Officer) and S. K. Banerjee Agent, were present along with Shri Bhattacharya and one or two Assistant Managers. According to Shri Ramanuj Bhattacharya, when difficulties in making further progress in the Footwall drivage were encountered, he had sought technical advice from Shri Dipak Sarkar and Shri S. K. Banerjee. This was followed by discussions with Shri Ohri and Shri Dipak Sarkar, and it was decided to connect the Footwall gallery with the Hangwall gallery by a cross-connection for Ventilation. Shri Bhattacharya has stated, further that he had informed Shri S. K. Banerjee about the decision taken in the above discussion and, after obtaining his approval for making the Ventilation Connection, instructions were given to the Assistant Manager and the Safety Officer for undertaking the drivage.

162. Shri S. K. Banerjee, examined after Shri Bhattacharya, has given a slightly different version, in respect of the Ventilation Connection but what he has stated about the proposal for the Footwall drivage, is more or less the same. According to him also, it was decided in May 1975 in a review meeting of Shri Ohri, Shri Sarkar and Shri Bhattacharya and Shri Banerjee himself, that a Footwall drivage should be opened to remove the blind ends of Horizon No. 1, and the Chief Executive (Collieries) had advised that an application should be made for this purpose. Regarding the Ventilation Connection, Shri S. K. Banerjee was asked in cross-examination as to when it came to his notice that the Ventilation Connection had been started, at about 90 feet from the Chimney Connection, and his answer was that he had come to know of the starting of the Ventilation Connection (started at a distance of 90 or 100 feet from the Chimney connection) from Shri Bhattacharya, between 9th and 12th November 1975. There can not be, however, any doubt that Shri S. K. Banerjee had also concurred in the opening of the Ventilation Connection with which we are concerned.

163. With respect to the planning of the Footwall drivage, Shri Ohri has also given, more or less, the same picture in his evidence, by saying that the matter had been discussed in detail in May 1975 between himself, Shri Dipak Sarkar, Shri S. K. Banerjee and Shri Ramanuj Bhattacharya. About the opening of the Ventilation Connection, however, Shri Ohri has tried to minimise his responsibility, by giving his own version of it. He has agreed only to the extent, that it was reported to him that there were certain difficulties in the progress of the Footwall drivage and, to solve the difficulties, it was decided to make a connection with the Hangwall gallery. It also appears that at the stage of his cross-examination by Party No. 2, Shri Ohri gave an amended version when he was asked about the decision taken for opening the Ventilation Connection. His actual words are quoted below :

"This was initially reported to me by the Agent (Planning), Shri Dipak Sarkar and the Manager, Shri Ramanuj Bhattacharya and subsequently a decision was taken between the Manager, Shri S. K. Banerjee and Shri Dipak Sarkar, Planning Officer to open a ventilation connection at 100 feet from the Hangwall and when it was referred to me, I concurred with the suggestion subject to the compliance of Regulation 99 while forming the pillars in the area which was already approved for development."

164. While Shri Ohri was being cross-examined on behalf of Party No. 8, he realised that he must minimise his responsibility, even for the Footwall drivage, and he said that after the joint decision taken in May 1975, it was decided that the Agent will make an application to the D.G.M.S. for approval for the Footwall drivage and the original Ventilation Connection, for removing the dead-end of the Hangwall gallery, and that the Agent had done so. According to Shri Ohri, moreover, there was no occasion for him to see the application for the Footwall drivage or the Plan annexed to the same, as the issue was of simple nature. He has also stated that after the permission had been granted on 29-9-1975, he had no opportunity to see the permission letter, and that he had come across these documents only on 29-12-1975 when he was called to Delhi by the Steel and Mines Ministry with all the relevant documents. It is not at all possible to accept these subsequent versions given by Shri Ohri. To test this matter one statement of Shri S. K. Banerjee may be referred to. He was asked as to whether he had any discussion with the officers, either senior or junior, after the 1975 permission had been obtained. His answer may be quoted :—

"In a colliery like Chasnalla every square inch of development is done with the joint discussion in which all the senior officers from the rank of Manager up to the rank of CME onwards participate. In the meeting we discuss every thing in detail before sending any application to D.G.M.S. and after we receive the permission in the review meeting we discuss about the permission letter also."

165. It is impossible to believe that though a discussion had taken place after permission was obtained for the Footwall drivage. Shri Ohri had not acqainted himself with the application, plan and permission of 1975. Shri Ohri's stand that S/Shri Dipak Sarkar, S. K. Banerjee and Ramanuj Bhattacharya had decided to open this Ventilation Connection and that he had merely concurred in the suggestion when the matter had been referred to him, is also an unacceptable stand. I am of the view that without Shri Ohri's prior concurrence and approval, this Ventilation Connection could not have been opened and the main responsibility for it must lie on him.

166. We may also indicate here that from the part taken by Shri J. N. Ohri at Chasnalla in the year 1975, he falls within the definition of "Agent" within the meaning of section 2(1)(c) of the Mines Act. Shri Ohri has mentioned in his evidence some of the specific actions taken by him, even after he had ceased to be the "nominated" owner with effect from 1-1-1974. For instance, Shri Ohri has stated that he had appointed Shri Dipak Sarkar in April 1975 as Agent, as this power was delegated to him by the higher authorities. Shri Ohri has also stated that even after Shri Hiten Bhaya had been nominated as owner, Shri Ohri had continued to perform some of the functions of the owner. Hence there is no escape from the conclusion that Shri Ohri came within the provision of the definition of "Agent" as defined by the Mines Act.

Was there any contravention of Regulation 99

167. Somthing must be said here with respect to the shelter taken behind Regulation 99 of Coal Mines Regulations, 1957. I am confident, that when opening the Ventilation Connection, with which we are concerned, was decided, Regulation 99 had never been in contemplation. It is clear beyond doubt, that the starting point of the Ventilation Connection from the Hangwall gallery side was selected mainly with reference to convenience for proceeding north, to join with the dead-end of the Footwall drivage. If the Footwall drivage had stopped a few metres towards the west of the east, the Ventilation Connection would have been started at the corresponding place of the Hangwall gallery, to the west or the east of the present Ventilation Connection. The calculation made

by Shri Ramanuj Bhattacharya based on the average width of the galleries, in order to take advantage of the 4th set of figures in Regulation 99(4), cannot be accepted. It is not clear as to how Shri Bhattacharya had brought in the concept of "average width of gallery". The figures mentioned in Regulation 99(4) are based on the maximum width of the galleries, and this Regulation makes no reference to average width. Therefore, even if Regulation 99 of the Coal Mines Regulations applies in the instant case, the size of the pillar left between the East Chimney Approach and the Ventilation Connection was smaller than the size required under Regulation 99. Shri Ohri's statement that, while taking the decision to open the Ventilation Connection, Regulation 99 was kept in view, is not supported by any record produced before us and I am of the view that this reference to Regulation 99 made in this inquiry was merely an after-thought, for finding some justification for the situation of the Ventilation Connection made in deviation of the sanctioned plan.

Agent and Planning Officer (Mining)

168. So far as the Agent and the Planning Officer (Mining), were concerned the instructions issued to them had enjoined that they were to see that the provisions of the Mines Act and the Regulations passed thereunder were followed and so, next to Shri J. N. Ohri, the responsibility for opening the Ventilation Connection must fall on Shri S. K. Banerjee the then Area Manager and Agent of Chasnalla Colliery. There is no reason to doubt Shri Ramanuj Bhattacharya's statement that after the progress of the Footwall drivage had stopped (for whatever reason it may have been), he had sought for technical advice from Shri S. K. Banerjee and Shri Dipak Sarkar, and after a discussion of the problem between Shri Bhattacharya, Shri Ohri and Shri Dipak Sarkar it was decided to open the Ventilation Connection. That Shri S. K. Banerjee and Shri Dipak Sarkar had also played a part in the decision to open the Ventilation Connection is also available from the evidence of Shri J. N. Ohri. I have not accepted Shri S. K. Banerjee's view that the Ventilation Connection could be legitimately opened at this particular place, being within the length of 200 feet of the Footwall drivage sanctioned by the Mines Safety Department. Therefore, Shri Banerjee was also responsible for opening this unauthorised gallery.

169. For this very reason, the next person who must be held responsible for the opening of the Ventilation Connection, is Shri Dipak Sarkar. I have not also accepted his view point that the Ventilation Connection had been opened within a permitted area of the sanctioned plan. Therefore, the Planning Officer (Mining) cannot escape his responsibility for this unauthorised Ventilation Connection.

Liability of the Manager

170. The next person whose liability has to be considered is Shri Ramanuj Bhattacharya, the then Manager of the Chasnalla Deep Mine. In my view, his liability for the opening of the unauthorised Ventilation Connection has also been established. The part played by him in May 1975, when the decision for making the Footwall gallery was arrived at, has been mentioned earlier in detail. I have also mentioned how and by whom the Ventilation Connection, with which we are concerned, was approved. There is not one word on the record to indicate that Shri Bhattacharya had, at any stage, complained or even considered that the Ventilation Connection was not in accordance with the Plan, Ext. D/1, which had been submitted under his own signature. On the contrary, Shri Bhattacharya has stated before us that this Ventilaion Connection had been made "in the permitted area", a view point which I have not accepted.

171. As a matter of fact, there are several points against Shri Bhattacharya. One of the main points is that the Plan, Ex. D/1, filed for seeking permission for the Footwal drivage was not at all a correct or sufficinet plan. According to Shri S. K. Banerjee, he had asked the Manager to go through all the past correspondence and prepare a plan for the Footwall drivage; and it is clear that either Shri Bhattacharya had not scrutinised the letters and plans regarding the Hangwall drivage or he had deliberately submitted an inadequate plan in 1975. The plan, Ext. D/1, was more or less, of the nature of the first plan filed in 1971 viz., Ext. D/7, and the latter was not considered to be an adequate plan for the Hangwall drivage proposed in 1971. In the plan Ext. D/1 the Section on A-A was taken at a wrong place, for showing the Footwall drivage. This section should have shown Incline No. 4 also, if it could show the proposed Footwall drivage and the extension of the Chimney Approach in stone going to the north. In view of the letters and plans writen and filed in 1971, it is not at all understandable how a picture of Incline No. 4 was omitted altogether in the section drawn on Ext. D/1. In fact Ext. D/1 gave a lot of data which was not necessary for the purpose for which it was filed, and did not show the data that was necessary to have been shown. For instance, the roof and the floor of the combined seams No. 13 and 14 were not indicated in relation to the portion of the Hangwall drivage which had been made till 1973 and the proposed Footwall drivage.

172. The next point which goes against Shri Bhattacharya is this. From the record it appears that the Footwall drivage had been actually commenced much before the permission for it had been granted on 29-9-1975. This aspect of the matter was elaborately put to Shri Ramanuj Bhattacharya, when the Raising Reports (Exts. H and H/1) were shown to him. He was asked whether the Footwall drivage in the 1st Horizon was being driven, at least as early as the 8th of July, 1975 or not, and his answer was that the Raising Report of that time might relate to the West side working of that Horizon. But when his attention was drawn to the specific wordings against the date 8-7-1975 in Ext. H where the expression "EFW" was recorded, the answer was only that the adjacent area near the Footwall in the East District may have been referred to in that entry. This explanation is not very satisfactory, as in July 1975, the Footwall drivage was supposed to have been in contemplation only and no area adjacent to a future Footwall drivage could have been referred to in a Raising Report entry of that period. The actual entry against the 3rd shift of 8-7-1975 reads as "Material carrying and lifting East Footwall D 8 mucking and supporting", and it could not have referred to any other place than the East Footwall drivage itself. Question with respect to the entry dated 8-7-1975 were put more elaborately later on and all that Shri Ramanuj Bhattacharya could explain further, was that the entry may have referred to some operation such as roof-support work near the entrance to the Footwall. Even this explanation is not satisfactory with respect to an entry of July, 1975, as the permission for the Footwall drivage was given at the end of September 1975 and it should not have been started earlier. Many other entries from Ext. H were shown to Shri Ramanuj Bhattacharya to elicit from him as to how the Raising Reports could refer to work in East Footwall in July and August 1975. According to Shri Ramanuj Bhattacharya, these entries may have wrongly referred to East Footwall, and at that time work was going on in the west side. This explanation of the then Manager is not satisfactory. For instance, he was specifically referred to an entry dated 15th July 1975, in Ext. H, where against the 2nd shift of the East Footwall the following words were recorded.

> "Supporting, drilling & Blasting mucking 7 M.C. from loaders".

This entry did show some work in East Footwall being done in July 1975. Entries against East Footwall, on 16-7-75, also showed some work having been done on that date, including drilling and blasting. With regard to an entry dated 11-8-1975, in Ext. H, for East Footwall, a specific question was put for an explanation of the Bore-hole of a length of 34 ft. in East Footwall; and Shri Bhattacharya's answer was that it might have been in the East Chimney Approach adjacent to the contemplated Footwall drivage. This explanation is not satisfactory. In the entry dated 7-7-1975, in Ext. H, for East Footwall, there is some reference to work done in the first shift and, in a diary of Shri V. M. Bhatnagar, Assistant Manager (who died in the accident), the entry against dated 7-7-1975 reads as follows :—

> "1st Horizon-inspected all the faces of LCE panel. West and East Footwall and found them safe. Ventilation was satisfactory. Stowing being done in 3rd shift LCE".

The diary was exhibited as Ext. C/5, and Shri Bhattacharya was asked to explain how Shri Bhatnagar could have referred to East Footwall in July 1975—more than 2½ months before the permission for this drivage was issued. The substance of Shri Ramanuj Bhattacharya's evidence on this point is that all entries of 7-7-1975 may have referred to some work done in East Chimney Approach near the East Footwall. This explanation is not clear, if we take into consideration the fact that the East Footwall drivage should not have been

been in existence before 29-9-1975 and no work made in East Chimney Approach could have made a reference to a Footwall drivage.

173. It appears to me that Shri Bhattacharya made a futile attempt to show that no work had started in connection with the East Footwall drivage before permission for it had been granted on 29-9-1975.

174. As a matter of digression I may mention here another point whch arose n Shri Bhattacharya's cross-examination. It was put to him that he had made some statement to the Police on the night of the accident and soon after it. To this suggestion Shri Bhattacharya did not agree; his stand was that he did not remember any such matter. In order to contradict Shri Bhattacharya, the Mines Safety Department had to examine Shri C. P. Singh, who was a junior Sub-Inspector of Police attached to the Jorapokhar Police Station, at the time of the accident. A report had been made to the Police Station about the accident under inquiry, at about 3 P.M. on 27-12-1975, and Shri Singh had gone to Chasnalla. A case was reported to him at 4 P.M. by one Logendra Singh and investigation of the case u/s 336 of the Indian Penal Code was taken up by Shri Singh. According to Shri Singh, he had recorded a statement of Shri Ramanuj Bhattacharya at about 1.30 a.m. in the early morning of 28-12-1975. The significance of this aspect of the case is that Shri Bhattacharya has deposed before us that on 27-12-1975 he had not gone to Horizon No. 1 and had gone only to Horizon No. 2 on that day, whereas in the Police Statement (Ext. Q) it is mentioned that Shri Bhattacharya had told the Police that he had gone to Horizon Nos. 1 and 2 on the day of the accident. I am clearly of the view that Shri Bhattacharya must have gone to the first Horizon on 27-12-1975 and his contrary stand taken before us must meet with disapproval. However, this matter is not directly connected with the question of Shri Bhattacharya's liability under consideration, but the reasons given earlier, I must conclude that Shri Ramanuj Bhattacharya, the then Manager of the Deep Mine, was also liable for the opening of the unscheduled Ventilation Connection in which the accident under inquiry occurred.

175. Plans which were part of Document of Title. Not produced.—Another matter that needs to be dealt with is, that inspite of best efforts some plans required by the learned Counsel for the Mines Safety Department from the Management, were not made available. It was stated before us that when the Chasnalla Mine (with other properties) was transferred to IISCO in 1938, a set of six plans had been made part of the document of transfer. These plans were required in this inquiry, to find out the state of underground working at the time of the transfer. This matter was argued in Court by learned Counsel and the Management was asked by us to produce these plans which were part of the document of Title of IISCO, but the documents were not available. It was said that, in spite of a search for the documents, they could not be found. We considered it to be a strange state of affairs, if a part of a document of title itself was missing and could not be made available in this inquiry. We expect that the higher authorities would investigate this matter.

176. Was there prior knowledge about the long dipward extension of No. 4 Incline.—As this unauthorised Ventilation Connection got connected with the extension of Incline No. 4, a point has been mooted before us, on behalf of the Mines Safety Department, that the officials of the IISCO, specially Shri J. N. Ohri and Shri Dipak Sarkar, had been aware of the fact that Incline No. 4 had come down the seam, much more than the 40 feet (inclined distance) indicated by plan Ext. D/4. In an attempt to bring this point home, an ex-Surveyor of Chasnalla Colliery, Shri S. Sarkar, was examined on commission, on behalf of the Mines Safety Department. It had been mentioned to the Court of Inquiry at that stage that, Shri S. Sarkar, ex-Surveyor, was too old and too ill to leave his house (in Asansol) and to come to Court for being examined as witness. This examination on commission was open to every one who wished to attend, and, as a matter of fact, many of the parties took part in it and in the subsequent cross-examination. The substance of what Shri Sarkar had stated was that, to his knowledge, Incline No. 4 had gone below 'K' level to the extent of about 85 feet and that, four or five years before 1976, he had been called to Burnpur by the then Superintendent, Shri B. L. Verma (Shri B. L. Verma became the C.M.E. later on) and in the talks that Shri Sarkar had with Shri Verma at that time, Shri Sarkar had informed Shri Verma that Incline No. 4 had extended below 'K' level for more than 80 feet. According to Shri S. Sarkar, ex-Surveyor, Shri J. N. Ohri and Shri Dipak Sarkar were also present at the time of the conversation. This assertion was categorically denied by Shri Ohri, in Court, when he stated that, after Shri S. Sarkar's retirement, Shri Ohri had never met the ex-Surveyor in Shri B. L. Verma's office at Burnpur. When examined as a Court Witness, Shri B. L. Verma was also asked about this matter and he also denied Shri S. Sarkar's version about the alleged talk at Burnpur. In such circumstances, it will not be possible to rely on the evidence given by Shri S. Sarkar, ex-Surveyor, about his giving any information to the IISCO officials about the extension of Incline No. 4, below 'K' level, to the extent of about 80 to 85 feet.

177. For this very reason it will also not be possible to rely on S. Sarkar's evidence based on the Plan (Ext. 2), where some dotted lines in pencil appear below 'K' level. I, therefore, do not propose to hold against Shri J. N. Ohri and Shri Dipak Sarkar that they actually knew that Incline No. 4 had gone much more below 'K' level, than 40 feet (inclined distance), as is indicated by Ext. D|4.

178. In this context, I propose to reiterate a matter touched by me earlier, namely, the suggestion made in the Project Report for keeping the old workings above Horizon No. 1 de-watered, to minimise water percolation in to the New Mine. In the History of the Colliery supplied by the Management (Party No. 1), it has been mentioned that when an attempt to dewater the old workings of 3/4 Inclines was made in 1967, the coal left in the old workings became susceptible to fire and so the level of water was never allowed to fall below 'C' level roof. It has been added that office of the Chief Inspector of Mines had also insisted that the area be kept drowned. Shri B. L. Verma stated before us in this connection that, after the dewatering operation had been given up, the D.G.M.S. had again been approached, after a lapse of about a year, for permission to start the dewatering operation, but that permission was not granted. This matter has been denied on behalf of Party No. 8, and I find that there is no material on record to support the stand taken by Party No. 1 in this respect. At the time of argument, learned Counsel for Party No. 8 showed us a report, dated 4-10-1967, said to have been made at that time by Shri A. N. Sinha, then a Joint Director of Mines Safety, in which there was some reference to this matter. Our attention was also drawn to a letter, dated 23rd December, 1967, said to have been written by Shri T. C. Anand, the then Deputy C.M.E. of IISCO to the Director of Mines Safety, Northern Zone, which also had dealt with the matter of dewatering of 3|4 Incline workings. The letter of Shri T. C. Anand had not been formally brought on the record, but the report of Shri A. N. Sinha is part of Annexure XI of the Statutory Report of Shri S. P. Gaguly, from this report (paragraph 6.2. Volume I) it is clear that, after the dewatering had been given up in 1967, the 3/4 Incline workings were kept water-logged utilising the water for town water supply. So it is not possible to conclude that 3/4 Incline workings were kept water logged at the instance of the Mines Safety Department. It must be taken that the first Horizon at the location below 3/4 Incline old workings was being worked (may be, for the purpose of development of the 2nd Horizon) at the risk of the local management, and the four local officials of the Colliery mentioned above must be saddled with the liability for the accident, when they departed from the plan sanctioned in 1975.

179. It may not be out of place to mention at this stage that this Court had enquired from Shri B. L. Verma as to whether the Management of Chasnalla Colliery had maintained a daily record of water percolation or leakage in the galleries of the first Horizon, below the water-logged workings of 3/4 Incline, and his answer was that, as far as he remembered, no record of water percolation was maintained. Therefore, it is difficult to appreciate how, though No. 3/4 Incline workings were not dewatered, as had been suggested in the Project Report, no record of water percolation in East District of 1st Horizon from the water-logged area was maintained.

180. My final conclusion is that considering the situation of the East District of Horizon No. 1, in relation to the west accumulation of water in the old 3/4 Incline workings above, the departure made from the sanctioned plan (Ex-

hibit D|1) in making the Ventilation Connection where the accident had occurred, was in utter disregard of the safety of the mine and the accident in question must be considered to have occurred due to the carelessness of Sarvshri J. N. Ohri, S. K. Banerjee, Dipak Sarkar and Ramanuj Bhattacharya as discussed earlier.

181. Dewatering of the Deep Mine after the accident and rescue operations following it.—After the accident an Advisory Team had been constituted to review the progress of recovery work and for giving guidance and assistance, consisting of the following persons :

1. Shri R. N. Sharma, M.P.
2. Director-General of Mines Safety.
3. Director, Indian School of Mines.
4. Director, Central Mining Research Station.
5. Vice-Chairman-cum-Managing Director, BCCL.
6. General Manager, IISCO, Burnpur.
7. A representative of CMPDI.
8. AVM Shri A. C. Lal, G.M. (Materials).

Shri U. N. Jha, the then Chief Mining Engineer, BCCL had been placed in over-all charge of the pumping operations. Shri S. P. Ganguli has mentioned about the dewatering of the Deep Mine from 28-12-1975 onwards in Chapter VI, Vol. I of his Statutory Report and, in Annexure 6A of Vol. II of the same Report, a table has been given showing the progress of dewatering operations from 28-12-1975 to 6-2-1976. It appears that Horizon No. 1 had become approachable, after dewatering, in the early morning of 19-1-76, and that Horizon No. 2 was exposed in the early morning of 6-2-1976. It appears from Shri Ganguli's report that Polish and Russian pumps had been received for pumping out water, and as a matter of fact, a team of Russian Experts had also come to assist in the installations of their pumps. Four Russian submersible pumps had been put into commission in No. 1 Pit by 13-1-1976, and a 5th Russian submersible pump was kept as stand-bye. It appears from the same report that after Horizon No. 1 had become available for exploration and recovery works, the work of dewatering Horizon No. 2 had started on 28-1-1976 with the help of Russian pumps as well as indigenous ones. In view of what has been stated in Shri Ganguli's Statutory Report, and from what I personally noticed during my local inspection on 18-1-1976, the assistance given by Russian and Polish Engineers for pumping out water from the Deep Mine, under extremely adverse circumstances, should be acknowledged with gratitude.

Recovery of Bodies

182. So far as recovery of the bodies of the unfortunate victims was concerned, not much could be done in the circumstances mentioned above as no one had any chance to survive inside the Deep Mine. In the Rescue operations which had followed the dewatering only skeletons and bones could be recovered. The first team was sent down through Pit No. 2 inthe morning of 19-1-1976 and five bodies (or what was left of them) could be located around the pit bottom on that day. One of the bodies could not be identified and one was identified as that of Kartar Singh, Tyndal, by his wife. It appears that the identification was made mostly from Cap Lamp numbers and, as many of the remains of the bodies did not have any Cap Lamp, they could not be identified. Some of the bodies were identified by their wearing apparel and/or by some materials like key, knife, etc., found on the remains of the body. All details have been given in Shri Ganguli's Statutory Report in Annexure XIV (Addendum to Vol. I, Chapter IX). In Annexure XIV, 400 items (of skeletons and bundles of bones) have been mentioned, and this issue has been discussed in the following Annexure numbered as Annexure XV. This Annexure is an extract from the minutes of the meeting of a Reconciliation Committee constituted of the Deputy Commissioner, Dhanbad District, the Civil Surgeon, Dhanbad, the Director of Mines Safety, Northern Zone, the Medical Officer of Chasnalla Colliery and its Assistant Personnel Manager held on 19-5-1976. According to the opinion of the Reconciliation Committee incorporated in this Annexure, the number of bodies recovered up to that day was somewhere between 374 to 380. As mentioned in the earlier part of this Report, it is now taken that 375 persons were involved in the accident of the 27th December, 1975, and I have no reason to disagree with this figure.

Acknowledgement

183. I am greateful to the former President of the Central Coal Mines Rescue Stations Committee, Shri A. N. Sinha and to his successor in office, Shri Chandra Prakash, for the use of the premises of the Central Coal Mines Rescue Stations Committee, at Dhansar, for this long enquiry, including all the facilities available at the institution. I am also grateful to the Superintendent of the Mines Rescue Station at Dhansar, Shri R. K. Ghosh, for the use of the Guest House, in its campus, for my stay, whenever I came to hold the inquiry.

I acknowledge the assistance given to me by the representatives of the parties appearing in the Inquiry and by the Counsel appearing for them. Whenever any assistance was required from Shri J. B. Lala, Public Prosecutor, Dhanbad, he came forward to render assistance and I must acknowledge the assistance given by him. I also acknowledge the assistance given by Shri Satinder Kumar, Deputy Director of Mines Safety for making arrangements for holding the Court of Inquiry and for providing all facilities required by us from the Directorate of Mines Safety. I must also thank Shri Tapan Kumar Mazumdar, Deputy Director of Mines Safety, for the preparation of the Plans which are annexures to this Report.

I am grateful for the continued assistance given by the three Assessors nominated by the Central Government. They were as keen as myself, to ascertain the facts and circumstances connected with the accident in question, and I had their full cooperation during the Court proceedings and in the preparation of this Report.

I also acknowledge the assistance given to us by Shri Promode Kumar Verma, a Deputy Director of Mines Safety who had acted as the Secretary of this Court of Inquiry for sometime and Shri Satpal Singh who had then taken over as Secretary. Shri Satpal Singh's able assistance was commendable. In the end I must also acknowledge the unstinted efforts of Shri Maheshwar Prasad Sinha, Private Secretary and Shri Birendra Pratap Singh, Personal Assistant, in the course of the Inquiry and for the preparation of this Report, as well as the ungrudging assistance given by the Stenographers of the Directorate-General of Mines Safety, namely, Sarvashri Bagala Kumar Mukherjee, Kalyan Kumar Mallik, Maha Prasad and Ananga Bhusan Banerjee, for recording the deposition of witnesses.

Recovery of Expenses. .

184. In view of my conclusion that the accident of the 27th December, 1975 had occurred due to the fault and carelessness of Sarvashri Jitendra Nath Ohri, Samir Kumar Banerjee, Dipak Sarkar and Ramanuj Bhattacharya of Chasnalla Colliery, an order must be passed for recovery of expenses of this Inquiry.

The Court of Inquiry directs that the expenses of the Court of Inquiry be recovered from the owner of the mine, namely, Indian Iron and Steel Co. Ltd. This will include the expenses incurred for and on behalf of the Member, Chasnalla Court of Inquiry and the three Assessors nominated by the Government as well as the expenses incurred by the Directorate-General of Mines Safety for recording the deposition of witnesses and for the preparation of this Report. The expenditure incurred on these items will be calculated by the Chief Inspector of Mines for consideration of the Court of Inquiry, as soon as possible. After the expenses are quantified by the Court the same must be deposited by the Indian Iron and Steel Co. Ltd. in the Government Treasury, Dhanbad, in favour of the Central Government, under the appropriate head, within six months of the quantification.

Dated, the 24th March, 1977.

Sd/-

U. N. SINHA, Former Chief Justice,

PATNA HIGH COURT

CHASNALLA COURT OF INQUIRY

I have read the report and I have nothing to add.

Sd/-

C. KARUNAKARAN, Assessor

OBSERVATION BY ASSESSOR PROF. G. S. MARWAHA IN RESPECT OF THE ACCIDENT THAT OCCURRED AT CHASNALLA COLLIERY ON 27-12-1975.

1. While I concur in general with the findings of the Court of Inquiry and its recommendations, I would like to take the opportunity to refer to an undesirable trend that becomes evident in most cases of Court of Inquiries and that has been pointedly referred to in this Report: the pronounced tendency to hide the facts and falsify the truth. The basic purpose of holding the inquiry is to discover facts; there is expected to be no prosecutor and no accused. This objective tends to be greatly vitiated by the tendency of some parties to blame others; and this in turn results in the latter trying to tamper with facts or to distort them and to try to involve still other parties in the liability. It needs to be remembered that the Court of Inquiry set up under the Mines Act is a fact-finding body and that it is not expected to pronounce any sentence against any party. If this could be kept in mind, the odds against finding the truth would become very much better than they actually are.

In the atmosphere of mutual allegations and counter-allegations, accusations and counter-accusations it was no wonder that the Management had somehow managed to secure highly confidential documents of the D.G.M.S. and presented the same before the Court. Nonetheless, the situation was somewhat surprising and requires some explanation.

2. The inquiry also brought into focus the deplorable lack of written records about even important decisions taken in discussions/review meetings in the instant case, including those relating to important deviations from the Project Report. While no Project Report can be taken to be sacrosanct, it would appear highly desirable for a record to be kept of the reasons for major deviations and of the persons who participated in the decision making process.

3. An equally disturbing facet was the somewhat general disregard for important statutory provisions that emerged during the inquiry. The fact of drivages having been started much before permission for the same had been received, has been clearly brought out in the Report and also the fact that serious deviations were made from the terms of the statutory permission. In the instant case, there can be little doubt that there must have been significant increases in the make of water while the Footwall gallery was being driven right under No. 4 Incline extension, with only about 5 ft. of parting, and also when the Ventilation Connection had crossed the Dyke. There can also be little dobut that these must have come first to the knowledge of the first-line supervisors and later on to that of the senior officers. That these warnings went unheeded, leading to disastrous results, says something about general attitudes towards safety. May be, the mining community lives so constantly with serious hazards that a sense of complacence, or even of fatalism, tends to creep in. But that is all the more reason why safety attitudes be strongly and constantly inculcated, and the defences against hazards strengthened. Eternal vigilance is indeed the price for safety.

4. The most potent tool for ensuring safety is that of internal audit. The vital importants of such audit has been brought out clearly and forcefully by Shri R. C. Dutt in his Report of Inquiry into the Jeetpur disaster of 1973. The main point where internal audit scores over external inspection is that, being nearer to the scene of action, it is better aware of the true state of things—whether they be physical or engineering conditions, or whether they may be practices and attitudes. What is important, however, is for this voice of conscience to be given serious heed and not to be stilled. Internal Audit can be neglected by the concerned organisation only on its peril and it can be really effective only if it is a really high-level one and has some "teeth". The penalty for neglecting safety must be increased considerably if the lives of those who serve the nation through adopting the highly hazardous profession of mining are to be safeguarded, as indeed they must be.

And herein comes the need to associate with internal audit, the party that has the most at stake, the workers themselves. Participative management can not have any meaning in the mining industry if it does not include safety.

5. The number of persons involved in the Chasnalla disaster has been a subject of wild conjecture in the Press and otherwise. The important issue of determining the exact number from the skeltons and bones collected from the mine after complete dewatering (including shafts), at that time itself had been referred to a "Reconciliation Committee" constituted under the Deputy Commissioner himself, with the Civil Surgeon as one of the members. The figures arrived at by this Committee closely tally with the figures emerging from the attendance registers and the cap-lamp issue records. In fact, the number of families coming forward to claim compensation was marginally lower. I would, therefore, concur particularly with the Court when it mentions that it had no reason to disagree with the figure of persons killed in the accident arrived at by the Reconciliation Committee.

6. In the end, I would like to refer to the unfailing consideration and courtesy extended by the Court to not only the Assessors but to one and all who participated in the inquiry. The patience and forbearance shown by the Court throughout and at all times was indeed exemplary.

Sd/-

PROF. G. S. MARWAHA, Assessor to the
Chasnalla Court of Inquiry and Director
Indian School of Mines, Dhanbad.

OBSERVATION OF SHRI DAMODAR PANDEY ASSESSOR

While I agree in general with the report, I would like to emphasise that a general trend is noticed in the administration of the Department of Mines which has not lived up to the expectation of the Public and more particularly the mine workers in the country. For the Coking Coal needed in the country, it has got to be mined from deeper mines, involving more risks and hazards. Even without going further deep down the surface the existing prestigious and hazardous mines like Chasnalla and Sudamdih costing crores and crores of rupees even in precious foreign exchange required better attention from them. It was all the more necessary since altogether foreign technology was imported for mining methods in these mines. But as was known during the evidence the department has neither the manpower nor a clear approach for future to overcome the difficulties. There were less inspection of this mine because adequate inspecting officers were not available with the department. The production of coal and other mineral has increased by 1¼ times in the country during the last five years but the total number of inspecting officers have reduced in the Department. It would be of particular interest to know the some observations of Mr. S. S. Prasad the then Chief Inspector of Mines as it came out during his evidence.

2. It come out in the course of his statement that, so far as he could remember, the total number of posts of Inspecting Officers in the Inspectorate, that is to say, the Directorate-General of Mines Safety, was about 110. According to Shri Prasad, on an average there had always been vacancies of 25 officers, since he took over as Chief Inspector of Mines on 26-8-1974. Shri Prasad had further said that the present position was almost the same, except that a number of officers had tendered resignation and a few officers had asked for voluntary retirement and all these cases were pending in the Ministry. In reply to a question as to what efforts were being made to fill up the vacancies, Shri Prasad stated that efforts were being made on a very large scale, following the recommendations of the Safety Conferences and a number of recommendations of the various Court of Inquiries in the past, to strengthen the Directorate-General of Mines Safety and whenever the D.G.M.S. found occasion, proposals were submitted to the Government, which were under their active consideration.

3. After this evidence had been given by Shri S. S. Prasad, a chart was prepared on behalf of the Directorate of Mines Safety (Party No. 8) and Shri Prasad was asked whether the chart represented the true state of affairs or not and

his answer was that so far as he could say, the chart did. This chart has been brought on record and marked as Exhibit C.W. 6. According to this chart, the number of vacancies on 14-11-1976 was 29. The largest vacancy seems to be in the category of Deputy Directors. The chart will indicate that as on 26-8-1974, the sanctioned strength of Deputy Directors was 54 and the existing strength at that time was 51. On 14-11-1976, the sanctioned strength of Deputy Directors was increased to 61, but the existing strength came down to 48. The regular inspections of the mines are made by officers of the category of Deputy Directors and hence the vacancies existing in that category are sure to affect regular inspection. I would, therefore, recommend to the Ministry concerned, that this matter may be looked into, with a view to removing the grievance of the Directorate-General of Mines Safety with respect to the existing vacancies of all kinds. Regular inspection of the mines is a major concern of the mine workers and I consider it to be my duty to make this recommendation, after following the course of this important inquiry as an Assessor. I am enclosing a copy of Court Exhibit No. C.W.-6 as on Annexure to my observations.

Dated the 2nd April, 1977.

Sd/-
DAMODAR PANDEY

ANNEXURE CW-6

SYNOPSIS OF VACANT POSTS

(As on 14-11-1976)

Directorate-General . .	1	w.e.f. 26-8-1974
Deputy Director . . .	13	one from 28-10-75 one from 24-11-75 one from 15-1-76 six from 10-5-76 four from 24-7-76 (AN.)
Asstt. Director . . .	6	Three from 26-8-74 one from 17-1-76 one from 7-2-76 one from 9-2-76
Deputy Director (Elec.) .	6	one from 28-10-75 one from 1-12-75 one from 1-2-76 two from 10-5-76 one from 24-7-76 (AN)
Deputy Director (Mech.) .	3	one from 15-9-75 one from 1-3-76 one from 10-5-76
TOTAL . . .	29	

Statement showing the sanctioned and existing strength of Group 'A' and Group 'B' Officers connected with Inspection of Mines

	D.G.		D.D.G.		DIR		JT.DIR		DY.DIR		AD		J.D.(EL)	
	SS	ES	SS	ES	SS	ES	SS	ES	SS	ES	SS	ES	SS	ES
Position as on 26-8-74	1	..	1	1	7	7	23	23	54	51	14	4	..	..

DD(EL)		JD(Mech.)		DD(Mech.)		Total Vacancies
SS	ES	SS	ES	SS	ES	
12	11	..	..	4	2	16+1=17

	D. G.		D. D. G.		DIR		JT.DIR		DY.DIR		A.D.		JD(EL)	
	SS	ES	SS	ES	SS	ES	SS	ES	SS	ES	SS	ES	SS	ES
Position as on 14-11-76	..	..	..	..	9	9	26	26	61	48	14	8	2	2

DD(EL.)		JD(Mech.)		DD(Mech.)		Total Vacancies
SS	ES	SS	ES	SS	ES	
14	8	1	1	5	2	28+1=29

ABBREVIATIONS USED

SS—Sanctioned Strength.

ES—Existing Strength.

Statement showing position of vacant posts filled in by promotion/recruitment

Name of post	Date of vacancy	No. of posts available	No. of applications received	No. of candidates called for interview	Date of interview	No. of candidates selected
1	2	3	4	5	6	7
Director General of Mines Safety	26-8-74	..	..	..	..	..
Dy. Director General of Mines Safety . . .	13-10-76	1	..	..	..	..
Director of Mines Safety	28-10-75	1	..	..	..	..
	10-5-76	1	..	..	..	..
Jt. Director of Mines Safety	28-10-75	1	..	..	..	..
	10-5-76	2	..	..	..	..
Dy. Director of Mines Safety	26-8-74	3	Not available	N.A.	N.A.	1
	23-9-74	1	..	..	..	..
	28-2-75	1	..	..	..	..
	28-4-75	1	..	..	..	..
	31-5-75	1	..	..	..	..
	28-10-75	1	..	..	..	..
	24-11-75	1	..	..	..	..
	15-1-76	1	..	..	..	..
	10-5-76	6	N.A.	N.A.	N.A.	5
	24-7-76 (AN)	4	..	..	..	..

No. of candidates joined with date	No. of candidates left with date	No. of officers applied for voluntary retirement	No. of Officers applied for outside posts	No. of Officers selected for appointment in outside posts	Remarks
8	9	10	11	12	13
..	26-8-74	..	..	1	Vacant
	..	..	..	..	Transferred to Ministry and re-designated as Tech. Adviser.
..	..	..	..	..	By promotion from Jt. Director.
1-5-76	..	..	..	..	By promotion from Jt. Director.
24-7-76 (AN)	..	..	..	..	By promotion from Dy. Director.
24-7-76 (AN)	..	..	..	..	By promotion from Dy. Director.
24-7-76 (AN)	..	..	9	9	*By promotion from Asstt. Director.
One on 17-1-75*	23-9-74	..	..	..	By resignation.
&	28-2-75	..	..	..	By resignation.
One on 17-3-75	28-4-75	..	..	..	By resignation.
..	31-5-75	..	..	..	By resignation.
..	..	..	..	..	New post created.
..	24-11-75	..	..	..	By resignation.
..	..	..	..	..	Resultant vacancy due to promotion.
..	..	..	..	..	*By promotion from Asstt. Director.
..	..	..	..	..	Resultant vacancy due to promotion.
..					
One on 17-1-76 One on 7-2-76* One on 9-2-76 (AN)* One on 21-4-76 One on 23-4-76					
..					

1.	2	3	4	5	6	7
Asstt. Director of Mines Safety	26-8-74	10	21	12	14-8-73	2
	17-1-75	1*	N.A.	N.A.	N.A.	1
	7-2-76	1*	67	46	Aug. 75	5
	9-2-76	1*	N.A.	14	July 76	1
Dy. Director of Mines Safety (Electrical)	26-8-74	1	..	..	..	..
	15-9-75	1	N.A.	N.A.	N.A.	1
	28-10-75	1	..	..	..	..
	1-12-75	1	..	..	..	..
	1-2-76	1	..	..	..	..
	10-5-76	2	..	..	..	..
	24-7-76	1	..	..	..	..
Dy. Director of Mines Safety (Mechanical)	26-8-74	2	N.A.	N.A.	N.A.	2
	15-9-75	1*	..	..	..	1
	1-3-76	1+	..	..	..	..
	10-5-76	1@	..	..	..	..

8	9	10	11	12	13
One on 13-3-75	..	..	..	..	The other candidate did not join.
19-5-75	..	..	..	..	*Due to promotion to the post of Dy. Director.
18-3-76 7-6-76 16-6-76 18-6-76 5-8-76	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	The offer of appointment is awaiting completion of formalities. Post abolished by the Ministry vide letter dated 8-1-75.
..	..	..	1	1**	Not yet released.
..	..	..	..	..	New post created.
2-8-76	..	..	..	..	By promotion from D.D.(Elect.) to J.D. (Elect.).
..	..	..	..	..	-do-
..	..	..	..	..	New post created.
..	..	..	..	..	By promotion from DD(E) to JD(E).
..	15-9-75	..	..	..	By resignation.
..	..	..	..	..	*Due to resignation of D.D. (Mech.)
One on 20-8-75 & other on	..	..	..	..	+Due to promotion from D.D.(M.)
1-12-75	..	..	..	..	@New post created.
..					
(declared medically unfit).					
..					
..					

ANNEXURE A

List of the persons died in Chasnalla Mine accident on 27-12-75 (1st Horizon)

Sl. No.	Name	Designation	Personal No.
1.	V. Upadhaya	Overman	9591
2.	S. K. Nisad	Mining Sirdar/Shotfirer	9588
3.	K. P. Sarkar	Do.	9672
4.	Nandji Singh	Underground Traffic Munshi	9638
5.	Tripurari Singh	Onsetter	5428
6.	Abdul Quim Ansari	Loco Driver	6571
7.	Puna Bouri	Drifter	6486
8.	Sur Bahadur Chatri	Do.	5775
9.	Ram Chandra Acharya	Do.	5492
10.	Ram Bahadur	Do.	5859
11.	Toy Nath Sharma	Do.	5784
12.	Matabar Rai	H.T. Pump/Haulage Khalasi	5896
13.	Bhim Mahato	Tyndal	5505
14.	Ratan Singh	Drifter	5372
15.	Bhujangi Choudhury	Tyndal	6348
16.	Ram Singh	Do.	5981
17.	Sheobalak Ram	Tyndal Supervisor	5008
18.	Jiten Singh	Drifter	5374
19.	Jadav Mahato	Underground Trammer	5147
20.	Jawed Ahmed	Mech. Fitter	6070
21.	Vijay Bahadur Singh	Do.	6612
22.	N. K. Banerjee	Electrician	5017
23.	P. C. Das	Do.	5954
24.	Md. Siraj	Mech. Helper	5971
25.	Md. Mikail Ansari	Do.	7182
26.	Laxman Rabidas	Prop Mistry	5160
27.	Ashok Kr. Dutta	Battery Charger	7021
28.	Ram Prasad Mistry	Barricading Timber/ Prop Mistry	7076
29.	Sewa Mahato	Do.	7114
30.	Balkaran Ram	Stowing Barricading/ Supp. Gang.	6398
31.	Bishnu Gorai	Do.	6944
32.	Dhiran Mandal	Do.	7062
33.	Ghuran Prasad	Do.	6904
34.	Halim Khan No. 2	Do.	6374
35.	Lok Bahadur Sarkhi	Do. (Semi Skilled)	6368
36.	Md. Rafi	Do.	6927
37.	Narayan Ch. Mukhi	Do. (Semi Skilled)	7094

1	2	3	4
38.	Mathan Mandal	Supp. Gang (Semi Skilled)	5895
39.	Ram Surat Singh	Do.	6384
40.	Nand Lal Mahato	Dev. Face Worker	7048
41.	Kali Bouri	Drifter	6685
42.	Satish Mahato	Timber Steel/Prop/ Stowing Maz.	6482
43.	Rameshwar Mahato	Auxiliary Fan Attendant	7123
44.	Bali Oraw	Dev. Face Worker	6690
45.	Surendra Gope	Drifter	6258
46.	Sibnath Yadav	Timber/Steel/Prop/ Stowing Maz.	6866
47.	S. K. Quamuddin	Dev. Face Worker	6369
48.	Tapeshwar Barhi	Do.	6650
49.	Surendra Majhi	Drifter	5840
50.	Ali Mia	Dev. Face Worker	6846
51.	Mohd. Islam	Conveyor Attendant	6893
52.	Pawan Mahato	Unskilled Mazdoor	7314
53.	Prahlad Ojha	Trammer/Conveyor Attendant	5572
54.	Madan Rai	Stowing Fitter	6417
55.	Abhimuniya Bisai	Loader	90832
56.	Abhimuniya Khatai	Do.	90827
57.	Sambhu Nath Sethi	Do.	90815
58.	Budhai Munda	Do.	90829
59.	Gendra Munda	Do.	90819
60.	Farid Ansari	Do.	90835
61.	Rajak Ansari	Do.	90841
62.	Ishwar Yadav	Do.	90817
63.	Tarapada Mandal	Do.	90906
64.	Bandhan Gope	Pick Miner/Loader	6959
65.	Mohd. Munir	Contract Labour	
66.	Hasmu Khan	Do.	
67.	R. Rao	Do.	
68.	Ram Lal Ram	Do.	

For the Management
Sd/-
Illegible (Advocate)
28-1-1977

For the DGMS
Sd/- (H. S. AHUJA)
Director of Mines Safety
29-1-77

List of the persons died in Chasnala Mine accident on 27-12-1975 (2nd Hoz.)

Sl. No.	Name	Designation	Personal No.
1	2	3	4
1.	S. K. Chatterjee	1st Class Asstt. Manager	
2.	V. M. Bhatnagar	Do.	
3.	B. N. Mukherjee	Shift Asstt.	9720
4.	S. C. Dubey	Drivage Foreman	9132
5.	N. D. Mondal	Mech. Foreman	9475
6.	Md. Abdul Rahman	Do.	9419
7.	Y. K. Gupta	Sr. Overman	9300
8.	U. C. P. Sinha	Head Overman	9136
9.	J. Narayan	Overman /Shotfirer	9607
10.	Udit Narayan Singh	Mining Sirdar/Shotfirer	9691
11.	M. M. Chakraborty	Mining Sirdar	9143
12.	S. K. Chatterjee	Do.	9476
13.	F. K. Chakraborty	Overman/Shotfirer	9521
14.	R. K. Pandey	Mining Sirdar/Shotfirer	9440
15.	J. R. Das	Do.	9553
16.	R. N. Mukherjee	Do.	9590
17.	P. R. Pathak	Onsetter	5357
18.	Sarju Prasad	Do.	5363
19.	Dwijopada Ojha	Onsetter	5415
20.	Udit Chowdhury	Drifter	6248
21.	Bhuneshwar Mistry	Drifter/Timber Mistry	5669
22.	Abdul Ansari	Drifter	5914
23.	Charku Singh No. 2	Do.	5875
24.	Dindayal Pandit	Do.	5382
25.	Guha Bahadur Tamang	Do.	5878
26.	Kuyar Kumar	Conveyor Attendant	6861
27.	Arjun Singh	Drifter	5894
28.	Amodo Mali	Drifter	5822
29.	Jyoti Bouri	Do.	5811
30.	Kisto Bouri	Do.	5555
31.	Shyam Bahadur Thapa	Do.	5476
32.	Ram Chandra Gorai	Do.	5388
33.	Ganga Bahadur Chatri	Do.	5662
34.	Rambhajan Saw	Do.	5663
35.	Salam Singh Lama	Do.	6405
36.	Jiten Singh No. 2	Do.	5712
37.	V. Muniratnam.	Do.	5442
38.	Dilawar Ali	Do.	5674
39.	Kailash Das	Prop Mistry	5768
40.	Nathu Das	Drifter	5847
41.	Md. Akbar	Do.	5404
42.	Chitra Bahadur Chatri	Do.	5458
43.	Moti Lal Mahato	Do.	5912
44.	Sambhu Mistry	Do.	6262
45.	Rajgir Mahato	Do.	5747
46.	Majahir Ansari	Do.	5397
47.	Tul Bahadur Sonar	Do.	5464
48.	Sita Ram	Do.	5381
49.	Abdul Kurban	Do.	5403
50.	Dil Bahadur Newar	Do.	5871
51.	Kishun Chamar	Do.	5813
52.	S. K. Suloman	Do.	5486
53.	Nasiruddin	Do.	5401
54.	Jamaluddin	Do.	5400
55.	Indrabir Sarkhi	Do.	5478
56.	Md. Safi	Do.	6118
57.	Idrish Ansari	Do.	6694
58.	Kasmir Singh No. 2	Tyndal	6286
59.	Kasmir Singh No. 3	Drifter	6579
60.	Chanchai Singh	Tyndal	5781
61.	Bawa Singh	Drifter	5741
62.	Awtar Singh	Tyndal	5511
63.	Lakha Singh	Do.	6598
64.	Amar Singh	Do.	6563
65	Jagir Singh	Do.	6597
66.	Amrik Singh	Do.	6596
67.	Harmesh Singh	Do.	6599
68.	K. D. Choudhury	Do.	6004
69.	Paresh Nath Pasi	Do.	5010
70.	Mangal Yadav	Do.	7256
71.	Kailash Singh	Do.	7254
72.	Ramdayal Singh	Do.	7262
73.	Bisheshwar Mahato	Do.	6345
74.	Ramdeo Singh	Do.	5561
75.	Biswanath Sahu	Do.	5001
76.	Kartar Singh No. 2	Do.	5792
77.	Budha Singh	Do.	6358
78.	Puran Singh	Do.	7255
79.	Dhundhkari Saw	Tyndal Supervisor/ Mech. Fitter	5052
80.	Gopi Harizan	Tyndal	5437
81.	Ajit Singh	Tyndal Supervisor	6174
82.	R. A. Pandey	H. T. Pump Khalasi	5060

1	2	3	4
83.	Dhananjay Mahato	Trammer	5425
84.	Bharat Mahato	Do.	5568
85.	Gondu Gorai	Do.	5569
86.	Paltu Mahato	Do.	5411
87.	Pawan Bouri	Trammer (Underground)	6485
88.	Subal Mahato	Prop Mistry	5165
89.	Chintaman Dass	Trammer	5685
90.	Kheyali Das	Gen. Maz.	5684
91.	Golok Mandal	Do.	5699
92.	Nirmal Singh	Trammer	5702
93.	T. Kanan	Conveyor Attendant	6572
94.	Bahadur Das	Gen. Maz.	6890
95.	Gour Mahato	Explosive Carrier	5158
96.	Jago Mahato	Genl. Mazdoor	7046
97.	Haladhar Mahato	Line Mistry	5631
98.	Sitaram Paswan	Drifter	6666
99.	Sib Tahal Ram	Genl. Maz.	6407
100.	Yakub Ansari	Do.	6450
101.	Bhatu Singh	Do.	6470
102.	Kisun Saw	Do.	6865
103.	Balkishun Prasad	Do.	7108
104.	Baiju Majhi	Drifter	5785
105.	Jamuna Yadav	Do.	6156
106.	Jan Rai	Dev. Face Worker	5412
107.	Kistopada Gorai	Do.	7050
108.	Subramanium	Do.	6562
109.	Mani Singh	Genl. Maz.	7047
110.	Sasti Mandal	Conveyor Attendant	6686
111.	Umar Khan	Drifter	6160
112.	P. S. Nadan	Dev. Face Worker	6154
113.	Puran Singh	Gen. Mazdoor	5701
114.	Parbhans Singh	Trammer	6256
115.	Ram Charan Mahato	Dev. Face Worker	6887
116.	Ram Chander Prasad	Do.	7094
117.	Ram Charitar Yadav	Do.	6565
118.	Ram Pravesh Prasad No. 1	Drifter	6269
119.	Tek Bahadur	Dev. Face Worker	6566
120.	Ram Pravesh Ram	Do.	7105
121.	Abhiunya Prasad	Drifter	5974
122.	Dasrath Mahato	Do.	6033
123.	Dubai Majhi	Do.	6698
124.	Ghanshyam Mandal	Dev. Face Worker	5942
125.	Kailash Singh	Do.	6645
126.	Jag Mohan Yadav	Do.	6648
127.	Md. Idrish	Drifter	6558
128.	Lallan Singh	Dev. Face Worker	6406
129.	Nepal Mallick	Drifter	6266
130.	Nibaran Gope	Dev. Face Worker	7100
131.	Janki Chamar	Drifter	5808
132.	Satyadeo Yadav	Dev. Face Worker	7075
133.	Rameshwar Saw	Stowing Barricading Supporting Gang	6908
134.	Rohan Yadav	Dev. Face Worker	7068
135.	Muni Swami	Drifter	6097
136.	Naresh Pramanik	Do.	6383
137.	Subhash Mahato	Do.	6252
138.	Deo Narayan Ray	Gen. Mazdoor	6124
139.	Ram Chandra Prasad	Do.	6926
140.	Manik Dey	Drifter	6289
141.	Daidya Nath Gorai	Gen. Maz. (Underground)	6483
142.	Nabaran Mandal	Gen. Mazdoor	6386
143.	Parsuram Yadav	Stowing Barricading (Semi-skilled)	6844
144.	Narbeshwar Singh	Stowing Mazdoor	7029
145.	Md. Siddique	L. T. Face Worker	5673
146.	Md. Safi	Drifter	6661
147.	Sheo Lakhan Raut	Dev. Face Worker	6681
148.	Ramaswami	Drifter	6675
149.	Anrudh Lal	Genl. Mazdoor	6663
150.	Ram Bachan Yadav	Do.	6921
151.	Kameshwar Dharti	Do.	6923
152.	Ram Lakhan Pandey	Drifter	6281
153.	Amar Singh No. 2	Do.	6577
154.	Bhakteshwar Bouri	Do.	5935
155.	Sadhu Mistry	Barricading Timber/ Prop Mistry	6919
156.	Magaram Bouri	Stowing Barricading Supporting Gang	6653
157.	Nityanand Singh	Dev. Face Worker	6466
158.	Budhan Singh	Drifter	6267
159.	Jagdish Singh	Barricading Timber/ Prop Mistry	7121
160.	Anand Das	Dev. Face Worker	6836
161.	Md. Ishaque	Do.	7102
162.	Suresh Thakur	Do.	7106
163.	Krishna Bihari Singh	Drifter	6487
164.	Rambisun Mahato	Do.	5772
165.	Dogru Yadav	Dev. Face Worker	6943
166.	K. S. Mani	Stowing Barricading supp. Gang.	7066
167.	Basu Gorai	Do.	7040
168.	Kalipada Majhi	Dev. Face Worker	6886
169.	Joginder Ram	Timber/Steel Prop/ Stowing Maz.	7101
170.	Baleshwar Singh	Stowing Barricading Supp. Gang	6448
171.	Fakira Saw	Drifter	6644
172.	Bijay Tantubai	Do.	5937
173.	Kanai Gorai	Gen. Mazdoor	7060
174.	M. S. Khan	Gen. Maz.	6393
175.	Chakradhar Gorai	Drifter	5919
176.	Jai Gorai	Stowing Barricading Supp. Gang	7045
177.	Ambai Majhi	Drifter	6696
178.	Amar Gosh	Gen. Maz.	91284
179.	Ramji Singh	Face Worker	90656
180.	Mahadoo Mahato	Do.	90470
181.	Shyam Bihari Ram	Do.	90478
182.	Kaleswar Ram	Do.	90510
183.	Budhu Beldar	Do.	90552
184.	Akchabar Mahato	Do.	90613
185.	Bizwan Ahmed	Do.	90641
186.	Rambilash Dusadh	Do.	90689
187.	Nandlal Majhi	Do.	90696
188.	Meghan Paswan	Do.	90702
189.	Dayal Yadav	Do.	90715
190.	Dhiru Yadav	Do.	90716
191.	Saiyab Khan	Do.	90714
192.	Raghib Askari	Do.	90705
193.	Rameshwar Pad	Do.	90701
194.	Abdul Azia	Do.	90659
195.	Setho Singh	Do.	90547
196.	C. Subramani	Do.	90469
197.	Rekha Yadav	Do.	90745
198.	Birju Ram	Do.	90484
199.	Ramadhar Pal	Do.	90482
200.	Kailash Pd Singh	Do.	90446
201.	Ashanand Singh	Do.	90609
202.	Ali Mohammad	Do.	90649

1	2	3	4
203.	Asharfi Singh	Face-Worker	90611
204.	Bharat Mahato	Do.	90731
205.	Bhagirath Sahis	Do.	90624
206.	Chak Bahadur Thapa	Do.	90742
207.	Krishnandeo Srita	Do.	90597
208.	Kamta Singh	Do.	90485
209.	M. N. Biswas	Do.	90615
210.	Ramawater Mistry	Do.	90717
211.	Sheo Pujan Upadhaya	Do.	90436
212.	Sambhu Majhi	Do.	90480
213.	Sheoram Majhi	Do.	90635
214.	Subban Ansari	Do.	90685
215.	Sheo Narayan Yadav	Do.	90498
216.	Suresh Singh	Do.	90694
217.	Bhigrashan Prasad	Do.	90747
218.	Bhim Bahadur Lama	Do.	90473
219.	Chamak Lal Yadav	Do.	90639
220.	Punarangam	Do.	90533
221.	Kupuswami	Do.	90442
222.	Muniswami	Do.	90540
223.	Ram Bahadur Thapa	Do.	90481
224.	Kali Bahadur Gurang	Do.	90483
225.	Gubasdhan Lama	Do.	90492
226.	Rajendra Pd. Singh	Do.	90661
227.	J. P. Pandey	Do.	90674
228.	P. Natrajan	Do.	90673
229.	Shankar Ram	Do.	90511
230.	Biswanath Singh	Do.	90719
231.	Budhan Ansari	Do.	90594
232.	Md. Yunus	Do.	90696
233.	G. Krishnan	Do.	90468
234.	Sheodas Ghosal	Do.	90769
235.	Ajit Singh	Do.	90654
236.	Chandrama Singh	Do.	90610
237.	Nimai Dey	Timber Mistry	7432
238.	Manglu Khan	Stowing Barricading Supp. Gang	7482
239.	Ram Bahadur Srists	Do.	7477
240.	Suraj Bahadur Srista	Do.	8476
241.	Shiblal Majhi	Do.	7481
242.	Azad Hussain	Do.	7415
243.	Bhatu Mahato	Do.	7479
244.	Md. Makbul	Do.	7417
245.	Ram Bahadur Tamang	Do.	7474
246.	Mahendra Singh	Do.	7422
247.	Nanku Rajbhar	Pick Miner/Loader	6996
248.	Dukhi Rajbhar	Do.	6995
249.	Muneshwar Rajbhar	Do.	6993
250.	Gobardhan Rajbhar	Do.	6994
251.	Gulab Mahato	Do.	6983
252.	Gultan Yadav	Do.	6951
253.	Sobha Pandit	Do.	6999
254.	Babulal Yadav	Do.	6991
255.	Bansant Yadav	Do.	7007
256.	Balkishun Mahato	Do.	6982
257.	Ramrup Yadav	Do.	6984
258.	Sheodayal Yadav	Do.	6992
259.	Sheo Nath Yadav	Do.	7009
260.	Kanda Maharana	Loader	90843
261.	Ram Pradhan	Do.	90838
262.	Firtu Ram	Do.	91270
263.	Kalesh Ram Satnami	Do.	91189
264.	Chedilal Satnami	Do.	91197
265.	Budhu Satnami	Do.	91272
266.	Kusum Lal Satnami	Loader	91271
267.	Md. Mazahir	Pick Miner/Loader	7673
268.	Hussain Khan	Do.	6976
269.	Md. Nisar No. 1	Do.	6963
270.	Ram Prasad	Do.	7173
271.	Israil Mia	Do.	6952
272.	Gupteshwar Dhobi	Do.	6966
273.	Kista Majhi	Stowing Barricading Supp. Gang	7413
274.	Sheo Charan Pad.	Do.	7408
275.	Parmeshwar Majhi	Do.	7414
276.	Hanif Khan	Do.	7418
277.	Deo Narayan Ram	Do.	7419
278.	Sahebjan Mia	Do.	6850
279.	Gour Gorai	Explosive Carrier	5156
280.	Parsuram Singh	Mech. Fitter	5991
281.	Ranbir Pad. Singh	Do.	6327
282.	Prabhu Nath Singh	Do.	6129
283.	Jasimuddin	Do.	6105
284.	Kamaldeo Rai	Do.	7244
285.	Hiralal Mahato	Fitter	7304
286.	Dilip Singh	Stowing Pipe Fitter	6344
287.	Harihar Mistry	Do.	7375
288.	Nasir Haidar	Stowing Fitter	5454
289.	Ravindar Nath Gon	Electrician	7369
290.	Md. Safique	Do.	5033
291.	Heman Barhi	Timber Mistry	7426
292.	N. K. Singh No. 4	Fitter Helper	7180
293.	R. D. Singh	Do.	6103
294.	Lallan Singh	Do.	7242
295.	Subal Kr. Sahie	Pump Khalasi	7117
296.	Bisundeo Pd. Singh	Contract Labour	
297.	Kamaluddin	Do.	
298.	Thakur Paswan	Do.	
299.	Mritunjay Singh	Do.	
300.	Misri Pandit	Do.	
301.	Md. Alluddin	Do.	
302.	Bisheswar Singh	Do.	
303.	Damodar Singh	Do.	
304.	Narsingh Bhagat	Do.	
305.	Rameshwar Yadav	Do.	
306.	Krishando Mistry	Do.	
307.	Rajendra Yadav	Face Worker	90637

For the Management
(Advocate)
28-1-1977

For the DGMS
Sd/- H. S. AHUJA
19-1-77
Director of Mines

ANNEXURE B

LIST OF WITNESSES EXAMINED ON BEHALF OF:

PARTY NO. 1 (MANAGEMENT)

1. Shri Dipak Sarkar
2. Shri V. K. Derhgawon
3. Shri A. K. Sahay
4. Shri R. Bhattacharya
5. Shri S. K. Banerjee
6. Shri Anand Prasad

PARTY NO. 8 (D.G.M.S.)

1. Shri S. N. Thakar
2. Shri S. K. Dutta
3. Shri C. P. Singh

4. Shri T. K. Mozumdar
5. Shri A. K. Rudra
6. Shri V. N. Gupta
7. Shri S. C. Batra
8. Shri H. S. Ahuja
9. Shri A. B. Singh
10. Shri S. P. Ganguli

PARTY NO. 2 (I.N.T.U.C.)

1. Shri Pyar Chand Paswan.

PARTY NO. 14 (OFFICERS' ASSOCIATION)

1. Shri J. N. Ohri.

COURT WITNESSES

1. Shri N. Mishra
2. Shri S. S. Prasad
3. Shri Sahadeo Mahto
4. Shri Sabir Ahmad
5. Shri Prem Mondal
6. Shri Lakhan Manjhi
7. Shri Lagan Manjhi
8. Shri Sunil Mondal
9. Shri Nizam Ahmed
10. Shri Arjun Bhuiya
11. Shri Kashi Lal Thapa
12. Shri Hare Ram Pandey
13. Shri Firangi Prasad
14. Shri Satya Narain Banerjee
15. Shri J. Khan
16. Shri U. K. Khan
17. Shri H. K. Mukhopadhyay
18. Shri B. L. Verma.
19. Shri H. B. Ghose.
20. Shri Swadesh Paul Mehra

ANNEXURE 'C'

LIST OF EXHIBITS ON BEHALF OF PARTY NO. 1 (MANAGEMENT)

Sl. No.	Ext. Marks	Description of the document
1	2	3
1.	B/1	Report accompanying the A.M.P. (Ext.8) in five sheets.
2.	10 Ext. D/2 of Party 8	Annexure A to the original statement of Party No. 1 (application for drivage of East Footwall of 1st Horizon).
3.	11	Annexure B to the original statement of Party No. 1 (reply to the above by Jt. D.M.S.).
4.	12	Annexure C to the original statement of Party No. 1 (clarification to the above by Agent).
5.	13	Letter from D.G.M.S. granting permission for drivage along East Footwall (Annexure D to the original statement of Party No. 1)
6.	14 Ext. G/2 of Party B	Part off-set plan of 1st Horizon (Accident Plan)
7.	15/	Annexure I to Supplementary Statement of Party No. 1 (Mr. S.C. Batra's Inspection Report dated 15-12-1975)
8.	15/1	Annexure III to Supplementary Statement of Party No. 1 with enclosures (violations)
9.	15/2	Annexure VII to Supplementary Statement of Party No. 1 (Central Government Notification dated 31-3-1960)
10	15/3	Annexure IX to Supplementary Statement of Party No. 1 (Mr. H.B. Ghose's D.O. letter to C.M.R.S.).
11.	15/4	Annexure X to Supplementary Statement of Party No. 1 (D.C.M.E.(O)'s application dated 7-1-1971 to D.G.M.S.).
12.	15/5	Annexure XII to Supplementary Statement of Party No. 1 (D.C.M.E.(O)'s letter dated 25-6-1971 to Shri V N Gupta)
13	15/6	Annexure XIII to Supplementary Statement of Party No. 1 (D.C.M.E(O)'s letter dated 21/28-7-71 to D.G.M.S).
14.	15/7	Annexure XIV to Supplementary Statement of Party No. 1 (D.C.M.E(O)'s letter dated 5-8-71 to D.G.M.S.).
15.	15/8	Annexure XV to Supplementary Statement of Party No. 1 (D.G.M.S. Permission letter dated 17-8-1971).
16.	15/9	Annexure XIX and XX to XXIII to Supplementary Statement of Party No 1 (C.E. (C)'s letter dated 24-4-1974 to Agent and Statutory duties of Agents (compendiously)
17.	15/10	Annexure XXIV and XXV to Supplementary Statement of Party No. 1 (C.E.(C)'s letter dated 1-10-1975 to D.G.M.S. and Statutory duties of Agents (compendiously).
18.	16	Petition for Permission to visit the underground mine on 26-12-1775
19.	17	Fessibility Report prepared by Mr. N. Barraclough
20.	17/1	Project Report by I.C.C.
21.	18	Copy of letter No. MI/741 (B-2)75/-19114 dated 29-9-1975 from D.G.M.S. to Agent, Chasnala Colliery, with forwarding Memo. No. B vi/2553 4-10-1975 from Area Manager.
22.	18/1	Instructions dated 29-10-1975 by Manager to Overmen/Senior Overmen, 1st Horizon.
23.	19	Slip bearing Air Samples.
24.	20	Inspection Report by Shri V.N. Gupta dated the 27th and 29th December, 1971. (Copy substituted original returned).
25.	21	Draft Permission Letter of 1971.

LIST OF EXHIBITS ON BEHALF OF PART NO. 8 (D.G.M.S.)

1	2	3
1.	A	Statement of Shri Dipak Sarkar (Planning Officer) recorded by Shri A.B. Singh on 5-1-1976.

1	2	3
2.	B	List of plane seized by the D.G.M.S. from Shri D. Sarkar on 27-12-1975.
3.	B/1	Seizure Memo dated 27-1-1976.
4.	B/2	Seizure Memo dated 1-4-1976.
5.	B/3	List of records made available to D.G.M.S. by AVM A.C. Lal (C.M. Materials).
6.	B/4	List of Statutory plans handed over to Shri S.N. Thakar by late S. Roy Choudhury.
7.	B/5	7 Seizure Memos dated 28-12-75, 30-12-75 (2 Seizure Memos), 1-1-76, 2-1-76, 5-1-76 and 7-1-76.
8.	B/6	Report of Shri S.C. Batra dated 6-4-76 to the D.G.M.S. (Northern Zone).
9.	B/7	Seizure Memo dated 8-1-76.
10.	B/8	Seizure Memo dated 9-1-76.
11.	C	Entry dated 28-11-75 in the Diary of Shri D. Sarkar.
12.	C/1	Entry dated 2-12-75 in the Diary of Shri D. Sarkar.
13.	C/2	Diary of Shri R. Bhattacharya, Manager.
14.	C/3	Diary of Shri Anand Prasad, Safety Officer.
15.	C/4	Diary of Shri U.K. Khan, Asstt. Manager.
16.	C/5	Diary of Late V.M. Bhatnagar, Assistant Manager.
17.	C/5(1)	Diary of Late V.M. Bhatnagar from 12-11-75 to 25-12-75.
18.	C/5(2)	Diary of Late V.M. Bhatnagar from 17-8-75 to 27-10-75.
19.	C/6	Surveyor's Diary.
20.	D	Working Plan of 1st Horizon (Plan No. 1A).
21.	D/1 (Enclo. to D/2).	Part Plan of 1st and 2nd Horizon working showing the proposed connection (Plan No. 75/4 dated 3-6-75).
22.	D/2	Letter No. 1/580 dated 7-6-75 from Agent Chasnalla Colliery to the D.G.M.S. for rivage of '10/ × 10/ arched roadway along east Footwall in 1st Horizon (application for Permission).
23.	D/3	Part working plan of 1st Horizon.
24.	D/4	Ferro-print of section 3 and 4 incline.
25.	D/5	Plan No. 238/70 MOD I.
26.	D/6	Plan No. 238/70 by Shri S.K. Dutta (on tracing paper).
27.	D/7	Plan No. 238/70 (Blue Print)
28.	D/7(1)	New Blue Print of Ext D/7
29.	D/8	Water Danger Plan of 1st Horizon
30.	D/9	Plan showing Part workings of No. 4 Incline and the 1st Horizon East Development District (Blue Print of Plan No. 1)
31.	D/10	Detail plan of Part of the 1st Horizon East Development District and the incident area including the drivage from 'K' level in Nos. 12, 13 and 14 seams (combined) (Blue Print of Plan No. 2).
32.	D/11	Plan showing Part of workings of No. 4 incline and the 1st Horizon East Development District (Blue Print of Plan No. 1 showing different circles).
33.	D/12	Plan showing levelling.
34.	D/13	Plan showing levelling.
35.	D/14	Plan drawn by Shri B. Banerjee, surveyor (D.G.) on the basis of data collected from 3 field books of Late S. Roy Chowdhury, Surveyor, Chasnalla.
36.	D/15	Part plan of No. 1 Horizon East Side working showing location and particulars of bore-holes spotted upto 13-2-76 (Plan No. 4).
37.	D/16	Part plan of 1st Horizon East side showing bore-hole as absorved on 10-3-76 (Plan No. 4-A).
38.	E	Signature of Dy. C.M.E(O) and Agent, Jitpur-Chasnalla Colliery on letter No. KRD/RR/10/178 dated 2-6-1970 from the above to the D.G.M.S. (Ext. E/3).
39.	E/1	Signature of Surveyor on Plan Ext. E/2.
40.	E/2	Plan showing the proposed pattern of Bore-holes in first Horizon. North Cross-out.
41.	E/3	Letter No. KRD/RR/10/178 dated 2-6-1970 from Dy. C.M.E(O) and Agent, Jitpur-Chasnalla Collieries to D.G.M.S. for permission to drive Noth Cross-cut (West) at No. 1 Horizon.
42.	F	List of persons examined by the DGMS officials dated 21-6-76.
43.	F/1	Statements of Shri U.K. Khan and 27 others recorded by Shri S.N. Thakar, (marked compendiously).
44.	F/2	Statement of Shri S.K. Banerjee, Area Manager, recorded by Shri A.B. Singh on 1-1-76, 4-1-76 and 9-1-76 (marked compendiously).
45.	F/3	Statement of Shri A. Prasad, Safety Officer recorded by Shri A.B. Singh on 31-12-75 (alongwith a sketch plan), 5-1-76 and 10-1-76 (marked compendiously).
46.	F/4	Statement of Shri N.C. Modak, Assistant Surveyor, recorded by Shri T.K. Mazumder on 2-4-1976.
47.	F/5	Statement of Shri S.N. Choudhury, along with a list of 59 persons and their statements recorded by Shri S.C. Batra between the period 1-1-76 to 7-1-76 (marked compendiously).
48.	F/6 Ext 4 before Commissioner.	Statement of Shri S. Sarkar, Ex-Surveyor, Chasnalla Collieries, recorded by Shri H.S. Ahuja on 3-4-75.
49.	F/7	Statement of Shri U.K. Khan and 26 others recorded by Shri A.B. Singh (marked compendiously).
50.	G	Inspection Report of Shri S.N. Thakar (No. R-2/4133 dated 5-9-74).

1	2	3
51.	G/1	Inspection Report dated 28-2-76 and 1-3-76 by Shri S.C. Batra alongwith a plan.
52.	G/2 Ext. 15 of Party No. 1	Original Inspection Report of Shri S.C. Batra dated 23-12-75 including a Top Sheet noting by Shri A.B. Singh (Inspn. D/15-12-75).
53.	G/3	Inspection Report of Shri H.S. Ahuja dated 25-2-76 alongwith a Top Sheet and hand plan for 'K' level.
54.	H	Raising Report—June-August, 1975.
55.	H/1	Raising Report—November.
56.	I	Rock Drill Issue Register.
57.	J	Record of determination of Methane percentage.
58.	K	Record of particulars of precautions against Gas.
59.	L	Permission letter No. 16148 dated 25-5-70 (true copy).
60.	M	Copy of Annexure XI to the Supplementary Statement filed by Party No. 1.
61.	N	Feasibility Report for Chasnalla Mechanised Open-cast Project.
62.	O-0/2	Three Field Books.
63.	P	Signature of Shri S.N. Choudhury on page 3 of his statement marked 'B' for identification and subsequently as Ext. F/5 (Compendiously).
64.	P/1	Ditto on page 4.
65.	Q	Copy of the relevant portions of the statement of Shri R. Bhattacharya, Manager Chasnalla West Mine, recorded by S.I. C.P. Singh in Case Diary (original returned after substituting copy thereof).
66.	R	Original Inspection Report dated 31-1-76 by Shri A.K. Rudra.
67.	R/1	Original Inspection Report dated 24-2-76 by Shri A.K. Rudra regarding bore-hole in Footwall East drive.
68.	R/2	Original Inspection Report dated 24-2-76 by Shri A.K. Rudra regarding East side of 1st Horizon.
69.	R/3	Original Report of Shri A.K. Rudra dated 4-2-1976 regarding existence of advance bore-holes on east side of Chasnalla West Mine.
70.	R/4	Original Report of Shri A.K. Rudra dated 24-2-76 regarding second cross-connection on the East Side First Horizon.
71.	S	Notes and orders of the D.G.M.S. in connection with 1971 permission.
72.	S/1	Notes and orders of the Head Office of DGMS in connection with 1975 permission in 4 sheets (marked compendiously).
73.	S/2	Notes of the Zonal office of DGMS in connection with 1975 permission (four sheets- -marked compendiously).
74.	T	Office Order No. Genl/16186-335 dated 26-8-74 (copy).
75.	T/1	Copy of D.G.M.S. Circular No. 16174 dated 26-8-74.
76.	T/2	Copy of authorisation under section 6(1) of the Mines Act, 1952.
77.	T/3	Copy of the orders regarding delegation of powers u/s 6(1) of the Mines Act.
78.	T/4	Copy of application for permission under Regulations 98, 99, 104, 105, 126 & 127 other than under Regulation 105 to be put up to D.D.C.
79.	T/5	Copy of the order regarding distribution of work in absence of D.G.M.S.
80.	T/6	Copy of the order regarding distribution of work in absence of D.G.M.S.
81.	T/7	Copy of Notification appointing Shri S.S. Prasad as Chief Inspector of Mines.
82.	T/8	Copy of Office Order No. ADN/1/11 of 1976 dated 17-1-1976.
83.	T/9	Office Order No. Genl./7 of 1975 dated 21-4-76 regarding distribution of work in absence of D.G.M.S.
84.	T/10	Copy of Office Order No. GENL/12 of 1976 dated 18-8-76 regarding distribution of work in absence of D.G.M.S.
85.	T/11	Copy of Memo No. 57-64/DDG dated 19-2-74 regarding distribution of work in absence of Dy. D.G.M.S.
86.	T/12	Memo No. 47-54/DDG dated 16-2-74 regarding distribution of work in absence of Dy. D.G.M.S. (copy).
87.	T/13	Memo No. 110-117/DDG dated 25-4-74 regarding distribution of work in absence of Dy. D.G.M.S. (copy).

LIST OF EXHIBITS ON BEHALF OF PARTY NO. 4 (A.I.T.U.C.)

1	2	3
1.	AA	Plan showing position of 14/15 seam workings.

LIST OF EXHIBITS ON BEHALF OF PARTY NO. 14 (OFFICERS ASSN.)

1	2	3
1.	BB	Company instructions No. 1973/14 dated 21-5-73 regarding organisation of collieries.
2.	CC	Revised organisational chart of Collieries as on 27-12-1975.
3.	DD	Letter No. CE(C)/99/1305 dated 14-5-75 from Chief Executive (Collieries) to General Manager (Materials), Chief Personnel Manager and Manager-Engineering and Development alongwith Shri Balaram's report.
4.	EE	Part working plan of 1st Horizon.

LIST OF EXHIBITS ON BEHALF OF COURT WITNESS NO. 2 (SHRI S.S.PD.)

1	2	3
1.	CW/1	Copy of Government Notification No. 8/24/66 MI dated 3-4-67 notifying change in designation and office.
2.	CW/2	Copy of Govt. letter No. A-44014/4173-M.I. dated 13-1-1975 regarding exercise of the powers of D.G.M.S.
3.	CW/3	Copy of Govt. letter No. A-44014/73-M.I. dated 2-8-74 regarding promotion of Shri S.S. Prasad to the post of D.G.M.S.
4.	CW/4	Copy of Office Memorandum No. Genl./-16399-42 G dated 4-9-71 regarding allocation of duties to the officers of the DGMS.
5.	CW/5	Copy of Inspection Report of Shri S.S. Pd. dated 2-1-75 in respect of Chasnala Colliery.
6.	CW/6	Statement showing the position of posts in D.G.M.S. (vacant, sanctioned and existing strength and posts filled in by promotion).
7.	CW/7	DG's instructions to officers, owners, Agents/Managers of Coal Mines (in a bunch consisting 4 sheets).
8.	CW/8	Technical Instruction No. 6 of 1976 dated 26-3-76.
9.	CW/9	Three permission letters dated 29-8-73, 31-7-74 and 6-5-75 under Rule 127 issued by Shri S.S. Prasad (in a bunch consisting of 3 sheets).
10.	CW/10	Permission letter under Regulation 127 issued by Shri S.S. Prasad to Kamptee Colliery on 18-10-1973.
11.	CW/11	Circular No. 16356-435 dated 27-8-74 alongwith an office order dated 9-9-74 and draft thereto.
12.	CW/12	Query by Shri H.S. Ahuja from A.O. and reply thereto by the letter about Circular Letter No. 16174 dated 26-8-74.

LIST OF DOCUMENT EXHIBITED BEFORE THE COMMISSIONER

1	2	3
		FOR PARTY NO. 8 (D.G.M.S.)
1.	1	Sketch of a pump mounted on a trolley.
2.	2	'K' level Plan in a frame.
3.	3	Section of 3/4 Incline Haulage Road (copy).
4.	4 (subsequently converted into Ext F/6)	Statement of Shri S. Sarkar recorded by Shri H.S. Ahuja
		(FOR PART NO. 1 MANAGEMENT)
5.	5	Surface Contour Plan on Ferro-print paper.
6.	6	Signature of Shri S. Sarkar dated 10-5-41 on Ext. 7.
7.	6/1 to 6/5	Initials of Shri S. Sarkar dated 10-4-47, 10-9-47, 3-9-48, 11-12-48 and 19-3-49.
8.	6/6	Signature of Mr. John Weir on Ext. 7.
9.	6/7	Signature of Mr. B.K. Ghosh on Ext. 7.
10.	6/8	Signature of Mr. B.K. Kapur on Ext. 7.
11.	6/9	Signature of Mr. B.K. Ghosh on Ext. 7.
12.	7	General Plan of Chasnalla Colliery, 14 seam (Annexure XVI to supplementary statement of Party No. 1 (Ramnagore copy).
13.	8	Original A.M.P. submitted to the Mines Department in 1949.
14.	9	True copy of old plan 13/14 seams 3 & 4 Inclines (General Plan of A to K levels).

[No. N.11015/7/77-MI]
R. P. NARULA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978